मंगलवार, 16 मार्च 1982

25 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 18, मंगलवार, 16 मार्च, 1982/25 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 309, 311, 312 और 314 से 317	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—224
*तारांकित प्रश्न संख्या : 310, 313 और 318 से 328	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3475 से 3706	
केरल विधान मण्डल की स्थिति के बारे में	225—226
सभा पटल पर रखे गये पत्र	227
रेल अभिसमय समिति	227
सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण	
याचिका समिति	227—228
आठवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	228—234
(एक) बांसगांव जिला में सरदार नगर सरैया डिस्टिलरी से अपशिष्ट के बहाये जाने के कारण पानी को दूषित होने से रोकने की आवश्यकता	
श्री महाबीर प्रसाद	228
(दो) चीनी रेशम धागे के आयात के कारण उड़ीसा में आदिमजातियों के देशी टसर रेशम उद्योग में गम्भीर संकट	
श्री रास बिहारी बहेरा	229
(तीन) आन्ध्र प्रदेश के गुड़ उत्पादकों को गुड़ के लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता	
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	230
(चार) गंगा और यमुना नदियों के पानी को दूषित होने से रोकने के लिए उपाय	
श्री बी० डी० सिंह	231

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) कोयले से कृत्रिम कच्चे तेल का उत्पादन करने का कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता	
श्री सुबोध सेन	232
(छः) महाराष्ट्र में कगाल के यशवन्त दुर्ग के लुप्त हो जाने का समाचार	
श्रीमती प्रमिला दंडवते	233
(सात) पटना शहर में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता	
श्री रासावतार शास्त्री	233
(आठ) बिहार में छोटा नागपुर और संस्थाल परगना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा साही	234
बजट (सामान्य), 1982-83—सामान्य चर्चा	235—252
श्री प्रणब मुखर्जी	
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1982-83	252—259
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982—पुरःस्थापित विचार करने का प्रस्ताव	259—269
श्री प्रणव मुखर्जी	259
श्री रामावतार शास्त्री	260
श्री चन्द्रजीत यादव	263
खण्ड 2 से 4 और 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	269
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82	269—294
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	270
श्री चक्रधारी सिंह	276
श्री नारायण चौबे	278

विषय	पृष्ठ
श्री केयूर भूषण	282
श्री रणजीत सिंह	285
श्री पी० नामग्याल	287
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	289
विनियोग विधेयक, 1982—पुरःस्थापित	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	295
खण्ड 2, 3 और 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	295
रेल अभिसमय समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	296—400
अनुदानों की मांगें (रेल), 1982-83	
और	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1981-82	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	296
डा० बी० एन० सिंह	383
डा० ए० कलानिधि	389
श्री गिरधारी लाल डोगरा	395
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	398
उड़ीसा में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के स्थान के परिवर्तन के बारे में वक्तव्य	
श्री चरणजीत चानना	401
उत्पादकों को आलू के लाभप्रद मूल्य दिलाने के बारे में चर्चा	401—436
प्रो० मधु दण्डवते	401
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	408
श्री सुधीर गिरि	411
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	412

विषय	पृष्ठ
श्री रामविलास पासवान	413
श्री तपेश्वर सिंह	416
श्री रामावतार शास्त्री	417
श्री दिलीप सिंह भूरिया	419
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	421
श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी	422
श्री जयपाल सिंह कश्यप	424
श्री नित्यानन्द मिश्र	425
श्री चित्त बसु	426
राव बीरेन्द्र सिंह	428

लोक-सभा

मंगलवार, 16 मार्च, 1982/25 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे हमारे एक पुराने साथी डा० ए०एस० मेलकोटे के दुखद निधन का समाचार देना है। श्री मेलकोटे 1955-77 के दौरान दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे, इससे पूर्व वह 1952-56 के दौरान तत्कालीन हैदराबाद विधान मंडल के और 1956-57 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य रहे थे, वह 1952-54 के दौरान हैदराबाद राज्य के वित्त मंत्री रहे थे और 1954-57 के दौरान हैदराबाद राज्य के लोक निर्माण विभाग और श्रम मंत्री रहे थे।

वह एक वरिष्ठ स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने राष्ट्रीय तथा हैदराबाद राज्य के सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह में भाग लिया था तथा वह जेल भी गए थे। वह अपने सम्पूर्ण जीवन में एक क्रियाशील समाजसेवक रहे थे।

चिकित्सा की देशीय प्रणालियों का अध्ययन और असाध्य रोगों का इलाज योग से करना उनका प्रिय विषय था। उन्होंने ट्रेड यूनियन के आंदोलनों और शिक्षा में भी गहरी रुचि दिखाई।

वह अनेक चिकित्सा, शैक्षिक, श्रमिक तथा सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्धित रहे थे। वह डीन आफ मेडिकल फैकलटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, चेयरमैन, आयुर्वेदिक एवम यूनानी पुनर्गठन समिति, हैदराबाद; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के सदस्य, वाइस प्रेसीडेण्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, यूगोस्लोविया और मास्को जाने वाले इंडियन ट्रेड यूनियन के नेता रहे थे।

वह न्यू साइंस कालेज, जवाहरलाल नेहरू पीलीटेकनिक, शारदा कन्याशाला और आंध्र प्रदेश में सभी प्राइवेट सहायता प्राप्त कालेजों के प्रबन्धक एवम अध्यापक एसोसिएशनों के महासंघ के चेयरमैन थे।

एक सक्रिय सांसद होने के नाते उन्होंने सभा के कार्य में गहरी रुचि दिखाई।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकित परिवार को हमारी समवेदना भेजने में मेरे साथ शरीक होगी।

यह सभा अपना दुख प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़ी होगी।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय राज्यों को प्रसारण में अपर्याप्त स्थान दिया जाना

*309. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दन जोनल काउन्सिल, जिसकी फरवरी, 1982 में बैठक हुई थी, के मुख्य मंत्रियों ने क्षेत्रीय राज्यों को आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण में पर्याप्त स्थान न मिल पाने के बारे में शिकायत की थी और यह मांग की थी कि या तो दूरदर्शन और रेडियो के अधिक स्टेशन स्थापित किए जाएं अथवा प्रसारण में आजकल मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई जाएं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या दिल्ली, जालन्धर, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ, दूरदर्शन स्टेशनों को प्राथमिकता के आधार पर परस्पर चैनल द्वारा मिलाने का विचार है, यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसकी बैठक फरवरी, 1982 में हुई थी, की कार्रवाइयों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) इन केन्द्रों को डाक-तार माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है।

डा० ए० यू० आजमी : नार्दन जोनल काउंसिल की जो मीटिंग फरवरी में हुई थी उसमें चीफ मिनिस्टर्ज तक ने यह शिकायत की थी कि टी० वी० और रेडियो पर उनका कवरेज पूरा नहीं हो पाता है। क्या यह सही है कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्ज तक को यह शिकायत है और अगर है तो अपोजीशन वालों को तो और भी ज्यादा शिकायत हो जाती है कि न्यूज में उनकी बातों को कवर नहीं किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय तमाम लोगों की इस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टी० वी० और रेडियो पर तमाम लोगों को पूरा कवरेज मिले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मेरा ख्याल है कि यह सवाल टी० वी० और रेडियो पर कवरेज कितना होता है इसके मुताल्लिक था। मुझे यह मालूम नहीं था कि रूलिंग पार्टी के लोगों का कवरेज कितना होता है और अपोजीशन वालों का कितना, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसका भी मैं जवाब दिए देता हूं। हकीकत यह है कि जहां तक रूलिंग पार्टी के लोगों का सवाल है मैं पहले भी सदन में बता चुका हूं कि अपोजीशन के मेम्बरों को ज्यादा कवरेज दिया जाता है रूलिंग पार्टी के मेम्बरों की बनिस्बत। आंकड़े खुद यह बताते हैं।

आचार्य भगवान देव : हमारे साथ यह अन्याय क्यों होता है ?

श्री वसन्त साठे : शिकायत यदि किसी को होनी चाहिये तो रूलिंग पार्टी के सदस्यों को होनी चाहिये। विरोधी दल वालों को तो होनी ही नहीं चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : परन्तु हम आपके कथन को चुनौती देते हैं। कृपया सभा के समक्ष तथ्य रखिए।

श्री वसन्त साठे : कृपया आप रिकार्ड को देखिए, मैंने अनेक बार सभा के समक्ष तथ्य अनेक बार रखे हैं और मैं दुबारा ऐसा कर सकता हूं।

डा० ए० यू० आजमी : हिन्दुस्तान के लोग यह जानना और देखना चाहते हैं कि उनके जरिये चुने गए लोग यहां क्या करते हैं, यहां पार्लियामेंट में क्या होता है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है नहीं देखते हैं।

डा० ए० यू० आजमी : क्वेश्चन आवर वगैरह में किसी ने क्या सवाल किया, क्या जवाब आया यह देखना चाहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में टी० वी० पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अव्वाम के सामने आप पेश करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : लोक सभा में जो कुछ होता है उसको किस माध्यम से बाहर पहुंचाया जाए अध्यक्ष महोदय, यह सारा आपके अधिकार में है। यदि आपकी यह राय हो आप यह हिदायत दें कि कोई हिस्सा इस पार्लियामेंट की कार्रवाई का दूर दर्शन पर बताया जाए तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और हमें हिदायत दे सकते हैं। हम इसको तब सोचेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, वह कहते हैं कि यदि आप निदेश देंगे तो इसके बारे में विचार करेंगे। यह उल्लंघन है; उनको इसका कहना मानना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : मैं केवल संसाधनों की कमी पर बोल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी का संशोधन ठीक तरह से लिया गया।

श्री जगदीश टाईटलर : अब प्रश्न का भाग (ग) है, यह दिल्ली से सम्बन्धित है। कुछ समय पहले टेलीविजन पर वाणिज्यिक चैनल आरम्भ करने का प्रस्ताव था। हमने इसके बारे में नहीं सुना। उस प्रस्ताव का क्या हुआ ? यदि वह इस पर विचार नहीं कर रहे हैं तो क्या वह शुरुआत करने के लिए दिल्ली टेलीविजन में वाणिज्यिक चैनल आरम्भ करने पर बिचार करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : हमने बम्बई और दिल्ली दोनों जगह से वाणिज्यिक चैनल आरम्भ करने के बारे में निर्णय लिया है। इसको कितनी जल्दी आरम्भ किया जायेगा, जैसा कि मैंने बताया है। यह संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न वित्तीय प्राधिकारियों से स्वीकृति मिलने पर निर्भर है।

श्री संतोष मोहन देव : समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र टेलीविजन और रेडियो के अन्तर्गत आता है परन्तु इसका क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन को नहीं है परन्तु बंगलादेश रेडियो और टेलीविजन को है। आपको यह जानकर आश्चर्य और दुख होगा कि गारो हिल्स के एक प्राइमरी स्कूल में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। इसका उत्तर जिया उर रहमान कहकर

दिया गया । यह इस क्षेत्र का प्रभाव है और मंत्री महोदय खुद वहां गए थे और उन्हें अनेक ज्ञापन मिले थे ।

आज के उत्तर में भी गौहाटी का गलती से उल्लेख किया गया था । इस बात को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार असम में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने के लिए, जिसके अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालय आयें और इस क्षेत्र तथा विशेषकर सिल्चर में रेडियो स्टेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं स्वयं वहां मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गया था । वहां के मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा क दौरान मुझे यही कहानी सुनने को मिली जो अभी बताई गई है ।

यह सच है कि उस क्षेत्र का एक बड़ा भाग बंगलादेश टेलीविजन के अन्तर्गत आता है, हमने एक योजना तैयार कराई है और इसे पूर्वोक्त जोनल परिषद को भेजा गया है, उन्होंने इस पर चर्चा की है । हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । गोहाटी में जो एक टेलीविजन केन्द्र पहले से है उसके अतिरिक्त वहां एक और टेलीविजन केन्द्र की स्थापना की एक बड़ी योजना है तथा जिसके लिए कार्य पहले ही आरम्भ हो गया है । हम देश के उस भाग में टेलीविजन की वृहत और बेहतर सुविधा देने के लिए 'इन्सैट' का प्रयोग करना चाहते हैं ।

श्री के० लकप्पा : दूरदर्शन ने तमिलनाडु बम्बई और विशेषकर कर्नाटक में दूरदर्शन की सुविधाएं देने की ओर वहां रिले की जो व्यवस्था की है उसके प्रति वहां आक्रोश है । वहां इसकी कोई अच्छी सुविधा नहीं है तथा वहां कोई अच्छे कार्यक्रम नहीं दिए जाते हैं । वहां दूरदर्शन कार्यक्रम देखने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । ऐसा भेदभाव क्यों है ?

मैं दक्षिणी राज्यों के लिए पूरे दक्षिण में एक पूर्ण टेलीविजन संगठन चाहता हूं । इसको यथाशीघ्र आरम्भ करने के मार्ग में मंत्रालय के समक्ष क्या कठिनाई है । दक्षिणी राज्यों में भारी आक्रोश को देखते हुए क्या मंत्री महोदय दक्षिण के लिए एक पूर्ण टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करेंगे और उसको ठीक ढंग से चलाएंगे ताकि वहां लोग टेलीविजन कार्यक्रम देख सकें जैसा कि देश के अन्य भागों में लोग देखते हैं ? क्या मंत्री महोदय यहां बताएंगे कि इसके लिए वह कब, कैसे, क्या व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : वास्तव में कर्नाटक को इस बात से खुश होना चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना में एक पूर्ण टेलीविजन केन्द्र.....

श्री के० लकप्पा : इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री वसन्त साठे : इसमें कोई विलम्ब नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : आप देश के अन्य भागों को इसके अन्तर्गत क्यों लाए हैं ? आपने दक्षिण के लिए नहीं किया है । उन्हें जो देरी हुई है उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : यह विलम्ब नहीं है उनका मतलब रिले से है ।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : वहां एक पूर्ण टलीविजन केन्द्र क्यों नहीं संगठित किया गया है ? वे दो वर्ष से इस उत्तर को दे रहे हैं। वह वहां गए भी थे । इसलिए वहां लोगों में भारी आक्रोश है। हमारे लोग इसके लिए कह रहे हैं।

श्री वसंत साठे : कर्नाटक में एक नियमित टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए न केवल शिलान्यास किया गया है अपितु वहां निर्माण गतिविधियां भी आरम्भ हो गई हैं। आखिरकार एक पूर्ण टेलीविजन स्टूडियो के निर्माण में समय लगता है और इसमें कम से कम दो वर्ष लगते हैं। मैंने हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से बंगलौर में एक छोटा रिले एंटीना लगाया है ताकि बंगलौर नगर मद्रास और बम्बई से टेलीविजन देख सके। एक पूर्ण टेलीविजन केन्द्र की स्थापना में समय लगेगा। श्री लकप्पा वहां जाकर इसे आरम्भ कर सकते हैं। आप वहां जाकर काम आरम्भ कर सकते हैं और शीघ्र ही स्टूडियो का निर्माण कर सकते हैं (व्यवधान) भवन का निर्माण मेरे द्वारा नहीं अपितु कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। वे इसे जल्दी कर रहे हैं। इस समय बंगलौर में 1 किलोवाट एंटीना का रिले केन्द्र है जिसके अन्तर्गत छोटा क्षेत्र आता है जो कि स्पष्ट एंटीना की कम शक्ति के कारण है। जब एक नियमित केन्द्र स्थापित हो जाएगा तब आपके यहां समूचे कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक पूर्ण नियमित केन्द्र उपलब्ध हो जाएगा।

हल्दिया में उर्वरक संयंत्र को चालू किये जाने में विलम्ब

*311. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री एस० एम० कृष्णा :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की फर्म लिन्डे तथा इटली की फर्म न्यूओवो पिग्नोटे द्वारा सप्लाई किये गये दोषपूर्ण उपकरणों के कारण हल्दिया में उर्वरक के उत्पादन में बहुत विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण लगभग 6 महीने तक प्रतिदिन 200 टन यूरिया तथा 240 टन अमोनिया की हानि होने का अनुमान है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या इस अनुमानित हानि को पूरा करने के लिए उपरोक्त कम्पनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या उपरोक्त कम्पनियों के साथ हुये करारों में कार्य निष्पादन की गारंटी की शर्त तथा उसकी सफलता की स्थिति में किसी दंडात्मक कार्यवाही की शर्त सम्मिलित थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) हल्दिया उर्वरक प्लांट के निम्नलिखित कारणों से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने में 6 महीने का विलम्ब हो गया है :

(I) पश्चिम जर्मनी के लिण्डे द्वारा निर्मित आक्सीजन कम्प्रेशर में खराबी और

(II) ईटली के नोबो पिगनान द्वारा निर्मित सौर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए नाइट्रोजन कम्प्रैशर में खराबी ।

(ख) इस विलम्ब के कारण 30 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर लगभग 25,000 टन यूरिया, 75,000 टन मिश्र उर्वरक और 6,000 टन मेथानोल के अनुमानित उत्पादन की हानि हुई है ।

(ग) और (घ) इन उपकरणों के सप्लाईकर्ता/निर्माता के साथ करार में निष्पादन गारंटी की शर्त थी । तथापि इस परियोजना के चालू करने में विलम्ब के कारण यह गारंटी समाप्त हो गई है । फिर भी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० ने सप्लाईकर्ता/निर्माता से यह मामला उठाया है । भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० अपने खर्च पर नाइट्रोजन कम्प्रेशर के दोषपूर्ण पूर्जों की मरम्मत करने । बदलने के लिए सहमत हो गए हैं । लिण्डे भी आक्सीजन कम्प्रेशर के नए पिस्टन और गाइड रिंगों तथा परिवर्धित डिजाइन के वाल्वों की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने पर सहमत हो गए हैं । चूंकि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० ने आक्सीजन कम्प्रेशर समेत प्रमुख नाजुक उपकरणों का बीमा किया हुआ था । अतः बीमा कम्पनी को मरम्मत की लागत का भुगतान करने के लिए कहा गया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आशा है कि आपके पास विवरण है, सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि यह विदेशी कम्पनियां अपने कार्य में असफल रही हैं । इसमें बताया गया है कि इस परियोजना को चालू करने में विलम्ब के कारण कार्यनिष्पादन गारंटी खंड को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है और यह गारंटी समाप्त हो गई है । ऐसा लगता है कि यह गारंटी भी सप्लायर के पास थी । यहां नाइट्रोजन कम्प्रेशर के मामले में सप्लायर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है परन्तु इसके निर्माता न्यूओवो पिग्नोट हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हल्दिया फर्टिलाइजर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इसके लिए कुछ मुआवजा देने के लिए कह रहा है । जब कि निर्माता न्यूओवो पिग्नोटे है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोषपूर्ण उपकरण की सप्लाई के लिए उसका कार्यनिष्पादन गारंटी खंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास है न कि इटली की कम्पनी के पास है ? दूसरा, इसमें कहा गया है कि पश्चिमी जर्मनी की कम्पनी नए पिस्टन और गाइड रिंग और आक्सीजन कम्प्रेशर के संशोधित डिजाइन के वाल्व की 50 प्रतिशत लागत वहन करेगी । अब यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने दोषपूर्ण डिजाइन भेजे थे । अन्यथा संशोधित डिजाइन का प्रश्न नहीं आता है, यदि डिजाइन ही दोषपूर्ण है तो हमारे देश को ही इतनी बड़ी हानि क्यों हुई ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं प्रश्न पूछ रही हूं । यदि यह स्थिति है तो क्या कारण है कि कार्यनिष्पादन गारंटी खंड में इसे चालू करने का समय क्यों नहीं दिया गया ? दूसरा, कार्यनिष्पादन गारंटी खंड में यह क्या नहीं दिया गया है कि यह विदेशी कंपनियां, जिन्हें वास्तव में सप्लाई करनी थी, मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं और गारंटी की अवधि क्यों नहीं निर्धारित की गई ? इसके बदले हमारे राष्ट्रीयकृत कम्पनियों को इस घाटे को क्यों उठाना पड़ा जिसका अर्थ हमारे राजकोष

को नुकसान पहुँचना है ? (व्यवधान) क्या माजरा है ? क्या आप नहीं चाहते हैं कि इसके लिए कम्पनी ठीक तरह से मुआवजा दे, क्या आप चाहते हैं कि सरकार को नुकसान उठाना पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं मानेंगे, तो आपकी बात जरूर मानेंगे ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : इसमें संदेह नहीं कि ठेके के आधार पर गारंटी विदेशी पार्टियों पर लगाई जाती है । किन्तु यह समय की पाबंदी के आधीन है । समय ठेके का मूल आधार होता है । इसलिए, हुआ यह कि चालू करने में देरी हो जाने के कारण विदेशी कम्पनियों पर कार्य निष्पादन गारंटी की धारा नहीं लगाई जा सकी । किन्तु, इसके बावजूद, आक्सीजन कम्प्रेशरों के संबंध में स्थिति यह है कि यह कम्पनी, जो कि लिण्डे नामक पश्चिमी जर्मनी की एक कम्पनी है, नये पिस्टन और गाइड रिंग तथा आक्सीजन कम्प्रेशरों की दीवारों की आधी लागत वहन करने को सहमत है । पश्चिमी जर्मनी कम्पनी की यह स्थिति है ।

इटली की न्यूवो पिग्नोम द्वारा निर्मित और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये नाइट्रेट कम्प्रेशरों में जो दोष उत्पन्न हो गये हैं, उसके बारे में भारतीय कम्पनी सम्पूर्ण सामान बदलने को तैयार है । इसके परिणाम स्वरूप, स्थिति यह है कि पश्चिमी जर्मनी की कम्पनी को ९० प्रतिशत घाटा वहन करना पड़ेगा । अन्यथा बदलने का कार्य पूरा हो चुका है । बीमा कम्पनी के साथ दावे को पंजीकृत भी करा दिया गया है जिससे कि बीमा कम्पनी घाटे की राशि का भुगतान कर सके ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह जानना चाहती हूं कि चालू करने में देरी क्यों हुई जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : इस योजना के कार्यान्वयन में देरी होने के कई कारण हैं । सर्वप्रथम संयंत्र के निर्माण में कुछ देरी हुई जिसके कई कारण हैं यथा सिविल कार्य में देरी, निर्माता कम्पनियों द्वारा कुछ विशिष्ट मदों की सप्लाई में देरी किया जाना, देशी सप्लाई के स्थान पर आयातित सप्लाई लेना और आयातित सप्लाई के स्थान पर देशी सप्लाई का लेना, वोआयलर के लिये पाइप, फिटिंग को देर से प्राप्त होना, प्रतिकूल श्रमिक स्थिति का होना इत्यादि ।

दूसरी बात यह भी है कि बिजली न मिलने के कारण भी कुछ देरी हुई और मैं उस विषय पर विस्तारपूर्वक कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि इस मामले के बारे में हम बंगाल विद्युत बोर्ड से समय-समय पर चर्चा करते रहे हैं । कठिनाइयां आई थीं । अन्तोगत्वा संयंत्र चलाने के लिए हमें गैस टरबाइन का आश्रय लेना पड़ा था । अत: इन विविध कारणों का संचित प्रभाव पड़ना था जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं संयंत्र के चालू होने में देरी हुई ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० कृष्ण ।

श्री एस० एम० कृष्ण : हल्दिया कमप्लैक्स की कहानी 1972 से आरम्भ होती है । और अपने अस्पष्ट कथन के अन्त में मन्त्री जी ने कहा है कि केवल छः महीने की देरी हुई है । क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मूल परियोजना रिपोर्ट के अनुसार हल्दिया उर्वरक कमप्लैक्स

1976 के अन्त तक चालू हो जाना चाहिए था। इस कमप्लैक्स के लिए मूल प्राक्कलन 80 करोड़ रु० का था और आज लागत लगभग 300 करोड़ रु० तक पहुंच गई है और अभी भी हम इस संयंत्र को चलाने की स्थिति में नहीं हैं। मन्त्री जी ने कहा है कि आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय अनेकों कारण हैं इस विशेष परियोजना के चालू होने के अतिगंभीर समय में बिजली न दिये जाने की पश्चिमी बंगाल सरकार की असमर्थता अथवा अक्षमता को मैं समझ सकता हूं जिसकी ओर श्रीमती गीता मुखर्जी कृपा ध्यान दें। किन्तु क्या यह सरकारी क्षेत्र के अधिक हित में नहीं होता कि वे आकस्मिक योजनायें तैयार करते ? आपने गैस टरबाइन कब आयल करने का विचार किया था ? जब पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ आपको कठिनाई उत्पन्न हुई तब आप गैस टरबाइन सैट आयात करने के बारे में विचार करने लगे। क्या मन्त्री महोदय इस सदन को यह स्पष्ट आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि हल्दिया कमप्लैक्स वाणिज्यिक रूप से कब तक चालू हो जाएगा।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे यह कहना है कि सरकार ने इस परियोजना को 1971 में मंजूर किया था और उस समय इसकी लागत 88.03 करोड़ रु० आंकी गई थी। किन्तु अनुमान आमतौर पर प्रारम्भिक आधार पर लगाया जाता है। जब संभावना रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तब सभी चीजें सही होती हैं। मूल योजना के अनुसार इस विशेष संयंत्र को अक्तूबर 1976 में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर देना था। मेरे माननीय मित्र ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि यह संयंत्र वास्तव में कब तक उत्पादन आरम्भ कर देगा। आज की स्थिति के अनुसार हमें आशा है कि यह संयंत्र । अक्टूबर 1982 से उत्पादन आरम्भ कर देगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : सरकार निरंतर ढंग से योजना क्यों नहीं तैयार करती जिससे कि उत्तरोत्तर उसे शीघ्र पूरा करना संभव हो सके ?

श्री पी० शिवशंकर : मानव शाश्वत रूप से आशा के सहारे जीवित रहता है और मानव हृदय में निरन्तर आशा संचरित रहती है। हम लोग पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड से बात चीत कर रहे थे। हमारा विचार था कि पर्याप्त मात्रा में हमें बिजली मिल जायेगी। जब ऐसा संभव न हो सका तब हमें गैस टरबाइनों की शरण लेनी पड़ी। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं कि भविष्य में परियोजना का क्या होगा और इस आधार पर योजना तैयार करने के लिए कुछ आकस्मिक स्थितियों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा।

भारत में प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए टेलीफोनों की संख्या

*312. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति एक हजार जनसंख्या के लिए कितने टेलीफोन हैं और एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के विकासशील देशों तथा यूरोप एवं उत्तर अमरीका के विकसित देशों की तुलना में यह संख्या कम है या अधिक;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र तथा आई० टी० यू० द्वारा वर्ष 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार वर्ष के रूप में स्वीकार कर लिए जाने की दृष्टि से स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे किस प्रकार हैं और विश्व में प्रति 100 व्यक्तियों पर एक टेलीफोन की व्यवस्था करने के आई० टी० यू० के लक्ष्य को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) भारत में 4 टेलीफोन प्रति हजार जनसंख्या हैं । अन्य विकासशील तथा विकसित देशों के तुलनात्मक आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1983 में मनाये जाने वाले विश्व संचार दिवस का मूल विषय "संचार अवस्थापना का विकास" है । भारत ने पहले ही छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तरूप में दूर संचार सेवाओं का व्यापक विस्तार करने का कार्यक्रम आरम्भ किया हुआ है । इस योजना में 13.3 लाख लाइनें जोड़ने का विचार है । जिस पर 23 36 करोड़ रुपये की लागत आएगी । प्रस्तावित विस्तार के बावजूद छठी योजना के अन्त तक टेलीफोनों की संख्या 6 प्रति हजार जनसंख्या ही हो जायेगी । 1 टेलीफोन प्रति सैकड़ा जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना अगले दशक में ही व्यवहार्य हो सकेगा ।

विवरण

विकासशील और विकसित कुछ देशों में 1980 में प्रति 1000 जनसंख्या टेलीफोन घनत्व दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विकासशील देश :	टेलीफोनों की संख्या प्रति 1000 जनसंख्या
1. अल्जीरिया	22
2. ब्राजील	51
3. ईरान	22
4. मेक्सिको	64
5. सूडान	3
6. घाना	6
7. श्रीलंका	लगभग 6
8. बांगला देश	2 से कम
9. नाइजीरिया	2
10. केन्या	10
11. पाकिस्तान	3
विकसित देश :	
1. जर्मन जनवादी गणराज्य	434
2. कनाडा	656

3. फ्रांस	414
4. स्वीडन	771
5. यू० के०	477
6. संयुक्त राज्य अमेरिका	791
7. जापान	476
8. आस्ट्रेलिया	520
सम्पूर्ण विश्व	164

स्रोत : दा वर्ल्डस टेलीफोन्स (1980)

ए० टी० एण्ड टी० लांग लाइन्स, यू० एस० ए०

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण से यह प्रतीत होता है कि विकसित देशों को छोड़कर, अल्जीरिया, ब्राजील, ईरान, मेक्सिको, घाना, श्रीलंका, केन्या जैसे विकास शील देशों के मुकाबले भारत में टेलीफोनों की संख्या बहुत कम है ।

महोदय, उत्तर के अन्तिम वाक्य के अनुसार, लक्ष्य.....

अध्यक्ष महोदय : आप आबादी को जोड़ रहे हैं ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : एक प्रतिशत टेलीफोन होना अगले दशक में ही संभव हो सकेगा ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि मंत्रालय ने अगले दशक तक भारत की कुल आबादी के एक प्रतिशत लोगों को टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है अथवा यह एक केवल एक इच्छा मात्र उद्देश्य है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को भी वरीयता प्रदान की जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय ! महाशय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कि छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 13.3 लाख लाइनें और जोड़ी जायेंगी तथा सातवीं योजना के अन्त तक 37.5 लाख लाइनें और बढ़ा दी जायेगी और जैसा कि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में पहले ही कह चुका हूं एक प्रतिशत की बात अगले दशक के अन्त तक ही संभव हो सकेगी किन्तु यह आबादी की वृद्धि की दर पर आश्रित है ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय, थोथे आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, जोकि वास्तव में उन्होंने आबादी की वृद्धि से जोड़ते हुए दिया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्र को कोई वरीयता प्रदान की गई है क्योंकि इसके बारे में मैंने अपने पहले अनुपूरक प्रश्न में ही पूछा है । टेलीफोन के बारे में ध्यान देने योग्य मुख्य कठिनाई तो यह है कि एक्सचेंजों के स्वीकृत हो जाने, सार्वजनिक टेलीफोन घरों के मंजूर हो जाने तथा सभी लाइनों के स्वीकृत हो जाने के बाद भी भण्डार अर्थात उपकरण उपलब्ध नहीं होता । क्या सरकार वरीयता के आधार पर इस बात पर ध्यान दे रही है कि उपकरण और भण्डार उपलब्ध हो सकें जिससे कि निर्धारित अवधि तक निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सके ?

श्री विजय एन० पाटिल : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मौजूदा कुल टेलीफोनों के 15 प्रतिशत टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रों को दिये जाते हैं। इसीलिए अगली दो योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता प्रदान की जायेगी और 5000 से ऊपर की आबादी वाले सभी गाँवों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए लाइनों और सामान का प्रबन्ध किया जा रहा है और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जहां 2500 की आबादी एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए उपकरण और उसका प्रबन्ध करने के लिए वरीयता प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 313—श्री आर० एन० राकेश। अनुपस्थित। प्रश्न सं० 314—डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

बम्बई टेलीफोन्स में इलेक्ट्रानिक पद्धति लागू करना

*314. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेलीफोन्स में इलेक्ट्रानिक पद्धति लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पद्धति के मुख्य लाभ क्या होंगे ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) आगामी तीन वर्षों में बम्बई टेलीफोन जालकार्य में निम्नलिखित किस्म के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की संस्थापना हेतु आदेश दे दिए गए हैं :

(क) स्थानीय एक्सचेंज—50,000 लाइन (3 एक्सचेंज)

(ख) ट्रंक स्वचल एक्सचेंज 8000 लाइन (1 एक्सचेंज)

(ग) टेलेक्स एक्सचेंज 3900 ट्रंक लाइनें तथा 2800 उपभोक्ता लाइनें।

(घ) इलेक्ट्रो-मेकेनिकल प्रणालियों की तुलना में इलेक्ट्रोनिक प्रणालियों के मुख्य फायदे साररूप में निम्नानुसार हैं :

(i) बेहतर विश्वसनीयता एवं कार्य निष्पादन।

(ii) जालकार्य मितव्ययता।

(iii) भवन के लिए अपेक्षित कम स्थान की आवश्यकता।

(iv) बेहतर मार्ग प्रदान करने की क्षमता।

(v) अनुरक्षण एवं संस्थान प्रयासों में कमी।

(vi) विशेष उपभोक्ता सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता (स्थानीय एक्सचेंजो से)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, बम्बई सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला नगर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, महोदय, आबादी के अनुसार।

अध्यक्ष महोदय : फिर बाजपेयी जी कहेंगे कि मेरे साथ मुकाबला करो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आबादी में उनका कोई योगदान नहीं है। वह अविवाहित हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : आपकी आवादी कितनी है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने दो बच्चे पैदा किये ।

सत्तारूढ़ दल बम्बई के खिलाफ है क्योंकि लोक सभा के चुनाव में बम्बई के लोगों ने केवल जनता को वोट दिये और बम्बई टेलीफोन प्रणाली इतनी बिगड़ी हुई है कि जब कभी मैं टेलीफोन करता हूं तो भूल से टेलीफोन सदा ही बम्बई के मुख्य मंत्री से मिल जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सीधी लाइन है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हू कि इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज के उपकरणों को आयात किया जा रहा है अथवा वे देश में निर्मित किये जा रहे हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : इस समय उपकरण आयात किये जाते हैं । किन्तु हम लोग प्रौद्योगिकी का अन्तरण कर और इलैक्ट्रोनिक उपकरण कारखाना स्थापित कर इसे देश में निर्मित करने की योजना बना रहे हैं ।

आपके प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में कि बम्बई की उपेक्षा की जा रही है, यह सच नहीं है क्योंकि अन्य महानगर मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता के समान हम बम्बई को भी वरीयता प्रदान कर रहे हैं । इतना ही नहीं, टेलेक्स एक्सचेन्ज के रूप में बम्बई प्रभा देवी को आने वाले इस टेलेक्स एक्सचेन्ज को भी शीघ्र स्थापित किया जा रहा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को बम्बई के भूगोल का ज्ञान है । मेरा चुनावं क्षेत्र नया बम्बई के निकट है । नया बम्बई और बम्बई इसी प्रकार हैं जैसे दिल्ली और नयी दिल्ली लेकिन नया बम्बई में टेलीफोन करने के लिए ट्रंक काल करना पड़ता है । सरकार द्वारा नया बम्बई इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज का प्रबन्ध न किये जाने के कारण लोगों को भारी असुविधा हो रही है और बम्बई से नया बम्बई की ओर विशेष वाणिज्यिक केन्द्र की ओर बढ़ने वाली आवादी नहीं बढ़ रही है क्योंकि नया बम्बई के लिए इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज नहीं है ।

श्री विजय एन० पाटिल : डाक तार बोर्ड इस पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रहा है । मुख्य मन्त्री और बम्बई तथा महाराष्ट्र के अनेकों संसद सदस्यों ने इस सम्बन्ध में हम लोगों को लिखा है और इस समस्या के बारे में हम सही दिशा में विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक नाम और जोड़ लीजिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : शब्द 'अर्नेस्ट' तथा 'राईट अर्नेस्ट' के क्या अर्थ हैं ?

अध्यक्ष महोदय : विचाराधीन तथा सक्रिय विचाराधीन ।

श्री माधवराव सिंधिया : पहले के एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि आगामी वर्षों में एक प्रतिशत जनसंख्या को सन्तुष्ट कर दिया जायेगा । यदि आप टेलीफोन के कार्यकरण को देखें तो मेरे विचार से, उन्हें कहना चाहिए था कि "एक प्रतिशत और लोग असन्तुष्ट हो जायेंगे ।" यह कहना तो ठीक है कि इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज बहुत अच्छे हैं । परन्तु कुछ चीज तो आधारभूत रूप में ही गलत है । समाचार है कि डाक व तार विभाग तथा इलैक्ट्रो-

निक्स आयोग के बीच इस प्रश्न पर संघर्ष चल रहा है कि इलैक्ट्रोनिक दूर-संचार प्रणाली के प्रबन्ध का दायित्व एक संगठन को दिया जाये। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है और यदि है, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या करने का है ? प्राधिकार सम्बन्धी काफी भ्रम फैला हुआ है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस संघर्ष को देखते हुए एक अलग तथा ऐसा सम्पूर्ण दूर संचार बोर्ड गठित करना अच्छा होगा जिसके पास डाक व तार विभाग की तरह एक संपूर्ण ढांचा हो। वह अपनी दूर-संचार व्यवस्था को स्वतन्त्र रूप से संभाल सकता है और इलैक्ट्रोनिक्स आयोग एवं डाक व तार विभाग से विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री विजय एन० पाटिल : यह नोट करने के लिए एक सुझाव है। यह सच नहीं है कि इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेन्ज में विलम्ब डाक व तार विभाग और इलैक्ट्रानिक्स आयोग के बीच संघर्ष के कारण हो रहा है। दूसरा रूप यह है कि जैसाकि हम सब जानते हैं कि इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बदलती जा रही है चाहे आकड़ों के हिसाब से देखें चाहे साध्यता से बहुत सी सच बातें भी हैं जो द्रुत कार्यवाही में बाधक हो रही हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : यदि कोई संघर्ष नहीं है तो वह मेरे प्रस्ताव पर भी विचार क्यों करें ? (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोई रस्सा-कसी नही है दोनों के बीच केवल संघर्ष है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह यह महसूस करते हैं कि बहुत बार जब रेलगाड़ियों के बीच टक्कर होती है तो यदि टकराने वाली दोनों गाड़ियों के इन्जनों में विशेष रूप से धुन्ध के समय, कोई इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन व्यवस्था हो तो उनके चालक आपस में सम्पर्क बना सकते हैं तथा दुर्घटना होने से बच सकती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह यह व्यवस्था रेलवे में कर देना चाहेंगे ?

श्री विजय एन० पाटिल : जैसाकि श्री मधु दण्डवते जानते ही हैं रेलवे दूर संचार व्यवस्था हमारी पूर संचार व्यवस्था से भिन्न है। यदि रेलवे अधिकारी हमारे विशेषज्ञों से सहायता लेना चाहते हैं तो हम रेल विभाग को वह सहायता दे देंगे तथा वह रेल विभाग में आरम्भ की जा सकती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मुझे महाराष्ट्र के बारे में भी चिन्ता है। मेरा चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र से लगता हुआ है। और बार-बार बम्बई तथा डा० स्वामी के घर जाता रहता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धोखेबाज ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : बम्बई में जो टेलीफोन प्रणाली है वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ है तथा आदर्श है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो फिर आंध्र में क्या दशा होनी चाहिए ? भगवान आंध्र की सहायता करो।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : वहां अच्छी है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कार्यकुशलता अन्य नगरों में भी बनाये रखी जायेगी ? बम्बई बहुत धनवान नगर है लोगों से अधिक पैसा लीजिए और अन्य क्षेत्रों से काले डालकर उनकी वर्तमान व्यवस्था में बाधा मत पैदा कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछें । जैसाकि आपने मुझे बताया आप बम्बई से है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जी हां । मैं हमेशा बम्बई जाता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह रंगे हाथो पकड़े गये हैं ।

बल्क औषधियों के क्षेत्र में सरकारी तथा गैर सरकारी सेक्टरों का अंश

*315. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का अंश केवल 42 प्रतिशत है और गैर सरकारी क्षेत्र का अंश 48 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कोई योजना है, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान बल्क औषधों के निर्माण में सरकारी क्षेत्र का शेयर लगभग 26 प्रतिशत था ।

(ख) जी हां । यह प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र में बल्क औषधों के उत्पादन को वर्ष 1980-81 के दौरान लगभग 63 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1984-85 के अन्त तक लगभग 215 करोड़ रुपये किया जाय ।

(ग) जी हां । पेनिसिलिन, अर्ध-संश्लेषित पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, टेट्रासाइक्लीन और आक्सीटेट्रासाइक्लीन जैसे एंटीबायोटिक्स के निर्माण, इरीथ्रोमाइसी डाक्सीसाइक्लीन और जेन्टामाइसीन जैसे नए एंटीबायोटिक्स के निर्माण और एनलजिन फेनोबार्बिटोन विटामिन, निकोटिनामाइड और औषधों जैसे संश्लेषित औषधों की क्षमता और निर्माण में विस्तार के लिए परियोजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं और उत्पादन को सुस्थिर किया जा रहा है । इन परियोजनाओं में बल्क औषधों के उत्पादन में अगले दो वर्षों में काफी वृद्धि होने की आशा है । छठी योजना में सरकार क्षेत्र में निवेश के लिए 144.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने देखा होगा कि मेरे प्रश्न में मैंने एक बात स्पष्टतः कही है कि क्या बल्क औषधों के उत्पादन में राज्य क्षेत्र का अंश अथवा भागीदारी बढ़ा दी गई है, और मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि बल्क औषधों के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र को अंश वर्ष 1980-81 में लगभग 26 प्रतिशत था। आप मुझसे सहमत होंगे कि यह नगण्य प्रतिशत है जबकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है जहां सरकारी क्षेत्र की भूमिका प्रभुत्वपूर्ण होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि छठी योजना के लक्ष्य में-मैं फार्मूलेशनों के वित्त का जिक्र नहीं कर रहा हूं-बल्क औषध का जो लक्ष्य उसमें रखा गया है उसमें सरकारी क्षेत्र का अंश कम से कम 42-43 प्रतिशत तो होना ही चाहिए। परन्तु उन्होंने कहा है कि वर्ष 1984-85 तक वह हमें केवल 32-33 प्रतिशत तक बढ़ा पायेंगे।

अब मेरे प्रश्न यह हैं। इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए क्या आप गैर सरकारी क्षेत्र में इसके उत्पादन को प्रतिबंधित करने जा रहे हैं तथा हमारे आयात को भी प्रतिबंधित करने जा रहे हैं और देश में ही इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने जा रहे है ? इस सम्बन्ध में मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं जोकि आपके मंत्रालय के कार्यदल ने ही तैयार किये हैं, सरकारी क्षेत्र का अंशदान 2 5 करोड़ रुपये काहोगा जिसका मतलब है 32.33% संगठित क्षेत्र का अंशदान 365 करोड़ रुपये—39.85% होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंशदान—135 करोड़ रुपये—20.30 प्रतिशत और लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान 7.52% होगा। अतः आप पाते हैं कि छठी योजना अवधि में भी आप प्रभुत्वपूर्ण स्थिति में नहीं होंगे। इस बारे में आपका विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्री पी० शिव शंकर : पहले तो मैं अपने मित्र का धन्यवाद करूं कि उन्होंने इस प्रश्न पर यह कहकर हमारी प्रशंसा की है कि सरकारी क्षेत्र का अंशदान 4 प्रतिशत है। मैं प्रशंसा की तो शुक्रिया अदा करता हूं परन्तु जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह अंशदान मात्र 26 प्रतिशत ही है। सरकारी क्षेत्र के संघर्ष में औषध उद्योग के कार्यकरण के मामले में मैं भी उन्हीं की तरह चिन्तित हूं। यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, सरकारी क्षेत्र में बल्क औषधों का उत्पादन केवल 215 करोड़ रुपये के मूल्य का ही होगा जो कि लगभग 32 या 33 प्रतिशत बैठता है।

हमारे पास इस समय जो समाधान उपलब्ध हैं उनके लगता है सरकारी क्षेत्र में उससे अधिक उत्पादन करना मुश्किल होगा क्योंकि केवल चार सरकारी कम्पनियां ऐसी हैं जहां समय-समय पर पूंजी निवेश होता गया है। पूंजी निवेश पहले ही किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप उसे आशा है कि उत्पादन आरम्भ होने पर हम लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य की औषधों का उत्पादन कर पायेंगे।

प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण भाग इस समिति के बारे में है कि क्या हम गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन को तथा आयातों को घटाने जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि यह सब कुछ औषधों पर निर्भर करता है। कुछ ऐसी अनिवार्य औषध हैं जिनका आयात करना ही पड़ता है, हम उनका उत्पादन नहीं कर सकते हैं और हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र को तथा सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की यही मंशा है कि वर्ष 1978 में निर्धारित औषध नीति का कड़ाई के पालन किया जाये और जहां तक सम्भव है यह सुनिश्चित किया जाये

कि देशीय उद्योग को प्रोत्साहन मिले। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हम न तो बेतहाशा आयात करेंगे और न ही अनुमति रूप से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करेंगे, इस समय तो मैं यही वचन दे सकता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है वह समाजवादी देश सम्पर्क करे। वह दे देंगे।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें मालूम है कि भारत में अनेक ऐसे औषध उपयोग हैं जो अपनी लायसेंस क्षमता से आकर औषध बना रहे हैं और वह बिना सरकार के अनुमति लिए, तथा कातपेय औषधों का उत्पादन तो वे अपनी लायसेंस क्षमता के अनुसार भी नहीं कर रहे हैं। और यदि हां, तो उनका विचार ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा बिना उचित प्राधिकार अधिक औषध उत्पादन कर रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का सम्बन्ध है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा और यह हमारी नीति भी है, हम कहीं से भी इसे प्राप्त करना चाहेंगे। और जहां तक लायसेंस क्षमता से अधिक औष्ध उत्पादन की बात है मुझे मालूम है कि बहुत से उद्योग तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लायसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्थापित क्षमता लायसेंस क्षमता से कहीं अधिक है।

प्रो एन० जी० रंगा : क्या मूल्य कम करके इससे उपभयोक्ताओं को लाभ नहीं दिया जा सकता ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस तरह तो आपको तस्करी को प्रोत्साहन देना होगा। उससे भी उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

श्री पी० शिवशंकर : हम सामान्य नीति के फलस्वरूप वर्ष 1980 में इस आशय का एक निर्णय लिया गया था कि यदि अधिष्ठापित क्षमता लाइसेंस प्राप्त की तुलना में अधिक होने पर उत्पादन को नियमित किया जा सकेगा हालांकि यह लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक थी। लेकिन जब औषध नीति के बारे में औषधियों का मामला उठा तो हमने इस पर कुछ शर्तें लगा दी थीं। औषधियों के संदर्भ में, जो स्वदेशी तरीके से अधिक अन्यथा निर्मित की जा सकती थीं, ये शर्तें 1978 की औषध नीति के अनुरूप थीं और मेरे मन्त्रालय द्वारा अक्तूबर, 1981 में एक पृथक प्रेस नोट जारी किया गया था। वास्तव में मैं मानता हूं कि यह दृष्टिकोण उस उत्पादन को नियमित करना है जो लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक है। ये विभिन्न कारणों से है क्योंकि कभी-कभी मांग कम नहीं होनी चाहिए जैसा कि मेरे माननीय मित्र द्वारा सुझाव दिया गया था। स्वदेशी उद्योग और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों के बारे में भी ऐसा दिखाई देता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बात को देखते हुए कि माननीय मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि सरकार औषध उद्योग में भारतीय क्षेत्र की स्थिति को सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि भारत में औषध क्षेत्र में कार्य कर रही बहुत सी बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां न केवल भारी मुनाफे अपने

देश में भेज रही हैं अपितु उन औषधियों को जमा कर रही हैं जो उनके देशों में प्रतिबन्धित हैं और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां बहुत से कदाचारों में लगी हुई हैं और इसको देखते हुए क्या माननीय मन्त्री महोदय ने कोई ठोस कार्यवाही की है ?

यदि यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि धन सम्बन्धी बाधाओं के कारण सरकारी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास हो तो क्या कम से कम यह सुनिश्चित करना संभव है कि भारतीय क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास हो और किसी ऐसी औषधि के निर्माण के लिए, जिसके लिए भारत में प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को कोई लाइसेंस न दिया जाए ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं सहमत हूं कि जहां प्रौद्योगिक उपलब्ध हो और जहां हम महसूस करें कि भारतीय क्षेत्र इन उत्पादों का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल कोई नए लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस प्रश्न के इस भाग को मानने के लिए तैयार हूं। वास्तव में बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां काफी लम्बे अर्से से इस उद्योग पर शासन कर रही हैं। उनकी उस उद्योग में प्रभुत्ता बनी हुई है।

लेकिन अब विदेशी मुद्रा विनिययन अधिनियम के कारण समय समय पर उनकी इक्विटी-शेयर भागीदारी को कम किया जा रहा है और मैं इस सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि अन्ततः जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा तो ऐसी बहुत थोड़ी विदेशी कम्पनियां रह जायेंगी जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विनियमों के अन्दर होंगी।

एक समिमि ने इस पहलू की जांच की थी। उस समिति ने सुझाव दिए थे। हमारी कार्यवाही उस पर आधारित है।

मेरे माननीय मित्र ने उन औषधियों, जो विदेशों में रद्द की गई हैं, के भंडारण का भी उल्लेख किया है। जब इस मामले को सरकार के नोटिस में लाया गया है तो स्वास्थ्य मंत्रालय और मेरा मन्त्रालय दोनों ही इस पहलू पर ध्यान देंगे।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार बतलाएगी कि आप अभी कितने करोड़ रु० की बल्क ड्रग इम्पोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से और छठी पंचवर्षीय योजना में आप कितने का करने जा रहे हैं और उसको कट डाउन करने के लिए तथा अपने पांव पर खड़े होने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया है।

श्री पी० शिवशंकर : छठी पंचवर्षीय योजना में देश की लागत के आधार पर 'बल्क' औषधियों का आयात अनुमान तथा 150 करोड़ रूपए होने की संभावना है।

मेरे माननीय मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने विभिन्न क्षेत्रों और 'बल्क' औषधियों में कितनी राशि का उत्पादन होने की संभावना है, इस बारे में सदन को सूचना भी दी है। उन्होंने स्थिति को स्पष्ट भी कर दिया है। जहां तक इस भाग का संबंध है अन्त में छठी पंचवर्षीय योजना 1984-85 में पहुंचने पर यह नगण्य होगा। यह आयात इस देश में आवश्यक औषधियों का लगभग $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगा।

पश्चिम बंगाल में मेथानोल परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव

* 310†. **श्री रेणुपद दास :**
श्री नीरेन घोष :

क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित मेथानोल परियोजना केन्द्र की साझेदारी में पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर क्या कदम उठाया है और विशेष रूप से यह बताया जाए कि क्या आशय पत्र जारी कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) स (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) से (ग) : मैं० वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० ने 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता से मेथानोल और 135×10^6 एन० एम०^3 प्रतिवर्ष की क्षमता से पाइपलाइन गैस के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन किया था । सरकार के द्वारा उनके आवेदन पत्र पर विचार किया और उसे प्रारम्भ में ही निम्नलिखित आधार पर रद्द कर दिया गया ।

(i) प्रस्ताव कोल गैसीफिकेशन पर आधारित है और काफी बड़ा निवेश निहित है ।

(ii) मेथानोल की क्षमता के अन्तर को पहले ही पूरा कर दिया गया है और मेथानोल के लिए मांग सप्लाई स्थिति गंभीर नहीं है ।

(iii) परियोजना के लिये अपेक्षित कोयले की समान सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है ।

मैसर्स वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० ने प्रारम्भ में ही उनके आवेदन पत्र को रद्द किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ।

उद्योग मन्त्री पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री को लिखे अपने पत्र में सरकार ने उक्त परियोजना के लिए एक आशयपत्र जारी करने और बाद में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साम्यपूंजी में अंशधारी बनने का अनुरोध किया है । परियोजना में ईंधन योगज के रूप में प्रयोग करने के लिए मेथानोल के निर्माण की परिकल्पना की गई है । ईंधन योगज के रूप में मेथानोल के प्रयोग के प्रभावों और कोयला तथा सम्बद्ध गैस जैसे विभिन्न फीडस्टाकों से मेथानोल निर्माण की सापेक्ष तकनीकी आर्थिक योग्यता व्यापक जांच करने की आवश्यकता है । इस जांच के बाद ही सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेगी ।

श्री रेणुपद दास : मुझे यह जानकर वास्तव में हैरानी हुई है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का आवेदन पत्र तुच्छ कारणों पर तत्काल ही नामंजूर किया गया था। यह आवेदन पत्र 5 लाख टन मैथेनोल और 150 लाख घन फुट औद्योगिक गैस का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये है।

विवरण में दिए गये आधार बिलकुल विश्वास दिलाने वाले नहीं हैं। अतः पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने इस प्रारम्भिक नामंजूरी के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। पश्चिम बगाल के उद्योग मन्त्री ने पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री को आगे अनुरोध किया है कि वह आशय पत्र जारी करें। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस मामले पर कब विचार करेंगे और इस परियोजना के लिये आशयपत्र जारी करेंगे।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे लिये सही समय वाला कारण बताना संभव नहीं है। रिकार्ड का अध्ययन करने पर मैं अपने माननीय मित्र के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि प्रारम्भिक नामंजूरी तुच्छ कारणों पर आधारित थी। कुछ आधार दिये गये हैं और मैंने उन्हें मान्य पाया है। मैं इन आधारों को पढ़ूगा ताकि माननीय सदस्य और सदन जान सके कि वे मान्य थे। सर्वप्रथम प्रस्ताव कोल गैसीफिकेशन पर आधारित था और इसमें काफी बड़ा निवेश निहित था, दूसरे मैथानोल की क्षमता के अन्तर को पहले ही पूरा कर लिया गया है और मैथानोल के लिये मांग सप्लाई स्थिति गंभीर नहीं है, तीसरे परियोजना के लिये अपेक्षित कोयले की समान सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है। ये आधार थे जिन पर इसे प्रारंभ में ही रद्द किया गया था।

श्री रेणुपद दास : रानीगंज आसनसोल कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

श्री पी० शिवशंकर : कोयला उपलब्ध है लेकिन मुझे रिकार्ड से पता चलता है कि हमें कोयला क्षेत्र का विकास करने के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि का और निवेश करना पड़ेगा ताकि यह मैथानोल उत्पादन के प्रयोजनार्थ फीडस्टाक बन सके। प्रारंभ में की गई इस नामंजूरी के खिलाफ अभ्यावेदन दिया गया है। यह मामला विचाराधीन है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग मन्त्री ने कुछ नये मामले उठाये हैं। इनके गुण-दोष के आधार पर इन पर विचार किया जायेगा।

श्री रेणुपद दास : अधिक पूंजी निवेश के आधार पर इसे किस प्रकार रद्द किया जा सकता है ? यह एक 15 वर्षीय परियोजना है और इसे चार चरणों में कार्यान्वित किया जायेगा। वह किस प्रकार कह सकते हैं कि अधिक पूंजी निवेश के आधार पर इसे रद्द किया जा सकता है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं आज प्रातः इसे निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। कोयला विकास के प्रयोजनार्थ 350 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निगम द्वारा स्वयं ही प्रस्तुत की गई संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर यह राशि लगभग 800 करोड़ की है और इस प्रकार अनुमानतया यह राशि 1150 करोड़ रुपये से अधिक होगी। इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। निगम और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इच्छा व्यक्त की है कि अन्ततः इस कम्पनी में केन्द्र की इक्विटी पूंजी की

भागीदारी लेनी चाहिये जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ी राशि खर्च की जायेगी और यह छठी योजना में शामिल नहीं की गई है मैंने यह स्पष्ट करना चाहा है ।

श्री रेणुपद दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विश्व बैंक 15 वर्षीय संदर्शी योजना को तैयार करने के लिये अपने तकनीकी सहायता कोष से लगभग 35,000 डालर पश्चिम बंगाल परामर्शदात्री संगठन को देने के लिये सहमत हुआ है और यदि हां, तो क्या इसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस उद्यम में भाग लेने के लिये कोई निर्णय किया है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं कह चुका हूं कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है यह पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध है कि इक्विटी पूंजी भागीदारी होनी चाहिये । अन्ततः यह राशि लगभग 500 करोड़ रुपये अधिक होगी । छठी योजना में कोई प्रावधान नहीं है । मैंने स्थिति बता दी है और मेरे विचार से इसे दोहराने की जरूरत नहीं है ।

राजस्थान में नए टेलीफोन केन्द्र

*317. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में कितने नए टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में कितनी नई टेलीफोन लाइनें लगाई गई हैं; और

(ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान राजस्थान में कितनी नई टेलीफोन लाइनें लगाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) छठी योजना के दौरान राजस्थान में लगभग 140 नए टेलीफोन एक्सचेन्जों की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ख) नयी टेलीफोन लाइन क्षमता में निम्न वृद्धि की गई :

1979-80	3535
1980-81	5440

(ग) 1981-82 में लगभग 4,800 लाइनें तथा 1982-83 में 14,000 लाइनें जोड़ें जाने प्रस्ताव है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 140 नये टेलीफोन एक्सचेन्जों की स्थापना का प्रस्ताव है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेन्जों की स्थापना की गई है और इस वर्ष के प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : मैंने आंकड़े दे दिये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डुबकी लगाने के उपकरणों की सप्लाई के लिये पश्चिम जर्मनी की कम्पनी के साथ करार

*3.0. श्री हरीश रावत : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ड्रिलिंग पोत समुद्र प्रभात के लिये गहरे समुद्र में डुबकी लगाने के उपकरण की सप्लाई के लिये पश्चिम जर्मनी की कम्पनी ड्रीगर वर्क के साथ एक करार किया है;

(ख) करार के ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) डिलिंग कार्य के लिये कौन कौन से क्षेत्र चुने गये है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां। पश्चिम जर्मनी में निर्मित किये जा रहे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के "समुद्र प्रभात" नामक ड्रिलिंग पोत के लिये एक संतृप्ति डुबकी लगाने की प्रणाली (गहरे समुद्र में डुबकी लगाने का उपकरण) की सप्लाई और उसकी स्थापना करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने दिनांक 23-12-81 को पश्चिम जर्मनी की मैसर्स ड्री गरबर्क अकसियन गेसालसेफट नामक एक कम्पनी के साथ एक करार किया है।

(ख) स्थापन, परीक्षण और वर्गीकरण सहित डुबकी लगाने के उपकरण के लिए करार का कुल मूल्य 58,21,372 डी० एम० है जो लगभग 2.33 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर है। इस करार के अन्तर्गत स्थापना, परीक्षण और वर्गीकरण सहित पूर्ण डुबकी लगाने के उपकरण की डिलीवरी 30 अप्रैल 1982 तक हो जायेगी कि उस शिपयार्ड पर जहां ड्रिलपोत का निर्माण किया जा रहा है आवश्यक सुविधाएं समय पर प्रदान की जा रही हैं।

(ग) वर्तमान योजनाओं के अनुसार गहरे महाद्वीपीय मग्नतट, वसीन और रत्नगिरी क्षेत्रों सहित ड्रिल पोत को पश्चिम समुद्री तट से दूर अन्वेषी व्यधन कार्य के लिए प्रयोग में लगाया जाएगा। धीरे धीरे उपलब्ध होने वाले भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय आंकड़ों के सन्दर्भ में समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अन्वेषण कार्यक्रम पर यह निर्भर करेगा कि इसको आगे और क्षेत्रों में लगाया जाये।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पेट्रोल पम्पों तथा कुकिंग गैस एजेन्सियों का आवंटन

*313. श्री आर० एन० राकेश : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कितने प्रतिशत पेट्रोल पम्पों तथा कुकिंग गैस की एजेन्सियों का आवंटन किया गया है और क्या यह प्रतिशतता पूरी है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सभी डीलरशिपों/डिस्ट्रिब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों के लिये आरक्षित है । जब से आरक्षण नीति प्रारम्भ की गयी है, विनिर्दिष्ट कोटा पूरा किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सुपर थर्मल प्लांट्स का चालू किया जाना

*318. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1982 के "इकानामिक टाइम्स" में "कमीशनिंग ऑफ सुपर थर्मल प्लांट्स सी० ई० ए० फीयर्स डिले, न० टी० पी० सी० होपफुल" (सुपर प्लांट्स का चालू किया जाना--केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विलम्ब होने की आशंका, राष्ट्रीय तापीय बिजली आयोग आशावान) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या आजकल निर्माणाधीन तीन सुपर थर्मल स्टेशनों को चालू करने की तारीख के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के बीच गम्भीर मतभेद हैं;

(ग) क्या उपकरण के लिए विलम्ब से आर्डर देने और गारन्टी शर्तों के बारे में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम और बी० एच० इ० एल० के बीच मतभेद होने के कारण इन्हें चालू करने में विलम्ब होगा;

(घ) क्या उपकरण के आर्डर देने की समस्या के कारण निगम ने 244 करोड़ रुपये की आवंटित धनराशि में से केवल 160 करोड़ रुपये का उपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठायेगी ताकि आवंटित समूची धनराशि का पूरा उपयोग किया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के कुछ यूनिटों को चालू करने की संभावित तारीखों के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के आकलन में कुछ अन्तर है । लम्बी निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं की मानीटरिंग करने में आकलन सम्बन्धी ऐसे अन्तर होना अस्वाभाविक नहीं है । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों को यथाशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं तथा सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 200

मेगावाट के पहले यूनिट को, मूल कार्यक्रम के अनुसार ही फरवरी, 1982 में समकालित किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के 200 मेगावट के सभी उत्पादन यूनिटों के आर्डर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तथापि, सिंगरौली और कोरबा के लिए 500 मेगावाट की यूनिटों के लिए आर्डर देने में कुछ विलम्ब हुआ है।

चूंकि इस प्रकार के ये पहले यूनिट होंगे, अत: कार्य-निष्पादन की गारन्टी समेत, कुछ शर्तें तय की जानी थीं।

सिंगरौली के सम्बन्ध में आर्डर दे दिए गए हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए किए गए बजट संबंधी प्रावधान पूरी तरह उपयोग में लाए जाने की संभावना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पालघाट में आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का निर्माण

*319. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट, केरल में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में आधुनिक एक्सचेंजों का निर्माण करने का अपना पहले का प्रस्ताव बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में लिए गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

पालना लिग्नाइट विद्युत परियोजना की प्रगति

*320. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पालना लिग्नाइट विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में किसी दूसरे देश के साथ करार हुआ है और यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है और करार की शर्तें क्या हैं तथा क्या तत्सम्बन्धी ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब शुरू होगा तथा यह बिजली घर कब काम करना शुरू कर देगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) बीकानेर जिले में पालना में लिग्नाइट पर आधारित, 60-60 मेगावाट के दो यूनिटों वाले ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना करने के लिए एक स्कीम का तकनीकी-आर्थिक तौर पर मूल्यांकन कर लिया गया है और इस पर निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है। परियोजना पर 67.२8 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पालना विद्युत परियोजना तथा पालना खनन परियोजना को एक साथ ही स्वीकृति दिए जाने की सिफारिश की है ताकि निश्चित समय अवधि में लिग्नाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने लिग्नाइट खनन परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य जी० डी० आर० के मैसर्ज टाकराफ को सौंपा है। राज्य सरकार ने छठी योजना अवधि में लिग्नाइट खनन परियोजना हेतु वित्तीय प्रावधान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

विदेशों के साथ सीधी टैलेक्स सेवाएं

*321. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्वचालित सबस्क्राईबर डायल 'टैलेक्स' सेवा से अनेक देशों के साथ जुड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारतीय उपभोक्ताओं के साथ सीधी टैलेक्स सेवाएं हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) जिन देशों के साथ स्वचलन प्रयोक्ता डायल सेवा भारतीय प्रयोक्ताओं को उपलब्ध है उनकी सूची विवरण में दी है।

विवरण

उन देशों के नाम जहां के लिए भारतीय प्रयोक्ताओं को स्वचलन प्रयोक्ता डायल सेवा सुलभ है ।

1. अलजीरिया
2. आस्ट्रेलिया
3. आस्ट्रिया
4. बहरीन
5. ब्राजील
6. बेल्जियम
7. बल्गारिया
8. कनाडा
9. चीन
10. चैकोस्लोवाकिया
11. साइप्रस
12. डेनमार्क
13. जिबूती
14. मिस्र
15. इथोपिया
16. फिजो
17. फिनलैण्ड
18. फ्रांस
19. जर्मनी (प्रजातांत्रिक गणतन्त्र)
20. जर्मनी (संघीय गणराज्य)
21. यूनान (ग्रीस)
22. हांगकांग
23. हंगरी
24. इण्डोनेशिया
25. ईरान
26. इराक
27. आयरलैण्ड
28. इजराइल
29. इटली
30. जापान
31. कोनिया
32. कोरिया (दक्षिण)
33. कुवैत
34. लेबनान
35. मलावी
36. मलेशिया
37. मालदीव
38. मैक्सिको
39. मोरक्को
40. नीदरलैण्ड
41. न्यूजीलैण्ड
42. नाइजेरिया
43. नार्वे
44. ओमन
45. फिलिपीन्स
46. पोलैण्ड
47. पुर्तगाल
48. कातार
49. रुमानिया
50. सऊदी अरब
51. सियरा लियोन
52. सिंगापुर
53. सीमाली
54. स्पेन
55. श्रीलंका
56. स्वाजीलैण्ड
57. स्वीडन
58. स्विट्जरलैण्ड
59. सीरिया
60. थाइलैण्ड
61. ताइवान
62. तंजानिया
63. ट्रिनिडाड और टोबेगो
64. तुर्की
65. उगाण्डा
66. संयुक्त अरब अमीरात
67. ब्रिटेन
68. संयुक्त राज्य अमेरिका
69. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ
70. यूगोस्लाविया
71. यमन अरब गणराज्य (एस० ए० एन० ए०)
72. जाम्बिया
73. जिम्बाम्वे

सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग एकक की स्थापना

*322. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :**

श्री वी० एन० गाडगिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग एकक की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त एकक की स्थापना के लिए स्थापना स्थल के चयन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति ने किन-किन स्थानों का दौरा किया;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उक्त एकक की स्थापना महाराष्ट्र में की जाए और सांगली, पुणे, औरंगाबाद तथा नासिक के निकट स्थलों का सुझाव दिया है;

(घ) क्या स्थापना स्थल चयन समिति ने सितम्बर, 1981 में इन स्थानों का दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(च) इस बारे में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) सरकार ने देश में टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग उपस्कर के उत्पादन के लिए दो यूनिट स्थापित करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है ।

(ख) (1) मोहाली (पंजाब)

(2) पंचकुल्ला (हरियाणा)

(3) इन्दौर, देवास और उज्जैन (मध्य प्रदेश)

(4) बड़ौदा एवं गांधी नगर (गुजरात)

(5) पुणे, औरंगाबाद और नासिक (महाराष्ट्र)

(6) जहीराबाद, संगारेड्डी और रुद्रारम (आन्ध्र प्रदेश)

(7) मद्रास (तमिलनाडु) और

(8) भुवनेश्वर (उड़ीसा)

(ग) हालांकि महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध नहीं आया है, इस मंत्रालय की स्थल चयन समिति ने समिति के अनुरोध पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थानों का दौरा किया तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया ।

(घ) स्थल चयन समिति द्वारा सितम्बर, 1981 में महाराष्ट्र के स्थानों का दौरा किया गया था।

(ङ) स्थल चयन समिति की रिपोर्ट गोपनीय है तथा संचार मंत्रालय में उसकी जांच की जा रही है और इसलिए समिति की सिफारिशों से जनता को अवगत नहीं कराया गया।

(च) इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग उपस्कर उत्पादन यूनिट के लिए स्थान का निर्णय शीघ्र किए जाने की संभावना है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के लिये शीशियां तथा कैप्सूल

*323. **श्री रामकृष्ण मोरे :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीशियों तथा कैप्सूलों, आदि के निर्माण के लिये भारी क्षमता की स्थापना कर दिये जाने के बाद भी हिन्दुस्तान एंटोबायोटिक्स, पिम्परी द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण बाहरी एजेन्सियों से कराया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि बाहरी एजेन्सियों द्वारा लगभग सारे विस्तार कार्यों को पूरा करने में विलम्ब किये जाने के लिये उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) फार्मुलेशन प्लांट का विस्तार विलम्ब से चालू होने के कारण हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० को अपने कुछ फार्मुलेशनों का निर्माण बाहरी एजेन्सियों से करवाना पड़ा। अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के बाद ही यह किया गया।

(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० ने यह पुष्टि की है कि ठेकेदार पर खरीद आर्डर/जुर्माना वसूलने की व्यवस्था है। खरीद आर्डर/करार में जुर्माने की जो व्यवस्था की गई है वह सप्लाईकर्त्ताओं/ठेकेदारों पर लगाया जाता है।

खड़गपुर में टेलीकाम परियोजना की स्थापना

*324. **श्री सुधीर कुमार गिरि :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग द्वारा खड़गपुर में एक टेलीकाम परियोजना स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। खड़गपुर में एक नई दूरसंचार फैक्टरी की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रारम्भ में प्रस्तावित नई फैक्टरी में दूरसंचार लाइनों के लिए ढलवां लोहे की लाइनों की कुछ आवश्यक स्टोर मदों के उत्पादन हेतु एक आधुनिक ढलाईघर स्थापित किया जा रहा है। इसमें 1984 के दौरान उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है।

(ग) भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और निर्माण कार्यों की मंजूरी दे दी गई है। संयन्त्र और मशीनरी हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट) इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये जा रहे कार्य

*325. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट) इण्डिया लिमिटेड के हाथ में 1 जनवरी, 1982 को कौन से जाव थे और उनके लिए विभिन्न श्रेणियों के कितने कामगारों की जरूरत है;

(ख) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट) इण्डिया लिमिटेड और अधिक जाव करने में समर्थ हैं और यह स्थिति नामरूप III का काम पूरा होने पर और अच्छी हो जायेगी।

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की विभिन्न फर्टिलाइजर कम्पनियां अपने जाव फर्टिलाइजर (प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट) इण्डिया लिमिटेड को नहीं देना चाहती है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एंड डेवलेपमेंट) इंडिया लिमिटेड को काम नहीं दिया जा रहा है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1 जनवरी, 1982 को फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इण्डिया लि० के पास थाल परियोजना का अमोनिया प्लांट, यूरिया प्लांट और स्थल दूर सुविधा सम्बन्धी कार्य हजीरा उर्वरक परियोजना, थाल में भारी जल प्लांट और विभिन्न स्थानों पर जल उपचार प्लांट, अमोनिया भंडारन सुविधा जैसे अनेक विविध कार्य थे।

उपरोक्त कार्यों के लिए डिजाइन इंजीनियरी, अधिप्राप्ति, निर्माण परिवेक्षण और संचालन के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है। डिजाइन, इन्जीनियरी, अधिप्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष कुल 1,090,000 कार्य घंटों की उपलब्धता की तुलना में उपरोक्त कार्य के लिए 1982 में लगभग 600,000 कार्य घंटों, 1983 में 290,000 कार्य घंटों और 1984 में 108,000 कार्य घंटों की आवश्यकता है। पर्यवेक्षण और संचालन के लिए प्रतिवर्ष 500,000 कार्य घंटों की उपलब्धता

की तुलना में उपरोक्त कार्य के लिए 1982 में लगभग 231,000 कार्य घंटों, 1983 में 388,000 कार्य घंटों और 1984 में 449,000 कार्य घंटों की आवश्यकता है।

(ख) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) इण्डिया लिमिटेड द्वारा और अधिक कार्य किये जाने की सम्भावना है। वर्तमान कार्य के पूरा होने के बाद नये कार्य करने की सम्भावना और बढ़ जायेगी। एफ० पी० डी० आई० एल० को भविष्य में समय-समय पर नये कार्य मिलने की आशा है जिससे वे उपलब्ध जनशक्ति अधिकतम सीमा तक उपयोग कर सकें।

(ग) जी हां। ऐसी कोई गाध्यता नहीं है कि सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक कम्पनियां सिर्फ एफ० पी० डी० आई० एल० को ही अपना कार्य सौंपे। वाणिज्यिक संगठन होने के नाते एफ० पी० डी० आई० से यह आशा की जाती है कि वे कार्य पाने के लिए प्रतियोगी दर भरें। सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार वे गैरसरकारी क्षेत्र की तुलना में सभी सरकारी क्षेत्रीय संगठनों को दी जाने वाली तरजीह के हकदार हैं।

(घ) जी नहीं।

एथाम्बुटोल एच० सी० एल० की मांग

*326. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में अगले पांच वर्षों में एथाम्बुटोल एच० सी० एल० की संभावित मांग क्या होगी;

(ख) हमारे देश में विगत 2 वर्षों में डी० 1-2 अमीनोबुटोनोल से एथाम्बुटोल एच० सी० एल० का कितना वाणिज्यिक उत्पादन हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि डी० 1-2 अमीनोबुटानोल से एथाम्बुटोल एच० सी० एल० का उत्पादन देश में अगले तीन वर्षों में इसकी मांग तथा पूर्ति में अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा; और

(घ) सरकार का विचार डी० 2 अमीनोबुटानोल से अनेक लघु एककों द्वारा अथाम्बुटोल एच० सी० एल० का निर्माण किये जाने के संदर्भ में मांग एवं पूर्ति में अन्तर को किस तरह पूरा करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) औषध और भेषज उद्योग पर कार्यकारी दल ने वर्ष 1984-85 तक इथाम्बूटोल हाइड्रोक्लोराइड की मांग का अनुमान निम्न प्रकार लगाया है :

वर्ष	अनुमानित मांग (टन)
1981-82	101
1982-83	132
1983-84	170
1984-85	225

(ख) और (ग) एक.एकक ने सूचित किया है कि वे डी एल 2 अमिनोबूटामोल से इथमबूटोल हाइड्रोक्लोराइड का दिसम्बर, 1981 से उत्पादन कर रहे हैं। कुछ अन्य यूनिटों द्वारा 1982-83 में डी एल 2 अमिनोबूटामोल से उत्पन्न प्रारम्भ किये जाने की आशा है। अत: इस स्तर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि डी एल-2 अमिनोबूटोनोल से इथमबूटोल हाइड्रोक्लोराइड का स्वदेशी उत्पादन आगामी तीन वर्षों में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

(घ) इथमबूटोल हाइड्रोक्लोराइड का आयात स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) के माध्यम से किया जाता है। यदि डी एल-2 अमिनोबूटोनोल और डी 2- अमिनोबूटोनोल से इथामबूटोल हाइड्रोक्लोराइड का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त न हो तो सी० पी० सी० के माध्यम से आवश्यक मात्रा तक आयात का प्रबन्ध किया जायेगा।

पटना में मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

*32 . **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना का मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज बहुत पुराना है और इस कारण इसकी कार्यकुशलता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके स्थान पर नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जब उपस्कर का सामान्य समय 25 वर्ष पूरा हो जाएगा तब इसके प्रतिस्थापन के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

मैसर्स मेकिनोन मैकेंजी

*328. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत मैसर्स मेकिनोन मैकेंजी के खातों और अन्य लेखाओं की हाल ही में कोई जांच की गई है;

(ख) क्या कम्पनी को हुए भारी घाटे के लिए किसी पर जिम्मेदारी निश्चित की गई है; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कम्पनी के भारी घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(1) कम माल भाड़ा और मंजूरी का अर्जन।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय मालभाड़े की दरों में गिरावट।

(3) वर्ष 1978 में 491 लाख रु० की लागत पर, जबकि जलयान उद्योग कठिनाई में था, जलयान का अधिग्रहण।

(4) मालभाड़ा बाजार में ह्रास।

(5) कम्पनी द्वारा उधार ली गई राशियों पर भारी ब्याज का बोझ।

(6) बगैर समय सारिणी के शुष्क बन्दरगाह में जाना और मरम्मत के कारण लागत में बढ़ोतरी तथा राजस्व में घाटा।

(7) गरम खाड़ी में यात्रा तथा व्यापार में नये प्रवेशकर्ताओं द्वारा उग्र प्रतियोगिता।

(8) ईंधन और अन्य संचालन लागतों में बढ़ोतरी।

चूंकि उपरोक्त कारण, कम्पनी के विपरीत व्यापारिक स्थिति के कारणों से मुख्य रूप से उत्पन्न हुए हैं अत: किसी एक पर जिम्मेदारी डालने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) कम्पनी के कार्यकरण में विकास करना कम्पनी के प्रबन्ध का अनिवार्यत: कार्य है जिससे कि उसके कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जाती रहे।

राजस्थान के पाली जिले में पेट्रोल/डीजल पम्पों का आवंटन

3475. श्री मूलचन्द डागा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान राजस्थान के पाली जिले में किन-किन व्यक्तियों को पेट्रोल और डीजल पम्प की एजेंसियां प्रदान की गई हैं तथा उन्हें ये एजेंसियां किन आधारों पर प्रदान की गई और क्या उसकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) पम्प स्टेशनों के लिए किन-किन व्यक्तियों के कुल कितने आवेदन-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं और कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में, जिन व्यक्तियों के नाम में पेट्रोल पम्प एजेंसी प्रदान की गई थी, उनकी बजाय अन्य दूसरे व्यक्ति इन पम्पों का संचालन कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) फुटकर बिक्री केन्द्रों (मोटर स्पिरिट/एच० एस० डी० पम्प) के लिए दो निम्नलिखित नियुक्ति पत्र जारी किये गए हैं :

प्रत्याशियों के नाम	स्थल	वर्ष
1. श्री महीपाल सिंह उजवाल	खेनपुरा	1979
2. श्री मिस्रीलाल बोरी	चुनलाई मोड़	1980

इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शनों के अनुसार डीलरों का चयन तेल उद्योग की यथा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर किया गया था।

(ख) पाली जिले में फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के लिए 4 प्रस्ताव निलम्बित पड़े बताये जाते हैं। ये पिपालीकलान (1979-80), जयतरन (1980-81) और बेगवाज और ओवा (1981-82) हैं। विज्ञापनों के उत्तर में तेल कम्पनियों द्वारा कुल 14 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए बताये गये हैं। डीलरों के चयन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट सूचना/शिकायत की प्राप्ति नहीं हुई प्रतीत होती है।

मंथेनोल के कारण जहरीली शराब से हुई मौतें

3476. श्री के० मालन्ना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यह चौंकाने वाली बात है, लेकिन सच है कि विगत दशाब्दि के दौरान देश में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों में से 90 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार एक जहरीला रसायन, मंथेनोल, देश में आज भी एक अनियंत्रित मद है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूरे देश में विगत दस वर्षों में जहरीली शराब से हुई मौतों के कारणों की जांच में लगभग सभी जगह यह पाया गया कि मारक शराब मंथेलोज से बनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंथेनोल पर कोई बिक्रीकर, चुंगी, यहां तक कि कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इससे पहले कि जहरीली शराब से कोई और मौतें हो जाएं, मंथेनोल की बिक्री, प्रयोग और भंडारण को विनियमित करने के कड़े उपाय करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अवैध शराब में मैथानोल मिला हुआ पाया गया।

(ग) बिक्री कर और चुंगी राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है बहुत से राज्यों में मैथानोल पर बिक्री कर और चुंगी लगती है।

(घ) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और उसके अन्तर्गत बने नियमों में मैथानोल के भंडारण और परिवहन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है उन राज्यों में जहां मेथानोल को विष सूची में शामिल किया गया है, वहां मैथानोल के विक्रताओं को विवक्त अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उन राज्यों में जहां मैथानोल, मधनिषेध और उत्पाद नियमों के दायरे में आता है, वहां इन नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस दिया जाता है। इस कानून के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

मैथेनोल पर नियंत्रण

3477. **श्री भोकू राम जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैथेनोल् जो देश में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है, एक अनियंत्रित मद है तथा देश के सभी भागों में आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैथेनोल की एक बड़ी मात्रा दिल्ली में जहरीली शराब के उत्पादन कर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती है; और

(ग) जहरीली शराब से होने वाली मौतों और अंधता तथा लकवे जैसी शारीरिक क्षति की रोकथाम के लिए मैथेनोल के प्रयोग और उसके भंडारण पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ग) पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और उसकेअन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन मैथानोल के भंडारण और परिवहन के लिये लाइसेंस अपेक्षित है। दिल्ली संघ राज्य में मिथानोल, विष अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत विषैले पदार्थों की सूची में सम्मिलित है और उस अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन मेथानोल की बिक्री और उसके भंडारण के लिए लाइसेंस अपेक्षित है। इन कानूनों को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन उत्तरदायी है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि विष अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस उचित जांच पड़ताल करने के पश्चात जारी किये जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेथानोल का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लाइसेंसधारी के परिसर का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

भेषजों के उत्पादन के लिए बंगलौर में संयत्र स्थापित करने हेतु स्वीडन की फर्म के साथ करार

3478. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेषजों के उत्पादन के लिए बंगलौर में एक संयंत्र की स्थापना करने हेतु "एव एस्ट्रा" नामक स्वीडन की एक फर्म के साथ किसी करार को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात मैं० आई० डी० एल० कैमिकल ने भेषज उत्पादों के निर्माण के लिए स्वीडन के मैं० आस्ट्रा से एक सहयोग करार किया था । सहयोग की महत्वपूर्ण अनुमोदित शर्तें निम्न प्रकार हैं:—

(1) कम्पनी की कुल जारी पूंजी में विदेशी सहयोगकर्ता 25·75 प्रतिशत (पच्चीस दशमलव पचहत्तर) की मात्रा तक निवेश करेगा ।

(2) नई कम्पनी की पूंजी में मैं० आई० डी० एल० कैमिकल भी कम से कम विदेशी सहयोगकर्ता के निवेश के बराबर निवेश करेंगे ।

(3) विदेशी सहयोगकर्ता को आन्तरिक बिक्री पर 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) और निर्यातों पर 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) की दर से रायल्टी भुगतान किया जायेगा बशर्ते कि आस्ट्रा पर विसानिल और सीटानेस्ट बल्क औषधों के सम्बन्ध में उन पर केवल 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए भारतीय कर लागू होंगे ।

(4) विदेशी सहयोगकर्ता को तकनीकी जानकारी, ड्राइंग्स, डिजाइन, डाकुमेंटेशन, निर्माण और प्रारम्भण के लिए कुल मिलाकर 5 (पांच) लाख साये का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा बशर्ते कि उन पर भारतीय कर लागू होंगे ।

(5) करार की अवधि, सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 8 (आठ) वर्ष होगी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डी० ए० वी० पी०, आर० एन० आई० और पी० आई० बी० की शाखायें खोलना

3479. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य में डी० ए० वी० पी०, आर० एन० आई और पी० आई० बी० की शाखाएं खोलने, राज्यवार के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इन कार्यालयों से कितने डाक से भेजे जाने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को, राज्य-वार लाभ पहुंचता है;

(ग) इन राज्यों में इस समय इन कार्यालयों में कर्मचारियों का राज्य वार श्रेणीवार ब्योरा क्या है; और

(घ) इन कार्यालयों को "पेपर-सामग्री" और अन्य सुविधाओं सहित आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

कोयला खानों के लिए उपकरण का आयात

3480. श्री मोहन लाल पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों में प्रयोग के लिए कुछ कोयला खनन उपकरणों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले इन उपकरणों का ब्यौरा क्या है और उन फर्मों और देशों के नाम क्या हैं जो इन उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं; और

(ग) इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और उनका उपयोग किन कोयला खानों में किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) जी, हां। परन्तु आयात उन्हीं उपकरणों का किया जाता है जो या तो अपने देश में उपलब्ध नहीं हैं या जिसकी मांग इतनी अधिक होती है कि देशी सप्लायर उतने समय में पूरा नहीं कर सकते जितने समय में उनकी कोयला उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1981-82 में आयात के लिए स्वीकृत अधिक मूल्य के उपकरणों का अपेक्षित विवरण दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	उपकरण का नाम	सप्लाई करने वाली फर्म का नाम/देश	दी गई विदेशी मुद्रा (रु० करोड़)	उन खानों के नाम जहां उपकरण लगाए जाने हैं
1	2	3	4	5
1.	10 सीयू० एम० शावेल्स-5 नग	मेसर्स कोबे स्टील लि०, जापान	7·46	कुसमुन्डा (वे० को० लि०), राजमहल (ई० को० लि०) रामगढ़ (से० को० लि०) और मुरली डीह (भा० को० को० लि०)
2.	रोड हेडर्स-9 नग	वोएस्ट अल्पाइन, आस्ट्रीया	3·05	मुरलीडीह, सुदामडीह, मा० को० को० लि० की पुटकी केडला (से० को० लि०) और वे० को० लि० का सोभापुर

1	2	3	4	5
	3. पाक्लेन एक्जकेवेटर्स-2 नग	पाक्लेन, फ्रांस	1·95	खादिया और दुधिचुआ (से० को० लि०)
	4. 250 मि० मी० ब्लास्ट होल्स ड्रिल्स-15 नग	बी०/सी० मैकिनोएक्स-पोर्ट सोवियत रूस	4·50	काकरी, खादिया, दुग्धि चुआ, जयन्त, भिंगुरदाह केडला, कठारा, से० को० लि० का भुरकुन्डा और कुसमुन्डा, गोवेरा, उमरेर, वे० को० लि० का दुर्गापुर
	5. 5 सीयू० एम० एक्स केवेटर्स 3० नग	बी०/सी० मैकिनो एक्स-पोर्ट, सोवित रूस	10·40	माकिणपुर, उमरेर, नई मझरी, चिरीमिरी, दुर्गापुर, धानपुरी, राज नगर उमरेर वि०, गोकरा हिंदुस्तान लालपेठ, वे० को० लि० का नाकोडा, बिना, सिडका केडी केडला भिंगुरदा, बोकारो, से० को० लि० का भुर-कुन्डा गिडी "क" और "ग" और भा० को० को० लि० का मुरैडीह
	6. 85 टन्स कोमाट्सु डम्पर्स	मेसर्स मितुसी एण्ठ कं० लि०, जापान	5·35	जयन्त (से० को० लि०)
	7. नेमेटिक कोल हो आईस्टिंग सिस्टम्-2 नग	मैं० रेडमार्क इन्जी-नि० लि०, यू० के०	1·32	ई० को० लि० की कुनु-स्टोरिया और परासिया कोलियरीज
	8. कट्टर सक्शन ड्रेड-गर्स के लिए फालतू/ पुर्जे	(1) मैं० अमेरिकन मैराइन एण्ड मैनु-फैक्चरिंग कं०, अम-रीका (2) मैं० एन० वी० मैकिनेफैब्रिक दे हालेन्ड्र सचे, इजसेल, हालेण्ड	1·12	डी० एण्ड एफ० रज्जु-मार्ग (भा० को० को० लि०)
	9. ग्वारेक बेल्टिंग	मैं० कोपेक्स, पोलेण्ड	1·10	मूनीडीह (भा० को० को० लि०)

उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

3481. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उर्वरकों के उत्पादन के बारे में देश की आवश्यकता पूरा करने में आत्म निर्भर हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक आत्मनिर्भर होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार चालू वित्तीय व र्ष के दौरान देश में उत्पादन की सम्भावित वृद्धि देखते हुए हुए उर्वरकों का आयात कम करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उर्वरकों की मांग में की तुलना में उर्वरकों के उत्पादन मे कमी होने की संभावना है । यह स्थित योजना में ही मान ली गई है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरकों के आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम होने की संभावना है ।

(घ) आयात में कमी की सही मात्रा क ा पता चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में ही चल सकता है ।

पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयले का भंडार मिलना

3482. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में रानीगंज कायला क्षेत्र के अंडाल-दक्षिणखंड-तमला-दुबकइया क्षेत्र में नये कोयला भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब आरंभ की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय को कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जनवरी, 1975 में समन्वेषण शुरू होने से लेकर अब तक रानीगंज कोयला क्षेत्र के अंदाल-दक्षिण खंडा, तमला-दुबचुरिया सेक्टर में 792 मिलियन टन कोयले का भंडार पता लगाया है । इस 792 मिलियन टन कोयला भंडार में से 23 मिलियन टन प्रमाणित वर्ग का है और शेष 769 मिलियन टन इंगित वर्ग का है ।

(ग) कोयले के दोहन के लिए आयोजन—जिसमें निवेश भी शामिल है—तभी किया जा सकता है जबकि विस्तृत भूवैज्ञानिक रिपोर्टें प्राप्त हो जाएं और यह भी पता चल जाए कि इन कोयला भंडारों का दोहन तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा ।

बल्क तथा फार्मूलेशन दवाइयों का उत्पादन

3483. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बल्क तथा फार्मूलेशन दोनों प्रकार की दवाइयों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन में, जिनकी सप्लाई की अब तक कमी रही है, की उल्लेखनीय वृद्धि में सम्बन्धित ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित बल्क दवाइयों की कीमतों का ब्योरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । बल्क ओषधों के उत्पादन का मूल्य वर्ष 1980-81 में 240 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1981-82 में 275 करोड़ रु० तक और फार्मूलेशनों का मूल्य 1200 करोड़ रु० से बढ़कर 1300 करोड़ रु० हो जाने की आशा है । विशिष्ठ ब्रांड वाले फार्मूलेशनों की कमी की शिकायत विभिन्न स्थानों से समय समय पर प्राप्त हुई है । तथापि, इसमें से अनेक मामलों में समान उत्पादन उपलब्ध हैं;

(ग) बल्क ओषधों के मूल्यों से सम्बन्धित ब्यौरे दिनांक 3 मार्च, 1981 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2051 के उत्तर में दिये गये हैं ।

उड़ीसा में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही

3484. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा में 31.3.1981 को प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 923 मेगावाट थी । इस समम राज्य में निम्नलिखित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :—

स्कीम का नाम	1980-85 के दौरान लाभ मेगावाट	मार्च,85 के पश्चात् के लाभ मेगावाट
1. तलचेर विस्तार	220	—
2. रेंगाली	100	—
3. अपर कोलाब	240	—
4. अपर इन्द्रावती	—	600
	560	600

इस प्रकार छठी योजना के अन्त में राज्य में प्रतिष्ठापित क्षमता बढ़कर 1483 मेगावाट हो जायेगी ।

इसके अतिरिक्त, फरक्का में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र विचाराधीन है । इस परियोजना से उड़ीसा को 75 मेगावाट का हिस्सा आवंटित किया गया है जिसमें से उड़ीसा को छठी योजना के अन्त में 16 मेगावाट का हिस्सा मिलेगा ।

इसके अतिरिक्त दो जल विद्युत परियोजनाओं नामशः हीराकुण्ड चरण-3 (1 × 37.5 मेगावाट) तथा अपर कोलाब विस्तार (1 × 80 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है और योजना आयोग से निवेश संबन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

पंजाब के होजरी और वूलन मिलों को बिजली की कमी

3485. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की होजरी और वूलन मिलें, जो देश के लिए काफी मात्रा में विदेश मुद्रा अर्जित करती हैं उन्हें सप्लाई की जाने वाली बिजली की कमी के कारण संकट में हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यहां तक कि विद्युत चालित करघों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पंजाब में औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली की कटौती प्रतिदिन 8 से 10 घन्टे की जाती है और इसके कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई है और भविष्य में श्रमिकों की छंटनी के परिणामस्वरूप भारी श्रमिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं; और

(घ) यदि हां, तो पंजाब के बड़े और लघु उद्योगों तथा हथकरघा क्षेत्रों के उद्योगों को अलग-अलग, बिजली की कितनी कटौती की गई है और इस संकट का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) पंजाब में होजरी और वूलन मिलों पर तथा विद्युत चालित करघों पर बिजली की कटौती उसी भांति की जाती है जैसी कि अन्य उद्योगों पर की जाती है ।

(ग) वर्तमान में राज्य में बिजली की कोई कटौती नहीं की जाती । चालू वित्तीय वर्ष में उद्योगों पर बिजली की कटौती 1.5.81 से लगाई गई थी और यह कटौती 5/81 से 2/82 की अवधि के दौरान औसतन 0.3 से 12.8 घन्टे तक प्रतिदिन भिन्न भिन्न रही है । केवल सितम्बर, 81 और जनवरी, 1982 के महीनों में यह कटौती आठ घन्टे प्रतिदिन से अधिक थी । 1.3.82 से विद्युत कटौती नहीं है ।

(घ) बड़े और लघु उद्योगों पर तथा हथकरघा क्षेत्रों पर बिजली की जो कटौतियां लगाई गई थीं वे इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताई गई हैं। राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना, रोपड़ ताप विद्युत परियोजना तथा शानन विस्तार जैसी नई विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

पेट्रोल की खपत

3486. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए राज्यवार बिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को पेट्रोल की खपत कम करने के सुझाव कब भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को ये सुझाव कब भेजे गए;

(घ) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों को ये सुझाव कब भेजने का विचार है; और

(ङ) यदि किसी राज्य सरकार ने अभी तक उनके मंत्रालय को पेट्रोल के खर्च कम करने की सूचना दी है तो उन राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) से (ङ) वर्ष 1980-81 के दौरान तथा अप्रैल से नवम्बर, 1981 की अवधि तक पेट्रोल की राज्यवार बिक्री विवरण में दी गयी है।

वर्ष 1979 में पेट्रोलियम विभाग ने केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी स्टाफ कारों में पेट्रोल के उपभोग में कमी करने के लिए सलाह दी थी।

कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना को देखकर यह पता चलता है कि उन्होंने पेट्रोल के उपभोग में मितव्यता करने के लिए निर्देश जारी किये हैं जिसमें कि विभागीय वाहनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपभोग की उच्चतम सीमा लगाई गई है तथा ऐसे वाहनों द्वारा उपभोग को मानीटर किया गया है।

अपेक्षित उपरेखा पर विस्तृत सूचना एकत्र करने में काफी समय एवं श्रम लगेगा जो कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप न होगी।

विवरण

1980-81 के दौरान तथा अप्रैल नवम्बर 1981 में पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) की बिक्री का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मात्रा "000" टनों में मोटर स्पिरिट	
	1980-81	अप्रैल नवम्बर 81 (अस्थाई)
1. आन्ध्र प्रदेश	75	53
2. असम	30	21
3. बिहार	61	41
4. गुजरात	122	83
5. हरियाणा	33	25
6. हिमाचल प्रदेश	5	4
7. जम्मू तथा कश्मीर	13	9
8. कर्नाटक	102	69
9. केरल	88	60
10. मध्य प्रदेश	54	37
11. महाराष्ट्र	274	193
12. मणिपुर	5	3
13. मेघालय	6	4
14. नागालैंड	5	3
15. उड़ीसा	22	15
16. पंजाब	83	61
17. राजस्थान	47	31
18. सिक्किम	3	2
19. तमिलनाडु	117	76
20. त्रिपुरा	3	2
21. उत्तर प्रदेश	114	80
22. पश्चिम बंगाल	102	67
23. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1
24. अरुणाचल प्रदेश	2	1
25. चण्डीगढ़	9	7
26. दिल्ली	133	92
27. दादरा एवं नागर हवेली	नगण्य	नगण्य
28. गोवा, दमन एवं दीव	9	6
29. मिजोरम	4	2
30. पाण्डिचेरी	3	3
योग	1525	1051

पुनर्वास उद्योग निगम का कार्यकरण

3487. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए गठित पुनर्वास उद्योग निगम के कार्यकरण का अध्ययन कराने का है;

(ख) निगम का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ग) क्या पुनर्वास उद्योग निगम की नवीकरण और आधुनिकीकरण योजनाओं पर धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं । पुनर्वास उद्योग निगम के प्रबन्धकों द्वारा भेजी गई उत्पादन यूनिटों की व्यवहार्यता रिपोर्टों और किए गए उत्पादन बिक्री, पूंजी की स्थिति आदि के आधार पर निगम को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने अक्तूबर, 1981 में आवश्यक विस्तृत उपाय निश्चित किए हैं जो अब क्रियान्वित किए जा रहे हैं । निगम कार्य निष्पादन पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान, फरवरी, 1982 तक निगम ने लगभग 2.67 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन किया है ।

(ग) पुरानी मशीनों के स्थान पर संतुलित मशीनें और उपकरण तथा अतिरिक्त शैडों के निर्माण के लिए पर्याप्त तल स्थान आदि के लिए 1.16 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसमें से निगम को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिस्सा पूंजी के रूप में 58 लाख रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है और शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई है ।

(घ) 1982-83 से निगम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है ।

भारत श्रीलंका तट-दूर पर तेल की खोज

3488. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री वी० वी० देसाई :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका ने इच्छा प्रकट की है कि वह तट-दूर क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ काम करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) श्रीलंका के वित्त मन्त्री ने जनवरी 1982 में भारत के अपने दौरे के दौरान यह पूछताछ की थी कि क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग उत्पादन भागीदारी जोखिम ठेके के आधार पर श्रीलंका में अन्वेषण आरम्भ करने के लिए तत्पर होगा । तथापि इस सम्बन्ध में श्री लंका की सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के श्रमिक

3489. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में, कोयला खान वार, कितने प्रशिक्षित, अर्द्ध प्रशिक्षित और अकुशल श्रमिक अलग-अलग, कार्य कर रहे हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में कितने श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नये सार्वजनिक टेलीफोनों का लगाया जाना

3490. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं और ब्यौरा क्या है जहां चालू वर्ष के दौरान नए सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा बाद में उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कृष्णा गोदावरी बेसिन तथा पाक जल डमरू मध्य कुओं को पक्का किये जाने की प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु इटली से आए विशेषज्ञ

3491. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुओं को पक्का करने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का, जिसके कारण कृष्णा-गोदावरी बेसिन तथा पाक जल डमरू मध्य में कुछ समस्यायें पैदा हो गई थीं, अध्ययन करने के लिए इटली से विशेषज्ञों का एक दल भारत का दौरा करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) इटली की एक राजकीय स्वामित्ववाली कम्पनी ई० एन० आई० से एक शिष्टमंडल ने फरवरी 1982 में

भारत का दौरा किया और अन्य बातों के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। आपसी हितों के क्षेत्रों का पता लगाया गया था और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इन क्षेत्रों में आगे कार्यवाही करेगा।

औषधि उत्पादक कम्पनियों द्वारा औषधियों के मूल्य में वृद्धि

3492. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई औषधि बनाने वाली कम्पनी अपनी इच्छा से उस औषधि के मूल्यों में वृद्धि कर सकती है जिसके लिए सरकार ने लाइसेंस दिया है;

(ख) क्या इन परिस्थितियों में सरकार कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है और यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या दन्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है;

(ग) सरकार के पास ऐसा कौन सा तंत्र है जो इस बात की निगरानी रखे कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य समय-समय पर बदलते रहे ताकि उत्पादकों को घाटे में औषधियों का उत्पादन न करना पडे; और

(घ) सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं जिनमें रसायन/औषधियां तैयार करने वाली कम्पनियों ने अपनी इच्छा से मूल्य बढ़ा दिये हैं और सरकार ने ऐसी प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 (डी० पी० सी० ओ० 1979) में निर्दिष्ट मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों के सम्बन्ध में मूल्य में अपनी इच्छा से वृद्धि करने को उक्त आदेश का उल्लंघन माना जायेगा। इस प्रकार का उल्लंघन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, जिसके अधीन डी० पी० सी० ओ० 1979 जारी किया गया है, के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(ग) और (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में संशोधन के लिए निर्माताओं को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। ऐसे आवेदनों के प्राप्त होने पर, उन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है और तर्क संगत लागतों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में आवश्यक संशोधन की अनुमति दी जाती है। अम्बालाल साराभाई उद्यम के एक प्रभाग मैं० साराभाई एम० कैमिकल्स द्वारा विटामिन "सी" की बिक्री मैं० अल्टा लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा एसिप्रेन की बिक्री सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर करने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। यद्यपि मैं० साराभाई एम० कैमिकल्स को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है और मैं० अल्टा लेबोरेटरीज लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

विज्ञान पर आधारित हिन्दी फिल्में बनाना

3493. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म प्रोड्यूसरों को यह सुझाव देने का है कि वे विज्ञान पर आधारित हिन्दी फिल्में अधिक संख्या में बनाएं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में डाकघर खोला जाना

3494. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के अन्त तक कुल कितने गांवों में डाक घर खोले गए हैं; और

(ख) कितने गांवों में डाक घर अभी खोले जाने हैं और कब खोले जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) वर्ष 1981 के अन्त तक देश में उन गांवों की कुल संख्या जहां डाक घर कार्य कर रहे थे 1,25,743 थी।

(ख) देश के शेष गांवों में डाक घर नहीं हैं। फिलहाल इन गांवों में डाक घर खोलना व्यवहार्य नहीं है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्रामों में चरणबद्ध ढंग से निरन्तर डाक घर खोले जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में 8000 ग्रामीण डाक घर खोलने का विचार है ?

प्रकाशन शुरू करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सुविधायें

3495. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ऐसी पत्रिकाएं-साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के स्वामित्व में हैं;

(ख) पब्लिकेशन शुरू करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी विज्ञापन देने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार के पास यह सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) समाचार पत्रों को शुरू करने तथा विज्ञापनों को रिलीज करने के मामले में सभी वर्गों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है और किसी भी श्रेणी को कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती। सभी लोग अपने समाचारपत्रों का प्रकाशन प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार शुरू करने के लिए स्वतन्त्र हैं। सरकार के विज्ञापनों को इसकी विज्ञापन नीति के अनुसार जारी किया जाता है जिसमें समाचारपत्र को विक्रीत संख्या, उसकी नियमितता, पाठकों में प्रचार, लक्ष्य व्यक्ति, इत्यादि जैसी संगत बातों का ध्यान रखा जाता है।

भारतीय तार अधिनियम और भारतीय डाक घर अधिनियम में संशोधन

†3496. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकों की एकान्तता के अधिकार के हनन को दूर करने के लिए भारतीय तार अधिनियम और भारतीय डाक-घर अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिनियमों में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) एवं (ख) जहां तक भारतीय तार अधिनियम का सम्बन्ध है ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय डाकघर अधिनियम में संशोधन का जहाँ तक सम्बन्ध है, विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित धारा 26 सहित भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के कुछ प्रावधानों जिनमें कुछ परिस्थितियों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को डाक वस्तुओं के अन्त रोधन की शक्तियां प्रदान की गई हैं, पुनरीक्षा की जा रही है।

खुर्शीदलाल भवन में लंच का समय के सार्वजनिक काउन्टर

3497. **श्री भीखा भाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्शीदलाल भवन में स्थित महाप्रबन्धक टेलीफोन (वाणिज्यिक) दिल्ली के सार्वजनिक काउन्टरों का कार्यकाल क्या है तथा लंच का समय क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ये काउन्टर दिन में 10 बजे से 3 बजे तक जनता के लिए कार्य करते हैं;

(ग) क्या ये काउन्टर दोपहर में 1 बजे से 1-30 बजे लंच अवकाश लेते हैं जिससे कर्मचारियों के लंच समय में जनता को लाइन में खड़े होकर व्यर्थ में समय बरबाद करना पड़ता है; और

(घ) क्या वह इस समस्या पर विचार करेंगे जिससे कि ये काउन्टर लंच समय दोपहर में 2 बजे के बाद लिया करे ताकि जनता का अमूल्य समय बरबाद न हो ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) सार्वजनिक काउंटरों के कार्य घंटे 10-00 बजे से 14-00 बजे तक हैं। इसके पश्चात् लंच अवकाश की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) ये काउंटर अब 10-00 बजे से 14-00 बजे तक निरंतर खुले रहते हैं ताकि जिस समय स्टाफ लंच अवकाश पर हो जनता अपना समय बेकार ही बरबाद न करे।

(घ) इसको पहले की कार्यान्वित किया जा चुका है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में डाक-तार कार्यालय खोलना

3408. **श्री भीकू राम जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने ए-3 ब्लाक, वितरण केन्द्र, जनकपुरी नई दिल्ली में डाक-तार कार्यालय खोलने के लिए भूमि के प्लाट का कब्जा ले लिया है।

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यालय के लिये भवन की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा और इसे कब तक पूरा किया जाना है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) स्थान का विवरण मंजूर कर दिया गया है और प्रारम्भिक नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ करने में अभी कुछ समय लगने की सम्भावना है क्योंकि प्रारम्भिक नक्शे, प्रारम्भिक प्राक्कलन आदि तैयार करने तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं परिव्यय मंजूरी-जारी करने, निविदाएं आमन्त्रित करने तथा कार्य का ठेका देने जैसी अनेक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। इस स्तर पर यह कहना सम्भव नहीं है कि भवन का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा।

प्रतिजैविक फार्मूलेशनों की कमी

3499. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिजैविक फार्मूलेशनों की कमी देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिछले कुछ समय से देश के कुछ स्थानों से समय-समय पर निम्नलिखित एंटीबायोटिक्स फार्मूलेशनों के विशिष्ट ब्राण्डों की कमी की सूचना मिली है जिसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर औषधों के मिलते जुलते उत्पाद उपलब्ध हैं।

ज्यों ही किसी स्थान पर कमी पाई जाती है, त्यों ही सम्बन्धित उत्पाद के निर्माता और समान उत्पाद के निर्माताओं को सम्बन्धित स्थान पर तुरन्त सप्लाई भेजने की सलाह दी जाती है। ऐसे अनेक मामलों में सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा तुरन्त सप्लाई भेजने से कमी दूर हो गई। सरकार उनकी स्वदेशी उपलब्धता को पूरी करने के लिए सरणीबद्ध बल्क औषधों के आयात की भी व्यवस्था करती है

विवरण

वह स्थान जहां से कमी की सूचना मिली है	फार्मूलेशन
पूना प्रभाग	स्ट्रेप्टोपानिसिलिन इन्जे. (फाइजर)
	क्लोरोमाइसिटिन सूस. इन्जे. (पार्क डेविस)
	क्लोरो माइसीटिन आई आयन्टमेंट (पार्क डेविस)
पालानी	एम्बीस्टराइड-एस (साराभाई)
	स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्जे. (एच० ए० एल०)
देहली	ओनमाइसीन इन्जे. (होचेस्ट)
	स्ट्रेप्टो-इरबाजाइड इन्जे. (मेक)
	क्लोरोमाइसिटिन इन्जे. (पार्क डेविस)
	वेनमाइसिटिन आई ड्राप्स (फेयर डील कोरपन.)
	नीओमाइसीन सल्फेट कैपसूल (यूनीचेम)
कृष्णा	ओमना माइसीन (होचेस्ट)
	टेट्रासाइक्लीन कैप. (आई० डी० पी० एल०)
	क्लोरोस्ट्रेप कैप. (पार्क डेविस)
	इडीपलुविन गोलियां (आई० डी० पी० ए०)
कुरनोल	स्ट्रेप्टो-इरबेजाइड (मेक)
	इन्टरोमाइसिटिन सिरप. (पार्क डेविस)
	पेराक्सिन आई० ओयन्ट. (बी० नोल)
	क्लोरोमाइसिबिन आई० आयन्टमेंट (पार्क डेविस)
	क्लोरोस्ट्रप सिरप. (पार्क डेविस)
विशाखापट्टनम	एम्बीस्ट्राइन-एस (होचेस्ट)
पाली	ओमनामाइसीन इन्जे. (होचेस्ट)
खमाम	आक्सीटेट्रासाइक्लीन इन्जे. (आई० डी० पी० एल०)
सन्थाल परगना	आक्सीटेट्रासाइक्लीन इन्जे. (साराभाई)
	टेट्रामाइसीन ड्राप्स (फाइजर)
	लीडरमाइसीन ड्राप्स/सिरप (सिनमाइड)
	इन्टरोमाइसिटिन एम्प. (डे)

1	2
बम्बई	क्लोरोमाइसिटिन सिरप (पार्क डेविश) वेनमाइसिटिन आई ड्राप्स (फेयर डील कारपो०) जेन्टासिन आई ड्राप्स (निकोलस)
बलमाद	क्लोरोमाइसिटिन पालमीटेट (पार्क डेविस) क्लोरोमाइसिटिन सिरप (पार्क डेविस) रिकलोर (साराभाई) इडीफ्ल्यूबिन गोलियां (आई०डी०पी०एल०)
जेन्टयूर	क्लोरोमाइसिनि सिरप (पार्क डेविस)
मद्रास	क्लोरोमाइसिटिन पालमीटेट (पार्क डेविस) इडीफ्ल्यूबिन गोलियां (आई० डी० पी० एल०)
कलकत्ता	डिक्लीस्टीसिन-एस इन्जे. (साराभाई)
कर्नाटक	वेरीपेन प्लेन गोलियां. (एम्बिक)
वंगलौर	जेन्टीसिन क्रीम (निकोलस)
हैदराबाद	ग्रीसोबिन गोलियां. (ग्लेक्सो)
अदीलाबाद	इन्टीरोमाइसिटिन सिरप (पार्क डेविस) और इडीफ्ल्यूबिन गोलियां (आई० डी० पी० एल०)
वारेन्गल	जेन्टीसिन मलहम (निकोलस)
माधुरी (कन्या कुमारी) तूतीकोरीन	इडील्यूफिन गोलियां (आई० डी० पी० एल०)
दुले	ग्रीसोबिन गोलियां (ग्लेक्सो)
सीतामाही एस. पी. नालगोंडा	इडल्यूफिन गोलियां (आई० डी० पी० एल०)

400 मेगावाट ताप बिजली घर के लिए स्वीडन का ऋण

3500. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन ने 400 मेगावाट का तापघर लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या स्वीडन ने ऊर्जा की खपत के क्षेत्र में उच्च वोल्टेज की ट्रान्समिशन लाइन शुरू करने के लिए एक जलविद्युत स्टेशन स्थापित करने के लिए परामर्श सेवा देने का प्रस्ताव भी किया है;

(ग) क्या उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त मामले में फैसला करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 320 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बारीक कोयले द्वारा प्रज्ज्वलित, 400 मेगावाट क्षमता के विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना टर्नकी आधार पर किये जाने के लिए स्वीडन की एक कम्पनी से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, नहीं। स्वीडन की सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, फरवरी, 1982 में स्वीडन के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा के सम्बन्ध में हुए विचार-विमर्श में, ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की भावना पर जोर दिया गया था। जल विद्युत तथा ताप विद्युत उत्पादन, पारेषण, ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्रों को ऐसे सम्भाव्य क्षेत्र माना गया था जिनमें दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिये सहयोग किया जा सकता है। कुछ जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवायें देने के लिए राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम द्वारा आमन्त्रित की गई विश्व-व्यापी निविदाओं के उत्तर में विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक प्रस्ताव स्वीडन की एक कम्पनी से प्राप्त हुआ है। निविदाओं पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर में वर्णित प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

गुजरात के लघु और कपड़ा उद्योग जिन्हें कोयला तथा कोक के संकट का सामना करना पड़ रहा है

3501. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात राज्य में लघु उद्योगों और कपड़ा उद्योगों को कोयला तथा कोक के संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1979, 1980 और 1981 के लिए गुजरात राज्य की कोयला और कोक की वार्षिक मांग क्या थी;

(घ) उक्त अवधि में वास्तव में कोयला और कोक की कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ङ) गुजरात राज्य की कोयला और कोक की मांग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पाद एजेन्सियों के लिये विज्ञापन

3502. **श्री रामलाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों में जहां विज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जातियों/जनजातियों, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि से पेट्रोल और डीजल डीलरशिप और कुकिंग गैस एजेन्सियों के लिए आरक्षण के कोटे से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और जिनके लिए साक्षात्कार भी लिया गया किन्तु अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका और अब समिति का गठन करके नये साक्षात्कार लेकर इस मामले को बन्द करने के प्रयास किए जा रहे हैं यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार सामान्य श्रेणी की डीलरशिप के मामले पर भी, जिसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है इसी नीति का पालन करने पर विचार कर रही है यदि हां, तो सीतापुर कुकिंग गैस एजेन्सी के मामले में पुनर्विचार न करने और उसे अनुसूचित जातियों/जनजतियों को इस बारे में दिये गये आश्वासनों के अनुसार आरक्षित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संशोधित मार्ग दर्शन सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिये जाने तक आरक्षित श्रेणियों के चयन में विलम्ब किया गया था। मार्गदर्शन सिद्धान्त तैयार किये गये हैं जिसके आधार पर तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिपों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अन्तिम चयन के लिए के ल उन्हीं उम्मीदवारों का अन्तिम चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाना है, जिनका साक्षात्कार पहले लिया गया था और जांच समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये थे।

(ख) जी, नहीं। कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसके अतिरिक्त सीतापुर में वितरण--एजेन्सी को पहले ही अन्तिम रूप दिया गया है और चुने गये डीलर को आशय-पत्र जारी किया गया है।

प्रत्येक ताप/जल विद्युत परियोजना का विद्युत भार

3503. **श्री बी० आर० नाहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विद्युत परियोजना पर कितना विद्युत भार था और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा कृषि सिचाई और घरेलू उपयोग के लिए जिसमे खनन और रेलवे भी शामिल हैं प्रत्येक राज्य की कितनी मांग थी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : वर्ष 1979-80 के दौरान देश में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 28448 मेगावाट थी जिसमें 11384 मेगावाट जल विद्युत क्षमता, 16424 मेगा० ताप विद्युत क्षमता और 640 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत क्षमता थी। वर्ष

1979-80 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 45% था। ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात के सम्बन्ध में राज्यवार विवरण संलग्न उपाबन्ध (उपाबन्ध-एक) में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 556/82]

वर्ष 1979-80 के दौरान बिजली की खपत का राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण (उपाबन्ध-दो) में दिया गया है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3556/82]

विदेशी कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन

3504. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों का प्रत्येक औषधि का कुल उत्पादन क्या है, प्रत्येक कम्पनी की बेसिक स्तर से और इन्टरमीडिएट स्तर से प्रत्येक औषधि के उत्पादन का प्रतिशत क्या है; और

(ख) क्या इन कम्पनियों में कोई ऐसी कम्पनी भी है जो इण्टरमीडिएट स्तर से औषधि बनाकर नई औषधि नीति के उपबन्धों का उल्लंघन करती है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) औषधि नीति के पैरा 21 मे दी गई व्यवस्था तथा रसायन और उर्वरक विभाग के दिनांक 17 अक्तूबर, 1981 के प्रेस नोट के अनुसार औषधों और भेषजों के मामले में स्थापित क्षमता को मान्यता देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त होगी कि उपान्तय स्तर से बल्क औषधों का उत्पादन करने वाली विदेशी कम्पनियों से सम्बन्धित बल्क औषध का दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर मूल स्तर से निर्माण करने के लिए कहा जायेगा।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण रेंज

3505. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण रेंज में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो रेंज में कितनी वृद्धि की जाएगी, इस कार्य को चालू करने में क्या प्रगति हुई है और बढ़ी हुई रेंज पर कब तक कार्य शुरू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली दूरदर्शन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि में इसकी शक्ति बढ़ा करके और इसके एंटीना को पीतमपुरा में निर्मित किए जा रहे 240 मीटर ऊंचे टावर पर लगा करके वृद्धि की जा रही है। इससे ट्रांसमीटर की

वर्तमान सेवा परिधि 68 किलोमीटर से बढ़कर 90 किलोमीटर हो जाएगी और उसके अन्तर्गत वर्तमान में 14,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की तुलना में 25,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आयेगा। कवर होने वाली जनसंख्या 99.95 लाख से बढ़कर 138.89 लाख हो जाएगी।

पीतमपुरा में टावर के लिए स्थान कब्जे में लिया जा चुका है और भूमि संरक्षण, नक्शे तैयार करने जैसे प्रारम्भिक कदम मुक्कमल कर लिए गए हैं। सिविल निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रांसमीटर के लिए उपकरण पहले ही उपलब्ध हैं।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन गैस सिलिंडरों की बिक्री

3506. **श्री सूरज भान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री भारत गैस, बम्बई द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों के वितरण की सीमा निर्धारित करने के बारे में 1 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने थाणे/बम्बई के वितरकों द्वारा एल० पी० जी० सिलिण्डरों की बिक्री की अधिकतम सीमा पर असमानता को दूर करने के लिए की गई अपनी सिफारिशों के समर्थन में क्या कारण दिए हैं; और

(ख) वे मुख्य कारण/आधार क्या हैं जिनके कारण सरकार ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की सिफारिशों को, कि बम्बई और थाणे (महाराष्ट्र) के एल० पी० जी० वितरकों पर लागू अधिकतम सीमा में अन्तर नहीं होना चाहिए, नामंजूर कर दिया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा थाणे को बम्बई के समतुल्य मानने के लिए दिये गये मुख्य आधार/कारण नीचे दिये गये हैं।

(1) भूमि मूल्य, निर्वाह व्यय, आग तथा सामान्य बीमे के लिए बीमा प्रमीया, विक्रय कर संक्षेप निर्धारण योजना इत्यादि थाणे में वही हैं जो कि बम्बई में है;

(2) थाणे में राशनिंग नियंत्रण उन्हीं विनियमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है जो कि बम्बई में है; तथा

(3) थाणे में स्थित तीन वितरकों में से दो वितरक पहले ही उच्चतम सीमा तक पहुँच चुके हैं तथा उसके पास बड़ी प्रतीक्षा सूचियां हैं।

(ख) अगर एक बार खण्डशः ऐसा निर्णय ले लिया जाता है, तो अन्य कस्बों से इसी प्रकार की प्रार्थनाओं को जो कि इसी प्रकार के वहां विद्यमान आधारों पर प्रस्तुत की जाती, अस्वीकार करना कठिन हो जाता। इसके अतिरिक्त, कार्य और अधिक डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करके प्रतीक्षा सूची को समाप्त किया जायेगा।

मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3507. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश को वर्ष '981-82 के दौरान माह-वार कितना मिट्टी का तेल आवंटित किया और सप्लाई किया; और

(ख) राज्य सरकार की मांग कितनी थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की माहवार आवंटित तथा सप्लाई/बेची गयी मात्रा नीचे दी गयी है।

(आंकड़े मी० टनों में)

माह	आवंटन	बिक्री
अप्रैल-81	15500	15574
मई-81	18000	15106
जून-81	16040	16414
जोलाई-81	17460	27237
अगस्त-81	17460	16363
सितम्बर-81	16600	16287
अक्तूबर-81	17600	17651
नवम्बर-81	18500	18583
दिसम्बर-81	18500	18992
जनवरी-82	19000	18750 (अस्थायी)
फरवरी-82	18500	अनुपलब्ध
मार्च-82	17000	अनुपलब्ध महीना समाप्त नहीं हुआ है
योग	210,160	

(ख) मई तथा नवम्बर, 1981 महीनों में राज्य सरकार ने प्रत्येक माह में 20,000 मी० टन तथा फरवरी, 1981 में 18,000 मी० टन मिट्टी के तेल की मात्रा की मांग की थी। अन्य महीनों में राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट मांग नहीं की गयी थी।

हरियाणा सरकार को कोयला सप्लाई न किया जाना

3508. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार को अभी तक उसके कोयले का नवीनतम कोटा सप्लाई नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में अनेक कारखाने बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) किसी भी राज्य के लिए कोयले का कोई कोटा निश्चित नहीं है और इसलिए हरियाणा को

उसका कोयले का नवीनतम कोटा सप्लाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक राज्य में कोयले के उपभोक्ताओं की सारी मांग पूरी कर दी जाए। अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान हरियाणा को 7.24 लाख टन कोयला सप्लाई किया गया जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष 4.50 लाख टन कोयला सप्लाई किया गया था। रेलवे द्वारा अधिक से अधिक कोयला भेजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और कोयला कम्पनियां रेल द्वारा भेजे जाने वाले माल में जितनी कमी रह जाती है उतना कोयला सडक से ले जाने के लिए भी दे देती हैं। कुछ निर्दिष्ट खानों से बिना किसी प्रतिबन्ध के भी कोयले की बिक्री की जाती है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के भूतपूर्व कर्मचारियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण निर्णय लेना

3509. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ऐसे कितने भूतपूर्व कर्मचारी हैं जिन्होंने 17 नवम्बर, 1981 से पहले त्याग-पत्र दे दिया था और जिन्हें अन्तरिम राहत की बकाया राशि वापस करने के लिए छूट दी गई थी और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यालय आदेश संख्या 5 (32) ए० एण्ड क्यू०/81/87 दिनांक 17-11-81 द्वारा लिया गया निर्णय दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान के भूतपूर्व कर्मचारियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को कब तक दूर किया जा रहा है और उनसे वसूल की गई अन्तरिम राहत की राशि ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों को कब वापस की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केवल एक मामले में अनुकंपा के आधार पर, अन्तरिम सहायता की वसूली से छूट दे दी गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शीर्षस्थ खान इन्जीनियरों का कोल इण्डिया छोड़ना

3510. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ शीर्षस्थ खान इन्जीनियरों ने हाल में कोल इण्डिया छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा बहुत लाभ कमाया जाना

3511. **श्री रामविलास पासवान** :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित विदेशी औषध निर्माता कम्पनियां बहुत लाभ कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो भारत में औषध-निर्माण कर रही हैं ;

(ग) प्रत्येक कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ कमाया गया;

(घ) इसी अवधि के दौरान भारत से कितना धन स्थानान्तरित किया गया; और

(ङ) क्या सरकार के इन कम्पनियों द्वारा कमाये गये अत्याधिक लाभ की जांच की है और उस बारे में सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

विदेशी कम्पनियों द्वारा अनुचित ढंग से कमाये जा रहे अधिक लाभ के आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए सरकार ने वर्ष 1978 में एक समिति गठित की । समिति ने वर्ष 1969-70 से 1975-76 तक की अवधि के लिए विदेशी औषध कम्पनियों की लाभप्रदत्ता का विश्लेषण किया। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि इन कम्पनियों की लाभप्रदत्त देश में कागज और रसायन जैसे अधिक लाभप्रद औद्योगिक कार्यकलापों के अनुरूप थी । उसने यह भी दर्शाया है कि इन कम्पनियों की लाभप्रदत्ता 1969-70 और 1974-75 के बीच न्यूनाधिक निरन्तर कम हुई है, यद्यपि 1975-76 में उसमें वृद्धि हुई थी । तथापि यह वृद्धि 1969 और 1972 के मध्य की अवधि में प्राप्त हुई लाभप्रदता की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थी । समस्त बल्क औषधों और आवश्यक तथा अधिक खपत वाले अनेक फार्मूलेशनों को मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने के लिए 31 मार्च, 1979 को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की घोषणा की गई थी । इस आदेश के अधीन अनेक मूल्य निर्धारित और संशोधित किए गए हैं । विदेशी कम्पनियों सहित अनेक कम्पनियों ने इस आदेश के प्रभावी होने के परिणामस्वरूप अपनी लाभप्रदता में कमी होने की शिकायत की है। इस आदेश के लागू होने से सरकार के लिए औषध निर्माण की लाभप्रदता पर निगाह और नियंत्रण रखना सम्भव हो गया है । तथापि, इस आदेश के लागू होने का किसी विशेष कम्पनी की लाभप्रदता पर कुल प्रभाव का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक किसी एक कम्पनी के समस्त मूल्य नियंत्रित औषधों और/अथवा फार्मूलेशनों को मूल्य संशोधन के अन्तर्गत नहीं लाया जाता ।

उपरोक्त समिति ने सुझाव दिया है कि आयात के लिए अनुचित मूल्य का भुगतान रोकने की दृष्टि से कम्पनियों के आयातों और आयात मूल्यों पर निगाह रखनी चाहिए । सरकार यह कार्य कर रही है और देश में बल्क औषधों और मध्यवर्तियों जैसे कच्चे मालों के आयात के ब्यौरे प्रकाशित करने की योजना है ।

विदेशी औषध कम्पनियों के नाम और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा बाहर भेजी गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा कमाए गए लाभ के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और लोक सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

विवरण

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी गई धनराशि

(आर० बी० आई० बम्बई द्वारा उपलब्ध किए गए अनुसार) (रुपये लाखों में)

कम्पनी का नाम	वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च)	लाभ/लाभांश	तकनीकी जानकारी	रायल्टी	मुख्यालय खर्चे	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. अबोट लैब० (आई) प्रा० लि० बम्बई	1978-79	1208	—	—	—	1208
	1979-80	17.81	—	—	—	17.81
	1980-81	10.12	—	—	—	10.72
2. बोरोह वेलकम एण्ड कम्पनी (आई) लि० बम्बई	1978-79	—	—	—	—	—
	1979-80	15.00	—	—	—	15.00
	1980-81	22.50	—	—	—	22.50
3. सी० ई० फुलफोर्ड (आई)	1978-79	2.87	—	—	—	2.87

1	2	3	4	5	6	7
प्रा० लि० बम्बई	1979-80	1.54	—	—	—	1.54
	1980-81	—	—	—	—	—
4. मे एण्ड बेकर (आई) लि० बम्बई	1978-79	—	—	—	—	—
	19 9-80	17.99	—	—	—	—
	1980-81	—	—	—	—	—
5. स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेन्च	1978-79	103.95	—	—	—	103.95
(आई) लि० बंगलौर	1979-80	7.97	—	—	—	7.97
	1980-81	—	—	—	—	—
6. रोचे प्रोडक्ट्स लि० बम्बई	1978-79	20.02	—	—	—	20.02
	1979-80	55.99	—	—	—	55.99
	1980-81	20.02	—	—	—	20.02
7. पार्क डेविस (आई) प्रा० लि०	1978-79	55.12	—	—	—	55.12
	1979-80	46.20	—	—	—	46.20
	1980-81	4.20	—	—	—	4.20
8. ग्लेक्सो लैबरा (आई) लि० बम्बई	1978-79	120.82	—	—	—	120.82
	1980-80	65.03	—	—	—	65.03
	1980-81	135.00	—	—	—	135.00

1	2	3	4	5	6	7
9. जोनसन एण्ड जोनसन आफ	1978-79	11.54	—	—	—	11.54
(आई) लि० बम्बई	1979-80	11.54	—	—	—	11.54
	1980-81	11.54	—	—	—	11.54
10. फाइजर लि० बम्बई	1978-69	45.36	—	—	—	45.36
	1979-80	141.75	—	—	—	141.75
	1980-81	73.71	—	—	—	75.71
11. वासल्स लैब बम्बई	1978-79	1099	—	—	—	1099
	1979-80	1129	—	—	—	1129
	1980-81	1099	—	—	—	1099
12. सीबा गेगी आफ इंडिया	1978-79	54.19	—	—	—	54.19
लि० बम्बई	1979-80	54.19	—	—	—	54.19
	1980-81	54 19	—	—	—	54.19
13. ई मर्क (इंडिया) प्रा० लि० बम्बई	1978-79	3.07	—	—	—	3.07
	1979-80	7.20	—	—	—	7.20
	1980-81	2.46	—	—	—	2.46
14. मर्क सफ एण्ड डोमे आफ इंडिया	1978-79	8.91	—	—	—	8.91
लि० बम्बई	1979-80	—	—	—	—	—
	1980-81	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
15. सेन्डोज इंडिया लि० बम्बई	1978-79	11.81	—	—	—	11.81
	1979-80	31.50	—	—	—	31.50
	1980-81	18.00	—	—	—	18.00
16. रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० बम्बई	1978-79	14.85	—	—	—	14.85
	1979-80	7.42	—	—	—	7.42
	1980-81	2.48	—	—	—	2.48
17. सीनामाइड इंडिया लि० बम्बई	1978-79	47.87	—	—	—	47.87
	1979-80	53.35	—	—	—	53.35
	1980-81	56.42	—	—	—	56.42
18. दि बूट्स कं० (आई) लि० बम्बई	1978-79	12.15	—	1.65	—	13.80
	1979-80	14.85	—	—	—	14.85
	1980-81	18.00	—	1.11	—	19.11
19. वायर (आई) लि० बम्बई	1978-79	46.54	—	—	—	46.54
	1979-80	49.64	—	—	—	49.64
	1980-81	49.64	—	—	—	49.64
20. अलकली एण्ड केमिकल्स कारपो०	1978-79	17.12	27.49	—	—	44.61
आफ इंडिया लि० कलकत्ता	1979-80	18.41	—	—	—	18.41
	1980-81	—	4.67	2.16	—	6.83

1	2	3	4	5	6	7
21. हेग्स्ट फार्मा० लि० बम्बई	1978-79	20.43	—	—	—	20.43
	1979-80	30.65	—	—	—	30.65
	1980-81	45.97	—	—	—	45.97
22. वारनर हिन्दुस्तान लि० हैदराबाद	1978-79	17.20	1.85	0.69	—	19.64
	1979-80	19.78	—	—	—	19..78
	1980-81	21.46	0.55	—	—	22.01
23. वीपन्स (इंडिया) लि० बम्बई	1978-79	0.94	—	—	—	0.94
	1979-80	0.62	—	—	—	0.62
	1980-81	0.62	—	—	—	0.62
24. आग्रेनोल (इंडिया) लि० कलकत्ता	1978-79	—	—	—	—	—
	1979-80	8.42	—	—	—	8.42
	1980-81	4.30	—	—	—	4.30
25. यूनी संक्यो लि० हैदराबाद	1978-79	0.09	—	0.11	—	0.20
	1979-80	1.13	—	—	—	1.13
	1980-81	0.73	—	—	—	0.73
26. ज्योफरी मैनर्स एण्ड कम्पनी लि० बम्बई	1978-79	22.68	—	—	—	22.68
	1979-80	22.84	—	—	—	22.84
	1980-81	23.81	—	—	—	23.81

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3512. **श्री मुकुन्द मंडल :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान कितने नए सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाएंगे; और

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) छठी योजना के दौरान बीस हजार सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) 15 फरवरी, 1982 तक लगभग 2854 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा चुके हैं ।

गुजरात में माइक्रोवेव लिंक्स

3513. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में ध्रांगधरा-सुरेन्द्रनगर, मोरवी-राजकोट और वांकानेर-राजकोट के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने का कार्य लगभग गत तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है; और

(ख) इस तरह के विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

सचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां । मोखी-राजकोट और बांकानेर-राजकोट के बीच यू० एच० एफ० प्रणाली पर सम्पर्क प्रदान करने की योजना बनाई गई है ।

(ख) विलम्ब का कारण रेडियो और मल्टीपल्कस उपस्कर की कमी है । फिर भी, उक्त योजनाओं के चालू योजना अवधि के दौरान पूरा होने की संभावना है ।

त्रुटिपूर्ण बिल दिये जाने के कारण अत्यधिक टेलीफोन प्रभार

3514. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन प्रयोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिलों, एस० टी० डी० प्रणाली के दुरुपयोग और गलत नम्बर मिलने के कारण अधिक प्रभार का भुगतान करना होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं । मीटर पर आयी कालों की संख्या के अनुसार ही टेलीफोन उपभोक्ताओं के बिल बनाये जाते हैं । वर्ष में लगभग 2 करोड़ बिल

जारी किये जाते हैं। मुश्किल से । प्रतिशत बिल ऐसे होते हैं जिनके संबंध में अधिक रकम के बिल होने का विवाद होता है। उनकी पूरी तरह जांच की जाती है तथा औचित्य पाया जाने पर रियायत की अनुमति दी जाती है।

(ख) तकनीकी दोषों के कारण अधिक रकम के बिल आने के कारणों का पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर, मीटर दोषों को समाप्त करने के लिए नए मीटरिंग परिपथ चालू किए गए हैं। "चार्ज विश्लेषक यंत्र" जो कि शिकायतकर्त्ता उपभोक्ता द्वारा की गई एस० टी० डी० कालों का अलग-अलग ब्यौरा सूचित करेगा, क्षेत्र परीक्षणों के बाद लगाये जाने का प्रस्ताव है।

एस० टी० डी० के दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्कता दस्तों का गठन किया गया है ताकि आकस्मिक निरीक्षण करके अधिकृत कनेक्शनों, विपथन आदि का पता लगाया जा सके। वितरण पाइपों तथा केबिनेटों को ताले में रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा दोषों का पता लगाने के लिए मीटरों की नियमित रूप से जांच की जाती है।

मानवीय दोषों के कारण बिलों में होने वाली त्रुटियों को समाप्त करने के लिए महानगरीय टेलीफोन बिलों में कम्प्यूटरीकृत बिल प्रणाली आरम्भ की गई है।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में पन बिजली संसाधन

3515. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में फरवरी, 1982 में आयोजित की गई राज्यों की उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक में हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर में उपलब्ध व्यापक पन बिजली संसाधनों को उपयोग में लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था और थीन बांध में बिजली के बंटवारे, आनन्दपुर साहिब मुकेरियन पन बिजली और यू० एस० डी० सी० चरण-दो परियोजनाओं और बदरपुर तापीय विस्तार परियोजनाओं जैसे अनिर्णीत पड़े मसलों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने की अपील भी की गई;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विषयों पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 6 फरवरी, 1982 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। बैठक की कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय से कार्यवाही प्राप्त हो जाने के बाद इस सम्बन्ध में और ब्यौरा सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

विशाखापत्तनम के लिये टेलीफोन सुविधाएं

3516. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के चारों ओर 10 मील के क्षेत्र के सभी गांवों को, इस क्षेत्र के तीव्र औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, टेलीफोन प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता की सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या विशाखापत्तनम के साथ सीधी टेलीफोन व्यवस्था के न होने के कारण इस क्षेत्र के टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है; और

(ग) विशाखापत्तनम के आसपास के क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं देने की सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान विशाखापत्तनम टेलीफोन प्रणाली में 4500 लाइनों के विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

देश में नये टेलीफोन

3517. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान नए टेलीफोन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने नए टेलीफोन दिए जाएंगे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान लगभग 2.60 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) इस समय नये कनेक्शनों का राज्यवार वितरण सुनिश्चित करना व्यवहार्य सम्भव नहीं है क्योंकि यह एक्सचेंज की मौजूदा अतिरिक्त क्षमता, नई मांग एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई आदि पर निर्भर करता है। फिर भी यह संभावना है कि देश के महानगरों (बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता) में 1,40,000 टेलीफोन, 25 बृहद् शहरी प्रणालियों में 38000 तथा अन्य शहरी कस्बों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 82,000 टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे।

दिल्ली और नई दिल्ली में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

3518. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में किन आधारों पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं;

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान, अब तक दिल्ली और नई दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र से कितने-कितने अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) दिनांक 28 फरवरी, 1982 को अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों से सम्बन्धित कितने आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिए विचाराधीन थे; और

(घ) अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों की स्वीकृति के प्रदान करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) बीमारी आदि जैसी अस्थायी आवश्यकताओं के लिए अस्थायी टेलीफोन मंजूर किये जाते हैं। सरकारी विभागों के लिये और सार्वजनिक हित में भी ऐसे टेलीफोन मंजूर किये जा सकते हैं।

(ख) सूचना विवरण में दी जा रही है।

(ग) 28-2-1982 को कोई आवेदन पत्र दिल्ली टेलीफोन जिले में लंबित नहीं था।

(घ) दिल्ली टेलीफोन जिले के महाप्रबंधक संबंधित उप महाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त डाक तार निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भी अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जा सकते हैं।

विवरण

वर्ष 1981-82 के दौरान एक्सचेंजवार दिए गए अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन

(1-3-1982 तक)

	2	3	4
जोर बाग	(61,62,69)	—	368
हौज खास	(65,66)	—	169
कनाट प्लेस	(4)	—	163
नेहरू प्लेस	(68,64)	—	119
ओखला	(63)	—	154
सचिवालय	(37)	—	41
जनपथ	(31,32,34,35)	—	107
कनाट प्लेस	(4)	—	13
राजपथ	(8)	—	108
प्रगति मैदान	(804)	—	23
ईदगाह	(51,52)	—	102
राजौरी गार्डन	(50,54, 9)	—	220

1	2	3	4
करोलबाग	(56,58)	—	215
जनकपुरी	(55)	—	36
दिल्ली केन्ट	(39)	—	28
शक्ति नगर	(71,74)	—	36
बाहरी एक्सचेंज		—	16
तीसहजारी	(22,23,25)	—	60
शाहदरा	(20)	—	10
शाहदरा (पूर्व)	(21)	—	16
दिल्ली गेट	(26,27)	—	62
गाजियाबाद	(85,84)	—	27
			2093

विधान सभाओं के मध्यावधि निर्वाचन

3519. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राज्यों के क्या नाम हैं जो अपनी विधान सभाओं क मध्यावधि निर्वाचन कराने के इच्छुक हैं; और

(ख) उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग से यह पता चला है कि उसे राज्य विधान सभा के मध्यावधि निर्वाचन कराने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

रक्षित विद्युत संयंत्रों का गहन अध्ययन

3520. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने में काफी पूंजी निवेश किया गया है और इस दिशा में प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) इस ऊर्जा के अधिक महंगे होने तथा इसमें लगने वाले पूंजी-निवेश जिसे उद्योगों के विस्तार के लिए अन्य प्रकार से उपलब्ध कराया जा सकता है, को देखते हुए इस प्रवृत्ति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार रक्षित विद्युत संयंत्रों की वृद्धि होने देने की व्यवहार्यता तथा भविष्य में ऐसे संयंत्रों के लगाये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त और सिद्धान्त निर्धारित करने के बारे में गहन अध्ययन करना आवश्यक समझती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। निर्धारित क्षमता की छोटी यूनिटें होने के कारण केप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की लागत अधिक होती है। तथापि यदि ग्रिड से सतत आधार पर अपेक्षित मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध न हो तो, उद्योग, अधिक लागत पर भी केप्टिव विद्युत उत्पादन करना इस विचार के आधार पर चुनते हैं कि इस पर जिस राशि का निवेश होगा वह राशि विद्युत की सुनिश्चित तथा सतत सप्लाई के परिणाम-स्वरूप होने वाले उत्पादन के लाभ से पूरी हो जाएगी।

विद्युत की कमी की वर्तमान स्थिति में केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर ऊर्जा मंत्रालय उदार दृष्टिकोण अपनाता है; विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें स्कीमें समग्र ऊर्जा की विचारधारा पर आधारित हों अथवा संबंधित उद्योग अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र में हों।

दिल्ली की वर्ष 1995 में बिजली की आवश्यकतायें

3521. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली महानगर की बिजली की आवश्यकता कितनी होगी और वर्ष 1985, 1990 और 1995 में इसके अनुमान क्या हैं; और

(ख) इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर की क्षमता के अतिरिक्त आगामी 15 वर्षों में बिजली की सप्लाई के किन स्रोतों की योजना बनाई जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) एशियन खेलों के कारण दिल्ली में विद्युत की अतिरिक्त मांग 50 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

ग्यारहवें विद्युत सर्वेक्षण द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार दिल्ली की विद्युत की मांग निम्नानुसार है :

वर्ष	ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन किलोवाट)	व्यस्ततम भार (मेगावाट)
1982-83	3299	628
1984-85	4017	764
1989-90	6352	1206

1994-95 के दौरान दिल्ली में विद्युत की मांग अनन्तिम रूप से 1860 मेगावाट होने का अनुमान है। तदनुसार ऊर्जा की आवश्यकता 9780 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

स्वीकृत की गई और निर्माणाधीन परियोजनाओं के आधार पर दिल्ली में 1984-85 के अन्त तक और 1989-90 के अन्त तक क्रमश: 1077 8 मेगावाट तथा 1210.8 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में केन्द्रीय सैक्टर की अन्य परियोजनाओं से भी दिल्ली को लाभ प्राप्त होगा।

20-सूत्री कार्यक्रम

3522. **श्री आर० प्रभु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वे विशेष प्रस्ताव क्या हैं जिन्हें प्रधान मन्त्री द्वारा हाल में घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में क्रियान्वित करने के लिए उनका मंत्रालय कार्रवाई आरम्भ करेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) का मुख्य कार्य विधिक सलाह देना, विधान का प्रारूप तैयार करना और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा करना है। केवल कुछ विषयों का प्रशासनिक कार्यभार इन विभागों पर है और इस प्रकार ये विभाग भारत सरकार के अन्य विभागों के सलाहकार या परामर्शी के रूप में है। नए बीस सूत्री कार्यक्रम में से एक कार्यक्रम अर्थात महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित कार्यक्रम, सं० 15, का एक पहलू ही ऐसा है जिसका विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) से सम्बन्ध है। इस पहलू का सम्बन्ध दहेज जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध विधिक शास्ति और लोकमत जागृत करने से है। इस सदन में (19.12.1980) और राज्य सभा में (24.12.1980) मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में और दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध लोकमत जागृत करने की दृष्टि से तथा उचित विधिक शास्ति की व्यवस्था करने की दृष्टि से भी संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का गठन दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यकरण पर और ऐसे संशोधनों पर विचार करने के लिए किया गया जो दहेज की कुप्रथा से प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए विधि में किए जा सकें।

यह भी उल्लेखनीय है कि नए बीस सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा के पश्चात दोनों विभागों में यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं कि उक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में सलाह देने या प्रारूपण की बाबत जो भी फाइलें अन्य विभागों से आएं उनको सर्वाधिक पूर्विकता देकर उन पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्पों की स्थापना

3523. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने पेट्रोल पम्पों की स्थापना की जानी थी; और

(ख) उनके आबंटन के लिए किन-किन तारीखों को साक्षात्कार हुए थे तथा साक्षात्कार में कितने डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों ने भाग लिया था तथा नाम क्या थे और जिन व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए हैं, उनके पते क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दस।

(ख) हिमाचल प्रदेश में प्रदान किये जाने वाले दस प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों में से तीन स्थलों के लिये साक्षात्कार हो चुके हैं :

स्थल	वर्ग	साक्षात्कार की तिथि	उन डिप्लोमा धारकों के ब्यौरे जिन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया था	टिप्पणी
1. छोटा शिमला	सामान्य	28-4-1981 जांच समिति द्वारा साक्षात्कार	श्री शमशेर सिंह बंसल्ट	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ लिमिटेड, शिमला को आशय पत्र जारी किया गया है।
2. नारकंडा	शारीरिक दृष्टि से अपंग	20-4-1981	—	अभी तक निर्णायक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार नहीं लिए गये है
3. ज्वालामुखी	बेरोजगार स्नातक/ इन्जीनियर	9-3-1981	—	" "

पौड़ी में स्टूडियो केन्द्र की स्थापना किया जाना

3524. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजीबाबाद आकाशवाणी केन्द्र से सम्बद्ध किये जाने हेतु पौड़ी में एक स्टूडियो सेंटर की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) पौड़ी में एक स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। पौड़ी में चुना गया स्थान धसता हुआ और अनुपयुक्त पाया गया था। उपयुक्त स्थान के उपलब्ध न होने के कारण राज्य सरकार के परामर्श से स्टूडियो केन्द्र को गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। श्रीनगर में स्थान का चयन कर लिया गया है और निर्माण कार्य स्थान का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद शुरू हो जाएगा।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसर/सीनियर प्रोड्यूसर

3525. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों कोअसिस्टेंट स्टेशन डाइरेक्टर और असिस्टेंट स्टेशन डाइरेक्टरों को स्टेशन डाइरेक्टरों के पद पर पदोन्नत किया गया है परन्तु उसी के अनुरूप प्रोड्यूसरों को डिपुटी चीफ प्रोड्यूसरों और चीफ प्रोड्यूसरों के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों के कैडर में जो कि एक दक्ष कैडर है, पदोन्नति का चैनल क्या है और उनको डिपुटि डाइरेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नति न करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार आकाशवाणी के प्रोड्यूसरों/सीनियर प्रोड्यूसरों को इस क्षेत्र में पदोन्नति लागू करने के लिए नियमित कर्मचारियों की तरह मानेगी, और यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) पदोन्नतियां भर्ती नियमों के उपबन्धों के आधार पर और रिक्तियों के संदर्भ में की जाती हैं। उप मुख्य प्रोड्यूसरों और मुख्य प्रोड्यूसरों की सीमित संख्या होने के कारण प्रोड्यूसरों के लिए अपर्याप्त पदोन्नति अवसरों पर विचार करने के बाद ही अक्टूबर, 1981 में 900-1400 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रोड्यूसर के 33 पदों का सृजन किया गया था। नए सृजित पदों पर 27 प्रोड्यूसरों का नियुक्त भी कर दिया गया है।

(ख) स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं। उनको कार्यक्रम तैयार करने, उद्घोषणाओं, संगीतीय समर्थन, संकलन, संपादन, इत्यादि जैसे अनेक कार्यों को करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए संविदा कर्मचारियों को कार्यों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है तथा पदोन्नति चैनलों की इस प्रकार की श्रेणियों के अन्दर व्यवस्था की गई है। उप महानिदेशक का पद नियमित सिविल पद है तथा केवल वही अधिकारी इस पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं जो नियमित संवर्ग से सम्बन्धित हैं।

(ग) सरकार ने हाल ही में स्टाफ आर्टिस्ट कहे जाने वाले कर्मचारियों को दो श्रेणियों अर्थात (1) "कलाकार" और (2) अन्य कर्मचारी, जो वही कार्य करते हैं जो सरकारी कर्मचारी सामान्यतया करते हैं, में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। श्रेणी (2) के कर्मचारियों को

सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। श्रेणी (1) के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को पर्याप्त उदार बनाने का प्रस्ताव है ताकि सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने तथा कलाकारों को सरकारी कर्मचारियों के दर्जे के लिए क्लेम करने से निरूत्साहित करने का दोहरा उद्देश्य प्राप्त हो सके।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आयात बिल में वृद्धि

3526. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का तेल की खोज के उपकरण तथा सेवाएं प्राप्त करने के लिए आयात बिल, अगले कुछ वर्षों में 100 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निर्धारित प्रति वर्ष 100 एम० टी० प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्य के कारण ऐसा आवश्यक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आर्डर दिये जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों को और इस प्रयोजन के लिए आयात किये जाने वाले उपकरण का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) यथा अनुमोदित की पंचवर्षीय योजना के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का वर्ष 1984-85 तक प्रति वर्ष करीब 25 मि० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 20 वर्ष के लिए एक प्रत्याशित योजना भी तैयार कर रहा है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा यथा परिकल्पित तेल अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों को बढ़ाने के फलस्वरूप, उपकरणों आदि की प्राप्ति के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के आयात बिल (विधेयक) में अत्यधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) त्वरित उत्पादन कार्यक्रमों और 20 वर्षीय प्रत्याशित योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्ति के लिए आर्डर योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने और आयात आवश्यकताओं का हिसाब लगाने के पश्चात ही दिये जा सकते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और इसके कार्यक्रम

3527. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी और इसके मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ख) इसके द्वारा पहले ही अपनाए गये कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसका विचार भविष्य में कौन से कार्यक्रम आरम्भ करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना 25 जुलाई, 1969 को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, एक कम्पनी के रूप में हुई थी। निगम के संस्था-ज्ञापन में बताए अनुसार इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) देश में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की वित्त व्यवस्था करना।

(2) ऐसे विशिष्ट ग्राम विद्युतीकरण बाण्डों में अभिदान करना जो समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों पर राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जारी किए जाएं।

(3) देश में ग्राम विद्युत सहकारिताओं को बढ़ावा देना और उनके लिए वित्त व्यवस्था करना।

(4) सामान्य तौर पर देश में ग्राम विद्युतीकरण की वित्त व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अनुदानों के रूप में अथवा अन्य रूप में भारत सरकार से अथवा अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त राशि का प्रशासन करना।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने फरवरी, 982 के अन्त तक 22 राज्यों में 517। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 1674 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की है। स्कीमों के क्रियान्वयन की सोपानबद्धता के अनुसार उपर्युक्त स्कीमों के सम्बन्ध में फरवरी, 1982 के अन्त तक निगम ने कुल 1112 करोड़ रुपये की राशि की ऋण किश्तें वितरित की हैं।

(2) निगम ने देश में ग्राम विद्युत सहकारिताओं को विकासात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा अब तक 23 ग्राम विद्युत सहकारिताएं स्थापित की गई हैं।

(3) फरवरी, 1982 के अन्त तक स्वीकृत की गई 1674 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों द्वारा जारी किए गए परियोजना सम्बद्ध ग्राम विद्युतीकरण डिबेंचरों के सम्बन्ध में मैचिंग आधार पर 7.11 करोड़ रुपये की राशि का अभिदान किया है।

(4) अपने मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने के प्रसंग में, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने ग्राम विद्युतीकरण में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों तथा निर्माण प्रक्रियाओं की विशिष्टयों के मानकीकरण का कार्य हाथ में लिया है। ग्राम विद्युतीकरण, प्रायोगिक तकनीकी तथा सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी निगम ने हाथ में लिया है।

(ग) पहले ही स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के सम्बन्ध में ऋण की किश्तों के रूप में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरित किए जाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 1173.40 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों, घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को तथा सड़क रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था करने के अतिरिक्त

ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत 98,000 से अधिक और गांवों को विद्युतीकृत किए जाने तथा 15.77 लाख कृषि पम्पसेटों के ऊर्जित किए जाने की परिकल्पना उक्त योजना में है। वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में जो योजना का तीसरा वर्ष है, पहले ही स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के सम्बन्ध में ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से वितरण किए जाने के लिए 232.83 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान है। लघु उद्योगों, घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को तथा सड़क रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत 18,200 गांवों का विद्युतीकरण तथा 4 लाख से अधिक कृषि पम्पसेटों का ऊर्जन किया जाना है।

कच्चे तेल के नये स्रोतों का पता लगना

3528. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 के दौरान कच्चे तेल के किन नए स्रोतों का पता चला है;

(ख) कच्चे तेल के नए कुओं से कब तक उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है और हमारी मांग को पूरा करने की दृष्टि से इन स्रोतों की सप्लाई कितने प्रतिशत होगी; और

(ग) क्या सरकार नए तेल स्रोतों का पता करने के अपने कार्यक्रम के लिए नई तकनीक आयात करने के प्रश्न पर कर रही है और यदि हां, तो किन देशों से इसका आयात करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में निम्नलिखित स्थानों पर कच्चा तेल मिला था :

राज्य	संरचना
गुजरात	लोहार
असम	बोगापानी
अपतटीय	आर-7
	गोदावरी (जी-1)

(ख) इन क्षेत्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक कुएं खोदे जायेंगे। उनकी उत्पादन क्षमताओं के सम्बन्ध में इस समय अनुमान लगाना बहुत जल्दी होगा।

रेलवे, डाक सेवा, गोंडा का कार्य

3529. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष गोंडा (उत्तर प्रदेश) में रेलवे डाक सेवा के समय में परिवर्तन कर दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप बहराईच और बलरामपुर के लिए जाने वाली डाक की छंटनी में 36 घंटे का विलम्ब हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुराने समय को पुन: बहाल करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या कठिनाइयां अनुभव कर रही है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) गोंडा में रेल डाक सेवा के रात्रि कार्य-संचालन को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि वहां पर प्राय: बिजली उपलब्ध नहीं रहती थी तथा डाक ले जाने वाली गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण डाक का मेल नहीं हो पाता था। इसलिए, रात्रि की डाक को प्रात: काल में प्रक्रम के आदेश दिये गए।

(ख) बिजली की सप्लाई तथा डाक-वाहन रेल-गाड़ियों के चलने में सुधार हुआ है। अत: पूर्व के समय को पुन: बहाल करने पर विचार किया जा रहा है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जल विद्युत क्षमता

3530. **श्री अजय विश्वास :**

श्री आनन्द पाठक :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र देश की विपुल जल विद्युत शक्ति का भंडार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शक्ति का उपयोग करने के किसी प्रस्ताव के बारे में सरकार तत्परता से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशाल जल विद्युत शक्यता का उपयोग करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कई जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके पूरा हो जाने पर 422 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की अभिवृद्धि हो जायगी। इससे इस क्षेत्र में जल विद्युत केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 569 मेगावाट हो जाएगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल-विद्युत स्कीमों का और अन्वेषणाधीन स्कीमों का ब्योरा क्रमश: विवरण एक और दो में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने असम में धनसीरी जल विद्युत परियोजना (19·95 मेगावाट), नागालैण्ड में दोयंग जल विद्युत परियोजना (105 मेगावाट) और मिजोरम में सिरलुई "ए" माइक्रो जल विद्युत स्कीम (1 मेगावाट) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त मणिपुर में थोवल जल विद्युत परियोजना (7·5 मेगावाट) और त्रिपुरा में गुमती बांध इनटेक बिजली घर (2 मेगावाट) की परियोजना की जांच केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है ।

विवरण-1

स्कीम का नाम	एजेन्सी	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
लोअर बोरपानी (असम)	असम राज्य बिजली बोर्ड	100
उमियम उमत्रू चरण-4 (मेघालय)	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	60
दिख् (नागालैण्ड) गुमती	नागालैण्ड बिजली बोर्ड त्रिपुरा	1
तीसरा यूनिट (त्रिपुरा)	बिजली विभाग	5
कोपिली (मेघालय/असम)	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	150
लोकतक (मणिपुर)	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	105
महारानी (त्रिपुरा)	त्रिपुरा बिजली विभाग	1
		422

विवरण-2

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अन्वेषणाधीन स्कीमें

क्र० सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अन्वेषणकर्त्ता एजेंसी
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	सियांग	7500	ब्रह्मपुत्र प्रवाह नियंत्रण आयोग
2.	सुबनासिरी	1800	ब्रह्मपुत्र प्रवाह नियंत्रण आयोग
3.	कामेंग	250	केन्द्रीय जल आयोग
4.	पपू कामेंग	80	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम
5.	रंगा नदी	500	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम
6.	दामवे	400	उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम

1	2	3	4
	असम		
1.	अपर बोरपानी	60	असम राज्य बिजली बोर्ड
2.	लोअर कोपिली	100	-वही-
3.	इन्टरमीडिएट बोरपानी	60	-वही-
4.	आमरिंग	33	-वही-
5.	कल्याणी	25	-वही-
	मेघालय		
1.	मिन्टडो चरण-1 और 2	2	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड
2.	किशी	300	-वही-
3.	उमीयाम उमत्रु चरण-2	30	-वही-
	मणिपुर		
1.	लोकतक टेल रेस	105	मणिपुर विद्युत विभाग
2.	तुलवाई	60	-वही-
	मिजोरम		
1.	धालेश्वरी	160	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
	मिजोरम/मणिपुर		
1.	त्रिपंमुख	660	केन्द्रीय जल आयोग
2.	तुईवाई	200	केन्द्रीय जल आयोग

गलधारी आदर्श द्वारा नागार्जुन परियोजना में निवेश

3531. **श्री जी० नरसिंहा रेड्डी :**

श्री पीयूष तिरकी :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गलधारी आदर्श द्वारा आन्ध्र प्रदेश में निवेश किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गलधारी ब्रादर्श के एक व्यक्ति ने जनवरी, 1982 में हैदराबाद का दौरा किया था और उर्वरक में निवेश करने के लिए प्रस्ताव किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने नागार्जुन परियोजना के लिए गलधारी ब्रादर्स की मदद लेने का प्रस्ताव रखा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई करार हुआ है, तो उसकी शर्तें क्या हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार, जो नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० के प्रमुख प्रवर्तक हैं, ने काकीवाडा में कंपनी की उर्वरक परियोजना में श्री ए० एल० गलादारी की सहभागिता के लिए राज्य सरकार को उनसे प्राप्त प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार से सलाह मांगी है ।

(ख) जी हां ।

(घ) सरकार ने मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है ।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

3532. **श्री डी० एल० बैठा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के लिए देश की पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चे तेल, डीजल और मिट्टी के तेल सहित की कुल आवश्यकता कितनी है और देशी साधनों से इस आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा किया जाएगा, साथ ही उसके लिए कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा; और उसकी कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा; और

(ख) देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण और उत्पादन क्षमता कितनी है और अधिष्ठापित क्षमता को उपयोग में लाने के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1982 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग करीब 35.3 मि० मी० टन होने की आशा है जिसमें से स्वदेशी कूड उपलब्धता करीब 20·5 मि० मी० टन होने की आशा है । 1982 में आयात किये जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मात्रा करीब 4·0 मि० मी० टन है । करीब 1·2 मि० मी० टन अवशिष्ट नैफ्था के निर्यात किये जाने की संभावना है ।

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की भण्डारण और उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार होने का अनुमान है :—

		आंकड़े मि० मी० टनों में
	*1982 में आयात	भण्डारण क्षमताएं (लगभग)
कूड	35·3	2·5
पेट्रोलियम उत्पाद	32·7	3·7

*कूड के लिए संसाधन

विदेशी सहायता से विद्युत एककों की स्थापना

3533. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से देश में विद्युत एककों की स्थापना करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय उससे सम्बन्धित प्रस्ताव का क्या ब्योरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उपस्कर की सप्लाई के लिए विदेशों/विदेशी कम्पनियों से प्राप्त हुए हैं। कुछ मामलों में, परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए सरकारी ऋण, सप्लाईकर्त्ताओं के ऋण और वाणिज्यिक ऋणों की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया है। सरकार ने इन प्रस्तावों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

विधि आयोग द्वारा विवाह और विवाह-विच्छेद विधियों के सम्बन्ध में सुझाए गए संशोधन

3534. **श्री जेवियर अरानज** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने भारत में विवाह और विवाह-विच्छेद के लिए लागू विधियों में किसी संशोधन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) विधि आयोग ने भारत में विवाह और विवाह-विच्छेद के लिए लागू विधियों के सम्बन्ध में पांच रिपोर्ट दी हैं। ये रिपोर्टें इस प्रकार हैं :—

(1) "भारत में ईसाइयों के विवाह और विच्छेद के सम्बन्ध में विधि" के बारे 15 वीं रिपोर्ट जो 19-8-1960 को प्रस्तुत की गई;

(2) "संपरिवर्तो विवाह विघटन अधिनियम, 1866" के बारे में 18वीं रिपोर्ट जो 23-2-1961 को प्रस्तुत की गई;

(3) "क्रिश्चियन मैरिज एंड मैट्रिमोनियल कालेज बिल, 1961" के बारे में 22वीं रिपोर्ट जो 15-12-1961 को प्रस्तुत की गई;

(4) "हिन्दू विवाह अधिनियम, 1953 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954" के बारे में 59वीं रिपोर्ट जो 6-3.1974 को प्रस्तुत की गई;

(5) "हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955—विवाह का असमाधेय भंग विवाह-विच्छेद का आधार बनाया जाना" पर 71वीं रिपोर्ट जो 7-4-1978 को प्रस्तुत की गई।

क्रिश्चियन मैरिज एंड मैट्रिमोनियल काजेज बिल, 1962 विधि आयोग की उन सिफारिशों पर आधारित था जो विधि आयोग की 15वीं और 22वीं रिपोर्ट (क्रम सं० 1 और 3) में दी गई थीं। संपरिवर्ती विवाह विघटन विधेयक, 196_, विधि आयोग की उन सिफारिशों पर आधारित था जो विधि आयोग की 18वीं रिपोर्ट (क्रम सं० 2) में दी गई थी। ये विधेयक व्यपगत हो गए।

सिफारिशों का सम्बन्ध अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि से है, अत: इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई तब तक के लिए आस्थगित कर दी गई है, जब तक कि प्रभावित समुदाय की ओर से आवश्यक पहल नहीं की जाती है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के सम्बन्ध में 59वीं रिपोर्ट का, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित करके, क्रियान्वयन कर दिया गया है।

"हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 विवाह का असमाधेय भंग विवाह-विच्छेद का आधार बनाया जाना" के बारे में 71वीं रिपोर्ट के सम्बन्ध में, विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 लोक सभा में 27-2-1981 को पुर:स्थापित किया गया था जिसे संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है।

सूरत में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3535. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूरत में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सूरत में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) सूरत, गुजरात में इन दोनों केन्द्रों की स्थापना किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, डाकतार विभाग के माइक्रोवेव लिंकों की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने लिए एक स्थान सूरत चुना गया है। इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

हल्दिया उर्वरक संयंत्र का ब्योरा

3536. **श्री नारायण चौबे :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया स्थित उर्वरक संयंत्र के निर्माण पर वास्तव में क्या लागत आई है; और

(ख) इस कारखाने में कितने श्रमिक और कर्मचारी कार्यरत हैं तथा वेतन, समयोपरि, बोनस इत्यादि के रूप में आज तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :-(क) फरवरी 1981 के अन्त तक मैं० हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० की हल्दिया उर्वरक परियोजना पर 272.96 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हो चुका है। परियोजना की स्वीकृत अमुमानित लागत 281.96 करोड़ रुपये की है।

(ख) 28.2.1981 को इस कारखाने में 1858 कामगार और कर्मचारी कार्यरत थे। इसमें 13 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित नहीं हैं। प्रारम्भ से 28.2.82 तक काम गारों और कर्मचारियों को 10.92 करोड़ रुपये के वेतन और मजदूरी (समयोपरि भत्ता और बोनस सहित) का भुगतान किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजे गये बिजली संबंधी प्रस्ताव

3537. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से निम्नलिखित प्रस्तावों की मंजूरी के लिये अनुरोध किया है;

(एक) चन्द्रपुर में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र,

(दो) डभोल में एक हजार एम० डबल्यू० तापीय विद्युत केन्द्र; और

(तीन) राज्य में विद्युत की कमी दूर करने के लिए छः अन्य प्रस्ताव; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है और इन प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक दिये जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार/महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने निम्नलिखित स्कीमों के अतिरिक्त, चन्द्रपुरा में कुल 2340 मेगावाट की कुल क्षमता का एक वृहत ताप विद्युत केन्द्र तथा दाभोल में 5 × 210 की चरम क्षमता का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं :—

1. खापरखेड़ा	3 × 210 मेगावाट
2. उजानी चरण-1	2 × 500 मेगावाट
3. भुजावल ख	4 × 500 मेगावाट
4. उत्तरा में गैस टर्बाईन चरण-2	4 × 60 मेगावाट
5. पश्चिम महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्र	2 × 210/1 × 500 मेगावाट

जहां तक चन्द्रपुरा, दाभोल और खापरखेड़ा में विद्युत केन्द्र स्थापित करने की स्कीमों का संबंध है, आवश्यक निवेश तथा कोयला लिंकेज, जल की उपलब्धता, पर्यावरण की दृष्टि से

स्वीकृति, रेल द्वारा ढुलाई आदि का संबंध-निर्धारण, परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने से पूर्व, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को करना होगा ।

तथापि ऊपर 2, 3, 4 और 5 में बताई गई स्कीमें छोड़ दी गई हैं क्योंकि कोयला लिंकेज/गैस के लिए वचनबद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है ।

कुल 2400 मेगावाट की कुछ परियोजनाएं राज्य में निर्माणधीन हैं । महाराष्ट्र में और पश्चिमी क्षेत्र में निर्माणाधीन तथा स्वीकृति की गई परियोजनाओं, दोनों से ही प्राप्त होने वाले लाभों को मद्देनजर रखते हुए, कुल मिलाकर इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संतोषजनक हो जाने की आशा है ।

कच्चे तेल का आयात

3538. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कच्चे तेल का निर्यात करने वाले विभिन्न देशों से 1982 के दौरान कच्चे तेल का आयात करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और उसके लिये 1982 में, 1980 और 1981 में खर्च की गई कुल विदेशी मुद्रा की तुलना में, कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रति वर्ष हमारे कच्चे तेल के आयात पर व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए, तट पर और तट दूर दोनों प्रकार के स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982 के दौरान विद्यमान मूल्यों तथा विनिमय दर पर लगभग 3200 करोड़ रुपये मूल्य का 14.4 मि० मी० टन अशोधित तेल आयात करने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1980 तथा 1981 के दौरान आयात किये गये अशोधित तेल की मात्रा तथा साथ ही उसका मूल्य नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	मात्रा (मि० मी० टन)	मूल्य (रुपये/करोड़)
1980	15.98	3037.70
1981	15.55	3759.44

(ग) पिछले कुछ वर्षों में अस्थाई अन्तराष्ट्रीय अशोधित तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण मुख्य रूप से अशोधित तेल के आयात में वृद्धि हुई है ।

(घ) स्वदेशी अशोधित तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गये हैं जैसे कि अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाना, स्वदेशी अशोधित तेल उत्पादन कार्यक्रम को तेज करना, विद्यमान रुग्ण कूपों की मरम्मत, कई वृद्धिशील प्रति प्राप्ति तकनीकों का कार्यन्वयन ।

मै० बोड्रीगर नोल लिमिटेड तथा मै० पार्क डेविस को क्लोरऐम्फेनिकाल के निर्माण के लिये हरास को अनुमति दिया जाना

3539. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० बोड्रीगर नोल लिमिटेड तथा मै० पार्क डेविस को क्लोरऐम्फेनिकाल तथा इसके ईस्टरों के निर्माण के लिये जिस अवधि के लिये हरास की अनुमति की गई थी वह समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो डी० पी० सी० ओ० के अधीन सरकार का विचार कब तक हरास की अनुमति देने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य हरास दिया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक परिसम्पत्ति का पूर्णतया मूल्य हरास नहीं हो जाता । स्वदेशी निर्माण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्लोरमफेनीकल और इसके ईस्टरों के नियत मूल्य में अनुमेय मूल्य हरास शामिल है ।

ईंधन और रसायन उत्पादन के लिये कोयले पर आधारित संयंत्र

3540. **क्या श्री सुबोध सेन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एक्सपर्टस तथा जानकारी रखने वाली प्रसिद्ध विदेशी फर्मों द्वारा हाल में कलकत्ता में आयोजित गोष्ठी की ओर दिलाया गया है जिसमें ईंधन और रसायन उत्पादन के लिए कोयले पर आधारित संयंत्रों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया और इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने ऐसी परियोजना के लिए रानीगंज के कोयले की गुणवत्ता के हित में विचार प्रकट किये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां । कोयले पर आधारित रासायनिक उद्योगों की आवश्यकता के सम्बन्ध में जो अखिल भारतीय सेमिनार :-6 दिसम्बर, 198. को कलकत्ता में हुआ था उसने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए ठोस धुंआरहित घरेलू ईंधन और गैस के उत्पादन के लिए दनकुनी परियोजना के अनुरूप ही अनेक कम ताप कार्बनीकरण संयंत्रों की स्थापना ।

(2) भारत में किए गए अनुभव के विशेष संदर्भ में गैसीकरण पद्धतियों का तथा भारतीय कोयले की किस्म का एक सर्वेक्षण करना ताकि मेथानोल, संश्लिष्ट कच्चा तेल/उर्वरक आदि बनाने के लिए संश्लिष्ट गैस बनाई जा सके।

(3) ऐसे अकोककर कोयले के विशाल भंडारों का समुचित उपयोग जिनमें अधिक वाष्पशील अंश है और जो कम ताप कार्बनीकरण/गैसीकरण के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं—यह भंडार रानीगंज-आसनसोल इलाके में उपलब्ध हैं।

(ख) दनकुनी कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र का काम देखकर तथा ऐसी परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक लाभ भी देखकर ही और अधिक कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। इस समय कानपुर में एक कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। दि फर्टीलाइजर (प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेंट) इंडिया लि० कोयले से मैथानोल बनाने के संयंत्र के सम्बन्ध में उस प्रस्ताव को लेकर एक साध्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो पश्चिम बंगाल सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्र के कोयले को आधार बनाकर रखा है। इंडियन आयल कारपोरेशन ने भी इसी प्रकार की एक साध्यता रिपोर्ट बनाने का काम फर्टिलाइजर (प्लानिंग ऐण्ड डवलपमेंट) इंडिया लि० को सौंपा है किन्तु इस प्रस्तावित परियोजना को कोयला कहाँ से दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में निर्णय अभी बाकी है।

उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में विशेषज्ञों की जिन सिफारिशों का उल्लेख किया गया है उन पर कोई अगली कार्रवाई, प्रारम्भिक संयंत्रों में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर तथा उनकी व्यापारिक साध्यताओं के सम्बन्ध में प्राप्त सिफारिशों के आधार पर ही की जाएगी।

अमरीकी कम्पनी के साथ तेल सम्बन्धी करार

3341. श्री रामप्यारे पनिका : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीकी कम्पनी के साथ किसी तेल सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस करार पर कब हस्ताक्षर किये गये थे और इस करार के करने का मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस करार के अधीन भारत को कितना तेल प्राप्त होने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) ट्रानसवर्ल्ड आयल कम्पनी बारमूडा के साथ जनवरी 1982 में निश्चित किये गये प्रबन्ध के अनुसार 1982 के दौरान एक मि० मी० टन बम्बई हाई कच्चे तेल का अरब हल्के और अरब भारी कच्चे तेलों के शिक्षण को 65:35 के अनुपात में समान विनिमय किया जायेगा। इससे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप में कच्चे तेलों का परिशोधन किया जा सकेगा।

राजस्थान में अविलम्ब ट्रंक टेलीफोन सेवा

3542. **श्री दौलत राम सारण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली और जयपुर तथा देश के अन्य स्थानों से अविलम्ब ट्रंक टेलीफोन सेवा और सीधी डायलिंग प्रणाली से जोड़ा गया है; और

(ख) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें भविष्य में इन सेवाओं से जोड़ा जाएगा और उन्हें किस लाइन से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) एवं (ख) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

(i) राजस्थान में मौजूदा अविलम्ब मार्ग

क्रम सं०	मार्ग का नाम	टिप्पणी
1.	जयपुर-नई दिल्ली	एकतरफा
2.	भरतपुर-नई दिल्ली	एकतरफा
3.	जोधपुर-नई दिल्ली	एकतरफा
4.	अजमेर-जयपुर	दुतरफा
5.	बीकानेर-जयपुर	दुतरफा
6.	भरतपुर-जयपुर	दुतरफा
7.	श्री गंगानगर-जयपुर	दुतरफा
8.	कोड़ाल-जयपुर	दुतरफा
9.	सवाईमाधोपुर-जयपुर	दुतरफा
10.	डूंगरपुर-जयपुर	दुतरफा
11.	सीकर-जयपुर	दुतरफा
12.	झुनझुनू-जयपुर	दुतरफा
13.	उदयपुर-जयपुर	दुतरफा
14.	टोंक-जयपुर	दुतरफा
15.	बून्दी-जयपुर	दुतरफा
16.	जोधपुर-जयपुर	दुतरफा
17.	बाड़मेर-जयपुर	एकतरफा
18.	अलवर-जयपुर	एकतरफा
19.	जैसलमेर-जयपुर	एकतरफा
20.	नागौर-जयपुर	एकतरफा
21.	बांसवाड़ा-जयपुर	एकतरफा
22.	अजमेर-उदयपुर	एकतरफा
23.	जयपुर-आगरा	एकतरफा
24.	जयपुर-बम्बई	दुतरफा
25.	जयपुर-कलकत्ता	एकतरफा

(2) मौजूदा सीधी डायलिंग	राजस्थान में (एस०टी०डी) मार्ग
1. जयपुर-नई दिल्ली टीएएक्स-टीएएक्स	दुतरफा
2. अल्वर-नइ दिल्ली	दुतरफा
3. जोधपुर-नई दिल्ली	दुतरफा
4. अल्वर-जयपुर	दुतरफा
5. कोटा-जयपुर	दुतरफा
6. उदयपुर-जयपुर	दुतरफा
7. भरतपुर-आगरा	दुतरफा
8. धौलपुर-आगरा	दुतरफा
9. कोटा-उदयपुर	
10. जयपुर-बम्बई टीएएक्स-टीएएक्स	

(3) राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित अविलम्ब ट्रंक मार्ग तथा वे लाइनें जिन पर ये प्रदान किए जाएंगे ।

क्रम सं० मार्ग का नाम	लाइन जिस पर प्रदान की जानी है
1. भीलवाड़ा-जयपुर	खुली तार के साथ सहधुरीय केबल
2. चुरू-जयपुर	खुली तार सहधुरीय केबल
3. जालौन-जयपुर	खुली तार सहधुरीय केबल
4. सिराही-जयपुर	खुली तार सहधुरीय केबल
5. पित्तौरे-जयपुर	खुली तार सहधुरीय केबल
6. पाली-जयपुर	खुली तार सूक्ष्मतरंग केबल
7. झालवाड़ा-जयपुर	खुली तार सूक्ष्मतरंग केबल

(4) राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने वालो प्रस्तावित सीधे डायलिंग मार्ग ।

1. कोइल-दिल्ली	सूक्ष्मतरंग
2. उदयपुर-दिल्ली	सूक्ष्मतरंग कोऐसियल

(5) छठी योजनावधि के दौरान सहधुरीय/सूक्ष्मतरंग माध्यम के जरिये जयपुर एवं दिल्ली से सीधे डायलिंग प्रणाली के प्रावधान का योजना

1. अजमेर
2. बेरबर
3. भरतपुर
4. भीलवाड़ा
5. बीकानेर
6. जोधपुर
7. पाली मारवाड़
8. बासूवाड़ा

साराभाई केमिकल्स द्वारा विटामिन सी की कीमत में वृद्धि करना

3542. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साराभाई कैमिकल्स ने विटामिन सी की नियम कीमत 126 रु० के स्थान पर उसकी कीमत बढ़ाकर 154 रु० कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) औषध मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत 25 फरवरी, 1981 को मैं० अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज लि० के एक प्रभाग मैं० साराभाई एम० कैमिकल्स द्वारा निर्मित विटामिन सी (सादा) का प्रतिधारण मूल्य 27.54 रु० प्रति किलोग्राम नियत किया गया था। अक्टूबर, 1981 में सरकार के ध्यान में यह आया कि कम्पनी ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए विटामिन सी का मूल्य बढ़ा दिया है। इसलिए कम्पनी को यह स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न इस उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार की कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पहले सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा है।

पत्रकारों, समाचार पत्र कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की सुरक्षा

3544. **श्री चित्त महाटा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को पत्रकारों, समाचारपत्रों के अन्य कर्मचारियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। कुछेक घटनाओं पर विभिन्न उत्तरदायी क्षेत्रों में व्यक्त की गई चिन्ता से सभी मुख्य मन्त्रियों और सभी संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुखों को सूचित कर दिया गया था। अब तक प्राप्त उत्तर आशाजनक हैं।

दूरसंचार परियोजनाओं की स्थापना

3545. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है कि इलैक्ट्रानिक किस्म के बड़े स्थानीय एक्सचेंज के उपस्कर बनाने के लिए दो कारखाने स्थापित किए जाएं। प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता पांच लाख लाइनें होगी तथा प्रत्येक कारखाने पर 60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इस प्रकार के पहले कारखाने के लिए जगह के चुनाव पर अभी विचार हो रहा है।

इसके अलावा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना काल में विस्तार और आधुनिकीकरण के नीचे लिखे कार्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव है :

(एक) रायबरेली में, भारतीय क्रासबार परियोजना (आई० सी० पी०) डिजाइन से क्रासबार स्विचिंग उपस्कर की 2 लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करना;

(दो) पालघाट कारखाना, जहां छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की 10 हजार लाइनें प्रतिवर्ष बनती हैं, की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर इलेक्ट्रानिक ट्रक स्वचल एक्सचेन्जों, ग्रामीण और निजी स्वचल शाखा एक्सचेन्जों की 1.5 लाख (समतुल्य) लाइनों का प्रतिवर्ष उत्पादन;

(तीन) नैनी और बगलौर स्थिति दो कारखानों में समसामायिक डिजाइन के 10 लाख टेलीफोन उपकरण तथा इसके 15 लाख प्रमुख उप घटक बनाने की क्षमता स्थापित करना;

(चार) बंगलौर और नैनी के पारेषण प्रभागों में चैनलिंग/मल्टीप्लेक्सिंग उपस्कर की नई शृंखला तैयार करने की क्षमता स्थापित करना;

(पांच) उपग्रह भू-केन्द्रों के प्रयोग के लिए, प्रति वाहक एक सरणी भू-संचार के उपस्कर, अल्प कोलाहल ध्वनिवर्द्धक यंत्र, डिजिटल उप प्रणाली आदि कई दूरसंचार उपस्कर तैयार करने की क्षमता स्थापित करना।

यह भी निर्णय लिया गया है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड मद्रास द्वारा हासुर तमिलनाडु में 8000 इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर की वार्षिक उत्पादन क्षमता स्थापित की जाए जिसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए होगी।

इसके अलावा विभाग के कलकत्ता दूरसंचार कारखाने के अधीन खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में लाइन लगाने के काम से सम्बन्धित जरूरी सामग्री के उत्पादन हित एक नया एकक स्थापित करने का प्रस्ताव भी है।

बिहार में कुकिंग गैस की सुविधा

3546. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने नगरों में अब तक कुकिंग गैस उपलब्ध की गई है; और

(ख) चालू वर्ष में कितने नगरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेइस।

(ख) 1981-82 की योजना के अन्तर्गत 15 नये शहरों को यह सुविधा दिये जाने की आशा है।

तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता

3547. **श्री जेनुल बशर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) इनमें प्रत्येक की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है; और

(ग) कमी यदि कोई है, तो क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान शोधनशाला शालावार क्षमता और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :

शोधनशाला/स्थल	स्थापित क्षमता	मिलियन मी० टन
आई० ओ० सी० दिग्बोई	0.50	0.50
आई० ओ० सी०, गोहाटी	0.85	0.64
आई० ओ० सी०, बरौनी	3.30	0.50
आई० ओ० सी०, हल्दिया	2.50	2.31
आई० ओ० सी०, कोयाली	7.30	6.97
बी० पी० सी० एल०, बम्बई	5.25	4.87
एच० पी० सी० एल०, बम्बई	3.50	3.11
एच० पी० सी० एल०, विशाखापत्तनम	1.50	1.32
सी० आर० एल०, कोचीन	3.30	2.92
एल० आर० एल०, मद्रास	2.80	2.61
बी० आर० पी० एल०, बोंगाईगांव	1.00	0.05
योग	31.80	25.80

(ग) असम आन्दोलन के कारण बरौनी तथा गोहाटी शोधनशालाओं को अशोधित तेल की सप्लाई में कमी-बेशी बनी रही। इसके अतिरिक्त बोंगाई गांव शोधनशाला में डिलेड कोकर यूनिट आरम्भ करने में भी विलम्ब हुआ जिसके कारण कमी आई।

दुर्गापुर के निकट कोयला आधारित गैस और मैथानोल परियोजना, दुर्गापुर

3548. **श्री चित्त बसु :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर के निकट एक कोयला आधारित गैस और मैथानोल परियोजना हेतु आशयपत्र के लिए पश्चिम बंगाल के आवेदन को केन्द्र ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच नहीं है कि आशयपत्र हेतु जुलाई, 1981 में किये गये आवेदन को तीन विशेष आधारों पर रद्द कर दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उसके बाद आपत्तियों को पूरा किया और एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजी; और

(घ) यदि हां, तो संशोधित परियोजना रिपोर्ट को स्वीकार न करने और आशयपत्र प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) मैसर्स वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता से मैथानोल और 135×10^6 एन० एम० ^{3} प्रतिवर्ष की क्षमता से पाइपलाइन गैस के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन किया था। सरकार द्वारा उनके आवेदन पत्र पर विचार किया गया और उसे प्रारम्भ में ही निम्नलिखित आधार पर रद्द कर दिया गया :

(1) प्रस्ताव कोल गैसीफिकेशन पर आधारित है और उसमें काफी बड़ा निवेश निहित है।

(2) मैथानोल की क्षमता में अन्तर को पहले ही पूरा कर दिया गया है और मैथानोल के लिए सप्लाई स्थिति गंभीर नहीं है।

(3) परियोजना के लिए अपेक्षित कोयले की समान सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है।

(ग) और (घ) मैसर्स वेस्ट बंगाल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रारम्भ में ही उनके आवेदन पत्र के रद्द किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

उद्योग मन्त्री, पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री को लिखे अपने पत्र में सरकार से उक्त परियोजना के लिए एक आशय पत्र जारी करने और बाद में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साम्य पूंजी में अंशधारी बनने का अनुरोध किया है। परियोजना में ईंधन योगज के रूप में प्रयोग करने के लिए मैथानोल के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ईंधन योगज के रूप में मैथानोल के प्रयोग के

प्रभावों और कोयला तथा सम्बद्ध गैस जैसे विभिन्न फीडस्टकों से मैथानोल के निर्माण की सापेक्ष तकनीकी आर्थिक योग्यता की व्यापक जांच करने की आवश्यकता है। इस जांच के बाद ही सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेगी।

बिहार में "कैपरोलेटक्म" परियोजना

3549. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने बिहार में 125 करोड़ रुपये की कैपरोलेक्टम परियोजना का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी फर्म वी० ए० एस० सफ० ने बरौनी में प्रस्तावित कैपरोलेक्टम परियोजना में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) बिहार में कैपरोलेक्टम के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

आवश्यक औषधियों के उत्पादन में सोवियत रूस द्वारा भागीदारी

3550. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस भारत में आवश्यक औषधियों के निर्माण के लिए भागीदारी का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले से ही गत कुछ वर्षों से अधिक से चल रही योजनाओं से प्राप्त परिणामों का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सोवियत रूस के अलावा अन्य किसी देश ने हमें इसी प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो उनके क्या नाम है तथा वे क्षेत्र कौन से हैं जहां इस प्रकार की भागीदारी हेतु प्रस्ताव किया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत और यू० एस० एस० आर० की सरकारें आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर 10 दिसम्बर, 1980 के करार में अन्य बातों के साथ-साथ दवाइयों के उत्पादन के लिए एक फाइटों रसायन संयंत्र (दूसरा भेषज संयंत्र भी) के निर्माण में सहयोग के लिए सहमत हैं।

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० ने एंटिबायोटिक्स और सिंथेटिक औषधों तथा शल्य उपकरणों के निर्माण के लिए दि० 29 मई, 1959 को भारत और यू० एस० एस० आर० की सरकारों के बीच हुये करार के अनुसार यू० एस० एस० आर० की सरकार की तकनीकी

और वित्तीय सहायता से संयंत्र स्थापित किये है। ये संयंत्र अपने प्रारम्भण के समय से बहुत सी एंटिबायोटिक्स, सिंथेटिक औषधों और शल्य उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लंबित आवेदन

3551. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी टेलीफोन लाइनें हैं;

(ख) मार्च, 1981 तक कितने आवेदन लंबित थे;

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश में संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए विशिष्ट योजना बना रही है;

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ङ) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1-2-1982 को 75,094।

(ख) 31-3-1981 को 8,294।

(ग) से (ङ) जी हां। छठी योजना की शेष अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में एक्सचेंजों की क्षमता का 22,600 लाइनों द्वारा विस्तार करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश में इस समय लंबित आवेदनों में से अधिकांश को 1984-85 तक निपटा दिया जाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्र तट दूर और समुद्र तट पर छिद्रण कार्य

3552. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने, संसाधनों और उपकरणों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समुद्र तटीय दूर और समुद्र तटीय छिद्रण हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की अवधारणा को स्वीकार किया है;

(ख) क्या कार्यनिष्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड प्राप्त करने के लिये छिद्रण व्यवस्था को भी आधुनिक किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) व्यधन कार्य-निष्पादन अधिकांश रूप से क्षेत्र में विद्यमान भूवैज्ञानिक स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी की दृष्टिकोण से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कार्य निष्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के साथ चलने हेतु आधुनिकीकरण की व्यवस्था कर रहा है।

(ग) प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं।

(1) व्यधन संचालनों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध परिष्कृत उपकरणों का प्रापण।

(2) अधिक आधुनिक और शक्ति प्राप्त रिगों द्वारा पुरानी रिगों का प्रतिस्थापन।

(3) देश और विदेश में व्यधन कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(4) व्यधन संचालनों की तकनीकियों और उसकी प्रौद्योगिकी में सुधार लाना।

(5) उच्चतम कुशलता प्राप्त करने के लिये अच्छी कार्य करने की परिस्थितियां।

(6) व्यधन कार्य में ड्रिलर्स के प्रशिक्षण में सहायता देने हेतु विदेशी व्यधन विशेषज्ञों को नियुक्त करना।

दिल्ली में सिनेमा-टिकटों की दरों में कटौती

3553. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरों में कटौती करने का कोई प्रस्ताव कुछ समय पूर्व दिल्ली प्रशासन का था;

(ख) क्या सिनेमा मालिकों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था; और

(ग) उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरों और सीटों को 1-3-81 से उस स्केल/ढांचे पर निश्चित करने का प्रस्ताव किया गया था जो 1-9-75 को लागू थे और उन पर सुझाव/आपत्तियां मांगी गई थीं। सिनेमा प्रदर्शक एसोसिएशन ने उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी जिसने दिल्ली प्रशासन की प्रस्तावित कार्रवाई को रोक दिया। उच्च न्यायालय ने यह आदेश भी दिया कि जबकि तथ्य अन्वेषण जांच जारी रखी जा सकती है, दरों और सीटों को निश्चित करने के बारे में उनसे निर्देश लिए बिना कोई आदेश पास नहीं किया जाना है। दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष लीव पेटीशन दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस पेटीशन को 22-2-82 को खारिज कर दिया है।

कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

3554. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लि० कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने और नई वाशरियां स्थापित करने के कार्यक्रम का प्रारूप बना रही है;

(ख) इन उत्पादों पर कितना कुल निवेश किया गया है;

(ग) उससे क्या लाभ होंगे;

(घ) क्या ये परियोजनायें स्वदेशी तकनीकी जानकारी, संयंत्र और मशीनरी से क्रियान्वित की जायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) झरिया पुनर्गठन मास्टर प्लान के कार्यान्वयन पर कुल निवेश लगभग 5,300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कोककर और अकोककर कोयले का उत्पादन सन् 2000 ईस्वी तक बढ़कर 72 मिलियन टन हो जाने की आशा है। इससे इस्पात कारखानों की कोककर कोयले की मांग पूरी करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। कोयला सीमों में इस समय लगी हुई आग के सम्बन्ध में भी कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) कार्यान्वयन मुख्य रूप से देश में ही उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से किया जाएगा। संयंत्र और मशीनरी भी जितनी देश में उपलब्ध होगी वही इस्तेमाल की जाएगी। जहां कहीं आवश्यक होगा वहां विदेशी तकनीकी सहायता ली जाएगी। जो संयंत्र और मशीनरी देश में उपलब्ध नहीं होगी उसका आयात किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति

3555. **श्री सोमजी भाई दामोर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अभ्यार्थियों को उनके निवास क्षेत्र के सर्किल से इधर सर्किलों में नियुक्त किया गया है जबकि उनके निवास क्षेत्र के सर्किल में स्पष्ट रिक्त पद विद्यमान थे;

(ख) क्या देश में प्रत्येक सर्किल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को पदोन्नति हेतु निर्धारित रोस्टर प्रणाली को सभी स्तरों पर कायम रखा जाता है अथवा नहीं; और

(ग) क्या 45 दिन से अधिक समय तक पद रिक्त रहने के मामले में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के संवर्ग में पदोन्नति दी जा रही है अथवा नहीं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) चूंकि ग्रुप "ए" संवर्ग अखिल भारतीय संवर्ग हैं जिनका स्थानान्तरण भारत भर में कहीं भी किया जा सकता है अत: श्रेणी I (ग्रुप ए) से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए निवास क्षेत्र सर्कल की कोई संकल्पना नहीं है।

(ख) श्रेणी (ग्रुप ए) में पदोन्नति अखिल भारतीय आधार पर की जाती है तथा रोस्टर केन्द्रीय तौर पर मुख्यालयों में रखे जाते हैं। इनको प्रत्येक सर्कल में रखने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) यदि 45 दिन से अधिक की रिक्तियों में नियुक्ति करने क लिए अनुमोदन अधिकारी उपलब्ध होते हैं तो चयन सूची में उनकी स्थिति के अनुसार उनकी नियुक्ति की जाएगी। चूंकि अनुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के आरक्षण के सम्बन्ध में आदेशों का पालन चयन सूची तैयार करते समय किया जाता है। अतः इस प्रकार की रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विशिष्ट तौर पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु यदि अनुमोदित अधिकारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो सर्कल अधिकारियों को प्राधिकार है, जिस मामले में आरक्षण के सामान्य आदेश लागू नहीं होते हैं कि वे तदर्थ आधार पर स्थानापन्न व्यवस्था के आदेश दे सकते हैं। परन्तु तदर्थ पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के दावों पर इस विषय पर सामान्य अनुदेशों के अनुसार यथोचित विचार किया जाता है।

मेहसाना शहर (गुजरात) में टेलीफोनों का खराब रहना

3556. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के जिला मुख्यालय मेहसाना शहर में रोजाना कम से कम 50 टेलीफोन खराब रहते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ टेलीफोन थोड़े समय के लिए खराब हो जाते हैं और लगभग आधे घन्टे बाद चालू हो जाते हैं और पुनः कुछ समय के लिए खराब हो जाते हैं और कुछ समय बाद फिर चालू हो जाते हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक्सचेंज की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है और क्या लाइनें ठीक से नहीं बिछाई गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या इस प्रणाली में परिवर्तन करने अथवा क्षमता बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हां, तो किस समय तक यह प्रभावी होगा ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक्सचेंज की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है। लाइनें भी भलीभांति बिछाई गई हैं।

(घ) निकट भविष्य में एक्सचेन्ज की क्षमता में 2000 से 2200 लाइनों तक का विस्तार करने का प्रस्ताव है। 3000 लाइनों की क्षमता का कन्टेन्राज्ड इलैक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। उपस्कर वर्ष 1983-84 हेतु आबटित किया गया है।

गया जिले में वजीरगंज और फतेहपुर के बीच कोयला खानों का पता लगना

3557. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गया जिले में वजीरगंज और फतेहपुर के बीच एक कोयला खान का पता लगाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो खान से कोयला निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में बिजली की मांग

3558. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाड् सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नेयलवली संयंत्र से प्राप्त समस्त बिजली के उपयोग करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु को कम बिजली मिलती है और उसे बिजली की आवश्यकता बनी रहती है और पड़ोसी राज्यों से उसे बिजली क्रय करनी पड़ती है जबकि फालतू बिजली वाले राज्यों को अधिक बिजली मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विद्युत के विकास में राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों सहित नेवेली द्वारा विद्युत केन्द्र, क्षेत्रीय आधार पर बहत पिट हैड ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हाथ में लिया गया है । नेवेली दूसरे विद्युत केन्द्र समेत इन केन्द्रों से उत्पन्न की जाने वाली विद्युत, एक समान फार्मूले के आधार पर क्षेत्र के राज्यों को आवंटित की गई है । यह फार्मूला राज्यों के परामर्श से तैयार किया गया है । केन्द्रीय उत्पादन से आबंटन किये जाने का फार्मूला किसी भी एक राज्य में कमी पर आधारित नहीं है, विशेषकर इसलिए कि अपने-अपने राज्यों की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को अपनी विद्युत योजनाओं के जरिए पूरा करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है ।

मेघदूत पन बिजली परियोजना और तमिलनाडु का हित

3559. **श्री सी० पलानी अप्पन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार की मेघदूत पन बिजली परियोजना को भारत सरकार की सहमति प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु के हितों की रक्षा किस प्रकार की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। मेघदूत परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसचार विभाग, सहारनपुर के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बारी-बारी होने वाले तबादलों को रद्द किया जाना

3560. **श्री रशीद मसूद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दूर संचार विभाग, सहारनपुर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारी-बारी से होने वाले तबादलों को हाल ही में रद्द कर दिया गया था और कि इस प्रकार के तबादले प्राय: स्थगित रखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यह बताएं कि गत दो वर्षों के दौरान बारी-बारी से किए जाने वाले इस तरह के स्थानान्तरणों को कितनी बार रद्द किया/स्थगित रखा गया और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत ये स्थानान्तरण रद्द किए गए/स्थगित रखे गए ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्यप्रदेश की तापीय विद्युत परियोजनाओं की इस्पात आवश्यकता

3561. **श्री गुफरान आजम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की विभिन्न तापीय विद्युत परियोजनाओं की इस्पात की आवश्यकता कितनी है और क्या गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा इस तरह की कोई आवश्यकता भेजी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता थी और कितना आवंटन किया गया था और यदि अपेक्षित मात्रा आबटित नहीं की गई तो इसके क्या कारण थे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को बताए अनुसार, मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की स्टील की आवश्यकता तथा आवटन सबन्धी ब्यौरे निम्नानुसार थे :

क्र० सं०	वर्ष	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा बताई गई आवश्यकता (मीटरी टनों में)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आबंटन (मीटरी टनों में)
1.	1979-80	87,845	42-06
2.	1980-81	1,44,425	48127
3.	1981-82	84,400	29162

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वदेशी उत्पादन से किया गया स्टील का आबंटन, आवश्यकता से कम था। राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया था कि रिइनफोर्समेंट स्टील और लाइटर स्टील खण्डों संबंधी अपनी बाकी की आवश्यकताओं को मिनी स्टील संयंत्रों और री-रोलर्स से स्वदेशी तौर पर प्राप्ति के द्वारा पूरा करें तथा विशेष स्टील सम्बन्धी आवश्यकताओं को, खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत, आयात करके पूरा करें।

दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने में युवा वैज्ञानिकों को प्राथमिकता

3562. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या युवा वैज्ञानिकों को कृषि, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा, इलेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने हेतु, दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करते समय उचित महत्व दिए जाने का विचार है जिससे विज्ञान के क्षेत्र में युवकों की रुचि पैदा की जा सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : जी, हां। दूरदर्शन की नीति दूरदर्शन के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनमें भाग लेने हेतु युवा प्रतिभाओं को विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने की है।

एकमात्र विक्रय एजेंसियों की नियुक्ति

3563. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 कक के अन्तर्गत एकमात्र विक्रय एजेंसियां नियुक्त की हैं; और

(ख) एकमात्र विक्रय एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और उनकी कार्यावधि कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) उन कम्पनियों, जिन्हें 1981 के वर्ष के मध्य, कम्पनी-अधिनियम, 1950 की धारा 2^4 कक के अन्तर्गत एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किये गये हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इस विवरण में एक-मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं के नामों तथा उनकी नियुक्ति की अवधि का भी वर्णन है।

विवरण

1981 के वर्ष (अर्थात 1-1-1981 से 31-12-1981) के मध्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुमोदन

क्रम सं०	कम्पनियों के नाम	एकमात्र विक्रेता अभिकर्त्ताओं के नाम	नियुक्ति की अवधि
1	2	3	4
1.	मै० श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड	मै० जे० जी० एजेंसीज प्रा० लि० आस्ट्रेलिया	23-1-81 से 22-1-84 तक

1	2	3	4
2.	मै० जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०	मै० अमरीकन शीअर नाइफ कम्पनी, यू० एस० ए०	19-9-80 से 18-9-85 तक
3.	मै०श्रीवल्लभ ग्लास वर्क्स लि०	मै० रमेश एण्ड कम्पनी, अजमेर	1-4-80 से 31-3-83 तक
4.	मै० गेडोर ट्ल्स (इंडिया) प्रा० लि०	मै० झालानी ब्रादर्श, नई दिल्ली	1-10-80 से 31-12-81 तक
5.	मै० एशियन स्टील इन्डस्ट्रीज लि०	(1) मै०एशियन मार्केटिंग एजेन्सीज, सिकन्दराबाद (2) मै० एशियन सेल्ज कारपोरेशन, सिकन्दराबाद	1-8-80 से 31-7-85 तक यथोपरि
6.	मै० नैशनल इन्सूलेटिड केबल कम्पनी आफ इंडिया लि०,	मै० एम्बेरूमैन एण्ड कम्पनी, बंगलौर	1-4-78 से 31-3-83 तक
7.	मै० रूबी आयरन एण्ड स्टील वर्क्स (प्रा०) लि०	मै० आचार्य ब्रादर्श एण्ड कम्पनी, अहमदाबाद	6-10-80 से 5-10-85 तक
8.	मै० के० जे० सिन्थेटिक्स लि०	(1) मै० हिन्दुस्तान फाइबर कारपोरेशन, कानपुर (2) मै० जैन सिन्थेटिक्स एजेन्मीज, दिल्ली	1-7-80 से 30-6-81 तक यथोपरि
9.	मै० बजाज आटो लि०	मै० बजाज आस्ट्रेलिया प्रा० लि०, आस्ट्रेलिया	1-7-80 से 31-12-81 तक
10.	मै० डालमिया सीमेंट (भारत) लि०	मै० क्रोस क्रोस कम्पनी लि०, न्यूयार्क	1-1-80 से 31-12-84 तक
11.	मै० इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	(1) मै० डरबी एण्ड कम्पनी लि०, लन्दन (2) मै० ए० टी० प्रोडक्टस कारपोरेशन, न्यूयार्क (3) मै० इशीहारा सांगयी काइशा लिमिटेड, जापान	1-4-80 से 31-3-83 तक 1-1-80 से 31-12-82 तक 16-4-80 से 15-4-83 तक
12.	मै० बिन्नी लिमिटेड,	(1) मै० बिन्नी एण्ड कम्पनी (लन्दन) लि०, लन्दन	1-2-81 से 31-1-84 तक

1	2	3	4
		(2) मैं० बालेस एण्ड कोनले लि० आकलैंड	1-2-81 31-1-84 तक
		(3) मैं० जी० बी० हरी एण्ड कम्पनी लि०, सुवा, फीजी	यथोपरि
13. मैं० गेडोर टूल्स (इंडिया)		(1) मैं० बेहन मेयेर एण्ड प्रा० लि०, सिंगापुर	1-1-81 से 31-12-81 तक
		(2) मैं० प्रीतम सिंह, इन्डोनेशिया	यथोपरि
		(3) मैं० एफ० ई० जियुल्लिग (ई) इंक, फिलिपाइन्स	यथोपरि
		(4) मैं० शाइन डेइली ट्रेडिंग कम्पनी लि०, ताईवान	यथोपरि
		(5) मैं० पारसेटेल्को लि० ईरान	यथोपरि
		(6) मैं० यूसिफ ट्रेडिंग, ब्यूरो, इराक	यथोपरि
		(7) मैं० बी० बम्बा, इजिप्ट	यथोपरि
		(8) मैं० गुलाम मसऊद, सऊदी अरब	यथोपरि
		(9) मैं० सी० कैनेटी एण्ड कम्पनी एथेन्स, ग्रीस	यथोपरि
		(10) मैं० डकोडिया कामर्शियल एजेंसीज कम्पनी, थरसालोन्की, ग्रीस	1-1-81 से 31-12-81 तक
		(11) मैं० जोर्डन इन्डस्ट्रीयल इक्विपमैंट कम्पनी लि०, अमन, जोर्डन	यथोपरि
		(12) मैं० सन्स आफ जकी एम० नचेद अलेप्पो, सीरिया	यथोपरि

1	2	3	4
		(13) मैं० एच० आर० बी० न्यूजीलैण्ड	1-1-81 से 31-2-81 तक
		(14) मैं० एप्पीलीयान्सेज सर्विसेज, ट्रिनीडाड, वैस्ट इन्डीज	यथोपरि
		(15) मैं० देजो एजेंसीज कम्पनी लि० बैंकाक, थाइलैंड	यथोपरि
		(16) मैं० यूनियन ट्रेडिंग कम्पनी लि०, स्विटजरलैंड	यथोपरि
		(17) मैं० ओरियन-कारपोरेशन हांगकांग	यथोपरि
14. मैं० मैसूर स्पन कंकरीट पाइप कम्पनी प्रा० लि०,		मैं० महालक्ष्मी सेल्स एण्ड एजेंसीज, बंगलौर	1-7-80 से 30-6-85 तक
15. मैं० जेसोफ एण्ड कम्पनी लि०,		मैं० हिन्दुस्तान एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट कारपोरेशन प्रा० लि०, बम्बई	22-2-80 से 21-2-83 तक
16. मैं० डागर फोर्स्ट टूल्स लि०		मैं० कांगनम कामर्शियल इंक, साउथ कोरिया	8-6-80 से 7-6-82 तक
17. मैं० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि०,		मैं० एशियन कैमीकल्स, कोलम्बो	1-1-80 से 30-6-81 तक
18. मैं० रैमण्ड वूल मिल्स लिमिटेड		(1) मैं० के० के० कारपोरेशन (कर्नाटक) कर्नाटक	1-1-80 से 31-12-81 तक
		(2) मैं० के० के० कारपोरेशन (हैदराबाद) हैदराबाद	यथोपरि
		(3) मैं० के० के० कारपोरेशन (तमिलनाडु) तमिलनाडु	यथोपरि

1	2	3	4
19.	मै० सूरत काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्रा० लि०	मै० एम० जी० एसोसियेटेस, बम्बई	1-4-81 से 31-3-86 तक
20.	मै० ज्योती स्विचगियर्स लि०,	मै० ज्योती लिमिटेड, गुजरात	16-12-80 से 15-12-83 तक
21.	मै० अमरीकन स्प्रिंग एण्ड प्रेसिंग वर्क्स प्रा० लि०,	मै० मास्टर ब्रादर्श, यू० के०	1-1-80 से 31-12-81 तक
22.	मै० परशुराम पाटरी वर्क्स कम्पनी लि०	(1) मै० जसीम मोहम्मद अली अलवाजान, कुवैत	1-8-80 से 31-7-82 तक
		(2) मै० शहीन अली अल जालाहेमा, मानामा, बहरीन	यथोपरि
		(3) मै० इस्टर्न ट्रेडिंग कम्पनी, मसकत	यथोपरि
		(4) मै० बिग थ्री ट्रान्सेक्ट कम्पनी दुबई (यू० ए० ई०)	यथोपरि
23.	मै० टी० टी० इन्वैस्टमैन्ट एण्ड ट्रेड (प्रा०) लि०,	मै० टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी, मद्रास	11-11-80 से 10-11-83 तक
24.	मै० परफेक्ट पाटरी कम्पनी (मध्य भारत) लि०	मै० नैनालाल अम्बालाल एण्ड कम्पनी, जबलपुर	29-0-80 से 31-12-84 तक
25.	मै० रोहतास इन्डस्ट्रीज लि०,	मै० गंगा कारपोरेशन एस्बेस्टोस (प्रा०) लि०, लखनऊ	30-9-80 से 29-9-85 तक
26.	मै० हिन्दुस्तान गैस एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	मै० लालमन कन्हैयालाल, कानपुर	1-4-80 से 31-3-81 तक
27.	मै० बाटलीबोई एण्ड कम्पनी लि०,	मै० पेयाबोडी होल्म्स लि० इंगलेंड	13-5-81 से 12-5-86 तक
28.	मै० घाटेज पाटिल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	मै० इन्टरनेशनल ट्रेडिंग कम्पनी, कैरो	1-7-80 से 30-6-82 तक
29.	मै० घाटेज पाटिल इन्डस्ट्रीज लि०	मै० कनही सन्स एण्ड कम्पनी, मारीशस	1-6-80 से 31-5-81 तक

1	2	3
30. मै० ओडको इंडिया लिमिटेड	मै० सेरक ए० जी० स्विटजरलैंड	1-4-81 से 31-3-84 तक
31. मै० फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	(1) मै० गोरडन वुडरूफ एजेंसीज प्रा० लि० मद्रास	1-12-80 से 30-11-85 तक
	(2) मै० श्री नरसिंग टिम्बर एण्ड इलैक्ट्रिक स्टोर्स, कलकत्ता	यथोपरि
	(3) मै० श्री निवास ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०, कलकत्ता	यथोपरि
	(4) मै० चौबे एण्ड कम्पनी, कानपुर	यथोपरि
	(5) मै० किशोर ट्रेडिंग कम्पनी लि०, जयपुर	यथोपरि
	(6) मै० गुप्ताजी एण्ड कम्पनी, दिल्ली	यथोपरि
	(7) मै० रिदकरन काबरा, कलकत्ता	यथोपरि
	(8) मै० नरेन्द्र कम्पनी कलकत्ता	यथोपरि
32. मै० अपट्रान डिजीटल सिस्टम्स लि०	मै० यू० पी० इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ	23-3-81 से 30-9-85 तक
33. मै० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	मै० स्विफ्ट कन्सीलीडेटेड (एन० जेड०) लि०, न्यूजीलैंड	1-6-80 से 30-6-81 तक
34. मै० सदर्न ट्रान्सफोर्म्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि०	मै० एन० जी० ई० एफ० लि० बंगलौर	19-3-81 से 7-12-83 तक
35. मै० गोर्डन वुडरोफी लि०	मै० गोर्डम वुडरोफी एण्ड कम्पनी लि०, लंडन	9-4-81 से 30-11-81 तक
36. मै० यूनीकैम लेबोरेटरीज लि०	मै० यूनीफार्म, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया	1-4-80 से 31-3-83 तक

1	2	3	4
37.	मैं वुश इन्डिया लि०	मैं० रैंक रेडियो इन्डरनेशनल लि० लंडन	1-1-82 से 31-12-86 तक
38.	मैं० एम० आर० एफ० लि०	मैं० लेवाटस (बंगलादेश) लि०	1-9-80 से 31-8-83 तक
39.	मैं० स्टम्प शैड्यूल एण्ड सोमापा लि०	(1) मैं० ईस्टर्न इन्जीनीयरिंग कम्पनी, बम्बई	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(2) मैं० साउथ इन्डिया इन्जी. कम्पनी, मद्रास	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(3) मैं० श्रीकृष्ण प्रसाद एण्ड कम्पनी कोयम्बटूर	1-1-81 से 31-12-83 तक
40.	मैं० स्टम्प, शैड्यूल एण्ड सीमापा प्रा० लि०	(1) मैं० अम्लेगेमेशन्स लि० मद्रास	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(2) मैं० एसोसियेटेड ट्रेडिंग कम्पनी, कोलम्बो	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(3) मैं० बसन्ता कम्पनी, सिंगापुर	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(4) मैं० लुइगो मोथोली वाय जी० विस्काउन्टी, इटली	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(5) मैं० सोलेक्स टूल कार-पोरेशन मनीला (फिलीपाइन्स))	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(6) मैं० के० एस० ओवरसीज, बम्बई	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(7) मैं० हिसावो इक्यूपमेंट्स कम्पनी लिमिटेड, सफाह, कुवैत	1-1-81 से 31-12-83 तक
		(8) मैं० इन्टरनेशनल इन्जी. एण्ड टेक्सटाइल्स सर्विसेज (प्रा०) लि० सिंगापुर	1-1-81 से 31-12-83 तक
41.	मैं० प्रिन्डवैल नार्डन लि०	मैं० नार्टन इण्टरनेशनल इंक, यू० एस० ए०	1-4-81 से 31-3-83 तक

1	2	3	4
42.	मै० क्लिक हेल्को लि०	मै० क्लिक निक्सन लि०, बम्बई	13-5-81 से 29-2-84 तक
43.	मै० टैक्सटूल कम्पनी लि०	मै० टैक्सिड कारपोरेशन (प्रा०) लि० बम्बई	1-1-80 तक 30-4-84 तक
44.	मै० ज्योती स्विचगियर्स लि०	मै० ज्योती लि० गुजरात	21-8-81 से 20-8-86 तक
45.	मै० मिनोयेचर बल्ब इन्डस्ट्रीज (इन्डिया) प्रा० लि०	मै० दून इन्डस्ट्रीज एन्ड एजेन्सीज (प्रा०) लि० देहरादून	1-7-81 से 30-6-86 तक
46.	मै० त्रिवेणी टिशूज लि०	मै० विगिन्नस टेप ओवरसीज सेल्ज लिमिटेड, यू० के०	1-4-81 से 31-8-84 तक
47.	मै० गेडोर टूल्स (इण्डिया) प्राइवेट लि०	(1) मै० लालानी ब्रदर्श, नई दिल्ली	1-7-81 से 30-6-86 तक
		(2) मै० जालानी एण्ड कम्पनी दिल्ली	1-1-81 से 30-6-86 तक
48.	मै० ई० मरिक (इण्डिया) प्रा० लि०	मै० फार्मेसी न्यूविले लि० मौरिशियस	1-3-80 से 28-2-83 तक
49.	मै० मारिक (इण्डिया) प्रा० लि०	मै० इम्सो, लि० श्रीलंका	14-5-79 से 13-5-82 तक
50.	मै० ई० मरिक (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड	मै० बी० के० ट्रेडर्स लि० बंगलादेश	24-1-82 से 23-1-84 तक
51.	मै० मैटल बोक्स इण्डिया लि०	(1) मै० डब्ल्यू० डी० कोरोलिस लि० कोलम्बो, श्रीलंका	1-8-80 से 31-7-85 तक
		(2) मै० स्वराज फरेरस लि० पोर्ट लूइस, मोरीशस	1-8-80 से 31-7-85 तक
52.	मै० इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	मै० मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता	3-5-80 से 2-5-81 तक
53.	मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि०	मै० टैम्ट्रेड, एस० एस० जेनेवा	1-6-81 से 31-5-82 तक

1	2	3	4
54.	मै० केलट्रोन रेक्टीफायर्स लि०	मै० केरल स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन त्रिवेन्द्रम	1-1-81 से 31-12-85 तक
55.	मै० बकाउ वोल्फ न्यू इण्डिया इन्जी. वर्क्स लि०	मै० प्रोटोस इन्जी. कम्पनी प्रा० लि०, बम्बई	1-1-81 से 31-12-83 तक
56.	मै० ई० मरिक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	मै० ई० मरिक, वेस्ट जर्मनी	1-7-80 से 30-6-85 तक
57.	मै० एल० एण्ड टी० मैक नेल लि०	मै० मैक नेल अक्रोन इन्क० यू० एस० ए०	23-12-80 से 22-12-85 तक
58.	मै० नेशनल इन्डिया रब्बर वर्क्स लिमिटेड	मै० मद्रास एसोसियेटेड इन्डस्ट्रीज, मद्रास	1-4-80 से 31-3-85 तक
59.	मै० नेशनल इन्डिया रब्बर वर्क्स लिमिटेड	मै० विकास सेल्ज ऐजेन्सीज कलकत्ता	1-4-81 से 31-3-86 तक
60.	मै० आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एण्ड इन्जीनियरिंग लि०	मै० वोल्टाज लि०, बम्बई	19-6-80 से 18-6-85 तक
61.	मै० बकाउ वोल्फन्यु इण्डिया इन्जीनियरिंग वर्क्स लि०	म० प्रोटोज इन्जी. कम्पनी प्रा० लिमिटेड, बम्बई	1-1-81 से 31-12-83 तक
62.	मै० राने ब्रेक लाइनिंग लि०	मै० एसोसियेटेड ट्रेडिंग कम्पनी कोलम्बो	1-7-81 से 31-3-82 तक
63.	मै० रीगल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	मै० सदर्न मार्केटिंग एन्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी, मद्रास	1-10-81 से 30-9-86 तक
64.	मै० इन्जिन वाल्वस लि०	मै० स्टेन्डर्ड इन्जन वाल्वस लि० लंडन	1-1-82 से 31-12-86 तक
65.	मै० अहमदाबाद न्यू काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	मै० लालभाई एक्सपोर्टस लि० अहमदाबाद	1-1-82 से 31-12-86 तक
66.	मै० अम्लगेमेशन्स रेल्को, लि०	मै० सिलोन ट्रांजिस्ट कम्पनी (1955) लि०, श्रीलका	1-3-81 से 28-2-83 तक

1	2	3	4
67.	मै० अपट्रान केपेसिटर्स लि०	मै० यू० पी इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	1-10-80 से 30-9-85 तक
68.	मै० केल्ट्रान मेगनेटिक्स लि०	मै० केरल स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन लि० त्रिवेन्द्रम	1-12-80 से 30-11-8- तक
69.	मै० हैकब्रिज हैविटिक एण्ड ईसन लिमिटेड	मै० इसन इन्जी. कम्पनी लि० मद्रास	28-12-8 से 27-12-85 तक
70.	मै० मफतलाल इन्जी. इन्डस्ट्रीज लि०	मै० प्रोटोज इन्जी. कम्पनी (प्राइवेट) लि० बम्बई	1-4-80 से 31-10-81 तक
71.	मै० झालानी उद्योग प्राइवेट लि०	मै० झालानी ब्रदर्श प्राइवेट लि० दिल्ली	2-3-81 से 30-6-85 तक
72.	मै० फेसिट एशिया लि०	मै० फेसिट ए० बी० स्वीडन	17-4-81 से 16-4-83 तक
73.	जे० इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	मै० आटो इक्युपमेंट्स लि० बंगलादेश	1-4-81 से 31-12-83 तक
74.	मै० सुन्दरम इन्डस्ट्रीज लि०	मै० डेल्टा स्टार इन्टरप्राइसेज कायरो (ए० आर० ई०)	1-7-81 से 30-6-83 तक
75.	मै० प्रेसकास्ट इन्जी. (प्रा०) लि०	मै० प्रोडिका एजेन्सीज, बम्बई	5-9-81 से 4-9-86 तक
76.	मै० मैसूर इलेक्ट्रीकल इन्डस्ट्रीज लि०	मै० एन० जी० ई० एफ० लि०, बंगलौर	1-3-8 से 28-2-86 तक
77.	मै० एशियन पेन्ट्स (इन्डिया) लि०	मै० अल-नासर ग्रुप ट्रेडिंग डिवीजन, दुबई	1-1-81 से 31-12-83 तक
78.	मै० इन्डियन प्लास्टिक्स लि०	मै० इस्टर्न एजेन्सीज, नई दिल्ली	1-4-81 से 31-2-84 तक
79.	मै० ग्रेस इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लि०	मै० ग्रेस ऐजेन्सीज प्राइवेट लि०, नई दिल्ली	1-10-81 से 30-9-86 तक
80.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	(1) मै० शाह मित्तल एण्ड कम्पनी, दिल्ली	1-10-80 से 31-12-81 तक

1	2	3	4
		(2) मैं० सीताराम चुन्नीलाल पोद्दार, कानपुर	1-10-80 से 31-12-81 तक
		(3) मैं० एस० आर० गोविन्दराजू चेट्टी एण्ड सन्स, सलेम	1-10-80 से 31-12-81 तक
		(4) मैं० इरानी एण्ड ब्रदर्श गुलेडगुड्	1-10-80 से 31-12-81 तक
		(5) मैं० आर० एस० भगत एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि० कानपुर	1-10-80 से 31-12-81 तक
81.	मैं० लालजी भाई जीवाराम प्रा० लि०	मैं० वरुण सेल्ज प्रा० लि० अहमदाबाद	1-1-81 से 31-3-83 तक

मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में हैड/ब्रांच/सबपोस्ट आफिस खोला जाना

3564. **डा० आर० राथू आमा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों मे अब तक कितने हैड/ब्रांच/सब-पोस्ट आफिस खोले गए हैं;

(ख) इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1982-83 में कितने पोस्ट आफिस खोलने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का मिजोरम में डिवीजनल पोस्ट आफिस और तार घर खोलने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

मिजोरम

मुख्य डाकघर	1
विभागीय उप डाकघर	18
विभागेतर उप डाकघर	6
विभागेतर शाखा डाकघर	228

मेघालय	
मुख्य डाकघर	2
विभागीय उप डाकघर	51
विभागेतर उप डाकघर	3
विभागेतर शाखा डाकघर	372
मणिपुर	
मुख्य डाकघर	1
विभागीय उप डाकघर	38
विभागेतर उप डाकघर	8
विभागेतर शाखा डाकघर	441
नागालैंड	
मुख्य डाकघर	1
विभागीय उप डाकघर	31
विभागेतर शाखा डाकघर	183
त्रिपुरा	
मुख्य डाकघर	2
विभागीय उप डाकघर	73
विभागेतर उप डाकघर	23
विभागेतर शाखा डाकघर	486
अरुणाचल प्रदेश	
मुख्य डाकघर	—
विभागीय उप डाकघर	30
विभागेतर उप डाकघर	1
विभागेतर शाखा डाकघर	162

(ख) (1) इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खोले जाने वाले ग्रामीण शाखा डाकघरों की संख्या विभागीय मानकों के अनुसार औचित्य पाये जाने तथा वर्ष 1982-83 में डाकघर खोलने के लक्ष्यों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(2) प्रदान किये जाने वाले दूसरे डाकघरों की संख्या समय-समय पर जांच किये गये विभागीय मानकों के अनुसार प्रस्तावों के औचित्य पर निर्भर करती है।

(ग) ऐजल में मुख्यालय के साथ एक डाक मंडल कार्यालय पहले ही कार्य कर रहा है। तथापि अभी-अभी अधीक्षक डाकघर के पद का दर्जा बढ़ाकर निदेशक डाक सेवा कर दिया गया है। टेलीग्राफ इंजीनियरी मंडल कार्यालय के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

टेलीकोम फैक्टरी प्रबन्धकों द्वारा आयातित माल को अस्वीकृत किया जाना

3565. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन फैक्टरियों में प्रयोग के लिए विदेश से आयात की गई निम्न स्तर की सामग्री और टेलीकोम फैक्टरी प्रबन्ध मण्डल, अलीपुर, कलकत्ता द्वारा इसे अस्वीकृत किए जाने के बारे में जांच की है;

(ख) उस देश का नाम क्या है जिसने इस सामग्री की सप्लाई की है;

(ग) किस एजेन्सी के माध्यम से यह आयात की गई है;

(घ) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है; और

(ङ) जांच के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) हाल ही में किसी विदेश से आयात की गई एबोनाइट शीटें निर्धारित विनिर्देशन के अनुरूप नहीं पाई गई हैं। वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास के सप्लाई खण्ड-जिसके जरिए सामग्री प्राप्त की गई थी, ने सामग्री के प्रतिस्थापन के लिए सप्लाई के साथ मामला उठाया है।

(ख) कनाडा।

(ग) महानिदेशक सप्लाई एवं निपटान तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास का सप्लाई खंड।

(घ) 108, 978.11 डालर।

(ङ) महानिदेशक सप्लाई एवं निपटान तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास सप्लाई खंड के साथ मामला उठाया गया है।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में कार्य दिवसों की संख्या

3566. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के प्रतिवर्ष वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाने से काफी कम हो जाएगी; और

(घ) यदि सरकार का विचार कार्य दिवसों की संख्या नहीं बढ़ाने का है तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय में कार्य दिवसों की संख्या 221 है और उच्च न्यायालयों में यह संख्या सामान्य रूप से 210 है। किन्तु किसी प्रमुख व्यक्ति के निधन, आदि जैसे किसी विशेष अवसर पर यदि छुट्टी की घोषणा की जाती है तो ये न्यायालय भी अपनी छुट्टी की घोषणा कर देते हैं। कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर विभिन्न निकायों द्वारा और उच्च न्यायालय बकाया समिति, मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन, विधि मन्त्रियों के सम्मेलन, मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलन और विधि आयोग जैसे विभिन्न मंचों पर भी विचार किया गया है।

1957 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन और विधि मंत्रियों के सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि सभी उच्च न्यायालयों से एक वर्ष 210 कार्य दिवस रखने का आग्रह किया जाए। विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि एक वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। श्री जे० सी० शाह की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय बकाया समिति ने 1972 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के कार्य दिवसों की संख्या एक वर्ष में 205 दिन होनी चाहिए। कार्य दिवसों में वृद्धि किए जाने के प्रश्न पर 1972 में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा स्थापित की गई न्यायाधीशों की एक समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् पूर्ण न्यायालय विभिन्न कारणों से, कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करने के पक्ष में नहीं था। जिन मुख्य कारणों से ये समितियां/सम्मेलन कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश नहीं कर सके वे इस प्रकार हैं : काम के श्रम साध्य स्वरूप को देखते हुए न केवल न्यायाधीशों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए दीर्घावकाश आवश्यक है बल्कि ऐसा अवकाश वकीलों और अधिवक्ताओं के लिए भी आवश्यक है। सामान्यत: एक न्यायाधीश को दिन में लगभग तीन-चार घंटे घर पर भी काम करना पड़ता है। अत्यावश्यक मामलों के लिए न्यायालय शनिवार और छुट्टियों के दिन भी बैठते हैं। वर्ष 1955 से पूर्व उच्च न्यायालयों में कार्य दिवसों की संख्या केवल 200 कार्य दिवस के लगभग थी।

इस प्रकार इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है किन्तु सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय नहीं समझा गया है क कार्य दिवसों की संख्या में और वृद्धि की जाए।

दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण के समय

3567. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण का समय नियमित रूप से 6 बजे सायं से 11 बजे साय तक करने का है ताकि दूरदर्शन पर अधिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो विस्तार में इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रों के दूरदर्शन कार्यक्रमों का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है । तथापि, यह स्टूडियो उपकरणों और अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

राजस्थान में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

3568. **श्री जयनारायण रोत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के कितने नगरों में कुकिंग गैस की सुविधा अब तक उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने नगरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) राजस्थान के 11 कस्बों/शहरों में ।

(ख) 1982-83 तक की योजना के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा राजस्थान के 28 और कस्बों/शहरों को एल० पी० जी० की सुविधाएं दिये जाने की आशा है । 1983-84 और 1984-85 के लिये योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

असम आन्दोलन का तेल उत्पादन पर प्रभाव

3569. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम आन्दोलन का चालू वर्ष में तेल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) मांग को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और इसमें कितना वित्तीय खर्च आएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान असम में अशोधित तेल के उत्पादन में लगभग 0.032 मि० मी० टन की कुछ कमी हुई है जिसका कारण यह था कि कुछ कूपों को, जिन्हें कि पिछले वर्ष के दौरान असम आन्दोलन के कारण बन्द कर दिया गया था, चालू किया तथा उनमें सामान्य उत्पादन पुन: शुरू किया गया था । उत्पादन में यह हानि देश में चालू वर्ष के कुल 16 मि० मी० टन से भी अधिक पूर्वानुमानित उत्पादन की तुलना में नगण्य है जबकि पिछले वर्ष वास्तविक उत्पादन 10.50 मि० मी० टन हुआ था ।

विदिशा आदि में डीजल वितरण के लिए नए केन्द्रों की स्वीकृति

3570. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विदिशा, गिरामपुर, सांची और शाहगंज के लिए नए डीजल वितरण केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली के ट्रांसफार्मर का जलना

3571. **श्री अशोक गहलोत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जनवरी, 1982 के दैनिक "जनगण" में "चार करोड़ के ट्रांसफार्मर जले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राजस्थान में बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड-सब स्टेशन के कार्यकरण में सुधार करने के लिए भी कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (च) 220 के० वी० जी० एस० एस० रतनगढ़ में प्रतिष्ठापित किए 100 एम० वी० ए० 200/132 के० वी० ट्रांसफार्मर में 21 दिसम्बर, 1981 को आग लग गई थी और यह क्षतिग्रस्त हो गया था। आग लगने के कारणों और क्षति की मात्रा का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। स्थल पर निरीक्षण और जांच करने के पश्चात् समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सी० एल० टी० सी० में खराबी आ जाने के कारण ट्रांसफार्मर जल गया था जिसके परिणामस्वरूप डाइवरटर स्विच का अल्युमीनियम डायफ्राम फट गया था तेल बिखर गया था, और इसमें आग लग गई थी तथा ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया था और आस-पास के उपस्कर को भी क्षति पहुँची थी। समिति ने यह भी पता लगाया है कि इस आग और इसके परिणामस्वरूप हुई हानि के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कोई दोष नहीं था। उपस्कर की अनुमानित लागत लगभग 78.18 लाख रुपये लगाई गई है। तथापि, ट्रांसफार्मर की गारन्टी अवधि खत्म नहीं हुई और तदनुसार यह हानि

सप्लाईकर्त्ता द्वारा पूरी की जाएगी। 11 के० वी० लाइन में खराबी आ जाने के कारण 6 जनवरी, 1982 को कुछ क्षति पहुँची थी और 132 के० वी० एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक खम्बा फट गया था। मरम्मत के पश्चात् ट्रांसफार्मर को प्रचालन में लाया गया था। क्षति की अनुमानित लागत 20,000 रु० है।

पश्चिमी बंगाल में सामग्री के अभाव में टेलीफोनों का ठीक ढंग से काम न करना

3572. **श्री अजित बाग :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में टेलीफोनों के ठीक ढंग से काम न करने का मुख्य कारण टेलीफोन केन्द्रों में सामग्री का अभाव है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पश्चिम बंगाल टेलीफोन के कार्यकरण पर टेलीफोन एक्सचेंज में सामग्री की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जौनपुर में सरकारी क्षेत्र में बड़ी परियोजना की स्थापना

3573. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक भी परियोजना जौनपुर क्षेत्र में स्थापित नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप वहां लोग अपनी जीविका पालन रोजगार हेतु बड़ी संख्या में शहरों में जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की एक बड़ी परियोजना स्थापित करने का विचार है ताकि उस क्षेत्र का अपेक्षित विकास हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन जौनपुर में कोई सरकारी क्षेत्रीय परियोजना नहीं लगाई गई है।

(ख) फिलहाल जौनपुर में सरकारी क्षेत्रीय परियोजना लगाने का विचार नहीं है।

(ग) फीडस्टाक की उपलब्धता, बाजार से निकटता, मांग रुख, कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन की उपयुक्तता और लागत और अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्लांट/परियोजना के स्थल पर निर्णय लिया जाता है। इन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जौनपुर में परियोजना लगाने का विचार नहीं है।

तमिलनाडु के सेलम जिले में टेलीफोन सेवा

3574. **श्री के० अर्जुन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में सेलम जिले के छोटे कस्बों मलूर, इलामपल्ली, मल्लूर, और येरकंड में स्थानीय टेलीफोन सेवा में जोड़ा गया है किन्तु, निरन्तर तकनीकी विफलता के कारण वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या पुराने पुर्जों को बदलने और खराबियों का दूर करने के लिए प्रस्ताव हैं; और

(ग) क्या सरकार का सेलम से स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था के अन्तर्गत थारामंगलम कस्बे को भी जोड़ने का विचार है क्योंकि थारामंगलम सेलम से 15 किलोमीटर (15 कि० मी०) के अन्दर हैं और यह सेलम स्टील संयंत्र के निकट है ?,

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) सेलम जिले के ओमालूर (ग्मालूर) इलामपल्ली, मल्लूर तथा येरकंड (येरकंड) को सेलम की स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के अधीन नहीं लिया गया है। इस स्थानों पर टेलीफोन भली भांति कार्य कर रहे हैं तथा यांत्रिक दोष बार-बार उत्पन्न नहीं होते।

(ख) उपरोक्त 'क' को मद्देजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

फेनासेटिन वाली औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

3575. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यमान निर्माताओं से फेनासेटिन वाली औषधियों के निर्माण के लिए नए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने फेनासेटिन के बिक्री अथवा फेनासेटिव वाले प्रतिपादन पर रोक लगाने पर विचार कर लिया है और इस संबंध में सूचनायें जारी की हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इसके पहलू पर क्या नीति है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) औषध नियंत्रक (भारत) ने फेनासेटिन और उसके सम्पर्कों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए औषध और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य औषध नियंत्रकों को निर्देश जारी किये हैं। प्रतिबन्ध लगाने के लिए समय सीमा मूल रूप से 1.1.1902 तक थी जो अब 30.4.82 तक बढ़ा दी गई है।

सूचना ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए प्रेस दौरे में पूर्वोत्तर क्षेत्र से भाग लेने वाले पत्रकार

3576. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए प्रेस दौरे में पूर्वोत्तर क्षेत्र से भाग लेने वाले पत्रकारों के नाम तथा समाचार पत्रों के नामों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा चालू वर्ष 1982 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पत्रकारों के लिए अनेक प्रेस दौरों का आयोजन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 1979-80 में किसी प्रेस दौरे का आयोजन नहीं किया गया था। 1980-81 और 1981-82 में आयोजित किए गए इस प्रकार के दौरों का ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, हां

(ग) एक एक प्रेस दौरा पत्र सूचना कार्यालय के गोहाटी और अगरतला कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय तथा उसके गोहाटी, शिलांग और इम्फाल कार्यालयों ने वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के पत्रकारों के निम्नलिखित पत्रकार दौरे आयोजित किए :—

क्र० सं०	पत्र सूचना कार्यालय के जिस कार्यालय ने दौरान आयोजित किया, उसका नाम	प्रेस पार्टी में शामिल किए गए पत्रकारों के नाम	उन समाचार पत्रों का नाम, जिनका प्रतिनिधित्व किया गया
1	2	3	4
	1980-81 में आयोजित किए गए दौरे		
1.	पत्र सूचना कार्यालय गोहाटी	1. श्री प्रणब सिन्हा	सम्पादक 'महाजती' असमिला अर्ध-साप्ताहिक

1	2	3	4
		2. श्रीमती टी० बीरा	'गणतंत्र' असमिया साप्ताहिक नवगोग
		3. श्री सम्मू शर्मा	'अकेला' हिन्दी साप्ताहिक
		4. श्री पद्मा पातर	"रादाव" बोड़ा (आदिवासी) साप्ताहिक
		5. श्री बी० एल० चक्रवर्ती	सम्पादक 'बरैल' असमिया और बंगला साप्ताहिक
		6. श्री प्रफुल्ल दत्त	'नातुन असमिया' असमिया त्रि-साप्ताहिक
		7. श्री सतीश चौधरी	'दैनिक असीम'
		8. श्री सरत भुयन	'नान्लखिमी असमिया साप्ताहिक'
	1981-82 में आयोजित किए गए दौरे		
2. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली (प्रथम भ्रमण)		1. श्री टी० थंगलियना	'अर्सी' (मिजो) दैनिक
		2. श्री एस० लाल-रिनलियाना	'हुंथोर (मिजो) अर्ध-साप्ताहिक
		3. श्री सी० लाल-थिग्लियाना	'लीथलांगपुई' (मिजो) दैनिक
		4. श्री के० मौघुमंगल	'प्रजातंत्र' मणिपुरी दैनिक
		5. श्री आई० अरुण सिंह	'रेमजैन लानपाओ' मणिपुरी दैनिक
		6. श्री देवेन सिंह	'खलाओ' मणिपुरी दैनिक

1	2	3	4
		7. श्री एच० तैनबिराज	'मणिपुर मेल' मणिपुरी दैनिक
		8. श्री बी० डी० बासुमंत्री	'रदाब' बोडो (असमिया) साप्ताहिक
		9. श्री नकुल दास	'असम एक्सप्रैस' अंग्रेजी दैनिक
		10. श्री जे० बरुआ	'दैनिक असोम' असमिया दैनिक
		11. श्री वीर मंगल शर्मा	'प्लेफार्म अंग्रेजी' साप्ताहिक
		12. श्री जी० मारक	'अचिक संगबाद' गारो साप्ताहिक
		13. श्री डी० सरकार	'नागालैंड टाइम्स' बंगला साप्ताहिक
		14. श्री बिमन धर	दैनिक 'संवाद' बंगला दैनिक
		15. श्री सबल डे०	"स्यादिल" अंग्रेजी दैनिक
		16. श्री आर० के० कल्याणजीत सिंह	'भारत' द्विभाषी साप्ताहिक
		17. मानस चौधरी	'शिलांग टाइम्स' अंग्रेजी साप्ताहिक
		18. डा० बी० एस० चल्लम	'यू-नफंग' (खासी) साप्ताहिक
		19. श्री टी० मरबनियांग	'रीपेका' अंग्रेजी साप्ताहिक
3. पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली (दूसरा दौरा)		1. श्री अजीत कुमार भुपन	'असोमबाणी असमिया साप्ताहिक
		2. श्री दुलाल शर्मा	'तीनोदिनीया बतोरी' असमिया अर्ध-साप्ताहिक

1	2	3	4
		3. श्री अतुल शर्मा	'नागरिक/असम एक्सप्रेस' असमिया साप्ताहिक और अंग्रेजी दैनिक
		4. श्री मुनि भट्टाचार्य	'दैनिक समाचार' बंगला दैनिक
		5. ओसकार एम० बालोंग	'यू-पायरामन' (खासी) साप्ताहिक)
		6. श्री एफ० गिरी	'यू० मौखिव' (खासी) साप्ताहिक
		7. श्री एस० एन० राय	'इम्पलीनेटर' अंग्रेजी साप्ताहिक
		8. श्री जी० एस० संगमा	'कुमुदीनी' गारो साप्ताहिक
		9. डिरजीरलियाना	'यूथ हैराल्ड मिजो साप्ताहिक
		10. श्री सी० सैह-मिथंगा	'रोमेई' मिजो साप्ताहिक
		11. श्री जोथंगथुन्जा	'हाइन्डर' अंग्रेजी साप्ताहिक
		12. श्री पी० पी० राय	'उरा मेल' साप्ताहिक
		13. श्री एस० सी० दास	'नागालैंड टाइम्स' अंग्रेजी दैनिक
		14. श्री एल० बलदेव शर्मा	'सीमान्त पत्रिका' मणिपुर दैनिक
		15. श्री थ० जयकुमार	'लीशेन्बा' मणिपुरी दैनिक
		16. श्री टी० गुणध्वज सिंह	'पैभोदिम' मणिपुर दैनिक

1	2	3	4
		17. श्री टी० एच० बिगणणि सिंह	'मणिपुर न्यूज' अंग्रेजी दैनिक
		18. श्री सुजीत चक्रवर्ती	'त्रिपुरा' दर्पण बंगला दैनिक
		19. श्री ए० एम० लोध	'त्रिपुरा टाइम्स' अंग्रेजी दैनिक
		20. श्री प्रदीप दत्त भूमिक	'दैनिक संवाद' बंगला दैनिक
4. पत्र सूचना कार्यालय गोहाटी		1. श्री गिरीश शर्मा	'आसाम ट्रिब्यून' अंग्रेजी साप्ताहिक
		2. श्री ज्योतिश बरुआ	'दैनिक असीम'
		3. श्री अमित नाग	'अमृत बाजार पत्रिका'
		4. श्री पी० के० मित्रा	'इकनौमिक टाइम्स'
		5. श्री कार्तिक बरूआ	पी० टी० आई०
		6. श्री सतीश शर्मा	यू० एन० आई०
		7. श्री राजीव पांडे	समाचार भारती
		8. श्री एस० गुरुदेव	स्टेट्समैन
		9. श्री मानिस चौधरी	शिलांग टाइम्स
5. पत्र सूचना कार्यालय शिलांग		1. श्री मानक चौधरी	शिलांग टाइम्स
		2. श्री ए० बी० एम० राय	'यू० नांगप्रात लिटी (खासी)
		3. श्री एफ० गिरि	यू० मोहर्ष्राव
		4. श्री बी० एम० लानोंग	यू० लुग शिलांग
		5. श्री एस० हांडा	यू० एन० आई०
		6. श्री एस० सवइयां	पी० टी० आई०
		7. श्री सी० आर० दास	आकाशवाणी
		8. श्री ओआस्कर/एन० वांलग	यू० पैरामन

1	2	3	4
	6. पत्र सूचना कार्यालय इम्फाल (पहला दौरा)	1. श्री के० मोधुमंगल	'प्रजातंत्र' मणिपुरी दैनिक
		2. श्री आई० अरुण सिंह	'हिसन लनपाओ' मणिपुरी दैनिक
		3. श्री देवेस सिंह	'खल्लाओ' मणिपुरी दैनिक
		4. श्री एच० तनबिराज	'मणिपुर मेल' अंग्रेजी दैनिक
	तथैव		
	दूसरा दौरा	1. श्री एल० बलदेव शर्मा	सीमान्त पत्रिका
		2. ठाकुर जयकुमार	'लीशेन्ला' मणिपुर दैनिक
		3. श्री टी० गुणध्वज सिंह	'पावीदेम'
		4. श्री टी० एच० बिगमणि सिंह	'मणिपुर न्यूज' अंग्रेजी दैनिक
	पत्र सूचना कार्यालय इम्फाल (तीसरा दौरा)	1. श्री के० श्याम सिंह	'मनाबा' दैनिक
		2. श्री फूलेन्द्रो सिंह	'टीकम' दैनिक
		3. श्री गोपाल शर्मा	'पोकनाफम' दैनिक
		4. श्री एन० शरत सिंह	'इहौ' दैनिक
		5. श्री च० गौरहरि	'अनौबा समाज' दैनिक
		6. श्री मधु मंगन	'पाथौ' दैनिक
		7. तरुण कुमार	'रेजीस्टैन्स' अंग्रेजी दैनिक
		8. श्री मनिहर गोस्वामी	'चिंग-तम' दैनिक
		9. श्री टी० गोगिन	'थुतांग' अंग्रेजी दैनिक
		10. श्री इबीय्यमा सिंह	'जनता'
		11. श्री च० मनिहर सिंह	'सनालिपक' दैनिक
		12. श्री चौबा सिंह	'अरम्यापत्ता'
		13. श्री ब्रमोहन देव शर्मा	'नागरिक पंथ'
		14. श्री एन० बीरेन्द्र कुमार सिंह	'पावोजल'
		15. श्री ब्रजगोपाल शर्मा	पंथुगफम

उर्वरक का मूल्य निर्धारण सम्बन्धी फार्मूला

3577. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान वर्तमान उर्वरक के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी फार्मूला क्या है;

(ख) इसकी घोषणा पिछली बार कब की गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार इसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्दिष्ट क्षमता उपयोग और कार्यकुशलता के न्यूनतम स्तर के आधार पर संगठित प्रत्येक प्लांट के लिए उर्वरक निर्माताओं के लिए प्रतिधारणा मूल्य प्रणाली में कुल मूल्य पर कर पश्चात 12 प्रतिशत लाभ की व्यवस्था है ।

(ख) 1.4.1979 से प्रारम्भ और 31.2.1982 को समाप्त मूल्य निर्धारण अवधि के लिए प्रतिधारण मूल्य सूत्र की घोषणा सरकार द्वारा सितम्बर, 1980 में की गई थी ।

(ग) और (घ) रसायन और उर्वरक विभाग ने 1.4.1982 से प्रारम्भ होने वाली आगामी मूल्य निर्धारण अवधि के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारण करने का मामला हाथ में ले लिया है ।

उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश से बिजली की कमी दूर करने के लिए कहा जाना

3578. **श्री अनन्त रामुल्लु मल्लु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश से वर्तमान बिजली की कमी में बिजली की कुछ मात्रा देकर वहां सहायता करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उड़ीसा में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से उड़ीसा को लगभग 25 से 30 मेगावाट बिजली की सप्लाई करने के लिये अनुरोध किया है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड स इस संबंध में अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रदर्शन

3579. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से गत 20 वर्षों के दौरान प्रदर्शित की गई वाणिज्यिक दृष्टि से सफल तथा पुरस्कृत फिल्मों की एक सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह सूची कब तैयार की गई थी;

(ग) उनमें से कितनी फिल्में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दूरदर्शन केन्द्रों से अब तक प्रदर्शित की जा चुकी हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) दूरदर्शन ने फीचर फिल्मों के चयन के लिए संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की है। फिल्मों का चयन निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा :—

1. प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार
2. विषयात्मक मूल्य,
3. चलचित्रिकी मूल्य,
4. मनोरंजन मूल्य,
5. निर्माण वर्ष,
6. दूरदर्शन पर फिल्म कितनी बार दिखाई गई और किन-किन केन्द्रों पर दिखाई गई।

उन पार्टियों, जिनके पास सफल वाणिज्यिक फिल्मों और पुरस्कार प्राप्त फिल्मों के टी० वी० अधिकार हैं; से प्राप्त पेशकशों की जांच पड़ताल संशोधित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। चुनी गई फिल्मों के अप्रैल, 1982 से टेलीकास्ट किए जाने की संभावना है।

दिल्ली दूरदर्शन कार्यक्रमों का मथुरा में दिखाया जाना

3580. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री चिन्तामणि जेना :

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मथुरा और आगरा के आस-पास का क्षेत्र दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र या किसी अन्य दूरदर्शन केन्द्र की रेंज से बाहर है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली केन्द्र की रेंज को बढ़ाकर किसी उपयुक्त स्थान पर रिले ट्रांसमीटर स्थापित करके या डाक तार माइक्रोवेव से जोड़कर दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को मथुरा से 144 किलोमी० दूर में दिखाने का है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना संबंधी ब्यौरा क्या है, यह कब तक कार्य शुरू कर देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि दिल्ली ट्रांसमीटर की सेवा परिधि को इसकी शक्ति और एंटेना की ऊंचाई बढ़ा करके 90 किलोमीटर तक बढ़या जा रहा है तो भी बढ़ी हुई सेवा परिधि में मथुरा और आगरा कवर नहीं होंगे। तथापि, डाक-तार माईक्रोवेव सर्किटों की सहायता से दूरदर्शन

सेवा के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत, दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए एक स्थान आगरा चुना गया है। तथापि इसका कार्यान्वयन संसोधनों की उपलब्धता और माइक्रोवेव नेटवर्किंग के लिए डाक तार विभाग की योजनाओं पर निर्भर करेगा। मथुरा को आगरा के रिले केन्द्र से सेवा प्राप्त होगी।

पंजाब विद्युत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3581. **श्री आर० एल० भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में विद्युत विकास और विस्तार के लिए पंजाब सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली केन्द्रीय सहायता क्या होगी;

(ख) क्या कृतिक दल द्वारा सुझाई गई योजनाओं को चालू करने के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) योजना आयोग, राज्य के किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से अलग से किसी सहायता का आवंटन नहीं करता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर समूची राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है तथा यह विकास के किसी विशिष्ट शीर्ष से संबन्धित नहीं होती। तथापि, पंजाब के विद्युत क्षेत्र के लिए छठी योजना का परिव्यय 73294 लाख रुपये हैं तथा इस क्षेत्र के लिए वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना का परिव्यय 18938 लाख रुपये है जो योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित किया गया है।

राज्यों की राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों के बीच सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा

3582. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों की राजधानीयों से जिला-मुख्यालयों के लिए सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को क्रियान्विति हो रही है;

(ख) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के छठी योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में छठी योजता अवधि के लिए राज्यवार, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) छठी योजना अवधि हेतु इस सम्बन्ध में कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन सुविधा से मुक्त उत्तर प्रदेश के ग्रामीण डाकघर

3583. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने डाकघरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जिलेवार, ऐसे कुल कितने ग्रामीण डाकघर हैं, जिनमें छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 15 जनवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण डाकघरों में 2827 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे हैं।

(ख) अधिसंख्य ग्रामीण डाकघरों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग) एवं (घ) विस्तृत योजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं जिन्हें तकनीकी वित्तीय स्वीकृति दी गई हैं

3584. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की किन विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी विद्युत स्वीकृति दी गई है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जिन परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है उन विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा उनको चालू करने की निर्धारित तिथियां विवरण में दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, पाला, मनेरी तथा लोहारी नागपाला जल विद्युत स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और योजना आयोग से निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है।

*विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	चालू करने की निर्धारित तारीख
2		3	4
1.	ओबरा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-13	1×200	198 :-82
2.	परिछा ताप विद्युत केन्द्र	1×110	1982-83
		1×110	1983-84

1	2	3	4
3.	टांडा ताप विद्युत केन्द्र	2×110	1984-85
		2×110	1985-86
4.	अनपारा अताप विद्युत केन्द्र	1×-10	1983-84
		2×210	1984-85
5.	अनपारा व ताप विद्युत केन्द्र	2×210	1984-85
		1×500	1987-88
6.	उंचाहार ताप विद्युत केन्द्र	1×210	1985-86
		1×210	1986-87
7.	यमुना-दो	3×30	1982-83
	(खोदड़ी) जल विद्युत परियोजना	1×30	1983-84
8.	मनेरी भाली-1 जल विद्युत परियोजना	3×30	1983-84
9.	विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना	4×65.5	1993-94
10.	टिहरी जल विद्युत परियोजना	4×250	1991-92
11.	मनेरी भाली=दो जल विद्युत परियोजना	4×64	1987-88

उन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही जिनसे निम्न स्तर की कीटनाशक औषधियां खरीदी गईं

3585. **श्री निहाल सिंह :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री निम्न स्तर की औषधियां खरीदने के बारे में 18 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनसे बी० एच० सी० 25 प्रतिशत डबल्यू० डी० पी० मिथालिन 25 प्रतिशत डबल्यू० ओ० पी० पी० मिरोथोमोइल खरीदा गया था और वे निम्न स्तर के पाये गए; और

(ख) यदि उन फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं क्योंकि इन कीटनाशक औषधियों के कारण किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) घटिया किस्म के पिरोथोमोइल की सप्लाई के कारण एक फर्म के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जहां तक अन्य 7 फर्मों द्वारा बी० एच० सी० 50

प्रतिशत और डबल्यू० डी० पी० मैथिलीन 25 प्रतिशत की घटिया किस्म की सप्लाई का सम्बन्ध है, उनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट अभी-अभी प्राप्त हुई है । फिर भी, ये मामले न्यायाधीन हैं, क्योंकि मध्यस्थ द्वारा इनका फैसला किया जाना है ।

कम कार्यभार वाले बी० पी० ओज०/ई० डी० एस० ओज० का डी० एस० ओज० के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

3586. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपवादात्मक मामलों में पांच घन्टे के कार्यभार, जो कुल मामलों में अधिकतम 10 प्रतिशत का हो सकता है, को छूट देते हुए पोस्टल सर्कलों के प्रधान अधिकारियों को यह प्राधिकार दिया गया है कि वे बी० पी० ओ० ई० डी० एस० ओ० का डी० एस० ओज० के रूप में दर्जा बढ़ाने का अनुमोदन करें;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में डिवीजनल वार, पोस्टल सर्कलों के प्रधान अधिकारियों द्वारा अपवादात्मक मामलों के रूप में खोले गए ऐसे डी० एस० ओ० कौन-कौन से हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां । डाक सर्किलों के अध्यक्ष 'पिछड़े' और जनजाति क्षेत्रों में इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

विभागीय उप डाकघर का नाम	डिवीजन एव सर्किल का नाम	खोलने का वर्ष
1. झाडोलैस	राजस्थान सर्किल में उदयपुर डिवीजन	1980-81
2. पुंजपुर	राजस्थान सर्किल में डूंगरपुर डिवीजन	1980-81
3. कुमार-हट्टी	उत्तर पश्चिमी सर्किल में सोलन डिवीजन	1981-82
4. संथा	उत्तर प्रदेश में बस्ती डिवीजन	1981-82

तारों की डिलीवरी में विलम्ब

3 87. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तारों की डिलीवरी में विलम्ब/तार की डिलीवरी न होने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान ऐसी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा वर्ष 1979 और वर्ष 1980 की उसी अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(ग) तारों की शीघ्र डिलीवरी कराने तथा इस सम्बन्ध में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या = 12244

1979 की इसी अवधि के दौरान = 13032

1980 के दौरान = 13549

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) व्यापक अनुरक्षण प्रयत्नों के साथ-साथ निम्न ग्रेड एवं बिल्ट अप सर्किटों के स्थान पर उच्च ग्रेड सीधे सर्किट स्थापित करके सर्किट अवरोधनों को न्यूनतम रखना।

(2) केन्द्रीय तारघरों/विभागीय तारघरों में जहां भी व्यवहार्य हो सहायक पावर सप्लाई व्यवस्था प्रदान करना।

(3) स्टाफ की कमी को दूर करने तथा अल्पावधि टेलीग्राफिस्टों की नियुक्ति करने और प्रचालन स्टाफ हेतु एक आरक्षित पूल का सृजन करने हेतु व्यापक भर्ती कार्यक्रम तैयार करना।

विभागीय तार घर खोलना

3588. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभागीय तार घर खोलने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या और अधिक विभागीय तार घर खोलने के लिए सूचनाओं की अपेक्षित संख्या घटाने का विचार है और क्या इस सम्बन्ध में जिला मुख्यालयों को अधिमान्यता प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में संचार संबंधी सरीन समिति ने भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सिफारिश को कब तक स्वीकार किए जाने तथा इस पर अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) (1) मुफस्सिल क्षेत्रों के लिए संयुक्त डाक-तारघर की तारशाखा को विभागीय तार घर में बदलने का मानदण्ड 500 प्रचालन प्रतिदिन है।

(2) बड़े नगरों में जहां पहले से ही एक विभागीय तार घर मौजूद है उनके मामले में विभागीय तार घर में बदलने का मानदण्ड 200 संदेश (बुक किए गए तथा वितरित) प्रतिदिन है।

(ख) मानदण्ड को 350 प्रचालन प्रतिदिन तक कम कर किया गया है, परन्तु इसको फिलहाल कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह जिला मुख्यालयों पर भी इसी प्रकार से लागू होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने संयुक्त डाक-तार घर को विभागीय तार घर में बदलने के लिए 300 प्रचालन प्रतिदिन की सिफारिश की है और ऐसा उन सभी महत्वपूर्ण राजस्व जिला मुख्यालयों के लिए है जहां पर कोई विभागीय तार घर नहीं है।

इसको इस सीमा तक मंजूर कर लिया गया है कि राजस्व जिला मुख्यालयों सहित संयुक्त डाक तार घर का बदलना 350 प्रचालन प्रतिदिन के आधार पर, जैसा कि 1978 के आदेश में निर्धारित किया गया है, किया जायेगा (जिसको फिलहाल रोक लिया गया है)। कार्यालय के स्तर को सुरक्षित रखा जायेगा। अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड

3589. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री मैसर्स ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड द्वारा धनराशियों का कथित दुर्विनियोग के बारे में 7 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6756 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जांच रिपोर्ट तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) निरीक्षक की रिपोर्ट ने प्रथम दृश्या, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 6 एवं धारा 418 के साथ पठित धारा 211 के उपबन्धों के पालन न करने तथा कम्पनी द्वारा निदेशक के देय ऋणों को वापिस न लेने को प्रकट किया है। इस मामले पर कम्पनी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात विभाग में आगे कार्यवाही की जायेगी।

तेल शोधक कारखानों द्वारा तलछट पदार्थों के निपटान की प्रौद्योगिक का अपनाया जाना

3590. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय विभिन्न तेल शोधक कारखानों तथा अन्य रसायन उद्योग संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही तलछट पदार्थों के निपटान का प्रौद्योगिकी विदेशों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी के मुकाबले नगण्य रह गई है, जहां ऐसे तलछट पदार्थ प्रदूषण का खतरा न रहकर उत्पादों के उत्पादन में काम में लाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने देश में तलछट पदार्थों के निपटान की प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेश से कोई सहायता मांगी गई है और उन देशों का क्या नाम है जिनसे सहायता मांगी गई है और इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) शोधनशालाओं तथा बड़ी संख्या में रसायन कम्पनियों द्वारा निस्सारी विन्यास की विधि विभिन्न निस्त्रावों के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टियों के अनुरूप है ।

जहां कहीं सम्भव होता है कम्पनियां निस्त्रावों से उत्पाद निकालती हैं और कुछ उनका पुर्नप्रयोग करती हैं ।

केन्द्रीय जल प्रदूषण परिरक्षण एवं नियन्त्रण बोर्ड देश में निस्त्रावों के उपचार के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जांच कर रहा है ।

(ग) जब कभी कोई कम्पनी निस्त्राव के उपचार के लिए विदेश से कोई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना चाहती है और वह देश के भीतर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रौद्योगिकी के आयात की सदा अनुमति दी जाती है ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने की चिमनियों से औद्योगिक अपशिष्ट का निकलना

3591. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने की चिमनियों की ऊंचाई क्या है और जब इस कारखाने में उत्पादन शुरू हो जाएगा तो इससे कितना औद्योगिक अपशिष्ट निकलेगा;

(ख) क्या गैस/धुंए के निकलने के लिए चिमनियों की ऊंचाई प्रर्याप्त है और इस बात की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है कि औद्योगिक अपशिष्ट से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा; और

(ग) क्या अपशेष निकलने से कारखाने के समीपवर्ती पक्षी बिहार और आसपास की ऐतिहासिक इमारतें सुरक्षित रहेंगी और क्या इस बारे में विशेषज्ञों की राय ली गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से संगठनों/व्यक्तियों की राय ली गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मथुरा तेल शोधक कारखाने की प्रमुख चिमनियों की ऊंचाई 80 से 116 मीटरों के बीच है । एक बार तेल शोधक कारखाने के पूर्ण रूप से चालू हो जाने पर सल्फर-डाई-आक्साइड, जो अपशिष्ट गैसों में से प्रमुख प्रदूषक है, की निकासी एक मी० टन प्रति घंटा से कम हो जायेगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विभिन्न संस्थाओं/विभागों जैसे वातावरणीय आयोजना तथा समन्वय पर राष्ट्रीय समिति (एन० सी० ई० पी० सी०), राष्ट्रीय वातावरणीय इंजीनियरिंग संस्थान (एन० ई० ई० आर० आई०), नागपुर, भारतीय पेट्रोलियम, संस्थान (आई० आई० पी०), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई० एम० डी०), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए० एस० आई०) आदि के प्रतिष्ठित

वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मथुरा तेल शोधक कारखाने पर प्रदूषण प्रभाव पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया ।

समिति ने आगरा स्थित कोयला आधारित दो विद्युत संयंत्रों को बंद करने, आगरा स्थित रेलवे के मार्शलिंग यार्ड में कोयले के स्थान पर डीजल लोकोमोटिक्स आरम्भ करना, आगरा क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध आदि लगाने सहित समिति ने अनेक उपाय सुझाये हैं । समिति ने लो-सल्फर ईंधन का प्रयोग करके और प्रमुख चिमनियों की ऊंचाई 80 मीटर तक अथवा उससे अधिक बढ़ाकर मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाई-आक्साइड को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए हैं और हवा की किस्म की देखभाल करने के लिए मानीटरिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए भी सुझाव दिया है । प्रदूषकों को तेल शोधक कारखाने से सुरक्षित स्तर पर रखने को सुनिश्चित करने के लिए, समिति की सिफारिशों के आधार पर कदम उठाये गये हैं । आगरा-मथुरा क्षेत्र में प्रदूषण स्तरों में कुल कमी लाने और उन्हें नियत्रण करने से सम्बन्धित सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी नियुक्त की गई है ।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी बम्बई में हड़ताल

3392. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सिफाइनरी, बम्बई में हड़ताल के कारण मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न तेलशोधक कारखानों में मिट्टी तेल की उत्पादन दर क्या है और क्या इस हड़ताल के कारण होने वाली कमी को अन्य तेलशोधक कारखानों में उत्पादन की वृद्धि से पूरा किया जा सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार यह अन्तर किस तरह पूरा कर रही है और क्या किसी बाहरी देश से मिट्टी तेल की सप्लाई के लिए बातचीत करने के लिए कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या यह कमी इस तरह की है कि केन्द्र सरकार राज्यों को तेल सप्लाई में कटौती कर दे और यदि हां, तो देश में राज्य-वार प्रत्येक राज्य के लिए की जा रही वास्तविक कटौती कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) वर्ष 1982 के लिये मिट्टी के तेल की अनुमानित आवश्यकता 5.1 मि० मी० टन लगाई गयी है । यह भी अनुमान लगाया गया था कि मिट्टी के तेल का स्वदेशी उत्पादन 3.6 मि० मी० टन होगा तथा कमी को पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये सोवियत संघ के साथ हुए लम्बी अवधि के करार द्वारा पूरा किया जायेगा । मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा के आयात के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं जो कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि० की शोधनशाला में मिट्टी के तेल के उत्पादन में इस कमी को पूरा करेंगे । इस कारण, राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों के मामले में फेरा और एम० आर० टी० पी० औषध कम्पनियों पर प्रतिबन्ध

3593. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के लिये मदों तथा उन फार्मुलेशनों जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त नहीं है, के स्वत: विकास के लिये फेरा और एम० आर० टी० पी० औषध कम्पनियों को स्वीकृति न देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कार्यान्वियन की क्या प्रगति है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 14.8.80 को सरकार ने उद्योग में औद्योगिक उपक्रम की पंजीकृत लाइसेंस शुदा क्षमता के एक या अधिक चरण में पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की सीमा तक 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष स्वत: विकास की अनुमति सम्बन्धी अपनी नीति को अधिसूचित किया जो कुछ शर्तों के साथ उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट है । इस अधिसूचना, जिसे 2.12.1981 को संशोधित किया गया, में पूरा औषध उद्योग शामिल है । नई औषध नीति की औषध उद्योग पर लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) इस समय विचाराधीन प्रस्ताव के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पुणे शहर और जिले में टेलीफोन पद्धति का विस्तार

3594. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे शहर और पुणे जिले में टेलीफोन पद्धति के बारे में नई योजनाओं और विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुणे में कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) इन्हें कब तक शामिल किये जाने की संभावना हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1981-82 के दौरान पुणे टेलीफोन प्रणाली में 1000 लाइनों तथा शेष पुणे जिले में 1200 लाइनों की वृद्धि का प्रस्ताव है । पुणे टेलीफोन प्रणाली में पुन: 2200 लाइनों के 1982-83 में विस्तार करने की योजना हैं ।

(ख) पुणे में तारीख 30-9-1981 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 9059 थी ।

(ग) उम्मीद है कि छठी योजना के अन्त तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को निपटा दिया जाएगा ।

महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्रों तथा रिले केन्द्रों की स्थापना किया जाना

3595. श्री रामकृष्ण मोरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में काम कर रहे आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में और आकाशवाणी केन्द्रों अथवा प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) महाराष्ट्र राज्य में कार्य कर रहे रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) छठी योजना के दौरान शोलापुर में स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का एक स्वीकृत योजनागत प्रस्ताव है । परियोजना के चालू योजना अवधि के दौरान मुकम्मल हो जाने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त छठी योजना के प्रस्तावों में निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल हैं :

(1) नागपुर में 1000 कि० वा० मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ समर्पित राष्ट्रीय प्रसारण सेवा ।

(2) सांगली के सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर एक स्थायी स्टूडियो से युक्त पूर्ण रूपेण केन्द्र का करना ।

(3) पुणे के ट्रांसमीटर की शक्ति को 20 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना ।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में प्रसारण की सुविधाएं

क्रम संख्या	स्थान	वर्तमान सुविधाएं
1	2	3
1.	औरंगाबाद	(1) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
2.	बम्बई	(1) 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (चैनल "क")

1	2	3
		(2) 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (चैनल "ख")
		(3) 10 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर
		(4) 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती/विज्ञापन प्रसारण सेवा)
		(5) 100 किलोकाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती/विदेश सेवाएं)
		(6) 15 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर।
3.	जलगांव	(1) 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
4.	नागपुर	(1) 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (मुख्य चैनल)
		(2) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती विज्ञापन)
5.	परभनी	(1) 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
6.	पुणे	(1) 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (मुख्य चैनल)
		(2) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर विविध भारती विज्ञापन)
7.	रत्नागिरी	(1) 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
8.	सांगली	(1) 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर

नये टेलेक्स एक्सचेंज लगाना

3596. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये टेलेक्स एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं यहां चालू वर्ष के दौरान नये टेलेक्स एक्सचेंज लगाये जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर, 1981 तक चालू योजना के दौरान चौदह नए एक्सचेंज पहले ही चालू किए जा चुके हैं तथा पचास और एक्सचेंजों की संस्थापना का प्रस्ताव है ।

(ग) अम्बाला, अलीगढ़ और तिरुपुर में नए एक्सचेंज पहले ही चालू किए जा चुके हैं । अहमदनगर, अल्वे, भदोही, बेल्लारी, कर्नूल, श्रीगंगानगर, पारादीप, और तुरमे में नए एक्सचेंजों के चालू किए जाने की संभावना है ।

सूचना स्वतन्त्रता अधिनियम

3597. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री के० राममूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में "एन० यू० जे० डिमांड आफ फ्रीडम इंफारमेशन एक्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार करने का प्रयास किया है; और

(घ) इस मामले पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार ने सम्बन्धित समाचार को देखा है ।

(ख) नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) ने यह माँग की बताई गई है कि सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम को अधिनियमित किया जाए जो अनुरोध करने पर प्रेस को सूचना देने के लिए सरकार को बाध्य करेगा । ऐसे कतिपय कानूनों में संशोधन करने के सुझाव भी दिये गए बताये गए हैं, जो उसकी राय में प्रेस की स्वतन्त्रता को सीमित करते हैं ।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार दोहराया है । अन्य बातों के साथ साथ, प्रेस की स्वतन्त्रता का परिरक्षण करने के लिए एक स्वायत्त, सांविधिक निकाय, भारतीय प्रेस परिषद का भी गठन किया हुआ है । इसके कार्यों में से एक कार्य ऐसी किसी भी बात की समीक्षा करना है जिससे सार्वजनिक हित और महत्व के समाचारों की सप्लाई और प्रसार सीमित होने की संभावना हो ।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3598. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं;

(ख) इस वर्ष के अन्त तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हो जाएंगे; और

(ग) क्या इन रिक्त पदों को नितांत वरिष्ठता के आधार पर भरा जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 18 है। आज की तारीख को स्थिति यह है कि 14 न्यायाधीश पदासीन हैं।

(ख) कोई भी पद न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त नहीं होगा।

(ग) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जाती है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब

3599. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई कितनी व्यक्तिगत रिपोर्ट तथा प्रशासी रिपोर्टें अभी सभा पटल पर रखी जानी हैं;

(ख) सभा पटल पर इन रिपोर्टों को रखने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिपोर्टों को सभा पटल पर कब रखे जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई कोई भी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट सरकार के पास सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1980 की आयोग के कार्यकरण और प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट पहले ही 22 दिसम्बर, 1981 को सदन के पटल पर रख दी गई हैं। वर्ष 1981 की वार्षिक रिपोर्ट आयोग से अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की 9 व्यक्तिगत रिपोर्टें, जिनके संदर्भ में आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत आगे जांच करने के लिए विनिर्देश दिया गया था, और जो आयोग द्वारा सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई थीं, उनको अभी सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न के भाग (क) में विनिर्दिष्ट रिपोर्टें, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार के आदेशों के साथ, जैसे ही सरकार का इन रिपोर्टों पर निर्णय होता है, पूर्वनीति के अनुसार सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेंगी।

स्वतंत्रता सैनानियों को खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आवंटन

3600. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों के दस प्रतिशत लाइसेंस स्वतंत्रता सेनानियों को देने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों ने इन लाइसेंसों के लिए आवेदन भेजे हैं;

(ग) यदि, हां तो उसका राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) उन स्वतंत्रता सेनानियों, जिनको लाइसेंस जारी किये गये हैं, का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1981-82 से एजेन्सियों आदि का 10% आरक्षण विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए रखा गया है।

(ख) और (ग) दोनों विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता/ स्वतन्त्रता सेनानी प्रत्येक राज्य में उनके लिए अलग रखी गई पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्जियां/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आवेदन पत्र देने के पात्र हैं। ऐसी एजेन्सियों के लिए आवेदन-पत्र देने वाले स्वतन्त्रता सैनानियों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) 1981-82 योजना के प्रति डीलरों का चयन हो रहा है और मध्य प्रदेश में अभी तक सामाजिक कार्यकर्ता/स्वतन्त्रता सैनानी वर्ग के अधीन तेल कम्पनियों द्वारा दो डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स दी गई बताई गई हैं।

पेट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस के लाइसेंस देने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता

3601. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस के लाइसेंस देते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की नीति का अनुसरण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बिहार में दानापुर और पटना में उस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया और बाहर के लोगों को लाइसेंस दे दिए गए; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्धारित मार्गदर्शक रूपरेखा के अनुसार, तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों की सभी नियुक्तियां सम्बन्धित स्थलों के राज्यों में रहने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की जायेंगी।

(ख) उपरोक्त मार्ग दर्शक रूप रेखा से प्रतिकूल चलने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बल्क औषधियों के बिक्री मूल्य

3602. **श्री के० मालन्ना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नई नीति के आधार पर मुख्य सक्षम उत्पादकों के उत्पादन लागत के आधार पर बल्क औषधियों के सामान्य बिक्री मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार प्रायः उच्च उत्पादन लागत वाली नई तथा छोटी यूनिटों की, किस प्रकार रक्षा करने की स्थिति में है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के पेरा 4 के अन्तर्गत सरकार, यदि आवश्यक समझती है अथवा स्वदेशी रूप से निर्मित मूल्य नियंत्रित बल्क औषध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा करना उचित समझती हो तो, ऐसी बल्क औषध के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारित कर सकती है जो ऐसी बल्क औषध के सामान्य बिक्री मूल्य के अनुरूप अथवा उससे भिन्न हो सकता है।

सामान्य बिक्री मूल्य आम तौर पर प्रतिधारण मूल्यों के भारित औसत को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। प्रतिधारण मूल्यों का निर्धारण सम्बन्धित बल्क औषधों के उन नये निर्माताओं को सुरक्षा प्रदान करता है जिनके मामले में पूंजी लागत और मूल्यह्रास आदि की दर विद्यमान निर्माताओं की तुलना में अधिक है। जहां तक लघु क्षेत्र की यूनिटों का सम्बन्ध है, यह कहना सही नहीं है कि उनके उत्पादन की लागत सामान्यत: अधिक है।

इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड का कार्यभार

3603. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड अपने कार्यभार से निपटने में समर्थ हैं;

(ख) इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा किन-किन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है; और

(ग) क्या इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड इस बात को सुनिश्चित कर सका है कि इन परियोजनाओं का काम समयावलि के अनुरूप हो ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(ग) गतिविधियों की विस्तृत अग्रिम आयोजना द्वारा कार्यक्रम के अनुसार प्रायोजना के पूरे किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु, इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा समस्त प्रयास किये गये हैं। तथापि, इनके बावजूद, कभी कभी अपरिहार्य विलम्ब होते हैं।

विवरण

इन्जीनियर्स इण्डिया द्वारा भारत में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख प्रायोजनाएं

शोधनशालाएं प्रायोजनाएं

1. मद्रास शोधनशाला का मद्रास में स्थित 20,000 मी० टन प्रतिवर्ष (टी० पी० ए०) का पैराफिन मोम का संयंत्र।

2. इण्डियन आयल के हल्दिया स्थित प्रोपेन डिएस्फाल्टिंग यूनिट का 0.34 से 0.45 मिलियन टी० पी० ए० तक विस्तार।

3. इण्डियन आयल के बरौनी स्थित 500,000 टी० पी० ए० के अतिरिक्त डिलेड कोकर और 50,000 टी० पी० ए० के एल० पी० जी० वसूली संयंत्र।

4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का बम्बई स्थित 17 टी० पी० डी० का गंधक वसूली संयंत्र और 12 टी० पी० डी० का एम० ई० ए० (मोनोइथानोलमाइन) ट्रीटर।

5. कोचीन स्थित कोचीन शोधनशाला में 3.3 से 4.5 मिलियन टी० पी० ए० तक का शोधनशाला और 1.0 मिलियन टी० पी० ए० तक तरलीकृत कैटलिटिक क्रैकर का विस्तार.

6. मद्रास स्थित मद्रास शोधनशाला में 2.8 से 5.6 मिलियन टी० पी० ए० और 0.6 मिलियन टी० पी० ए० तक तरलीकृत कैटलिटिक क्रैकर का विस्तार।

7. विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की शोधनशाला में विस्तार 1.5 से 4.5 मिलियन टी० पी० ए० तक परिशोधन क्षमता में और 0.4 से 1.0 मिलियन टी० पी० ए० तक तरलीकृत कैटलिटिक क्रैकर में।

8. बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम की शोधनशाला मे 5.25 से 6.0 मिलियन टी० पी० ए० तक और 0.85 से 1.45 मिलियन टी० पी० ए० तक तरलीकृत कैटलिटिक क्रैकर में विस्तार।

पेट्रोरसायन प्रायोजनाएं

9. बोंगाईगांव स्थित बोंगाईगांव रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स के एरोमेटिक काम्पलेक्स में :

पी-जाईलीन	:	29,000 टी० पी० ए०
ओ-जाईलीन	:	6,000 टी० पी० ए०

10. बड़ौदा स्थित इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स का 55,000 टी० पी० ए०, वी० सी०।पी० वी० सी० संयंत्र।

11. बड़ौदा स्थित पेट्रोफिल्स के पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न संयंत्र का 3,500 से 7,000 टी० पी० ए० तक विस्तार।

12. बोंगाईगांव स्थित बोंगाईगांव रिफाईनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स का 45,000 टी० पी० ए० संयंत्र।

13. थाने में नेशनल आरगेनिक केमिकल्स का आक्सक्लोरीनेशन संयंत्र।

14. ऊरान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की क्रूड स्टैबीलाइजेशन यूनिट का 9.0 से 15.0 मिलियन टी० पी० ए० तक विस्तार।

15. बड़ौदा में इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स का 5,000 टी० पी० ए० पेट्रोलियम रिसाइन संयंत्र।

16. बड़ौदा में इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स के डी० एम० टी० संयंत्र में होरीजेन्टल आक्सीडेटर प्रणाली तथा आसवन स्तम्भों में सुधार।

17. कोचीन स्थित हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स का 29,000 टी० पी० ए० प्रोपीलीन वसूली संयंत्र।

18. ऊरान स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में खाना पकाने की गैस निकालने की सुविधायें।

चरण—2

गैस की प्रक्रिया

क्षमता : 4 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन

19. बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम का एरोमेटिक काम्पलेक्स

बेंजीन : 84,000 टी० पी० ए०

टाल्यून : 11,700 टी० पी० ए०

20. बोंगाईगांव स्थित बोंगाईगांव सिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल्स की 30,000 टी० पी० ए० पोलिएस्टर स्टैपल फाईबर परियोजना।

अपतटीय प्रायोजनाएं

21. बम्बई हाई दक्षिण प्रक्रिया प्लेटफार्म—तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का बी० एच० एस०।

22. बम्बई हाई स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का रतनगिरी कुआ-एवं उत्पाद प्लेटफार्म आर-12 ।

23. चार कुएं प्लेटफार्म—बम्बई हाई स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की एम० पी० आर० एफ० ।

24. चार वाटर इन्जेक्शन अतिरिक्त कुएं प्लेटफार्म—बम्बई हाई स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को डब्ल्यू० आई०-2 से 5 ।

25. तीन कुएं प्लेटफामर्स—बम्बई हाई स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का के० वी० एक्स ।

26. वाटर इन्जेक्शन प्रोसेस-एवं-उत्पादन प्लेटफार्म—बम्बई हाई स्थिति तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का डब्ल्यू० आई० पी० ।

27. पन्द्रह कुएं प्लेटफार्मों सहित दो कुएं-एवं-प्रक्रिया प्लेटफार्म-बम्बई हाई/हीरा फील्डस स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एम० डी० एल० 8-22 ।

28. बम्बई हाई स्थिन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का दक्षिण बसिन गैस क्षेत्र प्रक्रिया प्लेटफार्म-एस० वी० जी० ।

मैटालर्जी परियोजना

29. उड़ीसा स्थित नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी की अलुमिना तथा अल्युमिनियम प्रायोजना

बाक्साईट : 2.4 मिलियन टी० पी ए०

अलुमिना : 800,000 टी० पी० ए०

अल्युमिनियम : 218,000 टी० पी० ए०

विदेश में ई० आई० एल० द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख प्रायोजनाएं

1. अल्जीरिया स्थित सोनाट्रेच की एल० एन० जी०-2 (तरलीकृत प्राकृतिक गैस-2) प्रायोजना ।

2. अल्जीरिया स्थित सोनाट्रेच की पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाईन ।

3. अल्जीरिया स्थित सोनाट्रेच की 24 "ह्रास्सी आर" मेल-अरजीयू गैस पाइपलाईन ।

4. अल्जीरिया स्थित सोनाट्रेच की एल० पी० जी०-1 प्रायोजना ।

5. आबू धाबी नेशनल आयल कम्पनी की मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाईन तथा ए० टी० एफ० पाइपलाईन ।

6. ईराक की स्टेट आरगनाईजेशन आफ इंडस्ट्रियल डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्शन के सीमेंट संयंत्र ।

7. कोटा की नाबालू, साबाह, मलेशिया की साबाह गैस इण्डस्ट्रीज की मैथानोल प्रायोजना ।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

3604. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं;

(ख) दिनांक 31 मार्च 1981 को प्रत्येक राज्य की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने-कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे;

(ग) अप्रैल से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(घ) अप्रैल से दिसम्बर 1981 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितने कनेक्शन रिलीज किए गए; और

(ङ) उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने 1980-81 से पहले अपने नाम पंजीकृत करा लिए थे, टेलीफोन कनेक्शल प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) ओ० वाई० टी० तथा गैर ओ० वाई० टी० दो ऐसी मूल योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन रजिस्टर किए जाते हैं। तथापि "गैर ओ० वाई० टी० योजना के अन्तर्गत कुछ आवेदनों को स्पेशल" श्रेणी में रखा जाता है। एक मुश्त टेलीफोन कनेक्शनों में से 25% कनेक्शन ओ० वाई० टी० में तथा 75% कनेक्शन गैर ओ० वाई० टी० में दिए जाते हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीन विभिन्न दूरसंचार फील्ड यूनिटों में 31-3-81 को प्रतीक्षा सूची में आवेदनों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 207907 है जिनमें से लगभग 11% ओ० वाई० टी० श्रेणी के हैं।

(घ) अप्रैल दिसम्बर, 1981 की अवधि में ओ० वाई० टी० "तथा" गैर ओ० वाई० टी० श्रेणियों के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्रमशः 17,000 तथा 57,000 थी।

(ङ) मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

विवरण

31.3.1981 को देश में प्रतीक्षा सूची की विवरणी

क्रम सं०	दूरसंचार सर्किल/ टेलीफोन जिले का नाम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रतीक्षा सूची	
			ओ. वाई. टी.	—गैर-ओ. वाई.टी.
2		3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल और हैदराबाद एवं विजयवाड़ा टेलीफोन जिला –	आन्ध्र प्रदेश	1783	17536

1	2	3	4	5
2.	बिहार दूरसंचार सर्किल और पटना टेलीफोन जिला	बिहार	363	3843
3.	गुजरात दूरसंचार सर्किल और अहमदाबाद, बरोदा, राजकोट एवं सूरत टेलीफोन जिला	गुजरात, दमन, दिव और सलवासा	2288	30754
4.	जम्मू तथा कश्मीर दूरसंचार सर्किल	जम्मू तथा कश्मीर	721	2415
5.	कर्नाटक दूरसंचार सर्किल, एवं बंगलौर टेलीफोन जिला	कर्नाटक	1324	16573
6.	केरल दूरसंचार सर्किल, और त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम एवं कालीकट टेलीफोन जिला	केरल, माहे एवं लक्षद्वीप	1550	21267
7.	महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल और बम्बई, नागपुर, पुणे टेलीफोन जिले	महाराष्ट्र और गोवा	21818	133082
8.	मध्य-प्रदेश दूरसंचार सर्किल और इन्दौर टेलीफोन जिला	मध्य-प्रदेश	721	7573
9.	उत्तर पूर्वी दूरसंचार सर्किल और गोहाटी टेलीफोन जिला	आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश	638	3129
10.	उत्तर पश्चिमी दूरसंचार अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और चंडीगढ़, टेलीफोन जिले	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़	2122	24479
11.	उड़ीसा दूरसंचार सर्किल	उड़ीसा	135	1942
12.	राजस्थान दूरसंचार सर्किल और जयपुर टेलीफोन जिला	राजस्थान	871	11120
13.	तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल और कोयम्बतूर, मद्रास एवं मदुरैई टेलीफोन जिले	तमिलनाडु और पांडिचेरी	2466	22580

1	2	3	4	5
14.	उत्तर-प्रदेश दूरसंचार सर्किल और कानपुर, लखनऊ, एवं आगरा टेलीफोन जिले	उत्तर-प्रदेश	1697	16362
15.	पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल और कलकत्ता टेलीफोन बीजला	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार	1344	24518
16.	दिल्ली टेलीफोन जिला समस्त भारत	दिल्ली	6957	62642
		योग	46,700	3,99,815

उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में तेल की खोज

3605. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में तेल की खोज करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

पेटोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्तरी स्थान में तेल की खोज के प्रयास किये गये हैं। पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से प्रीकैंब्रियन मैटामोरफिक तथा आग्नेय चट्टानें हैं जिनका तेल की खोज के लिए कोई महत्व नहीं है। उत्तरी राजस्थान में पूगल के निकट एक संरचनात्मक कूप 1200 मीटर की गहराई तक खोदा गया था, परन्तु इसमें तेल या गैस होने के संकेत नहीं मिले थे।

दवाइयों के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा

3606. **श्री रामलाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत दवाइयों के आयात पर लगभग 900 करोड़ रुपये की बिदेशी मुद्रा खर्च करता है; और

(ख) यदि हां, तो यह विदेशी मुद्रा बचाने और दवाइयों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बल्क औषधों, तैयार फार्मुलेशनों, मध्यवर्तियों, रसायनों, घोल को और यांत्रित गर्म-निरोधी के आयात निम्न प्रकार थे :—

वर्ष	सी० आई० एफ० मूल्य करोड़ रुपयों में
1978-79	95
1979-80	120
1980-81	113

(ख) विश्व के अनेक भागों में नए औषधों का लगातार विकास हो रहा है। इसलिए किसी एक देश के लिए सभी औषधों के निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है।

हमारे देश में औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने और विदेशी मुद्रा व्यय को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में औद्योगिक लाइसेंस के माध्यम से नई निर्माण क्षमता के अनुमोदन की मंजूरी और अनेक औषधों के सम्बन्ध में विद्यमान निर्माताओं की क्षमता में विस्तार के लिए अनुमति जारी करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के साथ पंजीकरण, कुछ बल्क औषधों और मध्यवर्तियों के आयात पर प्रभार रियायत देना, औषधों के कार्य कुशल निर्माण के लिए चुनी हुई जानकारी, औद्योगिक का आयात शामिल है जहां ऐसी जानकारी प्रौद्योगिकी की देश में उपलब्ध नहीं है।

कोयल कारो सिंचाई परियोजना

3607. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार छोटा नागपुर में कोयल कारो पन बिजली परियोजना को चालू कर रही है; यदि हां, तो

(1) खर्च की जाने वाली धनराशि,

(2) कार्य पूरा होने की अवधि,

(3) कितनी भूमि की सिंचाई होगी और इससे कितनी बिजली पैदा की जायेगी

इसके विशेष संदर्भ के साथ तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना से एक बड़ा क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत आ जायेगा और लोगों को कहीं और बसाया जायेगा; यदि हां, तो इस पर क्या कम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के जनजाति नेताओं ने इस परियोजना का विरोध किया है, और यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार में कोइल कारो जल-विद्युत परियोजना का कार्यन्वयन राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 391·83 करोड़ रुपए (निवल) तथा निर्माण अवधि के दौरान 48·08 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि है। निर्माण की अवधि आठ वर्ष है। परियोजना से प्रति वर्ष 1058 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होने की आशा है।

(ख) परियोजना के कारण लगभग 45364 एकड़ भूमि जलमग्न होगी। लगभग 3500 परिवारों को पुनः बसाना आवश्यक होगा। भूमि अधिग्रहण के लिए तथा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए परियोजना अनुमानों में प्रावधान किया गया है।

(ग) भूमि का कब्जा आदि लिए जाने में स्थानीय व्यक्ति बाधा डाल रहे हैं, यद्यपि बिहार सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बासिया क्षेत्र में इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। अधिग्रहण की जा चुकी भूमि सौंप देने के लिए तोरपा के लोगों को समझाया-बुझाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों को कुकिंग गैस की सप्लाई

3608. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1980 में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर कुकिंग गैस की सप्लाई की मांग स्वीकार की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस एजेंसी ने जिसे उन स्थानों पर कुकिंग गैस की सप्लाई का दायित्व सौंपा गया था, अपना दायित्व निभाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन स्थानों पर कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए एक एजेंसी खोले जाने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर और लोहाघाट, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पम्पों की स्थापना

3609. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लोग उत्तर प्रदेश में बागेश्वर (अल्मोड़ा जिला) और लोहाघाट (पिथोरागढ़ जिले) में पेट्रोल और डीजल पम्पों की स्थापना की लम्बे समय से मांग करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है और उपर्युक्त दोनों स्थानों पर कब तक पेट्रोल पम्प स्थापित हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राहक सम्भावनाओं के आधार पर तेल कम्पनियां का अपनी 1983-84 के लिए फुटकर बिक्री केन्द्र की योजना के अन्तर्गत रिटेल आउटलैट खोलने के लिए बागेश्वर और लोहाघाट को शामिल करने का प्रस्ताव है।

अल्मोड़ा जिले में उगालिया शाखा डाकघर का जीनापानी में स्थानान्तरित किया जाना

3610. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा जिले में उगालिया का वर्तमान शाखा डाकघर केन्द्रीय सार्वजनिक स्थान में स्थित है;

(ख) क्या विभाग को सार्वजनिक अभ्योवेदनों से इस शाखा डाकघर को इसके वर्तमान स्थान से जीनापानी नामक स्थान, जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक स्थान है और जहां तक एक जूनियर हाई स्कल, आदि भी हैं, पर स्थानान्तरित करने के लिए लोगों के प्रतिनिधियों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सो० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) श्री प्रेम राम, ग्राम नोका, डाकघर भतरीजखन, जिला अल्मोड़ा से उगालिया से जीनापानी को शाखा डाकघर के स्थानान्तरित करने हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) इस प्रतिवेदन की समुचित विभागीय प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई तथा यह पाया कि शाखा डाकघर को उगालिया से जीनापाणी स्थानान्तरित करने हेतु कोई औचित्य नहीं है। प्रेषक को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की सीमा में वृद्धि करना

3611. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की व्यवहार्यता सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये के स्तर तक करने के परिवर्तन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी वर्तमान कम्पनियों का अनुमानत: कितना अनुपात है जिन्हें इस कार्यवाही के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की परिधि से परे रखा जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) जो सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 तथा कम्पनी-अधिनियम, 1956 में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करने तथा रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त की थी, ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, इस उद्देश्य के लिये परिसम्पत्तियों की विद्यमान मौद्रिक अधिकतम सीमा में, कोई वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में अन्य संशोधनों सहित, इस समिति की इस बाबत सिफारिशें, व साथ ही वाणिज्य मंडलों आदि से प्राप्त अन्य सुझाव, वर्तमान में सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

3612. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालयों/अतिरिक्त विभागीय उप कार्यालयों/मण्डलीय उप कार्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने को पहले ही सरकार ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आवंटन करने की शर्तें क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान किन किन स्थानों पर ये केन्द्र सर्किल वार खोले गये है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां, प्रायोगिक आधार पर।

(ख) नियम एवं शर्तों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिलहाल ये सार्वजनिक टेलीफोन न्यूनतम गारंटी पर प्रदान किए जा रहे हैं। स्थानों के नाम एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों, अपर न्यायाधीशों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3613. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों तक अपर न्यायाधीशों की अलग-अलग कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षित-कोटा पूरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को कब भरा जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं जिनमें किसी जाति या समुदाय के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है, किन्तु सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को पत्र लिखा है जिनमें उनसे यह आग्रह किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की उच्च न्यायालयों में और अधिक प्रतिनिधित्व देना संभवबनाया जाना चाहिए ।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	1-3-1982 को वास्तविक संख्या			1-6-1981 को	
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	इलाहाबाद	37	12	49	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	17	—	17	1	—
3.	बम्बई	27	9	36	—	—
4.	कलकत्ता	27	4	31	1	—
5.	दिल्ली	14	7	21	—	—
6.	गोहाटी	7	—	7	—	—
7.	गुजरात	13	1	14	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1	4	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	4	—	4	—	—
10.	कर्नाटक	21	2	23	1	—
11.	केरल	11	3	14	—	—
12.	मध्य प्रदेश	16	5	21	—	—
13.	मद्रास	16	3	19	1	—
14.	उड़ीसा	7	—	7	—	—
15.	पटना	21	2	23	—	—
16.	पंजाब और हरियाणा	14	5	19	—	—
17.	राजस्थान	10	2	12	—	—
18.	सिक्किम	2	—	2	—	—
		267	56	323	4	कुछ नहीं

दूरदर्शन पर बेहतर फिल्मों का दिखाया जाना

3614. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री के कुन्हम्बु :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार फिल्म प्रोड्यूसरों को दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के लिए अधिक धनराशि देने का है ताकि बेहतर फिल्में दिखाई जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। टेलीकास्ट की जाने वाली फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दरें बढ़ाने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

(ख) टेलीकास्ट करने के लिए चुनी गई फिल्मों को निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा :

1. प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार
2. विषयात्मक मूल्य
3. चलचित्रिकी मूल्य
4. मनोरंजन मूल्य
5. निर्माण वर्ष
6. फिल्में दूरदर्शन पर कितनी बार दिखाई गईं और किन किन केन्द्रों पर दिखाई गईं।

विभिन्न श्रेणियों की फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दरें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दरें

(क) **हिन्दी की फिल्में :**

श्रेणी	दूरदर्शन केन्द्रों/रिले केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर		
	मसूरी, पुणे/बंगलोर के रिले केन्द्रों के साथ दिल्ली और बम्बई	अमृतसर रिले केन्द्र के साथ मद्रास, कलकत्ता और जलंधर	शेष केन्द्र
"क"	20,000 रुपये	15,000 रुपये	10,000 रुपये
"ख"	15,000 रुपये	10,000 रुपये	7,500 रुपये
"ग" (पुनः दिखाए जाने वाली फिल्में)	10,000 रुपये	7,500 रुपये	5,000 रुपये

(ख) प्रादेशिक फिल्में :

फिल्म की भाषा से सम्बन्धित क्षेत्र के दूरदर्शन केन्द्रों में टेलीकास्ट की जाने वाली प्रादेशिक फिल्मों के लिए भुगतान की दर और महानगरीय केन्द्रों अर्थात् बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में उपशीर्षकों के साथ टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों के लिए भुगतान की दर वही होगी जो हिन्दी फिल्मों के लिए भुगतान की है। शेष दूरदर्शन केन्द्रों के लिए दरें वे होंगी जो श्रेणी "ग" की फिल्मों के लिए भुगतान की हैं।

भारत में चल रही बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां

3615. श्री रूपचन्द पाल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में औषध उद्योग में कितनी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां चल रही हैं और ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भिन्न भिन्न औषधियों का कितना उत्पादन किया जाता है और भिन्न भिन्न औषधियों के उत्पादन और फार्मूलेशनों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी रखने वाली इस समय 24 कम्पनियां हैं जो औषधों और भेषजों का निर्माण कर रही है और उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा बल्क औषधों के उत्पादन से सम्बन्धित सूचना संकलित की जा रही है। चूंकि इन कंपनियों द्वारा सैंकड़ों फार्मूलेशनों का निर्माण किया जाता है, अतः यह समझा जाता है कि फार्मूलेशनों के ब्यौरे एकत्र करने में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणाम लाभप्रद नहीं होंगे।

विवरण

विदेशी कम्पनियों के नाम

1. बूरोह वेलकम
2. मे एण्ड बेकर (आई) लि०
3. स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच
4. रोचे प्रोडक्ट्स
5. पार्क डेविस (आई) लि०
6. ग्लेक्सो लेबोरेटरीज
7. जोनसन एण्ड जोनसन
8. फाइजर

9. बेथ लेबोरेटरीज
10. सीबा गेगी
11. ई मर्क
12. मर्क साफ डोम
13. सेन्डोज
14. रिचर्डसन हिन्दुस्तान
15. थाइनामाइड
16. दि बूट्स कम्पनी
17. बीयर आई
18. अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
19. होचेस्ट
20. वारनर हिन्दुस्तान
21. ह्वीफन्स
22. आर्गेनन
23. यूनी-सेन्क्यो
24. अबोट लेबोरेटरीज (आई) लि० ।

मध्यवर्ती औषधियों (इंटरमीडिएट्स) पर शुल्क में दी जाने वाली छूट का वापस लिया जाना

3616. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मध्यवर्ती औषधियों (इंटरमीडिएट) पर शुल्क में छूट वापस लेने से इथाम्बुटोल, एक महत्वपूर्ण टी० वी० रोधक औषधि जैसी महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्य बढ़ जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) टी० वी० विरोधी औषध इथमबूटोल के उत्पादन के लिये अपेक्षित एक औषध मध्यवर्ती (डी-2 अमिनोबूटानोल) पर से रियायती सीमा शुल्क की दर को दिनांक 27 नवम्बर, 1981 से समाप्त कर दिया गया है । तथापि, इसी औषध के उत्पादन के लिये अपेक्षित दूसरे मध्यवर्ती डी० एल-2 अमिनोबूटानोल पर सीमा शुल्क की रियायती दर जारी हैं । चूंकि डी-2 अमिनोबूटानोल पर रियायती

सीमाशुल्क 27 नवम्बर, 1981 से पहले उपलब्ध था, इथमबूटोल के निर्माता अपने उत्पादन को कम नहीं कर रहे हैं। यद्यपि डी० एल-2-अमिनोबूटानोल के आयात की तुलना में इथमबूटोल के उत्पादन के प्रति कि० ग्रा० डी 2-अमिनोबूटनोल के आयात में विदेशी मुद्रा का अधिक बहिर्गमन हो रहा था। चूंकि डी 2-अमिनोबूटानोल के आयात पर सीमा शुल्क की रियायती दर को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समाप्त किया गया था, सरकार अपना निर्णय बदलने का प्रस्ताव नहीं रखती। इथमबूटोल के कुछ निर्माता इसका उत्पादन डी० एल०-2-अमिनोबूटानोल से प्रारम्भ कर चुके है, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से इसकी उत्पादन लागत की जांच करने और मूल्य का सुझाव देने के लिये अनुरोध किया गया है। इथमबूटोल के मूल्य में संशोधन करते समय सरकार डी० एल०-2 अमिनोबूटानोल और डी० 2-अमिनोबूटानोल से इस औषध के उत्पादन की लागतों को ध्यान में रखेगी।

ग्रामीण डाकघरों का खोला जाना

3617. **श्री रेणुपद दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण डाकघर खोलने, विभागेतर एजेंटों की नियुक्ति, मोबाइल काउन्टरों की स्थापना और लेटर बक्स लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनों के लिए चुने गये स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) देश में छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान 8000 ग्रामीण डाकघर खोलने, 10000 विभागेतर वितरण एजेंट नियुक्त करने, 10000 डाकघरों की चलती-फिरती काउन्टर सुविधाएं प्रदान करने और 10000 पत्र-पेटियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) डाक जाल कार्य के विस्तार के लिए लक्ष्णों को सर्किलवार साल दर साल निर्धारित किया जाता है न कि समस्त योजनावधि के लिए। 1980-81 योजना के प्रथम वर्ष में प्राप्त सर्किलवार लक्ष्य विवरण-1 में दिये गए हैं। चालू वर्ष 1981-82 के लिये निर्धारित सर्किलवार लक्ष्य विवरण-2 पर हैं। वर्ष 1982-83 के लिये सर्किलवार लक्ष्य विचाराधीन हैं तथा इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

विवरण-1

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार

वर्ष 1980-81 के दौरान उपलब्धियां

क्र० सं० सर्किल	खोले गये डाकघरों की संख्या	चल काउन्टर सुविधाओं के अन्तर्गत लाये गये गांवों की संख्या	स्थापित की गई पत्र पेटियां की संख्या	डाक के दैनिक वितरण के लिए नियुक्त किये गये विभागेतर वितरण एजेंटों की संख्या
1 2	3	4	5	6
1. आन्ध्र	235	304	615	529
2. बिहार	184	136	501	134
3. दिल्ली	8	10	10	5
4. गुजरात	84	100	24	37
5. जम्मू तथा कश्मीर	50	43	84	50
6. केरल	75	—	357	100
7. कर्नाटक	90	150	289	290
8. मध्य प्रदेश	206	323	1829	420
9. महाराष्ट्र	183	203	1178	300
10. उत्तर पूर्वी	115	155	270	126
11. उत्तर पश्चिम	111	142	308	230
12. उड़ीसा	141	135	619	300
13. राजस्थान	157	178	405	208
14. तमिलनाडु	75	135	700	330
15. उत्तर प्रदेश	100	200	994	60
16. पश्चिमी बंगाल	75	387	1243	375
योग	1889	2601	9326	3494

विवरण-2

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार वार्षिक योजना 1981-82 के लिए लक्ष्य

	ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या	इन ग्रामों की संख्या जिनमें काउन्टर सुविधा प्रदान की जाएंगी	लगाए जाने वाली पत्र पेटियों की संख्या	डाक का दैनिक वितरण करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले विभागेतर वितरण एजेंटों की संख्या
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र	105	310	155	120
2. बिहार	175	210	105	125
3. दिल्ली	5	—	—	—
4. गुजरात	60	75	38	105
5. जम्मू तथा कश्मीर	50	20	10	80
6. कर्नाटन	85	80	40	80
7. केरल	55	40	20	35
8. मध्य प्रदेश	170	85	42	275
9. महाराष्ट्र	145	210	105	235
10. उत्तर पूर्वी	105	80	40	220
11. उत्तर पश्चिमी	65	75	38	95
12. उड़ीसा	65	65	32	110
13. राजस्थान	105	80	40	180
14. तमिलनाडु	85	210	105	100
15. उत्तर प्रदेश	220	320	160	150
16. पश्चिमी बंगाल	105	130	70	90
	1600	2000	1000	2000

दिल्ली/नई दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शन

3618. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्नि टेलफोन एक्सचेंजों में 31 मार्च, 1982 तक विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल कितने नये टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार था;

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली में 28-2-1982 तक प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज से किये गये नये टेलीफोन कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली और नई दिल्ली में 31 मार्च, 1982 तक प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज से कितने नये टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है; और

(घ) दिल्ली और नई दिल्ली में 31 मार्च, 1982 तक प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्येक टलीफोन एक्सचेंज में कौन सी तारीख तक लोगों को कनेक्शन मिल जाएगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरणों में दी गयी है।

विवरण-1

दिल्ली तथा नई दिल्ली में 1-4-1981 से 31-3-82 की अवधि के दौरान दिए गए। दिए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की एकमुश्त मंजूरी को सूचित करने वाला विवरण

क्र० सं०	एक्सचेंज	ओवाईटी (विशेष)	ओवाईटी (सामान्य)	गैर ओवाईटी (विशेष)	गैर ओवाईटी (एस एस)	गैर ओवाईटी (सामान्य)
1.	करोल बाग (56 एवं 58)	111	161	188	31	744
2.	राजौरी गार्डन (50, 53, 59 तथा 54)	42	471	135	12	1496
3.	जोरबाग (61, 69 तथा 62)	203	72	220	88	384
4.	ओखला (63)	77	103	118	36	151
5.	होजखास (65, 66)	72	266	42	64	127
6.	नेहरू प्लेस (64, 68)	301	435	266	75	849
7.	गाजियाबाद-I (85)	41	121	275	4	339
8.	गाजियाबाद-II (84)	123	126	203	24	298
9.	नरेला (89)	3	—	4	—	3
10.	कनाट प्लैस (4)	सभी श्रेणियां 29-7-81 तक आधुनिकतम थीं।				
11.	बदरपुर (82)	सभी श्रेणियां 31-1-82 तक आधुनिकतम थीं।				
12.	अलीपुर (801)	सभी श्रेणियां चालू हैं।				

विवरण-2

दिल्ली तथा नई दिल्ली में 28-2-82 तक दिए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों को सूचित करने वाला विवरण

क्र० सं०	एक्सचेंज	ओवाईटी	दिये गये नये टेलीफोन कनेक्शन गैर ओवाईटी (सामान्य)	विशेष
1.	जोर बाग (61, 69)	239	218	114
2.	होजखास (65, 66)	246	207	4
3.	चाणक्यपुरी (67)	5	4	78
4.	नेहरू प्लेस (64, 68)	223	47	11
5.	ओखला (63)	96	164	97
6.	फरीदाबाद (81)	6	19	6
7.	बदरपुर (82)	8	137	28
8.	बल्लभगढ़ (88)	8	2	—
9.	जनपथ (31, 34, 35, 32)	26	113	1
10.	कनाट प्लेस (4)	50	127	—
11.	ईदगाह (51, 52)	35	297	69
12.	सचिवालय (37)	19	56	6
13.	राजपथ (38)	68	70	66
14.	शाहदरा पूर्व (20)	6	5	5
15.	शाहदरा (21)	2	1	3
16.	गाजियाबाद II (84)	132	106	40
17.	गाजियाबाद (85)	111	50	25
18.	दिल्ली गेट (26, 27)	113	254	28
19.	तीस हजारी (22, 23, 25)	86	2048	25
20.	राजौरी गार्डन (50, 59, 54)	1017	2289	897
21.	करोल बाग (58, 56)	618	1289	556
22.	शक्ति नगर (71, 74)	13	156	30
23.	जनकपुरी (55)	27	87	22

विवरण-3

दिल्ली तथा नई दिल्ली में मार्च, 82 के दौरान दिए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन कनेक्शनों को सूचित करने वाला विवरण पत्र

क्रम सं०	एक्सचेंज	दिए जाने वाले प्रस्तावित कनेक्शन
1.	जोरबाग (61, 69)	485
2.	हौजखास (65, 66)	133
3.	चाणक्यपुरी (67)	4
4.	नेहरू प्लेस (64, 68)	210
5.	ओखला (63)	235
6.	बदरपुर (82)	20
7.	जनपथ (31, 34, 35, 32)	9
8.	कनाट प्लेस (4)	20
9.	ईदगाह (51, 52)	10
10.	राजपथ (38)	10
11.	दिल्ली गेट (26, 27)	12
12.	शाहदरा (21)	4
13.	गाजियाबाद (84, 85)	631
14.	राजौरी गार्डन (50, 59, 54)	136
15.	करोल बाग (58, 56)	257
16.	शक्ति नगर (71, 74)	3
17.	जनकपुरी (75)	15

विवरण-4

दिल्ली तथा नई दिल्ली में 31-3-82 तक प्रतीक्षा सूची का प्रस्तावित निपटान प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र

एक्सचेंज	31-3-82 तक की प्रतीक्षा सूची का निपटान कब तक हो जाएगा				
	ओवाईटी सामान्य	ओवाईटी एस	सामान्य	विशेष	एस एस
1	2	3	4	5	6
शाहदरा पूर्व (20)	30-3-77	6-2-80	20-9-76	18-2-77	3-4-80
शाहदरा (21)	14-7-78	29-2-80	19-1-65	8-7-70	27-7-70

1	2	3	4	5	6
तीसहजारी (22, 23, 35)	5-1-81	5-1-81	17-3-80	5-1-81	31-10-81
दिल्ली गेट (26, 27)	29-11-80	5-1-81	30-11-79	5-1-81	31-10-81
गाजियाबाद-II (84)	16-10-81	31-12-81	18-12-74	9-11-81	15-2-82
गाजियाबाद-I (85)	चालू	चालू	26-7-73	15-2-82	15-2-82
जनपथ (31, 32, 34, 35)	14-7-78	11-6-80	31-7-79	31-7-79	31-10-81
सचिवालय (37)	14-7-78	29-2-80	15-4-78	14-6-79	31-3-81
राजपथ (38)	14-7-78	16-5-80	14-10-77	19-11-79	31-12-80
कनाट प्लेस (4)	29-7-81	31-10-81	29-7-81	29-7-81	29-7-81
ईदगाह (51, 52)	24-10-80	5-1-81	17-8-79	29-1-81	31-10-81
जोरबाग (61, 62, 69)	31-5-80	31-3-81	22-1-79	21-10-81	1-2-82
ओखला (63)	2-6-80	17-11-81	9-3-79	12-11-80	9-2-82
हौज खास (65, 66)	31-5-80	16-7-80	11-3-77	15-5-79	28-3-81
चाणक्यपुरी (67)	31-5-80	25-9-80	15-11-78	12-11-80	31-1-81
नेहरू प्लेस (64, 68)	31-5-80	25-11-81	17-3-79	28-2-82	28-2-82
फरीदाबाद (81)	14-7-78	25-4-80	16-5-74	17-1-80	31-3-81
बदरपुर (82)	31-1-82	31-1-82	31-1-82	31-1-82	31-1-82
बल्लभगढ़ (88)	2-6-80	25-10-80	21-8-67	8-1-70	31-10-79
शक्तिनगर (71, 74)	14-7-78	19-2-80	30-6-78	12-10-79	31-3-81
कैन्टोनमेंट (39)	31-5-80	23-1-81	3-4-80	20-10-80	31-1-81
करोलबाग (56, 58)	28-2-81	15-2-82	30-6-75	28-12-81	15-2-82
राजौरी गार्डन (58, 53, 54)	25-3-81	14-5-81	9-4-75	14-5-81	13-7-81
अलीपुर (801)	चालू	चालू	चालू	चालू	चालू
बादली (802)	31-5-80	1-5-81	5-3-79	25-1-80	13-12-79
जनकपुरी (55)	5-11-80	5-1-81	6-4-78	5-1-81	31-3-81
बहादुरगढ़ (83)	14-7-78	30-9-81	18-1-72	18-8-75	15-11-80
नजफगढ़ (806)	14-7-78	31-3-81	1-7-78	1-7-78	1-7-78
नांगलोई (87)	14-7-78	8-8-80	7-2-77	9-9-77	1-7-78
नरेला (89)	28-2-81	31-8-81	31-3-80	18-8-81	31-8-81

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3619. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1982 को देश में प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की स्थिति क्या है और इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : 1-3-1982 को जो स्थिति थी उसके अनुसार उच्च न्यायालय वार रिक्त पदों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है।

उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य प्राधिकारियों से अधिकांश मामलों में पूर्णरूप से सुनिश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। इनके सम्बन्ध में उन्हें अनुस्मरण पत्र बराबर भेजे जा रहे हैं।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	1-3-82 को रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	11
2.	आंध्र प्रदेश	4
3.	बम्बई	5
4.	कलकत्ता	9
5.	दिल्ली	6
6.	गोहाटी	2
7.	गुजरात	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	मद्रास	6
14.	उड़ीसा	1
15.	पटना	12
16.	पंजाब और हरियाणा	4
17.	राजस्थान	6
18.	सिक्किम	—
		85

पालघाट, केरल में एक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना

3620. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पालघाट, केरल में डेढ़ लाख लाइनों की क्षमता वाले एक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के मूल प्राक्कलन क्या हैं; और

(ग) क्या इस यूनिट के लिए विश्वव्यापी निविदायें मंगाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो भेजी गई निविदा की न्यूनतम राशि क्या थी और उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की पूंजीगत लागत, अनुमान है, 15.95 करोड़ रुपए होगी।

(ग) जी हां।

(घ) प्राप्त टेण्डरों के मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

3621. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान विदेशों से कुल कितने पेट्रोलियम उत्पादों का आयाय किया गया;

(ख) इनका आयात किन-किन देशों से किया गया और उसका मूल्य क्या था तथा कुल कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ग) इन उत्पादों का आयात किस एजेंसी के जरिये किया गया; और

(घ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1982-83 के दौरान यदि कोई आयात किया जाना है, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 1980-81 के दौरान करीब 1914 करोड़ रुपये के मूल्य के 7.28 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था। इस अवधि के दौरान यू० एस० एस० आर०, कुवैत और ईरान जैसे देशों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए दीर्घाविधि प्रबन्ध किये गये थे। इनके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार समय समय पर तदर्थ आयात भी किये गये थे जिनके ब्यौरे जनहित में नहीं दिये जा सकते हैं।

(ग) एल० पी० जी० और पैराफिन मोम के लिए आयात क्रमशः भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और बामर लारी लि० द्वारा समन्वित किया जाता है। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात इंडियन आयल कारपोरेशन के माध्यम से किया जाता है।

(घ) वर्तमान अनुमानों के अनुसार 1982-83 के दौरान, करीब 4.45 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात किये जाने की सम्भावना है।

बम्बई हाई में वाटर इन्जेक्शन प्लेटफार्म के लिए टेंडर

3622. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई (उत्तर) में वाटर इन्जेक्शन प्लेटफार्म के लिए टेण्डर मागे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब अपने टेंडर दे दिये हैं और उन्होंने क्या "कोटेशन" दिये हैं;

(घ) क्या किसी भारतीय फर्म ने अपने कोटेशन दिये हैं और यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और उसने क्या "कोटेशन" दिये हैं;

(ङ) टेन्डर किसके पक्ष में स्वीकार किया गया है; और

(च) यह कार्य कब और कितनी लागत में पूरा होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई में वाटर इन्जेक्शन प्रोसेस प्लेटफार्म के निर्माण, परिवहन और प्रतिष्ठापन के लिए निविदा आमंत्रित किये थे। सम्पूर्ण कार्य के लिए निविदा टर्न-की-आधार पर आमंत्रित किये गये थे और वे 6 मई, 1981 को खोले गये थे। उस निविदा के प्रति यद्यपि 12 पार्टियों ने बोली कागजात खरीदे थे, किन्तु केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे क्योंकि ये बोलियों बहुत अधिक मानी गई थीं, यह निश्चय किया गया था कि सभी 12 पार्टियों से जिन्होंने मूलतः बोली कागजात खरीदे थे और भेजगांव डाक लि० से भी निविदा दुबारा आमंत्रित किये जाएं। संशोधित निविदा में पार्टियों को कहा गया था कि या तो वे टर्न-की आधार पर अथवा दूसरे अधार पर कुल कार्य को तीन अलग-अलग भागों में बांट कर कार्य के भाग के लिए भाव दें।

(ग) प्रारम्भ में भाव निम्नलिखित से प्राप्त हुए हैं :

(1) मैसर्स मेक्डरमोट इन्टरनेशनल इंक, दुबई।

(2) मैसर्स हायनदाई कारपोरेशन, कोरिया। संशोधित भाव निम्नलिखित से प्राप्त हुए थे।

(1) ह्यनदाई कारपोरेशन, कोरिया ।

(2) मेक्डरमोट इन्टरनेशनल कारपोरेशन, दुबई ।

(3) मजगांव डाकस लि०, बम्बई ।

(4) निपन स्टील कारपोरेशन, जापान ।

(5) ई० टी० पी० एम, फ्रांस ।

(6) ब्राउन एण्ड रूट, यू० एस० ए० ।

(घ) जी, हां । मैसर्स मजगांव डाक लि०, बम्बई से एक टर्न-की आधार पर भाव प्राप्त किया गया है ।

(ङ) निविदाओं पर इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है और कार्य सम्पन्न होने के लिए किसी आर्डर को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(च) वाटर इन्जेक्शन प्रोसेस प्लेटफार्म पर कार्य दिसम्बर, 1983 के अन्त तक पूरे हो जाने की योजना है । इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 190 मि० अमरीकी डालर है ।

थार रेगिस्तान, राजस्थान में तेल की खोज

3623. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में तेल की खोज का काम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए खुदाई क्षेत्र कब और कहां चुना गया है;

(ग) इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसलमेर के उत्तर-पूर्व में लगभग 125 किलोमीटर पर घोटारू पर एक स्थान को नवम्बर, 1981 में व्यधन के लिए चुना गया था ।

(ग) और (घ) कूप को 3500 मीटर की लक्षित गहराई तक खोदा गया और उसमें से दिनांक 28-2-1982 को तेल निकला था । यह दिनांक 5-3-1982 तक 265 मीटर की गहराई तक खोदा गया था ।

ग्रामीण डाक घर खोलना

3624. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 8000 नए ग्रामीण डाकघर खोले जाने हैं, दैनिक डाक वितरणों में सुधार लाने के लिए 10,000 अतिरिक्त विभागीय एजेंट

नियुक्त किए जाने हैं और 10,000 और गांवों में चलते-फिरते काउन्टर उपलब्ध कराए जाने हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) डाक जालकार्य के लिए लक्ष्य सर्कलवार साल-दर-साल निर्धारित किए जाते हैं न कि समस्त पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए । योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 के दौरान सर्कलवार उपलब्धियां विवरण-1 में दी गई हैं । चालू वर्ष 1981-82 हेतु निर्धारित लक्ष्य विवरण-2 में दिए गए हैं । वर्ष 1982-83 हेतु लक्ष्य विचाराधीन हैं तथा इन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

विवरण-1

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार वर्ष 1980-81 की उपलब्धियां

क्रम सं०	सर्किल	खोले गए डाकघरों की सं०	उन गांवों की सं० जहां चल काउंटर सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं	स्थापित किए गए लेटर बक्सों की सं०	डाक के दैनिक वितरण हेतु नियुक्त किए गए विभागेतर डिलीवरी एजेंटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र	235	304	615	529
2.	बिहार	184	136	501	134
3.	दिल्ली	8	10	10	5
4.	गुजरात	84	100	24	37
5.	जम्मू और कश्मीर	50	43	84	50
6.	केरल	75	—	257	100
7.	कर्नाटक	90	150	289	290
8.	मध्य प्रदेश	206	323	1829	420
9.	महाराष्ट्र	183	203	1178	300
10.	उत्तर पूर्वी	115	155	270	126
11.	उत्तर पश्चिमी	111	142	308	230
12.	उडीसा	141	135	619	300
13.	राजस्थान	157	178	405	208
14.	तमिलनाडु	75	135	700	330
15.	उत्तर प्रदेश	100	200	994	60
16.	पश्चिमी बंगाल	75	387	1243	375
	योग	1889	2601	9326	3494

विवरण-2

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार वार्षिक योजना 1981-82 हेतु लक्ष्य

सर्किल	ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या	उन गांवों की सं० जहां काउंटर सेवा उपलब्ध कराई जानी है	स्थापित किए जाने वाले लेटर बक्सों की संख्या	दैनिक डाक वितरण हेतु नियुक्त किए जाने वाले विभागेतर डिलीवरी एजेंटों की संख्या
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र	105	310	155	120
2. बिहार	175	210	105	125
3. दिल्ली	5	—	—	—
4. गुजरात	60	75	38	105
5. जम्मू और कश्मीर	50	20	10	80
6. कर्नाटक	85	80	40	80
7. केरल	55	40	20	35
8. मध्य प्रदेश	170	85	42	275
9. महाराष्ट्र	145	210	105	235
10. उत्तर पूर्वी	105	80	40	220
11. उत्तर पश्चिमी	65	75	38	95
12. उड़ीसा	65	65	32	110
13. राजस्थान	105	80	40	180
14. तमिलनाडु	85	210	105	100
15. उत्तर प्रदेश	220	320	160	150
16. पश्चिम बंगाल	105	140	70	90
	1600	2000	1000	2000

क्लोरएमफेनीकोल के मूल उत्पादक

3625. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्लोरएमफेनीकोल के मूल उत्पादक उपभोक्ताओं के लिए कम मूल्य पर क्लोरएमफेनीकोल का उत्पादन अपेक्षित स्तर तक कर पाने में किन कारणों से असफल रहे हैं;

(ख) क्या क्लोरएमफेनीकोल मूल उत्पादक वास्तविक बाजार मूल्य की अपेक्षा उच्च उत्पादन मूल्य का दावा कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अन्तिम बल्क औषधियों का ऊंचा मूल्य निर्धारण करना पड़ता है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं के लिए अकुशल प्रौद्योगिकी और उत्पादों के अधिक मूल्य उत्पादों के कारण सरकार से मूल उत्पादन में समर्थन की अपेक्षा है; और

(घ) इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बुनियादी स्तर (एक्स-बेन्जलडिहाइड) से क्लोरएमफेनीकल के दो स्वदेशी निर्माताओं की लाइसेंस-शुदा क्षमता 60 टन (विस्तार के बाद) और 20 टन है। इन यूनिटों के अध्ययन के आधार पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में क्लोरएमफेनीकल चूर्ण के लिए एक यूनिट की स्थापित क्षमता 22 टन और दूसरी यूनिट की 41.84 टन निश्चित की है। उत्पादन में सामान्य रुकावट सहित ये दोनों यूनिटें अपनी निर्धारित क्षमता के स्तर से क्लोरएमफेनीकल का निर्माण कर रही हैं।

(ख) अपनी सिफारिश करने से पूर्व औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो सहायक इनवाल्स और युक्तिसंगत प्रलेखों की सहायता से विभिन्न निवेशों के लिए लागत के दावे की विधिवत जांच करता है।

(ग) और (घ) एक्स बेन्जलडिहाइड के बुनियादी स्तर से क्लोरमफेनीकल चूर्ण के निर्माण के लिए नियत मूल्य कुशल निर्माण की उत्पादन लागत पर आधारित है। यद्यपि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बुनियादी स्तर से क्लोरमफेनीकल चूर्ण का वर्तमान निर्माण दक्ष प्रौद्योगिकी से नहीं है फिर भी क्लोरमफेनीकल के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार की हमेशा गुंजाइश है और सरकार उसका समर्थन करेगी।

कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने की नई योजना

3626. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने पर कितना समय लगने और कितना व्यय होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :(क) जी, हां।

(ख) कोकर कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई खानें खोलने वर्तमान खानों के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए 13 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन का काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा, झरिया कोयला क्षेत्र में खानों के पुनर्गठन के लिए एक समग्र योजना भी बनाई गई है, इस योजना के अन्तर्गत कोकर कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी।

(ग) इन योजनाओं पर कुल निवेश लगभग 380 करोड़ रुपये आएगा और इन्हें छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। झरिया पुनर्गठन परियोजना पर, उसका सन् 2000 ईस्वी तक कार्यान्वयन करने के लिए कुल निवेश 5300 करोड़ रुपये होगा।

उज्जैन में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3627. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान टेलीफोन क्षमता कितनी है और प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्ति हैं तथा प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को टेलीफोन कब तक दे दिये जायेंगे;

(ख) उज्जैन टेलीफोन ऐक्सचेंज को वातानुकूलित बनाने का काम कब तक पूरा हो जाना चाहिए था और क्या वातानुकूलन कार्य इस बीच पूरा हो गया है; और

(ग) क्या उज्जैन डी० ई० टी० के अन्तर्गत सभी एक्सचेंजों में कर्मचारियों की संख्या के कार्य-भार की आवश्कता के अनुरूप है और यदि कहीं कोई कमी है तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और वहां इनकी संख्या कब तक बढ़ाई जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) :

(क) उज्जैन टेलीफोन एक्सचेंज की सज्जितक्षमता } 2300 लाइनें

23-2-1982 को प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियो की संख्या } 400

ऐसी आशा की जाती है कि कि एक्सचेंज का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने पर 1984-85 तक प्रतीक्षा-सूची के अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जायंगे।

(ख) उज्जैन टेलीफोन एक्सचेंज के वातानुकूलन का लक्ष्य दिसम्बर, 1981 था। सांविधिक मौसमी परीक्षण पूरे हो जाने के बाद मई, 1982 में इस संयंत्र के चालू हो जाने की संभावना है।

(ग) उज्जैन तथा नागदा के एक्सचेंजों में कुछ कमी है। यथाशीघ्र रिक्तियां को भरने के लिये कार्रवाई पहले से ही आरंभ कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन और "बाल्को" तथा भिलाई इस्पात संयंत्र को सप्लाई

3628. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली का उत्पादन करने वाले सयंत्रों में खराबी के कारण 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने लाख यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया जा सका;

(ख) "बाल्को" (अल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला एक संयंत्र) और भिलाई इस्पात संयंत्र की अलग-अलग कितने मेगावाट बिजली की मांग थी और क्या इन संयंत्रों को इनकी मांग के अनुसार बिजली सप्लाई की गई थी और यदि नहीं, तो 1981-82 में इन संयंत्रों में से प्रत्येक के उत्पादन पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(ग) मध्य प्रदेश में 1981-82 के दौरान दिनांकवार बिजली का न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन कितने मेगावाट हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में 7555 मिलियन यूनिट के लक्ष्य को तुलना में वर्ष 1981-81 के दौरान 6757 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन होने की आशा है। इसलिये ऊर्जा उत्पादन में लगभग 798 मिलियन यूनिट की कमी रही है, इसके विभिन्नकरण हैं जिसमें उत्पादन यूनिटों में दोषों का होना भी शामिल है। दोषों के कारण उत्पादन क्षमता में हुई हानि का अलग-अलग से अनुमान नहीं लगाया जा सका है। उत्पादन संयंत्र में दोष के कारण गांधी सागर जल विद्युत केन्द्र के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई।

(ख) बालकोकी अनुबंधित मांग 5 मई, 1981 से 170 मेगावाट है। बालको की अधिकतम मांग पर 2 नवम्बर, 1981 तक 25 प्रतिशत को कटौती थी जो 3 नवम्बर, 1981 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई थी। 1981-82 के सारे वर्ष के दौरान 18.00 बजे से 22.00 बजे के दौरान प्रतिदिन 30 प्रतिशत की अतिरिक्त अधिकतम कटौती रही। भिलाई इस्पात संयंत्र की अनुबंधित मांग 110 एस वी० ए० है। बी० एस०पी० को सप्लाई पर दिन के समय 45 प्रतिशत की कटौती लागू है और 3 नवम्बर, 1981 से 18.00 बजे से 22.00 बजे तक 30 प्रतिशत अतिरिक्त कटौती लागू है। तथापि, प्रौद्योगिकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए संख्या के व्यस्ततम घंटों के दौरान 65 एम० वी० ए० और दिन के अन्य घंटों में अनुबधित माँग को मात्रा तक बिजली देने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। विद्युत कटौतियों के कारण बालको और भिलाई को हुई हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों से मध्य प्रदेश का अधिकतम विद्युत उत्पादन 1158 मेगावाट था। यह 15 दिसम्बर, 1981 को 20.00 बजे प्राप्त किया गया था मध्य प्रदेश में न्यूनतम विद्युत उत्पादन 24 जून, 1981 को 17.00 वजे 390 मेगावाट। था।

बम्बई हाई वे कच्चे तेल को "अरब लाईट कच्चे तेल" से बदलने के लिये विश्व भर से टेंडर आमंत्रित करना

3629. **श्री एम० एस० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई के कुछ कच्चे तेल को अरब लाइट क्रूड से बदलने के लिए विश्व भर से टेंडर आमन्त्रित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पन्न में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन आवेदन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशकर) : (क) से (ग) बम्बई हाई कच्चे तेल के विनिमय के लिए 1981-82 के दौरान सीमित टेंडर जारी किए गये हैं। अभी तक ट्रांसवर्ल्ड कम्पनी, बरमूदा के साथ एक मिलियन मी० टन बम्बई हाई तेल का अरेनियम कच्चे तेलों की सामान मात्रा का विनिमय करने के लिए 1982 में प्रबन्ध निश्चित किये गये हैं। की अतिरिक्त मात्राओं का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की भी बम्बई हाई कच्चे तेल समान मात्राओं के साथ विनिमय करने के प्रबन्ध भी अन्तिम रूप से निश्चित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आगे और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

ग्रामीण बैंकों में पब्लिक काल कार्यालय

3620. **श्री रामलाल रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक काल कार्यालयों द्वारा निरंतर कार्य करने और ग्रामीण जनता को उसका ठीक-ठीक लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कोई सुधार किये जाने की संभावना है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नये पी० सी० ओ० खोलने पर हानि होती है; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह हानि पी० सी० ओ० के अकुशल कार्यसंचालन से होती है या संचार साधनों की दर में लगातार वृद्धि के कारण, और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सार्वजनिक टेलीफोन घरों के सुचारु रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए उनका दिन में तीन बार परीक्षण किया जाता है ! इस परीक्षणों के दौरान यदि कोई दोष मिलते हैं तो अविलम्ब उन्हें ठीक कर दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) वित्तीय रूप से यदि प्रस्ताव व्यवहार्य होता है तो किसी स्थान पर सामान्यता लम्बी दूरी का नया सार्वजनिक टेलीफोन घर उपलब्ध करा दिया जाता है। चूंकि आमतौर पर सभी स्थानों के लिए यह शर्त पूरी नहीं होती है अत: विभाग की उदारी कृत नीति के अनुसार अविकसित अथवा पिछड़े क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ श्रेणियों के स्थान पर घाटे पर भी सार्वजनिक टेलीफोन घर उपलब्ध कराये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मछली शहर और शाहगंज में मिट्टी के तेल के डिपुनों की स्थापना

3631. **श्री राम लाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की मछली शहर, शाहगंज तहसील और जौनपुर जिले में मिट्टी के तेल के डिपुओं की स्थापना किये जाने हेतु एक संसद सदस्य ने उन्हें पत्र लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) जी, हां ।

(ख) ग्राहकों की उपलब्धता के आधार पर अपनी वर्ष 1982-83 की योजना के अनुसार तेल कम्पनियों का शाहगंज में एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० की एजेंसी खोलने का प्रस्ताव है । परन्तु इस समय मछली शहर में इस प्रकार की एजेंसी खोलना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं समझा गया है ।

भारत में बनी विदेशी शराब पर नियंत्रण

3632. **श्री अनन्त रामुलु मुल्लु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में बनी विदेशी शराब और देशी शराब पर नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या किस्म नियंत्रण के लिए भारत मानक संस्थान के कोई विशिष्ठि विवरण है; और

(घ) उन निर्माताओं के नाम क्या है जो भारत मानक संस्थान के विशिष्ठि विवरण वाली भारत में बनी विदेशी और देशी शराब बनाते हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत भारत में निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब के निर्माताओं को लाइसेंस की आवश्यकता होती है । वर्ष 1975 से 100 प्रतिशत निर्यात सम्बन्धी मामलों को छोड़कर अल्कोहल पेय को आसवन और शोधन के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजन, या वर्तमान क्षमता के विस्तार पर प्रतिबंध है ।

भारत में निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब पर राज्य सरकारें गुण नियंत्रण लागू करती हैं । भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) द्वारा लाइसेंसशुदा यूनिटों के सम्बन्ध में आई० एस० आई० ने रम, ह्विस्की, टेबल शराब, जिन, ब्राण्डी, वोदका, टाडी, देशी शराब और बीयर के लिए विशिष्टताओं का प्रकाशन किया है । आई० एस० आई० द्वारा लाइसेंसशुदा यूनिटों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है ।

विवरण

आई. .एस. : 3811-1976 रम

1. मै. मैसूर कम्पनी, लि.
2. मै. पाम्पसर डिस्टलरी
3. मै. खेडी डिस्टलरी प्रा. लि.
4. मै. यजडी डिस्टलरी
5. मै. तिलकननर डिस्टलरीज एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
6. मै. खेडी ब्रीविंग एण्ड डिस्टलिंग इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
7. मै. अमदा डिस्टलरीज प्रा. लि.

आई. एस. : 3865-1978 बीयर

1. मै. अरलम, ब्रीवरीज लि.
2. मै. खेडी ब्रीवरिंग एण्ड डिस्टलिंग इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
3. मै. स्केल ब्रीवरीज लि.

आई. एस. : 4100-1967 जिन

1. मै. मैसूर सूगर कम्पनी लि.
2. मै. यजडी डिस्टलरीज लि.
3. मै' तिलकनगर डिस्टलरीज एण्ड इन्डस्ट्रीज
4. मै. खेडी ब्रीवरिंग एण्ड डिस्टलिंग इन्डस्ट्रीज
5. मै. खेडी डिस्टलरीज प्रा. लि.

आई. एस. : 4449-1980 ह्विस्की

1. पम्पासर डिस्टलरीज, इण्डिया सूगर एण्ड रिफाइनरीज लि.
2. लरत मैसूर सूगर कम्पनी लि.
3. मै. खेडी डिस्टलरीज प्रा. लि.
4. मै. यजडी डिस्टलरीज
5. मै. तिलकनगर डिस्टलरीज एण्ड इन्डस्ट्रीज
6. मै. खेडी ब्रीविंग एण्ड डिस्टलिंग इन्डस्ट्रीज
7. मै. सिम्बोली इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.

आई. एस.: 4450-1978 ब्राण्डी

1. मै. पम्पासर डिस्टलरीज
2. मै. खेडी डिस्टलरीज प्रा. लि.
3. मै. मैसूर सूगर कम्पनी लि.
4. मै. यजडी डिस्टलरीज
5. मै. तिलकनगर डिस्टलरीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि.
6. मै. खेडी ब्रीविंग एण्ड डिस्टलिंग इन्डस्ट्रीज

आई. एस. : 5287-1969 देशी शराब

1. मै. पम्पासर डिस्टलरी, इण्डिया सूगर एण्ड रिफाइनरीज लि.।

विद्युत संकट का सामना कर रहे राज्य

3633. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कौन-कौन से राज्य विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्यों में विद्युत संकट पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश, पूर्वी क्षेत्र में बिहार और उड़ीसा तथा दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक इस समय विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। परन्तु पिछले वर्ष की तुलना में वहां विद्युत की स्थिति बेहतर है।

(ख) विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं, विद्युत उत्पादन की अपर्याप्त क्षमता, ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन अपेक्षाकृत असंतोषजनक होना तथा वर्ष 1981 के दौरान कम वर्षा होना।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने कई उपाय किए हैं; यथा मंयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना, उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था करना तथा 110/120 तथा 200/210 मेगावाट के यूनिटों कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कृतिक बलों का गठन करना। दीर्घ-कालिक उपाय के रूप में, छठी योजना अवधि के दौरान लगभग 20000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है।

नये डाकघरों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

3634. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान नये डाकघर और स्टाफ क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये नये डाकघर स्टाफ क्वार्टर किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा बाद में उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

लघु पन बिजली संयंत्र प्रौद्योगिकी का आयात

3635. **श्री मगन भाई बरोट :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ऊर्जा की भारी कमी को ध्यान में रखते हुये लघु पन बिजली संयंत्र प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए गंभीर कदम उठायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि चीन ने इस बारे में अपनी जानकारी देने की पेशकश की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के संयंत्रों के कथित लाभों को ध्यान में रखते हुये देश में इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना हेतु एक त्वरित कार्यक्रम बनाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में अनेक मिनी जल विद्युत परियोजनाएं पहले से ही प्रचालन में हैं । स्वदेशी फर्में, इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए संयंत्र और उपस्कर सप्लाई करने की स्थिति में हैं । तथापि, जहां कहीं उपयुक्त स्वदेशी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं होते वहां उपस्कर के आयात का सहारा लिया जाता है ।

(ख) इस मन्त्रालय में इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) देश में मिनी जल विद्युत स्कीमों के विकास को सरकार काफी महत्व देती है । इस संबंध में, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऊर्जा मन्त्रालय ने राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है । राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि सिंचाई कार्यों के लिए बनाये जा रहे बांधों/नहरों से छोड़े जाने वाले जल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की जाए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (केन्द्र सरकार का एक उपक्रम) त्वरित कार्यक्रम की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है ।

उड़ीसा में सीधे डायल करने की सुविधायें

3636. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन नगरों में इस समय सीधे डायल करने की सुविधा है;

(ख) छठी योजना के दौरान राज्य के अन्य किन नगरों को यह सुविधा दी जायेगी; और

(ग) राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कब तक यह सुविधा मिल जायेगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) उड़ीसा के निम्नलिखित नगरों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध हैं :

(1) बहरायपुर (2) भुवनेश्वर (3) कटक (चौद्वार भी) (4) राउरकेला ।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित नगरों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है 1. बारगढ़ 2. पुरी 3. झारशगुडा 4. बोलनगीर 5. बालासोर 6. सम्बलपुर ।

(ग) चालू तथा अनुवर्ती योजनाओं के दौरान राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को उत्तरोत्तर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से हुआ वायु प्रदूषण

3637. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से वायु प्रदूषण अर्थात् धुंआ, जहरीला धुंआ और धुंये की राख जो दिल्ली महानगर क्षेत्र के लिये खतरे का साधन है, में बढ़ती हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ख) क्या अधिकारियों ने यूनिट 1 और 5 में अत्याधुनिक ई० एस० पी० (इलेक्ट्रानिक प्रीसिपिटेटर) की चिमनियां लगाई हुई हैं, यदि हां, तो क्या अक्तूबर, 1982 तक कार्य पूरा हो जायेगा; और

(ग) जनस्वास्थ्य के खतरे से लोगों को बचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यूनिट 2 से 4 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आरम्भ की गई वायु प्रदूषण विरोधी परियोजना के परिणामस्वरूप, इन्द्रप्रस्थ ताप-विद्युत केन्द्र की चिमनियों से राख-धूल के निस्सरण में कुछ कमी हुई है । इस परियोजना को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना है ।

प्रथम चरण के अन्तर्गत इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट-1 (चिमनी सं० 1) के लिए नए इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर की प्रतिष्ठापना और चालू किए जाने का कार्य जनवरी, 1979 तक पूरा किया गया ।

दूसरे चरण में, इन्द्रप्रस्थ ताप-विद्युत केन्द्र के यूनिट सं० 2, 3 और 4 के मौजूदा इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर का विस्तार-कार्य, संशोधन तथा गैस कन्डीशनिंग का कार्य पूरा होने के करीब है। सप्लायरों द्वारा आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं ताकि अनुबन्ध के प्रावधान के अनुसार, उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

परियोजना के तीसरे चरण के अन्तर्गत, इन्द्रप्रस्थ केन्द्र के यूनिट सं० 5 के लिए अतिरिक्त इलैक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसिपिटेटर की सप्लाई और प्रतिष्ठापना के लिए मै० भारत हैवी इलै० लि० के नवम्बर, 1980 में आर्डर दिया गया था। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य अक्तूबर, 1982 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। इससे, इन्द्रप्रस्थ केन्द्र की चिमनियों के निस्सरण स्तर में 150 एम० जी०/एन० एम^3 तक कमी हो जाने की आशा है जो कि अधिकांश उन्नत देशों में स्वीकार्य मानदण्ड हैं।

छठी योजना में उर्वरकों की मांग और सप्लाई

3638. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री रामप्यारे पनिका :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक गैस फर्टिलाइजर की मांग वर्तमान उर्वरक संयत्रों की उत्पादन क्षमता के ऊपर है, यदि हां, तो छठी योजना में विभाग को प्रक्षेप क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की संतुलित अवधि में कितने नये संयंत्र उत्पादन करना शुरू कर देंगे, वे किन स्थानों में होंगे, उनकी लागत क्षमता क्या होगी और उनका उत्पादन शुरू में क्या होगा; और

(ग) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान (1) नाइट्रोजन और (2) फास्फेट की मांग और सप्लाई के लिए क्या अनुमान है, और अन्तर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) शायद प्रश्न में उर्वरकों की मांग का हवाला दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अन्त तक उर्वरक के रूप में 60 लाख टन नाइट्रोजन और लगभग 23 लाख टन $पी_2 ओ_5$ की मांग का अनुमान है। छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अन्त तक 42 लाख टन नाइट्रोजन और 14 लाख टन $पी_2 ओ_5$ का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली संभावित परियोजनाओं से सम्बन्धित अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

परियोजना का नाम/स्थल	क्षमता (टनों में)	अद्यतन उपलब्ध लागत अनुमान (रुपये करोड़ों में)	वाणिज्यिक उत्पादन की संभावित तिथि
दाम्बें I	1,51,800 (नाइट्रोजन)	166.09	अप्रैल, 1982
बरुच	2,73,000 (")	445.00	अप्रैल, 1982
हल्दिया	1,50,900 (") 75,000 (P_2O_5)	281.96	अक्तूबर, 1982
तलोजा	50,000 (नाइट्रोजन)	55.35	जनवरी, 1983
तुतीकोरीन	27,000 (")	13.60	मई, 1983
(विस्तार)	70,000 (P_2O_5)		
गोवा (विस्तार)	16,435 (नाइट्रोजन) 42,000 (P_2O_5)	7.50	सितम्बर, 1984
नाम-रूप-III	1,52,000 (नाइट्रोजन)	239.15	नवम्बर, 1984
थाल	6,83,000 (")	732.60	अगस्त/सितम्बर, 1984 (चरण-I) दिसम्बर, 1984 (चरण-II)
हजीरा	6,68,000 (नाइट्रोजन)	960.00	मार्च, 1985 (चरण-I)

(ग) नाइट्रोजन और फास्फेट की मांग और स्वदेशी उत्पादन नीचे दर्शाए गए हैं :

वर्ष	नाइट्रोजन		P_2O_5	
	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन
1980-81	36.78	21.64	12.14	8.41
1981-82 (अनुमानित)	41.15	31.30	13.42	9.50

वर्ष 1982-83 तक के लिए 48.03 लाख टन नाइट्रोजन और 15.73 लाख टन P_2O_5 की खपत का लक्ष्य है। वर्ष 1982-83 के दौरान उर्वरक के उत्पादन का लक्ष्य अभी नियत नहीं किया गया है।

उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है जिसकी व्यवस्था कृषि मन्त्रालय करता है।

स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना

3639. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अगले दो वर्षों के दौरान विशेष तथा स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये डाक टिकट किन तारीखों और अवसरों तथा व्यक्तियों पर जारी किये जाएंगे;

(ग) नई डाक टिकटों के लिए प्राप्त प्रस्ताव; वे किन से प्राप्त हुए हैं, किनकी स्वीकृति विचाराधीन है, इसका ब्योरा क्या है; और

(घ) 1981-82 के दौरान विभाग द्वारा रद्द किए गए सभी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और उनमें से प्रत्येक के स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी एम० स्टीफन) : (क) और (ख) विभाग द्वारा विशेष और स्मारक डाक टिकट प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। इन डाक टिकटों को जारी करने के कार्यक्रम को कलेंडर वर्ष के किए सामान्यतः 8 से 10 महीने पहले अन्तिम रूप दिया जाता है। ऐसी डाक टिकटों को जारी करने के कार्यक्रम को दर्शाने वाला विवरण "क" संलग्न है। अगले कलेंडर वर्ष, 1983 के दौरान डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) नए डाक टिकट जारी करने हेतु प्रस्तावों का ब्योरा जिनका अनुमोदन लम्बित है तथा प्रेषकों का ब्योरा विवरण "ख" में दिया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में एक विवरण संकलित किया जा रहा है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण-क

वर्ष 1982 के लिए डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम

जारी करने की तारीख	विषय
1	2
28 जनवरी, 1982	टेलीफन सेवा शताब्दी
08 फरवरी, 1982	अन्तर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सम्मेलन

1	2
02 मार्च, 1982	जे० जे० स्कूल आफ आर्ट्स की 125-वीं जयंती
15 मार्च, 1982	पाब्लो पिकासो
23 मार्च, 1982	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
23 मार्च, 1982	प्राचीन मूर्ति कला (2 डाक टिकटों का सैट)
24 मार्च, 1982	क्षय रोग दण्डाणु की खोज शदाब्दी
*	हिमालय के पुष्प (4 डाक टिकटों का सैट)
09 मई, 1982	दुर्गा बाई देशमुख
04 जून, 1982	दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शताब्दी
01 जुलाई, 1982	बी० सी० राय
22 जुलाई, 1982	नवम एशियाई खेल
14 अगस्त, 1982	तेल की खोज
03 सितम्बर, 1982	स्काउट आन्दोलन की 75 वीं जयंती
*सितम्बर, 1982	समसामयिक कला (2 डाक टिकटों का सैट)
01 अक्तूबर, 1982	बन्य जीवन
08 अक्तूबर, 1982	भारतीय वायु सेना 50वीं जयंती
09 अक्तूबर, 1982	भारतीय वस्त्र (2 डाक टिकटों का सैट)
21 अक्तूबर, 1982	भारतीय पुलिस
02 नवम्बर, 1982	ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन लिंक
14 नवम्बर, 1982	बाल दिवस
19 नवम्बर, 1982	नवम एशियाई खेल (4 डाक टिकटों का सैट)
10 दिसम्बर, 1982	भारतीय मिनिट्री अकादमी की 50वीं जयंती
*	डाक घर बचत बैंक शताब्दी

(इनमें परिवर्तन हो सकते हैं)

* निश्चित तारीख घोषित की जाएगी।

विवरण-ख

फिलैटली सलाहकार समिति के विचारार्थ लंबित विशेष/स्मारक डाक टिकटों हेतु प्रस्ताव

क्रम सं०	व्यक्तित्व/घटना	से प्राप्त
1.	विश्व संचार वर्ष, 1983	अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ का अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो
2.	श्री नरसी नाथ	श्री समसथ कुव्ची दशा ओसवाल जैन गंती समिति, हुबली
3.	आन्ध्र महाभागवत के 500 वर्ष	श्री पी० वी० नरसिंह रावविदेश मन्त्री
4.	साइमन बोलीवर	विदेश मंत्रालय
5.	फ्लोरेंस नाइटिंगेल	अध्यक्ष, प्रशिक्षित नर्स यूनियन, पुणे
6.	सेना सेवा कोर	निदेशक सैनिक डाक सेवा
7.	भारतीय सर्प, ड्रेस एवं प्राकृतिक सौन्दर्य	श्री पी० के० डे०, फिलेटलिस्ट, असम
8.	पोत्ती श्रीरमालू	श्री टी० अंजैया, तत्कालीन मुख्य मंत्री आंध्र प्रदेश
9.	राष्ट्रमंडल दिवस, 1983	श्री एस० एस० रामफल, राष्ट्रमंडल महा-सचिव
10.	चर्च आफ अवर लेडी आफ दी स्नो	रेवॅशा फादर एल० मिरांडा डी० डी० पारिश प्रीष्ट, दी चर्च आफ अवर लेडी आफ दी स्नो, तूतीकोरिन तथा तूतीकोरिन के अधिसंख्य निवासी
11.	अब्दुल कैयूम अन्सारी	महासचिव तथा संगठन सचिव बिहार राज्य बंकर संघ, पटना
12.	डा० एस० रंगाचारी	डा० एस० रंगाचारी शताब्दी समिति, मद्रास
13.	डाक जीवन बीमा	डाक-तार विभाग
14.	बम्बई नेचुरल हिस्टरी सोसायटी की शताब्दी	बम्बई नेचुरल हिस्टरी सोसाइटी बम्बई

दवाइयों और औषध निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए क्यूबा के साथ करार

3640. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दवाइयों और औषध निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग देने के लिए 1981 में भारत और क्यूबा के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) उन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं जो दवाइयों के निर्माण के लिए सहमत हैं तथा वे किन-किन दवाइयों का निर्माण करेंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषधों और भेषजों के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग देने के लिए भारत और क्यूबा के बीच कोई करार नहीं किया गया है। गत वर्ष क्यूबा के जन स्वास्थ्य उपमन्त्री के भारत के दौरे के अन्त में शिष्ट-मंडल ने भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की थी। एक ज्ञापन, जो उस बातचीत के स्वीकार्य कार्ययुक्त के रूप में था, पर हस्ताक्षर किये गये थे। ब्यौरे, दिनांक 8-9-1981 को पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 327 के उत्तर में दे दिये गये थे।

बातचीत के ज्ञापन पर भारत सरकार द्वारा अभी तक की गई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है :

(1) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० ने क्यूबा से शक्कर का प्रयोग करते हुए पेनिसिलिन के लिए प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित संयंत्र के आकार के संबंध में क्यूबा सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) क्यूबा द्वारा अपेक्षित बल्क औषधों के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के संक्षिप्त विवरण उनको भेज दिये गये हैं। अल्कोहल, यूरिया और फरफूरल पर आधारित रसायनों के निर्माताओं के नाम इस सुझाव के साथ भेजे गये थे कि निर्माण स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए वे उक्त कम्पनियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

(3) साराभाई अनुसंधान केन्द्र (एस० आर० सी०) ने सार्विटोल के निर्माण पर क्यूबा सरकार को एक प्रश्नावली भेजी है और क्यूबा सरकार द्वारा भरी गई प्रश्नावली एस० आर० सी० को लौटा दी गई है। कच्ची सामग्री के रूप में हेमोजिनन का प्रयोग करते हुये स्टेरियड प्रौद्योगिकी प्राप्त करने पर मै० सिप्ला को क्यूबा सरकार के सम्पर्क में लाया गया है और वे आपस में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

(4) सेंट्रल इन्सटीट्यूट आफ मेडिसनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ ने दवाइयों के पौधों और उनसे सक्रिय तत्व निकालने के बारे में अपनी विशेषता का ब्यौरा दिया है।

क्यूबा मे ल्यूकोडरमा के उपचार के लिए प्रयुक्त मेलाजिनन के पंजीकरण के लिए क्यूबा सरकार को सलाह दी गई है कि वे भारत में उसका प्रयोग करने के लिए औषध नियंत्रक (भारत) से सम्पर्क करें।

(5) प्रोस्टाग्लेन्डिन मध्यवर्ती के बारे में संयुक्त रूप से अनुसंधान करने के लिए भारत में स्टेरियड्स का निर्माण करने वाली भारतीय कम्पनी के साथ सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

(6) भारत में भेषज मशीनरी का निर्माण करने वाले कुल विख्यात निर्माताओं के नाम और पते दर्शाने वाली एक सूची भारतीय दूतावास को भेजी गई है ताकि वह उसे क्यूबा सरकार को भेज सके ।

(7) औषधों और भेषजों के क्षेत्र में क्यूबा के वैज्ञानिकों/इन्जीनियरों को भारत में प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों में विचार किया जा रहा है ।

(8) आई० डी० पी० एल० ने क्यूबा को 7 बल्क औषधों की सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा है । तदनुसार भारतीय दूतावास से अनुरोध किया गया है कि वह क्यूबा के प्राधिकारियों को सलाह दे कि वे इन औषधों को खरीदने के लिए आई० डी० पी० एल० से सीधा सम्पर्क करें ।

(ख) इस समय क्यूबा में बल्क औषधों का निर्माण करने के लिए किसी भारतीय कम्पनी का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, कुछ चुनीदा बल्क औषधों का क्यूबा द्वारा निर्माण आरम्भ किये जाने के लिये प्रौद्योगिकी और सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है ।

डाक कर्मचारियों के लिये कर्मचारी चयन आयोग

3641. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक डाक सर्किलों को कर्मचारी चयन आयोग की सेवाएं उपलब्ध हैं ताकि होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यार्थियों का तत्काल चुनाव किया जा सके;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या विशेष कारण हैं; और

(ग) उन सर्किलों के क्या नाम हैं जिन्हें ये सुविधाएं अभी तक उपलब्ध होनी हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) से (ग) विभाग के किसी भी डाक सर्किल में कोई कर्मचारी चयन आयोग नहीं है ।

डाक सर्किलों तथा प्रशासनिक कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती तथा डाक सर्किलों में स्टेनोग्राफरों की भर्ती कार्मिक विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारी चयन आयोग के जरिए की जाती है । डाक सहायकों तथा छंटाई सहायकों जैसे अन्य बड़े काडरों में की जाने वाली भर्ती का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है । यह कार्य डिवीजनल स्तर पर इसलिए किया जाता है ताकि भर्ती प्रक्रिया तीव्र हो सके तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकाधिक स्थानीय व्यक्तियों को सेवा में लिया जा सके । विभाग का यह अनुभव रहा है कि विकेन्द्रीकरण की विधि के द्वारा भर्ती करने की प्रणाली रिक्तियों को तेजी से भरने तथा विभाग की प्रचालन आवश्यकताओं को शीघ्र पूरी करने में सहायता करती है ।

राजधानी में डीजल का दुर्विनियोग

3642. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में डीजल के दुर्विनियोग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत दो महीनों के दौरान राजधानी में कालाबाजारी विरोधी अभियान चलाया है;

(ग) यदि हां, तो गत दो महीनों में डीजल की कालाबाजारी और दुर्विनियोग के कुल कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) सरकार द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डीजल की उपलब्धता में अभी हाल में कोई कठिनाइयां नहीं हैं। दिल्ली प्रशासन ने दिनांक 9 अप्रैल, 1981 से हाई स्पीड डीजल तेल की खरीद, बिक्री, वितरण और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी निदेशों, आदेशों और अनुदेशों को अपने दिनांक 9-4-81 के आदेश संख्या एफ०/एच० एस० डी०/1/79-फियुल/80-81/1981 से दिल्ली प्रशासन ने रद्द कर किये हैं। उक्त आदेश की एक प्रति संलग्न है [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3557/82] इसलिए डीजल में हुए कथित दुरुपयोग/कालाबाजारी आदि को रोकने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रोड्यूसरों/वरिष्ठ प्रोड्यूसरों के पदोन्नति के अवसर

3643. **श्री मुहम्मद असरार अहमद :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक स्टेशन पर प्रोड्यूसर संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के अभाव में कार्यक्रम का स्तर गिरता जा रहा है, और यदि हां, तो इसे ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार समान नियुक्ति, पदोन्नति आदि नियमों के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेषज्ञ संवर्ग सृजित करने का है;

(ग) क्या सरकार लम्बी अवधि की सेवा वाले योग्य, अनुभवी और उच्च शिक्षा प्राप्त प्रोड्यूसरों और वरिष्ठ प्रोड्यूसरों को पदोन्नति देकर उन्हें नये ऊंचे वेतनमान देने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर हां में है तो इस योजना का ब्योरा क्या है और यदि नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी, नहीं ।

(घ) कार्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता बनाए रखना और उनमें सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसको स्टाफ आर्टिस्टों सहित कार्यक्रम अधिकारियों के मिले-जुले काम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । नियमित कार्यक्रम अधिकारी और स्टाफ आर्टिस्ट जिन्हें कान्ट्रेक्ट पर रखा जाता है, दोनों के लिए पदोन्नति के अवसर उनके अपने-अपने संवर्गों में पहले ही उपलब्ध हैं और उनको नियमों के अनुसार पदोन्नति के पूरे अवसर दिए जाते हैं ।

स्टेशन निदेशक के बतौर वरिष्ठ प्रोड्यूसरों की नियुक्ति

3644. **श्री मुहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के लिए प्रसारण सेवा को इन्जीनियरी संवर्ग के समान बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस नई सेवा में आकाशवाणी विशेषज्ञ कोटि के प्रोड्यूसर संवर्ग को भी शामिल करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में स्टेशन निदेशक के पद पर केवल विशेषज्ञों को ही नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार सहायक स्टेशन निदेशक के पदों पर वरिष्ठ प्रोड्यूसरों को नियुक्त करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन ने यह अनुरोध किया है कि नियमित कार्यक्रम संवर्ग के कर्मचारियों के लिए एक संगठित समूह 'क' सेवा बनाई जानी चाहिए । इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं । इस समय प्रोड्यूसर संवर्ग के कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं ।

(ग) केन्द्र निदेशक के पद के स्वीकृत भर्ती नियमों में अब भी विशेषज्ञता की समग्रता के आधार पर ही सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है ।

(घ) जी, नहीं । इस समय, वरिष्ठ प्रोड्यूसर स्टाफ आर्टिस्टों के संवर्ग में हैं और उनका पदोन्नति चैनल उप-मुख्य प्रोड्यूसर और मुख्य प्रोड्यूसर के पदों के लिए है ।

डाक और दूर संचार सुविधाओं का विस्तार

3645. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में दो लाख टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1982 के अन्त तक सभी बकाया कनेक्शन इस अवधि में दे दिये जायेंगे;

(ग) चालू वर्ष के दौरान संचार से संबंधित अन्य कौन-कौन से प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) उसी अवधि के दौरान इसके लिये कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान डाक तार विभाग द्वारा डाक और दूरसंचार सुविधाओं के जिस विस्तार की योजना बनाई जा रही है, उसका ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1981-82 के लिए 2 लाख लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ) सूचना संलग्न विवरणों में दी गई है। 1981-82 के दौरान दूरसंचार विस्तार कार्यक्रम पर लगभग 452.0 करोड़ रुपये तथा डाक सेवाओं पर लगभग 1.38 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा ।

विवरण-1

1981-82 के लिए दूरसंचार विस्तार कार्यक्रम की मुख्य मदें

1. स्विचिंग क्षमता	2.25 लाख लाइनें
2. टी० ए० एक्स० (मुख्य तथा गौण)	2
3. टी० ए० एक्स० क्षमता	5700 लाइनें
4. एस० टी० डी० मार्ग	15
5. तारघर	2800
6. लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर	2800
7. टेलेक्स एक्सचेंज	20
8. टेलेक्स एक्सचेंज क्षमता	1200 लाइनें
9. सहधुरीय केबुल	2245 कि० मी० (मार्ग)
10. यू० एच० एफ० प्रणालियां	2686 कि० मी० (मार्ग)
11. सूक्ष्मतरंग	3500 कि० मी० (मार्ग)

विवरण-2

वार्षिक योजना 1981-82 हेतु डाक पक्ष के विकास हेतु योजना लक्ष्य

	ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या	उन ग्रामों की संख्या जिनमें काउंटर सेवा सुविधायें प्रदान की जाएंगी	स्थापित किए जाने वाले लैटर बाक्सों की संख्या	डाक के दैनिक वितरण नियुक्त किए जाने वाले विभागेतर वितरण एजेन्टों की संख्या
1. आन्ध्र	105	310	155	120
2. बिहार	175	210	105	125
3. दिल्ली	5	—	—	—
4. गुजरात	60	75	38	105
5. जम्मू एवं कश्मीर	50	20	10	80
6. कर्नाटक	85	80	40	80
7. केरल	55	40	20	35
8. मध्य-प्रदेश	170	85	42	275
9. महाराष्ट्र	145	210	105	235
10. उत्तर-पूर्वी	105	80	40	220
11. उत्तर-पश्चिमी	65	75	38	95
12. उड़ीसा	65	65	32	110
13. राजस्थान	105	80	40	180
14. तमिलनाडु	85	210	105	100
15. यू. पी.	220	320	160	150
16. पश्चिमी बंगाल	105	140	70	90
	1600	2000	1000	2000

अन्य राज्यों को सप्लाई की गई विद्युत के लिए केरल द्वारा प्रशुल्क दरों का बढ़ाया जाना

3646. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल द्वारा अन्य राज्यों को सप्लाई की गई विद्युत की प्रशुल्क दर बढ़ाने के लिए केरल सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कुछ पड़ोसी राज्यों को सप्लाई की गई बिजली के लिए टैरिफ दरों को बढ़ाने के बारे में केरल राज्य बिजली बोर्ड विचार कर रहा है। यह एक ऐसा मामला है जोकि सामान्यत: सम्बन्धित राज्यों द्वारा निपटाया जाना है।

न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना

3647. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में विधि आयोग का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित विधि आयोग को सौंपे गए कार्यों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3558/82] सौंपे गए एक कार्य का सम्बन्ध तकनीकी बातों और विलम्ब की युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने की दृष्टि से प्रक्रिया को सरल बनाना है जिससे कि वह न्याय प्राप्त करने के एक साधन के रूप में, न कि स्वयं साध्य के रूप में रहे।

दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधायें

3648. **श्री अनन्त रामुलु मुल्लु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश 2500 से अधिक जनसंख्या वाले उन गांवों की सब डिवीजन वार और खंड-वार संख्या कितनी है जिन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और जो अब भी प्रतीक्षा सूची में है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के लाभ मिलने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल संकट

3649. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल संकट और देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले इसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जानकारी है;

(ख) इस संकट का सामना करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी राशनिंग लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों में शीघ्र वृद्धि होने के कारण स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कई उपाय आरम्भ किये हैं । ये केवल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में संरक्षण करना ही नहीं है बल्कि अन्वेषी कार्यकलापों का विकास करना, स्वदेशी कच्चे तेल उत्पादन कार्यक्रम को तेज करना, विद्यमान रुग्ण कूपों की मरम्मत करना, कई विकसित प्रतिप्राप्ति तकनीक आदि का कार्यान्वयन करने जैसे उपाय किये जाने से स्वदेशी कच्चे तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयत्न करना भी है । आशा है कि ये उपाय पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मांग में भावी पूर्वानुमानित वृद्धि को विकसित स्वदेशी उत्पादन के द्वारा मुख्यतः पूरी करने को सुनिश्चित करेंगे । राशनिंग आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल में तेल की खोज

3650. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के तट और तट दूर पर तेल की खोज का ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल का खोज कार्य रोक देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेल का खोज कार्य चालू रखने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केरल में इस समय तटवर्ती खोज कार्य कोई नहीं हो रहा । अपतटीय क्षेत्र में अब तक दो कुएं खोदे गये हैं और दोनों ही सूखे पाये गये । कालीकट और मंगलौर के बीच खाड़ी वाले क्षेत्र में अतिरिक्त भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अभी अभी आंकड़े प्राप्त हुए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। हाल ही में जिस क्षेत्र से आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन प्रेसेस किये गये भू-भौतकीय आंकड़ों की पहले प्राप्त किये गये आंकड़ों के साथ ही साथ व्याख्या की जायेगी।

निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण

3651. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से सीमा-निर्धारण तथा सीटों के आरक्षण को जिले में बदलने या राज्य में उपयुक्त ढंग से बदलने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या कुछ राज्यों में शीघ्र होने वाले निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) का इस प्रकार संशोधन किया जाए कि लोक सभा में विभिन्न राज्यों के स्थानों और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन न करते हुए प्रत्येक दसवर्षीय जनगणना के पश्चात प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन की मूल स्थिति वापस लाई जा सके।

(ग) और (घ) इस विषय पर अब काफी विचार हो चुका है।

भाषाई समाचार एजेंसियों को सहायता

3652. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाषाई समाचार एजेंसियों को सहायता देने के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

तथापि, "समाचार" के टूटने के बाद मंजूरियों में अन्तरों की बाबत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को सहायक अनुदान दे रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में मिट्टी के तेल की कमी

3653. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर हरियाणा में मिट्टी के तेल की कमी है और मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिए लोगों को लम्बी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जबकि मिट्टी के तेल का सम्पूर्ण आवंटन केन्द्र द्वारा किया जाता है, राज्यों के अन्दर ग्रामीण और शहरों के बीच इस उत्पादन के वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। उन्हें पहले से ही परामर्श दिया गया है कि वे राज्यों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस उत्पाद का समान वितरण सुनिश्चित करें।

वर्तमान नीति यह है कि सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान किये गये आवंटन/विक्रय के 5% अवधि की दर पर किया जाता है। तथापि 1981 के दौरान मिट्टी के तेल का आवंटन/बिक्री वर्ष 1980 में किये गये आवंटन/बिक्री की तुलना में करीब 12% अधिक किया गया था।

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के अभाव सम्बन्धी कोई विशिष्ट रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

करनाल में तेल शोधन कारखाना

3654. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) स्थापित की जाने वाली दो शोधनशालाओं में से एक करनाल के निकट स्थापित की जायेगी जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलियन मी० टन के लगभग होगी।

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

3655. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों में निर्वाचन कराने के लिए अन्तिम विनिश्चय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विनिश्चय किया गया है और इन राज्यों में निर्वाचन कब कराए जाएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) आयोग ने अभी तक इन राज्यों में निर्वाचन कराने के लिए कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया है ।

आकाशवाणी की विदेश सेवा को शसक्त बनाना

3656. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आकाशवाणी की विदेश सेवा चैनल को सशक्त बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेश सेवा चैनल को सशक्त बनाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विदेशी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उच्च शक्ति वाले चार अतिरिक्त शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने के प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल किए गए हैं ।

शरणार्थियों को आवंटित भूमि

3657. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, लोकेलिटीवार, पाकिस्तान तथा अन्य देशों को चले गए लोगों की कुल कितनी भूमि सरकार ने अपने कब्जे में ली है और उसका पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ख) पुनर्वास के लिए उपलब्ध भूमि में से तारीख-वार, दिल्ली की कितनी कालोनियों को भूमि आवंटित की गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी भूमि के भू-खण्डों के अवैध कब्जाधारियों द्वारा गत 15-20 वर्षों से उठाए जा रहे अनुचित लाभ की रोकथाम के लिए सम्बन्धित अधिकारियों ने कोई प्रबन्ध किया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली में 150 गांवों से अधिक में लगभग 16,560 एकड़ भूमि है ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार 76 कालोनियां हैं । ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3559/82]

(ग) अप्राधिकृत उपयोग के लिए अवैध कब्जों को हटाने और क्षति प्रभारों की वसूली के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

तमिलनाडु में बिजली की मांग

3558. श्री सी० चिन्नास्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नेयलवली संयंत्र से प्राप्त समस्त बिजली के उपयोग करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु को कम बिजली मिलती है और उसे बिजली की आवश्यकता बनी रहती है और पड़ोसी राज्यों से उसे बिजली क्रय करनी पड़ती है जबकि फालतू बिजली वाले राज्यों को अधिक बिजली मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विद्युत के विकास में राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों सहित नेवेली द्वारा विद्युत केन्द्र, क्षेत्रीय आधार पर बृहत पिट हैड ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हाथ में लिया गया है । नेवेली दूसरे विद्युत केन्द्र समेत इन केन्द्रों से उत्पन्न की जाने वाली विद्युत, एक समान फार्मूले के आधार पर क्षेत्र के राज्यों को आवटित की गई है । यह फार्मूला राज्यों के परामर्श से तैयार किया गया है । केन्द्रीय उत्पादन से आवटन किये जाने का फार्मूला किसी भी एक राज्य में कमी पर आधारित नहीं है, विशेषकर इसलिए कि अपने-अपने राज्यों की विद्युत संबधी आवश्यकताओं को अपनी विद्युत योजनाओं के जरिए पूरा करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है ।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण संबंधी नीति

3659. श्री जेवियर अराकल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 से अब तक उच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : 1980 के दौरान किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानान्तरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को नहीं

किया गया। तारीख 19.1.1981 को दो मुख्य न्यायाधिपति अर्थात् मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों का स्थानान्तरण क्रमशः केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों में किया गया था। उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल करके इन स्थानान्तरणों को चुनौती दी गई। मद्रास उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति ने तारीख 9.7.1981 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। किन्तु पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का जो स्थान न्तरण मद्रास उच्च न्यायालय में किया गया था उसे उच्चतम न्यायालय ने तारीख 30.12.81 को दिए गए बहुमत के निर्णय से विधिमान्य ठहराया है।

तेल शोधक कारखाने का विस्तार

3660. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेलशोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया है, यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ख) तेल शोधक कारखानों के पहले किए गए विस्तार और उनमें लगाई गई पूंजी का ब्योरा क्या है; और

(ग) 1980 से अब तक कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी राशि खर्च की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। विस्तार प्रायोजना के ब्योरे इस प्रकार से हैं :

(मिलियन मी० टन/प्रतिवर्ष)

	से	तक
1. एच० पी० सी० एल० विशाख	1.50	4.50
2. बी० पी० सी० एल०, बम्बई	5.25	6.00
3. एम० आर० एल०, मद्रास	2.80	5.60
4. सी० आर० एल०, कोचीन	3.30	4.50

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सरकार ने कोचीन शोधनशाला हेतु गौण प्रक्रिया सुविधा और विस्तार परियोजनाओं के लिए 32.15 करोड़ रुपये निर्धारित किये जिनमें से अब तक 18.49 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

विवरण

शोधनशालों के पिछले विस्तार तथा उन पर किए गए निवेश का ब्यौरा

क्रम सं०	शोधनशाला का नाम	क्षमता		लागत
		से	तक	करोड़ रुपये
		(मिलियन मी० टनों में)		
1	2	3	4	5
1.	आई० ओ० सी० एल०, बारौनी (1957 में पूर्ण)	2.0	3.0	2.59
2.	आई० ओ० सी० एल०, कोयाली (1967 में पूर्ण)	2.0	3.0	2.43
	(1978 में पूर्ण)	3.0	6.0	56.07
3.	सी० आर० एल०, कोचीन (1973 में पूर्ण)	2.5	3.3	5.14

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बैकुंठपुर क्षेत्र में श्रमिकों से काम कराने के कथित अनुचित तरीके

3661. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बैकुंठपुर क्षेत्र में प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों से काम कराने के अनुचित तरीके अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कोयला श्रमिक संघ (सीटू), डाकघर-बाकीमोंगरा के महामंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 3 से 4 वर्ष तक की अवधि से काम करने वाले 68 आकस्मिक मजदूरों को सेवा से निकाल दिया गया है और प्रबन्ध मण्डल को चाहिए कि वह उन्हें नौकरी में वापस ले। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन कामगारों ने बंकुंठपुर में महाप्रबन्धक के कार्यालय के सामने धरना देने का एक नोटिस दिया था किन्तु प्रबन्ध मण्डल के कहने पर जिला प्राधिकारियों ने इन कामगारों में से अनेक को गिरफ्तार कर लिया है।

(घ) और (ङ) उपयुक्त पत्र में लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। परन्तु यह सच है कि चुरचा कोलियरी में लगभग 100 व्यक्ति अकस्माती/आकस्मिक मजदूरों की हैसियत से काम कर रहे थे और इनमें से अधिकांश सिविल इन्जीनियरी निर्माण कार्य आदि में लगे थे। जुलाई, 1981 में एम० पी० सी० डब्ल्यू० एफ० यूनियन ने इन लोगों को नियमित आधार पर नौकरी देने का मामला उठाया। जिस समय प्रबन्ध मण्डल यह विचार कर रहा था कि इनमें से कुछ को, यदि वे रोजगार कार्यालय से प्रायोजित हो जाएं तो, नियमित आधार पर रख लिया जाए उसी समय कुछ लोगों ने "सीटू यूनियन" के कहने पर 15-10-1981 से आन्दोलन शुरू कर दिया और यह रिपोर्ट भी मिली कि वे खान के काम में बाधा डालने की योजना बना रहे थे। अतः प्रबन्ध मण्डल ने खान में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इस दृष्टि से स्थानीय प्रशासन की सहायता ली।

सुरभित द्रव्यों की मांग

3662. श्री जेवियर अराकल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुरभित द्रव्यों की कुल मांग कितनी है, इसका कितना आयात किया जाता है और क्या लागत बैठती हैं; और

(ख) भारत में सुरभित द्रव्यों का निर्माण कौन-कौन सी कम्पनियां कर रही हैं और उनकी अपनी-अपनी क्षमता कितनी है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एरोमैटिक्स की आवश्यकता का देशीय उत्पादन और आयात द्वारा पूरा किया जाता है। देश के भीतर उत्पादन और आयातों और आयातों के मूल्य के सम्बन्ध में सूचना (तीन वर्षों के लिए जहां तक उपलब्ध है) नीचे विवरण में दी गई है :

विवरण

(मात्रा मी० टनों में : मूल्य लाख रुपयों में)

	1979-80			1980-81			1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)		
	उत्पादन	आयात	आयातों का मूल्य	उत्पादन	आयात	आयातों का मूल्य	उत्पादन	आयात	आयातों का मूल्य
बेंजीन	94,801	1108	139	79,726	15911	671.56	62,324	शून्य	शून्य
टोल्यून	23,888	6	3	19,012	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	19,388	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
जाइलीन	36,605	4396	300	34,124	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	25,355	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

(अनुपलब्ध—अभी तक उपलब्ध नहीं है)

(ख) भारत में एरोमैटिक्स का निर्माण करने वाली विभिन्न कम्पनियों की 1-4-1981 को स्थापित क्षमता नीचे बताई गई है :

(क्षमता मी० टन)

कम्पनी का नाम	बेन्जीन	टोल्यून	जाइलीन
1. इण्डियन आयल कारपोरेशन	33,000	14,000	
2. इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	23,600		40,500
3. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि०	14,000		
4. यूनियन कारबाइड इण्डिया लि०	4,540	2,000	

इस्पात संयंत्रों, एफ० सी० आई० सिन्दरी और दुर्गापुर प्रोजैक्ट लिमिटेड को बैन्जीन और टोल्यून का उत्पादन करने के लिए स्थापित क्षमता के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गोल बाजार, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में डाकघर खोलना

3663. **श्री नारायण चौबे :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोल बाजार, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में एक डाकघर खोलने के लिए बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारी उक्त डाकघर के निर्माण के लिए उपयुक्त प्लाट देने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ग) क्या दोनों रेलवे तथा डाक-तार विभाग के अधिकारियों ने मिलकर उक्त डाकघर के लिए स्थल का निरीक्षण किया था और एक स्थल योजना तैयार की है;

(घ) क्या रेलवे ने उक्त स्थल योजना 22 मई, 1981 के डाक-तार प्राधिकारियों को भेज दी है; और

(ङ) यदि हां, तो डाक-तार विभाग ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। प्राप्त अभ्यावेदनों की प्रतिक्रिया स्वरूप 1977 में गोल बाजार, खड़गपुर नाम का एक डाकघर मंजूर किया गया था जिसमें वितरण सुविधा नहीं थी परन्तु भरसक प्रयास करने के बावजूद भी उपयुक्त भवन न मिलने के कारण इसको खोला नहीं जा सका।

(ख) दक्षिण पूर्वी रेलवे प्राधिकरण ने गोल बाजार में डाकघर भवन के निर्माण हेतु 40 फुट चौड़ी सड़क के साथ 80 फुट × 70 फुट माप के एक भूमि खंड की पेशकश की थी।

(ग) डाकघर भवन के निर्माण हेतु रेलवे द्वारा तैयार की गई स्थल-योजना इस विभाग को 22-5-81 को भेजी गई थी। कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया।

(घ) जी हां।

(ङ) आरम्भिक ड्राइंग और प्राक्कलन तैयार करने हेतु उपरोक्त स्थल योजना स्वीकार कर रेलवे प्राधिकरण को 23 अक्टूबर, 1981 को वापस कर दी गई थी। भूमि की पेशकश करते समय रेलवे ने कुछ शर्तें निश्चित की थीं, जिन पर उनके साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

कोयला उत्पादन और रेलवे को इसकी सप्लाई

3664. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में दिसम्बर, 1981 तक के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य और इसकी वास्तविक वसूली कितनी रही है;

(ख) इन वर्षों के दौरान लक्ष्य से कम कोयले के उत्पादन होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण प्रत्येक वर्ष कुछ रेल गाड़ियों को रद्द करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे को कोयले की सप्लाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का है जिससे कि रेलगाड़ियों के रद्द होने के कारण लोगों को तकलीफ न उठानी पड़े; और

(ङ) यदि हां, तो वे कदम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (31-12-1981 तक) के दौरान कोयला उत्पादन के लक्ष्य और उनकी तुलना में वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

(आकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	कोयला उत्पादन का लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1978-79	106.40	101.95
1979-80	104.31	103.95
1980-81	113.50	113.90
1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)	86.91	87.34

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में वास्तविक उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कम रहा था। वर्ष 1980-81 में और चालू वर्ष में उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में अधिक रहा है। वर्ष 1981-82 के लिए योजना आयोग से परामर्श करके 121 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य निश्चित किया गया था और 1981-82 में वास्तविक उत्पादन 124 मिलियन टन होने की संभावना है। इसके पहले वर्षों में लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कमी रह जाने के मुख्य कारण इस प्रकार थे : बिजली सप्लाई में कमी, कानून और व्यवस्था की अनिश्चित स्थिति, हड़तालें, विस्फोटक पदार्थों की कमी, खानों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण खानों के निर्माण में विलम्ब, सीमेंट इस्पात और ढांचा बनाने की सामग्री तथा कोयला खोदने के उपकरण आदि आवश्यक उत्पादन सामग्रियों की उपलब्धि में होने वाली कमी, आदि।

(ग) और (घ) उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए खान मुहानों पर पर्याप्त स्टाक हैं। रेलवे ने यह बताया है कि कभी कभी वे स्टीम कोयले की कमी के कारण चुनींदा आधार पर कुछ कम महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां रद्द कर देते हैं जिसका उद्देश्य यह होता है कि रेलवे और उद्योगों की संयुक्त मांग पूरी तरह पूरी की जा सके।

(ङ) उत्पादन में वृद्धि—जो कि 1979-80 से हो रही है—के कारण खान मुहानों पर कोयले का पर्याप्त स्टाक है और रेलवे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टीम कोयले सहित सभी

कोयला उपलब्ध है। कोयला कम्पनियां कोयले के लदान के लिए अधिक मात्रा में कोयला प्रस्तावित कर रही हैं और साथ ही रेलवे के साथ, न केवल रेलवे के अपने उपभोग के लिए बल्कि अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी, कोयले का अधिक लदान करने के लिए घनिष्ठ सम्पर्क भी रखा जा रहा है।

मुद्रण की अत्यधिक लागत

3665. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों की प्रकाशन लागत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुछ लोग ही दैनिक समाचार पत्र तक खरीद सकते हैं और पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें—यहां तक कि पेपर बैक पुस्तकें ऐश्वर्य की वस्तुएं बन गई हैं जिन्हें बहुत कम लोग खरीद सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक ओर जहां वर्तमान रुचि के अनेक मामलों पर लोकप्रिय पुस्तकों के लिए बृहत्तर आवश्यकता के लिए साक्षरता के प्रसार को बढ़ावा दिया गया है वहां दूसरी ओर बढ़ती हुई अन्ध लागतों के कारण पुस्तकें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण निर्धनों में सरलतापूर्वक ज्ञान का प्रसार करके राष्ट्रनिर्माण के कार्य में मुद्रण उद्योग की सहायता के माध्यम से इसका कोई समाधान निकालने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अनेक समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। तथापि, समाचारपत्रों की प्रसार संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता।

(ख) श्रम और मुद्रण सामग्री की लागत में वृद्धि होने के कारण पुस्तकों का मूल्य निस्सन्देह, सामान्यतया बढ़ गया प्रतीत होता है किन्तु यह कहना सही नहीं है कि कीमतों में वृद्धि से सभी पुस्तकें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जो शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, मॉडरेट दरों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। 1980-81 के दौरान न्यास ने ग्रामीण क्षेत्रों के पाठकों के लिए उपयुक्त पठनीय सामग्री प्रकाशित करने की एक विशेष परियोजना चालू की है।

एस० टी० डी० सुविधा द्वारा बड़ौदा को दिल्ली से जोड़ा जाना

3666. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा और उसके आसपास शीघ्र गति से होने वाले उद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए बड़ौदा को दिल्ली तथा अन्य प्रमुख नगरों को पूर्णकालिक एस० टी० डी० सुविधाओं के साथ दिल्ली से जोड़े जाने की मांग बहुत समय से लम्बित पड़ी है;

(ख) क्या सरकार बड़ोदा को बम्बई दिल्ली इत्यादि से जोड़ते हुए एस० टी० डी० सुविधायें प्रदान किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस करती है; और

(ग) यदि हां, तो बड़ोदा को दिल्ली, बम्बई आदि के साथ एस० टी० डी० सुविधायें कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एन० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बड़ोदा को दिल्ली के साथ बड़ोदा दिल्ली दिशा में रात्रि एस० टी० डी० सुविधा तथा दिल्ली बड़ोदा दिशा में पूर्णकालिक एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही प्राप्त है । बम्बई के साथ पूर्णकालिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रायोगिक सेवा प्रगति पर है । बड़ोदा से दिल्ली तथा बड़ोदा एवं बम्बई के मध्य पूर्णकालिक एस० टी० डी० सुविधा वर्ष 1982 के दौरान चालू किये जाने की सम्भावना है ।

बड़ोदा में नये टेलीफोन एक्सचेन्ज की स्थापना

3667. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप मन्त्री के हाल ही के बड़ोदे के दौरे के दौरान बड़ोदा शहर के माणवी और पानीगेट क्षेत्रों में नये टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित करने और वर्तमान ट्रंक काल व्यवस्था के स्थान पर बड़ोदा पाडरा और बड़ोदा दभोई के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उप मन्त्री बड़ोदा के दौरे के दौरान बड़ोदा टेलीफोन प्रणाली के सम्बन्ध में की गई विभिन्न शिकायतों को देखते हुए बड़ोदा टेलीफोन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो बड़ोदा में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अलकापुरी में एक नए एक्सचेन्ज की स्थापना तथा कोठी स्थित एक्सचेन्ज के पुराने उपस्करों की बदलने की योजना है । उपरि लाइनों की पुनः स्थापन तथा कैबिनेट, खम्भों, डक्ट तथा कबुर्लो का दाबीकरण करके बाह्य प्लांटों के सुधार का ध्यान रखा जाता है ।

अहमदाबाद में दूरदर्शन केन्द्र बनाना

3668. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए आरम्भिक कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य के विभिन्न चरणों की प्रगति का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य चालू है । यह तहखाना तल की छत तक पहले ही पहुंच चुका है ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरणों के लिए आर्डर पहले ही दिये जा चुके हैं। टावर के लिये टेंडर प्राप्त हो चुके हैं और उन पर कार्यवाई की जा रही है ।

लघु एककों द्वारा बल्क औषधियों का उत्पादन

3669. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि लघु एककों का विकास होना चाहिए और वे सभी प्रकार की बल्क औषधियों का निर्माण करें; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं तो सरकार का विचार उन एककों को, जिनकी भूमिका बल्क औषधियों को उपलब्धता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ऐसे समय पर जबकि मूल अवस्थाओं से निर्माण की प्रौद्योगिक लघु एककों को अपवर्तित नहीं की गई अथवा बताई नहीं गई क्या संरक्षण देने का है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) (क) जी, नहीं,

(ख) अनेक बल्क औषधों का निर्माण पूर्ण रूप से लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र पर विचार करते समय, बल्क औषधों के निर्माण के लिये लघु क्षेत्र में सृजित की गई क्षमता को, ऐसी क्षमता के लिये उपलब्ध सूचना की सीमा तक ध्यान में रखा जाता है ।

अखबारी कागज के मूल्य में कटौती

3670. **श्री राम प्यारे पनिका** :

श्री अर्जुन सेठी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज के मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके मूल्य में कटौती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यह सच है कि अखबारी कागज के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । आयातित अखबारी कागज के

मामले में, यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि होने के कारण है। देशी अखबारी कागज के मामले में, यह निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण है। इसके कारण, अखबारी कागज का मूल्य कम करना संभव नहीं है।

डाक तथा टेलीग्राम वितरण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में

3671. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में डाक तथा टेलीग्राम के बेहतर वितरण कर व्यवस्था के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन व्यवस्थाओं की मुख्य बात क्या है और गांवों में डाक के वितरण हेतु प्रस्ताव व्यवस्थायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन गांवों में शीघ्र डाक वितरण की व्यवस्था करने का है जिनमें यह व्यवस्था इस समय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी०एस० स्टीफन) : 1. "डाक" का वितरण : (क) जी, हां।

(ख) देश के ग्रामों में "डाक" के वितरण एवं पत्र पेटियों की निकासी हेतु बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 10,000 विभागेतर वितरण एजेंटों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें से 1980-81 के दौरान 3499 नियुक्तियां की गई थीं तथा चालू वर्ष (1981-82) के दौरान 2,000 नियुक्तियां और अधिक की जा रही हैं।

(ग) डाक वितरण की सुविधा देश के सभी गांवों में उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

2. तारों का वितरण :

जहां तक तारों के वितरण का प्रश्न है, छठी योजना में किसी विशेष कार्यक्रम पर बल नहीं दिया गया है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 20,000 तारघर खोलने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य में से लगभग 2,500 तारघर पहले ही खोले जा चुके हैं। इन नए तारघरों से ग्रामीण क्षेत्रों में तारों के वितरण में सुविधा होगी।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

3672. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल विहारी वाजपेयी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में 31 जनवरी, 1982 को टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन थे;

(ख) प्रत्येक शहर को टेलीफोन की वर्तमान मांग कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या उन शहरों में मौजूद टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 31.1.82 को टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार थी :

दिल्ली	84980
बम्बई	148771
कलकत्ता	27876
मद्रास	19836
कानपुर	4754

(ख) विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के पूरा होने पर कुछ अव्यवहार मामलों को छोड़कर दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में 1984-85 तक तथा बम्बई और कानपुर में 1985-86 तक अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) जी हां; कलकत्ता और दिल्ली के क्रमश: 23 और 22 एक्सचेंजों को 10,000 लाइनों के इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने का प्रस्ताव है।

अखबारी कागज पर सीमा शुल्क हटाया जाना

3673. **श्री चित्त महाटा :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज पर सीमा शुल्क हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहमद खां) : (क) 1982-83 के बजट प्रस्तावों में आयातित अखबारी कागज पर 15% यथा मूल्य सीमा शुल्क के स्थान पर 825.00 रुपये प्रति टन का विशिष्ट शुल्क लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन और वितरण

3674. **श्री चित्त महाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कोयले का उत्पादन कितना हुआ और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इसका कितना वितरण किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यों और राज्य क्षेत्रों की कोयले की कितनी मांग थी;

(ग) क्या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने कोई शिकायत की है कि उसे अपनी मांग के अनुसार कोयले की सप्लाई नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्योरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वास्तविक प्रयोक्ताओं को एल-बेस की सप्लाई के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

3675. श्री पीयूष तिरकी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये थे जिनके अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं को एल-बेस की सप्लाई की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रेणीकरण एजेन्सी द्वारा पूरा धन अग्रिम लेने के बाद वास्तविक प्रयोक्ताओं को समाप्त हुई तिथि वाले एल-बेस सप्लाई किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक प्रयोक्ताओं को सामग्री की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है और सम्बद्ध अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एल-बेस एक सरणीबद्ध भेद नहीं है । इसलिए मेरे मंत्रालय ने वास्तविक उपभोगताओं को इसकी सप्लाई के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाया है । तथापि वर्ष 1978-79 के दौरान स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) द्वारा एक स्वेच्छा योजना चलाई गई थी । इस योजना के अनुसार वास्तविक उपभोक्ता, जिसके पास वैद्य आयात लाइसेंस है, अपने आयात लाइसेंस सी० पी० सी० को समर्पित कर सकता है और सी० पी० सी० ऐसे वास्तविक उपभोक्ताओं से एल-बेस का आयात करेगा । उक्त योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं को नियत मूल्य पर एल-बेस की सप्लाई की जाएगी जिसे वे बल्क औषध ग्लोर मेफैनीकल चूर्ण में बदलेंगे और वे सी० पी० सी० के आबंटन आदेश के अन्तर्गत नियत मूल्य पर विभिन्न यूनिटों को बल्क औषध की सप्लाई करेंगे । वर्ष 1980-81 के दौरान ऐसे अनेक वास्तविक उपभोक्ताओं ने एन-बेस का उठान नहीं किया जिसका उनकी ओर से सी० पी० सी० द्वारा आयात किया गया था । साथ-साथ सी० पी० सी० के पास आयातित क्लोरमफेनीकल का भी भंडार था । इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्लोरमफेनीकल पर वितरण नियंत्रण हटा दिया और स्वेच्छा योजना के अन्तर्गत सी० पी० सी० के आबंटन के अन्तर्गत तैयार क्लोरमफेनीकल की सप्लाई की शर्त उठा दी । उसी प्रकार सी० पी० सी० ने वास्तविक उपभोक्ताओं को एल-बेस का आबंटन किया है जिन्होंने एल-बेस के लिए अपना वैद्य आयात लाइसेंस समर्पित कर दिया है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । एल-बेस की अवधि समाप्त नहीं होती ।

देश में डाकघरों के भवनों का निर्माण

†3676. श्रीमती कृष्णा साही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय किराये के मकानों में कितने प्रधान डाक घर और अन्य डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) बिहार में कितने डाक घर भवन निर्माणधीन हैं; और

(ग) बिहार में उन डाकघर भवनों को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) इस समय बिहार सर्किल में 6 मुख्य डाकघर तथा 1170 अन्य डाकघर किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ख) 24 डाकघर भवन (हाल ही में पूरे किए गए 2 भवनों सहित) निर्माणाधीन हैं।

(ग) 2 भवन हाल ही में पूरे किए गए हैं। अन्य 11 का निर्माण अन्तिम चरण में है। 7 भवनों का निर्माण कार्य 50% पूरा हो चुका है। अन्य 4 भवनों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था मे है।

प्रेस सूचना ब्यूरो को सुविधायें

3677. श्रीमती कृष्णा साही : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के लिये उनका हिन्दी भाषा में अक्षरश: रूपान्तर तैयार करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी और अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कमी को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री तथा अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के भाषणों की हिन्दी में अक्षरश: स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के हिन्दी स्टेनोग्राफरों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, भाषायी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये पत्र सूचना कार्यालय में हिन्दी रिपोर्टर के दो पदों का सृजन किया गया है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

3678. श्री चित्त बसु '

श्री बी० सी० देसाई :

श्री चिन्तामणि जेना :

प्रो० रूप चन्द पाल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार कोयले के मूल्यों में और वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस ओर होने वाली वृद्धि का सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव क्या होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) उत्पादन सामग्रियों की लागतों में वृद्धि के कारण कोल इंडिया लि० ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

पाक जल डमरू मध्य में कूओं की बनवाई

3679. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काबेरी घाटी के पाक जल डमरू मध्य में दूसरे कुएं का छिद्रण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) क्या तेल की गति की दर और मात्रा का अनुमान लगा लिया गया है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसी घाटी में तीसरे कुएं का छिद्रण किया जाना है, जिसके लिए एक अमरीकी फर्म से सहायता मांगी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो यदि इस फर्म के साथ करार हो चुका है तो उसकी शर्तें क्या हैं और क्या इस बात की कोई विशिष्ट व्यवस्था की गई है कि यदि तीसरे कुएं में तेल पाया जाता है, तो वह भारत को ही वापस बेचा जाएगा; और

(ङ) यदि करार नहीं हो पाया है, तो वह कब पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पाक जल डमरू मध्य में दूसरे कुएं के उत्पादन परीक्षण के दौरान हाइड्रोकार्बन्स के संकेत नहीं मिले हैं। रिग को पहले ही इस संरचना के तीसरे कूप स्थल पर ले जाया गया

है। इस कूप की खुदाई के लिए अमरीकी फर्म से कोई सहायता नहीं मांगी गई है। तथापि, गेटीसबर्ग रिग जिससे इस कूप की खुदाई करनी है, अमरीका का रिग है जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ये नवम्बर 1976 में किराये पर लिया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गोदावरी बेसिन में छिद्रण कार्य को रोका जाना

3680. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदावरी बेसिन में तेल बहाव और भारी कीचड़ में उपकरणों के खोजने के कारण उसमें छिद्रण का कार्य रोक दिया गया है; और

(ख) क्या अत्याधुनिक ड्रिल जहाज सैडको-5 के प्राप्त हो जाने से गोदावरी बेसिन में तटदूर छिद्रण कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) अपतटीय खुदाई कार्य उच्च सागर प्रवाह गति और सागर तल पर अत्यन्त अल्प धारण क्षमता वाली नग चिकनी मिट्टी की कीचड़ पाये जाने सहित प्रौद्योगिकीय के समस्याओं कारण रोक दिया था।

(ख) ओ० एन० जी० सी० द्वारा किराये पर लिये गये विविध प्रकार गतिशील रूप में स्थापित व्यधनपोत सैडको 445 ने गोदावरी के अपतटीय क्षेत्र में 31.1.1982 को खुदाई पुनः आरम्भ की।

"दी इल्लीगल पेरेलल पोस्टल सर्विस" शीर्षक समाचार

3681. **श्री तारिक अनवर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नवभारत टाइम्स दिनांक 24 जनवरी में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार रेलवे पुलिस ने देश में गैर कानूनी तरीके से चल रही समान्तर डाक सेवा का पता चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस गैर कानूनी डाक सेवा के चलाने के लिये अब तक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इसकी शाखाएं किन-किन शहरों में काम कर रही थीं;

(ग) क्या रेलवे तथा इंडियन एयर लाइन्स के कुछ कर्मचारियों के उसमें हाथ होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इसकी जांच करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार के इस वक्तव्य के क्या आधार हैं कि अब कोई अन्य समान्तर डाक सेवा नहीं चल रही है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इस मामले की शासकीय रेलवे पुलिस, लुधियाना द्वारा जांच की जा रही है ।

(ङ) विभाग को पता लगाए गए एवं जांचाधीन मामलों के अतिरिक्त कार्य कर रही ऐसी किसी भी अनधिकृत सेवा के मामले की जानकारी नहीं है ।

आकाशवाणी के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार

3682. श्री जी० नर सिम्हा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी परिवार नियोजन उपायों, विशेषकर निरोध का जोर शोर से प्रचार कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा और आवश्यकता इस बात की है कि परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रादेशिक भाषाओं में विस्तार से प्रसारण किया जाए ताकि सदेश उन करोड़ों लोगों तक पहुँच सके जो इससे लाभ उठा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विस्तृत योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी केन्द्र विभिन्न भाषाओं और बोलियों में आम श्रोताओं के अतिरिक्त, ग्रामीण, आदिवासी, औद्योगिक, महिलाओं जैसे विशिष्ट श्रोताओं के लिये निर्देशित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की अवश्य योजना बनाते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं ताकि पहुँच व्यापक हो सके ।

(ग) आकाशवाणी के ढांचे में 36 परिवार कल्याण यूनिटें हैं । ये यूनिटें परिवार योजना और कल्याण के विषय पर उपयुक्त कार्यक्रमों की प्रकल्पना करने की विस्तृत योजना बनाती हैं । एक मास के दौरान, केन्द्र लगभग 5,000 कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । इस प्रयोजन के लिये, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों, प्रकाशित सामग्री, देश और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों दोनों के विशेष हैडआउटों, प्रधान मंत्री, संसदिज्ञों एवं विचारशील नेताओं के सन्देशों एवं वार्ताओं की प्रतियों का उनके द्वारा व्यापक उपयोग किया जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश को बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली दूरदर्शन केन्द्रों के साथ जोड़ना

3683. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के दर्शकों के लिए बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली से दूरदर्शन प्रसारण करने की कोई भावी योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अपनी स्वयं की व्यवस्था की स्थापना कर सकने की स्थिति में आने तक इस प्रसारण प्रणाली के लिए अन्य देशों के संचार उपग्रहों के साथ कोई व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के दर्शकों के लिये विशिष्ट रूप से बम्बई, मद्रास और दिल्ली दूरदर्शन केन्द्रों से कार्यक्रम रिले करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, "इनसैट" और अन्त: केन्द्र माइक्रोवेव लिंकों की सहायता से, विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से कार्यक्रम टेलीकास्ट करने के लिये दूरदर्शन केन्द्रों की राष्ट्रीय नेटवर्किंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इससे आंध्र प्रदेश के दर्शकों के लिये हैदराबाद के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के माध्यम से बम्बई, मद्रास और दिल्ली के कार्यक्रमों सहित विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों को रिले करना संभव होगा।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3684. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु भेजी गई परियोजनाओं के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता की मांग की है और कितनी बिजली पैदा होगी; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)) : (क) से (ग) योजना आयोग, राज्य के किसी भी क्षेत्र के विकास या परियोजना के लिए अलग से किसी अनुदान या सहायता का आवंटन नहीं करता। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सहायता, समूची योजना के लिए दी जाती है तथा यह विकास के किसी विशिष्ट शीर्ष में सम्बन्धित नहीं होती। तथापि छठी योजना के लिए आंध्र प्रदेश में विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजाओं के लिए किए गए परिव्यय का आवंटन दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट) के चरण-दो, पोलावरम बहूद्देश्यीय परियोजना (4×30 मेगावाट) जालापुट बांध बिजली घर (3×6 मेगावाट), तथा काक्तिया नहर के ऊपर मिनी जल विद्युत केन्द्र (3×5 मेगावाट) के लिए परियोजना रिपोर्टें आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इनकी जांच की जा रही है।

विवरण

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	छठी योजना के लिए परिव्यय (1980-85)
अनुमोदित तथा निर्माणाधीन स्कीमें		
1. कोंठागुडम ता० वि० के० चरण-चार	2×110	4.50
2. लोअर सिलेरू जल विद्युत स्कीम	4×115	2.03
3. नागार्जुनसागर जल बिद्युत स्कीम	1×1'0	0.30
4. विजयवाड़ा ता० वि० के० चरण-1	2×210	36.72
5. नागार्जुनसागर पम्पड स्टोरेज स्कीम चरण-1	4×100	19.89
6. नागार्जुनसागर दायीं नहर जल विद्युत स्कीम	2×30	25.19
7. बालिमेला में आंध्र प्रदेश बिजली घर	2×30	23.49
8. डोकराई	1×25	9.93
9. अपर सिलेरू विस्तार	2×60	27.95
10. श्रीशैलम जल विद्युत स्कीम चरण-I	4×110	53.94
11. मुख्य इन्जीनियर बिजली परियोजनायें बालिमेला		5.00
उप-जोड़		208.94
नई स्कीमें		
1. नागार्जुनसागर पम्पड स्टोरेज स्कीम चरण-दो	3×100	55.00
2. श्रीशैलम जल विद्युत विस्तार चरण-दो	3×110	39.38
3. पोचमपाद जल विद्युत स्कीम		10.00
4. नागार्जुनसागर बायां तट नहर बिजली घर	2×30	
5. विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो	2×210	
6. देना अहोबिलम जल विद्युत स्कीम		15.00 (एक मुश्त प्रावधान)
7. माइक्रो जल विद्युत केन्द्र		
उप-जोड़		119.38
जोड़ (उत्पादन)		328.32

शहरों में गैस एजेन्सियां आवंटित करने के मानदण्ड

3685. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहर में गैस डीलरशिप आवंटित करने का क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में केवल 7000 से 8000 तक की आबादी वाले नगरों में एल० पी० जी० डीलरशिप प्रदान की गई है जबकि 10,000 से 30,000 तक की आबादी वाले नगरों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में "एल० पी० जी०" कनेक्शन प्राप्त व्यक्तियों को काले बाजार में सिलेंडरों के वास्तविक मूल्य से दुगने मूल्य देने पड़ते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य में और अधिक डीलरशिप खोलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एल० पी० जी० कनेक्शनों को नियमित करने का जिससे कि गैस सिलन्डरों की कालाबाजारी रोकी जा सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उत्पाद की उपलब्धता शर्त पर, इस समय एल० पी० जी० एजेन्सियों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर खोला जाता है :

(1) पूर्वानुमानित ग्राहक क्षमता,

(2) वितरण उपकरण का अधिकतम उपयोग,

(3) संचालनों की व्यवहार्यता।

उद्योग ने वर्ष 1982-83 तक 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त जिला मुख्यालयों और कस्बों को शामिल करने की योजना बनाई है। इससे कम जनसंख्या वाले कस्बों को बाद में लिया जाएगा।

(ख) देश में एल० पी० जी० सुविधा को आरम्भ करने की प्रारम्भिक स्थितियों में शोधनशालाओं/सप्लाई स्रोत से बाजार की निकटता का मापदण्ड अपनाया गया था और इसलिए कम जनसंख्या वाले कुछ कस्बों को शामिल किया गया था। अब एल० पी० जी० सुविधाओं की बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ, तेल कम्पनियों ने 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले समस्त कस्बों में एल० पी० जी० को चरण रूप से आरम्भ करने की योजनाएं बनाई हैं बशर्ते कि अपेक्षित क्षमता और संचालन व्यवहार्यता हो।

(ग) सामान्यत: शहरी सीमाओं के अन्तर्गत एल० पी० जी० वितरकों का सीमांकित क्षेत्र होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को सप्लाई करने का अधिकार नहीं है। इसलिए एल० पी० जी० सिलेंडरों के लिए वितरकों द्वारा अधिक वसूल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल कम्पनियों की गुजरात राज्य में और अधिक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की योजनाएं हैं। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत एल० पी० जी० कलेंडरों को नियमित करने के लिए तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैस का भड़क उठना

3686. **श्री नवीन रवाणी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ तेल क्षेत्रों में गैस भड़क जाती है;

(ख) यदि हां, तो उन तेल क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें 1978-81 की अवधि में गैस भड़की है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस अवधि में कुल कितने मूल्य की गैस भड़की; और

(घ) जो अतिरिक्त गैस भड़क उठती है उसके उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) **तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग**

तटीय

गुजरात : अंकलेश्वर, कालोल, दक्षिण कादी, सानन्द, झलोरा, नवागाम, दक्षिण कादी तथा सोमासन ।

असम : लकवा, रूद्रसागर तथा गैलीकी

अपतटीय

बम्बई हाई

आयल इण्डिया लिमिटेड

ऊपरी असम में स्थित अपने क्षेत्रों में ।

(ग) उपभोक्ताओं की विशेष रूप से असम में अनुपलब्धता, गैस तेल अनुपात में वृद्धि, तेल उत्पन्न करने वाले कुछ पृथक क्षेत्रों के आसपास उपभोक्ताओं की कमी, कुछ उपभोक्ताओ की विभिन्न प्रचालन/तकनीकी कठिनाइयां होने के कारण उनके द्वारा गैस को लिए जाने में कमी, तेल संग्राही स्टेशनों में पृथककारकों से अन्तिम दौर में आने वाली बहुत कम दबाव वाली गैस ।

इस अवधि के दौरान जलाई गई गैस के मूल्य के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(घ) **तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग**

तटीय

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सम्बद्ध तथा उन्मुक्त दोनों गैसों का उत्पादन तटीय क्षेत्रों से गुजरात तथा असम राज्यों में स्थित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है । विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित गैस के उपयोग में वृद्धि करने के लिए लगातार उपाय किये जा रहे हैं ।

गुजरात में, कम दबाव वाली कुछ गैस को छोड़कर जिसका आंतरिक रूप में उत्पादन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, सम्बद्ध तथा उन्मुक्त दोनों गैसों के लगभग सारे उत्पादन के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ वचनबद्धता है। इसके अतिरिक्त गैस को संग्रह तथा इकट्ठा करके मुख्य उपभोग केन्द्रों को देने के लिए तेल का उत्पादन करने वाली छोटी पृथक संरचनाओं को जोड़ने की एक योजना तैयार की गई है तथा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह भी योजना है कि अन्ततोगत्वा कम दबाव वाली गैस को उपयोग के लिए सम्पीड़ित किया जाये। गैस और तेल के उच्च अनुपात को कम करने के लिए, नवागाम तेल क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर जल अन्तःक्षेपण शुरू किया गया है। दक्षिण काड़ी में स्थित उच्च गैस और तेल अनुपात वाले कूपों को बन्द कर दिया गया है तथा गैस और तेल के अनुपात को कम करने के लिए इस क्षेत्र में जल अन्तःक्षेपण की योजना है। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से, गुजरात में गैस का जलाया जाना बहुत कम हो जायेगा।

असम में, वर्तमान में फालतू गैस उपलब्ध है, जिसके एक मुख्य भाग को उर्वरक संयंत्र, नामरूप 3 को और साथ ही असम विद्युत बोर्ड की प्रस्तावित विस्तार यूनिट को दिये जाने की वचनबद्धता है। उपभोक्ताओं को बड़ी मात्रा में सप्लाई के लिए विभिन्न तेल क्षेत्रों से एक केन्द्रीय स्थान तक अन्तःसम्बद्ध गैस ग्रिड द्वारा गैस के संग्रह के लिए योजना तैयार की गई है।

अंकलेश्वर तथा पूर्वी क्षेत्रों दोनों स्थानों से सम्बद्ध गैस से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की प्रतिप्राप्ति के लिए योजनाएं भी विचाराधीन हैं।

अपतटीय

बम्बई हाई

तेल उत्पादन की वर्तमान दर के साथ 4 मि० घन मीटर प्रतिदिन सम्बद्ध गैस उत्पादित हो रही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उत्पादन सहित आंतरिक उपयोग 0.6 मि० घन मीटर प्रतिदिन है। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर को प्रतिदिन 1.45 घन मीटर गैस सप्लाई की जा रही है जिसे बढ़ाकर 1.80 मि० घन मीटर प्रतिदिन कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि० को जितनी गैस की आवश्यकता नहीं होती है वह टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को बिजली के उत्पादन के लिए दे दी जाती है। टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को वर्तमान में 0.6 से 0.8 घन मीटर गैस प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है। बिना उपयोग की गई गैस को जला दिया जाता है। सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जहां तक व्यवहार्य है गैस का फीड-स्टाक के रूप में उर्वरकों, पेट्रोरसायनों के उत्पादन के लिए तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के निष्कर्षण इत्यादि के लिए उपयोग किया जाये। उस सीमा तक जब तक कि गैस का इन प्रयोजनों के लिए तत्काल उपयोग नहीं किया जाता है, इसको अन्य प्रयोजनों के लिए जैसे कि बिजली उत्पादन इत्यादि के लिए उपवर्तन किया जा सकता है जोकि पूरी तरह अस्थायी आधार पर उस समय तक लिए फाल-बैक प्रबन्ध के रूप में होंगे जब तक कि प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कि उर्वरक तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र इसका उपयोग करने के लिए तैयार होंगे।

आयल इण्डिया लिमिटेड

आयल इण्डिया लिमिटेड के तेल क्षेत्रों में बेहतर तेल प्रतिप्राप्ति के लिए दबाव को कायम रखने के प्रयोजन सहित आंतरिक रूप से बड़ी मात्रा में गैस के उपयोग के अलावा तथा बिजली उत्पादन, उर्वरकों के निर्माण, चाय बगानों इत्यादि के लिए बाजार में की गई वचनबद्धता के पश्चात आयल इण्डिया लिमिटेड अस्थायी आधार पर उपलब्ध फालतू गैस के लिए असम में बाजारों के विकास का प्रयास कर रहा है।

कानपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता

3687. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इटावा, फर्रूखाबाद के पिछड़े जिलों को इसकी रेंज में लाने की दृष्टि से इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कन्नौज जिला को इस दूरदर्शन केन्द्र की रेंज के अन्तर्गत लाने की किसी योजना पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) कानपुर दूरदर्शन केन्द्र में 10 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर है जिसकी सेवा परिधि 75 किलोमीटर है। यह 95,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (उस क्षेत्र को छोड़कर जिसमें लखनऊ केन्द से भी सेवा प्राप्त होती है) में सेवा प्रदान करता है। कन्नौज जिला, और फर्रूखाबाद जिले के भाग कानपुर ट्रांसमीटर से सेवा प्राप्त करते हैं। इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने की फिलहाल कोई स्कीम नहीं है।

कानपुर के लिए दूरदर्शन केन्द्र

3688. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र खासतौर पर घाटमपुर और बिल्हौर, कानपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण सीमा के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कानपुर के समूचे क्षेत्र को दूरदर्शन सीमा के अन्तर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) कानपुर दूरदर्शन ट्रांसमीटर, जिसकी सेवा परिधि 75 किलोमीटर है, बिल्हौर और घाटमपुर के ग्रामीण क्षेत्रों सहित लगभग समूचे कानपुर जिले को कवर करता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सुरक्षा प्रबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये समिति

3689. डा० कृपासिंधु भोई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में सुरक्षा प्रबन्ध क्रियान्वित करने का प्रबन्धों की प्रगति की देख-रेख करने से लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन और निदेश पद क्या है; और

(ग) इस समिति ने धनवाद के कोयला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रुपया उधार देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सड़क परिवहन और सिविल निर्माण कार्यों के विभागीय कर तथा कम्पनी के कर्मचारियों को कोयला देने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) एक समिति का गठन किया गया है जो भारत कोकिंग कोल लि० में विभिन्न कामों के विभागीकरण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों को लेकर किए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कोयला विभाग के संयुक्त सचिव हैं तथा इसमें कोल इन्डिया लि० के सतर्कता प्रभाग के प्रधान तथा उत्पादन प्रभाग के प्रधान सदस्य की हैसियत से हैं। यह समिति पहले ले लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करेगी और इस सम्बन्ध में यह समय-समय पर भारत कोकिंग कोल लि० का दौरा भी करेगी ताकि जिन मामलों पर निर्णय अपेक्षित है उनके सम्बन्ध में मौके पर जाकर ही निर्धारण किया जा सके। समिति सीधे ही कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

उर्वरकों का उत्पादन

3690. डा० कृपासिंधु भोई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1980 की तुलना में नाईट्रोजीनियस और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं,

(ग) उत्पादन में वृद्धि के लिये कौन कौन से तत्व उत्तरदाई हैं और उर्वरकों संयन्त्रों के लिये आदानों और सामग्री का भंडार बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान नये संयंत्रों की स्थापना और वर्तमान संयंत्रों के विस्तार के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उवर्रक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)	
	नाइट्रोजन	P_2O_5
1980-81	21.64	8.41
1981-82 (अद्यतन अनुमान)	31.30	9.50

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि उर्वरक प्लांटों को कोयले जैसे फीडस्टाक और निवेश की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये किये गये अथक प्रयासों के कारण हुई है। फीडस्टाक और निवेश की उपलब्धता और परिवहन की बारीकी से देखरेख की जाती है जिससे उर्वरक प्लांटों को अवाध और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान पारादीप और मंगलोर में फास्फेटिक उर्वरक प्लांट लगाने और गोवा और कोचीन प्लांटों के विस्तार के लिए मंजूरी दी गई है।

पंजाब को मिट्टी के तेल का आवंटन

3691. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने इनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि पंजाब को इस समय मिलने वाले औसतन 17,700 मिलोलीटर मिट्टी के तेल की मात्रा को बढ़ाकर 25,000 किलोलीटर कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार द्वारा मांगे गए अतिरिक्त कोटे को उपलब्ध कराने के लिए, विशेषकर उस स्थिति में जबकि राज्य में बिजली का अत्यधिक अभाव है, उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पंजाब राज्य सरकार से इस मन्त्रालय को कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वर्तमान नीति यह है कि सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिनमें पंजाब शामिल है, को मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी अवधि के दौरान किये गये आवंटन/बिक्री से 5% की वृद्धि दर देते हुए किया जाए। तथापि, 1981 के दौरान पंजाब राज्य को मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन से 15.3% अधिक किया गया था और वास्तविक बिक्री, आवंटन से भी अधिक हुई थी।

सेण्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में संसद सदस्यों से ज्ञापन

3692. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में व्यापक भ्रष्टाचार, जिसके बारे में कुछ संसद सदस्यों द्वारा वर्ष 1981 के पूर्वार्द्ध में ज्ञापन दिया गया था, की जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड पहले ही मामले की जांच कर रही है।

गुजरात के जनजातीय इलाकों में डाक/तार सुविधाओं में सुधार

3693. श्री मोहन लाल पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में और विशेषकर गुजरात राज्य में जनजातीय इलाकों में डाक/तार सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की हैं या करेगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) डाक सुविधाएं :

देश के जनजातीय क्षेत्रों में डाक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार नए डाकघर खोलने के मामले में जिस गांव में डाकघर खोला जाना है उसकी न्यूनतम जनसख्या के सम्बन्ध में भी और डाकघर की सम्भावित कार्य के सम्बन्ध में भी दोनों ही आवश्यकताओं के बारे में उदारीकृत मानदंड अपना रही है। हालांकि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर ग्राम पंचायत ग्रामों में डाकघर खोलने के लिए उस ग्राम की जनसंख्या न्यूनतम 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए परन्तु इन उदारीकृत मानदंडों के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में गैर ग्राम पंचायत ग्रामों में डाकघर खोल दिया जाएगा यदि उस ग्राम (अथवा 1.5 कि० मी० की अरीय दूरी में पड़ने वाले ग्राम समूह) की जनसंख्या 1000 हो जाती है और आय के मामले में; सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह आशा की जाती है कि डाकघर पर आयी लागत का 25% कम से कम वसूल हो जाएगा परन्तु जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोला जा सकता है यदि उससे 10 प्रतिशत कम से कम आय होने की संभावना हो।

इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष कार्यान्वयन के लिए एक उप योजना भी सरकार ने तैयार की है। इस जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के जनजातीय क्षेत्रों में 1220 डाकघर खोलने, 1982 विभागेतर वितरण एजेन्ट नियुक्त करने, 1000 पत्र पेटियां लगाने तथा 1500 ग्रामों में चल काउन्टर सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

गुजरात राज्य में, वर्ष 1981-82 के लिए राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 20 डाकघर खोलने, 72 विभागेतर एजेन्ट नियुक्त करने, 10 पत्र पेटियां लगाने तथा 35 ग्रामों में काउन्टर सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जो पूरा हो चुका है।

(ख) तार सुविधाएं :

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में तार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामान्य नीति को सभी जनजातीय क्षेत्रों, जिनमें गुजरात राज्य के क्षेत्र भी शामिल हैं, के लिए और भी उदार बना दिया गया है।

सुपर तापीय संयंत्र जिनके बारे में विचार किया रहा है

3694. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजनागत आवश्यकता की 1990 के अन्त तक पूर्ति करने की समूची नीति के

एक अंग के रूप में कितने नये सुपर तापीय संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) इन संयंत्रों के लिए सरकार किस तरह धन जुटायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में 2000 मेगावाट, मध्य प्रदेश में तोरबा में 2100 मेगावाट, आंध्र प्रदेश में रामा गुन्डम में 2100 मेगावाट तथा पश्चिम बंगाल में (2100 मेगावाट के लिए नियोजित) 600 मेगावाट के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। ये सभी चारों सुपर ताप विद्युत केन्द्र 1990 तक पूरे किए जाने की आयोजना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा नई परियोजनाएं हाथ में लिए जाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में वैधन में 1260 मेगावाट (6×210 मेगावाट) के यूनिटों वाले विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण को तथा बिहार में 800 मेगावाट (4×2 0 मेगावाट) के यूनिटों वाले कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण की व्यवहार्यता रिपोर्टों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है। तथापि इन परियोजनाओं पर निवेश सम्बन्धी निर्णय अभी लिया जाना है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अन्य स्थलों पर सुपर ताप केन्द्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का भी अन्वेषण कर रहा है।

(ख) नई परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था सामान्यत: योजना निधियों के माध्यम से की जाती है।

टेलीफोनों का विस्तार और उनका आधुनिकीकरण

3695. श्री के० प्रधानी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव 1982-83 में टेलीफोनों के विस्तार और उनका आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) क्या टेलीफोनों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण का कार्यक्रम पहले भी शुरू किया गया था;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों में 1980-81 और 1981-82 में उक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) उन राज्यों में इन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण और विस्तार के कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में 1982-83 में टेलीफोनों के विस्तार और उनके आधुनिकीकरण के सरकारी कार्यक्रमों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) व्यवहारतः भारत में सभी राज्य वर्ष 1980-81 और 1981-82 के विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ गए हैं।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम में हस्तचल एक्सचेन्जों का स्वचलीकरण, पुराने क्षत-विक्षत उपस्कर का प्रतिस्थापन, सीधी डायलिंग/उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं, केबुल जालकार्य में दाबीकरण और डुक्टिंग का शुरू किया जाना आदि शामिल हैं।

(ङ) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में भण्डार कार्यक्रम नियन्त्रित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज होंगे, जबकि छोटी प्रणाणियों को आयात से डिब्बाकृत इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्ज प्रदान किए जाएंगे, जिसमें व्यवहारतः सभी राज्य शामिल होंगे।

औषधियों का आयात

3696. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान जिन औषधियों का निर्यात किया जाता था उनमें से कितनी औषधियों का देश में ही उत्पादन शुरू कर दिया गया है और उनका आयात बन्द कर दिया गया है;

(ख) इस प्रकार की औषधियों के आयात पर निर्भरता को पूर्ण रूप से समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में उनके आयात और उनके स्वदेशी उत्पादन से सम्बन्धित स्थिति क्या है; और

(घ) क्या लगातार भारी आयात पर निर्भरता को देखते हुये, सरकार का विचार अपनी नीतियों की पुनरीक्षा करने का है जो कि लक्ष्यों को प्राप्त न करने देने के लिये उत्तरदायी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वदेशी उत्पादन का मूल्य और बल्क औषधों के आयात को सी० आई० एफ० मूल्य निम्न प्रकार है :

वर्ष	स्वदेशी उत्पादन का मूल्य (रु०/करोड़)	आयात का सी० आई० एफ० मूल्य (रु०/करोड़)
1	2	3
1976-77	150	54.17
1977-78	166	82.41
1978-79	200	77.62
1979-80	226	95·27
1980-81	240	87.24

स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हुई है । वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-82 के दौरान आयात में कमी आई है । विभिन्न कारणों से आयात किया जाता है, जैसे (1) औषधों की मांग और स्वदेशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए, जिनका देश में निर्माण होता है, जैसे टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोक्वीन फास्फेट, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरमफेनीकल चूर्ण और पामीटेट, (2) ऐसे औषधों की स्वदेशी मांग की पूर्ति के लिए देश में जिसका निर्माण अभी नहीं होता है, जैसे रिफाम्पिसीन, मिथाइल डोपा, (3) विभिन्न प्रकार के आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्यात आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे अग्रिम लाइसेंस, अतिरिक्त लाइसेंस, आपूर्ति लाइसेंस ।

सरकार विभिन्न औषधों की मांग और स्वदेशी निर्माण की लगातार समीक्षा करती है और जहां आवश्यक हो औषधों के आयात को परिसीमित करती है । वर्ष 1981-82 की आयात नीति के अन्तर्गत 22 औषधों को पूर्ण प्रतिबन्ध मदों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । प्रतिबन्धित मदों और परिसीमित मदों की सूची में बड़ी संख्या में औषधों को शामिल किया गया है । आवश्यक औषधों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने के क्रम में सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम उत्पादन विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं;

(2) भारतीय क्षेत्रीय कम्पनियों को डी० जी० टी० डी० के साथ बड़ी संख्या में पंजीकरण की मंजूरी दी गई है । पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों को बल्क औषधों और फार्मुलेशनों के निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए है;

(3) राज्यों में संयुक्त उद्यम फार्मुलेशन यूनिट लगाने के लिए सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों को मंजूरी दी गई है;

(4) उन मामलों में जहां यह सिद्ध हो जाता है कि उन कम्पनियों जिन्हें आवश्यक औषधों के निर्माण के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ने उन्हें कार्यान्वित नहीं किया है, ऐसी मंजूरी को रद्द करने/वापस लेने की कार्यवाही की जाती है और इस प्रकार जारी क्षमता को नए आवेदनकर्ताओं को देने पर विचार किया जाता है । नई औषध नीति के दायरे में अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दी जाती है;

(5) 4 सितम्बर, 1980 तक की स्थापित क्षमता को मान्यता दी जा रही है (कुछ शर्तों के साथ) ।

निर्माताओं द्वारा दवाओं की क्षमता के बारे में मिथ्या प्रचार

3697. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी दवाओं का प्रचार करते समय दवा निर्माता उनकी क्षमता के बारे में मिथ्या प्रचार करते हैं, जबकि सच यह है कि प्रचारित की गई दवाओं में ऐसे मूल तत्व होते ही नहीं हैं;

(ख) क्या देश की अधिकांश जनता की गरीबी, भोलेपन और जागरूकता की ऐसी दवाओं की बिक्री के लिए मिथ्या प्रचारों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) औषध और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954, औषधों और चमत्कारिक उपचार के विज्ञापनों का विनियमन करता है। इस अधिनियम की धारा-4 इस प्रकार है :

4. इस अधिनियम के प्रावधानों के ऊपर कोई व्यक्ति किसी औषध से संबंधित किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि विज्ञापन में यह निहित है जो :

(क) औषध के सही गुण के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलत प्रभाव छोड़ता है, या

(ख) औषध के लिये गलत दावा करता है, या

(ग) किसी वस्तु विशेष में अन्यथा गलत या भ्रामक है।

यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी औषध के लिए गलत दावा करना एक अपराध है और जैसी अधिनियम में व्यवस्था है, उस व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है। औषध और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, राज्य सरकारों द्वारा अपने औषध नियन्त्रण संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है। राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारी, औषधों के विज्ञापन की जांच करते हैं और यदि ये विज्ञापन इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो इन औषधों का विज्ञापन देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

आयातित ब्लड प्रैसर दवाई का गोदामों में खराब हो जाना

3698. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों के असहयोग और प्रतिकूल गतिविधियों के कारण अत्याधिक मात्रा में आयातित हाई ब्लड प्रैसर की एक दवाई गोदामों में अप्रयुक्त पड़ी रहने के कारण खराब हो गई;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) बहुराष्ट्रिक दवा कम्पनियों की राष्ट्रीय हित के विरुद्ध चल रही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में किस औषध का हवाला दिया गया है। देश में जिस हाइपरटेंसिव विरोधी बल्क औषध का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, वह मिथाइल डोपा है जिसका आयात स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) द्वारा सरणीबद्ध औषध के रूप में किया जाता है। सी० पी० सी० ने सूचित किया है कि उनके गोदामों में यह औषध बड़ी मात्रा में नहीं है।

बहुराष्ट्रीय औषधि फर्मों पर नियन्त्रण

3699. **श्री नीरेन घोष :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि और रसायनों के प्रयोग पर बहुराष्ट्रीय फर्मों के शिकंजे को कम करने की कोई योजना है;

(ख) औषधियों के वितरण और मूल्य निर्धारण पर बहुराष्ट्रीय फर्मों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने की कोई योजना है, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि कोई योजना नहीं तैयार की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1978 में सरकार द्वारा घोषित नई औषध नीति में विदेशी कम्पनियों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विस्तार की अनुमति देने और नए मदों के लिए लाइसेंस देने के मामले में कठोर नियंत्रण की व्यवस्था है। इस नीति में औषध उद्योग के भारतीय और सरकारी क्षेत्रों को विस्तार और अन्य लाइसेंस देने में उदारतापूर्ण व्यवहार करने की व्यवस्था है। लघु उद्योग क्षेत्रीय यूनिटों को किसी औषध या औषध मध्यवर्ती का उत्पादन करने के लिए (आई० डी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 में निर्दिष्ट बल्क औषधों और फार्मुलेशनों के मूल्य उक्त आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित है चाहे उनका निर्माण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां करती हैं या अन्य। वह मंत्रालय उन बल्क औषधों और औषध मध्यवर्ती पर वितरण नियंत्रण करता है जो आयात के लिए सरणीबद्ध है।

भारतीय उर्वरक निगम के उत्पादों के लिये डीलरशिप

3700. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री रामलाल राही :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम, लखनऊ उत्तर प्रदेश ने विकास खंडों में रसायनिक उर्वरकों की डीलरशिप के आबंटन के लिये अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे और क्या एक शिकायत आई थी कि क्षेत्र अधिकारियों ने साक्षात्कार के लिये उपयुक्त आवेदन कर्ता को बुलाने के बजाय ऐसे लोगों को बुलाया जिनकी उनसे सांठ गांठ थी; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० ने उत्तर प्रदेश में अपने डीलर नियुक्त करते के लिए मार्च, 1981 में आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया था न कि वर्ष 1980 के दौरान । सिर्फ उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिन्हें जांच समिति ने उपयुक्त पाया । निगम को अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात और बिजली उद्योगों को कोयला सप्लाई करने के लिए शिकायतें

3701. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को विशेष रूप से इस्पात और बिजली उद्योगों की ओर से खानों से सप्लाई किए जा रहे कोयले की किस्म के बारे में शिकायतों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कोयले की किस्म नियंत्रण के लिए क्या विशेष कार्रवाई करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) इस्पात और बिजली सेक्टरों से विशेष रूप से, उन्हें सप्लाई किए गए कोयले की किस्म के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं । कोयला कम्पनियां उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही हैं :

(1) वर्तमान कोयला वाशरियों में सुधार, ताकि इस्पात कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले में राख का अंश घटाया जा सके । इसके अलावा कोयला कम्पनियां जहां कहीं संभव हो वहां उत्पादान आयोजन में उपयुक्त समन्जन करके वाशरियों को दिए जाने वाले कच्चे कोयले की किस्म में सुधार करने की संभावनाओं की भी जांच कर रही हैं ।

(2) कोयले से बाहरी पदार्थ चुन कर निकाल देना और वैगनों में लदान के समय कड़ी निगरानी रखना ताकि कोयले में मिलावट रोकी जा सके ।

(3) अल्पकालीन उपाय के रूप में कोयला कम्पनियों ने कोयले को वैगनों में लादने के पहले मजदूरों द्वारा उसकी अच्छी तरह तुड़ाई शुरू की है और दीर्घकालीन उपाय के रूप में एक क्रैश प्लान तैयार किया है जिसके अधीन कोयला रख-रखाव संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा जिनमें कोयले को प्रेषण के पहले अपेक्षित आकार में तोड़ा जाएगा ।

(4) कोयला कम्पनियां उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले अकोककर कोयले की किस्म में सुधार के लिए परिष्करण संयंत्रों के निर्माण की साध्यता पर भी विचार कर रही हैं । इस समय कोयले के रख-रखाव/छनाई और तुड़ाई के लिए लगभग 160 बड़े और छोटे केन्द्र हैं जिनकी संख्या भविष्य में बढ़ाकर 341 करने का प्रस्ताव है ।

मधुबनी (बिहार) में रेल डाक सेवा के नए छटाई सैक्शन को खोलना

3702. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा (आर० एम० एस०), "एन० बी" डिवीजन समस्तीपुर के अधीक्षक ने उत्तर बिहार के जिला मुख्यालय नगर मधुबनी में रेल डाक सेवा के एक नये छटाई सैक्शन खोलने के लिए पी० एम० जी० बिहार को सिफारिश की थी; यदि हां तो रिपोर्ट करने का कौन सा सही समय रखा गया है; और

(ख) क्या 41 अप और 42 डाउन ट्रेनों में लम्बे अर्से से एक छटाई सैक्शन खोलने के लिये कोई प्रस्ताव भी है यदि हां तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां, प्रस्ताव की जांच की गई तथा इसे उचित नहीं पाया गया। बिहार सर्किल में डाक कार्यालय तथा अनुभाग पहले से ही हैं।

(ख) जी हां, छटाई अनुभाग खोलने के लिए एक प्रस्ताव था परन्तु जो 41 अप और 42 डाउन में स्थानाभाव तथा डाक वाहनों की कमी के कारण भी सम्भव नहीं हो सका। डाकघरों से साधारण छटाई करने के लिये कह दिया गया है ताकि सार्वजनिक डाक का तुरन्त निपटान हो जाये।

राजस्थान में टेलीफोन लाइनें

3703. **श्री बिरदा राम फुलवरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी टेलीफोन लाइनें लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि आवश्यक सामग्री की कमी के कारण कई लाइनों का काम शुरू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1981-82 के दौरान 4800 टेलीफोन तथा 100 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने थे।

(ख) और (ग) पहले ही 3000 टेलीफोन तथा 19 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं। शेष लाइनों पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष के आरम्भ में कुछ कमी थी परन्तु हाल ही में भंडारों की सप्लाई में सुधार हुआ है और यह आशा की जाती है कि अधिकतर लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे।

"डायल 100 फार साइलेंस" शीर्षक समाचार

3704. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "डायल 100 फार साइलेंस" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें आपातकाल

टेलीफोनों जैसे पुलिस, अग्नि, अस्पताल गाड़ी आदि टेलीफोनों के ठीक से कार्य न करने और इन आपातकाल सेवाओं के लिए अन्य टेलीफोन नम्बर जनता को बताये जाने के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और इसमें सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) डाक-तार विभाग इन सेवाओं के लिए केवल तकनीकी व्यवस्था करता है। इन आपातकालीन सेवाओं को चलाने का काम संबंधित विभाग अर्थात् "100" नम्बर के लिए पुलिस, "101" नम्बर के लिए अग्नि शमन सेवा तथा "102" नंबर के लिए हस्पताल प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

इन सेवाओं पर पहले से ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे उपस्कर की नेमी तौर पर दिन में 8-8 बार जांच की जाती है तथा पाए गए दोषों को तुरन्त ठीक किया जाता है।

पुलिस एवं अग्निशामक दल से संबंधित अन्य नम्बर टेलीफोन निदेशिका की वर्णानुक्रम सूची में दिए गए हैं।

भारत नेपाल संयुक्त नदी परियोजनाओं की प्रगति

3705. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि करनाली और पंचेश्वर नदियों से संबद्ध भारत नेपाल संयुक्त नदी परियोजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : पंचेश्वर परियोजना के संबन्ध में भारत और नेपाल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अन्वेषण कार्य दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाएंगे। इन अन्वेषण कार्यों को करने के लिए भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। परियोजना के अन्वेषण कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे गए हैं और ये प्रगति पर हैं।

जनवरी, 1981 में हुई करनाली समिति की बैठक के दौरान भारत और नेपाल इस बात पर सहमत हो गए थे कि करनाली (चिसापानी) परियोजना का विस्तृत अध्ययन दोनों देशों के संयुक्त तत्वावधान में तथा वर्तमान पर्यवेक्षण में हाथ में लिया जाए। इन अध्ययनों को हाथ में लेने के लिए परस्पर स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त करने पर भी सहमति हुई थी। सलाहकार की नियुक्ति की शर्तों को दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप दिया जाना है।

सोडा ऐश पर विदेशी मुद्रा बचाने का प्रस्ताव

3706. श्री सज्जन कुमार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश लागत से कम मूल्य पर भारत में बिक रहा है, आयात भी किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सोडा ऐश के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सोडा ऐश 14 जनवरी, 1979 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत है। वर्ष 1979-80 में 20.85 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 1.35 लाख टन और वर्ष 1980-81 (अक्टूबर, 1980 तक) में 9.64 करोड़ रुपए मूल्य के 0.53 लाख टन सोडा ऐश का आयात हुआ। महा-निदेशक, वाणिज आसूचना और सांख्यिकी कलकत्ता द्वारा आयात सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। अक्टूबर, 1980 के बाद की अवधि के लिए सांख्यिकी का अभी प्रकाशन होना बाकी है। जब इनसे सांख्यिकी का संकलन हो जाएगा, तब उन्हें भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी भाग-II में प्रकाशित किया जाएगा, जिनकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध होगी।

हल्के सोडा ऐश का कारखाने के बाहर निर्माता मूल्य 2050.35 रुपए से 2207.32 रुपए प्रति टन के बीच है। सोडा ऐश का आयात मूल्य अलग-अलग खेपों के लिए अलग-अलग होता है जो प्रेक्षक देश और खेप की मात्रा पर निर्भर करता है। यह प्रत्यक्ष है कि अब हल्के सोडा ऐश का सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 80 अमेरिकी डालर प्रतिटन है। सोडा ऐश के निर्माताओं ने अभ्यावेदन किया है कि बड़े पैमाने पर आयात और कम उठान के कारण स्टाक जमा हो रहा है और जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया लगाया जाता तब तक उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहेगा जनवरी, 1981 के अन्त में निर्माताओं के पास 17,053 टन का स्टाक था जो दिसम्बर, 1981 में बढ़कर 79.997 टन हो गया। तथापि अखिल भारतीय कांच निर्माता संघ और अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ चालू आयात नीति को जारी रखने की दलील दे रहे हैं। आयात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात का विनियम किया जाता है।

केरल विधान मंडल की स्थिति के बारे में

अनेक सदस्य उठे ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : केरल में संवैधानिक संकट है, केरल संवैधानिक व्यवस्था ठप्प हो गई है । सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है । केन्द्र को कोई कार्यवाही करनी चाहिए । केन्द्र जब तक कार्यवाही नहीं करेगा, वहां के संवैधानिक संकट का कोई समाधान नहीं निकलेगा । स्थगन प्रस्ताव का यह सही मामला है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति-शान्ति । कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं केरल सरकार को बर्खास्त किये जाने की मांग करता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया हमको बारी-बारी सुनिये । हम आपको सहमत करा लेंगे कि स्थगन प्रस्ताव का यह सही मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, फायदा क्या है । कोई आपकी बात सुनने देता और न कोई सुनने मुझे देता ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मुझे निवेदन करने की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आपकी बात का कोई फायदा नहीं होगा ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं निनेदन करना चाहता हूं, आप कहते हैं, "मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं ।" परन्तु जब मैं बोलता हूं, आप सुनते नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं कहना चाहता हूं । हर बात के लिए संवैधानिक उपबन्ध है ।

(व्यवधान)

एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब कान्सटीच्यूशनल प्रोवीजन हमारे पास है । कोई गवर्नमेंट मेजारिटी एलाय नहीं करती है, माइनारिटी में आ गई है तो स्वतः वह मामला सामने आयेगा··· (व्यवधान) जब संविधान के अनुसार काम नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वहां कि गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट भेजी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उचित समय से पहले बात करना है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गवर्नमेंट सदन में स्टेटमेंट दे सकती है, आप उन्हें निर्देश दे सकते हैं, आप अल्पमत वाली सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दे सकते ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आज सायं 5 बजे राज्यपाल की रिपोर्ट समा-पटल पर रखी जानी चाहिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप तर्क दे रहे हैं परन्तु जो आपने कहा हैं उसके बारे में आप हमारे विचार नहीं सुन रहे हैं । आपने जो कुछ कहा है, हम उसका पूरा आदर करते हैं । इसके साथ ही, यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है तो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । जैसाकि श्री वाजपेयी ने बिल्कुल सही कहा है कि वह रिपोर्ट केन्द्र के पास आनी चाहिए । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । गृह मन्त्री को अपने आप सभा में इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा, मैं अपने आप ऐसा कुछ नहीं कर सकता । मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप गृह मंत्री को निर्देश देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी व्यक्ति को निर्देश नहीं दे रहा···मैं मामले की जांच करूंगा और विचार करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत जिस बात की अनुमति हो, निदेश दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

श्री चरणजीत यादव (आजमगढ़) : सभा को जानने का अधिकार है । क्या ग्रह मंत्री आज वक्तव्य देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री रामविलास पासवान : क्या गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, अल्पमत वाली सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की पूरी तरह छानबीन करूंगा । आप चिन्ता न करें ।

श्री हरिकेश बहादुर : आप गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिये निदेश दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बतला दिया है कि मामले की जांच करूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा । वह विचाराधीन है—स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं—मैं किसी अन्य रूप में स्वीकार करने का विचार करूंगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए निदेश दे सकते हैं क्योंकि वे त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, श्री बूटा सिंह ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1980-81 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं रिपेट्रिएटस कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3539/82]

रेल अभिसमय समिति

सिफारिशों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं "महाप्रबन्धकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन, जोनल रेलों के गठन और रेल बोर्ड कार्यालय के पुनर्गठन" के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति (1977) के चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति (1980) के दूसरे प्रतिवेदन के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

आठवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैं याचिका समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरी अनबारासु (चिंगलपट्टु) : महोदय, श्री मुथु कुमारन को पीटा गया है...

अध्यक्ष महोदय : आप यहां क्यों खड़े हैं ? आप अपने स्थान पर जाइये। मेरी आंखें हैं। मैंने देख लिया है। कृपया बैठ जाइये।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंदूर) : महोदय, इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री मुथु कुमारन को डी० आई० जी० द्वारा पीटा गया है। (**व्यवधान**) इस बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा। आप लिखित में सूचना भेजें। आप बैठ जाइये। अब नियम 377 के अधीन मामले। श्री महावीर प्रसाद।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बांसगांव जिला में सरदार नगर सरैया डिस्टिलरी से अपशिष्ट के बहाये जाने के कारण पानी को दूषित होने से रोकने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने पिछड़े हुए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव के उस विशेष क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर इस समय एक फरेन-नाला बहता है। उस सार्वजनिक नाले में आज बीसों वर्षों से सरदार नगर के पास सरैया डिस्टिलरी अपना गंदा पानी छोड़ रहा है जिसके कारण उस सम्पूर्ण क्षेत्र में, जहां तक वह नाला जाता है, सम्पूर्ण पानी दूषित हो गया है और उससे दुर्गन्ध फैल रही है। उस पानी को पीने से काफी पशु मर चुके हैं। साथ ही साथ उस गंदे पानी के कारण मच्छरों की अधिकता हो गई है। फलस्वरूप उस क्षेत्र में इनफलाइटिस की बीमारी गत कई वर्षों से रह रहकर हो जाती है जिसके कारण काफी लोग मर चुके हैं।

(**व्यवधान**)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : ज्ञानी जी पहले सदन में नहीं थे, इस समय सदन में आने की क्या जरूरत थी, इतना तो पूछ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह बात पूछी जा सकती है ? ज्ञानी जी, आप सदन में क्यों आये ? यह अच्छा मजाक है···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ बोला गया है, वह मेरी अनुमति के बिना बोला गया है। नियम 377 के अतिरिक्त एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में स्थानीय खंड विकास अधिकारी सरदार नगर द्वारा जांच कराई गई थी। उस जांच में यह पाया गया कि उक्त नाले का पानी विशेष विषाक्त एवं दूषित हो गया है। फलस्वरूप, उस क्षेत्र में उस गंदे पानी के कारण वायु प्रदूषण काफी बिगड़ता जा रहा है और मानव जीवन एवं पशु जीवन खतरे में पड़ गया है। साथ ही साथ उस नाले में पाई जाने वाली मछलियां भी मरती जा रही हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमन्, उस नाले के किनारे-किनारे काफी क्षेत्रों में बोरो नामक धान की फसल उगाई जाती है किन्तु उस गंदे पानी के कारण बोरो धान की फसल बरबाद हो रही है। श्रीमन्, उक्त फैक्टरी के पास उक्त गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए काफी दिनों से 36 एकड़ भूमि टैंक बनाने के लिए सुरक्षित खाली पड़ी हुई है। किन्तु, खेद है कि उक्त फैक्टरी के मालिक ने स्थानीय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके अभी तक उक्त सुरक्षित भूमि में टैंक न बनवाकर वायु प्रदूषण एवं एनसेफलाईटिस बीमारी को बढ़ावा दे रहा है जो जनहित और राष्ट्रहित में नहीं है।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से नम्र निवेदन है कि अविलम्ब उक्त समस्या का सुलझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भेजकर उसका निदान करें ताकि उस क्षेत्र में निवास करने वालों की जिन्दगी सुधर सके।

(दो) चीनी रेशम धागे के आयात के कारण उड़ीसा में आदिमजातियों के देशी टसर रेशम उद्योग में गंभीर संकट

श्री रास बिहारी बहेरा (कालाहोडी) : **शताब्दियों से उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमिलीपाल, वनमागे और कालाहोडी, क्योंझर, सम्बलपुर में रहने वाले पर्वतीय लोग व आदिवासियों का ही टसर का काम है। उड़ीसा राज्य के इस प्रदेश के लोगों ने इसे अपनी रोजी के लिए प्रमुख साधन के रूप में इस व्यवसाय को अपनाया हुआ है। वे स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और राज्य टसर सहकारी समिति द्वारा इन उत्पादकों से एकत्र टसर सिल्क गत कई दशाब्दियों से देश के विभिन्न टसर सिल्क उद्योगों को सप्लाई किया जाता है, अधिकांशतः आदिवासी गाँवों के पूरे परिवार समूचे वर्ष में इसी व्यवसाय में लगे रहते हैं। प्रातःकाल से सायंकाल तक घने वन में टसर सिल्के के उगाने का काम होता है। परन्तु यह बहुत दुख की बात है कि इस वर्ष चीनी मूल के सिल्क यान का भारी मात्रा में आयात किये जाने के कारण टसर सिल्क उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर प्रदेश के अन्य भागों में देशी टसर के लगभग सभी सिल्क बाजारों वह आयातित सिल्क यार्न बिक्री के लिए जमा कर दिया गया है, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में आयातित टसर सिल्क के आगमन से देशी उत्पाद के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है। भारतीय विशेषकर उड़ीसा के उत्पादक, अधिकांशतः आदिवासी इतने कम मूल्य में अपने उत्पाद को बेचने में भारी कठिनाई का सामना कर रहे है।

यदि चीनी सिल्क यार्न के आदान को ओर बढ़ावा दिया गया तो उड़ीसा तथा उसके आस-पास रहने वाले लाखों आदिवासियों का रोजगार बन्द हो जायेगा। उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में बिचौलिए पहले ही पहुंच गये हैं और वे आदिवासियों की स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चीन से टसर सिल्क यार्न आयात बन्द कर दिया जाये। केन्द्र सरकार को सभी राज्य सरकारों की मार्गनिर्देश भेजने चाहिए कि वे पर्वतीय क्षेत्रों में बिचौलियों को व्यापार करने से रोकें। आदिवासियों का अनुचित लाभ उठाने वासे बिचौलियों के

**उड़ीसा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिये । उनके उत्पादों के लिए इस सिल्क उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिये ।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के गुड़ उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की आवश्यकता

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश में गुड़ के मूल्य बहुत अधिक गिर गये हैं जिससे राज्य की गुड़ की मंडियों में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है । गुड़ के उत्पादन के मामले में आन्ध्र प्रदेश भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य है जो उत्तर प्रदेश से दूसरे स्थान पर है । इस राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख टन गुड़ तैयार किया जाता है । इसमें से 3 लाख टन गुड़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को निर्यात किया जाता है । विशाखापत्तनम जिले में उत्पादन बहुत अधिक होता है और अनकापल्ली में गुड की मंडी है जहां बड़ी मात्रा में गुड इकट्ठा किया जाता है और उसका व्यापार किया जाता है । मूल्यों में घटबढ़ होने से गुड उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । उत्पादकों के लिए कोई गारंटीशुदा मूल्य नहीं है । चालू वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में 1.58 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना बोया गया है और गन्ने का 125 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है इसका लगभग 50-55 प्रतिशत भाग राज्य के विभिन्न भागों में गुड़ बनाने के लिए जाता है ।

चालू वर्ष में गुड़ के मूल्यों में भारी गिरावट आई है । इस समय गुड़ के मूल्य किस्म के आधार पर 90 रुपये से 170 रुपये प्रति क्विंटल तक हैं जो औसत मूल्य लगभग 150 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है । गुड़ बनाने का प्रभार इस समय बिजली शुल्क, उपकरण लागत और मजदूरी आदि मिलाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल होता है । 150 रुपये प्रति क्विंटल की औसत दर पर किसानों को औसतन 70 रुपये प्रति टन गन्ने का लाभ मिलता है । आन्ध्र प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा दिये जाने वाले 191 रुपये प्रति टन गन्ने की तुलना में यह लाभ बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप गुड़ उत्पादकों को लगभग 120 रुपये प्रति टन गन्ने की हानि होती है ।

इसलिए वर्तमान संकट में गुड़ उत्पादकों की रक्षा करने की भारी आवश्यकता है । सरकार को गुड़ उत्पादकों की सहायता करनी ही पड़ेगी जिससे हजारों कृषि श्रमिकों और गरीब लोगों का रोजगार सुनिश्चित हो सके । इन परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित आधार पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये :

1. गुड़ की बिक्री पर बिक्री कर का तुरन्त हटाया जाना ।

2. अन्य देशों को गुड़ निर्यात करने के लिए परमिट दिया जाना ।

3. सरकारी एजेंसियों व 'नफेड, को बड़े पैमाने पर गुड़ के निर्यात और खरीद करने का निदेश देना ।

4. सरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गुड़ की खरीद, जिससे चालू पिराई मौसम में चीनी मिलों द्वारा दिये जाने वाले गन्ने के मूल्य के बराबर मूल्य दिया जा सके ।

5. खपत वाले क्षेत्रों तक गुड़ शीघ्र ले जाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में गुड़ विपणन केन्द्रों को उच्च प्राथमिकता आधार पर रेल वैगनों का आवंटन ।

6. चीनी बनाने के लिए चीनी कारखानों द्वारा गुड़ की खरीद और सरकार को उत्पाद शुल्क में पूरी छूट देनी चाहिये और बनाई गई चीनी को खुले बाजार में बिक्री अनुमति देना ताकि इस प्रक्रिया में किये गये अतिरिक्त खर्च को पूरा किया जा सके, और

7. अलकोहल बनाने के लिए डिस्टिलरियों द्वारा गुड़ की खरीद और सरकार को गुड़ से सीधे बनाई गई अलकोहल की खुले बाजार में बिक्री की अनुमति देनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्री जो स्वयं एक कृषक हैं, इस उद्योग पर गम्भीर संकट को समझेंगे और गुड़ उत्पादकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठायेंगे ?

(चार) **गंगा और यमुना नदियों के पानी को दूषित होने से रोकने के लिए उपाय**

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, गंगा एवं यमुना नदियां भारत ही नहीं वरन् संसार की प्रसिद्ध नदियों में से हैं। ये नदियां उत्तरी भारत के जन-जीवन का स्रोत रही हैं, परन्तु यह दुखद सत्य है कि आज गंगा एवं यमुना का पानी सबसे अधिक प्रदूषित है। स्थान-स्थान पर यह मानव-उपयोग के उपयुक्त नहीं है। सेन्ट्रल बोर्ड आफ प्रिवेंशन एण्ड कन्ट्रोल आफ वाटर पोल्युशन ने अपनी रपट में स्वीकार किया है कि गंगा के जल-प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा घुलनशील आक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से पानी अस्वास्थ्यकर हो गया है। गंगा, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, मोकामा, बरौनी में अधिक प्रदूषित है। 1979 से गंगा के पानी की जांच करके सेन्ट्रल बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गंगा का पानी इन स्थानों पर मानव-उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हुगली में मछली की मात्रा हाल के वर्षों में लगभग 80 प्रतिशत रह गई है। पानी की स्वत: शुद्धीकरण की प्रक्रिया अब क्षीण हो रही है और तात्कालिक मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 48 प्रथम वर्ग के नगरों एवं 66 द्वितीय वर्ग के नगरों का गन्दा पानी तथा सैकड़ों प्रमुख उद्योगों का उच्छिष्ट पदार्थ गंगा के जल को प्रतिक्षण प्रदूषित कर रहे हैं। कानपुर में ही 18 प्रतिशत प्रदूषण मात्र उद्योगों से है। तट पर बसे नगरों से गन्दे नालों का अविरल प्रवाह तथा प्रतिदिन हजारों बिना जली एवं अधजली लाशों का प्रवाह स्थिति को और अधिक भयावह बना रहे हैं। डिपार्टमेंट आफ सिविल इन्जीनियरिंग, रुडकी यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन के पश्चात घोषित किया है कि यमुना नदी रुग्ण है। इसका पानी दिल्ली, मथुरा तथा आगरा में जन-उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें उद्योगों द्वारा व्यक्त सामग्री बड़े पैमाने पर पानी को प्रदूषित कर रही है। साथ ही नगरों के गन्दे नाले जल-प्रदूषण की वृद्धि में चिन्ताजनक योगदान दे रहे हैं। यहां तक कि लन्दन के पब्लिक हैल्थ वाटर वर्क्स, डाइरेक्टर डा० टेलर ने सलाह दी है कि यमुना के पानी के प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए ओखला जल-संयंत्र को त्याग दिया जाना चाहिए। माननीय निर्माण एवं आवास मंत्री जी ने भी गत 30 नवम्बर को इस सदन में स्वीकार किया था कि यमुना का पानी दिल्ली एवं इटावा के बीच पीने योग्य नहीं रह गया है।

मैं एतद् द्वारा सरकार का ध्यान गंगा एवं यमुना नदियों के पानी के प्रदूषण की भयावह स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इसे गम्भीरता से ले तथा इस दिशा में शीघ्र प्रभावकारी कदम उठाए। उद्योग अपने द्वारा उच्छिष्ट पदार्थों के शुद्धीकरण की कोई व्यवस्था करें स्थापना के समय ही उद्योगों को प्रदूषण-नियंत्रण की भी व्यवस्था करनी

चाहिए। नियंत्रण-व्यय उद्योगों के स्थापना-व्यय का अंश स्वरूप होना चाहिए, जैसाकि अन्य अनेक देशों में होता है। नगरों के गन्दे पानी के शुद्धीकरण की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए। नदियों का शुद्ध जल गन्दे पानी में मिलाकर सिंचाई की जा सकती है। नदियों के तट पर बसे नगरों में विद्युत-शवदाह-गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य व्यापार निगम को देखना चाहिए कि चीनी मिलों द्वारा मोलेसेस का भण्डारण समुचित ढंग से किया जाता है तथा वह गन्तव्य स्थान को समय पर चला जाता है। इस प्रकार गंगा तथा यमुना के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से करे।

(पांच) कोयले से कृत्रिम कच्चे तेल का उत्पादन करने का कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने चरण-बार कार्यान्वियन के लिए रानीगंज-अन्दाल-दुर्गापुर कोयला पट्टी में कृत्रिम कच्चे तेल के उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार को 1850 करोड़ रु० की एक समाकलित परियोजना का सुझाव दिया था। कृत्रिम कच्चा तेल आंशिक रूप से आयातित पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल तथा कोयले से निर्मित ईंधनों और रसायनों के विकल्प के रूप में काम आयेगा। इस समाकलित परियोजना के कारण एक लाख अथवा उससे अधिक लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव चार चरणों का था। प्रथम चरण में दुर्गापुर-आसनसोल-पट्टी के प्रमुख उद्योगों यथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, अलौह इस्पात संयंत्र, भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी तथा कलकत्ता के चारों ओर प्रस्तावित विकेन्द्रित उद्योगों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोयले से औद्योगिक गैस उत्पादित की जानी थी। द्वितीय चरण में, कोयले से मिथेनोल उत्पादित किया जाना था क्योंकि इस मिश्रित वस्तु से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का उपयोग बचाया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार की पेट्रोल से बनी वस्तुओं के निर्माण में उपयोग में आता है और पूर्वी क्षेत्र में जिसका उपयोग अनेकों अनुप्रभावगामी रसायन उद्योगों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

तृतीय चरण के अन्तर्गत, कोयले से कृत्रिम तेल का उत्पादन किया जाना था विशेषकर डीजल, मिट्टी का तेल और तत्सम्बन्धी अच्छे किस्म का अल्कोहल और रसायनों के उत्पादन पर जोर दिया जाना था जिसका उपयोग राज्य में और राज्य से बाहर के स्थानों में अनेकों अनुगामी उद्योगों के लिए किया जायेगा। चौथे और अन्तिम चरण में नाइट्रोजन से बने उर्वरकों और नाइट्रिक एसिड, अमोनिया नाइट्रेट तथा नाइट्रस आक्साइड के लिए कोयले से अमोनिया का उत्पादन किया जाना था। इस समाकलित परियोजना के पूर्ण होने पर एक वर्ष में दस लाख टन कृत्रिम तेल, प्रति वर्ष 500,000 टन मिथेनोल और एक दिन में पांच करोड़ क्यूबिक फुट औद्योगिक गैस-तैयार होगी। जब कृत्रिम तेल का उत्पादन होने लगेगा तब संयंत्र को चलाने के लिए निरन्तर 110 मेगावाट उत्पादित विद्युत की आवश्यकता के अलावा एक वर्ष में 7.44 मिलियन टन संचित कोयले की खपत होगी। हाल में विदेश में की गई कोयले की जांच की रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि दबाव गैसीकरण के लिए रानीगंज का खाना पकाने के काम न आने वाला कोयला सर्वोत्तम उपयुक्त कच्चा माल है। कोयले से निरन्तर बिजली पैदा

करने के साथ-साथ कृत्रिम कच्चा तेल, मिथेनोल और औद्योगिक गैसों के उत्पादन के लिए बड़ी कुशलतापूर्वक उपयुक्त दबाव गैसीकरण प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोयले से कृत्रिम तेल उत्पादित करने के लिए इस परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव पर अविलम्ब विचार किया जाये।

(छः) महाराष्ट्र में कगाल के यशवन्त दुर्ग के लुप्त हो जाने का समाचार

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, स्व० लार्ड कर्जन, जिन्होंने प्राचीन संस्मारक के अनुरक्षण का पालन करने के लिए कानून बनाया था, ने ऐतिहासिक संस्मारकों की अनुरक्षण के क्षेत्र मे उल्लेखनीय योगदान दिया था तथा पथ प्रदर्शन किया था। स्वतंत्रता से पूर्व संस्थापक ब्रिट्रिश शासकों ने इस कार्य को चालू रखा। तथापि, कागल, महाराष्ट्र के 1400 वर्ष पुरानी इमारत यशवन्त दुर्ग के लोप हो जाने का प्राप्त समाचार स्वतन्त्र भारत के लिए लज्जा की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस ठेकेदार ने बेघर तथा अन्य व्यक्तियों के लिए मकान बनाने का ठेका लिया था, उसने एक-एक पत्थर उठा कर इस स्मारक को समाप्त कर दिया। भ्रष्ट स्थानीय प्राधिकारियों की मौन स्वीकृति से ही इस ऐतिहासिक संस्मारक की धीरे-धीरे चोरी तथा तोड़ा-फोड़ी की गई होगी।

यह खेद का विषय है कि जो किला आक्रमणकारियों के आक्रमण, आन्तरिक झगड़ों तथा प्राकृतिक विपदाओं से सुरक्षित रहा वह स्वतंत्रता प्राप्ति की 35 वर्ष की अवधि के भीतर विलुप्त हो गया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस मामले की जांच कराई जाये तथा सांस्कृतिक लूटमार से देश को बचाने के लिए कार्यवाही की जाये।

पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्राधिकारी इस लापरवाही और लूटपाट के उत्तरदायी हैं उन्हें इस जुर्म के लिए कठोर दण्ड दिया जाये।

(सात) पटना शहर में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): अध्यक्ष महोदय, पटना बिहार की राजधानी है। सन् 198। की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी 8 लाख से अधिक हो चुकी है। वहां के नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार टेलीफोन नहीं मिलते। बहुत से उपभोक्ताओं के टेलीफोन के लिए आवेदन-पत्र लम्बे अर्से से विचाराधीन हैं। अत: आवेदकों में असन्तोष का होना स्वाभाविक है।

जिन उपभोक्ताओं को टेलीफोन मिले भी हुए हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या में बराबर खराब रहते हैं और वे काम नहीं करते। सांसदों और विधायकों के टेलीफोन भी खराब पड़े रहते हैं। वहां का प्रतिनिधि होने के कारण, वहां के बहुत सारे लोग मुझसे इस बात की शिकायत करते रहते हैं। सरकारी अधिकारियों का बार-बार ध्यान दिलाने पर भी कोई विशेष नतीजा नहीं निकलता। लोग कहने लगे हैं कि सरकार का ध्यान केवल टेलीफोनों का रेट बढ़ाने पर केन्द्रित रहता है, उपभोक्ताओं की सुविधाओं पर नहीं।

वर्तमान लोकसभा का चुनाव हुए दो साल से अधिक हो गए। फिर भी, आश्चर्य है कि पटना के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन अब तक नहीं किया गया है। पता नहीं, क्यों ? इस प्रकार की कमेटी रहने से टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही करने की गुंजायश रहती है। परन्तु, ऐसी समिति नहीं रहने के कारण नौकरशाहों की मर्जी पर ही काम होता है। उपभोक्ताओं की आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है।

टेलीफोन की स्थिति रांची, धनबाद, जमशेदपुर, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, आरा, बिहार शरीफ आदि बड़े शहरों में भी दयनीय है।

अतः संचार मन्त्री से मेरा अनुरोध होगा कि वे पटना में नये एक्सचेंज शीघ्र चालू करें, वर्तमान एक्सचेंज की पुरानी मशीनों एवं अन्य सामग्रियों को बदलने की व्यवस्था करें, विचाराधीन आवेदन-पत्रों के आधार पर टेलीफोन मुहैया करें, खराब टेलीफोनों को ठीक रखें तथा समय पर मरम्मत करायें, टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन की घोषणा करें तथा बिहार के अन्य बड़े शहरों में टेलीफोन व्यवस्था ठीक रखें। ऐसा करके ही उपभोक्ताओं के असन्तोष को दूर किया जा सकता है।

(आठ) बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : बिहार में बैंकों में कुल 1840 करोड़ रु० जमा था जिसमें से 43 प्रतिशत राशि को छोड़कर शेष अर्थात 1000 करोड़ रु० बिहार में विभिन्न क्षेत्रों को ऋण के रूप में दिया जाना था। 1,000 करोड़ रु० में केवल 713 करोड़ रु० का ऋण दिया गया है। 250 करोड़ रु० का अन्तर अब भी है। अन्य सम्पन्न राज्यों की जमा पूंजी में बिहार को कुछ और राशि दिये जाने के बजाय जो राशि स्वयं बिहार में जमा है वह भी पूरा-पूरा ऋण के रूप में नहीं बांटी गयी है। केवल कृषि क्षेत्र में बिहार में फसल ऋण के रूप में 400-500 रु० प्रति वर्ष की राशि चाहिए जिसमें 75 करोड़ रु० की राशि तो किसानों की अपनी है।

भूमि विकास और लघु सिंचाई (नलकूप, पम्पिंग सेट इत्यादि) के लिए 500 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिए इस समय फसल के लिए ऋण देने की राशि के रूप में प्रति वर्ष केवल 24 करोड़ रु० उपलब्ध होता है।

बिहार में ऋण देने के लिए बैंकों की और अधिक शाखायें खोलनी होंगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व पूरे बिहार राज्य में मुश्किल से बैंकों की 600 शाखायें थीं, जो मार्च 1982 तक बढ़कर 1478 शाखायें हो जानी चाहिए थीं। छोटा नागपुर और संथाल परगनों में जहां गांव एक दूसरे से काफी दूरी पर बसे हुए हैं, आबादी का मानदण्ड 20,000 से घटाकर 10,000-12,000 कर देना चाहिए ताकि 8,000-10,000 की आबादी पर एक शाखा हो जाये।

———

बजट (सामान्य)—1982-83—सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री आरम्भ करें।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इस विशेष अवसर पर मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया। मुझे नहीं मालूम कि सामान्य चर्चा के दौरान इस वर्ष के बजट प्रस्तावों पर सबसे अधिक वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त किये हैं किन्तु लगभग 50 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। यह स्पष्ट है, जैसा कुछ समाचार पत्रों ने अपनी टिप्पणी दी है, कि सबसे छोटे वित्त मन्त्री ने सबसे अधिक लम्बा भाषण बजट पर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सबसे लम्बे अध्यक्ष के अधीन।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह बजट की लम्बी और छोटी व्याख्या है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सबसे लम्बा नहीं बल्कि सबसे ऊंचा।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन स्वीकार है। सबसे लम्बा व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा।

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रोफेसर साहब हमारी गलती ठीक करने के लिए यहां सदा मौजूद हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि आमतौर पर होता है, जब कभी भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो विभिन्न दृष्टिकोणों से उसकी समीक्षा की जाती है और उसे एक विशेष संज्ञा देने की परम्परा यहां चली आई है और यह बजट भी इसका प्रतिवाद नहीं है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह एक आशाजनक बजट नहीं है, दूसरों की राय में यह एक कमजोर बजट कहा है, तथा कुछ अन्य लोगों की राय में यह एक दिशाहीन बजट है। मैं अपने विशिष्ठ साथी श्री जार्ज फर्नान्डीस, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, के प्रेक्षण से आरम्भ करूंगा। उनके कथनानुसार, उन्होंने यह कहते हुए आरम्भ किया था कि इस वर्ष का बजट सबसे अधिक निष्क्रिय बजट है। किन्तु मैं समझ नहीं पाया, जब उन्होंने यह कहते हुए अपना भाषण किया कि यह बजट सबसे अधिक खतरनाक है। यदि यह निष्क्रिय बजट है, तो मुझे आशा है कि यह खतरनाक नहीं हो सकता और जानबूझकर मैं इसे एक ऐसा नहीं बनाना चाहता था जिसके सदन में प्रस्तुत किए जाने के साथ ही मेरे साथियों की तथा मेरी पत्नी संगठित होकर प्रदर्शन करतीं जैसा कि मेरे साथी श्री मगन भाई बारोट ने वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों का विरुद्ध ठीक ही कहा है। जानबूझकर मैं ऐसी घटना के घटित होने से बचना चाहता था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी गृह लक्ष्मी प्रदर्शन नहीं करेंगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बजट प्रस्तावों के मुख्य मुद्दों की ओर ध्यान दिलाते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों के माध्यम से ऐसी स्थिति बनाये रखना चाहता हूं जिससे बचत को बढ़ावा मिले, निवेश योग्य निधियां उपलब्ध रहें, योजना छोटी न की जाय और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों की प्राथमिकता बरकरार रहे।

कोई यह कह सकता है कि रक्षा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है; जहां तक योजना का संबंध है, यह ऐसा नहीं है। किन्तु यदि आप समग्र राष्ट्र की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से रक्षा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र है।

प्रो० एन० जी० रंगा : सर्वप्रथम प्राथमिकता क्षेत्र।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे इन प्रस्तावों का आश्रय लेना पड़ा। जिस पैरामीटर के अधीन मैंने विचार किया था, जिसके अधीन मुझे कार्य करना चाहिए था, वह यह था कि मुद्रास्फीति का संकेत मात्र भी शेष न रहे, हैसियत से अधिक सामान्य व्यक्ति पर करों का भार न पड़े और इसके साथ-साथ घाटे का बजट न हो जिसके कारण अन्यथा मुद्रास्फीति के दबाव का संकेत मिलता है।

जैसा मैंने अपने बजट भाषण में कहा है, थोक मूल्य सूचनांक घट रहा है, यह पर्याप्त नीचे आ चुका है। फिर भी, आर्थिक व्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है और हम लोग ऐसी स्थिति नहीं तैयार कर सकते जिसमें मुद्रा-स्फीति के लिए दबाव पड़े। विभिन्न मुद्दों की संवीक्षा की जाएगी और माननीय सदस्यों द्वारा जब कोई मुद्दा उठाया जायेगा तो हम उस मुद्दे पर अधिक विस्तार के साथ विचार-विमर्श करेंगे। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि रक्षा के साथ-साथ जिन अन्य क्षेत्रों के हमने आश्वासन दे रखा है, उनके लिए योजना परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए और माननीय सदस्य शायद इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्रीय क्षेत्र में 27.6 प्रतिशत योजना परिव्यय बढ़ाकर तथा केन्द्र तथा राज्यों के योजना परिव्यय को 21 प्रतिशत तक बढ़ाकर मैं ऐसा कर सका हूं। बजट प्रलेखों में कोई भी इसे देख सकता है और यह कह सकता है कि यही वह क्षेत्र है जहां 21 प्रतिशत क्षेत्रीय वृद्धि की गई है किन्तु उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें जिस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करनी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, व्यवहार्यत: प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर इस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऊर्जा दशक और प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा संकट तथा इस संकट का मुकाबला करने के लिए नीति तैयार करने के विषय में गम्भीरता से विचार कर रहा है। इसलिए हमने ऊर्जा संबंधी योजना परिव्यय में 62 प्रतिशत की वृद्धि की है जिसके लिए मैं आशा करता हूं कि मुझे क्षमा-प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये यदि मैंने ऊर्जा सम्बन्धी योजना परिव्यय में 62 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है तो यह निश्चित है कि प्रत्येक क्षेत्र के व्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

दूसरे, जैसी कि कहावत है कि विशेषतौर पर एक ब्राह्मण के लिए एक आदर्श गाय वही है जो कुछ खाये बिना अधिक दूध दे और साथ-साथ वह आज्ञाकारी भी हो। शायद वही एक आदर्श वित्त मन्त्री कहला सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अधिक राशि का आवंटन करके भी किसी प्रकार के कर लगाये और साथ-साथ घाटे की अर्थव्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न होने दे। मुझे आशंका है कि ऐसा आदर्श वित्त मंत्री बनना सम्भव नहीं है। इसलिये मुझे कर लगाने पड़े। मैंने केवल ऐसे ही क्षेत्रों में कर लगाये हैं जहां मुद्रा प्रसार कम है। मैंने सीमेंट के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। इस बात को मेरे पूर्व वक्ता स्पष्ट कर चुके हैं। सीमेंट का आज बाजार भाव क्या है तथा कंट्रोल मूल्य का क्या सम्बन्ध है ? यदि कन्ट्रोल मूल्य 31 रुपये है और बाजार मूल्य 62 रु० है तो यह शेष राशि उत्पादक को नहीं मिल रही है।

एक माननीय सदस्य : चोर बाजारी करने वालों को ।

श्री प्रणव मुखर्जी : हां, यही बात है । बढ़ायी गई राशि से प्राप्त होने वाला धन उत्पादकों को नहीं मिल रहा है । उपभोक्ताओं को भी लाभ नहीं पहुंच रहा है । कोई बिचौलिया यह राशि प्राप्त कर रहा है । इसलिए, मूल्य प्रणाली द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिससे इस चीज को समाप्त किया जा सके । जब मूल्य समायोजन का प्रश्न आएगा, मैं इस मुद्दे पर और अधिक विस्तृत रूप से विचार करूंगा । मैंने आयात पर भी 5 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया है ।

कई बार मैं वास्तव में उलझन में फंस जाता हूं जब मैं कई माननीय सदस्यों की टिप्पणी सुनता हूं, यह बात उन्हें क्यों नहीं सूझी, विशेषतौर पर उन्हें जो इस प्रकार की धारणा से ग्रस्त हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह भी एक शर्त है कि, सीमा शुल्क लगाया जाना उदार आयात नीति के विरुद्ध है और आपके अनुसार उदार आयात नीति एक शर्त है । मैं इस मुद्दे पर बाद में व्यापक रूप से विचार करूंगा लेकिन यह सब माननीय सदस्यों के विचार के लिए है ।

मेरा दावा है कि इस बजट से मुद्रा स्फीति कम होगी । प्रश्न यह है कि क्या यह बात सच है । सभी सदस्यों ने—मैं सब सदस्यों की नहीं कहता क्योंकि मुझे उन्हें सुनने का सौभाग्य नहीं मिला परन्तु मैंने उनके भाषणों को पढ़ा है—अधिकांश ने यह बात कही है कि मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी ।

मैंने 27 फरवरी को बजट पेश किया था और आज 16 मार्च है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा—वे तुरन्तु कह देंगे, आप बाजार नहीं जाते—आपमें से बहुत से जो बाजार गये हैं, क्या कोई ऐसा वस्तु क्षेत्र है जिसमें बजट प्रस्तावों के द्वारा मूल्यों में वृद्धि हुई है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सीमेंट ।

श्री प्रणव मुखर्जी : सीमेंट ? मैंने जानबूझकर सीमेंट के मूल्य बढ़ाये हैं (व्यवधान)

वाजपेजी जी, मैंने सीमेंट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया है । इसका उद्देश्य ही सीमेंट के मूल्य बढ़ाना तथा चोर-बाजारी करने वालों को प्राप्त होने वाली राशि उत्पादकों को दिलवाना था ताकि वे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हों । यह निर्णय जानबूझकर और सोच-विचार करके लिया गया था । परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में, प्रतिदिन इस्तेमाल की वस्तुओं पर पांच सौ तैंतीस करोड़ रुपए का शुल्क लगाने से मूल्यों में भारी वृद्धि कहां हुई ? और आप कहेंगे, कुछ समय और रुकिए। इसीलिए, मैं कुछ समय और प्रतीक्षा करने और यह देखने के लिए तैयार हूं कि क्या उनकी बात सच साबित होती है ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कल से बढ़ना शुरू हो जाएंगे ।

श्री प्रणव मुखर्जी : अब मैं आपको कुछ अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियां पढ़कर सुनाऊंगा । मैं सभी अर्थशास्त्रियों की टिप्पणियों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा । जब मैं अर्थशास्त्रियों के नाम तथा उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां पढ़ूंगा तब आप स्वयं इस बात से सहमत हो जाओगे कि वे सभी हमारे पक्षधर नहीं हैं ।

एक महत्वपूर्ण स्तम्भ-लेखक श्री रंगाचारी ने कहा है कि बजट घाटे, अनुदान के उपयोग एवं बचत की दृष्टि से अच्छा है । निगमित क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है ।

डा० होमन्ता राव कहते हैं—काफी अच्छा है ।

डा० चिल्लाह कहते है—मुद्रा स्फीति रोकने तथा कर नीति की दृष्टि से अच्छा है लेकिन बजट में कर ढांचे को युक्तियुक्त नहीं किया गया ।

डा० भट्टी कहते हैं—बजट बहुत अच्छा है ।

श्री पी० एस० झा कहते हैं—पूरा प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें हैं ।

श्री ए० के० वर्मा कहते हैं—अच्छा है ।

मैं प्रो० चक्रवर्ती को श्री एस० भट्टाचार्य की टिप्पणी से अवगत कराना चाहता हूं । आखिरकार उन पर दक्षिणपंथी होने का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये । वह एक प्रख्यात अर्थ-शास्त्री हैं जो अपने वामपंथी विचारों के लिए सुपरिचित हैं । उनका कहना है कि बजट सही दिशा में एक सही कदम है तथापि यह कोई आदर्श बजट नहीं है ।

प्रो० लाकड़वाला कहते हैं—सामान्यत: अच्छा है; परन्तु इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है ।

इसलिए, महोदय, माननीय सदस्य मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है उनमें मुझे पूर्णतया समर्थन नहीं मिला है । उन्होंने ऐसे मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है जिनमें कमी रह गई है । मैंने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि मेरे बजट प्रस्तावों में कहीं कोई कमी नहीं है कोई भी व्यक्ति ऐसा बजट प्रस्तुत नहीं कर सकता जिसमें कोई कमी न हो । उस दृष्टि मे इस बजट को एक आदर्श बजट माना जा सकता है । उल्लिखित परि-स्थितियों में एक आदर्श बजट पेश करना सम्भव नहीं है । मैं अर्थ-व्यवस्था को ऐसी दिशा देना चाहता था जिसमें बचत को बढ़ावा मिले । यदि जनता अधिक बचत करती है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा । निवेश को बढ़ावा दिया जाये और यदि निवेश को बढ़ावा मिलता है तो ऐसा करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, विदेश मुद्रा अर्जित करो और यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा । कुल मिलाकर बचत, निवेश एवं उत्पादन पर बल दिया गया है । मेरे विचार में, वर्तमान परिस्थितियों में यह सही संकेत है । मैं नहीं जानता कि विशेषतौर पर मेरे वामपंथी मित्र यह नहीं समझ पाए कि एफ० आई० सी० आई० से कलकत्ता स्थित मारवाड़ी वाणिज्य मण्डल तक सभी ने इस बजट की आलोचना की है । पता नहीं उन्होंने आलोचना क्यों की है ?

श्री नारायण चौबे (भिदरापुर) : उन्हें आपसे कुछ अधिक की आशा थी ।

श्री प्रणव मुखर्जी : हो सकता है कि उन्हें अधिक आशा हो परन्तु मैंने उन्हें जो दिया है, आप उसका विश्लेषण नहीं करेंगे । संक्षिप्त में मैं इसी बात को जानना चाहता हूँ । बात यह है कि मैंने नियमित क्षेत्र के लिये बहुत अधिक नहीं किया । मैंने अधिक उत्पादन एवं अधिक बचत के लिए कुछ प्रोत्साहन दिये हैं । मैंने बचत का द्वार खोला है । परन्तु ऐसा योजना संसाधनों को बढ़ाने और

उत्पादन स्तर उठाने के लिए किया गया है । यह निगमित क्षेत्र के लाभ में वृद्धि करने के लिए नहीं किया गया है । क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यदि हम बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकें, जिसके लिए सरकारी क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता होगी, पर्याप्त मात्रा में बिजली दे सकें, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित कर सकें, परिवहन क्षेत्र में पेश आ रही अड़चनों को दूर कर सकें तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योग स्वयं प्रगति करेंगे । आप कह सकते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है । जब मैं आपके विचारों और गत तीन वर्षों के आपके कार्यों पर आऊंगा तब आप देखेंगे कि आपने भी यह स्वीकारात्मक आधार अपनाया था । इसलिए इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमने अपने लक्ष्यों को तिलांजली दे दी है अथवा हमने निगमित क्षेत्र या गैर सरकारी क्षेत्र को भारी रियायतें दी हैं । यहां मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं । मैं कटाधान सम्बन्धी प्रस्तावों पर विस्तृत रूप में थोड़ी देर बाद विचार करूंगा । मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा । कई माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा है कि हमने बागवानी पर धन-कर क्यों समाप्त कर दिया । शायद माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अधिकांश बागवानी निगमित क्षेत्र कम्पनियों के अन्तर्गत आती हैं और उन्हें धन-कर नहीं देना पड़ता । निगमित क्षेत्र को धन-कर नहीं देना पड़ता । वे निगमित कर देते हैं । उनमें से बहुत ही कम, रंचमात्र, व्यक्तियों से, जो गैर-सरकारी स्वामित्व या सहभागिता के अन्तर्गत आते हैं, यह कर लिया जाता है । कृषि भूमि पर से पहले ही धन-कर समाप्त किया जा चुका है । बहुत ही कम व्यक्ति रह गए थे इसलिए उन्हें भी यह लाभ दे दिया गया है । ऐसा करके हमने अपने राजनैतिक समर्थकों का पक्ष लिया हो, जैसाकि कुछेक ने कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है । उस क्षेत्र विशेष से कर की वसूली भी बहुत ही नगण्य होती है ।

महोदय, जहां तक बजट में 1365 करोड़ रुपये के घाटे का सम्बन्ध है, इसके बारे में कहा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था इसे सहन नहीं कर पायेगी । मेरे विचार में ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था कुछ और घाटा भी सहन करने योग्य है परन्तु मैंने जानबूझकर इस घाटे को 1365 करोड़ रु० रखा है ताकि मुद्रा प्रसार के दबाव को बढ़ने न दिया जाये । हमें अपनी विदेशी मुद्रा की मात्रा में होने वाली कमी को देखते हुए घाटे की अर्थव्यवस्था करनी होती है । इस कमी के प्रभावस्वरूप मुद्रा-प्रसार कम होगा । इसलिए ही मैंने 1365 करोड़ रु० का घाटा दिखाया है । मैं एफ० आई० सी० सी० आई० के चेयरमैन के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि वर्तमान आर्थिक स्थिति से मैं 8000 करोड़ रुपये अथवा इसके लगभग घाटे की व्यवस्था कर सकता था । साथ ही, मैं यह नहीं समझता कि जिस अवस्था में अर्थव्यवस्था आज है उसको देखते हुए 365 करोड़ रु० का घाटा सहनीय नहीं है और उत्पादन की वर्तमान दर तथा विभिन्न अन्य पहलुओं को देखते हुए यह स्फीतिकारी प्रभाव डालेगा ।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र से बढ़े हुए संसाधनों को ध्यान में रखा है । मैं एक माननीय सदस्य के कथन का उद्धरण देता हूं । उन्होंने कहा है :

"अब तक योजना परिव्यय में वृद्धि सार्वजनिक उपक्रमों के ज्यादा आंतरिक संसाधनों के कारण सम्भव हुई है ।"

असल में हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संसाधन बनाये ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को आने वाले समय में हमेशा ही बजट में ये सहायता नहीं दी जानी चाहिए। प्रारम्भ में, यह जरूरी होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र गैर-लाभकारी क्षेत्र तथा आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगाया जाता है। इसलिए, किसी खास समय तक बजट सहायता जरूरी होती है। लेकिन यह आदर्श स्थिति तक होना चाहिए। योजना समर्थन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से और अधिक प्राप्त करने के लिए माननीय सदस्यों से प्रोत्साहन प्राप्त करने के स्थान पर यह एक आलोचना का विषय बन गया है। मैं इसके पीछे छिपे औचित्य को समझ सकने में असमर्थ हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कार्यक्षमता बढ़ाकर नहीं बल्कि मूल्य बढ़ाकर।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसके साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में आप पायेंगे कि हमने कार्यक्षमता को बढ़ाया भी है। यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि कागजात में सीमेंट, इस्पात और एल्यूमिनियम उद्योग में क्षमता उपयोग की दर के बारे में बताया गया है जो निवेश में गम्भीर रुकावटों और यहां तक कि दामोदर घाटी निगम में भी रुकावटों के बावजूद है।

इसलिए, हर कोई यह प्रशंसा करेगा कि शून्य से शुरू करके 0.5 अथवा 0.6% वृद्धि कोई छोटी-मोटी अथवा निरर्थक नहीं है।

आलोचना के अन्य क्षेत्र की चर्चा करते हुए कि हम मूल्य समायोजन का सहारा क्यों ले रहे हैं और विशेषकर तब-जब श्री मैत्रा ने बजट पर परिचर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि बजट किस्तों में पेश किया गया है क्योंकि हम संसाधन मूल्य समायोजन द्वारा जुटा लेते हैं। जी हां, हम मूल्य समायोजन द्वारा संसाधन जुटा रहे हैं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : आप 'समायोजन' क्यों कहते हैं···जुटाकर कहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं श्री मैत्रा को यह बताना चाहता हूं कि यह एक ट्रेड यूनियन नेता हैं, कि तुलना कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की जा सकती है—इस्पात, कोयला आदि शायद वर्ष के अन्त में मैं फिर से इस्पात पर बातचीत शुरू करूं। कोयले पर भी विचार किया जाएगा; और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की लागत बढ़ेगी; यदि आप सुदृढ़ वित्तीय नीति के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको मूल्य समायोजन करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। यह एक सही नीति है। जब अद्यपूर्व सत्तारूढ़ दल जनता पार्टी के कुछ सदस्य मूल्य समायोजन की आलोचना कर रहे थे तो मैंने सोचा कि जरा देखें तो सही कि उन्होंने क्या किया था, विशेषकर तब जबकि इस आशय की गम्भीर आपत्तियां उठायी गईं कि संसद का अधिवेशन शुरू होने से पहले हम क्या कर रहे हैं। बड़े सम्मान से, क्या मैं कह सकता हूं कि जब जून, 1978 और अप्रैल, 1979 में संसद का सत्र चल रहा था इस्पात की कीमतों में दो बार वृद्धि की गई थी। मैं उनके कागजातों से उल्लेख कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबे : वैसा ही आपने किया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री चौबे, यह बातें आपकी समझ में नहीं आयेंगी। (व्यवधान)

कृपया समझने का प्रयास करें।

मैं यह पता लगाने के प्रयास में था कि क्या जनता पार्टी सरकार ने किसी वित्तीय नीति की ओर कोई सकारात्मक पद्धति अपनाई थी। मैंने एक को ढूंढ लिया। मैं आर्थिक सर्वेक्षण में से उद्धरण दे रहा हूं जो तत्कालीन वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया था :

"सरकार बहुत से मामलों में अलाभकारी मूल्यों से होने वाली समस्याओं को रोकना चाहती है। सीमेंट और इस्पात के मूल्य और उर्वरक के रिटेन्शन मूल्य बढ़ा दिया गया है ताकि इन उद्योगों की इकाइयों के लाभ में कुछ वृद्धि हो। ऐसी नीति को अपनाने में असफलता का अर्थ है कि हम एक प्रकार से पूंजी का उपभोग कर रहे हैं।"

यह 1978-79 के आर्थिक सर्वेक्षण में से लिया गया है। मेरा ख्याल है कि वित्त मन्त्री श्री चरण सिंह थे। यह चौधरी चरण सिंह के आर्थिक सर्वेक्षण में से है और उस समय जनता पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था।

श्री नारायण चौबे : क्या आप भी उनके कदमों पर चल रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी नहीं, मैं उनके कदमों पर नहीं चल रहा। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह एक ठीक नीति है। मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि उनकी कुछ नीतियां अच्छी भी थीं। यह कहना गलत होगा कि हम हमेशा उनकी आलोचना करते हैं। कभी-कभी हम उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा अनुसरण किया था। उन्होंने क्या किया उन्होंने कोई नई चीज तो शुरू नहीं की। वे कर भी कैसे सकते थे ? यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आधे दिग्गज इधर से ही उधर गए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आधे से अधिक।

श्री प्रणव मुखर्जी : आधे से अधिक ही सही।

एक मुद्दा यह उठाया है कि आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार किया है, आप राजसहायता बन्द कर देंगे। विशेषकर श्री मैत्रा ने इस मुद्दे पर काफी होहल्ला किया था। आपके माध्यम से उनसे विनतीपूर्वक मेरा निवेदन है कि कृपया ऐसे एक भी क्षेत्र का पता लगायें जहां हमने राजसहायता बन्द की है। मैं समझता हूं कि इस वर्ष कुल बजट सहायता कुछ अधिक है। यह हमारी स्वीकृत नीति है। हम इसे घटाना चाहेंगे क्योंकि आखिरकार यह मेरी जेब में से अथवा श्री मैत्रा की जेब में से तो आती नहीं चाहे मैं वित्त मन्त्री ही हूं।

यह तो उस व्यवस्था से आती है जिसके लिए हर कोई व्यय कर रहा है। हर कोई अदा कर रहा है। यह एक सिद्धान्त है। हमें कुछ हद तक यह स्वीकार करना होगा कि आखिरकार इसे उपभोक्ताओं को ही वहन करना होगा। गैर-उपभोक्ताओं को क्यों सहायता दी जाये ? यदि आप कृत्रिम ढंग से इस्पात अथवा सीमेंट अथवा अल्यूमिनियम अथवा कि अन्य वस्तु का मूल्य घटा दें तो निश्चय ही कुछ हद तक आपको उनकी मदद करनी होगी। किन्तु यदि आप इसमें यह दर्शन प्रस्तुत

करें कि उपभोक्ताओं को गैर-उपभोक्ताओं द्वारा सहायता दी ही जानी चाहिए तो मुझे यह आशंका है कि हम काफी हद तक अर्थव्यवस्था को खराब कर देंगे। इसलिए, यह मुद्रा, मेरे हिसाब से काफी ठोस नहीं है।

अब मैं आलोचना के उन कुछ मुख्य मुद्दों पर बोलूंगा जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है। निस्सन्देह मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ही शुरू करूंगा क्योंकि कुछ सदस्यों के अनुसार बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को की हिदायतों के अनुसार बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि एक दल बजट से पहले आया और एक दल बजट के बाद गया और हमने उन्हें बजट स्पष्ट किया। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रस्तुत किये गए नीति सम्बन्धी विवरण और इस तरह की ही चीजें कही गई हैं। अन्तरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर माननीय सदस्यों के भाषणों पर भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री यशवंत राव चह्वाण द्वारा काफी सटीक उत्तर दिया गया है। मैं उन आर्थिक पहलुओं पर नहीं बोलूंगा जिन पर कि श्री वेंकटरमण ने काफी बार उत्तर दिया है। जब मैंने उनके विचारों को सुना तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि शायद वे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी अभिभूत हैं जैसे कि मैकबैथ को हर जगह काल्पनिक कटार ही नजर आती थी यद्यपि यह कहा भी गया कि कटार है ही नहीं। अत: उन्हें हर जगह अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ही हाथ नजर आता है जबकि वह है ही नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती: उसे उसकी पत्नी द्वारा इस भ्रम में डाला गया था।

श्री प्रणब मुखर्जी: मुझे किसी ने भ्रम में नहीं डाला है। प्रोफेसर चक्रवर्ती द्वारा भी नहीं। अत: इसका कोई वजूद नहीं है।

महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बजट आई० एम० एफ० द्वारा की हिदायतों के अनुसार बनाया गया है; भारत सरकार कुछ समय से इस नीति का अनुसरण कर रही है जो आई० एम० एफ० को स्वीकार्य है। किन्तु दूसरी ओर से श्री मैत्रा सहित कहा गया है कि बजट आई० एम० एफ० की हिदायतों के अनुसार बनाया गया है। महोदय, इसे मैं उन पर ही छोड़ता हूं कि क्या बजट आई० एम० एफ० द्वारा बनाया गया है अथवा भारत सरकार उन नीतियों को अपना रही है जो आई० एम० एफ० को स्वीकार्य हैं। इसके बारे में निर्णय करना मैं उन पर ही छोड़ता हूं।

केवल एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी हां, इस बजट पर एक प्रलेख की छाप है। किन्तु यह अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रलेख नहीं है। इस पर हमारे दल के चुनाव घोषणापत्र की ही छाप है जिसको कि लोगों को दिया गया था और देश के लोगों के सामने रखा गया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अत: आपका चुनाव घोषणापत्र अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की हिदायतों के अनुसार बनाया गया था।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उद्धरण देना चाहूंगा:

"जनता पार्टी सरकार द्वारा छोड़ी गई 2 अंकों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मांग व पूर्ति पर कांग्रेस दोहरा प्रहार करेगी। उचित वित्तीय उपायों और मुद्रा प्रबन्ध द्वारा ज्यादा उपभोग

पर नियंत्रण किया जायेगा। निवेश में सुधार और जरूरी निवेशों की समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करते हुए रुके हुए उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए एक गारंटीशुदा तथा प्रभावकारी कार्यक्रम बनाया जायेगा। कार्यक्षमता के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी उपायों पर जोर डालकर सभी क्षेत्रों में लाइसेंस क्षमता का पूरा प्रयोग किया जायेगा। स्थानीय उत्पादन क्षमता और दीर्घकाल में निर्यात सम्भावयता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आयात के लिए विदेशी मुद्रा भण्डार का बड़े सतर्क और चुनिंदा ढंग से प्रयोग किया जायेगा।"

जी हां, इस पर यही छाप है। हमने मध्यवर्ती समायोजन किया है जिनके बारे में मेरे दोस्त श्री अग्रवाल ने भी कुछ आपत्ति की है। किन्तु मैं कहूंगा कि उनका भाषण एक रचनात्मक भाषण था। मैं आपके द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों की सराहना करता हूं। किन्तु विकल्प क्या है। जैसा कि मैंने बजट भाषण में कहा है यदि रक्षा व्यय अधिक है तो यह हमारी मर्जी से नहीं है।

इसी तरह, यदि भुगतान सन्तुलन बनाए रखने की समस्या को सुलझाने के लिए मुझे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मध्यावधि समायोजन करने के बाधित होना पड़े तो क्या वह हमारी अपनी मर्जी से है ? आप एक बात भूल रहे हैं। जब 24 मार्च, 1977 को आपने सत्ता संभाली तो इस देश के इतिहास में पहली बार 1976 में हमने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लेखेजोखे में हमारे निर्यात आयात से ज्यादा जो हमने आपको विरासत में छोड़े। जब हमने सत्ता छोड़ी तो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लेखे आयात के मुकाबले हमारा निर्यात 72 करोड़ रुपये ही अधिक था। और जब आपने सत्ता छोड़ी तो आप अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लेखे में वर्ष 1979-80 में 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक का ज्यादा छोड़कर गए थे। यहां भी मैं किसी अन्य के प्रमाण पर निर्भर नहीं कर रहा हूं बल्कि आप पर ही निर्भर कर रहा हूं। यह प्रेस-विज्ञप्ति है जो मेरे मित्र श्री मोहन धारिया द्वारा जारी की गई थी जो उस समय वाणिज्य मन्त्री थे। अपनी आयात नीति प्रस्तुत करते समय उन्होंने पुस्तक का रंग भी बदल दिया था। मेरे विचार से लाल को बदलकर हरा कर दिया गया था। तत्पश्चात मैंने भी उसमें कुछ सुधार किए और उसे अंशतः हरा और अंशतः लाल बनाया था। मैं तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री के प्रेस वक्तव्य, प्रेस पक्षसार से उद्धरण देना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

"उद्योग को आयातित कच्चे माल सम्बन्धी न्यायोचित जरूरतों को पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए। सौभाग्य से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपेक्षाकृत सुगम स्थिति के कारण आयात नीति को शिथिल किया जा सकता है।"

यह वक्तव्य है जो आपने 1977-78 में दिया था। हमने आपको विदेशी मुद्रा की अपेक्षाकृत अनुकूल स्थिति सौंपी थी। हमने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लेखे में निवल अधिशेष राशि छोड़ी थी। और आपने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लेखे में 200 करोड़ रुपये से भी अधिक घाटा छोड़ा है और आप इस मध्यावधि समायोजन पर आपत्ति कर रहे हैं। श्री आर० वेंकटरामन ने इस बात का सभा में कई बार उल्लेख किया है...।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। आपने विदेशी मुद्रा के आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाया है। जिस दिन हम सत्ता में आए, उस समय विदेशी मुद्रा का रक्षित भण्डार 2700 करोड़ रुपये था। जिस दिन हमने सत्ता छोड़ी उस दिन विदेशी मुद्रा का रक्षित भण्डार 5700 करोड़ रुपये था। यह श्री वेंकटरामन ने मेरे उस प्रश्न के उत्तर में बताया था जो मैंने 1980 में संसद सत्र के प्रथम सप्ताह में किया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : में इसका समर्थन नहीं करता और अपने विद्वान मित्र के कथन में यह कहते हुए सुधार करूंगा कि 1975-76 और 1976-77 के दौरान एक समय विकास 56 प्रतिशत था और उसके बाद उसमें गिरावट आना शुरू हो गई। आपने निर्यात नीति में ढील का रास्ता अपनाया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस नीति का कोई औचित्य था, ऐसा करना जरूरी हो गया था। लेकिन मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने आयात सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने की कोई गम्भीर समस्या नहीं थी क्योंकि एक वर्ष में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं और यदि मुझे सही आंकड़े स्मरण हैं तो आयात 1700 करोड़ रुपये से बढ़कर 5000 करोड़ रुपये हो गया। यह वह स्थिति नहीं है जो इस समय बनी हुई है। अतः हम कैसे समायोजन करने जा रहे हैं ? मैं अतिनिष्ठा से यह प्रश्न आपसे पूछता हूं। क्या आप यह सुझाव देंगे कि उर्वरक का आयात न किया जाए, मिट्टी का तेल आयात न किया जाए, डीजल आयात न किया जाए, कच्चे माल का आयात न किया जाए प्रौद्योगिकी का आयात न किया जाय—हम हथटेले के युग में वापस चले जाएं ? यदि आपका यही सुझाव है तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन यदि हमें वास्तव में कुछ करना है, यदि हमें वह विकास करना है जिसके लिए हम वचनवद्ध हैं तो आयात स्तर को बनाए रखने से भिन्न कोई और रास्ता नहीं है। यदि आयात का यह स्तर बनाए रखना है तो आपको मध्यावधि समायोजन करना ही पड़ेगा और समझौता करना ही पड़ेगा। जहां तक राजनीतिक पहलू का सम्बन्ध है, मैंने ध्यान दिलाया है—श्री वेंकटरामन ने ध्यान दिलाया है, प्रधान मन्त्री ने ध्यान दिलाया है—कि ऐसी किसी शर्त को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है जो राष्ट्र हित के प्रतिकूल हो और जिसे संसद का अनुमोदन न हो।

मेरे माननीय मित्र, श्री रवीन्द्र वर्मा ने सुझाव दिया—मेरे विचार में वह एक किस्म का आरोप था—कि आर्थिक नीतियों के वक्तव्य में, 1982-83 का बजट अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को सूचित किया गया है। और उन्होंने उद्धृत किया कि···

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैंने जो उद्धरण दिया था वह 28 दिसम्बर, 1981 के ज्ञापन से था जिसमें इस 5 प्रतिशत लेवी का विशिष्ट उल्लेख है। लेवी का ही नहीं बल्कि वास्तविक मात्रा का भी उल्लेख है। अतः मैंने यह कहा कि आपने अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष को पहले सूचित कर दिया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : जरा धैर्य रखिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे बहुत धैर्य है।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने जिसका संदर्भ दिया था, मैं ठीक वही बताना चाहता हूं।

माननीय सदस्य ने यह कहा था लेकिन संभवतया वह उसे भूल गए हैं; अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उस टिप्पण में 1981-82 के बजट का उल्लेख था जो कि 28 फरवरी, 1981 को प्रस्तुत किया गया था और उसमें भी 5 प्रतिशत की वृद्धि थी और यहीं भ्रांति है । आपने बजट से उद्धरण दिया है । उसमें 5 प्रतिशत है । आपका प्रपत्र सही है । लेकिन दुर्भाग्य से, आपने यह महत्वपूर्ण कड़ी खो दी है कि वह 1981-82 का बजट था । मैं मात्र आपके कथन को सुधारना चाहता हूं ।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : उन्होंने गलत वर्ष का उल्लेख किया है । निश्चय ही ऐसी घटना सदा नहीं होती ।

एक माननीय सदस्य : यही कारण था कि वे केवल दो वर्ष ही सत्ता में रहे ।

श्री प्रणव मुखर्जी : अब मैं अपने मूल प्रश्नों पर आता हूं । मुझे आशंका है कि श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री जार्ज फर्नांडिस और कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे सभा का कुछ अधिक समय लेना पड़ेगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा ने प्रश्न किया है कि लक्ष्य क्या है और उन्होंने कई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अतः वह मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं अपनी ओर से कुछ आंकड़े उद्धृत करूं :

"लिगनाईट सहित कोयला	12%
खनिज पैट्रोलियम	62·3%
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक	55·3%
विक्रेय इस्पात (मुख्य संयंत्र)	19·2%

मैं एक प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण भ्रांति पैदा हुई है। यह सही है कि हमारे दो लक्ष्य हैं । एक लक्ष्य स्वयं इस्पात संयंत्रों ने निर्धारित किया है । वह लक्ष्य 5·74 मिलियन टन का है, जहां तक कि एकीकृत इस्पात संयंत्रों का सम्बन्ध है ।

तत्पश्चात माननीय वित्त मन्त्री ने बताया—

श्री आर० वेंकटरामन ने, जो उस समय वित्त मन्त्री थे, और मैं इस्पात मन्त्री था, एक बैठक में बताया कि यदि हम अतिरिक्त आधारभूत निवेश की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें तो हम लक्ष्यों में वृद्धि कर सकते हैं और तत्पश्चात 6·3 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

मेरे माननीय सहयोगी श्री चरणजीत चानना ने एक अन्य दिन सभा में यह बताया था कि उस पारशोधित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा । लेकिन हम 5·7 मिलियन टन के मूल लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं जो कि पिछले वर्ष के लक्ष्य से मिलियन टन अधिक है । और मैंने जो यह कहा है कि यह एक सबसे ऊंचा कीर्तिमान है क्योंकि हम पहले कभी भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंचे हैं ।

अत:

ट्रांसमिशन टावर	7·3%
एल्यूमीनियम	8·6%
बिजली उत्पादन	11·2%
वाइसाइकलें	27·3%
चीनी	36·9%
नमक	7·4%
वनस्पति	17·1%
चमड़े के जूते (पश्चिमी)	16·2%
चमड़े के जूते (भारतीय)	24·9%
कागज तथा कागज के बोर्ड	7·6%
दियासिलाई	8·3%
इनकेंडीसेंट लैम्प	30·9%

आदि, आदि। मैं और अधिक मदों के नाम गिना सकता हूं।

अत: ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहां वृद्धि न हुई हो। कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि हर क्षेत्र में वृद्धि एक-बराबर नहीं होती। कोई भी अर्थ-व्यवस्था इस बात का दावा नहीं कर सकती।

एक अन्य यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या हम एसिटेट फिलामेंट पर शुल्क घटा दें—मुझे खेद है कि माननीय सदस्य इस बात को समझने में पूर्णत: असफल रहे हैं कि इसके पीछे क्या औचित्य है—यह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को किसी प्रकार की सहायता देने के विचार से नहीं किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि हमने बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए दरवाजे खोले हैं और यह कि वे कम्पनियां एकाधिकारियों से मिली हुई हैं आदि, आदि। मैं इसे बाद में स्पष्ट करूंगा।

लेकिन हमने एसिटेट फिलामेंट पर आयात शुल्क घटा दिया। मुख्यत: इसका प्रयोग विकेन्द्रिकृत सैक्टर में किया जाता है और चूंकि हम समूची अर्थव्यवस्था की जरूरत पूरी करने के लिए देश में इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते और समूची आयात-निर्यात नीति को शिथिल बनाना है क्योंकि यह सीधे कमजोर वर्गों के पास जाती है, अत: शुल्क को कम करना होगा।

और जब यह अपेक्षतया समृद्ध वर्गों की ओर अभिमुख हो तो उस स्थिति में आपको मूल्यों में वृद्धि करनी होगी।

यही तर्कधार है।

उन्होंने 45+13=58 मदों पर आपत्ति की है जिन्हें कच्ची सामग्री के रूप में और हिस्से-पुर्जों के रूप में इलेक्ट्रानिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाएगा। यहां शुल्क से छूट क्यों दी गई है? क्योंकि हम इलेक्ट्रानिक उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अगर हम इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करते हैं तो, तो इससे ऐसे उद्योग को, जो ज्यादा रोजगार दे सकते हैं, जो कि प्रदूषण से रहित है और जिन्हें देश के किसी भी हिस्से में स्थापित किया जा सकता, प्रोत्साहन मिलेगा। दुर्भाग्यवश, यही एक ऐसा क्षेत्र है, जहां कि हम ज्यादा कार्य नहीं कर सके। इसलिए, मैं यह नहीं कहूंगा कि हम इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने में समर्थ हुए हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह एक साधारण प्रयास है। हमें इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना है। यह एक छोटी सी शुरुआत है और शायद माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमें हजारों मील की लम्बी यात्रा भी करनी होगी, तो इसकी हमें शुरुआत एक छोटे कदम से ही करनी होगी।

उनके अन्य आरोपों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैंने अतिरिक्त उत्पादन के लिए रियायत—अतिरिक्त उत्पादन के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत—नहीं बढ़ाई है।

हम अपनी समूची प्रणाली में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अनेक क्षेत्रों में हम नहीं चाहते कि उनमें उत्पादन बढ़े, क्योंकि लघु क्षेत्र के उद्योगों को मात्र आरक्षण देने या वित्तीय प्रोत्साहन देने से ही संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता। माचिस उद्योग का ही उदाहरण लें। अगर आप बड़े माचिस उद्योगों को यह छूट दे दें कि वे इच्छानुसार उत्पादन करें तो इससे सभी छोटे माचिस निर्माताओं को अपने उद्योग बन्द करने पड़ेंगे। इसलिए इस क्षेत्र में आप अतिरिक्त उत्पादन के लिए रियायत नहीं दे सकते। आपको इस बारे में मदों को चुनना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इन 38 मदों को हमने इसलिए चुना क्योंकि हम सोचते थे कि इन क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता है और इससे लघु क्षेत्र या कुटीर उद्योगों या अन्य उद्योगों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों का उल्लेख करूंगा। कल मैंने उनको ध्यान से सुना—दुर्भाग्यवश वे आज यहां नहीं हैं—क्योंकि उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाया था और कुछ आंकड़े भी दिये थे। इसलिए मैं विस्मित हो गया था कि क्या जो कुछ मैंने छापा है वह गलत तो नहीं था। कम से कम उन्होंने यह तो माना, कि मैंने तथ्यों को ज्यों का त्यों पेश किया है, उनको तोड़ मड़ोड़कर पेश नहीं किया। यह प्रमाणपत्र तो मैंने श्री फर्नान्डीस से पा ही लिया है।

उन्होंने 'इक्ट्रनामिक सर्वे' से आंकडे प्रस्तुत किये हैं। इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है कि मैं भी दस्तावेजों से आंकड़े पेश करूं। प्रो० चक्रवर्ती ने मांग की है कि आंकड़ों के आंकड़े ही पेश किये जाने चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ उनकी राय को मानता हुआ आंकड़ों के लिए आंकड़े ही पेश करने जा रहा हूं।

श्री फर्नान्डीस का दावा क्या था? कि, आप जो भी कह लें, उन्होंने पिछले 2½ या 3 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की···(व्यवधान) आपने भी अकड़े पेश किये हैं। और उनका दावा

क्या था ? उन्होंने कहा कि जब वह 1976-77 में सत्ता में आये थे तो प्रति व्यक्ति आय 652 थी और उसके बाद इसमें भारी वृद्धि होती रही और दो वर्षों में उन्होंने इसमें भारी वृद्धि की और 1966-67 से 1976-77 के सक्रित दशक की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रशासन में प्राप्त की गई प्रति व्यक्ति आप एक रिकार्ड थी। इस बारे में उन्होंने सर्वे "इक्नामिक सर्वे" के पृष्ठ 71 का उल्लेख दिया। मैं भी उसी 'इक्नामिक सर्वे' के पृष्ठ 71 का उल्लेख कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों को वर्ष 1966-67 के आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमती गांधी 24 जनवरी को पहली बार प्रधान मंत्री बनी थीं तब प्रति व्यक्ति आय 551.5 रु० थी॥ इसका आधार वही वर्ष 1970-71 था, जिसका कि उन्होंने जिक्र किया है, मैं भी इसी वर्ष को आधार मान रहा हूं। जब उन्होंने सत्ता छोड़ी और श्री फर्नान्डीस और उनके साथियों ने सत्ता संभाली तो आय प्रति व्यक्ति 652.9 रु० थी। इन दस वर्षों में, जिन्हें हम परिवर्तनात्मक दशक कहते हैं, जो कि उन्हें पसन्द नहीं, इसके प्रत्येक वर्ष में 10 अंकों की वृद्धि हुई, अर्थात् आय 551.5 से बढ़कर 652.9 हो गई। तीन वर्षों में या त्रिशासकों के—आप जो भी कहें, शासनकाल में क्या हुआ ? वर्ष 1977-78 में तो उन्हें विरासत में ही प्रति व्यक्ति आय 652.9 मिल गई थी। जब 1979-80 में उन्होंने सत्ता छोड़ी तो यह 661 थी। इन तीन वर्षों में आप प्रति व्यक्ति आय दर में केवल 9 अंक की वृद्धि कर पाए। और आप डींग मार रहे हैं। आप कहते हैं कि परिवर्तनात्मक दशक कुछ नहीं था, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। यह उसी पुस्तक के उसी पृष्ठ के उसी कालम के आंकड़े हैं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उनको हमारे प्रति कुछ न्यायोचित होना चाहिए। प्रति वर्ष इसमें वृद्धि हुई है।

श्री सुनील मैत्रा : इस मुद्दे को उचित रूप से समझने के लिए कृपया, 1977-78 से 1979-80 तक के औसत आंकड़े भी बतायें।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे खेद है, मैं 1979-80 के आकड़े दे रहा हूं। आपने मुझे उत्तेजित किया। मैं इन आकड़ों को नहीं देना चाहता था। अगर आप चाहते हैं, तो मैं 1979-80 के आकड़े भी पेश कर सकता हूं 1979-80 में यह 661 थी, 1980-81 में यह बढ़ कर 696.3 हो गई। 198 -82 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सुनील मैत्रा : हमें इनका औसत बतायें।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने बिल्कुल ठीक ही कहा है। जब आप आकड़े लेते हैं, उनका औसत लेते हैं। पर एक ही वर्ष न चुनिये। अगर आप 10 वर्षों का औसत नहीं ले सकते, तो तीन वर्षों का ही लीजिए। अगर हमारे पास तीन वर्षों के आकड़े होते तो मैं तीन वर्षों का ही औसत लेता। अगर हमारे पास 10 वर्षों के आंकड़ें होंगे तो हम 10 वर्षों का ही औसत लेंगे। आप हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, हमारा नहीं, मैं क्या कर सकता हूं ? इसलिए अगर हमारे पास दस वर्षों के आंकड़े हैं तो आप तुलना कर सकते हैं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी मुझे आशा है आपको थोड़ा अर्थशास्त्र की ज्ञान होगा। एक वर्ष की तुलना करना सम्भव नहीं है। एक वर्ष की तुलना से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं वर्ष 1979-80 को नहीं ले रहा हूं। मुझे समझने का प्रयत्न करें। अगर मैं 1979-80 वे आंकड़े लेता हूं, तो आपके साथ अन्याय करूंगा, क्योंकि उस वर्ष सूखा पड़ा था। अगर मैं 1979-80 के आंकड़े पेश करूंगा तो यह अनर्थ-

कारी होगा। इसलिए, मैंने 1977-78 और 1978-79 के आंकड़े ही लिए हैं। 1979-80 में आपको 652 रु० प्रति व्यक्ति आय की कुछ हिस्सा विरासत में मिला था। आपने तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय 661 तक ही बढ़ाई। प्रति वर्ष आप तीन अंक ही बढ़ा सके। लेकिन परिवर्तनात्मक दशक जिसकी आप चर्चा ही नहीं करना चाहते—उसमें 10 अंकों अर्थात् 551 रु० से 653 रु० तक की वृद्धि हुई। मैं इसी साधारण बात को स्पष्ट करना चाहता था।

उन्होंने अन्य आंकड़े भी दिये हैं। मैं तथ्यों पर विश्वास कर सकता हूं। उन्होंने अनाज की कुल उपलब्धता के बारे में उल्लेख किया है। यहां भी मैं वही आंकड़े दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनके शासन काल में, ज्यादा अनाज उपलब्ध कराया गया। मैं कहना चाहता हूं कि अन्न की प्रति व्यक्ति कुल उपलब्धता, 1977 में 391.9, 1980 में 386.0 और 1981 में 420.4 थी। श्रीमन्, मैं निर्णय माननीय सदस्य पर छोड़ता हूं। उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया। मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यद्यपि उन्होंने विस्तार से इसका उल्लेख नहीं किया है लेकिन उनके उल्लेख करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमने अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल रखी है, हमने लघु क्षेत्र की उपेक्षा की है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्षेत्रीय पक्ष पर और चर्चा कर सकता हूं। स्पष्टतया प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्रतिशत के हिसाब से इसमें वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है व्यापक वृद्धि 21 अथवा 27 प्रतिशत की हुई है। अगर एक क्षेत्र में यह वृद्धि 97 या 62 प्रतिशत हुई है, तो अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की वृद्धि सम्भव नहीं है। लेकिन स्पष्टतया वृद्धि हुई है। उन्होंने कुछ मुद्दों पर हमारी बुरी तरह से आलोचना की है। विशिष्ट रूप से उन्होंने खाने के तेलों का उल्लेख किया है। उन्होंने बड़े-बड़े दावे किये हैं कि उनके समय में प्रति व्यक्ति उपलब्धता ज्यादा अर्थात् 3.8 कि० ग्रा० थी। अब 1980-81 में स्थिति क्या है? यह 4.1 कि० ग्रा० है। उन्होंने कपास, कपड़ों के बारे में उल्लेख किया। उन्होने इसका बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया। 1978-79 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या थी? यह वह समय है, जबकि जनता पार्टी का, जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, सबसे अच्छा समय था। यह क्या थी? 1980-81 में यह 10.2 थी। अब यह 11.2 है। मैं यह नहीं कहता कि यह सन्तोषजनक है। हमें 14,15,16 मीटर की जरूरत है। पर यह क्या बात है कि 10.2, 11.2 से अच्छा है? मेरा यही साधारण सवाल है, और उन्हें घरेलू क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता पर काफी अभिमान है, उन्होंने दावा किया है कि 1978-79 में यह 11.9 किलो वाट थी। श्रीमन् वे हमेशा इनकी तुलना 1966-67 के आंकड़ों से करते हैं, जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री बनी थीं। वे कभी भी 1976-77 के आंकड़ों से इनकी तुलना नहीं करते। श्री वर्मा ने कुछ आंकड़े दिये हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं भी कुछ आंकड़े जरूर पेश करूंगा। इसलिए मैं भी कुछ अन्य आंकड़े दे रहा हूं। पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से नहीं, 1976-77 में हमने 9% से अधिक की कीर्तिमान औद्योगिक-वृद्धि प्राप्त की है। सार्वजनिक क्षेत्रों ने भी रिकार्ड लाभ दिखाया है। यह सिर्फ लाभ की ही बात नहीं है। सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। नहीं तो औद्योगिक वृद्धि इस स्तर तक नहीं पहुंचती।

एक अन्य आंकड़ा जो कि मैं पेश करना चाहूंगा, वह है बिजली के बारे में। उन्होंने कहा कि यह 11.9 मेगावांट थी। लेकिन 1980-81 में यह 12.4 मेगावाट है। इन क्षेत्रों के बारे में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। आखिरकार, इसमें समय लगता है। स्थापना होने से उत्पादन

होने तक की अवधि होती है। अगर आप आज संयंत्र लगाते हैं तो कल ही उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। आपको दो तीन चार वर्षों के बाद ही लाभ मिलेगा। इसलिए हम नहीं कहते, हमारे में से कोई भी यह दावा नहीं करता कि, आपने कुछ भी नहीं किया है। हमारा तो कहने का सरल और नम्र अभिप्राय यह है कि हमने कुछ अवधि के बाद अच्छा आर्थिक आधार तैयार किया, जो कि 1976-77 के शुरू में आपको मिला। दुर्भाग्यवश 1979-80 में आपने बहुत खराब हालात छोड़ी, लेकिन आप कहोगे कि यह सूखे के कारण थी। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि उस समय भयानक सूखा था, पर क्या वे दावा कर सकते हैं कि 1966 से 1976 तक कोई सूखा, कोई बाढ़ नहीं आई, हर समय ही भगवान इन्द्र ने ही हमारी मदद की ? नहीं। यह बात नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त बंगला देश के युद्ध का भी सामना करना पड़ा। प्रो० चक्रवर्ती इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। एक करोड़ से ज्यादा शरणार्थी इधर आये। हमें उनको घर और भोजन देना था। लड़ाई लड़ी गई। हमने यह युद्ध जीता। इन सब बातों का अर्थ-व्यवस्था पर भार पड़ता है। आपने प्रत्येक बात के लिए सूखे को ही दोषी ठहराया है। आपने वर्ष 1979-80 का उल्लेख किया है। आपने कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है। परिवर्तनात्मक दशक के बारे में उल्लेख करते हुए आप घबराते हैं। अनेक प्राकृतिक विपत्तियां आई, इससे काफी धक्का पहुंचा। हमें दो बड़े तेल संकटों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, हमने वो सब किया जो कि हम कर सकते थे। उस समय श्री चव्हाण, वित्त मन्त्री थे। समायोजन करने के लिए उन्हें पूरक बजट पेश करना पड़ा। अगर मैं भूलता नहीं हूं, तो यह वर्ष 1974 के आसपास की बात है; यह तेल के गम्भीर संकट के कारण हमें ऐसा करना पड़ा। जब यह तेल का संकट था तो डालर में अस्थिरता के कारण हमें बड़ी विकट आर्थिक स्थिति में गुजरना पड़ा।

मेरा प्रश्न क्या है ? मेरा प्रश्न यह है कि उन संकटों पर काबू पाना सम्भव था। यह बात नहीं है कि हमने इस काम को कर दिया है। लेकिन यह कार्य भारत की जनता द्वारा किया गया है, यह हमारे किसानों द्वारा किया गया है। यह कार्य हमारे कामगारों द्वारा किया गया है। आप यह कह सकते हैं कि 'उत्पादकता वर्ष' में हमने कामगारों का सहयोग नहीं मांगा। हमने कामगार ताकतों का सहयोग मांगा है। यह कहना गलत है कि कामगार ताकतें कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं, यह कहना गलत है कि किसान कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से किसानों की पार्टी है। इसके 95 वर्षों के लम्बे इतिहास में इसने हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ी है। श्री हरिकेश बहादुर हमें एक बात ध्यान में रखनी है। यहां तक हमने विरोधी पक्ष को इस देश में प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री दिया। इस देश में गैर-कांग्रेसी सरकार के प्रथम दो उपप्रधान मंत्री कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल से आए थे और वे सब एक दूसरे के साथी रहे थे और अतएव, 1966 से 1977 तक जो कुछ हुआ है, मैं उसमें श्री मोरारजी देसाई के साथ के लिए तैयार हूं, जो उनकी सरकार में उपप्रधान मंत्री थे, मैं श्री चरणसिंह के साथ के लिए तैयार हूं, जो कम से कम एक बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कई वर्षों तक।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं 1966-67 की बात कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी।

श्री भागवत झा आजाद : कई वर्षों तक ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रधान मंत्री काल की बात कर रहा हूं । (व्यवधान) अतएव, मैं इसका श्रेय देने के लिए तैयार हूं और मैं इसका काफी श्रेय बाबू जी को देने के लिए तैयार हूं जो इस विकास दशाब्दी की सम्पूर्ण अवधि में काफी समय तक श्रीमती गांधी के मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे । इसलिए, बात यह नहीं है । मैं श्री हरिकेश बहादुर सहित आप सबको यह बताना चाहता था कि यह कहना गलत होगा कि कामगार ताकतें हमारे साथ नहीं हैं, समस्त कामगार ताकतें हमारे विरुद्ध हैं और हमारी नीति किसान विरोधी है । कभी-कभी बड़े बनावटी प्रयास किये जाते हैं यह दिखाने के लिए कि किसी क्षेत्र विशेष पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । कृषि के मामले को ही ले लीजिए । यदि हम अपने किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकते, यदि हम अपने किसानों को खाद, नाशिकीट दवाईयों की व्यवस्था नहीं कर सकते, यदि हम अपने किसानों को बिजली के जोतने वाले यन्त्र टिल्लर्स, ट्रैक्टर मथा ट्रेलर्स उपलब्ध नहीं करा सकते तो क्या कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । इस क्षेत्र में किया गया निवेश प्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्राप्त नहीं होता है । अतएव, सिंचाई के लिए जो कुछ दिया गया है वह अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए ही दिया गया है, यदि आप इन सभी बातों को छोड़ देते हैं तो यह किसी चीज की सही तस्वीर पेश करना नहीं है । माननीय सदस्य से मेरा यह अति नम्र निवेदन है ।

अन्तिम बात, जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा वह वही है जो श्री जार्ज फर्नाण्डीस द्वारा भी उठायी गयी थी । उन्होंने रक्षा के बारे में भाषण दिया था । महोदय, ऐसा कहना सही नहीं है । यह एक संवेदनशील विषय होने के अलावा इस विषय पर राष्ट्रीय वाद-विवाद करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । लेकिन यह कहना सच नहीं है कि इससे हमारे दुश्मन को कहने का मौका मिलता है, हमारे द्वारा रक्षा पर किया गया व्यय बहुत अधिक है । जहां तक भारत का सम्बन्ध है रक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च के बारे में हमारी क्या स्थिति है ? मैं वर्ष 1981 के एक आंकड़े का उदाहरण दे रहा हूं । हमारे यहां यह 7 डालर है और पाकिस्तान में यह 17 डालर है । मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूं । दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों के साथ तुलना करने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत बार आंकड़े कुछ इस प्रकार के हैं । सिंगापुर में ये आंकड़े 6.3 प्रतिशत, दक्षिणी कोरिया में यह 5.1 प्रतिशत है, पाकिस्तान में यह 5.9 प्रतिशत है, थाइलैण्ड में यह 5.5 प्रतिशत है और भारत में यह 3.4 प्रतिशत है । क्या यह बहुत अधिक है । आखिरकार इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी संरचना संघीय संरचना है और रक्षा सम्बन्धी समस्त व्यय का प्रावधान केवल केन्द्रीय बजट से ही किया जाता है । यदि आप केन्द्रीय और राज्य के बजट को मिलाकर लेते हैं तो यह प्रतिशत काफी कम होगा । बजटीय खर्चों के बारे में जब आप 17 प्रतिशत अथवा 18 प्रतिशत की बात करते हैं, आप 4 प्रतिशत को भूल जाते हैं । अतएव, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए । कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि यदि वे सत्ता में [illegible] तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित कर लिए होते । हम भी पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं । लेकिन मैं उस पहलू पर बातचीत नहीं कर रहा हूं, वह मेरा क्षेत्र नहीं है । लेकिन कटु सत्य यह है कि आजादी के दिनों से लेकर अब तक पाकिस्तान की तरफ से केवल भारत को छोड़कर किसी अन्य दिशा में कोई भी गोली नहीं चलाई गई है । यह

सच है, चाहे यह पांचवें दशक के उत्तरार्द्ध की बात हो जबकि कश्मीर के मामले को लेकर झड़प हुई थी अथवा सातवें दशक के मध्य की अथवा आठवें दशक के पूर्वार्द्ध की, दुर्भाग्यवश पाकिस्तान से किसी अन्य दिशा में एक भी गोली नहीं चलाई गई है। इसके लिए केवल भारत को ही निशाना बनाया गया था। इस स्थिति में तथा इतनी लम्बी सीमा के साथ कोई भी जिम्मेदार सरकार यह कह सकती है कि रक्षा कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि देश सुरक्षा आर्थिक शक्ति, कामगार ताकतों के साहस तथा शक्ति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि प्रधान मंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया है कि अलग-अलग होकर नहीं, पृथक-पृथक होकर नहीं बल्कि हमें एक साथ होकर चलना चाहिए ताकि हम चुनौती का सामना कर सकें।

मैं अब अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा और माननीय सदस्य का इस वाद-विवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं।

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1982-83

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 1982-83 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांगों के शीर्षों के सम्बन्ध में मांग संख्या 1 से 108 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	58,09,000	
2.	कृषि	15,10,10,000	198,78,64,000
3.	मीन उद्योग	2,98,12,000	1,38,95,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
4.	पशुपालन और डेरी विकास	22,71,22,000	1,35,17,000
5.	वन	6,06,33,000	12,50,000
6.	सहकारिता	3,84,96,000	28,86,71,000
7.	खाद्य विभाग	118,84,79,000	4,22,85,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	13,47,000	
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	18,86,37,000	
	नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
10.	नागरिक पूर्ति मंत्रालय	71,18,000	1,36,62,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य मंत्रालय	35,08,000	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	127,68,29,000	18,16,76,000
13.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	36,91,39,000	7,96,10,000
	संचार मंत्रालय		
14.	संचार मंत्रालय	54,10,000	6,28,83,000
15.	विदेश संचार सेवा	4,66,54,000	1,50,00,000
16.	डाक और तार—कार्यचालन व्यय	181,73,93,000	
17.	डाक और तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	50,48,12,000	
18.	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय		91,22,25,000
	रक्षा मंत्रालय		
19.	रक्षा मंत्रालय	36,32,02,000	21,05,29,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
20.	रक्षा सेवा—एंथल सेना	486,60,07,000	
21.	रक्षा सेवा—एंनी सेना	66,81,65,000	
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	190,56,27,000	
23.	रक्षा सेवा—एंपेंशनें	62,06,83,000	
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		83,08,33,000
	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय		
25.	शिक्षा विभाग	38,79,000	
26.	शिक्षा	52,59,36,000	1,07,92,000
27.	संस्कृति विभाग	2,61,13,000	
28.	पुरातत्व विज्ञान	1,33,25,000	
	ऊर्जा मंत्रालय		
29.	कोयला विभाग	18,97,93,000	163,50,51,000
30.	ऊर्जा विभाग	20,50,73,000	119,99,31,000
	विदेश मंत्रालय		
31.	विदेश मंत्रालय	26,67,41,000	4,71,01,000
	वित्त मंत्रालय		
32.	वित्त मंत्रालय	7,88,62,000	47,65,000
33.	सीमा शुल्क	7,44,80,000	5,16,56,000
34.	संघ उत्पाद शुल्क	10,83,36,000	
35.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दानकर	11,64,81,000	
36.	स्टाम्प	5,61,27,000	46,83,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
37.	लेखा परीक्षा	13,27,67,000	
38.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	9,80,23,000	2,67,99,000
39.	पेंशनें	16,55,37,000	
40.	अफीम और एल्केलाइड के कारखाने	28,81,48,000	26,13,000
41.	राज्य सरकारों को अन्तरण	445,04,74,000	
42.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	91,54,86,000	224,78,32,000
43.	सरकारी सेवकों, आदि को उधार		16,21,12,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
44.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	21,97,000	
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	31,49,39,000	12,09,44,000
46.	परिवार कल्याण	44,68,16,000	17,000
	गृह मंत्रालय		
47.	गृह मंत्रालय	68,49,000	
48.	मंत्रिमंडल	65,32,000	
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,73,56,000	
50.	पुलिस	55,76,30,000	1,95,10,000
51.	जनगणना	3,89,85,000	
52.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	69,72,17,000	27,66,68,000
53.	दिल्ली	41,97,84,000	31,51,81,000
54.	चंडीगढ़	6,91,02,000	6,37,63,000
55.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	6,42,49,000	4,12,55,000
56.	दादरा और नगर हवेली	65,06,000	91,75,000
57.	लक्षद्वीप	1,80,49,000	42,94,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	उद्योग मंत्रालय		
58.	उद्योग मंत्रालय	73,92,000	
59.	उद्योग	8,70,16,000	62,54,46,000
60.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	14,85,47,000	14,35,75,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	18,58,000	
62.	सूचना और प्रचार	5,38,04,000	20,00,000
63.	प्रसारण	17,08,41,000	10,75,68,000
	सिंचाई मन्त्रालय		
64.	सिंचाई मंत्रालय	14,24,37,000	2,16,67,000
	श्रम मन्त्रालय		
65.	श्रम मंत्रालय	18,52,000	
66.	श्रम और रोजगार	12,10,32,000	78,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
67.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	5,16,25,000	17,000
68.	न्याय प्रशासन	19,64,000	
	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय		
69.	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	22,08,000	
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	20,46,59,000	43,01,92,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग	90,11,37,000	42,55,17,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	योजना मंत्रालय		
72.	योजना मंत्रालय	83,000	
73.	सांख्यिकी	3,15,57,000	
74.	योजना आयोग	1,00,99,000	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
75.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	75,03,82,000	8,20,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
76.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	65,31,000	
77.	सड़कें	25,39,90,000	26,35,68,000
78.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	12,95,57,000	25,52,79,000
79.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	38,23,000	3,66,52,000
	समाज कल्याण मंत्रालय		
80.	समाज कल्याण मंत्रालय	9,15,10,000	22,18,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
81.	इस्पात विभाग	62,46,000	91,66,46,000
82.	खान विभाग	14,70,04,000	39,19,17,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
83.	पूर्ति विभाग	5,45,000	
84.	पूर्ति और निपटान	1,70,47,000	
85.	पुनर्वास विभाग	4,40,67,000	1,17,27,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
86.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	13,50,000	
87.	मौसम विज्ञान	3,45,56,000	93,44,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
88.	विमानन	6,18,21,000	11,39,17,000
89.	पर्यटन	96,74,000	1,83,75,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
90.	निर्माण और आवास मंत्रालय	26,75,000	
91.	लोक निर्माण	26,94,88,000	7,89,46,000
92.	जलपूर्ति और जल मल निकासी	21,66,67,000	
93.	आवास और नगर विकास	5,45,96,000	19,16,52,000
94.	लेखन सामग्री और मुद्रण	8,29,59,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
95.	परमाणु ऊर्जा विभाग	12,99,000	
96.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	21,28,30,000	23,10,20,000
97.	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	16,77,31,000	16,16,43,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
98.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	2,72,51,000	4,03,08,000
	पर्यावरण विभाग		
99.	पर्यावरण विभाग	1,88,89,000	
	महासागर विकास विभाग		
100.	महासागर विकास विभाग	4,44,55,000	
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
101.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	7,83,58,000	27,67,000

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान में मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
102.	भारतीय सर्वेक्षण	4,97,50,000	50,000
103.	वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् का अनुदान	14,60,83,000	
	अन्तरिक्ष विभाग		
104.	आंतरिक्ष विभाग	10,28,76,000	13,96,34,000
	संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
105.	लोक सभा	1,49,27,000	
106.	राज्य सभा	48,67,000	
107.	संसदीय कार्य विभाग	4,67,000	
108.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,18,000	

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतियम राशियों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : भोजन नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : भोजन नहीं, बस भजन।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने लेखानुदान से सम्बन्धित इस एप्राप्रिएशन बिल के सिलसिले में तीन मामले उठाने की सूचना आपको दी है।

कल मंत्री महोदय ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने घोषणा तो जरूर की, लेकिन कर्मचारियों की मांग के अनुरूप उन्होंने नकद भुगतान करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि जो चार किस्तों का बकाया पड़ा हुआ था उसको प्राविडेण्ट फंड के हिसाब-किताब में जमा करेंगे। यह कर्मचारियों की आशाओं और आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। जो मंहगाई बढ़ रही है उससे लड़ने के लिए जरूरी था कि उन्हें नकद भुगतान किया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि कर्मचारियों के 9 संगठनों ने सरकार की इस नीति को वेतन-जाम की नीति बतलाते हुए इसका जोरदार विरोध किया है और उन्होंने मांग की है कि सरकार अभी भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों का नकद भुगतान कर दे···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कोई भाषण दे रहे हैं। आपने कहा है आप केवल कुछ मुद्दे उठाएंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं केवल कुछ मुद्दे कैसे उठा सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपने विषय पर आइए।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे भाषण देने दीजिए। मैं केवल कुछ मुद्दों को ही स्पष्ट करना नहीं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्वन्त्रता सेनानियों के बारे में एक मुद्दा उठाया है। आप एक काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने अब इस बारे में बात नहीं कही है। मैं इस बारे में भाषण दूंगा।

मैं यह कह रहा था कि तमाम कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने जे० एम० को बाई-पास किया है। जे० सी० एम० के सदस्यों की राय से ऐसा करना चाहिए था। यह जनतन्त्र का मखौल है कि उनकी राय के बिना इसकी घोषणा कर दी गई। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि नकद भुगतान किया जाए।

दूसरी बात स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में है। इस सदन में इतनी बड़ी बहस की गई लेकिन किसी ने भी इस सवाल को यहां पर नहीं उठाया। अगर किसी ने उठाया होता तो मैं नहीं उठाता। अभी 1 लाख 20 हजार स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है जिन्होंने 6 महीने तक जेल काटी थी। 1980 में सरकार ने यह घोषित किया किया कि जिन लोगों के खिलाफ अंग्रेजी सरकार ने वारन्ट जारी किए थे और उसके बाद जो अण्डरग्राउन्ड चले गए थे उनको भी पेंशन दी जाएगी। इसके लिए 31 जुलाई, 1980 की तिथि तय की गई। फिर उस तिथि को 31 जनवरी, 1982 तक बढ़ा दिया गया। इस तिथि को एक बार और 31 मार्च, 1982 तक बढ़ा दिया गया। इस दरम्यान में, वे लोग जो अण्डरग्राउन्ड चले गए थे या जिनको हम कहते हैं कि फरार हो गए थे क्योंकि उनके खिलाफ अंग्रेजी सरकार ने वारण्ट इश्यु किया था—ऐसे लोगों के नाम पर सारे देश में 401,710 दरख्वास्तें आईं। इनमें सात ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दरख्वास्तें दीं। आई० एन० ए० वालों ने 34,078 दरख्वास्तें दीं। बिहार से 87,457, महाराष्ट्र से 30,944, केरल से 25,918, उत्तर प्रदेश से 26,552, पश्चिम बंगाल से 24,712, आसाम से 24,712 और आंध्र प्रदेश से 21,214 दरख्वास्तें आईं। कुल मिलाकर अब तक 401'710 दरख्वास्तें पड़ चुकी हैं। तिथि अभी बाकी है, हो सकता है कि पांच से छः लाख तक दरख्वास्तें चली जाएं। मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं, क्या किसी आन्दोलन में लोग ज्यादा जेल चले जाते हैं या अण्डरग्राउन्ड चले जाते हैं—हर आदमी यह जानता है। यदि आप हर जाली आदमी को देने लगेंगे, तो आपके खजाने का दिवाला पिट जाएगा, अरबों रुपया आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसी विधि अपनाइए, ताकि सही लोगों को तो जरूर मिल जाए। गलत लोग सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग न कर पाएं। इतिहास में गलत लोगों का नाम न छप जाए। सच्चे स्वतन्त्रता सैनानी के लिए आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। यदि कोई पांच साल जेल में रहा, वे रिकमेंड कर देते हैं, आप उसको मान लेते हैं और ऐसे लोग दो सौ से 2,000 रु० घूस लेकर हजारों लोगों की सिफारिशें कर देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रधान मन्त्री जी को, आपको और श्री वेंकटसुब्बैया जी, यहां पर बैठे हुए है, तथा श्री जैल सिंह जी को चिट्ठियां लिखी हैं, कि लोग किस तरीके से गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको रोकिए, ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो और जो सच्चे स्वतन्त्रता सैनानी हैं, कम से कम उनको मिल जाए।

हमारे बहुत से भूतपूर्व संसद सदस्य स्वतन्त्रता सैनानी हैं, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। उनको भूतपूर्व संसद सदस्य की हैसियत से पेंशन मिलती है, लेकिन स्वतन्त्रता सैनानी की हैसियत से जो पेंशन मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। आपने आय की सीमा हटा दी,

बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद । लेकिन उनके साथ जो पांच सौ की सीमा लगी हुई है, उसको भी हटाया । जो लोग स्वतन्त्रता सैनानी हैं, उनको तो पेंशन मिल सके, छः महीने उन्होंने जेल काटी या सही मायने में फरार थे, जिनके वारन्ट का आपको पता है, यदि उसका प्रमाण मिल जाए, तो ऐसे लोगों को भी पेंशन दीजिए—मैं यह कहना चाहता हूं ।

आपने 3 मार्च को एक सवाल के जवाब में माना है कि हमने 11-13 कैटेगरीज को माना है कि ये स्वतन्त्रता संग्राम के लोग हैं । उनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जैसे तेलंगाना विद्रोह, पुनप्रावायलार, कूका आन्दोलन, होलवेल स्मारक हटाओ आन्दोलन व रानी झांसी के सैनिक विद्रोह—इनमें ऐसे लोग भी हैं जिन महिलाओं ने अपने बच्चे जेल में जन्मे हैं वे भी हैं । इन सब पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना परामर्शदात्री समिति बनाई है । उसकी सिफारिशें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वह विचाराधीन ही है वित्त विभाग में पड़ी हुई है । जब ये सारे लोग मर जाएंगे, तब आप पेंशन दीजिएगा । ज्यादातर स्वतन्त्रा सैनानी बूढ़े हो चुके हैं । उनमें बहुत से 80 वर्ष के हैं, 75 वर्ष के हैं, और 55 से 60 वर्ष से कोई कम नहीं हैं । प्रधान मंत्री जी ने इस दिशा में काम किया है, उसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं, लेकिन इस काम में विलम्ब नहीं होना चाहिए । इन कैटेगरीज के बारे में जल्दी फैसला होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष जी, अब एक बात मैं गन्दी बस्तियों के सिलसिले में कहना चाहता हूं । 8 मार्च को तारांकित प्रश्न संख्या 208 में जवाब दिया गया कि सरकार राज्य सरकारों को मदद देती है, गन्दी बस्तियो की सफाई योजना के सिलसिले में पानी के लिए पैसा देती हैं, स्ट्रार्म-वाटर-ड्रेनेज, पेविंग आफ लेन्स, स्ट्रीट लाइटिंग और काम्यूनिटी वाय एण्ड लैट्रीन्स आदि के लिए देती है । इसके लिए आपने छठी योजना में 151·45 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है । भीष्म नारायण जी यहां मौजूद हैं, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं—आप राज्य सरकारों को एक-साथ ब्लाक-ग्रान्ट देते हैं, लेकिन राज्य सरकारें क्या सचमुच में उसी काम में उस पैसे को खर्च करती हैं ? मेरा अनुभव है कि नहीं करती हैं तो पटना की हालत आप जानते हैं । वह आपके राज्य की राजधानी है, वहां गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है । सैक्रेटेरियट के इलाके को छोड़ कर सम्पूर्ण शहर नरक बना हुआ है, रोशनी नहीं है, बहुत जगह पीने का पानी नहीं है । वाटर बोर्ड ने बिहार सरकार की मारफत आपके पास करोड़ों रुपयों की स्कीम भेजी, लेकिन वह पड़ी हुई है । मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आप धन-राशि को सेट-एपार्ट करते थे कि वह रुपया केवल गन्दी बस्ती की सफाई योजना पर खर्च हो सकता था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करते हैं । आप ब्लाक ग्रान्ट देते हैं, राज्य सरकार उस पर खर्च करे या न करे, इसको कोई देखता नहीं है । बिहार सरकार की हालत आप जानते हैं—वे इस फण्ड का रुपया या दूसरे फण्डों का रुपया दूसरे कामों पर लगा देते हैं या वह रुपया वापस चला आता है, इस काम पर खर्च नहीं होता है । मेरा निवेदन है कि आप पुरानी पद्धति को फिर से लागू कीजिए ।

आप पैसा शहरों के विकास के लिए देते हैं, स्लम क्लिअरेंस के लिए देते हैं, तो वह उसी में खर्च होना चाहिए । आपने बहुत सारे शहरों के लिए पूरा-पूरा पैसा देने का निश्चय किया है, शतप्रतिशत देने का निश्चय किया है, जिनमें पटना शहर भी है, लखनऊ है, करीब-करीब तमाम

राजधानियां हैं और जो मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, वे भी उनमें शामिल हैं। मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह रुपया उसी काम पर खर्च हो। इस समय तो आपको सन्तोष हो जाता हैं कि आपने इतनी बड़ी राशि उस काम के लिए दे दी, लेकिन वह राशि वास्तव में दूसरे कामों पर खर्च हो जाती है। आपको शहरों को साफ, सुन्दर और स्वास्थ्यप्रद बनाना चाहिए, इस काम के लिए उस धनराशि को खर्च कराना चाहिये।

मैंने आपके सामने तीनों बहुत ही आवश्यक सवाल उठाये हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर वित्त मंत्री इस समय इनके सम्बन्ध में कुछ बतला सकें तो बड़ी कृपा होगी। आप सबको बतलाते हैं, कुछ मुझे भी बतलाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव केवल एक सदस्य रहता है। उनके बाद वित्त मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) : यह बजट सम्बन्धी वाद-विवाद वास्तव में एक मनोरंजक वाद-विवाद बन गया है। अन्ततोगत्वा इसके फलस्वरूप जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी सरकार की उपलब्धियों तथा असफलताओं का पता चला है, अन्ततोगत्वा इसके फलस्वरूप दोनों ओर से एकत्रित किए गए आंकड़ों की लड़ाई का पता चला है और मैं यह कहूंगा कि वित्त मन्त्री ने बड़ी ही चतुराई से इन सभी महत्वपूर्ण मामलों से बचने का प्रयास किया है और समस्त बातों को एक तरफ छोड़ दिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आंकड़ों की इस लड़ाई में तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की लडाई में आज के दिन भारत के सामान्य आदमी गरीब आदमी का कहां स्थान है ? कहां है उनका स्थान ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आखिकार उसका स्थान कहीं पर भी नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : सच यह है कि इस देश का गरीब आदमी, सामान्य आदमी यह पाता है कि दिन-प्रतिदिन उसके दुःख बढ़ते जा रहे हैं। वे वास्तविक कष्टभोगी हैं। यदि आप देखें कि प्रत्येक वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मेरे बजट में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि को बढ़ावा नहीं दिया गया है। लेकिन यदि आंकड़ों को देखोगे, जिन्हें मैं यहां नहीं दे रहा हूं लेकिन यदि आप पिछले तीन वर्षों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जियों, फलों, दूध, मछली, अण्डों, मांस, सीमेंट, उर्वरक, दवाईयों आदि इन सभी चीजों, जो सामान्य आदमी द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। मूल्यों में वृद्धि 10 से 15 प्रतिशत के ओसत से होती है। इस देश के सामान्य आदमी के जीवन निर्वाह की लागत···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ने स्वयं कल महंगाई भत्ते के रूप में 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा हूं कि पिछले तीन सालों में जीवन निर्वाह लागत 10 से 15 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ गई है और मैं यह कह रहा हूं कि यह बजट वर्ष के अन्त तक भी इस देश के सामान्य आदमी के जीवन निर्वाह की लागत में न्यूनतम 15 से 2 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यह स्थिति है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि हम कहां जा रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी यह कह रहे थे कि इस बजट की, वजह से मूल्य में वृद्धि नहीं होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह कह रहा हूं कि प्रत्येक वित्त मंत्री··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही सुन रहा हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? मैं यह कह रहा हूं कि प्रत्येक वित मंत्री यह कहता आया है और यह दावा करता आया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें देखना चाहिए कि वित्तमंत्री क्या कहते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : हर वित्तमंत्री यही कहता रहा है, और यह बात गलत सिद्ध हो चुकी है । पिछले कई वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि मूल्य बढ़ रहे हैं और यह बात सभी जानते हैं यहां तक कि वित्तमंत्री भी इसको जानते हैं कि इस बजट से भी आम जनता पिसेगी । रेल बजट और इस बजट में दोनों में ही कुल मिलाकर 1200 करोड़ रुपये के कर आम जनता पर लगाये हैं । केन्द्रीय बजट के साथ ही यदि आप राज्यों के बजट भी शामिल कर लें तो क्या स्थिति बैठेगी ? रेल और बसों की यात्रा दिन पर दिन मंहगी होती जा रही है । संचार के साधनों की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है । इमारतों के निर्माण पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है । सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं । इसलिए, मेरा ख्याल है कि यह दावा झूठा है और सरकार को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ।

वित्तमंत्री ने दावा किया है कि मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण पा लिया गया है । तकनीकी शब्दों में तो कहा जा सकता है कि हां नियंत्रण हो चुका है । लेकिन वास्तव में इसका असर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है । आम आदमी के जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । गल्ती कहां पर है ? आप को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए । यदि आपने मुद्रा प्रसार को नियत्रित कर लिया होता तो आप मूल्य नियत्रण में क्यों असफल होते रहते ?

मैं जानता हूं कि यह एक अपरिणामवादी बजट है । यह एक परंपरागत बजट है जो देश के 40 प्रतिशत लोगों की लागत पर 20 प्रतिशत लोगों की सहायता कर रहा है । यह बजट पूंजीवादी ढांचे के ताने-बाने में बनाया गया है और सामाजिक आर्थिक ऐसे हैं जिनसे समाज के सम्पन्न वर्ग की अर्थात देश के 20 प्रतिशत लोगों की सहायता हो रही है । यदि मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण हो गया होता तो इसे मूल्यों में परिलाक्षित होना चाहिए था और मूल्यों में कमी होनी चाहिए थी । कृपया, क्या आप इसकी जांच करेंगे । मैं जानता हूं कि आप बहुत अध्ययनशील हैं और आप यह जरूर पता लगायेंगे कि परियोजनाओं की लागत में कमी होने के बजाय इसमें वृद्धि क्यों हो रही है ? हमेशा यही कारण बताये जाते रहे हैं कि मूल्यों में वृद्धि के कारण परियोजना लागत में भी वृद्धि हो रही है । ऐसा विरोधाभास क्यों ? यदि मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण पा लिया गया है तो इसका असर मूल्यों पर पड़ना चाहिए और परियोजनाओं की लागत में भी कमी आनी चाहिए । यही उचित समय है जबकि वित्तमंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

कृषक और उद्योगपति में बहुत स्पष्ट अन्तर है। जबकि वित्तमंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि वह उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देंगे जो अधिकाधिक उत्पादन करेंगे और नियत करेंगे कृषकों का क्या होगा ? यदि वे ज्यादा उत्पादन करते हैं तो उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिए जाने के बजाय उन्हे अलाभप्रद मूल्य दिए जाते हैं। कृषकों को यह सजा मिलती है। कृपया क्या आप जांच करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात 1977 से 1979 के बीच कृषकों को दी जाने वाली राज्य सहायता जो 650 करोड़ रुपये थी उसे घटाकर 450 करोड़ रुपये कर दिया गया है ? यह आय इस देश के अकृषकों को दिया जा रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं और जो आगे आने वाले अनेकों वर्षों तक हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहेंगे। दूसरी ओर निर्यातकों और उद्योगपतियों को दी गई रियायतें और राज्य-सहायता 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 545 करोड़ कर दी गई है।

मैं दो-तीन बातें और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। भारत सरकार को एक उचित मूल्य और लाभ नीति तैयार करनी चाहिए। यह सही समय है जबकि भारत सरकार को मूल्य और लाभ नीति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए ताकि भेदभाव को दूर किया जा सके और आम आदमी का बिचौलियों द्वारा शोषण न किया जा सके क्योंकि वह इस समय उनका शोषण कर रहे हैं।

दूसरे, मैं यह कहूंगा कि भविष्य में भारत सरकार को अपनी सम्पूर्ण नीति में सुधार करना चाहिये ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का हल किया जा सके। आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जो हमारी तरह भयंकर बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हो।

पश्चिम योरोप के देश, पश्चिम जर्मनी, स्वेडन, हालैंड, इंग्लैंड और यहां तक कि क्षमता तो अमरीका भी अपने अपने देशों के बेरोजगार युवकों को क्षतिपूर्ति देते हैं। परन्तु हमारे देश में क्या हो रहा है ? इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि भारत सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। राज्यों में पिछली केरल सरकार यहां तक महाराष्ट्र और पंजाब सरकारों ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। इसलिए, सरकार को उन सभी लड़के लड़कियों को कम से कम 150 रुपये माहवार बेरोजगारी भत्ता उस समय तक देना चाहिए जब तक कि सरकार उनके लिए समुचित रोजगार का प्रबन्ध न कर दें।

तीसरी और अन्तिम बात मैं यह कहूंगा कि यह सही समय है जबकि सरकार को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। आपने यह स्वीकार किया है और ठीक ही स्वीकार किया है कि आप अभारी उद्योगों पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। उन चीजों के बारे में जो छोटे पैमाने के उद्योगो में पैदा की जा सकती हैं जैसे माचिस, तो आप भारी उद्योगों को इसके उत्पादन की अनुमति देते ही क्यों हैं ? देश में बड़े उद्योगों द्वारा इन चीजों को बड़े उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। यदि आप सही मामलों में हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, यदि आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, और यदि आप रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो यही मौका है कि जो वस्तुयें कुटीर उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों और मध्यम दर्जे के उद्योगों में पैदा हो सकती

हैं उनका उत्पादन केवल उन्हीं उद्योगों में होना चाहिए। उन उद्योगों को आधुनिक बनाया जाये उनमें आधुनिकतम मशीनों का उपयोग किया जाये, परन्तु उन्हें मध्य दर्जे के छोटे पैमाने के, और कुटीर उद्योग ही रहने की अनुमति दी जाये। बड़े पैमाने के उद्योगों पर इन वस्तुओं का उत्पादन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और देश अगले 15 वर्षों तक अथवा अगली 3-4 पंचवर्षीय योजनाओं में कुल निवेश का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रोंके विकास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों की सड़कों के निर्माण, हर गांव में बिजली पहुंचाना, किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने में प्राथमिकता बरती जानी चाहिए। केवल तभी यह देश सही अर्थों में आत्मनिर्भर हो सकता है अन्यथा, आत्म निर्भरता का क्या आशय है ? हमारे सामने केवल आत्म-निर्भरता ही एक लक्ष्य नहीं है। अमरीक, की अर्थव्यवस्था भी आत्मनिर्भर है, पश्चिम जर्मनी की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है परन्तु हमारे जैसे देश में जो हैं बहुत ही निर्धन और पिछड़ा हुआ है और जिनकी विकासशील अर्थव्यवस्था है, हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को देश की राष्ट्रीय आय के समुचित वितरण से जोड़ना चाहिए। इस समय ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह धन 80 प्रतिशत लोगों की लागत पर 20 प्रतिशत लोगों के हाथों में जा रहा है जैसा कि वित्तमंत्री महोदय आपने स्वयं ही माना है कि हम अभी तक भी अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राष्ट्रीय स्तर तक प्रसार नहीं कर पाये हैं और आपने ठीक ही स्वीकार किया है कि कम से कम अगले 20 वर्षों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनी राष्ट्रीय प्रणाली का एक अंग बनाना है क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है और हम अपनी आम जनता को अनिवार्य वस्तुए भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कृपया क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगले 3 वर्षों के दौरान सारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली फैल जाये और सस्ते मूल्य की दुकानें देश में सभी जगह खुल जायें ताकि अनिवार्य वस्तुयें उचित दामों पर उपलब्ध हो सकें। जैसा कि आपने कहा है कि बिचौलिये ही शोषण कर रहे हैं। इसलिए, केवल सीमेंट के बारे में ही कार्यवाही करने से और सारे के सारे क्षेत्रों को उनके शोषण के लिये छोड़ देने से कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचने का समय है। यह केवल बजट के ही माध्यम से नहीं होना चाहिए बल्कि सम्पूर्ण आयोजन एवं सम्पूर्ण प्रयासों में परिवर्तन जरूरी है और इसे 80 प्रतिशत लोगों के पक्ष में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

इन मुद्दों पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, परन्तु मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा बताये गये सभी मुद्दों पर विचार करेगी। मैं आपसे इस बारे में जरूर सहमत हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही डांवाडोल है और हम अपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और आपने यह भी सही कहा है कि हम राज्यों से घिरे हुए हैं। लेकिन आप इस बात को औरों से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि देश की सुरक्षा संतुष्ट लोगों के दम पर ही हो सकती है। देश की सुरक्षा लोगों के सम्मिलित प्रयास से ही हो सकती है। यदि आम आदमी असंतुष्ट रहेगा तो देश की सुरक्षा भी खतरे में पड जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन तथ्यों पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : शास्त्री जी तथा श्री यादव ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। शास्त्री जी ने अपनी

टिप्पणियां तीन बातों तक ही सीमित रखी हैं एक तो मंहगाई भत्ते पर दूसरी स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन संबंधी समस्या पर और तीसरी पटना में गंदी बस्ती हटाने के कार्यक्रम के बारे में ।

श्री यादव ने समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और हमारी विकास निति की कमजोरियों की चर्चा की है ।

सबसे पहले उन मुद्दों पर विचार करते हुए जो श्री शास्त्री ने उठाये हैं, मैं इन टिप्पणों की खास तौर से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से सम्बन्धित मुद्दे को संबंधित मंत्रालयों को विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं । विशेष रूप से उन संसद सदस्यों के बारे में जो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं इस विषय में कहीं न कहीं कुछ विसंगति है । यदि वे संसद सदस्य बने रहते हैं तो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने का भी हक होता है । यदि वे संसद सदस्य नहीं रहते तो उन्हें यह हक नहीं रहता । हमने इस इस पर विचार किया है और सरकार इस बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लेगी । हो सकता है कि इसी पत्र में यह निर्णय कर लिया जाये । परन्तु मैं इस बारे में कोई वचन नहीं दे रहा हूँ । हमने इस समस्या पर विचार किया है जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि इस मामले की देखभाल गृह मंत्रालय करता है । इसके लिए प्रमुख सदस्यों-स्वतत्रता सेनानियों की एक परामर्शदात्री समिति है । मैं इस मसले के विचार के लिए उसके पास भेजूंगा ।

गंदी बस्तियों को हटाने का जहां तक सम्बन्ध है यह कार्य हाथ में ले लिया गया है । बिहार सरकार इस कार्य को कर रही है । हमने इस कार्य के लिये उसे केछ धनराशि का आवंटन किया है परन्तु इसका ब्यौरा निर्माण और आवास मंत्रालय से ही प्राप्त किया जा सकता है और मैं इस विषय को उस मत्रालय को सोंप रहा हूं ।

जैसा कि मैं बता ही चुका हूं मंहगाई भत्ते के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए कुछ और अवसर मिलेंगे । आपने वही कहा है जो मैं कर चुकाहूं इसमें । कोई शक नहीं कि आपके अपने विचार अलग हैं और आप मुझसे सहमत नहीं हैं, परन्तु हम इस पर विचार अवश्य करेंगे ।

जो बहुत महत्वपूर्ण बातें श्री चंद्रजीत यादव ने उठाई हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की थी । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई नहीं कहता कि वस्तुओं के भाव गिर रहे हैं । जब हम चर्चा करते हैं···(व्यवधान)···यह टैक्नीकल है । इनमें वृद्धि की जो गति थी, वह मंद पड़ गई है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो वस्तुयें किसी खास मूल्य पर मिल रही थीं अब वे उससे कम मूल्य पर मिल रही हैं । ऐसा कोई नहीं कहता ।

जो दूसरी बात उन्होंने उठाई, जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह आवश्यक है कि विकास की अपनी समग्र नीति में हम जनता के महत्वपूर्ण वर्ग को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । मैं उनसे सहमत हूँ कि इन बातों पर ध्यान देना है परन्तु इसके साथ ही बाधायें और समस्यायें भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना है । ये सभी समस्यायें उनके लिए नई नहीं हैं । वे इन्हें जानते हैं और उन्होंने इन्हें अलग-अलग दृष्टियों से देखा भी है ।

तीसरी बात उन्होंने औद्योगिक नीति के बारे में कही । खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी यह नीति है कि हम चाहेंगे कि शुल्कों के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन न हो और यही

खास कारण है कि मैंने उसमें छेड़छाड़ नहीं की है। कभी-कभी हम शुल्क के ढांचे के जरिये ऐसा करते हैं और कभी-कभी हम लाइसेंस व्यवस्था के जरिए ऐसा करते हैं और उत्पादन का एक खास स्तर बनाये रखते हैं। कभी-कभी हम एक और तरीका अपनाते हैं—सीधे आरक्षण की व्यवस्था कर देते हैं और इस तरह स्थिति यह है कि अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में हम किसी अन्य विकसित अर्थव्यवस्था के ढांचे की नकल नहीं कर सकते। हमारी अपनी समस्यायें हैं जो खास हमारी हैं और हम ही उन्हें हल कर सकते हैं।

किसानों के सम्बन्ध में, मेरे विचार में हमारी कोशिश यह है। शायद आप मुझसे सहमत होंग कि सभी जिन्सों के लिए, जिसमें कपास शामिल है, हमने कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है। परन्तु हमने खासतौर से भारतीय कपास निगम को तथा महाराष्ट्र विपणन संघ को यह निदेश दिये हैं कि वे मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और इस आधार पर वे खरीददारी कर सकते हैं जिससे कोई समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन दूसरी वस्तुओं के बारे में, दो या तीन मुख्य वस्तुओं को छोडकर, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। कपास का मसला अस्थाई है। पिछले वर्ष कपास के दाम अच्छे मिले और वे काफी संतुष्ट थे। पटसन उत्पादकों को यह नहीं मिल रहे हैं क्योंकि पटसन उद्योग में कुछ समस्यायें हैं जिन्हें हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जब मैं वाणिज्य मन्त्री था तब इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नही कर सका था। जबकि पटसन उद्योग सीधे वाणिज्य मन्त्री के अधीन है। मैं इसे हल नहीं कर सका। लेकिन हम इन्हें हल करने के विभिन्न तरीके तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। जब हम निर्यात की बात करते हैं तब मेरा अभिप्राय केवल तैयार वस्तुओं से ही नहीं होता। जब हम निर्यात की बात करते हैं तब हम यह ध्यान रखते हैं कि मुख्यत: हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यदि मैं कालीन की पैकिंगों का निर्यात नहीं कर सकता, तो मैं बंगाल के पटसन उत्पादकों को पर्याप्त राहत नहीं दे सकता। यदि हम वस्त्रों का निर्यात नहीं कर सकते तो हम कपास उत्पादकों को पर्याप्त राहत नहीं दे सकते। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी।

मैं केवल कृषि पर आधारित उत्पादों की बात नहीं कर रहा हूं। यद्यपि इसमें कृषि का योगदान अधिक है और इसका प्रभाव बढ रहा है। लेकिन मैं सहसूस करता हूं कि हमें इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढने चाहिए। प्याज का मामला ही लीजिए। पिछले वर्ष प्याज के दाम गिर गए, जैसाकि आपने कहा है, और उत्पादकों को हानि हुई क्योंकि उन्होंने उत्पादन अधिक किया था। लेकिन मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि उस समय मैं नागरिक आपूर्ति मन्त्री भी था, पुणे से देश के पूर्वी तथा उत्तरी भागों को प्याज लाने पर इसके निर्यात करने से अधिक खर्च आएगा। इसलिए प्रत्येक वस्तु किस जगह उपलब्ध है यह भी देखना होता है और हमें एक नीति तैयार करनी होगी। हमें निर्यात प्रोत्साहनों का पूरा लाभ उठाना है। इन सभी वस्तुओं के लिए हम कोई स्ट्रेट जैकेट तरीका नहीं अपना सकते। लेकिन यदि आप देखें कि कौन सी वस्तु कौन से क्षेत्र से आती है तो आप इस सम्बन्ध में नीति बनायेंगे और उसे इतनी लचीली रखेंगे कि लोग उसका लाभ उठा सकें। अन्यथा सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जैसाकि गन्ने के मामले में हुआ। बात ऐसी नहीं है। यह भी नहीं है कि कोई दल या कोई सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी। तथ्य यह है कि गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिला। अगले वर्ष उन्होंने अधिक गन्ना नहीं उगाया और देश को नुकसान उठाना पड़ा और हमें आयात करना पड़ा। तो, बात ऐसी नहीं है।

विशेषकर इन वर्षों में, हम इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और आपने जो विभिन्न सुझाव दिये हैं वे न्यूनाधिक सामान्य उपाय ही हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : बेरोजगारी के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : बेरोजगारी के सम्बन्ध में आप मुझसे सहमत होंगे कि इसे हल किया जा सकता है बशर्ते कि काफी विकास हो। और योजना का पूंजी निवियोजन है, 20 सूत्री कार्यक्रम में पैसा लगाया जाता है और दूसरे क्षेत्रों में जो पैसा लगाया जाता है ये सब नीतियां और ये सब प्रयत्न इसी दिशा में हैं कि और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्ष 1982-83 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय धनराशि का आहरण करने का उपबंध करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3 और 4 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, 3 और 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आगामी मद को लेते हैं। अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य)। इसके लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हम बजट पर वित्त मन्त्री महोदय का भाषण सुन रहे थे और मैं देख रहा था कि किस तरह उन्होंने आंकड़ों के सहारे उन चीजों को प्रमाणित किया जो नहीं हैं। कहते हैं कि आंकड़ों की स्थिति बिकनी की तरह होती है। उनसे जितना एक्ट होता है उससे अधिक उनमें छिपा रहता है। हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने बहुत सी चीजें छिपा ली हैं।

बजट पर चर्चा करते हुए मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। बजट की कई दृष्टिकोणों से जांच की जा सकती है। उन्होंने एक बात पर जोर दिया है—बचत, पूंजी-निवेश और उत्पादन। अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी इसमें इनकार नहीं कर सकता। बचत की जानी चाहिए, पूंजी निवेश भी होना चाहिए और उत्पादन भी अवश्य होना चाहिए। अर्थशास्त्र का कोई भी छात्र इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि साधन भी जुटाए जाने चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि उनका समग्र दृष्टिकोण क्या है ? सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है। मेरे विचार में अपने सारे भाषण में वित्त मन्त्री कुछ विषयों के बारे में मौन थे और उनका मौन अधिक व्यग्र कर देने वाला है क्योंकि उन्होंने वितरण तथा रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा और इस बारे में भी कुछ नहीं कहा कि उनके बजट प्रस्तावों से आम जनता को किस प्रकार लाभ होगा। हम जानते हैं कि उत्पादन के लिए भूमि, पूंजी तथा श्रम होना चाहिए और भूमि, पूंजी तथा श्रम को जो प्रतिफल मिलेगा, उसका निर्धारण समाज का संस्थागत ढांचा करेगा। अब, सामाजिक-आर्थिक संस्थागत ढांचे को यथावत् रखा जाए, तो इसी सामाजिक संस्थागत ढांचे के आधार पर कोई भी विकास प्रक्रिया निश्चित रूप से उत्पादक को लाभ पहुंचाएगी न कि उपभोक्ता को या श्रमिकों को। वित्त मन्त्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उत्पादन से पहले वह सब किसको मिल पाएगा जो सामाजिक-आर्थिक संस्थागत ढांचे के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

जब वे उत्पादकता की बात करते हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस उत्पादकता से श्रमिकों को क्या मिलेगा ? इससे कामगारों को क्या लाभ होगा ? उन्होंने इस बारे में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। श्रमिक को तो मजदूरी मिलती है। श्रमिक ही उत्पादन करता है। लेकिन उसका हिस्सा वास्तविक मजदूरी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब मजदूरी पर रोक लगाने की बात होती है, जब कीमतें बढ़ने के साथ-साथ मजदूरी में वृद्धि नहीं की जाती, तो कामगार की वास्तविक मजदूरी अवश्य कम हो जाएगी। और अब वास्तविक मजदूरी घट रही है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से नम्र निवेदन करता हूं : क्या वे मुझे बता सकते हैं कि उनकी उत्पादन, पूंजी निवेश और ये अन्य बातों से मजदूर को क्या सहायता मिलेगी ? उन्होंने कीमतों को न बढ़ने देने की कोई गारंटी नहीं दी है। कीमतें बढ़ेंगी। केवल बाजार की स्थिति के कारण नहीं। यह सरकार जान-बूझकर वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रही है।

रेल मन्त्री ने अपने बजट में मालभाडा बढ़ा दिया है। इससे कीमतें बढ़ेंगी। सरकार ने नियंत्रित मूल्य बढ़ा दिये हैं, पहले कीमतें बढ़ाते हैं फिर राज्यों को उनका राजस्व भी नहीं देते। उन्होंने ऐसा कर दिया है। जब वे स्वयं कीमतें बढ़ा रहे हैं तो वे यह कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा स्फीति नहीं बढ़ेगी और कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी।

उन्होंने 1300 करोड़ रुपये से भी अधिक का घाटे का बजट बनाया है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि वे घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाते हैं तो कीमतों को स्थिर कैसे कर सकते हैं ? हां, घाटे की अर्थव्यवस्था एक विकासशील देश में अपनाई जा सकती है बशर्ते कि आप गारंटी करें कि उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। किस हद तक घाटे की अर्थव्यवस्था उचित है ? किसी भी स्थिति में यह 1000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने पहले ही 1000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। यदि यही हालत है तो कीमतों का क्या होगा ? कीमतें अवश्य बढ़ेंगी।

इन्होंने उत्पादकों के लिए, पूंजी के लिए, कामगारों का शोषण करने के लिए और उपभोक्ताओं का शोषण करने की व्यवस्था कर ली है। निवेश के लिए पूंजी कहां से आती है ? वे निगमित क्षेत्र पर कर लगाने से इनकार कर रहे हैं। वित्त मन्त्री कह रहे थे कि ये मारवाड़ी घराने तथा बड़े घराने विरोध कर रहे हैं। मुझे याद है, मेरे एक मित्र थे जो एक राष्ट्रीय स्तर के दैनिक पत्र में काम करते थे, वह उप-संपादक थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया :

बजट प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही, मालिकों, उद्योगपतियों के निदेश थे "आप अपना संपादकीय यह कहते हुए तैयार करें कि इससे निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; इससे उत्पादक हतोत्साहित होंगे।" इस प्रकार यह कार्य कर रहे हैं। सभी अपने मन में अच्छी तरह जानते हैं कि वित्त मन्त्री जी किसके लिए कार्य कर रहे हैं। यह भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने के लिए बजट बनाया गया है। अन्तिम रूप से कौन लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ? गरीब लोग ही। अमीर लोग तो और अधिक सम्पत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन वे कहते हैं : बिजनेस की हालत बहुत खराब है। वे और अधिक सम्पत्ति इकट्ठी कर लेते हैं और साथ-साथ सरकार को गाली भी देते हैं। यह उनकी चाल है। लेकिन तथ्यों से यह मालूम पड़ता है कि धन कहां से आ रहा है।

मैं वित्त मन्त्री जी से, जो कि काफी जानकार व्यक्ति है, पूछना चाहता हूं कि यदि वे उत्पाद-शुल्क बढ़ाएंगे यदि वे घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेते हैं तो क्या ये अपकर्षक कर नहीं हैं ? घाटे की अर्थव्यवस्था स्वयं में ही अपकर्षक कर है। उधार भी सम्पत्ति का गरीबों से अमीरों को स्थानांतरण का ही एक रूप हैं। यह इसे जानते हैं। इन सभी उपायों को ये अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना रहे हैं। जबकि ये अप्रत्यक्ष करों से अधिक धन प्राप्त करेंगे, यह जानते हैं कि अप्रत्यक्ष करों का भुगतान गरीबों द्वारा किया जाता है। साधारणतया इनका अमीरों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि जब आप अप्रत्यक्ष कर लगाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका भार और प्रभाव करदाता पर ही पड़े वह उसे आगे अन्य लोगों के ऊपर भी डाल सकता है। ये किसको बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वह गरीबों के हित में कार्य कर रहे हैं ? पैसा गरीबों से आ रहा है और लाभ अमीरों को हो रहा है।

फिर वित्त मंत्री जी ने इस सदन में एक अत्यन्त रोचक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जिससे कि वे काले बाजार के मूल्यों को कानूनी मान्यता प्रदान कर सकें। पहले इन्होंने यह कह-

कर कि "आप अपने काले धन को हमें दे दें हम उसे सफेद धन में बदल देंगे।" अब वे कहते हैं, "हम काला-बाजारी पर नियंत्रण नहीं कर सकते; हमारा सट्टेबाजों और कालाबाजारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि हम काला बाजार के मूल्यों को कानूनी मान्यता दे रहे हैं।"

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि कोई सरकार सार्वजनिक रूप से इस नीति की घोषणा कैसे कर सकती है कि अब उन्होंने काला बाजार के मूल्यों को कानूनी-मान्यता दे दी है। माननीय वित्त मंत्री जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या आप नहीं समझते हैं कि मूल्य मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं और यदि पूर्ति में कमी है और मांग अधिक है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए मूल्यों पर नियंत्रण रखे ? आप मूल्य-नियन्त्रण करने में असफल रहे हैं। अब सीमेंट की एक बोरी 68 रुपये की हो जाएगी। यह काले-बाजार का मूल्य है। अब आप अपनी नीतियों से सीमेंट उत्पादकों को भारी मुनाफा कमाने का मौका दे रहे हैं। आप इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते ? आप सारे वितरण पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते ? फिर आप प्राथमिकता वाले क्षेत्र को निर्धारित करें। मेरे तर्क में वजन है; इसीलिए शायद वित्त मंत्री जी बाहर जा रहे हैं···

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं एक कप कॉफी पीने जा रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं तो आपके बजट के बाद से भूखा हूं।

वित्त मंत्री ने हमें बताया है कि उन्होंने निवेश के लिए ऋण लिया है। "ऋण" किन शर्तों पर ? आप पूछ रहे थे कि "क्या आप नहीं चाहते कि हम ऋण लें ?" हम कहते हैं, "हां लीजिए; यदि आवश्यक हो, ऋण लिया जा सकता है।' लेकिन आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऐसी शर्तों पर ऋण क्यों लेना चाहते हैं जिसमें सम्पूर्ण ढांचे में परिवर्तन करने पर ही सुविधाएं दी जाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है तो वित्त मंत्री जी, राज्य मंत्री जी मुझे बताइए कि आप किस प्रकार इस धन की अदायगी करेंगे। आप पहले से ही गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। आप जो ऋण ले रहें है उसे किस प्रकार अदा करेंगे ? और अर्थव्यवस्था की हालत भी अच्छी नहीं है।"

उपाध्यक्ष महोदय : एक छोटा सा सुधार करना है; यह वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक दिन इनको राज्य मन्त्री के पद पर पदोन्नति हो जाएगी।

फिर मैं इस सकार की गम्भीरता के विषय में प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये 20-सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। क्या मैं इस प्रश्न को पूछ सकता हूं ? 20-सूत्री कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले प्रधान मन्त्री जी ने क्या सदन से सलाह लेने की जोकि नीति-निर्माण की सर्वोच्च संस्था है ? उन्होंने इसे बनाया। मैं नहीं जानता उन्होंने किससे सलाह ली। लेकिन 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में हम, सदन के सदस्यों से सलाह नहीं ली गई थी। मैं इस सरकार की निष्ठा को चुनौती देता हूं। 20-सूत्री कार्यक्रम में आपने भूमि-सुधार की बात की है, आपने फालतू पड़ी भूमि के वितरण की बात की है। लेकिन पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा हाल ही में भूमि-सीमा के सम्बन्ध में किए गए संशोधन के बारे में क्या हुआ ? वह विधेयक राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज में पड़ा हुआ है। जब एक राज्य सरकार निष्ठा के साथ सामने आती

है और कहती है कि हम भूमि सुधार को लागू करने के लिए तैयार है; हम फालतू पड़ी भूमि का वितरण करने के लिए तैयार हैं, तब श्रीमती गांधी की सरकार रास्ते में रोड़ा बनती है। क्या आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे ? क्या हम आपकी निष्ठा के बारे में शंका व्यक्त नहीं कर सकते ? पश्चिम बंगाल सरकार का विधेयक इतने लम्बे समय से राष्ट्रपति के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जो कुछ आप कहते है, आप उसके प्रति गम्भीर नहीं हैं ?

मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या योजना केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों का ही विषय नहीं है ? यहा केन्द्र क्या कर रहा है ? वे राज्यों को उनके संसाधनों से वंचित कर देना चाहते हैं। पहले, मुझे याद है 1957 में, तम्बाकू जैसी कुछ मदों पर बिक्री कर लगाने के राज्यों के अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। अब आप अन्य मदो पर बिक्री कर लगाने के राज्यों के अधिकार को छीन लेने की योजना बना रहे हैं। आपने एक समिति नियुक्त की है। आप जानते है कि जब आपके मुख्य मन्त्री दिल्ली आते हैं तो वे किसी चीज का अध्ययन नहीं करते; सीधे एयरपोर्ट से ही, कागजात देखे बिना वे प्रधान मन्त्री की स्तुति करना आरम्भ कर देते है "हमारी प्रधान मन्त्री जी ने क्या महान कार्य किया है।" आपके पास आपके जी-हजूरी करने वाले हैं। क्या यह सच नहीं है कि आम राज्यों को उनके संसाधनों से वंचित कर रहे हैं और आप राज्यों को मजबूर कर रहे हैं कि वे ओवरड्राफ्ट का सहारा लें ? सभी राज्य ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप पश्चिम बंगाल की सरकार को इसमें शामिल न करें। कांग्रेस-आई शासित सभी राज्य ऐसा कर रहे हैं। आपकी घाटे की अर्थव्यस्था है। और आप राज्यों से शक्तियां छीन रहे हैं। वे कुछ कल्याण कार्यों के लिए वचनवद्ध हैं। लेकिन आप उन्हें उनके धन से वंचित रख रहें हैं। आप विशेष उत्पाद शुल्क वसूल कर रहे हैं। आप नियंत्रित-मूल्यों को बढ़ा रहे हैं। योजना-आयोग भी राज्यों से गम्भीर रूप से सलाह नहीं लेता। जब पश्चिम बंगाल जैसा कोई राज्य योजना आयोग से सलाह-मशविरा करने का प्रयास करता है, तो वे बिलकुल भी बातचीत नहीं करते। निर्णय लेने की सारी प्रक्रिया में, आप राज्यों के मुख्यमन्त्रियों से कब सलाह लेते हैं ? आप राज्यों की आवश्यकताओं पर कहां ध्यान देते हैं ? आप केन्द्रीय प्रशासन की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी अधिकारो को केन्द्र द्वारा अपने कब्जे में रखने के लिए उन्हें राज्यों से वापिस ले रहे हैं। आप राज्यों से वित्तीय शक्तियां छीन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि, हमारे जैसे विशाल देश में जहां विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, इस प्रकार की केन्द्रीकृत योजना, इस प्रकार केन्द्रीकृत प्रशासन, ऊपर से इस प्रकार के निर्णय, आपकी योजनाओं को सफल बना सकते हैं ? मेरा विश्वास है, ऐसा नहीं हो सकेगा।

अब मैं आपकी आर्थिक नीति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह वह नीति है जो बड़े जमींदारों की सहायता कर रही है। जब आप किसानों और उर्वरकों की बात करते हैं, उन कृषि मजदूरों के बारे में क्या कहते हैं जो कि वास्तविक उत्पादक हैं ? सदन के कुछ सदस्य यहां यह कहते हैं कि वे किसान हैं। मैं उनके हाथ देखना चाहता हूं, उनमें से कितने अपने खेत जोतते हैं। कृषि मजदूर ही खेत जोतते हैं। और उनकी क्या हालत है ? उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है ? आप उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं जो वास्तव में खेती करते हैं, जो खेती के पीछे वास्तव में लगे हुए

हैं। आप बड़े जमींदारों के बारे में ही सोचते हैं क्योंकि आप सभी बड़े जमीदार है और आप उन लिए अधिक धन चाहते हैं।

आप कृषि-उत्पादन में बढ़ोत्तरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं आपसे यह प्रश्न पू सकता हूं ? क्या यह आपकी ही रिपोर्ट नहीं है कि हरित क्रांति केवल हरियाणा, पंजाब औ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमित रूप में सफल रही है ? शेष भारत के बारे में क्या स्थिति है और आप केवल गेहूं उत्पादन में ही सफल रहे। चावल के बारे में क्या स्थिति है ? मूंगफली औ तिलहन जैसी अन्य कृषि मदों के बारे में क्या है ? उन मदों के उत्पादन के बारे में क्या हो रह है ? आप केवल गेहूं उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं। यह भी केवल गेहूं की एक किस्म के कारण थी। और जिस हरित क्रांति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह केवल हरियाणा, पंजा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। (व्यवधान)

बाकी देश के बारे में क्या स्थिति है ? आप योजना-कागजातों को देखिए। अन्य भाग में प्रति एकड़ उपज क्या है ? मेरा विश्वास है कि जब तक वास्तविक भूमि-सुधार नहीं होंगे और हल जोतने वाले को भूमि नहीं मिलेगी, तब तक हमारे देश का वास्तविक विकास नहीं हो सकता सत्तारूढ़ दल के अपने दोस्तों के हित के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जापान में भी सामन्तवा अमरीकियों द्वारा जिन्होंने जापान पर कब्जा कर लिया था समाप्त कर दिया गया—मैकआर्थ ने इसे किया। भूमि हल जोतने वाले को दे दी गई। जापान पूंजीवादी देश होते हुए भी ऐसा कैसे कर पा रहा है। जापान ने क्या किया है—मैं समाजवादी देशों की बात नहीं कर रहा हूं—आप ऐसा यहां नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा उत्पादन है जो आप करने योग्य हैं ? यह आप बड़े जमींदारों को और अमीर बनाकर करते हैं। वे वह व्यक्ति हैं जो बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वे वह व्यक्ति हैं जो उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिसंख्य किसान गरीब हैं और वे विपदग्रस्त हैं। आप उनके बारे में नहीं सोचते।

उद्योग में क्या हो रहा है ? आपके पास मजदूरों को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधि नियम और अनिवार्य सेवाएँ बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम हैं। क्या आप जानते हैं कि तालाबंदी के कारण भी उत्पादन में रुकावट आई है ? क्या आप जानते हैं कि कई बड़े और मध्यम एकक हैं जो कि प्रबन्धकों के कपटपूर्ण कार्यकलाओं के कारण आर्थिक संकटग्रस्त हैं, लघु उद्योगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कि उत्पादन में रुकावट मजदूरों की हड़ताल के कारण आई आप नियोजकों उद्योगपतियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो तालेबन्दी के कारण हजारों श्रमिकों को भूखा रखते हैं ? आपके पास उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके बावजूद जो आप कर रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं वह खतरनाक बात है। वह बात यह है। यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, जमींदारों को छूट दीजिए। यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कालाबाजारियों के क्रियाकलापों को कानूनी मान्यता दीजिए। यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो रोजी कमाने वालों को दबाइए। यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, मजदूर वर्ग पर आक्रमण करिए। यही वह तरीका है जिससे ये हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा निष्कर्ष यह है कि यदि यह सरकार सामाजिक और संस्थागत ढांचे में बुनियादी परिवर्तन के बा

में गम्भीरतापूर्वक सोच नहीं सकती और जब तक यह सरकार विदेशी एकाधिकारवादियों जो कि हमारे देश को चूस रहे हैं, उन्हें सुधारने से इनकार करती है और जब तक ये एकाधिकारवादी घरानों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती और जब तक ये वास्तव में कोई बुनियादी भूमि-सुधार नहीं करती हमारे देश की उपज में बढ़ोत्तरी नहीं, हो सकती।

उस दिन श्रीमती गांधी कह रही थीं कि विरोधी पक्ष के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं यहां पर उनके अज्ञान का साझेदार बनना नहीं चाहता। वे अपना अज्ञान अपने पास ही रखें। क्या वे नहीं जानतीं या उनके दल के कुछ सहयोगी नहीं जानते कि हमारे पास एक कार्यक्रम है ? आपके पास कार्यक्रम नहीं है। आपके पास वोट खींचने के लिए केवल नारे हैं। हमारे पास कार्यक्रम है। यदि आप वह कार्यक्रम चाहते हैं, विदेशी-एकाधिकारी कम्पनियों का राष्ट्रीकरण कीजिए। आपके पास सम्पत्ति होगी। यह आवश्यक नहीं है कि आप गरीबों पर कर लगाएं। आप वह सम्पत्ति प्राप्त कर लेंगे जो कि विदेशी एकाधिकारवादी कम्पनियां ने जमा कर रखी है।

आप उन एकाधिकारवादी घरानों का राष्ट्रीयकरण करिए जो भारतीय लोगों का खून चूस रहे हैं। आप उनकी परिसम्पत्तियां निवेश के लिए अपने हाथ में लें। और तत्पश्चात आप भूमि सुधार करें। उत्पादन में वृद्धि होगी। किन्तु मैं जानता हूं कि सरकार के वर्ग चरित्र के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहां पर उनके संरक्षण के लिए बैठे हैं। आप एकाधिकारवादियों से मुनाफे को बढ़ाने के हक में हैं।

प्रो० रंगा आपने स्वतंत्रता अन्दोलन में भाग लिया। आप स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े। क्या आप नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लोग हमारा शोषण न करें ? क्या आप नहीं चाहते थे कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग करें और अपने लोगों को लाभ पहुंचाए ? पर अब आप यह कौन सा देश भक्ति का कार्य कर रहे हैं ? आप अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को यहां आने की अनुमति दे रहे हैं जिससे हमारे संसाधनों का शोषण हो रहा है और भारतीय लोगों का खून चूसा जा रहा है। आपने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केवल यही किया है। अब टाटा और बिड़ला विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिल गए हैं। इस प्रकार विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय एकाधिकार घरानों द्वारा मिल कर शोषण किया जा रहा है।

आप लोगों को खुश करने के लिए उनसे समाजवाद की बातें करते रहिए क्योंकि श्रीमती गांधी ने कहा था, "मैं समाजवाद की बात इसलिए करती हूं क्योंकि लोग इस बारे में सुनना पसन्द करते हैं।" वह इसमें विश्वास नहीं करती हैं। और आजकल आप इस सम्बन्ध में बात भी नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल लोग अपनी बात पर केवल हंस देते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, अब आप अपना भाषण समाप्त करिए :

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसलिए, मैं कहूंगा कि तमाम बजट ही अर्थहीन है। यह, बहुराष्ट्रिक कम्पनियों और एकाधिकारवादियों को भारतीय लोगों को लूटने की खुली छूट है और यह बजट और सम्पूर्ण आर्थिक नीति बहुराष्ट्रिक कम्पनियों, एकाधिकारवादियों और बड़े जमींदारों को और अधिक अमीर बनाएगा और उन्हें एक नया मित्र मिला है। पहले वे कालाबाजारियों और तस्करों की आलोचना किया करते थे। अब वे उनके सहयोगी हैं। उन्होंने उनकी सारी करतूतों पर कानूनी जामा पहना दिया है और बहुत से और शायद अधिकांश लोग उनके दल में भी हैं।

अन्त में, मैं एक बात कहूंगा। क्या आप तस्करों, कर अपवंचकों आदि के सम्बन्ध में गम्भीर हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं कि संचिता नामक फर्म है। यह कपटपूर्ण गतिविधियों में संलग्न है। आप जानते हैं कि यह जमा के ऊपर 48 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करती है। इसमें कुछ मंत्री भी शामिल थे। उन्होंने चुनावों के दौरान धन लिया। मामला सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त मंत्री ने आपके द्वारा यहां पारित किए गए विधेयक का लाभ उठाते हुए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाही। आप देखिए कि यह सरकार कितनी बेईमान है। उन्होंने विधेयक पारित किया। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की, तो वह सर्वोच्च न्यायालय चली गई। सत्ताधारी दल के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल थे। संचिता का मामला बिल्कुल धोखाधड़ी का था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संस्था के कार्य-कलापों की जांच की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र सरकार पर दबाव डाल रही है परन्तु इसने कुछ नही किया है। रिजर्व बैंक ने भी कुछ नहीं किया है। यह लोग इस सरकार की नीति द्वारा निर्भीक हो गए हैं। क्या आपकी कथनी और करनी एक है? आप संचिता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या आप कालाबाजारियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने नहीं जा रहे है? आपने हमें कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग कालाबाजारियों के विरुद्ध किया जाएगा। अब आप इसे राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष स्वरूप मैं यही कहूंगा कि यह सरकार धोके से सत्ता में आई है। यह सरकार धोखा दे रही है। यह सरकार गिरेगी क्योंकि लोग उनकी धोखाधड़ी को जान जाएंगे और उन्हें सत्ता से बाहर फेंक देंगे।

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स फार ग्रांट्स का बिल रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अपने देश के डवलपमेंट के लिए हमें बहुत से क्षेत्रों में ठीक ढंग से कार्य करना है, इसको देखते हुए यह जो धन की मांग की गयी है, वह समयानुसार है।

सामान्य बजट पर चर्चा के समय इस विषय पर बहुत चर्चा की गयी और बहुत से हमारे साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये परन्तु मैं इन सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं।

मैं उन क्षेत्रों के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देना चाहता हूं जो देश के पिछड़े भागों से जुड़े हुए हैं। ये हमारे देश के पिछड़े हुए आदिवासी जिले हैं जिन पर कि ठीक ढंग से ध्यान दिये जाने की वजह से वहां के लोग अपने सामान्य जीवन में देश की प्रगति में सही ढंग से योगदान नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते है कि यह जो बजट लाया गया है इसमें देश के चतुर्दिक् विकास के लिए धनराशि रखी गयी है।

हमारे देश में ज्यादा जनसंख्या मजदूरों और किसानों की है। परन्तु हम देखते हैं कि उनके चतुर्दिक् विकास के लिए जो प्रावधान किये जाते है उनसे उनका कोई खास फायदा नहीं हो पा रहा है। किसान लगातार अपने कृषि कार्य करते आ रहे हैं। सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि बैंकों के माध्यम से उनको ऋण दिये जाएं और वे अपना उत्पादन और बढ़ाएं। किसानों को इस व्यवस्था का फायदा कोई नहीं मिल रहा है। उनको जितनी राशि बैंकों से मिलती है, उसके

लिए उन्हें इतनी अदायगी करनी पड़ती है कि वे उस ऋण की पूरी अदायगी नहीं कर पाते हैं जिसके कारण किसानों को बहुत आर्थिक क्षति पहुँचती है। उनका कर्जा बढ़ता जाता है और किसानों को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी प्रगति वे नहीं कर पाये हैं। उनके ऋण और ब्याज की राशि निरन्तर बढ़ती जा रही है। उत्पादन जरूर बढ़ा है, लेकिन उनको जिस तरह से ऋण दिया जाना चाहिए, वह सही ढंग से और समय पर नहीं दिया जा रहा है।

इसी प्रकार से हम देखते हैं कि देश में बहुत उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों को इससे पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं।

इसी प्रकार से जो पिछड़े प्रदेश या जिले हैं, जो उत्पादन की दृष्टि से देश को आर्थिक मदद पहुँचाते हैं, उनकी तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। जहां के जंगल साफ कर दिए गए हैं और वहां की लकड़ी देश के विकास में काम आ रही है, लेकिन उन क्षेत्रों के विकास के लिए वहां पर एक भी कारखाना नहीं लगाया गया है।

इसी प्रकार से जहां पर कोयला, लोहा आदि प्राप्त होता है, वहां से कच्चा माल दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता है, लेकिन वहां के निवासियों को नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जमीन ले ली जाती है और उसके बदले में उस क्षेत्र में कोई उद्योग आदि नहीं लगाए जाते हैं। इस प्रकार से वह प्रदेश और जिला पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। ऐसे क्षेत्रों में रेलवे लाइनें भी पूरी तरह से नहीं डाली गई हैं, जिससे कोयला आदि समय पर गंतव्य स्थानों को नहीं पहुँच पा रहा है। देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से उन क्षेत्रों का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पा रहा है।

इन बातों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स के अवसर पर ऐसे प्रदेशों के बारे में ध्यान रखा जावे।

कृषि के क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से जो ऋण दिया जाता है, उससे हमारा अनुभव यह है कि किसान ऋणग्रस्त हैं और कई साल निरंतर मेहनत करने के बावजूद अपने ऋण की अदायगी नहीं कर पा रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी फसल बीमा योजना लागू की जाए, क्योंकि कृषि के लिए भी सरकार द्वारा खाद, बीज आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए फसल बीमा योजना कायम की जाए। ताकि उनकी जो फसल है वह ठीक से पैदा हो सके और सरकार को जितनी उनको रकम देनी है उसको अदा करके बाकी जो बचता हो वह किसानों को फायदे के रूप में मिल सके।

हम जंगल में भी देखते हैं कि बहुत सी लकड़ी या खनिज बाहर निकाल ली जाती है ठेकेदारों द्वारा, लेकिन जंगलों में बसने वाले लोगों को निस्तार के लिए अनुमति नहीं है, वह अपने रोजाना जरूरत के लिए उन जंगलों में पायी जाने वाली चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहां के जो रहने वाले लोग हैं वह देश की प्रगति में वन उपज के माध्यम से देश को संपदा दे रहे हैं, वहीं उनका दैनिक जीवन दुखमय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स हैं

इनमें कुछ ऐसा प्रावीजन उन क्षेत्रों के लिए भी रखा जाय ताकि वहां के निवासियों को भी कुछ लाभ पहुंच सके।

बस मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मेरे मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने पहले ही कुछ कहा है। वास्तव में यह पूंजीपतियों द्वारा, पूंजीपतियों के लिए पूंजीपतियों की सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती से आगे जारी है ?

श्री नारायण चौबे : जी हां, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। महोदय, सरकार, बचतों, निवेशों और उत्पादन के लिए संसाधनों का तैयार करना चाहती है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सरकार चाहती है कि वित्त मन्त्री यह कार्य करें। संसाधनों को तैयार करने के सम्बन्ध में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां प्रधान मन्त्री के रूप में थे तो उन्होंने भारत में काले धन का अनुमान लगाने के लिए काल्दर को आमंत्रित किया। इन दिनों, उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार कालेधन को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई बात भी नहीं करती है। इस सम्बन्ध में पूर्ण चुप्पी है। स्वाभाविक है कि कालाधन दिनों दिन बढ़ रहा है और काफी बड़े अनुपात में पहुंच गया है। अभी हाल ही में मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था। इसमें यह बताया गया था कि 1980-81 में हुए कुल उत्पादन का 48.2 प्रतिशत मात्र कालेधन से हुआ। मैं नहीं जानता कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या करेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि तथ्य यह है कि कालेधन को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। निःसन्देह धारक बांडों द्वारा कुछ कालाधन सफेद बनाया गया है। किन्तु अभी भी कालाधन पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चला रहा है। सरकार इस मामले में चुप है।

रोजगार के सम्बन्ध में, आप प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के पूरे होने पर एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं और बेरोजगारी और भी बढ़ जाती है। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से अधिक पहुंच गई है। हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने अथवा एक साल से काम कर रहे हैं और जिन्हें रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में दाखिल नहीं किया गया। हम नहीं जानते किन्तु वे जानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या कई करोड़ है। इन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं समझता हूं कम से कम पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने अपने सीमित साधनों में से कुछ मदद करना आरम्भ किया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि भारत सरकार उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। वे उन्हें कुछ बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। वे भारत के पंजीकृत बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अवश्य जानते होंगे कि आपके अपने राज्य में ऐसे कितने बेरोजगार हैं। यही स्थिति कांग्रेस सदस्यों और माननीय मन्त्रियों के क्षेत्र की है। कुछ समय पूर्व उन्होंने खड़गपुर में 128 पद भरने के लिए विज्ञापन दिया जिसके लिए 32,281 लोगों ने आवेदन दिया। इन 128 पदों के लिए लोग आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों जैसे इलाकों से आए। उन्होंने इसके लिए टिकटों के रूप में लाखों रुपए व्यय किए होंगे। सरकार को समय रहते कुछ करना चाहिए।

माननीय वित्त मन्त्री, श्री प्रणव मुखर्जी जनता नेताओं का उल्लेख कर रहे थे क्या उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में समझौते करने के मामले में जनता तथा कांग्रेस (आई), दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं कि वे साधारण व्यक्ति के लिए कार्य कर रही हैं किन्तु हम जानते हैं कि उन्होंने इन तमाम वर्षों में क्या किया है . एक साधारण व्यक्ति के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार अथवा जनता नेताओं के बीच कोई अन्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बुर्जुआ सरकार की व्याख्या कर सकते हैं ?

श्री नारायण चौबे : जी, हां; आप इसकी व्याख्या क्यों चाहते हैं ? क्या आप इसे अपनी आंखों से नहीं देखते हैं ?

मुहावरा यह है कि किसी भी बात को जानने के लिए स्वयं करना आवश्यक है। इन तमाम वर्षों में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं ? निःसन्देह रूप से कुछ क्षेत्रों में कुछ धन व्यय किया गया है और कुछ सीमा तक सुधार भी हुआ है किन्तु, आपने पिछले 35 वर्षों में अथवा पिछले 2 वर्ष, जबसे आप सत्ता में आए हैं आम आदमी के सुधार के लिए कुल मिलाकर क्या किया है ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

आज करोड़ों लोग अपोषित और अल्पपोषित हैं। उनके फार्मूला के अनुसार कुल जनसंख्या का 51% गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। किन्तु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में यह इससे भी अधिक होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्ति 59 प्रतिशत हैं।

श्री नारायण चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी शहर का दौरा करें। आप कृपया दिल्ली का ही दौरा करें जहां एशियाई खेलों की परियोजनाएं तैयार हो रही हैं। कई पंच तारा होटलों और बहुमंडली इमारतों का निर्माण हो रहा है। कृपया उन मजदूरों की दुर्दशा देखें, जो यह इमारतें तैयार कर रहे हैं। वे कहां सोते हैं, क्या खाते हैं और उनका निजी जीवन क्या है ? यह आपके निवास स्थल से अधिक दूरी पर नहीं है। दिल्ली में लगभग एक लाख, कलकत्ता में लगभग चार लाख तथा बम्बई में पांच लाख लोग फुटपाथ पर रहते हैं। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है अधिकाधिक बहुमंजिल होटल तथा इमारतें बनती जा रही हैं और उसके साथ-साथ फुटपाथ पर रहने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

और स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य मन्त्री, संसद सदस्यों अथवा अन्य मन्त्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं किन्तु, करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। उसकी दशा आम जनता की दशा अनाथ बच्चे के समान है। उनके लिए न तो दवाएं हैं और न ही डाक्टर हैं। महोदय, आप तमिलनाडु से हैं और मैं वहां की स्थिति के सम्बन्ध में नहीं जानता। यदि आप भारतवर्ष के किसी हिस्से में जायें, आप देखेंगे कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पूर्ण रूप से असफल रही है।

तब, हमें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि संसार में सबसे अधिक लोग अनपढ़ की संख्या भारत में है। हमारा देश बहुत विशाल देश है और इसकी जनसंख्या 70 करोड़ है, और अभी तक हमने इस समस्या को समाप्त करने के लिए इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ राज्यों जैसे केरल में यह स्थिति कुछ बेहतर है, जहां साक्षरता का प्रतिशत 34-35% है, या पश्चिम बंगाल में, जहां साक्षरता का प्रतिशत 2 % है, परन्तु लगभग सारे भारतवर्ष में, निरक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनपढ़ लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और आपकी इतने सालों में यही उपलब्धि है।

यही बात सही रूप से बताई गई है कि भारतवर्ष में मजदूरों को अपना उचित हिस्सा नहीं मिल रहा। इस वर्ष फिर, कोयला, इस्पात और अन्य उद्योगों के मजदूरों के साथ समझौता होगा और हमें सरकार के रवैये का पता नहीं है। उन्होंने अपने रवैये के बारे में पहले से ही बता दिया है, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को जैसे तैसे रोक लिया है; वे बाकी की पूरी राशि नहीं दे रहे हैं वे इसे भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं। मजदूरों को भी अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई वेतन आयोग नहीं बैठाया जाएगा। निस्संदेह, केन्द्र सरकार के अधिकारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया गया है; उन्हें 630 रु० से लेकर 900 रु० तक का महंगाई भत्ता मिलेगा। परन्तु सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई वेतन आयोग नहीं बैठाया जाएगा।

जब मजदूर वर्ग अपने अधिकारों और न्याय की मांग करता है, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम बना लिए हैं। आप यह देखना चाहते हैं कि मजदूरों के हितों का ध्यान न रखकर उत्पादन चक्र अधिक पूंजीवादी तरीके से चले। मजदूरों को संतुष्ट करने की बजाए, आप उन्हें पीटना, जेलों में बंद करना और नौकरी से बर्खास्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं आपने जो कुछ रेलवे में किया, और आपने हाल ही में बहुत से क्षेत्रों में हुई 19 जनवरी की हड़ताल के दौरान जो कुछ किया। यही आपकी नीति है। वास्तव में मजदूरों के लिए आपका यही नुस्खा है।

अब किसानों के बारे में भी ऐसा ही है। जब योजना आयोग ने द्वितीय योजना पर काम करना शुरू किया था, तो कार्यसूची में भूमि-सुधार भी एक विषय था; इसका प्रमुख स्थान था। हम कम्युनिस्टों ने भूमि सुधार का समर्थन किया क्योंकि हम जानते हैं कि लाखों लोग गांवों में रहते हैं। यदि ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो भूमि सुधार होना चाहिए और केवल भूमि सुधार ही गांवों की क्रय-शक्ति बढ़ा सकते हैं। और यदि उनकी क्रय-शक्ति बढ़ती है, तो क्या कारखानों में उत्पादन बढ़ सकता है ? यही विज्ञान है।

परन्तु यह हैरानी और निराशा की बात है कि अब भू-सुधारों के बारे में बिल्कुल चुप्पी है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पास किया गया भू-सुधार विधेयक जो केन्द्र को भेजा गया था, वह गत दो वर्ष से आपके पास पड़ा है। भूमि सुधारों के बारे में कुछ नहीं किया गया आप भूमि सुधारों की बात करते हैं परन्तु जमींदारों को संरक्षण देते हैं। अब भूमि सुधार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कृषि मजदूरों के बारे में, आप कुछ नहीं कहते। कुछ राज्यों में, उनके लिए

न्यूनतम मजदूरी 5 रु० है, और कुछ राज्यों में 5.50 रु० है। उनको वह मजदूरी भी नहीं मिल रही, उनके भूमि लेने की तो बात ही क्या। उनकी मजदूरी ही बहुत कम है।

'सनडे' पत्रिका ने यह प्रमाणित किया है कि बिहार के मुख्य मंत्री का एक फार्म है, और यद्यपि बिहार में कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 5.50 रु० है, वह महान मुख्यमंत्री प्रति मजदूर केवल 2 रु० देता है। महोदय इससे अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुर्जुआवाद क्या है और बुर्जुआवादी सरकार क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मि० चौबे इसे समझते हैं तो मुझे खुशी है।

श्री नारायण चौबे : मैं हरिजनों की हत्याओं के बारे में नहीं कहूंगा। कांग्रेस के एक सदस्य द्वारा एक बात बहुत सही ढंग से कही गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से, आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है? क्या उन्होंने बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना, उड़ीसा में मयूरभेज और मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों को देखा है? इन क्षेत्रों में, भारत में हमारा अधिकतम धन जमीन में छुपा हुआ है। परन्तु भारत का सबसे गरीब व्यक्ति इन इलाकों में रह रहे है। क्या आप कुछ करेंगे, विशेषकर, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में?

वहां क्या हालात है। आप वहां लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और वहां के आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि यह सरकार उनके लिए कुछ उपाय करेगी। यद्यपि सरकार से हमारे कई झगड़े हैं, यदि वे इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाते हैं तो, हम उनको अपना सहयोग देंगे।

जब आम व्यक्ति, देश में मेहनत करने वाले व्यक्ति की यह दशा है, बहु-राष्ट्र कम्पनियों एकाधिकारवादी व्यापारी और नौकरशाही को उनका लाभ मिल रहा है।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं। हर जगह लोग काले धन की बात करते हैं। हां, इस देश में काला धन है और इस धन को निकाला जाना चाहिए। मुझे इस बात का पता नहीं कि आप इसके लिए क्या करेंगे। इन दिनों एक और बात हुई है। काला धन ऊंचे पदों पर बैठे हुए सरकारी अफसरों द्वारा कमाया जा रहा है। एक व्यापारी या एक पूंजीपति को कुछ कमाने के लिए कुछ धन लगाना पड़ता है, परन्तु विभिन्न विभागों में बैठे हुए इन बड़े अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर करने पर मेरे कारखाने की शुरुआत निर्भर है, उनके हस्ताक्षर करवाने के लिए बहुत धन बटोरा जा रहा है। यदि आप उनकी सरकारी हैसियत की जांच करें कि उनकी आय कितनी है और वे कितना खर्चा करते हैं, आपको उनकी आय और व्यय के बड़े अन्तर का पता चलेगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस समस्या की ओर भी ध्यान देगी।

अन्त में, मंत्री महोदय आशा करते हैं कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है वे उस पर चलकर भारत की दशा में परिवर्तन करेंगे। मैं मानता हूं कि भारत की प्रगति का यह रास्ता नहीं है। हम एक कगार पर खड़े हैं। हम गिर रहे हैं। जो भी रास्ता है, परन्तु यह केवल प्रगति का पूंजीवादी रास्ता है जो उस स्थिति के ओर ले जाता है जहां पर हम आ खड़े हुए हैं। यदि हम

इस रास्ते को नयी दिशा में बदलना चाहते हैं तो हमें यह तरीका छोड़ना होगा, अन्यथा, कोई विकल्प नहीं है। बजट में चाहे कितने ही अच्छे प्रावधान हो जाएं, इन प्रावधान का कोई लाभ नहीं होगा, हमें इस बात का भी पता है कि आम लोगों पर और अधिक कर लगेंगे। इस बजट से गरीब और गरीब हो जाएगा।

मैं सारे देश को विश्वास दिला सकता हूं और इस सरकार को बता रहा हूं कि निकट भविष्य में मजदूर वर्ग आपको छोड़ेगा नहीं। आप कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, आपकी प्रतिष्ठा गिरने वाली है। मैं इस बात को जानता हूं कि मजदूरों, किसानों, कृषि मजदूरों, लाखों लोगों पर हमला करने पर, वे उठेंगे और आपका मुकाबला करेंगे, और वे दिन दूर नहीं जब वे इस पूंजीवादी रास्ते से हटने के लिए मजबूर कर देंगे या इस देश में ऐसी सरकार लाएंगे जहाँ उनकी बात आसानी से सुनी जाएगी। हम उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं जब आम लोग जो आपके साथ हैं आपकी नीतियों को नीचा दिखा देंगे। यदि आपकी नीतियां वर्तमान संदर्भ में नहीं हैं तो वे उन नीतियो को उखाड़ फेंकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

श्री कंवर भूषण (रायपुर) : समापति महोदय, वित्त मंत्रालय ने जो सप्लीमेंट्री बजट रखा है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

जहां तक इसकी आलोचना हो रही है, विरोधी पक्ष की ओर से, उसके अन्दर भी कोई विशेष तथ्य समझने का प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिलता है। एक आलोचना के लिए आलोचना के रूप में आलोचना हो रही है और जिन वक्ताओं के भाषण उन्होंने प्रस्तुत किए, उसके आधार से ऐसा लगता है कि वे ऐसी कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं से आलोचना करें। घाटे के बजट के सम्बन्ध में यह स्वयं महसूस करते हैं कि विकासशील देश के लिए यह बजट आवश्यक है। हम लोग उस देश के अन्दर हैं, जहां हमें औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है, जहाँ हमें खेती के विकास की आवश्यकता है, जहां हमें पानी और बिजली को उत्पादक स्थानों पर पहुँचाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से धन एकत्रित करके उनको विकास कार्यों पर लगायें। हम बाहर से भी पूंजी एकत्रित करते हैं, उत्पादन के साधन जिनके पास हैं उनसे मुहैया करके उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। विकासशील देश के लिए उसका स्वावलम्बी होना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि जो श्रमिक है, नीचे के लोग हैं, जो विकास में जुड़े हुए हैं, जिनका विकास में जुड़ना आवश्यक है, हम उसको स्वावलम्बी बनायें, मजबूत बनायें, उसके आधार पर हमारा देश स्वावलम्बी और मजबूत होगा। उस आधार से केवल हमें चिन्ता यह करनी है कि जो धन हम एकत्रित करते हैं, उसमें से सबसे नीचे के वर्ग के अन्दर हम कितना लाभान्वित कर सकते हैं। इसी दृष्टि से हमको देखना होगा। ऐसे समय में यदि हम यह दृष्टिकोण न रखें, अन्त्योदय का दृष्टिकोण न रखें, नीचे के वर्ग को पहले लाभ पहुँचे, ऐसा दृष्टिकोण न रखें, तो जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं उनमें ऊंचे वर्ग के लोग ज्यादा लाभान्वित होते जायेंगे और जो पिछड़ा वर्ग है वह पिछड़ा ही रह जाएगा। इसी दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, हम उन वर्गों की ओर, उन क्षेत्रों की ओर जो पिछड़े हुए हैं ज्यादा ध्यान देंगे।

मैं स्वयं भी एक पिछड़े क्षेत्र का निवासी हूं। मेरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ हरिजन तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जो उत्पादन की दृष्टि से, खनिज सम्पदा की दृष्टि से देश का हृदय स्थल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका विकास बहुत कम हुआ है। यदि हम ऐसे अनेक पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो सम्पन्न क्षेत्र ज्यादा सम्पन्न होते जायेंगे और पिछड़े क्षेत्र पिछड़े रह जायेंगे। मैं इस दृष्टि से वहां की स्थिति का थोड़ा सा वर्णन कर देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नगण्य है, जिसके कारण वह पिछले 10 वर्षों से लगातार अकाल-पीड़ित रहा है। वहां का किसान हिन्दुस्तान के अन्य भागों के मुकाबले सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वह आज बन्धुआ मजदूर के रूप में हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में छितरा हुआ है। यदि हम वहां पानी मुहैया करके उनको उत्पादन बढ़ाने में सहयोग दें तो उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ वे बाहर जाकर जो अपनी जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं, उनको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। उनको स्वावलम्बी बनाने के लिए आपको ज्यादा साधन वहां देने होंगे। हम एक तरफ कहते हैं कि धान का भाव, या अनाज का भाव उत्पादक किसानों को पूरा मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी चाहते हैं कि मंहगाई ज्यादा न बढ़े। खास कर विरोधी पार्टियों से मैं सुनता हूं। वे प्रायः दोनों आन्दोलन एक साथ चलाते हैं कि किसान को उचित मूल्य मिले साथ ही साथ उस वस्तु के दाम भी अधिक न बढ़ें यह कैसे हो सकता है? इसका एक ही तरीका है कि उत्पादन अधिक बढ़े और उत्पादन बढ़ाने पर हमको ज्यादा से ज्यादा जोर देना होगा, ज्यादा से ज्यादा साधन हमको उत्पादन बढ़ाने पर लगाने होंगे। मैं स्वयं एक किसान की हैसियत से इस बात को अच्छी तरह से महसूस करता हूं, आप उत्पादन की चाहे जितनी कीमत बढ़ा दीजिए, यदि उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो उस क्षेत्र के किसान की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कीमत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर किसान उसी क्षेत्र में डबल फसल ले सकता है, अपने धान, गेहूं या ज्वार की फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है, दो बार या तीन बार फसल ले सकता है तो उससे किसान सम्पन्न होगा और मजदूरों को भी दे सकेगा, उनकी स्थिति भी सुधर सकती है। आज वहां जो स्थिति है —वहां की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था बरबाद हो रही है, मजदूरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, रोज-ब-रोज की जिन्दगी बिताना असम्भव हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में 7 रुपया रोज मिनिमम-वेज खेत-मजदूरों के लिए निश्चित हुआ है, लेकिन हम उस क्षेत्र में दो रुपये या तीन रुपये भी देने में असमर्थ होते हैं और यही कारण है कि लोगों को वहां से भागना पड़ता है। यदि उनके संरक्षण की दृष्टि से भी देखें तो केवल कीमत निश्चित करने से काम नहीं चलेगा, उनकी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को भी बढ़ाना होगा।

इस बजट पर विचार करते समय हमें सामाजिक दृष्टिकोण को भी सामने रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, अन्त्योदय की दृष्टि से, नीचे के लोगों का उदय करना हमारा आधार है और हम उस दिशा में अवश्य आगे बढ़ेंगे। हमारे विपक्ष के एक सदस्य ने बंगाल और केरल का उल्लेख किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हरिजनों और आदिवासियों का नाम लेकर मैं हरिजन अत्याचार की बात नहीं कह रहा हूं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं— बंगाल का जो विकास हुआ है या केरल का जो विकास हुआ है, उसका श्रेय वे अकेले न लें, राष्ट्रीय परम्परायें और कांग्रेस की जो परम्परायें रही हैं, उस क्षेत्र में उनका शासन भी रहा है

और उसने यह विकसित क्षेत्र उनके हाथ में दिया । ये अकेले इसका श्रेय न लें । वहां संतों की जो परम्परा रही है, उसने वहां से छुआछूत दूर किया है और हरिजनों और आदिवासियों को खड़ा होने का मौका दिया । उसी आधार पर इस क्षेत्र में भी हमको काम करना चाहिए । मेरा यह निवेदन है कि जहां पर भी हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वे सामाजिक बुराई के कारण हो रहे हैं और उस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हमें अपना आधार बनाना होगा और उसके लिए प्रोत्साहन देना होगा । आपने यह भी देखा होगा कि जहां पर भी अधिक अत्याचार हरिजनों के ऊपर हुए हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं और इसका मुख्य कारण आर्थिक स्थिति है । इसलिए उन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, मुख्य रूप से उनकी हैसियत को मजबूत करने के लिए, आपको गावों में उनको बिजली देनी होगी, जमीन देनी होगी और मकान देने होंगे और उसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी ।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो बैंकों की आपकी व्यवस्था है, उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचाना होगा । आज उनको पैसा मिलने में कठिनाई होती है । हमने इस दिशा में काफी किया है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और विरोधी पक्ष के साथियों ने जो यह कहा था कि हम पूंजीपतियों को छूट दे रहे हैं, यह सही नहीं है । हमने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए किया था लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमें इस तरफ पूरे तरीके से ध्यान देना होगा । हमें यह देखना होगा कि हमने जिस उम्मीद से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, क्या बैंकों से नीचे के लोगों को ऋण मिल रहा है या नहीं ? उन लोगों को बैंकों द्वारा कर्ज देने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना होगा और खास कर आदिवासियों और हरिजनों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, जिनके लिए हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम हैं । हमने यह लक्ष्य बनाया है कि सारे देश में बिना मकान के कोई न रहे, यह कोई कम लक्ष्य नहीं है, देश के अन्दर कोई बिना मकान के न रहे, यह कोई कम बात नहीं है । सरहदों पर मरने के लिए जो सिपाही जाता है, उसके मन में यही चिन्ता रहती है कि मेरे घर वालों के पास कोई मकान नहीं हैं, जमीन नहीं है और वे मेरे मरने के बाद क्या करेंगे । 20 सूत्री कार्यक्रम ऐसे सिपाहियों को निश्चित करता है कि वे बहादुरी से लड़ें क्योंकि उनके रहते हुए और उसके बाद भी उनके परिवार के लिए मकान रहेगा और जमीन रहेगी । बैंक जो हैं, वे मकानों के निर्माण में अपनी सारी शक्ति लगाएं, जिससे गरीब लोगों को मकान मिल सकें । इसी आधार पर जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर किसानों को ऋण आसानी से मिल सके, ऐसी व्यवस्था बैंकों को करनी चाहिए । बाढ़ आने से या अकाल पड़ने से जो पैसा बैंकों द्वारा किसानों को दिया गया था, वह उसको वापस नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनको एक नया पैसा भी ऋण का नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे डिफाल्टर कहे जाते हैं । ऐसे समय में मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर भी आपको वही नीति अपनानी चाहिए जैसी उद्योगपतियों के लिए अपनाई जाती है । जो उद्योगपति अपना ऋण नहीं चुका पाता और उसके उद्योग के फेल होने की स्थिति आ जाती है, तो उसको दोबारा ऋण दिया जाता है और उसे खड़ा होने का मौका दिया जाता है । उसी आधार पर किसानों को भी आपको ऋण देना चाहिए । अगर अकाल के कारण, या ओले पड़ने के कारण फसल नष्ट हो गई है या किसी और कारण से वह अपना ऋण अदा नहीं कर सका, तो उस कर्जे के ब्याज को पूरी तरह

माफ कर देना चाहिए और उस कर्जे को अदा करने के लिए फिर से उसको ऋण देना चाहिए। उसको ऋण देकर आप उसे शक्तिशाली बनाइये। इससे वह अपनी खेती दोबारा कर सकेगा और ऋण अदा करने की स्थिति में होगा। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जो गरीब किसान है, जो भूमिहीन है, जो हाथ से मेहनत करने वाला आदमी है, उसने बैंकों से जो कर्ज लिया है उसको अदा कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा उसने हमेशा अदा किया है लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े जमीदार हैं या कट्रेक्टर हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने जो बैंकों से पैसा लिया है, उसको कम से कम अदा किया है। और इसलिए मेरा यह कहना है कि उनकी स्थिति को देखते हुए उनके ऊपर कोई बंधन कर्ज लेने के लिए नहीं होना चाहिए कि वह जमानतदार लाएं क्योंकि ऐसा होने से पूंजी वाले और दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए उनको आप ऋण मुहैया करें ताकि वे अपना कर्ज उतार सकें और अपना धंधा फिर से कर सकें।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए और नीचे के स्तर के लोग हैं, उनकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दें। यह जो बजट पेश किया गया है, यह एक संतुलित बजट है और पूर्ण रूप से अन्त्योदय का, समाजवाद का बजट है और इस बजट से हमने सिद्ध कर दिया है कि हम देश के विकास में नीचे के वर्गों के लोगों को ऊपर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं और हम अपने कार्यों द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि यह बजट नीचे स्तर वाले व्यक्तियों के लिए है।

इन शब्दों के साथ मैं यह जो बजट है, उसका समर्थन करता हूं।

रणजीत सिंह (चतरा) : सभापति महोदय, मैं 1982-83 के लिए प्रस्तुत की गयी बजट मांगों का समर्थन करता हूं। इसे देखने से पता चलता है कि देश के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए इनमें ध्यान दिया गया है। इससे पूर्व वर्ष में भी हमारे देश के उत्पादन में सर्वतान्मुखी वृद्धि हुई है। कोयले के उत्पादन में, एग्रीकल्चर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह ठीक है कि मंहगाई में भी वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, जहां तक हमारे देश की खेती के लिए सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, वे बहुत पीछे चली गयी हैं। ऐसा देखने में आता है कि बड़े बड़े डेम बनाने की जो योजनाएं बनायी गयी थीं, वे 10 से 12 वर्षों तक वाटर कमीशन रोके रखी जिसकी वजह से उन योंजनाओं को धक्का लगा और इससे उत्पादन में भी क्षति हुई।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहां के 80 प्रतिशत लोग किसान हैं। यहां की जमीन कहीं सुडौल है, कहीं पहाड़ी है और कहीं नीच ऊंच है। हमारे अफसरों की धांधली की वजह से हमारी सिंचाई योजनाओं के पूरा होने में काफी देर होती है। यह बात हमारी सरकार भी जानती है। इसका खेती पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

बिहार में मेरा क्षेत्र चतरा एक पहाड़ी इलाका है। वहां पर चार-चार डेम बनाने की योजनाएं बनायी गयी थीं। मौहाने रिजरवायर की योजना 1974 में बनाई गयी थी। मोरहर की डेम योजना 1952 में बनायी गयी थी। लेकिन उन योजनाओं को अभी तक क्रियान्वित नहीं

किया गया है। उनके बारे में कभी वाटर कमीशन से कमेंटस किये जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है, कभी स्टेट गवर्नमेंट से कमेंटस आता है कि वाटर कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र में लगातार दस से बारह वर्षों से अकाल पड़ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

हमारी सरकार इर्रीगेसन स्कीमों के लिए बजट में जो पैसा रखती है, उस पैसे का उपयोग होना चाहिए और उस पैसे के खर्च पर पूरी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

पलामू जिले में अमानत नदी पर डेम बनाने की योजना 1974 में बनायी गयी थी। उसका सर्वे भी हो गया है। सर्वे के लिये लोग वहां जाते हैं और घूम फिरकर चले आते है। हमारे क्षेत्र में ठाठी तलाई रिजरवायर योजना भी बनाई गयी थी। इस योजना के लिए वहां सभी सामान ईंट, पत्थर और सीमेंट रखा हुआ है लेकिन एक्जीक्युटिव अफसरों ने उस पर काम नहीं लगाया। इस तरह से वह योजना भी अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है।

हमारे प्रदेश बिहार में, मेरे क्षेत्र में चार नदियां—मोहाने, मौरहर, अमानत और ठाठी तिलाभी हैं जिन पर बांध बांधने की योजनाएं 1952 स बनायी गयी थीं उन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इस बारे में मैं इरीगेशन मिनिस्टर से भी कई बार कह चुका हूं लेकिन इन योजनाओं पर अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ। जिन इलाकों के लिए ये योजनाएं हैं वे सुखाड़ की चपेट में हैं। वहां पर जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं मिलता है। इस बजट में जो भी धन सिंचाई स्कीमों के लिए रखा गया है, उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए, यह मेरा सजेशन है।

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : पाण्डे जी तो बिहार के हैं, उनसे क्यों नहीं कहते ?

रणजीत सिंह : कई बार कह चुका हूं, इसलिए अब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं यह बिहार का एक ऐसा पिछड़ा इलाका है, जहां पर एक भी उद्योग नहीं लगाया गया है। वहां पर अधिकांश जनसंख्या हरिजन और आदिवासियों की है, लेकिन लोग भूखों मर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे पिछड़े इलाकों का हिन्दुस्तान भर की एक लिस्ट बनाई जाए और इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए ताकि यहां के लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके और लोगों को भूखों मरने से बचाया जा सके।

तीसरी बात सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि किसानों और मजदूरों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं लेकिन इन योजनाओं में बीस सूत्री कार्यक्रम भी लागू किया जाना चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम से इस देश में समाजवाद आ सकता है, लेकिन अधिकारी इसमें बाधक हैं। काम समय पर पूरा नहीं हो पाता और आफिसर अपने हाथ मजबूत कर रहे हैं।

इस संबंध में मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एन० आर० इ० पी० की योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू की गई है जहां पर नहरें हैं और मजदूरों के नाम पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता में बाधाएं पैदा की जा रही हैं। इसलिए मेरा

सरकार से सुझाव है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

जहां तक लैंड डेवलपमेंट और अरबन डेवलपमेंट का सवाल है, इस क्षेत्र में भी छोटे-छोटे किसानों की जमीन छीन ली गई है, लेकिन जो बड़े मठाधीश हैं, उनकी जमीनें नहीं ली गई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बड़े जमीदारों की जमीन लेकर मजदूरों में बांटी जाए।

सभापति महोदय, इस बजट में बहुत प्रोग्रेसिव काम के लिए ध्यान दिया गया है। बहुत से टैक्सों में छट दी गयी है। हैण्ड पंप और लाइफ सेविंग ड्रग्स तथा स्टील प्लांट के संबंध में छूट दी गयी है। लाइफ इंश्योरेंस की लांग टर्म स्कीम में छोटे लोगों को फायदा होगा। वैल्थ टैक्स की छूट को भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, इससे गरीबों की भलाई होगी।

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : माननीय सदस्य, यह सप्लीमेंट्री डिमांड है, बजट नहीं है, अब मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री रणजीत सिंह : बस मैं समाप्त कर रहा हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है, यह अच्छे उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन इस पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है ताकि कमजोर लोगों को पूरा फायदा मिल सके।

हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहां पर सुखाड़ है और कोई उद्योग वहां पर नहीं लगाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर कोई फैक्ट्री अवश्य लगाई जानी चाहिए। इतना कहकर ही मैं डिमांडस का समर्थन करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : चेयरमैन साहब, मैं इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स का समर्थन करते हुए कुछ बातें आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं।

जो मेडिकल हेल्थ से सम्बन्धित ग्रांट है (आइटम नम्बर 45) इसके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। 31.49 करोड़ रेवन्यू में और 12.09 करोड़ कैपिटल साइड पर आपने मांगा है। मैं अपने इलाके की कुछ प्रोबलम्स यहां रखना चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा हाल ही में मेरी कास्टीट्यूएंसी में कोई 120 बच्चे किसी मिस्टीरियस डिजीज से मर गये। इसी तरह से जन्स्कार इलाके में 70 आदमी बीमार हुए, मर गये। यह बात प्रेस में आयी है और मैंने इसका नोटिस भी दिया था लेकिन रेडमिट नहीं हुआ, वहां कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता नहीं चलता है। डाक्टर नहीं हैं जन्स्कार इलाके में। मालूम नहीं क्या हमारे इलाके में रहने वाले लोगों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। जन्स्कार 7 महीने के लिए कट आफ रहता है जम्मू और कश्मीर से और बाकी इलाकों से भी कट आफ हो जाता है। वहां एक डिस्पेंसरी है उसके लिए केवल 5,000 रु० प्रोवीजन एक साल के लिए स्टेट सरकार ने रखा है, जिससे 1 महीने का भी काम नहीं चलता है। 70 आदमी बीमारी से मर गये हैं और अक्तूबर से वहां कोई डाक्टर नहीं है। तो मैं केन्द्रीय सरकार से कहूंगा कि आप हर चीज स्टेट गवर्नमेंट पर न छोड़िये, आप भी कुछ तरीका निकालें जिससे हमारी मुसीबत हल हों। पैसा आप स्टेट सरकार को देते हैं लेकिन वहां सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे लोग मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर राज्य सरकार

कुछ नहीं करती, तो आप कुछ कीजिए। वहां पर शेख अबदुल्ला अंगूठा दिखाते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकिल 370 के तहत, और आप लोग तमाशा देख रहे हैं खामखवाह।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अंगूठा दिखाता है क्या यह पार्लियामेंटरी शब्द है ?

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : मैं कार्रवाई को देखूंगा।

श्री पी० नामग्याल : केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये। सारे हिमालयन रीजन में जितने लोगों ने कुरबानी दी है, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं दी। लेकिन आप हम ही को नेगलेक्ट कर रहे हैं। नैशनल कांफरेंस के एक वर्कर की रिपोर्ट है कि 120 आदमी कारगिल के इलाके में मर गए और 70 जांस्कार के इलाके में मर गए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कोई स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए।

संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से उस इलाके के लिये हमें दवाइयों के आठ बंडल मिले, वर्ना शायद वहां पर ढ़ाई तीन सौ, पांच सौ आदमी मर गये होते। उन दवाइयों ने बहुत से आदमियों की जान बचा ली है। लेकिन बदकिस्मती से वहां पर कोई क्वालीफाइड डाक्टर या मेडिकल आफिसर नहीं है। कम्पाउंडर से जो कुछ हो सकता था, वह उसने किया। उस ट्रस्ट से हमें पचास हजार रुपये की दवाइयां मिली हैं, जिसके लिए हम उसके बहुत ही मशकूर हैं। लेकिन काश्मीर सरकार की तरफ से एक साल के लिए पांच हजार रुपये दिये जाते हैं, जबकि वहां पर 18,000 लोग रहते हैं। आप अन्दाजा लगाइये कि कितना फायदा हो सकता है।

जहां तक इनफर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग का सवाल है मुझे एग्जेक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन जम्मू-काश्मीर में इनफर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग के एक्सपेंशन के लिए लास्ट यीअर शायद 40 लाख रुपये रखे गए थे-आई स्टैंड टु करेक्शन। यह रकम तो कुछ भी नहीं है। वह एक बार्डर एरिया और सैन्सिटिव एरिया है। आज सुबह एक सप्लीमेंटरी पूछते हुये मेरे दोस्त, श्री संतोष मोहन देव ने कहा था कि नार्थ-ईस्ट के इलाके में सिर्फ बंगला देश का ही रेडियो और टी. वी. सुनने और देखने को मिलता है, हमारा नहीं, जम्मू एरिया में हम रावलपिंडी और लाहौर का टी. वी. देख सकते हैं, दिल्ली और श्रीनगर का नहीं। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्रांग प्रापगेंडा हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिये इम्मीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है।

श्रीनगर में मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है। वहां शार्ट वेव भी है, लेकिन वह उतना पावर फुल नहीं है। सो-काल्ड आजाद काश्मीर रेडियो का इस कद्र पावर फुल ट्रांसमीटर लगा हुआ है कि हमारा स्टेशन जैम हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, उनका ही सुनाई देता है। इस बारे में स्टेप्स लेने की जरूरत है। लेह में आल इंडिया रेडियो का स्टेशन है। हम रेडियो लहासा सुनते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। हम आजाद काश्मीर के ब्राड कास्ट भी सुनते हैं, क्योंकि हमारी बोली एक है। लेकिन लेह रेडियो स्टेशन दस किलोवाट का है, जिसका रेंज सिर्फ तीस चालीस किलोमीटर के रेडियस में है। मेरी कांस्टीट्युएन्सी 97 एक्वेयर किलो मीटर है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जम्मू काश्मीर का दो तिहाई एरिया मेरी कांस्टीट्युन्सी है। लेकिन लेह रेडियो स्टेशन का हमें बिलकुल फायदा नहीं होता है, सिवाए लेह और आस-पास के इलाके में। अलबत्ता ईवनिंग प्रोग्राम कुछ सुनाई देता है। पाकिस्तान के प्रापेगेंडा को काउंटर करने

के लिए उस स्टेशन पर एक शार्ट-वेव ट्रांसमीटर लगाना बहुत जरूरी है, ताकि उसका प्रोग्राम दिन के वक्त भी दूर दराज के इलाकों में सुना जा सके।

जनाब फिनांस मिनिस्टर से मेरी एक खसूसी गुजारिश है। लेह और कारगिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज 250 से ज्यादा नहीं होंगे। उनका सी ए थोड़ा बढ़ा दिया जाए। उनका केस उनके सामने है। स्टेट गवर्नमेंट का सी ए 75 परसेंट आफ दि बेसिक पे और विद्आउट ऐनी सीलिंग है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सी ए समर में 25 परसेंट आफ दि बेसिक पे और 12.5 रु० एज सीलिंग और विंटर में 35 परसेंट आफ दि बेसिक पे और 120 रुपये एज सीलिंग है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर हन्ड्रेड परसेंट सी ए मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाईज समझते हैं कि उनकी सर्विस बहुत घटिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का सी ए बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं आपके जरिए से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे इसकी तरफ तवज्जह दें।

मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि लेह रेडियो स्टेशन का स्टाफ स्ट्राइक पर है और लेह स्टेशन कभी भी आफद एअर हो सकता है और कोई दूसरे उनको मैन भी नहीं कर सकते हैं।

इन्हीं बातों की तरफ तवज्जह दिलाते हुए, जो ग्रांट्स यहां पर पेश की गई हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने अनुदानों की अनुपूरक मांगों की चर्चा में भाग लिया।

लोक सभा के कार्य और प्रक्रिया के अनुसार, अनुदान को अनुपूरक मागों पर बहस आमतौर पर इन मांगों की मदों तक ही सीमित होती हैं और मूल अनुदानों या नीति सम्बन्धी मामलों पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

जहां तक आम मुद्दों और सुझावों का सम्बन्ध है, वे सभी बातें इस मद पर विचार करने से पूर्व माननीय वित्त मन्त्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर में शामिल हैं और वह उत्तर बजट पर आम बहस के उत्तर में था। इसलिए, मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदन का अमूल्य समय नहीं लूंगा।

जहां तक अन्य सुझावों का प्रश्न है, जो विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित हैं, इन सुझावों की निश्चित रूप से जांच की जाएगी और मैं कहना नहीं चाहता—इस सम्बन्ध में कुछ और कहना जरूर नहीं है।

मैं सदन से जिन अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई है उन्हें और जो सदन के समक्ष विचाराधीन हैं, इन मांगों का अनुमोदन करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने एक प्रश्न उठाया था और हमारे माननीय वित्त मन्त्री सुचेता केस और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में जानते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से और भारतीय रिजर्व बैंक से कारवाई करने और इसकी जांच करने को कहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह फर्म धोखाधड़ी के मामले में शामिल थी। अतः, इस सम्बन्ध में कार्रवाई की गई है ? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस बारे में अनुरोध किया है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैंने अभी-अभी कहा कहा है कि सामान्य मुख्य अनुदानों और नीति सम्बन्धी मामलों के प्रश्नों को छोड़कर, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए अन्य सुझावों और प्रश्नों की जांच की जाएगी। अतएव, मैं एक बार फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि इस मामले की निश्चित रूप से जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त करंवाई की जाएगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए—

मांग संख्या 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 102, 103, 105, 106 और 107।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगें 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मन्त्रालय		
2.	कृषि	1,000	
4.	पशुपालन और डेरी विकास	27,36,00,000	

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
6.	सहकारिता		10,02,00,000
7.	खाद्य विभाग	48,23,22,000	
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,09,000	
	वाणिज्य मन्त्रालय		
11.	वाणिज्य मन्त्रालय	19,43,000	
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,000	125,00,00,000
13.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	5,65,81,000	9,86,05,000
	संचार मन्त्रालय		
16.	डाक और तार कार्यचालन व्यय	84,48,76,000	
18.	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय		1,000
	रक्षा मन्त्रालय		
19.	रक्षा मन्त्रालय	26,77,15,000	
20.	रक्षा सेवाएं—थल सेना	234,94,89,000	
21.	रक्षा सेवाएं—नौ सेना	13,98,70,000	
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	77,80,10,000	
23.	रक्षा सेवाएं—पेंशन	40,14,35,000	
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्य	"	56,92,99,000
	शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय		
25.	शिक्षा विभाग	6,60,000	
26.	शिक्षा	2,000	2,33,74,000
27.	संस्कृति विभाग	2,000	

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	ऊर्जा मन्त्रालय		
29.	कोयला विभाग	3,11,28,000	10,00,00,000
30.	विद्युत विभाग	59,20,000	
	वित्त मन्त्रालय		
32.	वित्त मन्त्रालय	3,26,36,000	70,84,000
34.	संघ उत्पाद शुल्क	2,38,53,000	"
35.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	5,89,71,000	"
37.	लेखा-परीक्षा	4,40,82,000	"
38.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	6,33,62,000	"
39.	पेंशनें	15,64,00,000	"
40.	अफीम और एल्केलाइड कारखाने	5,54,96,000	"
41.	राज्य सरकारों को अन्तरण	85,00,00,000	"
42.	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय	2,000	314,34,16,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
44.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	1,80,000	
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	3,000	
46.	परिवार कल्याण	14,00,00,000	
	गृह मन्त्रालय		
47.	गृह मन्त्रालय	39,82,000	
48.	मन्त्रिमंडल	2,33,87,000	
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	47,37,000	

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
50.	पुलिस	25,35,80,000	"
52.	गृह मन्त्रालय का अन्य व्यय	2,86,76,000	9,67,33,000
53.	दिल्ली	21,71,49,000	27,09,54,000
54.	चण्डीगढ़	3,56,87,000	
55.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	95,78,000	8,73,27,000
	उद्योग मन्त्रालय		
58.	उद्योग मन्त्रालय	29,88,000	
	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय		
61.	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	6,62,000	
63.	प्रसारण	3,53,23,000	
	श्रम मन्त्रालय		
65.	श्रम मन्त्रालय	10,91,000	
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय		
67.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय	1,000	
	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय		
69.	पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	21,32,000	
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	62,15,00,000	16,20,00,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग		4,000
	ग्रामीण विकास मन्त्रालय		
75.	ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय	1,000	

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय		
76.	नौवहन और परिवहन मन्त्रालय	11,16,000	
77.	सड़कें	8,47,51,000	13,65,33,000
78.	पत्तन, द्वीपस्तम्भ और नौवहन	16,81,21,000	
79.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन		7,73,10,000
	इस्पात और खान मन्त्रालय		
81.	इस्पात विभाग	1,000	6,000
82.	खान विभाग	5,47,30,000	4,000
	पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय		
83.	पूर्ति विभाग	3,50,000	
	पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय		
88.	विमानन	3,96,48,000	9,000
89.	पर्यटन		3,20,00,000
	निर्माण और आवास मन्त्रालय		
90.	निर्माण और आवास मन्त्रालय	5,38,000	
91.	लोक निर्माण	37,36,80,000	1,000
92.	आवास और नगर विकास	5,07,51,000	1,000
	परमाणु उर्जा विभाग		
95.	परमाणु उर्जा विभाग	2,30,000	
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
102.	औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान	3,00,00,000	
	अन्तरिक्ष विभाग		
103.	अन्तरिक्ष विभाग		1,75,80,000
	संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
	राज्य सभा		
105.	राज्य सभा	24,15,000	
106.	संसदीय कार्य विभाग	2,77,000	
107.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1,20,000	

विनियोग विधेयक, 1982

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

रेल अभिसमय समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

अनुदानों की मांगें (रेल), 1982-83

और

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1981 82

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : अब सभा रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुमोदन सम्बन्धी संकल्प को लेगी और वर्ष 1982-83 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) तथा वर्ष 1981-82 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान करेगी जिसके लिए पांच घंटे का समय निर्धारित किया गया है ।

माननीय सदस्य जो सभा में उपस्थित हैं और अनुदानों की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं यदि अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं तो वे कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं, एक पर्चे पर लिखकर 15 मिनट में सभा पटल पर भेज दें । केवल वे ही कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे ।

पेश किए समझे गए कटौती प्रस्तावों की क्रमसंख्याओं की एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जाएगी । यदि कोई सदस्य सूची में कोई गलती पाता है, तो वह उसे बिना देर किए पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं ।

रेल मंत्री, श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा रेलों पर व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों को पेश करने से पूर्व मैं स्पष्ट कर दूं कि वर्ष 1982-83 के लिए रेल बजट···

सभापति महोदय (श्री गुलशेर अहमद) : या तो आप संकल्प पर बोलिए या संकल्प पेश कीजिए । दोनों में से एक काम कीजिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं केवल रेलों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं और फिर मैं इस पर बोलूंगा ।

सभापति महोदय : ठीक है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 23 फरवरी, 1982 को पेश किया गया था और यह यात्री किराये और मालभाड़े की दर में समायोजन के प्रस्ताव पर आधारित था जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में संकेत किया था । रेल बजट पर हुई आम चर्चा का सभा में उत्तर देते समय मैंने 3 मार्च, 1982 को बजट प्रस्तावों में कतिपय रियायतों और कटौतियों की घोषणा की थी ।

इन रियायतों/कटौतियों को ध्यान में रखते हुए और मांग संख्या 15 में आस्थगित लाभांश दायिता की राशि के गलत मुद्रण को ठीक करने के लिए, जिससे मांग संख्या 15 में आस्थगित

लाभांश दायिता के भुगतान की राशि को, रेलवे और संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन के संबंध में वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय सरकार के रेल राजस्व और व्यय की, बजट में दिखायी गयी, राशि के अनुसार लाया जाये, वर्ष 1982-83 के लिए मांग संख्या 15 के स्वीकृत भाग में विषय परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। परिणामस्वरूप मांग संख्या 15 के स्वीकृत भाग में 479,33,20 हजार रुपयों तक कम करने का प्रयास किया गया है।

महोदय, अब मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त सम्बन्धी अन्य अनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1980 के चौथे प्रतिवेदन, जो 19 फरवरी, 1982 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 18 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

महोदय, रेल अभिसमय समिति, 1980 का गठन लोक सभा द्वारा 4-8-1980 को और राज्य सभा द्वारा 11-8-1980 को स्वीकृति संकल्प के द्वारा 10 अक्तूबर, 1980 को किया गया था। समिति का गठन रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त के बीच संबंधों संबंधी अन्य आनुषंगिक मामलों की पुनरीक्षा करने तथा इन पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था। समिति ने छठी योजना लक्ष्यों, मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंशदान और लाभांश की दर आदि सहित रेल कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं वाले 16 विषयों को जांच के लिए चुना था। अब तक रेल मंत्रालय ने 12 विषयों पर ज्ञापन और दो अन्तरिम ज्ञापन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं।

पहला अन्तरिम ज्ञापन जनवरी 1981 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें समिति से अनुरोध किया गया था कि वह रेल अभिसमय समिति, 1977 की सिफारिश के अनुसार वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए छठी योजना पर उनकी अन्तिम सिफारिशों तक रेल वित्त और सामान्य वित्त की बीच वित्तीय प्रबन्धों को जारी रखने की अनुमति दे। रेल अभिसमय समिति, 1980, अपने प्रथम प्रतिवेदन में, रेल मंत्रालय के इन प्रस्तावों से सहमत थी। समिति के प्रथम प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट इन सिफारिशों को बाद में सभा ने स्वीकृत कर दिया था।

रेलों द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर, मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंशदान, रोलिंग स्टाक कार्यक्रम आदि कतिपय महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञापन अभी भी समिति को दिए जाने हैं। इनमें से कुछ विषयों पर समिति को अन्तिम ज्ञापन पेश किए जाने में हो रहे विलम्ब के संबंध में विचाराधीन प्रतिवेदन के पैरा 16 और 17 में समिति द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं। तथापि, इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि यद्यपि छठी योजना का ढांचा जनवरी 1981 में तैयार कर लिया गया था, छठी योजना के अन्त तक रेलवे से अपेक्षित कुल परिवहन आवश्यकताओं, अर्थात कुल आरम्भिक माल यातायात और गमन-दूरी, आदि के विषय में ब्यौरा वित्त मंत्रालय के परामर्श से केवल अक्तूबर 1981 में ही तैयार किये जा सके। और तत्पश्चात् मूल विषय अर्थात छठी योजना लक्ष्यों पर ज्ञापन को अन्तिम रूप दिया गया और समिति को प्रस्तुत किया गया। अन्य विषयों पर ज्ञापनों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और वे शीघ्र ही समिति को भेज दिए

जाएंगे, ताकि वह उनकी जांच कर सके, सम्पूर्ण छठी योजना अवधि के लिए अपनी अन्तिम सिफारिशें दे सके ।

रेल बजट बनाने के लिए और फरवरी, 1982 में संसद में प्रस्तुत करने के लिए जनवरी, 1982 में समिति को एक दूसरा अन्तरिम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें समिति से अनुरोध किया गया था कि वह रेल अभिसमय समिति, 1977 की सिफारिशों के अनुसार सम्पूर्ण छठी योजना अवधि के लिए अपनी अन्तिम सिफारिशें देने तक रेल और सामान्य वित्त के बीच वित्तीय प्रबन्धों को जारी रखने की अनुमति दे, जो वर्ष 1981-82 और 1982-83 पर भी लागू होती है। रेल मंत्रालय ने समिति के विचारार्थ जो एक मात्र परिवर्तन सामने रखे हैं वे मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि विनियोग को क्रमश: 500 करोड़ रुपये और 150 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस संकल्प पर विचार करने की सिफारिश करता हूं। बैठने से पूर्व मैं रेल अभिसमय समिति के सभापति और अन्य सदस्यों के प्रति उनके द्वारा इतना कठिन श्रम किये जाने, रेलवे की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और वर्ष 982-83 के लिए इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त सम्बन्धी अन्य अनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1980 के चौथे प्रतिवेदन, जो 19 फरवरी, 1982 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 18 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में इस रूपभेद के साथ कि मांग संख्या 15 के लिए केवल 479,33,20,000 रुपए दिए जाएं, 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

"मांग संख्या 1 से 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगें (रेल), 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम जो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	3,86,69,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	27,88,11,000

1	2	3
	. सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	180,60,12,000
	4. रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	340,87,96,000
	5. रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	297,01,95,000
	6. सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	410,41,01,000
	7. संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	182,79,79,000
	8. परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	336,26,18,000
	9. परिचालन व्यय—यातायात	364,39,19,000
	10. परिचालन व्यय—ईंधन	718,61,82,000
	11. कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	127,35,69,000
	12. विविध संचाल व्यय	175,60,57,000
	13. भविष्य निधि, पेंशन निधि और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	151,87,31,000
	14. निधियों में विनियोग	706,93,76,000
	15. सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण का भुगतान तथा अति पूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	521,29,20,000
	16. परिसम्पत्तियां— अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	
	राजस्व	10,99,50,000
	अन्य व्यय	2773,57,65,000

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।

"मांग संख्या 1, इसे 9 और 11 से 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1981-82

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम जो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई
1	2	3
		रु०
1.	रेलवे बोर्ड	24,05,000
3.	सामान्य अधीक्षण सेवाएं	5,63,74,000
4.	रेल-पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	7,99,00,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	7,72,21,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	12,38,30,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	7,69,04,000
8.	परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	11,02,32,000
9.	परिचालन व्यय—या ायात	10,98,86,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	1,84,69,000
12.	विविध संचालन व्यय	4,69.63,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	23,99,29,000
14.	निधियों में विनियोग	8,31,32,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण का भुगतान तथा अति-पूंजीकरण का परिशोधन	16,24,99,000
16.	परिसम्पत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव अन्य व्यय	18,39,19,000

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलों में कदाचार, चोरी और अपव्यय को रोकने में असफलता। (2)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कार्य सम्पादन, गुण प्रकार और मात्रा के आधार पर पदोन्नति और परिलब्धियां देने की पद्धति लागू करने में असफलता। (3)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी बनाने में असफलता। (4)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[प्रबन्ध में सभी स्तरों पर कर्मचारियों को सहभागी बनाने में असफलता।(5)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल बोर्ड को समाप्त करने में असफलता।(6)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[गाड़ियों को समय से चलाने में असफलता। (7)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने की असफलता। (13)]

"कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सभी पुराने और दोषयुक्त इन्जनों को बदलकर उनके स्थान पर नये और कारगर इन्जन शीघ्र खरीदने की आवश्यकता। (17)]

"कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[कोयले के इन्जनों के स्थान पर डीजल इन्जनों के चलाने की आवश्यकता। (18)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जाये।"

[महीने में कई बार होने वाली अधिकारियों की अनावश्यक और फजूल-खर्च बैठकों को जिनमें लाखों रुपये खर्च होते हैं, परन्तु जिनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता, रोकने में असफलता। (96)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[श्रमिकों से सम्बन्धित सहकारी समितियों पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता। (97)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[धनबाद के गया सैक्शन पर एक और यात्री गाड़ी चलाने में असफलता। (98)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[वाराणसी-आसनसोल यात्री गाड़ी जो केवल 6 डिब्बों के साथ चलती है, में सभी डिब्बे जोड़ने में असफलता। (99)]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलनेमें असफलता। (124)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[समस्तीपुर डिवीजन में सकरी-हसनपुर नई लाइन का निर्माण करने में असफलता। (125)]

"कि परिसम्पत्तियां—अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[चितेन—बागाह को तुरन्त रेल पुल से जोड़ने की आवश्यकता (128)]

"कि परिसम्पत्तियां—अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में दरभंगा-पासोल मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने की आवश्यकता। (129)]

"कि परिसम्पत्तियां – अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में सीतामरही-जयनगर-लोंकाहा-लंकाही को एक नई रेल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता। (130)]

"कि परिसम्पत्तियां—अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में दरभंगा जंक्शन के उत्तर में क्रासिंग पर रेलवे लाइन के ऊपर उपरिपुल बनाने की आवश्यकता। (131)]

"कि परिसम्पत्तियां —अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[नेपाल के साथ व्यापार करने एवं पारगमन की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से दरभंगा-जयनगर मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए किए जा रहे क्षेत्रीय सर्वेक्षण को पूरा करने की अविलम्बनीयता।(132)]

"कि परिसम्पत्तियां—अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में कोसी नदी से विखण्डित हुई निरमाली-थरबिया रेल लाइन को फिर से चालू करने की आवश्यकता। (133)]

"कि परिसम्पत्तियां—अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में बागाह के निकट गंडक नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की अविलम्बनीयता। (134)]

"कि परिसम्पत्तियां —अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में दरभंगा जयनगर मीटर गेज लाइन को ब्रांड गेज लाइन में बदलने की आवश्यकया (135)]

"कि परिसम्पत्तियां—अखरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[वरास्ता बेनी ाद दरभंगा-मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन बनाए जाने की आवश्यकता। (136)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि "रेलवे बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के उन बदली कोच सहायकों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता जो गत 12 से 14 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। (137)]

"कि "रेलवे बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के उन बैराओं को नियमित करने में असफलता, जो 15 वर्षों से रेलवे की सेवा में हैं। (138)]

"कि "रेलवे बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[ठेका श्रमिकों को पर्याप्त राहत देने में सरकार की असफलता। (139)]

"कि "रेलवे बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने में असफलता (140)]

"कि "रेलवे बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[रेलवे सेवा आयोगों द्वारा नियुक्तियों में किये जाने वाले कदाचारों को रोकने में असफलता। (141)]

"कि "रेलवे बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[उन व्यक्तियों द्वारा, जिनका माल गुम या खराब हो जाता है, मांगी गई नुकसानी का भुगतान करने में रेलवे की असफलता। (142)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रु० की कमी की जाये।"

[आरक्षण तथा टिकट एजेन्सियों में और रेलवे राजस्व तथा सम्पत्ति के अन्य दुर्विनियोग को रोकने के लिए रेलवे के सतर्कता विभाग को सुदृढ़ करने में असफलता। (143)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रु० की कमी की जाए।"

[पूर्व रेलवे के पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने में असफलता। (144)]

"कि 'सामान्य अधीक्षण और सेवायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रु० की कमी की जाए।"

[गिरिडीह से कोडरमा और हजारीबाग टाउन होते हुए रांची तक प्रस्तावित बड़ी लाइन के निर्माण को प्रारम्भ करने में असफलता। (145)]

"कि "रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाये।"

[गिरिडीह से मधुपुर के बीच चलने वाली एम जी-1 और एम जी-2 यात्री गाड़ी में ठीक समय पर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नया इन्जिन उपलब्ध करने में असफलता। (147)]

"कि "रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम की कमी की जाए।"

[रोजाना उच्च न्यायालय और पटना जाने वाले गिरिडीह जिले के लोगों को सुविधा के लिए पाटलीपुत्र एक्सप्रेस में एक और सवारी डिब्बा लगाने में असफलता। (148)]

"कि "रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए।"

[गिरिडीह-मधुपुर लाइन से हावड़ा के लिए किसी उपयुक्त गाड़ी में एक सवारी डिब्बा की व्यवस्था करने में असफलता। (149)]

"कि "रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए।"

[दक्षिण पूर्व रेलवे में गोला रामगढ़ सैक्शन पर लोगों के लिए सोंडिमरा स्टेशन पर ऊपरिपुल का निर्माण करने में असफलता। (150)]

"कि "रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए।"

[माएल कोयला परियोजना क्षेत्र में रामगढ़ गोला सैक्शन नर सोंडिमरा पर प्लेटफार्म का निर्माण करने में असफलता। (151)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए।"

[गुजहुण्डी-गुरपा सैक्शन पर जहां वन क्षेत्र में 4000 से अधिक रेल कर्मचारियों के परिवार रह रहे हैं, एक हाई स्कूल और होस्टल प्रारम्भ करने में असफलता। (152)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाये।"

[रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए हजारीबाग रोड स्टेशन पर एक रेलवे हाई स्कूल स्थापित करने में असफलता (153)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाये।"

[मालगाड़ियों के ब्रेकवैनों द्वारा रेल कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को गुजहुण्डी से कोडरमा स्टेशन के बीच यात्रा करने में सुविधा देने के लिये रेलवे बोर्ड की असफलता। (154)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए।"

[गुजहुण्डी के, जो वनक्षेत्र में स्थित है, कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता। (155)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपए की कमी की जाए।"

[गुजहुण्डी स्टेशन स्थित रेलवे कालोनी में आवेदकों को किरयाना दुकान को चलाने के लिए भूमि आवंटित करने में असफलता। (156)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाये।"

कोडरमा और गुजहुण्डी में रिहायशी और कल्याण से सम्बन्धित इमारतों को स्थापित करने में असफलता। (157)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेल किराये एवं माल भाड़े में वृद्धि से प्राप्त होने वाले राजस्व से शुरू की जाने वाली विकास योजनाओं की सूची देने में असफलता। (158)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गया या पटना में लाने में असफलता। (159)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[यात्री एवं मालभाड़े में अतिशय वृद्धि करके जन सुरक्षा की घोर उपेक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता। (160)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेलवे रैंकों के आवंटन में कदाचार एवं घपलों की जांच करने में असफलता। (161)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[विभिन्न रेल जोन मुख्यालयों से भेजी गयी स्कीमों को दो-दो वर्षों तक स्वीकृति हेतु लम्बित रखना तथा निर्णय करने में असफलता। (162)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[मेट्रो रेलवे की योजना पर भारी खर्च को रोकने में असफलता क्योंकि भारतीय अर्थ-व्यवस्था इसे वहन नहीं कर सकती। (163)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[जनहितकारी कार्यों को दर्शाये बिना रेल भाड़े में भारी वृद्धि को रोकने में असफलता। (164)]

"कि रेलवे शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेलवे में भ्रष्टाचार, लूट, डकैती एवं सभी गाड़ियों के लेट चलने पर सुधार करने की योजना बनाने या लागू करने में असफलता। (165)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कोडरमा स्टेशन पर खाली जमीन पर मार्केट शेड बनाकर आवंटन करने की नीति में असफलता। (166)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जायें।"

[हिन्दी समिति, यात्री सुविधा समिति, सलाहकार समितियों में सभी वर्गों के लोगों को स्थान देने में असफलता। (167)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[फ्री पास देकर रेलवे विभाग को घाटे में चलने से रोकने में असफलता (168)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[चेन पुलिंग रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने में विफलता। (169)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने में विफलता। (170)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[धार्मिक लोगों की यात्रा हेतु कोडरमा स्टेशन में नीलांचल एक्सप्रेस के ठहराव देने में असफलता। (171)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवाओं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[वाराणसी आसनसोल पैसेंजर में 6 डिब्बों की जगह पूर्ववत 18-21 डिब्बे लगाकर यात्रियों को राहत पहुंचाने में असफलता। (172)]

"कि 'सामान्य अधीक्षण और सेवाओं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[जनता के लाभ हेतु चिचाकी, चोबे, शर्माटांड, हीरोडीह, चौधरी बांध स्टेशनों पर सियालदह एक्सप्रेस एवं देहरादून एक्सप्रेस में से एक एक्सप्रेस का ठहराव एक स्टेशन पर देने में असफलता। (173)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवाओं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[प्रसाबाद स्टेशन पर प्लेटफार्म एवं यात्री शेड बनाने में असफलता। (174)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवाओं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोडरमा बाइपास रोड पर पुल पूरा करने में अतिशय विलम्ब। (175)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवाओं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[हजारीबाग शहर के लिये, जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल एवं कोयला परियोजनाओं का मुख्यालय है, रेल सम्पर्क कराने में असफलता। (176)]

"कि "सामान्य अधीक्षण और सेवाओं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लालमटिया-दुमका मधुपुर से गिरिडीह-हजारीबाग, रांची को रेलवे यातायात मुहैया कराने में असफलता। (177)]

श्री चतुर्भुज (झालाबाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी को प्रत्येक जोन में पूरी स्थिति के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता। (182)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे बोर्ड के व्यय को कम करने तथा बोर्ड में जनता के प्रतिनिधि शामिल करने की आवश्यकता। (183)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे बोर्ड के प्रशासन में अधिकतम कार्यकुशलता लाने की आवश्यकता। (184)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे बोर्ड द्वारा यात्रियों को रेल गाड़ियों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करके उनकी सेवा करने की आवश्यकता। (185)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बारा शटल ट्रेन को टूडीपाई से भोपाल तक बढ़ाने की आवश्यकता। (186)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोयले के अभाव में भी कोटा-बीना लाइन पर गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (187)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बीना लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (188)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बीना गाड़ी में निर्धारित संख्या में डिब्बों को लगाने तथा उनकी संख्या में 3 डिब्बों की वृद्धि करने की आवश्यकता। (189)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बीना गाड़ी में प्रथम श्रेणी का एक डिब्बा लगाने की आवश्यकता। (190)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा और बीना के बीच रेल गाड़ी सेवा में सुधार करने की आवश्यकता। (191)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोट-बीना गाड़ी का कोटा स्टेशन पर समय पर पहुंचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता जिससे वह देहरादून एक्सप्रेस से मेल दे सके। (192)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-चित्तौड़ लाइन के लिए इस वर्ष दस करोड़ रुपये देने की आवश्यकता। (193)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-चित्तौड़ और चित्तौड़ नीमच लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (194)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-चित्तौड़ रेल लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को तुरन्त देने की आवश्यकता। (195)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इन्दौर और दिल्ली के बीच बरास्ता कोटा एक नई रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (196)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा और दिल्ली के बीच एक नयी गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (197)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-आगरा शटल को दिल्ली तक बढ़ाने की आवश्यकता। (198)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा और दिल्ली के बीच चलने वाली सभी गाड़ियों में सभी श्रेणियों के डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (199)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा और दिल्ली के बीच चलने वाली गाड़ियों में आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (200)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बीना लाइन पर माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाओं के साथ पिपलोद, धनावा और मोतीपुरा फ्लैग स्टेशनों को स्थायी स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (201)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बीना-सैक्शन पर किशोली, थाईपुरा और छाबड़ा स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (202)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कोटा-बीना सैक्शन पर सुन्दलाक और बारान बिनोरा स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (203)]

'कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गुमानपुरा-कोटा के निकट एक नया स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (204)]

'कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[ताम्बे के लदान के लिए छाबड़ा, कबाई अतार, बारेन, अन्ता, दिमोद, रामांमंडी, भवानी-मण्डी, चौहमला और दारमोंदक स्टेशनों पर अधिक संख्या में वैगन उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (205)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[देहरादून एक्सप्रैस गाड़ी को कपरेन स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता। (206)

'कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[अवध एक्सप्रैस गाड़ी को इन्द्रगढ स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता। (207)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[उद्योगों और जनता की मांग को पूरा करने के लिए उज्जैन-झाला वाड़-बारन से ग्वालियर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता। (208)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[झालावाड़ होकर भोपाल कोटा रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता। (209)]

'कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[झालावाड़ जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ने के लिए तुरन्त सर्वेक्षण कराने हेतु उपलब्ध करने की आवश्यकता। (210)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[झालावाड़ रोड लाइन को झालावाड़ जिला मुख्यालय तक बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता। (211)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेलवे के अन्तर्गत स्कूलों के कार्यक्रम में सुधार करने के लिए पृथक शिक्षा बोर्ड अथवा सैल स्थापित करने की आवश्यकता। (212)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलों के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों को बढ़ाने और संशोधित वेतनमान देने की आवश्यकता। (213)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेलों के स्कूलों के अध्यापकों को कार्मिक संघ अथवा यूनियन बनाने का अधिकार देने के वायदे को पूरा करने की आवश्यकता। (214)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 00 रुपये कम किए जायें।"

[रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए उन्हें आवास, शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी बेहतर सुविधाएं देने की आवश्यकता। (215)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

वर्षा से बचने के लिए अटरू, कवाई, अन्ता, अर्न्ता और चौहमला स्टेशनों पर प्लेटफार्म और टीन के शैड बनाने की आवश्यकता। (216)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सभी स्टेशनो पर पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (217)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दिल्ली से जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, द्वारका, जम्मू और अन्य तीर्थ स्थानों से होते हुए कन्याकुमारी तक और बरास्ता ऋषिकेश वापस दिल्ली के लिए एक साप्ताहिक "तीर्थ यात्री स्पेशल" गाड़ी चलाने की आवश्यकता जिसमें पहली और दूसरी श्रेणी के डिब्बे हों तथा सुरक्षा की और सस्ते दाम पर भोजन की पूरी व्यवस्था हो। (218)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-18) में 100 रुपये कम किये जाये।"

[यात्रियों के जान और माल की रक्षा के लिए सभी यात्री गाड़ियों में सशक्त गार्डों की जिन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों, व्यवस्था करने की आवश्यकता। (219)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-18) में 100 रुपये कम किये जाय।

[रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को एक लाख रुपये देने की आवश्यकता। (220)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाये शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-18) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गाड़ियों के देरी से पहुंचने के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी निश्चित करने की आवश्यकता। (221)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-18) में 100 रुपये कम किये जायें।

[बिना टिकट यात्रा करने वालों से निर्धारित दण्डस्वरूप किराये के अलावा कम से कम दो सौ रुपये और जुर्माने के रूप में वसूल करने की आवश्यकता। (222)]

'कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्शक के अन्तर्गत मांग (9-18) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलों में चोरी, डकैती और अन्य अपराध करने वाले व्यक्तियों को 10 वर्ष के कारावास के दण्ड की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (223)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-18) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल सम्पत्ति की चोरी करने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने की आवश्यकता। (224)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-18) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[माल के गुम हो जाने के दावों के संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था करने की आवश्यकता ताकि ऐसे दावों के निपटान में विलम्ब न हो। (225)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोटा से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर तक नई रेल गाड़ी की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (226)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोटा और सवाई माधोपुर के बीच चलने वाली प्रत्येक यात्री गाड़ी में आम डिब्बे लगाने की आवश्यकता। (227)]

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह साऊथ सैक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर शौचालयों के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करने की व वस्था करने की आवश्यकता। (228)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह स्टेशन पर रात को यात्रियों को तंग किये जाने को रोकने की आवश्यकता। (229)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह में देर रात को आने वाले यात्रियों के साथ जी० एन० पी० के बर्ताव पर निगरानी रखने की आवश्यकता। (230)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[केनिंग स्टेशन पर अप्रयुक्त भूमि का अधिकृत स्टाल तथा दुकानें खोलने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता। (231)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लक्ष्मीकान्तपुर और डायमंड हार्बर रेल स्टेशनों पर पेय जल की व्यवस्था करने में असफलता। (232)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बर्नपुर स्टेशन के प्लेटफार्मों पर तथा स्टेशन के अहाते में अनधिकृत दुकानों और स्टालों को, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हटाने में विफलता। (233)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह दक्षिण प्लेटफार्म पर अनधिकृत स्टालों और दुकानों के कारण उत्पन्न रुकावटों को दूर करने में असफलता। (234)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

[हावड़ा स्टेशन पर अधिक पेय जल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता। (235)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह साऊथ सैक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर सफाई रखने की आवश्यकता। (236)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह साऊथ सैक्शन के सभी स्टेशनों पर शौचालयों और मूत्रालयों में सफाई रखने में असफलता। (237)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेल में भोजन और अल्पाहार का न्यूनतम स्तर पर बनाये रखने में विफलता। (238)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह साऊथ सैक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर जल की सप्लाई में सुधार की आवश्यकता (239)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सियालदाह नियंत्रण कार्यालय के कुशल कार्यकरण के लिए उसके सतत निरीक्षण की आवश्यकता। (240)]

"कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह डिवीजन में रेल सेवाओं में सुधार करने में असफलता। (241)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह साउथ सैक्शन के स्टेशनों पर नलकूपों की खुदाई की आवश्यकता। (245)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में100 रुपये कम किए जायें।"

[बर्नपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 1 के दक्षिणी छोर पर एक शैड के निर्माण की आवश्यकता। (246)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।

[हावडा स्टेशन के प्लेटफार्मों पर यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (247)]

"कि परिसम्पत्ति यां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[डायमंड हार्बर स्टेशन के पूर्वी छोर पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (248)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बजबज से नामखेना एवं लक्ष्मीकांतपुर से कालपी को जोड़ने के लिए नई लाइन के निर्माण हेतु अधिक धन की व्यवस्था करने में असफलता। (249)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[लक्ष्मीकान्तपुर-कालपी लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता। (250)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[मथुरापुर रोड तथा धापधापी फ्लैग स्टेशनों को क्रासिंग स्टेशनों में बदलने की आवश्यकता। (251)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बर्नपुर-लक्ष्मीकान्तपुर सैक्शन पर इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (252)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बर्नपुर डायमंड हार्बर सैक्शन पर इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (253)]

"कि परिसम्पत्तियाँ—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सोनारपुर-कैनिंग के बीच इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (254)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बालीगंज-बजबज के बीच इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (255)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सियालदाह साऊथ सैक्शन पर धापधापी स्टेशन के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने में असफलता। (256)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सियालदाह-लक्ष्मीकान्तपुर लाइन को पत्थर प्रतिमा तक बढ़ाने की आवश्यकता। (257)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सियालदाह-मथुरापुर लाइन को रायदेघी तक बढ़ाने की आवश्यकता। (258)]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल पथ और निर्माणों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कानपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने में उपेक्षा। (264)]

"कि रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[विद्युत इंजन मरम्मत कर्मशालाओं और शैडों को घटिया किस्म के माल की सप्लाई, जिसके कारण लगातार काम खराब होता है। (265)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[खड़गपुर, नीमपुरा, बारडामुंडा, वाल्टेयर और मुगलसराय यार्डों में सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन को रोकने की आवश्यकता क्योंकि इसके कारण गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं होती हैं। (277)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[खड़गपुर यार्ड में अनेक बड़ी संख्या में बलास्टों और सिंडरों का अप्रयुक्त पड़ा रहना तथा अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, जिनके कारण प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं। (280)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाये।"

[रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असमर्थता। (283)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाये।"

[रेलवे बोर्ड के सेवा-निवृत्त उच्च अधिकारियों को पद पर बने रहने देने के मामले में भेदभाव की नीति। (284)]

"कि "प्रकीर्ण खर्च (सामान्य)" शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाये।"

[खड़गपुर से मिदनापुर तक विद्युतीकरण के विस्तार के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। (285)]

"कि कर्मचारी "कल्याण और सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[रेलवे के क्वाटरों के रख रखाव के मामले में दोहरा मानदण्ड अपनाये जाने से बचने की आवश्यकता जिन पर अन्य श्रेणी के क्वाटरों की तुलना में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। (289)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[भ्रष्ट प्रिंसिपलों और मुख्य अध्यापकों को शरण देना बन्द करने की आवश्यकता और ऐसे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले लोगों को संरक्षण देने में असफलता। (294)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[खड़गपुर में, जोकि भारत में सबसे बड़ी रेलवे कालोनी है, सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धन दिये जाने की आवश्यकता। (297)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[खड़गपुर स्थित रेलवे स्कूलों का स्कूल डी० पी० आई० और डी० आई० द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कराने की आवश्यकता। (301)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

(दक्षिण पूर्व रेलवे, विशेष रूप से खड़गपुर में स्कूलों के लिए उच्च अर्हता-प्राप्त अध्यापकों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता। (303)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं" शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी रेलवे अस्पतालों, विशेष रूप से खड़गपुर स्थित क्षयरोग अस्पताल में खाद्य पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने की आवश्यकता। (306)]

श्री इ० के० इम्बीचीबाबा (कालीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[गरीबी रेखा से नीचे के जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को पास जारी करने की आवश्यकता, जिससे कि वे बढ़ी हुई दर का भुगतान किए बिना यात्रा कर सकें (321)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[केरल के लिए लाइनें बिछाने के लिए प्रस्ताव शामिल करने में असफलता, जहां प्रति एक लाख की जनसंख्या पर औसत किलामीटर राष्ट्रीय औसत से कम है। (322)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलों के खानपान विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता। (323)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[रेल दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को वायुयान दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों के समान क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता। (324)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लम्बी दूरियों की गाड़ियों म भोजनयान की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (325)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे यात्रियों के लिए बीमा योजना की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्योंकि रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है। (326)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कालीकट और मैसूर वरास्ता वाईनाड एक नई रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (327)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पालघाट जंक्शन पर जोड़े जाने के लिए के० के० एक्सप्रैस में मंगलौर से दिल्ली के लिए एक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का सवारी डिब्बा व्यवस्था करने की आवश्यकता। (328)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कालीकट एरनाकुलम लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (329)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कुट्टीपुरम रेलवे स्टेशन का विस्तार करने की आवश्यकता। (330)]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[वेतन, मजदूरी, मंहगाई भत्ता और बोनस के सम्बन्ध में विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों की लम्बी अर्से से चली आ रही मांगों को पूरा करने में असफलता। (331)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का अद्यतन भुगतान करने में असफलता। (332)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किये जाये।"

[पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत बख्तियारपुर-राजगीर लाइन के विस्तार के लिए राजगीर से गया तक एक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण करने में असफलता। (333)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी रेलवे में फतवा से इस्लामपुर होते हुए गया तक एक नयी रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने में असफलता। (334)]

"कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे में बख्तियारपुर और राजगीर लाइन के बीच चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों का अनुरक्षण और मरम्मत कराने में असफलता। (335)]

"कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व और अन्य रेलों पर सुपर फास्ट गाड़ी के डिब्बों के अनुरक्षण में असफलता। (336)]

"कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[यात्री तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों की विशेष रूप से पूर्व रेलवे में मरम्मत और अनुरक्षण में असफलता (337)]

"कि सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेल गाड़ियों में, विशेष रूप से यात्री और एक्सप्रेस गाड़ियों में रोशनी और पंखों की उचित व्यवस्था करने में असफलता। (338)]

"कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये में कम किये जाये ।"

[डीजल और विद्युत इंजनों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने में असफलता । (339)]

"कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[डिब्बों और वैगनों की कमी को दूर करने में असफलता । (340)]

"कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[स्टीम इंजनों के ठीक रखरखाव में असफलता । (341)]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियाँ-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षकके अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जाएँ ।"

[बिहार में हजारीबाग के डिवीजनल मुख्यालय को रेल सम्पर्क द्वारा जोड़ने की आवश्यकता । (360)]

"कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बिहार में दुमका जिला मुख्यालय को रेल सम्पर्क से जोड़ने की आवश्यकता । (361)]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[खड़गपुर डिवीजन में खिराई हाल्ट स्टेशन का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता जिससे कुछ स्टेशन पर सब्जियां और अन्य पार्सलों तथा यात्रियों द्वारा बुकिंग कराना संभव हो सके । (376)]

श्री सुबोध सेन (जलपाई गुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें ।"

[जलपाईगुड़ी स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) से लगती हुई भूमि को खाली करने और उसे विकास के लिए सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण को सौंपने में असफलता । (443)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें ।"

[जलपाईगुड़ी (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने, ताकि यात्री विशेषतया महिलायें आसानी से गाड़ी में बैठ सकें, में विफलता । (444)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[दार्जिलिंग मेल के अतिरिक्त न्यू जलपाईगुड़ी से कलकत्ता तक एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाने मे असफलता। (445)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग मे सौ रुपए कम किये जायें।"

[न्यू अलीपुरद्वार से कलकत्ता तक एक तेज रफ्तार गाड़ी चलाने में असफलता। (446)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[बड़ी लाइन बिछा कर न्यू अलीपुरद्वार को अलीपुरद्वार जंकशन से मिलाने में असफलता। (447)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[सिलीगुड़ी जंकशन से न्यू बोंगाईगांव बरास्ता न्यू माल तक रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता। (448)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[गोड एक्सप्रेस को हलदीबाड़ी (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक बढ़ाने में असफलता। (449)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[तिनसुखिया मेल (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) को जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर रोकना पुनः आरम्भ करने में विफलता। (450)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[दोमोहुनी नगर को विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपने में असफलता। (451)[

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[दोमोहुनी और चन्द्रबोडे के बीच पुनः रेल सम्पर्क आरम्भ करने और उसे आगे रेखलीगंज तक बढ़ाने में असफलता। (452)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[19 जनवरी, 1982 की अखिल भारतीय आम हड़ताल में भाग लेने के बहाने रेल कर्मचारियों का परेशान किये जाना। (453)]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[दुर्घटनाओं, लूटपाट आदि से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता। (466)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भोजन व्यवस्था में ठेका प्रणाली का लागू रहना। (467)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[19 जनवरी, 1982 की अखिल भारतीय आम हड़ताल में भाग लेने के आधार पर पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में सिलीगुड़ी और अलीपुरद्वार में रेल कर्मचारियों का उत्पीड़न। (468)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेल दुर्घटनाओं के बार-बार होने को रोकने में असफलता, जिसके कारण लोगों के जानमाल की हानि हो रही है। (469)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सिलीगुड़ी शहर से रेल फाटक को स्थांतरित करने तथा यातायात में पड़ने वाली रुकावटों और भीड़ को दूर करने में असफलता। 470)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कुरसियोग में बस अड्डे के निर्माण के लिए भूभाग पश्चिम बंगाल सरकार को देने में असफलता। (471)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[यह आश्वासन देने में असफलता कि सिलीगुडी जंक्शन स्थित पी० ओ० एच० डीजल लोको को अजमेर अथवा किसी अन्य स्थान को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। (472)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिमी दीनाजपुर जिले में बेलूरघाट और इस्लामपुर के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता। (473)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[उत्तर सीमान्त रेलवे में सभी रेलगाड़ियों पर खानपान व्यवस्था का विभागीयकरण करने में असफलता (474)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह की दार्जिलिंग मेल के अतिरिक्त एक और तेज गति की गाड़ी चलाने में असफलता। (475)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[न्यू जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली को नियमित रूप से एक तेज गति की गाड़ी चलाने में असफलता। (476)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[न्यू जलपाईगुड़ी से कलकत्ता को जाने वाली 'समर एक्सप्रेस' को नियमित गाड़ी में बदलने में असफलता। (477)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[गौर एक्सप्रेस को हल्दीबाड़ी तक बढ़ाने में असफलता। (478)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[न्यू बोंगाईगांव से बरौनी बरास्ता सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में असफलता। (479)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[बाजार के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए सिलीगुड़ी में बड़ी मात्रा में बेकार पड़ी भूमि को प्राप्त करने में असफलता। (480)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत छोटी लाइन पर न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच माल-गाड़ियों का चलना फिर से चालू करने में असफलता। (481)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में तिनधारी या वर्कशाप को आधुनिक बनाने और सुज्जित करने में असफलता। (482)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पर्यटकों की सुविधा के लिए न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग हिल्स के बीच सभी सवारी व मेल गाड़ियों को पुनः चालू करने में असफलता। (483)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[न्यू जलपाईगुड़ी सिलिगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच छोटी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए नये डिब्बे और इंजनों का निर्माण करने में असफलता। (484)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में विभिन्न निजी खान-पान कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा की शर्तें सुनिश्चित करने में असफलता। (485)]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[पटना सिटी फाटक पर पटना उप-मार्ग के लिए और पूर्व रेलवे में फतवा रेल फाटक पर रेल के ऊपरि पुल बनाने में असफलता । (486)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेलवे में मुगलसराय से आसनसोल तक के मार्ग पर विद्युतीकरण-कार्य शुरू करने में असफलता । (487)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेलवे में बख्तियारपुर से राजगीर तक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने में असफलता । (488)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[आरक्षण में कदाचार रोकने में असफलता । (489)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेलवे में सुभद्रा एक्सप्रेस में भोजन यान की व्यवस्था करने में असफलता । (490)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।

[पूर्व रेलवे में बख्तियारपुर जंक्शन पर सुपरफास्ट गाड़ियां रोकने की व्यवस्था करने में असफलता । (491)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[देश में सुपरफास्ट गाड़ियों और सामान्य गाड़ियों के यात्रियों के लिए स्थान, प्रकाश और जल की अच्छी व्यवस्था करने में असफलता । (492)]

"कि रेलवे बोड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[यात्रियों की मांग के अनुसार गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में असफलता । (493)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पटना से दिल्ली के लिए सुभद्रा एक्सप्रेस को प्रति दिन चलाने में असफलता । (494)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पटना से हावड़ा तक की नयी सुपरफास्ट गाड़ी चलाने में असफलता । (495)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पटना से बम्बई और रूरकेला तक सीधी सुपरफास्ट गाड़ी चलाने में असफलता । (496)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे में पटना से गया तक रेल लाइन को दोहरा करने में असफलता। (497)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[यात्रियों के लिए सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने में असफलता। (498)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गाड़ियों में विशेषत: पूर्व रेलवे में भीड़भाड को कम करने में असफलता। (499)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे में हावड़ा से राजगीर तक सीधी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने में असफलता। (500)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेल किराये में यात्रियों को राहत देने में असफलता। (501)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे में पटना जंक्शन के लिए तिनसुखिया मेल में आरक्षण के कोटे की व्यवस्था करने में असफलता। (502)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[पटना से समीपवर्ती स्थानों के लिए उपनगरीय गाड़ियां, जैसी कि दिल्ली, हावड़ा और बम्बई में चलती हैं, चलाने में असफलता। (503)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[देश के सभी इस्पात नगरों को राज्यों की राजधानियों से सुपरफास्ट गाड़ियों से जोड़ना। (504)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे में बख्तियारपुर-राजगीर लाइन पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में असफलता। (505)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गाड़ियों में डकैती और चोरी की घटनाओं को रोकने में असफलता। (506)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने में असफलता। (507)]

श्री बासुदेव आचार्य (बंकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जाए।"

[लोको रनिंग कर्मचारियों के काम के घण्टों को घटाने में असफलता। (538)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।"

[संविहित रेलवे कैंटीनों के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य लाभों की घोषणा करने में असफलता। (539)]

"कि "कर्मचारी कल्याण और सुविधायें" शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी रेलवे कैन्टीन कर्मचारियों को रेल कर्मचारी मानने में असफलता। (540)]

"कि परिसम्पत्तियां— खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे में अडरा-खड़गपुर सैक्शन का विद्युतीकरण करने में असफलता। (541)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी पुराने वैगनों को बदलने की आवश्यकता। (542)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी पुराने भाप इंजनों को बदलने की आवश्यकता। (543)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुरुलिया स्टेशन के पास ऊपरी पुल बनाने में असफलता। (544)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे में विष्णुपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल बनाने में असफलता। (545)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे में पुरुलिया स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफलता। (546)]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिम दिनाजपुर जिले में एकलाखी स्टेशन से तपन, दरनालघाट और बलूरघाट होते हुए दिल्ली तक एक नई रेल लाइन बिछाने में असफलता। (547)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[उत्तर बंगाल में चाय उद्योग के लिए कोयला ले जाने के वास्ते पर्याप्त वैगनों की व्यवस्था करने में असफलता। (548)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग, कुर्सियोंग और कलिमपोंग जैसे पहाड़ी स्टेशनों से सीटों का आरक्षण कराने के इच्छुक यात्रियों के लिए दार्जिलिंग मेल, तिनसुखिया मेल और अन्य रेलगाड़ियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में सीटों के आरक्षण का कोटा बढ़ाने में असफलता। (549)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पटना में गंगा नदी पर रेलपुल के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने में अनावश्यक विलम्ब। (553)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[बिहार में एक नये क्षेत्रीय रेल कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता। (554)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेल कर्मचारियों को बिना किसी कारण के विभिन्न प्रकार से दण्डित करने की नीति को त्यागने में असफलता। (555)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेलों में कम्पलीमेंटरी पास जारी करने की नीति को समाप्त करने की आवश्यकता। (556)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेल कर्मचारियों का एक संगठन बनाने के स्वीकृति सिद्धान्त को क्रियान्वित करने में असफलता। (557)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[इंडियन रेलवे वर्क्स फेडरेशन को मान्यता देने में असफलता। (558)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने में असफलता। (559)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कनफेडरेशन को मान्यता प्रदान करने में विफलता। (560)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[देश भर में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने में असफलता। (561)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[मार्टिन लाइट रेलवे को सरकार के अधीन लेने में असफलता। (562)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलों में कार्यरत सभी मजदूर संगठनों से सहायता लेने की आवश्यकता। (563)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[रेल दुर्घटनाओं के लिए रेलवे बोर्ड के संबंधित अधिकारियों, जनरल मैनेजर एवं डिविजनल रेलवे मैनेजरों को भी उत्तरदायी बनाने तथा आवश्यक होने पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने की आवश्यकता। (564)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलों को समय पर चलाने में असफलता। (565)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलों के विलम्ब से चलने के लिए ऊपर से नीचे तक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता। (566)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पिछले साल में दंडित किये गए लोको रनिंग कर्मचारियों के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों को रद्द कर उन्हें रेल सेवा में बहाल करने की आवश्यकता। (567]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल अधिकारियों के अनुपात में निम्न श्रेणी में रेल कर्मचारियों की संख्या में कमी। (568)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल सुरक्षा नियमों का पालन करने में असफलता। (569)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलवे बोर्ड द्वारा सेफ्टी नियमों का उल्लंघन कर रेलों को चलाने का आदेश देना। (570)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भाड़ों से मुक्त आवश्यक वस्तुओं पर भाड़ा बढ़ाने की नीति को त्यागने की आवश्यकता। (571)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जिन रेलवे लाइनों की आयु समाप्त हो चुकी उन्हें है बदलने में असफलता। (572)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[जर्जर और बेकार रेल डिब्बों के प्रयोग को रोकने में असफलता। (573)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पुराने इंजिनों के प्रयोग को रोकने में असफलता। (574)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[स्टीम इंजिनों के प्रयोग नहीं होने की स्थिति में लोको में मैकेनिकल कर्मचारियों की नौकरी को बरकरार रखने की आवश्यकता। (575)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तगत मांग को कम करके 1 रुपय किया जाए।"

सभी तेज गाड़ियों को डीजल इंजिनों से चलाने की आवश्यकता। (576)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलवे बोर्ड को समाप्त करने में असफलता। (577)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलवे को उद्योग घोषित करने में असफलता। (578)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता। (579)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल-दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवार के लोगों का हवाई-जहाजों की दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों की भांति प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए का मुआवजा देने की आवश्यकता। (580)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[कैजुअल श्रमिक प्रथा को समाप्त कर वैसे तमाम कर्मचारियों को नियमित बनाने में असफलता । (581)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[एवजी रेल कर्मचारियों को नियमित बनाने में असफलता । (582)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रेल मजदूरों को सरकारी कारखानों के मजदूरों के बराबर वेतनमान देने में असफलता । (583)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रेल कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर आधारित वेतनमान देने में असफलता । (584)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[रेलवे में रेल अधिकारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद उनकी सेवा में वृद्धि करने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता । (585)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[रेलवे में उच्च स्तर पर व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता । (586)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाईनों का जाल बिछाने में असफलता (587)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रेल किरायों एवं अधिभारों में वृद्धि कर आम यात्रियों पर बोझ डालने की नीति का परित्याग करने की आवश्यकता । (588)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[ट्रेड यूनियन कार्यवाहियों के लिए रेल मजदूरों को विभिन्न प्रकार के दमन का शिकार बनाना । (589)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

[आवश्यक सेवा अधिनियम से रेलों को पृथक रखने की आवश्यकता । (590)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[सदन में वादों के बावजूद रेल मजदूरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का शिकार बनाना । (591)]

श्री सुबोध सेन (जलपाईगुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[जलपाईगुड़ी-सियालदह; नई जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली और नई जलपाईगुड़ी-हावड़ा के बीच दार्जिलिंग मेल, तिनसुखिया मेल, कामरूप एक्सप्रेस और जनता यात्री गाड़ी से यात्रा करने के लिए न्यू माल स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) से पहले और दूसरे दर्जे के स्थानों के आरक्षण के लिए स्थानों का कोटा निश्चित करने में असफलता। (592)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[1974 में हड़ताल के तुरन्त पूर्व रेल कर्मचारियों की 6 सूची मांगों के संबंध में समझौता करने में असफलता। (593)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को उठाने में असफलता। (594)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[आल इण्डिया रेलवे मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियन को मान्यता देने में असफलता। (595)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। (596)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आल इण्डिया गार्ड काउंसिल की मान्यता देने में असफलता। (597)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इण्डियन रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। (598)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इण्डियन रेलवे मकैनिकल स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने में असफलता। (599)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[ईस्टर्न रेलवे वर्कस यूनियन को मान्यता देने में असफलता। (600)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[एन० एफ० रेलवे वर्कर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता। (601)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[ईस्टर्न रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन को मान्यता देने में असफलता । (602)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[1974 के रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों को रोजगार और एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई विषमता को दूर करने में असफलता । (603)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[झांसी डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों पर 1974 में दायर किए गए मुकदमों को वापिस लेने में असफलता । (604)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये वरिष्ठता के आधार पर समयबद्ध पदोन्नति और अन्तर्वेषण (इन्टरपोलिशन) को रोकने सहित पदोन्नति के अवसरों पर विचार करने में असफलता । (605)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[जगन्नाथ दास समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अनुसचिवीय कर्मचारियों को ग्रेड देने में असफलता । (606)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[एस० एंड टी० विभाग के कर्मचारियों अर्थात् हैल्पर, ट्रेड्समैन, टैक्नीशियन और टैक्नीकल एसिस्टेंट के वेतनमानों में विद्यमान असंगति और विसंगति का दूर करने में असफलता । (607)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[1973 के 'नियमानुसार काम करो आन्दोलन' के दौरान एस० एंड टी० विभाग के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय के साथ किए समझौते को लागू करने में असफलता । (608)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[सभी वाणिज्यक क्लर्कों के कार्य घंटों का ठीक वर्गीकरण करने की आवश्यकता । (609)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[वाणिज्यिक क्लर्कों के पद का नाम बदल कर 'वाणिज्यिक मास्टर' करने की आवश्यकता । (610)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[दंडात्मक कार्यवाही समाप्त करने में असफलता । (611)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[चलती गाड़ियों में टी० टी० ई० और कंडक्टरों को स्थान देने की आवश्यकता। (6 2)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गार्डों और ब्रेकमैनों को मिलने वाले रनिंग भत्ते की दरों में वृद्धि करके और उसे समान वेतन मान पाने वाले अन्य रनिंग कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के समान बनाने में असफलता। (613)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[स्टेशन मास्टरों के लिए प्रत्येक ग्रेड के पर्याप्त संख्या में पद बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्य विश्लेषण की आवश्यकता। (614)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इंडियन रेलवे में स्थानान्तर और तैनाती की समान नीति लागू करने में असफलता। (615)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रोड-साइड स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर, चिकित्सा और शिक्षा सुविधायें देने में असफलता। (616)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गार्ड-संवर्ग से गार्ड-इंस्पैक्टर का पद बनाये जाने की आवश्यकता। (617)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों को सभी प्रयोजनों के रनिंग कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किये जाने में असफलता। (618)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[अनुसचिवीय सवर्गों के मामले में उच्चतम वेतनमान पर बने रहने से बचने के लिए निरन्तर बढ़ते रहने वाले दो ग्रेड और समयबद्ध पदोन्नती लागू करने में सफलता। (619)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[लेखा कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना को पुनः शुरू करने और चतुर्थ श्रेणी के कार्यालय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का कोटा बढ़ाने में असफलता। (620)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[स्टेशन मास्टरों के वेतनमान को विभाजित करके चार वेतनमानों अर्थात् 425-700 रुपये, 550-750 रुपये, 700-900 रुपये और 840-1040 रुपये, में विभाजित करने और सहायक स्टेशन मास्टर के पद को समाप्त करने में असफलता। (621)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गार्ड के कार्य का वैज्ञानिक आधार पर कार्य विश्लेषण करके उन्हें एक तकनीकी श्रेणी मानते हुए उनके वेतनमान को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता। (622)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गार्डों को प्रशिक्षतता के आधार पर अपग्रेड करने की योजना शुरू करने में असफलता। (923)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बैकमैनों की 260-430 रुपये की वेतनमान देने और उन्हें गार्डों की ही तरह वर्दी देने में असफलता। (624)]

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार रेलगाडियों की संख्या नहीं बढ़ाकर केवल भाड़े में लगातार वृद्धि करना। (635)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे सलाहकार समितियों/भारतीय यात्री संघ तथा अन्य यात्री संस्थाओं की मांगों को स्वीकार करने में पूर्वी रेलवे की असफलता। (6·6)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[धनबाद जैसे औद्योगिक नगर से सीधे नई दिल्ली के लिए एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में सरकार की असफलता। (637)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[नई दिल्ली से खलिज एक्सप्रेस नामक एक सुपर फास्ट ट्रेन गया-धनबाद तक चलाकर गयाधनबाद के बीच के स्टेशनों के यात्रियों को नई दिल्ली तक सीधे यात्रा की सुविधा प्रदान करने में असफलता। (638)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग संख्या में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत कई प्रस्तावित रेल पथों का प्रारम्भिक एवं अभियांत्रिक सर्वेक्षण बार-बार करने पर धन के अपव्यय को रोकने में असफलता। (639)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग संख्या में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गिरिडीह से कोडरमा एवं हजारीबाग टाउन होकर रांची रेलवे मार्ग के सर्वेक्षण के लिये 1977 से बजट में नियत की जा रही राशि का उपयोग न किया जाना। (640)]

"कि रेल पथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्त= मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के गोमो और बीच की नदियों एवं नालों पर रेलवे पुलों पर फुटपाथ दन= में असफलता (641)]

"कि रेल पथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्त= मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोडरमा स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस को रोकने में असफलता और इस प्रकार स सम्प्रदायों की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करना। (642)]

"कि रेल पथ और निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्त= मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोडरमा स्टेशन पर रुकने वाली एक्सप्रैस डिलक्स (81 अप और 82 डाउन) अ कालका मेल (1 अप/2 डाउन) में ए० सी० सी०/प्रथम श्रेणी/चेयरकार का कोटा निर्धारित क में असफलता। (643)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कि जायें।"

[कोडरमा स्टेशन के दक्षिण किनारे पर रेल भूमि पर 200 दुकानों का मार्किट कम्पलै बनाकर शिक्षित बेरोजगारों को आवंटित करने में असफलता। (644)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कि जायें।"

[कोडरमा बाइपास पर ऊपरी पुल का निर्माण करने में असफलता। (645)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कि जायें।"

[शर्माटांड में सियालदह एक्सप्रैस को रोकने में असफलता। (646)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम जायें।"

[गया-गोमो सेक्शन में मस्केडीह पर रेलवे क्रासिंग बनाने में असफलता। (647)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम जायें।"

[कोडरमा एवं हजारीबाग रोड स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रैस को रोकने में असफ (648)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[चिचाकी स्टेशन पर सियालदह एक्सप्रेस को दो मिनट के लिये रोकने की आवश्यकता । (649)]

श्री एस० एम० हुसैन (मुर्शीदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[हावड़ा डिवीजन में लालबाग कोर्ट रोड, खगराघाट रोड, कर्णानुवर्ण चन्द्रीगाचे बाजार साहा, सलार और तेनिया स्टेशनों पर पीने के पानी, मूत्रालयों तथा शौचालयों की सुविधाओं से युक्त दूसरी श्रेणी प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता । (650)]

"कि परिसम्पतियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[सियालदह डिवीजन में लाल गोला, भगवान गोला, जियागंज, मुर्शीदाबाद, बहरामपुर कोर्ट और बलडांगे स्टेशनों पर पीने के पानी, मूत्रालयों और शौचालयों की सुविधाओं से युक्त दूसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता । (651)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[गाड़ियों को समय से चलाने में असफलता । (652)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[तेजी से बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता । (653)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भारतीय रेलों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर रहने से बचाने की आवश्यकता । (654)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रेल लाइनों को बढ़ाने में असफलता । (655)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन में कृष्णानगर से लालगोला तक दोहरी लाइन बनाने और उसका विद्युतीकरण करने में असफलता। (656)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के स्यालदाह डिवीजन में पुराने इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाने में असफलता। (657)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[हावड़ा डिवीजन में खेगड़ाघाट रोड के प्लेटफार्म नम्बर 1 पर उपयुक्त रूप से छत बनाने की आवश्यकता। (658)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[हावड़ा डिवीजन में बंडाल और अजीमगंज के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (659)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[हावड़ा डिवीजन में बंडाल और कटवा के बीच रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता (660)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[हावड़ा डिवीजन के बंडाल-अजीमगंज सेक्शन में चलते इंजनों से कोयले की बिक्री रोकने में असफलता। (661)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्यालदह डिवीजन में स्यालदाह और लालगोला के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने में असफलता। (662)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[स्यालदाह डिवीजन में प्रत्येक रेल गाड़ी में कम से कम दो और डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता। (663)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्यालदाह डिवीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 बरहामपुर कोर्ट स्टेशन के निकट पंचतनताला में एक रेल उपरि पुल बनाने में असफलता। (664)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अमीमगंज-नलहाटी सेक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर मोरग्राम स्टेशन के निकट एक रेल उपरि पुल बनाने में असफलता। (665)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्यालदाह और हावड़ा डिवीजन में अप्राधिकृत यात्रियों की विशेष रूप से प्रथम श्रेणी में यात्रा रोकने में असफलता। (666)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे कृष्णानगर से सेटिया तक बरास्ता करीमपुर, जालंधी, बरहामपुर एक नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता। (667)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[कलकत्ता के चारों ओर एक वृत्ताकार रेल बनाने में असफलता (668)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सभी डिवीजनों में विशेष रूप से स्यालदाह डिवीजन में आरक्षण के मामले में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता। (669)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे की एक प्रादेशिक सलाहकार समिति, जिसमें उस क्षेत्र के सभी संसद सदस्य शामिल हों, गठित करने में असफलता। (670)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से चलती गाड़ियों में डकैतियां रोकने में असफलता। (671)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेल यात्रियों की समाज विरोधी व्यक्तियों और अपराधियों से रक्षा करने में असफलता। (672)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेलवे की सम्पत्ति की चोरी रोकने में असफलता। (673)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रंगट-लालगोला सेक्शन में भगवान गोला से लालगोला के बीच रेल पथ का नवीकरण पूरा करने में असफलता। (674)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बांडेल-बरहरवां सेक्शन में बंजासुंआ से अजीमगंज के बीच रेलपथ का नवीकरण पूरा करने में असफलता। (675)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे में फरक्का बांध स्टेशन पर तिनसुखिया मेल और गोड एक्सप्रेस के दो मिनट के हाल्ट की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (676)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[कालका मेल और वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्म और मात्रा में सुधार करने की आवश्यकता। (677)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[हावड़ा डिवीजन में खगराघाट और सदर से जनता एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस गाड़ियों का आरक्षण का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता। (678)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[स्यालदाह डिवीजन में लालगोला, कृष्णापुर, भगवानगोला, मुर्शीदाबाद और माबता में प्लेटफार्म की सतह को ऊपर उठाने की आवश्यकता। (679)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[हावडा डिवीजन में लालबाग कोर्ट करना सुबरना चौरीगाचा, बाजारसाहू और गंगतीकुरी में प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करने की आवश्यकता। (680)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्यालदाह डिवीजन में लालगोला घाट स्टेशन के क्षेत्र की खाली पड़ी भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता। (681)]

"कि परिसम्पत्तियां--खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[रेलवे में, कार्य सेवारत मेंगमैना को खपाने की आवश्यकता। (682)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मृत रेलवे कर्मचारियों के लड़कों और आश्रितों को रेलवे में नौकरी देने में असफलता। (683)]

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल बोर्ड को समाप्त करने में असफलता। (689)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल बोर्ड की शक्तियों को कम करने और उस पर होने वाले व्यय को कम करने में असफलता। (690)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[भारतीय रेलों में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने में असफलता। (691)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल कर्मचारियों को आस्थगित मजदूरी के रूप में बोनस देने में असफलता। (692)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलों को व्यापारिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर एक उपयोगी सेवा के रूप में चलाने में असफलता जैसा कि माल भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि करने की नीति से परिलक्षित होता है। (693)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[गैर-सरकारी कम्पनी को राजसहायता की अदायगी बन्द करने तथा पूर्व रेलवे में कटवा और अहमदपुर के बीच गैर-सरकारी कम्पनी के स्वामित्व वाली छोटी लाईन का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता । (696)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रेलों में दुर्घटनाएं, चोरी और डकैती को रोकने में असफलता । (700)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[लोको-रनिंग स्टाफ के काम के घंटे कम करने में असफलता (701)]

'कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।'

[सभी रेल कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (702)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सभी महत्वपूर्ण जंक्शनों पर कर्मचारियों के लिए जलपान सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (703)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बर्दवान, दुर्गापुर मेमारी, कटवा और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (704)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गम मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[दुर्गापुर, कटवा, मेमारी और ऐसे अन्य जंक्शनों पर अन्तरंग और बहिरंग सुविधाओं सहित अस्पतालों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (705)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कर्मचारी मनोरंजन गृहों, अन्तरंग और बहिरंग लघु-स्टेडियमों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (706)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे में बर्दवान से कटवा और कटवा से अहमदपुर तक मीटरगेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने में असफलता। (707)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बन्देल कटवा तक दोहरी लाईन बनाने में असफलता। (708)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे में मेमारी, रसूलपुर और कटवा स्टेशनों के निकट ऊपरी पुल बनाने में असफलता (709)]

"कि परिसम्पत्तियां – खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के बगीला स्टेशन पर एक यात्री शेड बनाने में असफलता। (710)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[गिरीडीह से रांची, बरास्ता कोडरमा और हजारीबाग तक लाइन के सर्वेक्षण पर धन के दुरुपयोग का पता लगाने में असफलता। (711)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[गिरिडीह से रांची, बरास्ता कोडरमा और हजारीबाग तक प्रस्तावित लाइन के लिए लाभप्रद मार्ग अपनाने में असफलता। (712)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[गिरिडीह से रांची, बरास्ता कोडरमा और हजारीबाग टाउन तक प्रस्तावित लाइन का वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए ब्योरेवार यातायात सर्वेक्षण पूरा कराने में असफलता। (713)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[मुख्यालय से बाहर गये चैकिंग कर्मचारियों को विश्राम कक्ष एवं खाना पकाने की सुविधाएं देने में असफलता। (714)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[टिकट चैकिंग कर्मचारियों को रुपये 330-560 और 425-640 के समयबद्ध वेतन मान के अनुसार पदोन्नति देने में असफलता। (715)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को सभी राजपत्रित और वैकल्पिक छुट्टियां देने की आवश्यकता। (716)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[वाणिज्यिक कर्मचारियों को ढुलाई भत्ता, कोप-संभाल भत्ता और ग्रामीण कठिनाई-भत्ता देने में असफलता। (717)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ के नियमों और रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध) कब्जा अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जांच शक्तियों को समाप्त करने में असफलता (718)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[लोको शेड कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत लाने में विफलता। (719)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[समूचे लोको मैकेनिकल स्टाफ को वर्दी देने में असफलता। (720)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लोको मैकेनिकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर डीजल और इलैक्ट्रिक इंजिनों के शेडों में खपाने की आवश्यकता। (721)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लोको मैकेनिकल कर्मचारियों को वर्गवार पदोन्नति देना क्रियान्वित करने में असफलता। (722)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों को जोन से डिविजन स्तर तक बातचीत करने की सुविधायें प्रदान करने में असफलता। (723)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी रेल कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति आरम्भ करने में विफलता। (724)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[रेल प्रशासन की श्रमिक-विरोधी नीति को बदलने में असफलता । (725)]

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा-हल्दिया सेक्शन में दुर्गाचक (मछेदा हल्दिया बस रोड के नजदीक) पर एक फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता (756)]

"कि परिसम्पत्तियाँ—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं ।"

[दक्षिण पूर्व रेलवे के पांसकुरा-हल्दिया सेक्शन में महिषादल (गोनखाली रोड के समीप) एक फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता । (757)]

"कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा-हल्दिया सेक्शन में तनलुक मानिकतला (पांसकुरा बस रोड के नजदीक) एक फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता । (758)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा हल्दिया सेक्शन में तामलुकदीघा नई रेलवे लाइन बनाने में असफलता । (759)]

"कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा-हल्दिया सेक्शन में दूसरी लाइन बनाने में असफलता । (760)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा-खड़गपुर सेक्शन में तीसरी लाइन बनाने में असफलता । (761)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के मच्छेदा, पांसकुरा और बगनान स्टेशनों पर पान की टोकरियों की बुकिंग के लिये व्यवस्था करने की आवश्यकता । (762)]

"कि परिसम्पत्तियां - खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा-हल्दिया सेक्शन में गाड़ी पर एक और अप और डाउन चलाने की आवश्यकता (763)]

"कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-हावड़ा, पांसकुरा-हावड़ा, मच्छेदा-हावड़ा और बगनान-हावड़ा सेक्शनों पर गाड़ियां चलाने की आवश्यकता (764)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-मिदनापुर सेक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता । (765)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के पांसकुरा-हल्दिया सेक्शन पर तामलुक नन्दकुमार बस रोड पर तलमूखर के नजदीक लेवल क्रासिंग के स्थान पर ऊपरिसड़क पुल बनाने की आवश्यकता । (766)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर, मच्छेदा, कालाघाट और पांसकुरा स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिये और रिहायशी मकान बनाने की आवश्यकता । (767)]

"कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के मच्छेदा स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नया प्रतीक्षालय बनाने में असफलता । (768)]

"कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के रामराजतला स्टेशन पर यात्री सुविधायें और अधिक प्रदान करने की आवश्यकता । (769)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत पांसकुरा स्टेशन में रेलवे के क्षेत्र में स्थित बस रोड का निर्माण और मरम्मत करने की आवश्यकता । (770)

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेंड्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[दक्षिण रेल के अरुमुगानेरी स्टेशन पर छतदार मालगोदाम, जहां से बड़ी मात्रा में नमक का लदान किया जाता है, बनाने की आवश्यकता । (796)]

श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[अहमदपुर कटवा और बर्दवान कटवा लाइनों को लाभप्रद बनाने के लिए अहमदपुर कटवा और बर्दवान कटवा (छोटी लाइन) के बीच रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता । (802)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[अहमदपुर कटवा (छोटी लाइन) सैक्शन पर कुर्माडिंगा हाल्ट स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा प्रदान करने की आवश्यकता । (803)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[हावड़ा डिवीजन में जीवंती हाल्ट स्टेशन का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता । (804)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बन्देल-आजिमगंज सैक्शन पर जीवंती और कनथटिया हाल्ट स्टेशनों पर प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता । (805)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[सियालदाह-लालगोला डिवीजन सुवर्णमरिगी और पिरटले हाल्ट स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता । (806)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[हावड़ा डिवीजन में खगराघाट रोड स्टेशन के पश्चिमी छोर पर (प्लेटफार्म संख्या 2 पर) उपरि पुल के साथ एक जालीदार फाटक लगाने की आवश्यकता । (807)]

"कि परिसम्पत्तियां – खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[सियालदाह और हावड़ा डिवीजन में दूसरी श्रेणी के डिब्बों में रोशनी, पंखे, पानी और सफाई जैसी सुविधाएं प्रदान करने में असफलता । (808)]

"कि परिसम्पत्तियां – खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[हावड़ा-गया और हावड़ा-नालहटी पैसेंजर रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों को ठीक हालत में रखने में असफलता । (809)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[रेल भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जाने को रोकने में असफलता । (810)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[रेलवे भूमि को वार्षिक आधार पर भूमिहीनों को देने की आवश्यकता । (811)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[गौड़ एक्सप्रेस को हावड़ा से मालदा वरास्ता आजिमगंज सप्ताह में कम से कम दो बार चलाने की आवश्यकता । (812)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में विशेषरूप से कालका और वातानुकूलित एक्सप्रेस में, पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (813)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[रेलवे किरायों और भाड़ों में अनुचित वृद्धि, जो मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति का एक कारण है । (814)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[निःशक्त व्यक्तियों को रेलवे किराये में रियायत प्रदान करने की आवश्यकता । (815)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[घायल होने और मृत्यु होने पर देय प्रतिकर की दर बढ़ाने की आवश्यकता । (816)]

'कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[रेल दुर्घटनाओं में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से निःशक्त हुए लोगों को पेंशन देने का उपबन्ध करने की आवश्यकता । (817)]

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[गाड़ियों को समय पर चलाया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता । (818)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[भारतीय रेलों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोटे के अनुसार भर्ती करने की आवश्यकता । (819)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[सभी स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (820)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

]सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, अच्छी केन्टीनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (821)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[कालका मेल में अच्छा खाना देने की आवश्यकता । (822)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता । (823)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[दक्षिण-पूर्व रेलवे के नूतनचट्टे रेल फाटक पर स्थित गेटमैन का क्वार्टर, जिससे अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं, को हटाने की आवश्यकता । (824)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[बांकुरा और रायनगर रेलवे स्टेशनों के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता । (825)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बी० डी० आर० रेलवे में बांकुरा और रायनगर के बीच तीन गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (826)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बांकुरा को मेझिया से एक नई रेल लाइन द्वारा जोड़ने की आवश्यकता (827)]

"कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बी० डी० आर० रेलवे के सभी पुराने, अप्रचलित तथा खराब रेल इन्जनों को बदलने की आवश्यकता। (828)]

"कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बी० डी० आर० रेलवे की रेल लाइनों को बदलने की आवश्यकता। (829)]

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्व रेलवे के कटवा-अहमदपुर और बर्दवान-कटवा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (830)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्व रेलवे के साहिबगंज सेक्शन में नलहटी और मुनराई स्टेशनों के समीप ऊपरी सड़क पुल बनाने की आवश्यकता। (831)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्व रेलवे के कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइव) सेक्शन में वरीयता और योग्यता के आधार पर नैमित्तिक मजदूरों और खलासियों को नियमित करने की आवश्यकता। (832)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्व रेलवे के कटवा-अहमदपुर, बर्दवान-कटवा (छोटी लाइन) सेक्शनों में यात्री गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (833)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्व रेलवे के खाना-सेंथिया, अडल-सेंथिया, साहिबगंज और कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइन) सेक्शनों में गाड़ियों को समय पर चलाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (834)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[करनादनगर हाल्ट स्टेशन को पूर्ण स्टेशन में बदलने तथा वहां पर एक गुमटी वाला रेल फाटक बनाने की आवश्यकता। (835)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[बड़हरवा और बर्दवान के बीच एक ऐसी गाड़ी चलाने की आवश्यकता जो इस दूरी को 10 घंटे में पूरा करे। (836)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[1 ए० एस० अप/4 ए० एस० डाउन और 5 ए० एस० अप/8 ए० एस० डाउन गाड़ियों को रामपुर हाट तक बढ़ाने की आवश्यकता। (837)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रु० किया जाए।"

[रामपुर हाट और हावड़ा-बरास्ता सिडरी के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (838)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[335/336 विश्व भारती फास्ट पैसेंजर गाड़ी को डीजल से चलाने और उसे राजग्राम तक बढ़ाने तथा 317/318 तारापीठ पैसेंजर गाड़ी को डीजल से चलाने और 'अप' दिशा में इसके मार्ग को 351 बर्दवान किऊल पैसेंजर गाड़ी से बदलकर उसे पाकुर तक बढ़ाने की आवश्यकता। (839)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्व रेलवे के कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइन), बर्दवान-कटवा (छोटी लाइन) सेक्शनों पर गाड़ियों में रोशनी, सफाई और शौचालयों में पानी की व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता। (840)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पूर्व रेलवे के कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइन) सेक्शनों में दशकलग्राम स्टेशन पर बायलर और पानी की टंकी को नियमित रूप से चलाने की आवश्यकता। (841)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों के लिए मकान, चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (842)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेल प्रशासन की श्रमिक-विरोधी नीति बदलने में असफलता। (843)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[लोको रनिंग कर्मचारियों को पुन: बहाल करने और उनके विरुद्ध की गई सभी कार्रवाइयों को वापस लेने में असफलता। (844)]

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 81-88) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के साहिबगंज अन्डल-सैथिया, बंदेल-आज़िमगंज सेक्शनों में रामपुर हाट और अन्य महत्वपूण स्टेशनों पर प्राथमिक और उच्चतर मध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (845)]

श्री रेणुपद दास (कृष्ण नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेलों में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने में असफलता। (846)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 कम किए जायें।"

[कृष्ण नगर सिटी जंक्शन में दूसरा टिकट घर खोलने की आवश्यकता। (854)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सियालदह डिवीजन में कृष्णनगर रेल स्टेशन पर कुछ लोगों द्वारा प्रयुक्त टिकटों की बिक्री रोकने की आवश्यकता। (855)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[सियालदह डिवीजन में लालगोला और रानाघाट के बीच सर्वाधिक भीड़भाड़ के समय अधिक स्थानीय गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (856)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[1978 में आई बाढ़ में बह गई रेजीनगर और बेलडांगा के बीच की लाइन को मजबूत करने की आवश्यकता। (857)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदह स्टेशन के अन्तर्गत देबग्राम में लाइनों के दोनों ओर ऊंचे प्लेटफार्म और एक पैदल पुल बनाने की आवश्यकता। (858)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कृष्णनगर सिटी जंक्शन के लिए एक पहुंच मार्ग के उचित रख-रखाव की आवश्यकता। (859)]

"कि परिचालन व यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभार्थ सियालदह-लालगोला एक्सप्रैस रेलगाड़ी को फिर से चलाने की आवश्यकता। (861)]

"कि परिचालन व यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रानाघाट-लालगोला और रानाघाट-गेडे सेक्शनों में समय पर गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (862)]

"कि परिचालन व यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[366/367 लालगोला यात्री गाड़ी तथा अन्य यात्री गाड़ियों में पर्याप्त संख्या में दूसरे दर्जे के डिब्बे लगाने की आवश्यकता। (863)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह डिवीजन में बेलडांगा स्टेशन पर यात्रियों के लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता। (864)]

"कि विविध संचालन व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह डिवीजन में मुरागच्छा और बेलडांगा स्टेशनों के बीच माल डिब्बों को तोड़कर सामान को लूटने को रोकने की आवश्यकता। (865)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जाएं।"

[राणाघाट और पयारडांगा स्टेशनों के बीच विद्यमान फाटक के स्थान पर सियालदाह डिवीजन में मुख्य लाइन पर राणाघाट के निकट सड़क पर ऊपरिपुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (866)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जाएं।"

[सियालदाह डिवीजन में लालगोला-राणाघाट सेक्शन पर बहादुरपुर, भट्टा और सोनाडांगा फ्लेग स्टेशनों को गाड़ियों को देर से चलने की स्थिति में केवल सुधार करने के लिए क्रासिंग स्टेशनों में बदलने की आवश्यकता। (867)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जायें।"

[सियालदाह डिविजन में राणाघाट और लालगोला के बीच दोहरी लाइन बनाने में असफलता जैसाकि पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने सुझाव दिया है। (868)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जाएं ।"

[कृष्णनगर सिटी जंक्शन से आगे लालगोला-राणाघाट सेक्शन का विद्युतीकरण करने में असफलता । (869)]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायेंगे ।"

[गुरुवायूर-कुट्टीपुरम् रेल लाइन (दक्षिण रेल) का बिना किसी विलम्ब के निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता । (925)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएंगे ।"

[केरल में, जहां प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से राष्ट्रीय औसत किलोमीटर बहुत कम है, नई रेल लाइनों की आवश्यकता । (926)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायेंगे ।"

[शोरानूर-मंगलौर लाइन (दक्षिण रेल) को दोहरा करने की आवश्यकता । (927)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएंगे ।"

[केरल में रेल लाइनों के निर्माण के लिए पर्याप्त धन देने की आवश्यकता । (928)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएंगे ।"

[मंगलौर-बम्बई योजक रेल लाइन की आवश्यकता । (929)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएगे ।"

[केरल में बिजली की अधिकता को देखते हुए और प्राय: होने वाली कोयले की कमी के कारण रेलों को रद्द किये जाने रोकने के लिए केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की आवश्यकता । (930)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएगे ।"

[केरल में एक वर्कशाप स्थापित करने की आवश्यकता । (931)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये किए जाएंगे ।"

[दक्षिण रेल के शोरानूर-मंगलोर सैक्शन में और अधिक यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (932)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायेंगे ।"

[69/70 येरकण्ड एक्सप्रेस (दक्षिण रेल) को कालीकट तक बढ़ाने की आवश्यकता । (933)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायेंगे ।"

[तिरूर (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेल) पर इस पिछड़े जिले में छोटे पान व्यापारियों पर होने वाले कुप्रभाव को रोकने के लिए पान व्यापारियों को पर्याप्त संख्या में वैगन देने की आवश्यकता । (934)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायेंगे ।"

[तिरूर स्टेशन (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेल) पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (935)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएंगे ।"

[सभी रेल कर्मचारियों को, विशेषकर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर देने की आवश्यकता । (936)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये गे ।"

[बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता । (937)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायेंगे ।"

[रेलों में बढ़ती हुई डकैतियों को रोकने की आवश्यकता । (938)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[दक्षिण रेल के शोरानूर मंगलोर सैक्शन में स्टेशनों पर यात्रियों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता । (939)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कुट्टीपुरम स्टेशन (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेल) को सुधारने और उसका विस्तार करने की आवश्यकता । (940)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[वालोकुन्नु हाल्ट स्टेशन (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेल) को बढ़ाकर ब्लाक स्टेशन में बदलने की आवश्यकता । (941)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[तिरूर स्टेशन (शोरानूर सैक्शन, दक्षिण रेल) पर और कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (942)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[दक्षिण रेल में 59/60 यात्री गाड़ियों और 47/48 एक्सप्रेस गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता । (943)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कालीकट तथा अन्य स्टेशनों पर गाड़ी संख्या 60 (दक्षिण रेल) को सामान्यत: काफी समय तक रोके जाने को बन्द करने की आवश्यकता जिससे यात्रियों को कठिनाई होती है । (944)]

"कि सामान्य अधीक्षक और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाए ।"

[दक्षिण रेल के शोरानूर सैक्शन में कडालुण्डी पर रेल फाटक की आवश्यकता । (945)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[जयन्ती जनता ट्रेन के लिए कालीकट में आरक्षण कोटा बढ़ाने की आवश्यकता । (946)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[मलाबार क्षेत्र (दक्षिण रेल) से होकर गुजरने वाली प्रत्येक मेल और एक्सप्रैस रेल गाड़ी में बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये अधिक डिब्बे जोड़ने की आवश्यकता। (947)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[सभी रेल फाटकों पर गेटमैन नियुक्त करने की आवश्यकता । (948)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[के० के० एक्सप्रैस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की आवश्यकता । (949)]

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के सियालदाह लालगोला सेक्शन में पीरतला हाल्ट को पूरे स्टेशन में बदलने की आवश्यकता । (977)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सियालदाह और लालगोला के बीच चलने वाली गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाने की आवश्यकता । (978)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के सियालदाह डिवीजन में कृष्णा नगर से लालगोला तक रेल लाइन को दोहरा करने में असफलता । (979)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल में सियालदाह और लालगोला तथा हावड़ा और फरक्का के बीच चलने वाली गाड़ियों का डीजलीकरण करने में असफलता । (980)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[सियालदाह डिवीजन में कृष्णा नगर और लालगोला के बीच शटल गाड़ी चलाने में असफलता । (981)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल में सियालदाह और लालगोला के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने में असफलता । (982)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के हावडा-फरक्का सेक्शन में 347 अप और 348 डाउन गाड़ियों को मनीग्राम और महीपाल रोड स्टेशनों पर ठहराना पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता । (983)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के हावड़ा-फरक्का सेक्शन में मनीग्राम स्टेशन पर गया यात्री गाड़ी (डाउन) को ठहराना पुन: आरम्भ करने की आवश्यकता । (984)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के फरक्का बांध स्टेशन पर तिनसुखिया मेल को ठहराने की आवश्यकता । (985)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के लालगोला स्टेशन के निकट कोडल, काटी और मंगा में अनधिकृत व्यक्तियों से सैकड़ों एकड़ रेल भूमि का कब्जा लेने और भूमिहीन कृषकों में उसका वितरण करने की आवश्यकता । (986)]

श्री गदाधर साहा (वीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बरहरवां और बर्दवान के बीच दो गाडियां, जो 10 घंटे में बर्दवान पहुंचे, चलाने की आवश्यकता । (987)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पूर्व रेल के कटवा अहमदपुर (छोटी लाइन) सेक्शन में दुरूकलग्राम स्टेशन से गोदाम को न हटाने की आवश्यकता । (988)]

श्री जायनल अबेदिन (जंगीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवाये शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सियालदाह डिवीजन के राणाघाट-लालगोला सेक्शन पर गाड़ियों को समय पर चलाने की आवश्यकता । (989)]

"कि सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्व रेल के हावड़ा और फरक्का तथा आजिमगंज और नलहटी के बीच गाड़ियों और लाइनों के डीजलीकरण की आवश्यकता । (990)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[पूर्व रेल में जयगंज और आजिमगंज के बीच सम्पर्क लाइन बिछाने की आवश्यकता । (991)]

"कि परिसम्पत्तियां —खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सियालदाह-लालगोला लाइन को जंगीपुर तक बढ़ाने की आवश्यकता । (992)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100रुपये कम किये जायें ।"

[कांडी, बरहामपुर और जलंगी के रास्ते सेंथिया से करीमपुर तक नई लाइन बिछाने की आवश्यकता । (993)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सियालदाह-लालगोला सेक्शन में कृष्णपुर स्टेशन से वर्तमान पक्की सड़क तक एक पहुंच सड़क के निर्माण की आवश्यकता । (994)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पूर्व रेल के हावड़ा-फरक्का तथा सियालदाह-लालगोला सेक्शनों में गाड़ियों के विलम्ब से चलने को के लिये पुराने इंजनों के बदलाव की आवश्यकता । (995)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत में मांग 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पूर्व रेल के आजिमगंज-नलहटी सेक्शन के सागरदिघी स्टेशन और हावड़ा-फरक्का सेक्शन में महीपाल स्टेशन पर यात्रियों को धूप और वर्षा से बचाने के लिये शेडों के निर्माण की आवश्यकता । (996)]

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइन) सेक्शन मे दस्कलग्राम और जानदास केन्द्र के बीच कुरमाडांगा हाल्ट को पूरे स्टेशन में बदलने और इस स्टेशन के निकट सड़क पर लैवल क्रासिंग के निर्माण की आवश्यकता । (997)]

"कि परिसम्पत्तियां खरीद निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल के कटवा-अहमदपुर (छोटी लाइन) सेक्शन पर किरणहार और महेशपुर स्टेशनों के बीच किरणहार रेल स्वास्थ्य केन्द्र के निकट रेल लाइन पर लैवल क्रासिंग के निर्माण की आवश्यकता । (998)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[अहमदपुर-कटवा (छोटी लाइन) सेक्शन में दस्कलग्राम और किरणहार स्टेशनों के बीच जुबतिया के समीप एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता । (999)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

(पूर्व रेल के बंडेल-सालार सेक्शन में गंगा टिकुरी स्टेशन के दोनों ओर प्लेटफार्मों को ऊंचा करने की आवश्यकता । (1000)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[गया पटना रेल सेक्शन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता । (001)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[पूर्व रेल में परसाबाद, थर्माटांड, चोबे और चौधरी बांध में प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता । (1002)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 10० रुपए कम किये जाएं।"

मुगलसराय से पटना रेल सैक्शन का विद्युतीकरण करके डीजल की बर्बादी बचाने की आवश्यकता। (1003)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पटना-गया रेल लाइन को दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता। (1004)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेल के बोकारो स्टील सिटी-तुपकाडीह से तालधरिया तक 30 किलोमीटर की बन रही रेल लाइन के बीच रानीपोखर ग्राम में 2 कि० मी० भूअर्जन नहीं करने से निर्माण कार्य पूरा करने में विलम्ब। (1005)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

[पूर्व रेल के अन्तर्गत लिलुआ वर्कशाप में "विश्वकर्मा पूजा" को परम्परागत कर्मचारियों की इच्छा के विरुद्ध करने में 1981 से बाधा डाली जाना। (1006)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेल कर्मचारियों को खासकर कचरापाड़ा, लिलुआ, पटना, गया, मुगलसराय, धनबाद, झाझा, आसनसोल के बड़े रेल जंक्शनों में, आवास देने की आवश्यकता। (1007)]

"कि रेलवे बोड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सेवा मुक्त रेल कर्मचारियों के बेकारीग्रस्त पत्रों या आश्रितों को नियमानुसार रोजगार में लगाने की आवश्यकता। (1008)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 10० रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेल के ग्रैन्ड वार्ड लाइन के सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म, शेड, प्रतीक्षालय, पानी के नल बनाने अथवा पेय जल की सप्लाई करने की आवश्यकता। (1009)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[धनबाद और डेहरी ओनसोन सैक्शन पर वहां के जरूरतमन्द यात्रियों के लिए और अधिक यात्री गाड़ियां चालू करने की आवश्यकता। (1010)]

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियां - खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[तिरुनेलवेल्ली-तूतीकोरिन रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी परियोजना के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1016)]

श्री रेणुपद दास (कृष्ण नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल प्रशासन की श्रम विरोधी नीति का विरोध करने के कारण दंडित किए गए लोको रनिंग कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता। (1022)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[लोको शेड कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने और उन्हें कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता। (1024)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सियालदाह डिवीजन के अन्तर्गत शांतिपुर-कृष्णनगर-नवद्वीप छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (1025)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बुन्देल कटवा सेक्शन में कटवा जंक्शन के प्लेटफार्मों के बीच स्थित रेल लाइनों को साफ सुथरा रखने की आवश्यकता। (1026)]

श्री मतिलाल हसदा (झाड़ग्राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[दक्षिण पूर्व रेलवे में गोकुलपुर स्टेशन पर इकहरी लाइन को दोहरी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (1027)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर और पुरूलिया के बीच और एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (1028)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर और अडरा के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (1029)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[दक्षिण पूर्व रेलवे के बागड़ी स्टेशन पर यात्री शेड बनाने की आवश्यकता। (1030)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के कारण सेवा से बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को बहाल करने की आवश्यकता। (1031)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलों में खान-पान सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता। (1032)]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सियालदाह डिवीजन के शेष भाग का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (1033)]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोलानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति की सिफारिशों को रेलों के संबंध में क्रियान्वित करने की आवश्यकता। (1043)]

"कि परिचालन व्यय—यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दक्षिण रेल के ओलावाकोट डिवीजन में रेलगाड़ी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता। (1044)]

श्री रेणुपद दास (कृष्ण नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[लोको रनिंग कर्मचारियों के कार्य के घंटे कम करने में असफलता। (1060)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[19 जनवरी, 1982 को अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों को दिये गए कारण बताओ नोटिसों को वापस लेने में असफलता। (1061)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों से इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए समान भाड़ा-दर निर्धारित करने, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी मूल्य पर उपलब्ध हो सकें, में असफलता। (1062)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने को रोकने में असफलता जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। (1063)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[नगर के दैनिक यात्रियों के शीघ्र आने जाने के लिए कलकत्ता के चारों ओर परिक्रमा रेल चलाने के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, वर्तमान लाइनों में बदलने और नई लाइनें बिछाने में असफलता। (1064)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[यात्रियों के यातायात के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने में असफलता। (1065)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[कलकत्ता क्षेत्र में दैनिक यात्रियों की तेजी से बढ़ रही सख्या को पर्याप्त सुविधा देने के लिए कलकत्ता मैट्रो के कार्य में शीघ्रता लाने और उसे समय पर आरम्भ करने में असफलता॥ (1066)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र में दैनिक कर्मचारियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने में असफलता। (1067)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सियालदह डिवीजन के अर्न्तगत कृष्णा नगर सिटी स्टेशन के प्रतीक्षालयों और प्लेटफार्मों पर स्वच्छता तथा सफाई रखने की आवश्यकता। (1 68)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे सुरक्षा बल के बरहामपुर और रेनाघाट यूनिटों की छीनापटी करने वालों और डाकुओं पर काबू पाने में असफलता। (1069)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[सियालदह और बज-बज के बीच दक्षिणी और दक्षिणी उपनगर कलकत्ता के दैनिक यात्रियों के निर्बाध और सुगम आवागमन के लिए थोड़े-थोड़े अन्तर पर ई० एम० यू० सेवाओं की व्यवस्था करने में असफलता। (1070)]

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[36०/370 लालगोला सियालदह पैसेंजर में एक अतिरिक्त शयनयान लगाने तथा दूरगामी यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में असफलता। (1071)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के रानाघाट-लालगोला सैक्शन में गाड़ियों के लेट चलने तथा उनके अस्त-व्यस्त होने को रोकने के लिये अत्यन्त पुराने तथा जर्जरित भाप इंजनों को बदलने को आवश्यकता। (1072)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बेलदनगर स्टेशन के लिये पास के राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 से एक पहुंच सड़क बनाने की आवश्यकता। (1073)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कृष्ण नगर सिटी—करीमपुर—शिकारपुर (ओ० ए०) बस मार्ग के साथ-साथ कृष्ण नगर सिटी जंकशन से शिकारपुर तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1074)]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[हटिया-छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस में भोजनयान या पेन्ट्री कार लगाने की आवश्यकता। (1075)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल बोर्ड को समाप्त करने की आवश्यकता। (1076)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[रेल गाड़ियों के डिब्बों और शौचालयों में सफाई रखने की आवश्यकता। (1077)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[बारबार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता, जिनके कारण जान माल की हानि होती है। (1078)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[रेलों में कदाचार, चोरी और बर्बादी को समाप्त करने की आवश्यकता। (1079)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारतीय रेलों में बढ़िया और अधिक कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति और परिलब्धियां देने की पद्धति लागू करने की आवश्यकता। (1080)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[रेलों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की आवश्यकता। (1081)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी बनाने की आवश्यकता। (1082)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलों को समय पर चलाने की आवश्यकता। (1083)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[भारतीय रेलों में निर्धारित कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती करने की आवश्यकता। (1084)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद-निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बहुत पुरानी रेल-लाइनों को बदलने की आवश्यकता, जिनके कारण बार-बार दुर्घटनायें होती रहती हैं। (1085)]

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[भारतीय रेलों में नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी बनाने की आवश्यकता। (1086)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[सीरमपुर और हावड़ा स्टेशनों के बीच पान के पत्तों की बुकिंग के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1087)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[रेल कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने की आवश्यकता। (1088)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों को भोजन ले जाने के लिए अधिक वैगनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1089)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[तारकेश्वर और आरामबाग के बीच नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता। (1090)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[कलकत्ता में सरकूलर रेल बनाने की आवश्यकता। (1091)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[कलकत्ता में भूमिगत रेल तेजी से बनाने की आवश्यकता। (1092)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[भूमिगत रेल के कई स्थानों पर धंसने को रोकने की आवश्यकता। ((1093)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[आरक्षण में कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (1094)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेलों में स्थान बढ़ाने तथा रोशनी और पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1095)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[सभी रेलगाड़ियों को समय पर चलाने की आवश्यकता। (1096)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल यात्रा में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। [1097)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[मांग के अनुसार पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (1098)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[लोको रनिंग स्टाफ की न्यायोचित मांगों को पूरा करने की आवश्यकता। 1099)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[रेल दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (1100)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेलों में डकैतियों को रोकने की आवश्यकता। (1101)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलगाड़ियों में चोरी को रोकने की आवश्यकता। (1102)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेलों में उठाईगिरी को रोकने की आवश्यकता। (1103)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[बादेल और कटवा के बीच लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (1104)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[श्योराफुली और तारकेश्वर के बीच लाइन का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (1105)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[बुन्देल, चुचुरा, चन्द्रनगर, भद्रेश्वर, सीरमपुर, हिन्डमोटर और हावड़ा पर आरक्षण के लिए और अधिक काउण्टर खोलने की आवश्यकता। (1106)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[बन्देल स्टेशन पर बन्देल भूमिगत-मार्ग में पानी के जमा होने की समस्या को हल करने की आवश्यकता। (1107)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[हावड़ा और बन्देल के बीच दूसरी अप लाइन बनाने की आवश्यकता। (1108)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[बन्देल और हावड़ा के बीच और अधिक रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (1109)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।'

[पूर्व रेलवे में हावड़ा और बुर्दवान के बीच 'कार्ड' लाइन में बलारम्बाती पर रेल लाइन के नीचे एक सड़क बनाने की आवश्यकता। (1110)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[पूर्व रेलवे पर बन्देल और नैहाटी के बीच रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (1111)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[हावड़ा और सीखाला तथा हावड़ा और आमटा के बीच बड़ी लाइन बनाने की आवश्यकता। (1112)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बन्देल और भद्रेश्वर के बीच एक तीसरी लाइन बनाने की आवश्यकता। (1113)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बन्देल स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (1114)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में बन्देल और कटवा के बीच दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता। (1115)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में श्योराफुली और तारकेश्वर के बीच दोहरी लाइन बनाने की आवश्यकता। (1116)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में भद्रेश्वर और वैद्यवाटी के बीच खुरीगाची पर हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता। (1117)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेल सेवा आयोगों में भर्ती के मामले में कदाचारों और अनियमितताओं को रोकने में असफलता। (1122)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को वर्दी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की आवश्यकता। (1123)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे में ऐसे कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता, जिनकी पदोन्नति अपने वेतनमानों में रुकी हुई है। (1124)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेलवे में कार्य विश्लेषण के आधार पर कर्मचारियों का कार्यभार निश्चित करने की आवश्यकता। (1125)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को बोनस देने की आवश्यकता (1126)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[समान कार्य के लिए समान वेतनमान देने की आवश्यकता। (1127)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भारतीय रेलवे के डाक्टरों के सम्बन्ध में शर्मा आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता। (1128)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[क्षेत्रीय मुख्यालयों, मण्डलीय मुख्यालयों तथा वर्कशापों में अधीनस्थ निरीक्षण कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में विश्रामगृहों का निर्माण करने की आवश्यकता। (1129)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बड़े रेलवे स्टेशनों पर गाड़ी टिकट निरीक्षकों के लिए विश्राम कक्षों की व्यवस्था करने की आवश्यकता (1130)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन स्टेशन का पूर्ण विकास करने के उपाय करने की आवश्यकता। (1131)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पटना जंक्शन स्टेशन पर सफाई की असंतोषजनक व्यवस्था। (1132)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं।"

[पटना जंक्शन के प्रतीक्षालयों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता। (1133)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के राजेन्द्र नगर स्टेशन पर उपरि पुल के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता। (1134)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के राजेन्द्र नगर स्टेशन पर और अधिक गाड़ियों को रोकने की आवश्यकता। (1135)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नं० 4 और 5 पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1136)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के पटना सचिवालय के निकट उपरि पुल बनाने की आवश्यकता। (1137)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पटना जंक्शन से जहानाबाद, मोकामा और बक्सर तक सबर्बन रेल गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (1138)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पटना-गया रेल लाइन को दोहरा बनाने की आवश्यकता। (1139)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पटना-हाटिया एक्सप्रेस को तारेगना स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता। (1140)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के बंकाघाट स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों पर शेड बनाने की आवश्यकता। (1141)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के गुलजारबाग स्टेशन के अप प्लेटफार्म पर शेड बनाने की आवश्यकता। (1142)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं।"

[पूर्व रेलवे के कुलवारी स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता। (1143)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के नेऊरा स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों को ऊंचा करने की आवश्यकता। (1144)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जाएं।"

[पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन के परसा बाजार स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों को ऊंचा करने की आवश्यकता। (1145)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन के सभी स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड बनाने की आवश्यकता। (1146)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[हजारीबाग के रास्ते रांची से गिरीडीह तक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1147)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[भारतीय रेलवे में राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों को पूर्णरूप से लागू करने की आवश्यकता। (1148)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन पर सोनभद्र एक्सप्रेस गाड़ी को रोकने की आवश्यकता (1149)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना से कलकत्ता तक एक तेज रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1150)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पूर्व रेल के आसनसोल से मुगलसराय स्टेशन तक विद्युतिकरण करने की आवश्यकता। (1151)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[भागलपुर से दिल्ली तक चलने वाली विक्रमशिला गाड़ी को रोजाना चलाने की आवश्यकता। (1152)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पटना से दिल्ली तक चलने वाली सोनभद्र एक्सप्रैस गाड़ी को रोजाना चलाने की आवश्यकता। (1153)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सोनभद्र एक्सप्रैस गाड़ी में विभागीय खानपान की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1154)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सोनभद्र एक्सप्रैस गाड़ी में पैंट्री कार लगाने की आवश्यकता। (1155)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कलकत्ता से बरास्ते पटना दिल्ली तक जाने वाली डीलक्स गाड़ी को सप्ताह में दो दिनों से अधिक चलाने की आवश्यकता। (1156)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी रेल गाड़ियों में विभागीय खानपान की व्यवस्था चालू करने की आवश्यकता। (1157)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन देने की आवश्यकता। (1171)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आरा-सहसराम रेलवे के सर्वे का काम शीघ्र पूरा कर उसे बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (1172)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[सभी रेल गाड़ियों में चार्ज लेकर बिछावन देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1173)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेल यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि को रद्द करने की आवश्यकता (1174)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे की खाली जमीनों को बेरोजगार नौजवानों को किराया लेकर देने की आवश्यकता। (1175)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[तिनसुखिया मेल में पटना से दिल्ली तक जाने के लिए कुछ शायिकाओं का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता। (1176)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[संथाल परगना जिले में नई रेल लाइन बनाने की आवश्यकता। (1177)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[चितरंजन से दुमका तक बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1178)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[दुमका के रास्ते देवधर से रामपुर तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1179)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के सदीसोपुर रेलवे स्टेशन की गुमटी पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने की आवश्यकता। (1180)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता। (1181)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे के मालिकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को बन्द करने की आवश्यकता। (1182)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रेल गाड़ियों में खानपान की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता। (1183)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेल गाड़ियों में भोजन जलपान, की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता। (1184)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

[रेल गाड़ियों में मिलने वाले भोजन के मूल्य को कम करने की आवश्यकता। (1185)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे के पटना जंक्शन पर आर० एम० एस० के कार्यालय तक फैले प्लेटफार्म पर शेड बनाने की आवश्यकता। (1186)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गया और कोडरमा के रास्ते पटना से धनबाद तक "भाइका एक्सप्रेस" नामक एक नई रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1187)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे बोर्ड की मजदूर विरोधी नीति का परित्याग करने की आवश्यकता। (1188)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेलवे बोर्ड के भारी भरकम प्रशासन के व्यय को कम करने की आवश्यकता। (1189)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के रानीपुर रेलवे कालोनी में मच्छरों के प्रकोप को दूर करने में असफलता।] (1190)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षा शुल्क के भुगतान में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने की आवश्यकता। (1191)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[सभी रेल कालोनियों में खेलकूद करने की व्यवस्था की आवश्यकता। (1192)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे स्कूलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (1193)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[दानापुर (पूर्व रेलवे) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता। (1194)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल कर्मचारियों के लिए विश्राम गृहों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (1195)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के दानापुर स्थित डिविजनल मैनेजर के कार्यालय में जलपान-गृह की असंतोषजनक व्यवस्था। (1196)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन मुख्यालय में पेंशन लेने के लिए आने वाले लोगों के ठहरने की असंतोषजनक व्यवस्था। (1197)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी रेलवे अस्पतालों में विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता। (1198)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी रेलवे अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता। (1199)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे में दानापुर स्थित अस्पताल में इमर्जेन्सी बिजली रोशनी की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1200)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेल कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के 8.33 निम्नतम बोनस देने की आवश्यकता। (1201)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस देने की नीति को बदलने की आवश्यकता। (1202)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेलवे में खानपान की दयनीय स्थिति। (1203)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे में निजी खानपान व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता। (1204)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[शयनयानों के आरक्षण में कदाचार को समाप्त करने की आवश्यकता। (1205)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गम मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[इन्डियन रेलवे चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1206)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आल इन्डिया सिगलन एण्ड टेली-कम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (.207)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।'

[आल इन्डिया रेलवे मैंस फेडरेशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1208)]

'कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल जोनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (1209)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वी रेलवे में राजगीर से गया तक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1210)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिये जाएं।"

[कोल एण्ड नौट हैंडलिंग मजदूरों की मांगों को स्वीकार करने तथा वहां से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता। (1211)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेलवे में सैलून और निरीक्षण कोचों को समाप्त करने की आवश्यकता।(1212)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आल इन्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1213)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।'

[आल इन्डिया रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1214)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आल इन्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1215)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[इन्डियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1216)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[आल इन्डिया गार्ड कौंसिल की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1217)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इन्जनों की मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जों की सप्लाई करने की आवश्यकता। (1218)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[इन्जनों के लिए अच्छे कोयले की सप्लाई करने की आवश्यकता। (1219)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[भापचालित इन्जन लोको शेडों में काम करने वाले कर्मचारियों को डीजन और विद्युत-चालित इन्जनों की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता। (1220)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[वैगनों की कमी को दूर करने की आवश्यकता। (1221)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किये जायें।"

[बिहार के संथाल परगना जिले में बौंसी मंदार हिल नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1222)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपए कम किए जायें।"

[बिहार में जसीडीह से देवघर तक बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1223)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पटना जंकशन स्टेशन पर सफाई-व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। (1224)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में सौ रुपये कम किये जायें।"

[पटना जंकशन पर गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1225)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[पटना जंकशन पर रिटायरिंग कमरों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता। (1226)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[बिहार दैनिक यात्री संघ की मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1227)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[खराब इन्जनों की मरम्मत करने की आवश्यकता । (1228)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं ।"

[पुराने भाप-इन्जनों को बदलने की आवश्यकता । (1229)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[लोको रनिंग स्टाफ के आन्दोलनों के क्रम में दण्डित रेल मजदूरों के दण्डों को समाप्त करने में असफलता . (1230)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[ईस्टर्न रेलवे इन्जीनियरिंग कामगार यूनियनों की 21 सूत्री मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता । (1231)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में निलम्बित गैंगमैनों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को समाप्त करने की आवश्यकता । (1232)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें ।"

[पूर्व रेलवे के दानापुर स्टेशन पर विभागीय कैंटीन शुरू करने की आवश्यकता (1233)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[एन० एफ० रेलवे के कटिहार रेलवे स्टेशन पर निजी खानपान की व्यवस्था को समाप्त कर विभागीय व्यवस्था चालू करने की आवश्यकता । (1234)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कटिहार में खानपान व्यवस्था में एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता । (1235)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[रेलवे में गैंगमैनों की काम करने और रहने की दशा में सुधार लाने की आवश्यकता । (1236)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"

[आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश बन्द करने की आवश्यकता । (1237)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की आवश्यकता । (1238)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[गाड़ियों में डकैतियों, चोरियों की बढ़ी हुई घटनाओं को रोकने की आवश्यकता। (1239)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेलवे अस्पतालों में आवश्यक औषधियों का अभाव। (1240)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर में रेलवे कालेज खोलने की आवश्यकता। (1241)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेल कर्मचारियों के सभी क्वार्टरों में पखे लगाने की आवश्यकता। (1242)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[सभी रेल कर्मचारियों को आवासी सुविधाएं देने की आवश्यकता। (1243)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बरौनी से बोंगाईगांव (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में अनावश्यक विलम्ब। (1244)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के गुलजार बाग स्टेशन के पूर्व में स्थित रानीपुर मौहल्ले के नागरिकों के लाभ के लिए क्रासिंग का निर्माण करने की आवश्यकता। (1245)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के पटना-गया लाइन पर परसाबाजार, पथाही, नदवां, नदांल स्टेशनों के प्लेट-फार्मों को ऊंचा करने तथा शेडों का विस्तार करने की आवश्यकता। (1246)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के पटना साहब के निकट बेगमपुर मौहल्ले में रेलवे पुल को ऊंचा करने की आवश्यकता। (1247)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[विक्रम पालीगंज, अरवल आदि स्थानों के मार्ग से अनुग्रह नारायण स्टेशन के बीच नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता। (1248)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[स्टेशन मास्टरों तथा चल टिकट परीक्षकों के जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता। (1249)]

"कि रेल बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की नियुक्ति करने की आवश्यकता। (1250)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आल इन्डिया शंटिग केबिन एण्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन की 26 सूत्री मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (1251)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत्त मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आल इण्डिया शंटिग केबिन एण्ड ट्रैफिक स्टाफ एसोसिएशन को मान्यता देने की आवश्यकता। (1252)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[जयन्ती जनता गाड़ी को मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक रोजाना चलाने की आवश्यकता। (1253)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[गैंगमैनों की सी० पी० सी० स्केल देने की आवश्यकता। (1254)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता जो गैंगमैनों को सताते हैं। (1255)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[विभागीय खानपान व्यवस्था के अधीन काम करने वाले बैरों को नियमित करने की आवश्यकता। (1256)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[सेवा काल के दौरान रेल कर्मचारियों को कम से कम तीन पदोन्नति देने की आवश्यकता। (1257)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

[रेल कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में समयबद्ध नीति अपनाने की आवश्यकता। (1258)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेल कर्मचारियों को समय से पेंशन देने की आवश्यकता। (1259)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेलवे के मृत पेंशनभोगियों की पत्नियों तथा आश्रितों को पेंशन की पूरी राशि देने की आवश्यकता। (1260)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।"

[अवकाश प्राप्त रेल कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरियां देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता। (1261)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[कैजुअल रेल मजदूरों को नियमित बनाने के लिए कालबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता। (1262)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[एवजी कर्मचारियों को काम देने की आवश्यकता। (1263)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेल कर्मियों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने की आवश्यकता। (1264)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रांची-लोहाडरगा और नूरी पुरूलिया लाईट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने की आवता। (1265)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने की आवश्यकता। (1266)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेल कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में रेल अफसरों की अत्यधिक संख्या। (1267)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेल कर्मियों को आवश्यकता के आधार पर मजदूरी देने की आवश्यकता। (1268)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[रेल मजदूरों को सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनों के बराबर वेतनमान देने की आवश्यकता। (1269)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[जमालपुर रेल कारखाने का विस्तार करने की आवश्यकता। (1270)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना में एक रेल कारखाना खोलने की आवश्यकता। (1271)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता। (1272)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता तथा ओवर टाइम भत्ते का समय पर भुगतान करने की आवश्यकता। (1273)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[रेलवे में कार्यरत सभी फेडरेशनों, एसोसिएशनों तथा यूनियनों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श कर श्रमिक समस्याओं के समाधान की आवश्यकता। (1274)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[वैगनों के आवंटन में अनियमितताओं को दूर करने की आवश्यकता। (1275)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[बड़े पूंजीपतियों द्वारा रेल वैगनों को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने को रोकने की आवश्यकता। (1276)]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाए।"

[परिचालन और नियंत्रण में सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और समस्तीपुर मण्डलों का पुनर्गठन कर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को समस्तीपुर मण्डल के अन्तर्गत समाहित करने की आवश्यकता। (1280)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पैसेन्जर गाड़ियों से भी अधिक समय लगा कर यात्रा पूरी करने वाली दानापुर समस्तीपुर एक्सप्रेस का वर्गीकरण पैसेन्जर गाड़ी के रूप में करके यात्रियों को अनुचित खर्च से बचाने की आवश्यकता। (1281)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे में खान पान सेवा में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर इसे विभागीय प्रबन्ध में लेने की आवश्यकता। (1282)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे के पटना-गया खण्ड में बिना टिकट यात्रा को और खतरे की जंजीर का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता। (1283)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहले और दूसरे दर्जे में नाजायज ढंग से जगह घेरने को रोकने की आवश्यकता। (1284)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[रेलवे में आरक्षण में कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (1285)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

[अकुशल प्रबन्ध के फलस्वरूप विभागीय खानपान से होने वाली हानि से बचने के लिए भारी व्यवस्था ठेकेदारों को सौंप कर उनकी स्तरहीन सेवा को रेलवे प्रशासन द्वारा नजरअन्दाज करने की प्रवृत्ति। (1286)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी जंक्शन स्टेशन पर स्थानीय सरकारिताओं को बुक किये गये माल और पार्सल आदि ढोने का ठेका देने के बदले बाहर से लाये गये भारिकों से काम न लेने की आवश्यकता। (1287)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे का पुनर्गठन कर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उचित विकास के लिए समस्तीपुर में मुख्यालय के साथ एक नये जोन का निर्माण करने की आवश्यकता। (1288)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी आदि स्टेशनों पर बड़ी लाइन के नियंत्रण के एकीकरण के अभाव में यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने की श्यकता। (1289)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर-दरभंगा लाइन की परिवर्तन परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता। (1290)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वोत्तर रेलवे रेल सेवा का डीजलीकरण करने की आवश्यकता। (1291]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बरौनी-समस्तीपुर खण्ड में दिन के समय सुविधाजनक सवारी गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1292)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-बछवाड़ा-हाजीपुर सेक्शन पर दिन के समय सुविधाजनक यात्री गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1293)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर मण्डल के विस्तार के लिए भू-अर्जन से विस्थापितों को नियोजित करने और उनका पुनर्वास करते की आवश्यकता और नैमित्तिक मजदूरों को मनमाने ढंग से बहाल करने की नीति। (1294)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में बिजली से गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (1295]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे की पटना-गया लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता। (1296)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर मंडल में खराब इन्जनों से रेलगाड़ियां चलाना और इस प्रकार दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को बढ़ाना। (1297)]

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[उत्तर-बिहार के निवासियों को समस्तीपुर से दक्षिण बिहार के प्रमुख शहर रांची तक सीधी रेल सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1298)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे के पटारी स्टेशन के अहाते में रेलवे की सड़क का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता। (1299)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[चलित लाइनों तथा सहायता प्राप्त कम्पनियों को अपर्याप्त सेवा के लिए भुगतान। (1300)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[उत्तर बिहार के कृषि प्रधान क्षेत्र में स्थित हाजीपुर, पटौरी, बछवाड़ा, मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता। (1301)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दक्षिण बिहार के कोयला क्षेत्र के विकास और उचित दोहन के लिए दानिया को महुआ मिलन से जोड़ने की आवश्यकता। (1302)]

"कि विविध व्यय (सामान्य) शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दक्षिण बिहार के कोयला क्षेत्र से कोयले के समुचित परिवहन के लिए चुरी पिट हेड को निकटतम रेल हेड से जोड़ने की आवश्यकता। (1303)]

"कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर जंकशन पर मीटर गेज इन्जनों की मरम्मत की आवश्यकता। (1304)]

"कि रेल इन्जनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पूर्वोत्तर रेलवे में रेल इन्जनों की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता। (1305)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पटना में गंगा नदी पर रेल पुल बनाने की आवश्यकता। (1306)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के मोहीदीन नगर स्टेशन पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता। (1307)]

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुराने तथा घिसे सवारी डिब्बों को बदलने की आवश्यकता। (1308)]

डा० बी० एन० सिंह (हजारीबाग) : रेलवे संबंधी अनुदान की मांगों को अपना सामान्य समर्थन देते हुए मैं रेल मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से मांग संख्या 2, अनुलग्नक 'क' नई लाइनों का सर्वेक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं।

रेलवे राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसके विकास के साथ ही देश की अर्थ-व्यवस्था में गति आती है। अत: इस अर्थ में अर्थ-व्यवस्था के मामले में रेलवे उत्प्रेरक पदार्थ की भूमिका निभाती है। लेकिन मुझे संशय है कि भारतीय रेलवे का विकास रुक गया है और दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि भारतीय रेलवे में अब कोई प्रगति नहीं हो रही है।

चीन की रेल-व्यवस्था से तुलना करने से आपको पता लगेगा कि हमारी रेलवे में जो कुछ विकास हुआ है, उसकी क्या स्थिति है और चीन की रेल-व्यवस्था में कहां तक सुधार हो चुका है। आपकी अनुमति से मैं श्री मेहता द्वारा लिखित लेख के एक छोटे से पैरे को यहां पढ़ना चाहूंगा, जिससे आपको तुलनात्मक आंकड़ों की स्थिति का पता चल सकेगा :

"उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 1950 में चीन की रेल-गाड़ियां 1000 लाख टन माल की ढुलाई करती थीं, जबकि भारतीय रेलवे 900 लाख टन माल की ढुलाई करती थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 1950 में भारत और चीन, दोनों देशों की रेलवे लगभग समान स्तर पर काम कर रही थीं। वर्ष 1978 तक चीन की रेलें कुल 10750 लाख टन माल की ढुलाई करने लगी थीं, जबकि भारत की रेलें केवल 2000 लाख टन की ही ढुलाई कर रही थी (अब यह 2200 लाख टन माल की ढुलाई कर रही हैं)। अतः 30 वर्षों से भी कम समय में चीन की रेलवे ने अपनी क्षमता दस गुणा तक बढ़ा ली और भारतीय रेलवे अपनी क्षमता कुल 2.2 गुणा बढ़ा पाई।"

इससे आपको सही-सही पता चल जाएगा कि हम कितना विकास कर रहे हैं और विशेष रूप से यह तब है, जबकि भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा समझा जाता है।

अपने विशाल उपमहाद्वीप में नई लाइनें बिछाने के लिए बजट में 42 करोड़ रुपए की अल्प धनराशि की व्यवस्था की गई है और जहां तक नई लाइनों के सर्वेक्षण का सवाल है, उसके लिए व्यवस्था और भी कम है।

यह देखा गया है कि रेलवे के विकास के मामले में काफी क्षेत्रीय असन्तुलन है और छोटा नागपुर के लोग इस क्षेत्रीय असन्तुलन से बुरी तरह प्रभावित हैं और इसका परिणाम यह है कि यद्यपि छोटा नागपुर एक अच्छा खनिज क्षेत्र है और वहाँ भारत के अच्छे सघन वन हैं, फिर भी इस क्षेत्र के लोग, विशेष रूप से हरिजन और आदिवासी गरीबी की रेखा से नीचे बसर करते हैं। यह विरोधाभास ही है कि इस समृद्ध भूमि में इतनी गरीबी है कि 70% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह शोचनीय स्थिति है कि छोटा-नागपुर की मुख्य भूमि में सन् 1906 से उस समय से सर्वेक्षण चल रहा है, जबकि पहली बार अंग्रेजों ने हजारीबाग को भारत की राजधानी बनाने के बारे में विचार किया था और रेलवे को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि अब वर्ष 1982 में भी "आप्रेशन-सर्वे" का काम चल रहा है। मेरी तरफ से इस बारे में किसी को भी यह अनुमान लगाने की पूरी छूट है कि वास्तविक रूप में वहां रेलवे-लाइनें कब बिछाई जाएंगी। वर्ष 1980 में जब हमारे प्रधान मंत्री ने हजारीबाग का दौरा किया था, और लाखों लोगों की भीड़ के सामने यह घोषित किया था कि हजारीबाग को शीघ्र ही भारत के रेलवे-नक्शे पर लाया जाएगा, उसके बाद ही रेल-मंत्री जी ने उस परियोजना में रुचि दिखानी शुरू की है। तत्कालीन रेल मंत्री इस क्षेत्र की अत्याधिक क्षमता को जानते थे और इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

दिनांक 11.12.80 के तारांकित प्रश्न संख्या 364 के मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह बताया था:

"माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है, वह बात सही है। वह जनजाति क्षेत्र है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना है। सर्वे पूरा हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना में इन्कलूड करने का विचार हो रहा है। प्लेनिंग कमेटी से सहमति की आवश्यकता है।"

महोदय, मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस वाक्य को नोट किया जाए, "सर्वे कम्पलीट हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना में इन्कलूड करने का विचार हो रहा है।" इसके बारे में, मैं आगे बात करूंगा।

इसके बाद, महोदय, रेल मन्त्री जी ने दिनांक 5.3.81 को रेल-बजट के बारे में आम-बहस का उत्तर देते हुए यह बताया था :

मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस खास वाक्य को मार्क किया जाए।

"अपनी बजट स्पीच में जो भी लाइन्स मैंने आपको बताई हैं वह सब आपको याद हैं। उसमें खासकर छोटा नागपुर एरिया में जो आदिवासी इलाका है, ऐसी जगह मैं समझता हूं लाइन जानी चाहिए और वह हम करना चाहते हैं।"

यह आगे भी जारी है। रेल संबंधी मांगों के बारे में आम बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था :

"बिहार में बहुत से कामों के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, रांची शहर से हजारीबाग रहर, हजारीबाग से कोड्रमा से गिरीडीह यह बैकवर्ड एरिया, आदिवासी एरिया है।"

"मैंने अपनी बजट स्पीच में आश्वासन दिया है कि हम इसको चलाएंगे।"

मेरा यह अनुरोध है कि 'आश्वासन' शब्द को मार्क किया जाए. जिसके बारे में, मैं आगे जिक्र करूंगा। मन्त्री जी सभी तीनों वक्तव्यों को, संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से पढ़ा जाए, तो उनसे एक ही ध्वनि निकलती है कि रांची-हजारीबाग-गिरीडीह-कोड्रमा के बीच रेलवे लाइनें बिछाई जाएगी और इस काम को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की मंशा है। यह आश्वासन न केवल इस गरिमायुक्त सदन में ही दिया गया है, बल्कि लोगों को बाहर भी इसके बारे में आश्वासन दिए गए हैं। आपकी अनुमति से, मैं बिहार के एक प्रमुख पत्र में "रांची-हजारीबाग को रेल-लाइनों से जोड़ा जाएगा—पांडेय" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार के कुछेक उद्धरणों को यहां पढ़ना चाहूंगा, जो इस प्रकार हैं :

"हजारीबाग और गिरीडीह को रेलवे-नक्शे पर लाया जाएगा तथा उन आदिवासी बहुल जिलों को जोड़ने वाली बड़ी लाइन के निर्माण की लम्बे समय से चली आ रही मांग को वर्ष 1982-83 के रेलवे के उस बजट में शामिल कर लिया जाएगा जिसे इस वर्ष अप्रैल में संसद के समक्ष रखा जाएगा।"

"हजारीबाग जिला परिषद द्वारा आयोजित सभा में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह घोषित करते हुए केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री केदार पांडेय ने यह बात बताई कि नई लाइन का सर्वेक्षण सम्बन्धी काम पिछले वर्ष पूरा हो चुका है। इस नई लाइन के बन जाने से क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी।"

"उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों के हित और सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उनकी मांग को सदैव उच्च प्राथमिकता दी है।"

"उन्होंने यह आशा व्यक्त की, कि अब वह दिन दूर नहीं है, जब यह हजारीबाग शहर उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन का रेलवे मुख्यालय होगा।"

एक माननीय सदस्य : प्रस्तावित खर्च कितना था ?

डा० बी० एन० सिंह : इसके बारे में रेल मन्त्री जी ही बता सकते हैं। यह 55 करोड़ रुपए होगा। ऐसा ही उन्होंने बताया है। अत: महोदय, वक्तव्य को देखते हुए इसका क्या अर्थ हुआ ? क्या इससे सरकार की मंशा का अत्याधिक स्पष्ट शब्दों में पता नहीं लग जाता है ? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसमें जरा भी बुद्धि होगी, इस बात पर शक कर सकता है कि हजारीबाग को रेलवे-लाइन से अभी नहीं जोड़ा जाएगा और इसे छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार नहीं है ? यह हमारा दुर्भाग्य है कि रेल मन्त्री जी के बदल जाने से रेलवे बोर्ड ने इस सम्पूर्ण योजना को बड़ी आसानी से ताक पर रख दिया।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, जो कुछ उन्होंने कहा था, उसके बारे में कुछ गलतफहमी है।

डा० बी० एन० सिंह : मन्त्री जी के दिमाग में गलतफहमी हो सकती है। मैं माननीय रेल मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मांग संख्या 2 रेल का पृष्ठ 11 देखें। उसमें यह लिखा है :

"रांची से हजारीबाग शहर से हजारीबाग रोड से गिरिडीह तक बड़ी रेल-लाइन (223 कि० मी०) के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी व यातायात सर्वेक्षण।"

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

महोदय, हजारीबाग रोड क्षेत्र का वर्ष 1975 में सर्वेक्षण किया गया था और इसे वाणिज्यिक रूप से लाभकारी नहीं समझा गया था तथा इसलिए इस मामले को अस्वीकार और रद्द कर दिया गया था। बिहार के दो, एक के बाद एक, मुख्य-मन्त्रियों ने वैकल्पिक मार्ग की सिफारिश की थी, जो रांची-हजारीबाग-कोड्रमा और वहां से गिरिडीह तक का था। इस परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुई थी। वर्तमान बजट के कागजों से मुझे यह पता चला है कि जो कुछ अस्वीकार कर दिया गया था, उसका फिर से सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया गया है। समय और धन का यह कैसा दुरुपयोग है ? सन् 1906 से सर्वेक्षण के बाद सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसका कोई अन्तिम परिणाम नहीं निकलने में आ रहा है। मुझे यह नहीं मालूम कि इन दो रूटों में से आप अन्तिम रूप से किस रूट को स्वीकार करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : किसी को भी नहीं।

डा० बी० एन० सिंह : जब हमने मन्त्री जी का ध्यान सदन में दिए गए आश्वासन की ओर दिलाना चाहा, तो उन्होंने एक लम्बा वक्तव्य दे डाला।

सभापति महोदय : कौन सा मन्त्री ?

डा० बी० एन० सिंह : उस हालत में यह कौन सा मन्त्री हो सकता है, जब मैं रेल मांगों के सम्बन्ध में बोल रहा हूं ?

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। क्या आप वर्तमान रेल मन्त्री की बात कर रहे हैं अथवा तत्कालीन रेल मन्त्री की ?

डा० बी० एन० सिंह : मैं वर्तमान मन्त्री जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक लम्बा स्पष्टीकरण दिया है और तत्कालीन रेल मन्त्री जी के वक्तव्य का अर्थ समझाने का प्रयास किया है, उनके मन में क्या था, उसे समझने की एक अत्याधिक चतुर कसरत। महोदय, मैं अब यह कहने के लिए विवश हूं कि कठिन स्थिति से बच निकलने का यह एक बहाना है। जब हम इस गरिमा-युक्त सदन में दिए गए आश्वासन के तथा इस सदन के बाहर भी दिए गए आश्वासनों के सम्बन्ध में मन्त्री जी की ओर इशारा करते हैं, तो अब योजना आयोग को भेजने से पहले परियोजना पर वित्तीय दृष्टि से लाभकारी होने की नई शर्त लगा दी गई है। मैं इस सम्बन्ध में दिनांक 4.3.82 के प्रश्न संख्या 170 का सन्दर्भ देता हूं। मुझे शक है कि रेल-मन्त्री जी का ध्यान हमारी प्रधान मन्त्री के उस 20 सूत्री कार्यक्रम की मुख्य भावना की ओर दिलाया गया है, जो दिनांक 14 जनवरी, 1982 को उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया था, अन्यथा इसका कुछ और उत्तर दिया गया होता। मैं प्रस्तावना का एक छोटा सा भाग यहां पढ़कर सुनाता हूं, जो इस प्रकार है :

"सभी मंत्रालयों को मैंने आदेश दिया है कि उत्पादन में जो भी रुकावटें हों, उसे वे हर प्रकार से दूर करें।"

आगे वे कहती हैं :

"सरकार का पहला कर्तव्य है कि आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करें। हमारी सारी योजनाएं और कार्यक्रम देश को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होने की दृष्टि से ही तैयार किए गए हैं।"

महोदय, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

अन्य बातों के साथ-साथ लोगों को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तीन मूल आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराके यह प्राप्त किया जा सकता है अर्थात (एक) रेलवे लाइन जो सस्ते संचार के रूप में सेवा करेगा, (दो) छोटे और बड़े उद्योगों के लिए विद्युत ऊर्जा, और (तीन) खेतों की सिंचाई के लिए पानी और आप देखेंगे कि लोग पहल करते हैं, वे मेधावी हैं और वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और उन्हें अपने भरण-पोषण और विकास के लिए सहारे की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप इन तीन मूल सेवाओं में अखिल भारतीय औसत को लें तो आप देखेंगे कि छोटा नागपुर में सेवाओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता स्तर से अत्यन्त कम है। अत: हमें रेलवे लाइन और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक अन्य मूल सेवाएं प्रदान करें और आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में भारत का शीघ्र रेहुर बनने की क्षमता है।

यदि रेलवे बोर्ड ने छोटा नागपुर के भू-विज्ञान के मानचित्र का अध्ययन किया है तो इसे मालूम होगा कि इस क्षेत्र में अन्य खनिजों में कोयला, अभ्रक, अग्निसह मिट्टी, बाक्साइट के प्रचुर मात्रा में समृद्ध निक्षेप हैं। छुपी हुई सम्पदा के ये भारी निक्षेप राष्ट्र रेल संचार न होने के कारण राष्ट्र और लोगों के अधिकतम लाभ के लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं।

प्रस्तावित रेलवे लाइन इस क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है और जितनी जल्दी इस रेल लाइन का निर्माण किया जाता है उतनी ही जल्दी इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा । खनिज और वन पर आधारित उद्योग शीघ्र पनप उठेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा । इस देश में व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी विगत की बात हो जायेगी । जब मन्त्री महोदय "वित्तीय क्षमता और वित्तीय बाधाओं" की बात करते हैं तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे न केवल वाणिज्यिक उद्यम है अपितु अनिवार्य रूप से एक सामाजिक और कल्याणकारी सेवा है जहां देश के विकास के लिए आवश्यक सभी न. योजनाओं की संभाव्यता पर विचार करने के लिये वित्तीय क्षमता एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए । यह एक पुस्तिका है जो गत वर्ष रेलवे मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी । मैं इसमें से प्रथम पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं ।

"पूरे विश्व में रेलवे औद्योगीकरण का पथ प्रदर्शक रहा है । भारत में वे औद्योगिक और आर्थिक कार्य के क्षेत्र में अग्रदूत रहा था । किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था अपनी रेलवे पद्धति पर इतनी निकटता से निर्भर रहती है जैसी कि यह भारत में निर्भर है ।"

इस क्षेत्र को रेलवे लाइन न देकर रेल मन्त्री इसके विकास की आशा किस प्रकार कर सकते हैं ?

तथापि मैं मन्त्री महोदय के भ्रमों और आशंकाओं को यह बता कर दूर करना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित लाइन के पूरा होने पर यहां से वह शीघ्र ही इतना माल ले जा सकेंगे कि यह रेलवे लाइन अत्यन्त लाभप्रद लाइनों में से एक लाइन होगी और विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेगी। कृपया रेलवे बोर्ड को सलाह दें कि वे जल्दी करें और सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करें ताकि इस लाइन का यथासंभव शीघ्र निर्माण किया जा सके । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की अधिक क्षमता को महसूस करते हुए बिहार सरकार इस लाइन का यथासंभव शीघ्र निर्माण करने के लिये बहुत उत्सुक है और उसने भूमि अधिग्रहण की समस्त लागत का भुगतान करने के लिए स्वतः पेशकश की है ।

इसके अतिरिक्त उन्होंने मिट्टी के समस्त कार्य के लिए रेलवे को नि:शुल्क श्रमिकों की सप्लाई करने और इस परियोजना के लिए आवश्यक पूरी लकड़ी नि:शुल्क देने की भी पेशकश की है । इसका कारण है कि वे इस क्षेत्र की भारी क्षमता से परिचित हैं । बिहार सरकार की ओर से यह अत्यन्त उदार पेशकश है और इससे रेल मन्त्री पर वित्तीय भार को कम करने में सहायता मिलेगी और मुझे विश्वास है कि वह इस रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिये बजट में उपलब्ध कराई गई 4.50 लाख रुपए की कम राशि को बढ़ाने के लिए तैयार हो जायेंगे । मुझे नहीं मालूम है कि सर्वेक्षण कार्य कब पूरा हो जाएगा लेकिन इसे इस प्रकार से शीघ्र पूरा किया जा सकता है ।

मंत्रालय का वर्तमान प्रस्ताव वर्ष 1983 के अन्त तक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण को पूरा करना है । इस दीर्घ अवधि को कम करने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 232 किलोमीटर के समस्त मार्ग को तीन वर्गों में विभाजित किया जाये, एक रांची से हजारीबाग जो अनुमानतया 90 किलोमीटर है, दो, हजारीबाग से कोडरमा जो लगभग 60 किलोमीटर है और तीन, कोडरमा से गिरिडीह जो लगभग 80 किलोमीटर है । इस क्षेत्र की स्थल-रूपरेखा को देखते हुए इन सभी

तीन भागों का समान रेखा निर्धारण नहीं होगा, अत: इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कार्य को इसी प्रकार तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

सबसे आसान भूभाग, जो इन तीन सैक्शनों में सर्वाधिक छोटा है, हजारीबाग-कोडरमा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का सर्वेक्षण-कार्य पहले किया जा सकता है और 1982 में ही पूरा किया जा सकता है और निर्माण-कार्य को 1983-84 में शुरू किया जा सकता है। दो अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण-कार्य वर्ष 1983 के अन्त तक पूरा किया जा सकता है जैसा कि मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया गया है ताकि इसके बाद इन दो क्षेत्रों का निर्माण-कार्य भी शीघ्र शुरू किया जा सके। यदि माननीय रेल मंत्री इस तरीके को स्वीकार कर लेते हैं तो न केवल कार्य बहुत शीघ्र पूरा होगा अपितु उनके भूतपूर्व मंत्री द्वारा इस सदन को किया गया यह वायदा, कि इस योजना को छठी योजना में शामिल किया जाएगा, भी पूरा होगा और कार्य पूरा हो जाएगा। ...(व्यवधान)

संक्षेप में इस लाइन के निर्माण-कार्य के लिए अत्यधिक रुचि दर्शाई गई है। वर्ष 1980 में प्रधानमन्त्री द्वारा लोगों को दिए गए आश्वासन जिन्हें एक दूसरा ज्ञापन हजारीबाग के जन प्रतिनिधियों द्वारा तब दिया गया था जब उन्होंने 2 मार्च को जमशेदपुर की यात्रा की थी और रेल मन्त्री द्वारा 1980, 1981 और 1982 के शुरू में सदन में दिए गए वायदे को देखते हुए और इस बात को भी देखते हुए कि राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में इस क्षेत्र की भारी संभावनायें हैं और इससे स्थानीय लोगों को लाभ और फायदे होंगे, मैं माननीय रेल मंत्री को अनुरोध करता हूं कि वे इसमें बाधा न डालें अपितु मेरे सुझावों को स्वीकार कर लें जिससे कार्य में गति आएगी। इसके द्वारा छोटा नागपुर के लोगों की आशायें और आकांक्षायें पूरी हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि इन मांगों का उत्तर देते हुए माननीय रेल मंत्री मेरे द्वारा दिये गये सुझावों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएंगे।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, रेल मन्त्री श्री पी० सी० सेठी का उनके प्रथम बजट के लिए स्वागत करते हुए और सदन में प्रस्तुत की गईं अनुपूरक अनुदानों के लिए मांग के बारे में मैं उन पर कुछ बोलना चाहूंगा।

रेल मंत्री ने अपने प्रथम बजट में किरायों में प्रस्तावित वृद्धि के द्वारा मध्य और निम्न आय के वर्गों को यथासंभव अधिकतम हद तक प्रभावित किया है। प्रथम श्रेणी की तुलना में द्वितीय श्रेणी में वृद्धि अत्यधिक है जैसा उस जानकारी से देखा जा सकता है जो मैं अब दूंगा।

80 किलोमीटर की दूरी तक वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित चेयर कार श्रेणियों के मामले में वृद्धि शून्य है जबकि द्वितीय श्रेणी एक्सप्रेस के लिए वृद्धि की प्रतिशतता 16.67 और सामान्य द्वितीय श्रेणी के लिए 37 प्रतिशत है। 100 किलोमीटर की दूरी तक वातानुकूलित श्रेणी के लिए वृद्धि की प्रतिशतता 1 है लेकिन प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित चेयर कार श्रेणी के लिए यह वृद्धि शून्य है जबकि द्वितीय श्रेणी एक्सप्रेस और सामान्य के लिए यह क्रमश: 14.03 और 36 प्रतिशत है। इसी प्रकार 200 किलोमीटर की दूरी के लिए वातानुकूलित श्रेणी के लिए यह वृद्धि 19 प्रतिशत है और प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित चेयर कार श्रेणी के लिये यह वृद्धि शून्य है जबकि द्वितीय श्रेणी एक्सप्रेस और सामान्य के लिए यह वृद्धि

क्रमश: 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है। 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए वातानुकूलित श्रेणी के लिये वृद्धि की प्रतिशतता 21 है; प्रथम श्रेणी के लिये 7; द्वितीय श्रेणी एक्सप्रेस के लिए 14 लेकिन द्वितीय श्रेणी सामान्य के लिये 20 है। 400 किलोमीटर तक की दूरी के लिए वातानुकूलित के लिये वद्धि 23 प्रतिशत; प्रथम श्रेणी के लिये 8 प्रतिशत; वातानुकूलित चेयर कार के लिए 15.5 प्रतिशत; द्वितीय श्रेणी एक्सप्रेस के लिये 16 प्रतिशत और द्वितीय श्रेणी सामान्य के लिये 22 प्रतिशत है।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिये यह वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत है और सामान्य ट्रेनों के लिये यह वृद्धि 20 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक है जबकि प्रथम श्रेणी में वृद्धि केवल 8 प्रतिशत है। यात्रियों को यह वृद्धि 400 किलोमीटर तक वहन करनी पड़ेगी। 400 किलोमीटर तक के यात्री आमतौर पर आन्तरिक राज्य के होते हैं और शायद रेल मन्त्री का उद्देश्य इन यात्रियों को रोड से भेजना है जिससे लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए जगह हो सके।

इससे अधिक बसें चलानी पड़ेगी जिससे ईंधन की लागत में वृद्धि होगी और अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा गंवानी पड़ेगी। ईंधन के बिल में वृद्धि हो चुकी है और जब ईंधन की खपत को कम करने के लिये सभी प्रयास किये गये हैं तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये और वह भी 400 किलोमीटर से कम दूरी के लिए यह भारी वृद्धि केवल अधोमुखी कदम होगा।

रेल मन्त्री बच्चों के लिए पांच वर्ष की आयु सीमा बहाल करने के लिए राजी हो गये हैं जो उन्होंने घटाकर तीन वर्ष रखने का विचार किया था। रेल मन्त्री ने कलाकारों, किसानों और खिलाड़ियों को कुछ रियायतें भी दी हैं और मिल्क पाउडर, माचिसों आदि जैसी कुछ वस्तुओं पर माल भाड़ा शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती की है। इनके लिये हम उनके आभारी हैं। लेकिन दी गई रियायत बहुत कम है। पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और पुस्तकों पर पार्सल की दरों के मामले में कोई कटौती नहीं की गई है। इनकी लागत में स्वभावत: वृद्धि होगी। मैं खेद के साथ ही कहता हूं कि ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक एजेंट होने के बजाए रेलवे विभाग ने अब ज्ञान को अन्धेरे में रखने का निर्णय किया है।

तमिलनाडु को दिये गये आवंटन के बारे में मेरे सहयोगियों को जिन्हें यहां पर पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था, उन्होंने एक स्वर से कहा है कि तमिलनाडु की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। तमिलनाडु का हिस्सा कुल आवंटन का 5 प्रतिशत भी नहीं है। इसका विशिष्ट उदाहरण इस वर्ष के बजट में भी मद्रास के लिये द्रुत परिवहन पद्धति के लिए धनराशि का प्रावधान न किया जाना है। रेलवे विभाग द्वारा जनवरी, 1981 से एक घिसा-पिटा और अस्पष्ट उत्तर दिया जा रहा है "कि मद्रास के लिए यह स्कीम योजना आयोग को सिफारिश की गई है और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।" माननीय उप रेल मन्त्री द्वारा इस बार भी यह दोहराया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने 6 मार्च, 1982 को तिरूची में प्रेस के साथ एक इन्टरव्यू में कहा है कि रेलवे विभाग ने 'योजना आयोग को आग्रह किया है कि वह इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।' यदि मैं ठीक हूं तो भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री पांडे द्वारा भी यह उत्तर दिया गया था। यदि सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस परियोजना का यह हश्र है तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि जहां तक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उसमें तमिलनाडु कहीं नहीं आता है। गत

दस वर्षों से किसी एक कारण अथवा अन्य कारण से इस परियोजना को स्थगित किया गया है। सभी ने इस जरूरत को स्वीकार किया है और योजना आयोग ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है। रेल मन्त्रालय को आवश्यक स्वीकृति देने से उन्हें कौन रोकता है ? केवल धनराशि के ही मानदण्ड नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो रेलवे विभाग निश्चित रूप से मद्रास के लिए भी इस योजना हेतु कम से कम एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर सकता है जैसा कि कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में विभिन्न महानगरीय परियोजनाओं के लिए किया गया है और उन्हें 1977-78 से 1981-82 तक के लिये क्रमश: 9510 लाख रुपये, 1385 लाख रुपये और 872 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि इस अवधि के लिये मद्रास का हिस्सा केवल 47 लाख रुपये का है।

मुझे यह टिप्पणी करते हुए दु:ख होता है।

इन राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने साथियों को मैं यह निष्कर्ष नहीं निकालने देना चाहता कि हम उनके विरुद्ध हैं। यदि कलकत्ता में योजना पूरी हो जाती है तो हमें निश्चय ही इस पर गर्व होगा क्योंकि हम देश को भी एक ट्यूब-रेलवे लाइन प्राप्त हो जायेगी। इसी प्रकार दिल्ली में भी रिंग रेलवे को शीघ्र ही पूरा करने की जरूरत है क्योंकि एशियाई खेल समीप आते जा रहे हैं। बम्बई की समस्या के बारे में सभी अवगत हैं जिसे कम महत्व नहीं दिया जा सकता। मद्रास में भी इसी प्रकार की समस्या है और हमारा अनुरोध है कि उसे भी हल किया जाये। कृपया हमारी परेशानियों को थोड़ा मत समझिये। परेशानियों को महसूस करके ही उन पर चर्चा की जाती है। द पल्लावन ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन, जो 1971 में प्रतिदिन 12 लाख यात्रियों का परिवहन कर रहा था, अब 26 लाख यात्रियों को प्रतिदिन परिवहन करता है और अपनी क्षमता के अन्तिम बिन्दु पर पहुँच गया है। हम अनुरोध करते हैं कि आप प्रारम्भ तो करें अर्थात इस योजनावाक में एक करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान लेकर भूमिका अधिग्रहण, अन्तिम रूप से डिजाइन तैयार करने आदि का कार्य तो शुरू करें। इन कामों में भी दो-तीन वर्ष लग जाएंगे। और आपकी धनराशि के प्रावधान की बात बाद में भी देखी जा सकती है तब तक सातवीं योजना का काम भी शुरू हो जायेगा। यदि योजना स्वीकृत तथा शुरू होती है तो राज्य सरकार ने रेलवे को बिना मूल्य भूमि देने का वचन दिया है। प्रेस समाचारों से पता चलता है कि इस मामले पर तमिलनाडु विधान परिषद में भी चर्चा हुई है जहां राज्य के आवास तथा श्रम मन्त्री ने कहा है कि सरकार ने रेलवे को मुफ्त में भूमि देना स्वीकार कर लिया है। इस भूमि की अनुमानित लागत 204 लाख रुपये है। शायद हमारी प्रिय प्रधान मन्त्री यह सोच रही होंगी कि मैं इस मामले पर भी पत्रों, तार आदि द्वारा उन्हें क्यों परेशान कर रहा हूं। महोदय, मेरी समिति बड़ी विशिष्ट है। मद्रास नगर का, उत्तर मध्य तथा दक्षिण --इन तीन चुनाव क्षेत्रों में-तीन संसद सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। उत्तर मद्रास का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय उपाध्यक्ष करते हैं, दक्षिण मद्रास का माननीय रक्षा मन्त्री और मध्य मद्रास का प्रतिनिधित्व मैं स्वयं रहता हूं। प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल मैं ही रह गया हूं। वर्तमान रक्षा मन्त्री जानते ही हैं कि आर० टी० एफ० अलाइन्मेंट में क्या स्थिति व्याप्त है क्योंकि वह उनका चुनाव क्षेत्र है जहां यह समूची व्यवस्था चल रही है।

यह कहना संदर्भ से बाहर न होगा कि भूतपूर्व रेल मन्त्री ने वर्ष 1982-83 में इस योजना को शुरू करने का वायदा किया था। तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन ने हमारी एक चर्चा के दौरान कहा था कि मद्रास तथा बम्बई की योजनाओं के लिए पहले ही 2 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। चर्चा के दौरान सरकारी पक्ष के मेरे मित्र श्री अन्बरासू भी विद्यमान थे। यह एक रहस्य ही है कि उक्त योजना कैसे गायब हो गई। हमें तो अब भी विश्वास है कि व्यक्तियों को देख कर नहीं बल्कि गुणोंदोष के आधार पर अब भी निर्णय लिए जा रहे हैं।

यहां भी मुझे एक संदर्भ देना है। गत वर्ष के बजट में मित्रदुर्ग-रामादुर्ग सेक्शन के लिए कोई नियतन नहीं किया गया था। परन्तु उसे इस वर्ष शुरू किया जाना है। कर्नाटक में चल रही परियोजना गुंशकल-बंगलौर सेक्शन को बड़ी लाईन में बदलने की है। उसे शीघ्र ही परिवर्तित करने की जरूरत है, परन्तु हम योजना के लिए नियतन रद्द कर दिया गया है। मित्रदुर्ग-रामादुर्ग सम्बन्धी कार्य को चल रही योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए निधियां कहां से आती हैं? क्या यह इसलिए है कि वह क्षेत्र हमारे रेल राज्य मन्त्री का है? मैं इस उपलब्धि के लिये उन्हें बधाई देता हूं जो कि निश्चय ही कोई यह उपलब्धि नहीं है जबकि इसमें जैसे लोग विगत दस वर्षों में संघर्ष करते आ रहे हैं। मित्रदुर्ग-रामादुर्ग के लिए यह प्रस्ताव केवल पिछले वर्ष ही आया था और सीधे ही उसका लाभ उपलब्ध भी कर लिया गया है। गत वर्ष के दौरान, केवल मैंने ही प्रधान मन्त्री को 35, वित्त मन्त्री महोदय को 88, रेल मन्त्री महोदय को 93 और योजना मन्त्री को 28 पत्र लिखे थे तथा इसके अलावा अनेक तार भी दिये थे और मद्रास शहर हेतु द्रुत यातायात प्रणाली की क्रियान्विति हेतु सम्बन्धित मन्त्रियों से मुलाकातें भी की थीं। इनके अलावा यहां तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सहयोगियों ने भी इस बारे में सम्बन्धित मन्त्रियों को पत्र लिखे थे, मुलाकातें की थीं। यदि केन्द्रीय मन्त्रीमंडल में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले मन्त्रियों तथा हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने रेलवे राज्य मन्त्री से आधी भी रुचि ली होती जो मुझे यकीन है कि मद्रास के लिए इस योजना को कम से कम इस वर्ष के बजट में तो स्थान मिला ही होता।

रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान, तमिलनाडु से एक सदस्य श्री राममूर्ति ने तमिलनाडु से ही एक रेल मन्त्री की नियुक्ति पर जोर दिया था क्योंकि विगत 30 वर्षों से इस राज्य की उपेक्षा ही जाती रही है। मुझे डर है कि यदि श्री राममूर्ति ऐसी आशा बनाये रखते हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। तमिलनाडु की ओर से मन्त्रीमंडल में आये हमारे साथियों ने कुछ भी नहीं किया है और यही बात इस मन्त्री की भी होगी।

अपनी ओर से तथा तमिलनाडु के अपने सहयोगियों की ओर से मैं प्रधान मन्त्री महोदया से, उनके योजना आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, तथा योजना मन्त्री श्री एस० बी० चह्वाण से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अस्तित्व का महत्व सिद्ध करें तथा रेल मन्त्री को अपनी मंजूरी भेजें ताकि मद्रास के लिए द्रुत यातायात प्रणाली से सम्बन्धित कार्य 1 अप्रैल, 1982 से शुरू हो सके तथा वर्ष 1987 तक पूरा हो सके।

एक अन्य ज्वलंत समस्या—(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : क्षमा करें, आप कितने समय तक बोलेंगे?

डा० ए० कलानिधि : पांच मिनट और । केवल मैं ही प्रतिनिधित्व करता हूं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं तो यही जानना चाहता था कि आप कितनी देर तक बोलेंगे ।

डा० ए० कलानिधि : मद्रास के यात्रियों की एक ज्वलंत समस्या मद्रास बीच तथा तम्बरम के मध्य मीटर गेज उपनगरीय प्रणाली की है । रेलवे का कहना है कि वह इससे क्शन पर प्रतिदिन 257 गाड़ियां चला रहा है । मैं बिना झिझक यह कह सकता हूं कि वे केवल उससे 75 प्रतिशत गाड़ियां ही चला रहे हैं । यह अनुमान ही अपने आप में बहुत अधिक है । कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि कोई गाड़ी रद्द न होती हो या खराब आदि न होती हो । डिब्बे पुराने तथा खस्ता हालत में हैं । ऐसी स्थिति पहुंच चुकी है कि उनके द्वारा यात्री ले जाने की तो बात क्या वे स्वयं भी नहीं चल सकते । भीड़ के समय तो गाड़ियां ज्यादा रद्द होती हैं । रेल मन्त्री ने यह कहने की कृपा की है कि नये डिब्बों के लिए क्रयादेश दे दिये हैं । क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दशक के दौरान कितने डिब्बे पटरियों पर चढ़ाये गये हैं । इसके विपरीत क्या वह य तथ्य भी बतायेंगे कि कुल गाड़ियों की तुलना में वस्तुत: कितनी चल रही हैं तथा औसतन कितनी गाड़ियां रद्द होती हैं । यदि चुपचाप जाकर अकस्मात छापा मारा जाये तो मुझे यकीन है कि प्रतिदिन कुल रेलगाड़ियों की संख्या 175 से अधिक नहीं होगी ।

इस समय हो रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए मेरे विचार से इस सेक्शन को बड़ी लाईन में बदलने के प्रस्ताव आये हैं तथा प्रतिवेदन पेश किया गया है । इस प्रतिवेदन का क्या हुआ ? शायद वह अपने प्रतियोगी द्रुत यातायात प्रणाली के प्रतिवेदन, जो कि योजना भवन में पड़ा है, के साथ मुकाबले के फलस्वरूप रेल भवन में ही दबा पड़ा है । परन्तु मैं बेझिझक इस बात को कह सकता हूं कि यदि आपने दो वर्ष तक इस सेक्शन की उपेक्षा की तो आप विश्वास रखें, आपको यह सेक्शन बन्द कर देना पड़ेगा और इस तरह आप प्रतिदिन चार लाख यात्रियों को हैरान-परेशान छोड़ देंगे । मैं यह बात दु:ख के साथ कह रहा हूं कि केन्द्र तथा राज्य दोनों ही मद्रास नगर की उपेक्षा करते आ रहे हैं ।

मैं दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक से अनुरोध करता रहा हूं कि विल्लिवक्कम से वर्तमान आई० सी० एफ० स्लाइरिंग का लाभ उठाकर वेस्ट अगानगर तक इलैक्ट्रिक सहचालित यूनिट गाड़ियां चलाई जाएं । इसके लिए पटरियों को कुछ सुदृढ़ करना होगा । अतिरिक्त स्टाक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वर्तमान स्टाक से कार्य चल सकता है । किसी न किसी कारण दक्षिण रेलवे इस प्रस्ताव पर विचार करने को राजी नहीं है । सेक्शन की लम्बाई लगभग दो किलोमीटर है । यदि इसकी व्यवस्था कर दी जाये तो आगानगर के निवासियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन को भी बड़ी राहत मिलेगी । निवेश बहुत कम होगा । यदि रेलवे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे तो मुझे विश्वास है कि वे एक सप्ताह या 15 दिन के भीतर ही गाड़ियां चला सकेंगे । क्या मन्त्री महोदय इसकी संभाव्यता पर विचार करेंगे तथा कोई सार्थक निर्णय लेंगे ? इससे अन्तत: एक चक्र सा बन जाएगा क्योंकि यह मद्रास महानगर प्राधिकरण द्वारा अपने प्रस्ताव में तथा रेलवे द्वारा अपनी आई० पी० सी० योजना में प्रस्तावित इनर सर्कुलर कोरिडोर की परिधि में आता है ।

सेक्शन बन्द करने के बारे में एक और सेक्शन का उल्लेख आता है अर्थात मेत्तु पलैयम ऊटी लाईन जिसकी दक्षिण रेलवे ने उपेक्षा की है । 15 दिन पूर्व, इस सेक्शन पर एक दुर्घटना हुई

थी और हमारे रेल राज्य मन्त्री महोदय ने स्थल का दौरा करके यह विचार व्यक्त किया था कि दुर्घटना का कारण इंजन का पुराना होना था।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अब आप समाप्त करें।

डा० ए० कलानिधि : उन्होंने तुरन्त यह निष्कर्ष निकाला कि केवल उपचारात्मक कार्यवाही ही इस सेक्शन को नष्ट कर रही है। विचित्र है यह उपचारात्मक कार्यवाही थी। अनेक लोग हमारे पास यह शिकायत लेकर आते हैं कि मेरी नाक हर दम बहता रहता है। उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार इसका एक मात्र इलाज यही है कि रोगी से कहो कि वह अपनी नाक ही कटवा दे। यह समाधान नहीं है बल्कि पुराने इन्जनों को बदलकर रेलगाड़ियों का कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करना है। तत्कालीन डी० एम० के० सरकार ने लगभग दस वर्ष पहले इस प्रणाली में दोषों की जानकारी रेलवे को दी थी। क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं? मैं बिना संकोच और प्रबल रूप से कह सकता हूं कि यदि इस सेक्शन को बन्द करने का विचार किया गया तो तमिलनाडु की जनता डटकर संघर्ष करेगी। आप यह न सोचें कि इस सेक्शन पर केवल पर्यटक ही यात्रा करते हैं।

जहां तक करूर-डिंडीगुल सेक्शन का सम्बन्ध है, इस वर्ष के लिए बिल्कुल अपर्याप्त धन-राशि अर्थात 70 लाख रुपये रखे जाने के बारे मे बहुत से सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। फिर भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, श्री गुजराल ने 6 मार्च को बताया है कि योजना आयोग से और धन-राशि प्राप्त होने की आशा है। हमें आशा है कि वह अपने सद्भाव से उनको सहमत करा लेंगे और धनराशि प्राप्त करके करूर-डिंगीगुल निर्माण कार्य के लिए दे देंगे, जहां अब तक कुछ भी प्रगति नहीं हुई है।

मुझे पता चला है कि इसे बन्द करने अथवा गोल्डन राका में वैगन निर्माण कार्य प्राइवेट कम्पनियों को देने का प्रस्ताव है। जब कुशल कारीगर और विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हैं और जब यह सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है तब वैगन निर्माण कार्य प्राइवेट कम्पनियों की देने की क्या आवश्यकता है जिससे राष्ट्रीयकरण निरर्थक हो जाये और 2000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे? मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर अविलम्ब विचार करें और तमिलनाडु के त्रिची जिले में गोल्डन राका में वैगन निर्माण के कार्य की यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में निर्णय करें।

कोयम्बत्तूर जिले में पोथानूर सिग्नल एण्ड टेलकमनीकेशन वर्कशाप में पूरे भारतीय रेलवे के लिए उपकरण तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत की जाती है। इसके बावजूद इस वर्कशाप में सुधार करने और उसका विस्तार करने के लिए किसी व्यक्ति ने कोई रुचि नहीं ली है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में विचार करें।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था इस आधार पर कर रहे हैं कि वह यात्रियों के आराम की अधिक व्यवस्था करेंगे, दुर्घटनाओं को रोका जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और नई रेल लाइनें बनाई जायेंगी। ये बड़े-बड़े दावे मात्र हैं। बजट पेश करते समय सभी रेल मन्त्री ऐसे बड़े-बड़े दावे

करते हैं परन्तु पिछले दस वर्षों से कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं हुआ है। हमारी रेल लाइन की दशा शोचनीय है। हमें रेलवे में सुधार की कोई जानकारी नहीं बल्कि दुर्घटनाओं और लोगों के मरने के समाचार ही मिलते हैं। यदि रेलवे की स्थिति में सुधार करना है तो यह काम केवल राजस्व बढ़ाने से नहीं होगा बल्कि निर्माण कार्य पर भारी धनराशि खर्च करने की नीति बनानी होगी। रेलवे के पुनर्निर्माण के लिये योजना अवधि से व्यापक पूंजीनिवेश परियोजना बनाई जानी चाहिए ताकि जनता को इसके कार्य के बारे में पुनः आश्वस्त किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 1972-73 के रेल बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेवाला, मैं रेलवे मिनिस्टर साहब की तारीफ इस बात के लिए करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं कि रेलवेज को चलाने के लिए इन्होंने सब अनासिर का काआपरेशन लिया है और उनके काआपरेशन और डिसप्लिन से ये रेलवे को चला रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बिल्कुल जाहिर हैं और सबको उनका पता है।

समस्या यह है कि रेलवे में कैसे तरक्की हो सकती है और क्या-क्या इसमें करना चाहिए, मैं समझता हूं कि प्रो० दंडवते जी ने जो तकरीर की थी और उस मसले पर जो उनकी स्पीच हुई थी, उसमें जो सजेश्चन्स उन्होंने दिये थे, वे बहुत बेहतरीन हैं। मैं उन सबको न दोहराते हुए एक बात पर जरूर जोर दूंगा।

जहां तक सेफ्टी का ताल्लुक है और ठीक सर्विस का ताल्लुक है, उसके बारे में यह कहूंगा कि सारे देश में रेलवे का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, उसके ट्रेक्स बहुत पुराने हैं और जहां तक रिप्लेसमेंट का ताल्लुक है, उसको प्रायरटी दी जाए चाहे रिप्लेसमेंट ट्रेक्स का हो, चाहे रोलिंग स्टाक का हो, चाहे कोचेज का हो, और चाहे वेगन्स की हो। वेगन्स भी आऊट आफ डेट हो चुके हैं। कोचेज की भी बुरी हालत है। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि फर्स्ट क्लास कोचिज की भी कितनी बुरी हालत है। उनमें टायलेट्स भी बुरी हालत में हैं, गद्दों के रेक्सीन फटे हुए हैं। जब हम रेलों को ज्यादा चलाते हैं तो उनकी मेन्टीनेंस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए कि वे ठीक कंडीशन में रन करें। मैं समझता हूं कि इनकी बुरी मेन्टीनेंस में नेगलीजेंस ज्यादा जिम्मेदार है, बजाय और बातों के। इन पर थोड़ी सी नजर रखने से इनकी मेन्टीनेंस काफी इम्प्रूव हो सकती है। इस पर मैं तवोज्ह दिलाना चाहता हूं।

जहां तक रेलों के खर्च का ताल्लुक है, ज्यादा खर्च रिप्लेसमेंट पर होना चाहिए क्योंकि जब हमारा माल ज्यादा मूव होगा, सवारियों की ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगी तो वीयर एण्ड टीयर भी ज्यादा होगा। हम रेलों में पंक्चुएलिटी भी मेन्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फर्स्ट प्रिफरेंस हमें रेलों में रिप्लेसमट पर देनी चाहिए। तभी रेलवे लाइन की मेन्टीनेंस हो सकती है और पेसेंजर्स की सेफ्टी भी एन्श्योर हो सकती है।

ट्रेफिक के बारे में, खास तौर पर ट्रेफिकगुड्स की पालिसीज के बारे में हमारी चार मिनिस्ट्रीज में—फाइनेंस, डिफेंस, प्लेनिंग और रेलवे में—कोआरडिनेशन होना चाहिए क्योंकि जितना रुपया हम डिफेंस पर खर्च करने जा रहे हैं उसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो यह है

कि डिफेंस के लिए चीपेस्ट और रिलायेबल मोड आफ गुड्स मूवमेन्ट रेलवे से हो सकती हैं। हमारे यहां पठानकोट-जम्मू में पहले ट्रकों से गुड्स मूव होता था। उसमें पेट्रोल का बहुत खर्चा होता था। और सामान भी पूरा नहीं जा सकता था। जब से वहां रेल लाइन बनी है तब से डिफेंस के लिए बहुत चीफ मोड आफ ट्रांसपोर्टेशन मिल गया है। हम रेलवे लाइन पर जो केपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं वह दो या तीन साल, या ज्यादा से ज्यादा चार साल मे रिटर्न हो जाती है। और दूसरी तरफ मुल्क का एक परमानेंट असेट बन जाता है।

नई लाइनें बनाने में पहली प्रफिरेंस डिफेंस को देनी चाहिए।

हमें दूसरी प्रिफरेंस रेलों में एक्सपेंडीचर के मामले में टूरिज्म को देनी चाहिए और तीसरी प्रिफरेंस बेकवर्ड एरियाज को देनी चाहिए। सबसे पहली तवोज्ह हमें रेलों में रिप्लेसमेंट की ओर देनी चाहिए।

हमारे इलाके में जम्मू-ऊधमपुर प्रोजेक्ट डिफेंस परपज के लिए बहुत जरूरी समझा गया है। मैं उस तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसको कोल्ड स्टारेज में नहीं डाला जाना चाहिए। उसको डिफेंस के साथ कोरडिनेशन करके प्रोपरली आरगेनाइज किया जाए तो उसके जरिये से हमारे फाइनेंस में बहुत बचत हो सकती है और डिफेंस की जरूरत पूरी हो सकती है। ऊधमपुर में हमारी नार्दर्न कमाण्ड का हेडक्वार्टर है। उसको रेलवे के साथ लिंक करना बहुत जरूरी है। उस तरफ भी आपको तवोज्ह देनी चाहिए।

जम्मू जाने और आने के लिए इतना ज्यादा ट्रेफिक है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वहां के लिए पेसेंजर ट्रेंस काफी हैं न गुड्स ट्रेंस। उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत सिंगल ट्रेक को जो कि जम्मू से जलन्धर तक है, डबल करने की है। उसका सर्वे भी हो चुका है। उसको अगर जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सकें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है और डिफेंस को भी फायदा हो सकता है क्योंकि किसी वक्त भी पाकिस्तान के साथ में गड़गड़ हो सकती है। हमारी तो कोशिश है कि लड़ाई न हो, लेकिन इसके बावजूद अगर हो जाती है तो हमको उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। इसलिए डबल ट्रेक जरूरी है और इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

हालिडे एक्सप्रेस पहले रोज चलती थी, लेकिन अब उसको हफ्ते में तीन बार कर दिया है, इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कहा गया है कि पैसिंजर्स कम हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गाड़ियों की कमी की वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों में जा रहा था, 8 जगह खाली थीं झेलम एक्सप्रेस में। एक इंजीनियर भी जा रहे थे जो कश्मीरी हैं, इस समय तो वे यू० एस० ए० के पासपोर्ट पर थे, उन्होंने बताया कि 50 रुपए देकर उनको एक सीट मिली है, जबकि 8 सीटें खाली जा रहा थीं। अगर गाड़ियों की सुविधा हो तो इन चीजों पर रोक लगती है। फाल्स बुकिंग हो जाती है, दलाल लोग इस तरह के काम करते हैं और रेलवे इसको चैक नहीं कर पाता। (व्यवधान)

मैंने बहुत पहले एक सवाल पूछा था, एक अफसर के बारे में कि वह फीरोजपुर में कब से हैं ? उसका जवाब इसलिए नहीं आया, क्योंकि उसका वहां से कभी ट्रांस्फर ही नहीं हुआ था।

अब उसका ट्रांस्फर फीरोजपुर में ही दूसरी जगह पर कर दिया गया है। इस प्रकार की जो खराबियां हैं, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार नंगल से मेकरिया लाइन बन रही थी। श्री एल० एन० मिश्रा ने इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। डिफेंस के ख्याल से भी यह लाइन महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब वह बंद हो गई है। रेल का जाल बहुत बिछ गया है और हमारे यहां एक ही डिवीजन फिरोजपुर में है। कम से कम जालंधर में एक डिवीजन और बना दें ताकि पूरे एरिया को ठीक तरह से कंट्रोल किया जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए जालंधर में एक रिक्रूटमेंट कमीशन बना है, उसका सब आफिस खोल दें। इससे यहां के निवासियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। अभी सबको इलाहाबाद जाना पड़ता है। कभी गाड़ी समय पर नहीं पहुंचती, कभी इंटीमेशन समय पर नहीं पहुचती। इसलिए इस ओर विशेष तवज्जह देने की जरूरत है।

अन्त में मैं कैटरिंग के बारे में कहना चाहूंगा। आपके अधिकारी प्राइवेट कैटरिंग की मदद करते हैं। प्राइवेट कैटरिंग में अच्छी खुराक नहीं मिल रही है। प्राइवेट कैटरिंग बिल्कुल बन्द होनी जरूरी है। कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिए जो कैटरिंग शुरू की गई हैं उसको डिसकरेज किया जा रहा है और प्राइवेट कैटरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोआपरेटिव सोसायटीज को डिप्टी मिनिस्टर देखते हैं और कैटरिंग के इंचार्ज स्टेट मिनिस्टर हैं। जहां पर गवर्नमेंट कैटरिंग है और कोआपरेटिव सोसायटीज की कैटरिंग है वहां पर तो व्यवस्था अच्छी है, लेकिन प्राइवेट कैटरिंग में व्यवस्था बहुत खराब है। इसलिए प्राइवेट कैटरिंग बन्द होनी चाहिए। जहां सरकार का अपना अरेंजमेंट है कैटरिंग डिपेंडेबिल है, लेकिन प्राइवेट कैटरिंग सबसे ज्यादा खराब है।

सभापति महोदय : क्या आपका ख्याल है कि कोआपरेटिव में बहुत सारे बोगस ऐलीमेंट्स घुस गए हैं ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा : जी नहीं, आम तौर पर ऐसा नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाले तो सबसे ज्यादा बोगस हैं। आफिसर्स का झुकाव अभी भी प्राइवेट कैटरर्स की तरफ है। यह बिल्कुल बन्द होना चाहिए। हालांकि आर्डर हैं कि प्राइवेट कैटरिंग नहीं होगा, लेकिन बन्द नहीं होता। आप देखें कितना खराब खाना यह लोग देते हैं। साथ ही मुझे यह कहना है कि आपका जो कैटरिंग स्टाफ है उनकी जो प्रोब्लम्स हैं उनसे बातचीत कीजिये और दूर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वह लोगों की खिदमत करते हैं, अगर वह खुद परेशानी में हों तो दूसरों की क्या खिदमत कर सकेंगे। इस नाराजगी का अंजाम पैसेंजर्स को भोगना पड़ता है। मैं मन्त्री महोदय और बोर्ड को मुबारकबाद देता हूं कि आप डिसिप्लिन और कोआपरेशन से काम ले रहे हैं जिससे सर्विस में काफी इमप्रूवमेंट हुआ है। पहले तो रोज 3,4 ऐक्सीडेंट्स हर रोज होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है और काफी सुधार है। आप गुड्स ट्रैफिक और पैसेंजर सर्विस को टाप प्रायरिटी दे रहे हैं, लेकिन इसके लिये जरूरी है कि जो बार्न आउट चीजें हैं, चाहे कोच हो, वैगन्स हों, ट्रैक हो या रोलिंग स्टाक हो उनको रिप्लेस करना चाहिये। मैं मानता हूं कि आप मजबूरन अनहैल्दी वैगन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास वर्कशास हैं उनकी मैक्सिमम कंपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे

हैं, फिर भी जो चीज रिप्लेस होने के काबिल है उसको रिप्लेस करना ही बेहतर है । कोआपरेशन के साथ-साथ डिसिप्लिन भी होना चाहिये । इंस्पेक्टिंग ऐजेन्सी को अगर आप मोटिवेट करके काम करवा लें तो बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा । माडर्नाइजेशन कहां तक कर सकते हैं यह फाइनेंसेज पर डिपेंड करता है जिसके लिए प्लानिंग कमीशन और दूसरे डिपार्टमेंट्स से आपको कोआर्डिनेट करना चाहिए ।

सेल्फ रिलायेंट इकोनामी, डिफेंस और कम्युनिकेशन तथा मूवमेंट को हासिल करने के लिए मेरी राय में फर्स्ट प्रायरिटी रेलवेज को देनी चाहिये । आप लोगों का कोआपरेशन सीक कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों का कोआपरेशन सीक कर रहे हैं, साथ ही आप अपनी इंस्पेक्टिंग ऐजेन्सीज को भी मोटिवेट कीजिये और जितने भी करप्शन के कारण आपकी नजर में हों उनको दूर कीजिये, यही मुझे कहना है । इन अल्फाज के साथ मैं डिमान्ड्स की सपोर्ट करता हूं ।

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो रेल बजट रखा है, उस पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है । 1980 से 1982 तक 27 महीनों में तीन रेल बजट रखे गए और तीन मंत्रियों के द्वारा, जबकि 1977 से 1979 तक के 27 महीनों में जनता सरकार की तरफ से एक ही मन्त्री—प्रो० दंडवते—ने तीन बार बजट रखे, जो घाटे के बजट नहीं थे, बल्कि हर बार उनमें लाभ दिखाया गया था—38 करोड़ रुपए और 82 करोड़ रुपए । उनमें भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, बल्कि सुविधाओं में वृद्धि की गई थी । लेकिन इस सरकार के नये-नये मंत्री केवल भाड़े में वृद्धि करने के लिए आते हैं । वे आम जनता को प्रभावित करने के लिए बहुत से कामों का जिक्र करते हैं, लेकिन हर बार केवल घाटे का बजट पेश करते हैं । पंडित कमलापति त्रिपाठी ने भी घाटे को बढ़ाया था, लेकिन कम बढ़ाया था । पांडे जी ने 558 करोड़ रुपए के घाटे का बजट रख कर सबको ताज्जुब में डाल दिया । उसी तरह सेठी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर बजट के घाटे को 582 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है । उन्होंने यात्रियों को कष्ट देने, किराये और माल-भाड़े में वृद्धि करने और मंहगाई बढ़ाने का प्रयास किया है ।

लेकिन उन्होंने यात्री-किराये और माल-भाड़े में इतना रुपया वसूल करने के बावजूद कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया । जनता तो कह रही है कि यह एक अपाहिज बजट है, यह मृग-तृष्णा वाला बजट है । ट्रेनों में रोज डकैतियां हो रही हैं, रोज एक्सिडेंट हो रहे हैं, आग भी लग जाती है—रतलाम में आग लग गई— और ऐसी भी घटना हुई कि एक ड्राइवर ने गाड़ी को रोक कर ताड़ी पीकर गाड़ी को वहीं रोके रखा और फिर जहां से गाड़ी आई थी, वहीं वापस ले गया ।

हम मन्त्री महोदय द्वारा रखी गई मांगों का समर्थन करते, अगर वह जनता को अधिक सुविधा देते । लेकिन भाड़े में लगातार वृद्धि हो रही है । जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसके अनुसार ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, बल्कि बोगीज को और घटाया जा रहा है । हमारे क्षेत्र में वाराणसी-आसनसोल पैसेंजर में बराबर 18 से 20 बोगीज लगती थीं । अब वहां चौबीस घंटे में केवल एक ही पैसेंजर ट्रेन है, जिसमें केवल पांच या छः बोगीज होती हैं । लगता है कि हर जगह बोगीज की संख्या को आधा कर दिया गया है ।

रेलवे देश का सबसे बड़ा परिवहन प्रतिष्ठान है, जिसमें 16, 17 लाख लोग काम करते हैं। इसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो दक्ष और उदाहरणीय हो, लेकिन तीन मन्त्री भी इसमें कोई सुधार करने में असफल हुए हैं।

मैं अपने क्षेत्र की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और उसमें बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि डा० बी० एन० सिंह ने बहुत मार्मिक ढंग से आज क्षेत्र की उपेक्षा का वर्णन किया है। मेरी भी कांस्टीट्युएन्सी उससे सम्बन्धित है। रांची से लेकर गिरिडीह तक के क्षेत्र में, जिसमें चार पांच सांसदों की कांस्टीट्युएन्सी है, आजादी के बाद रेलवे के द्वारा कोई भी रचनात्मक काम नहीं हुआ है। जो भी कुछ वहां पर हुआ है, वह अंग्रेजों ने किया था। कहा जाता है कि हमारी दृष्टि विकासशील है और जनहितकारी काम हो रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है ? मैंने 1977 से लेकर आज तक कई बार गिरिडीह से कोडरमा, हजारीबाग टाउन और रांची तक रेल मार्ग के निर्माण के लिए कहा है···

सभापति महोदय : डा० बी० एन० सिंह जो कह चुके हैं उसको छोड़ कर अन्य विषय हो तो वह आप कहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। पिछली 25 फरवरी और 4 मार्च को मेरा प्रश्न था जिसका मुझे गुमराह करने वाला उत्तर दिया गया। मैं मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब वे उत्तर देंगे उस समय स्पष्ट रूप से बताएंगे कि क्या डिटेल्ड सर्वे कितने समय का काम शुरू हुआ है ? यदि शुरू हुआ है तो डिटेल्ड सर्वे में पूरा हो जाएगा। उसका प्रिलिमिनरी सर्वे तो पहले ही हो चुका है। प्रिलिमिनरी सर्वे फिर से करने का मतलब है पैसे का दुरुपयोग। मेरा आग्रह है कि मन्त्री जी खुद सारी फाइल देख लेंगे। जिस तरह से आम तौर पर होता है कि जो छपकर आ गया उसको एक्सेप्ट कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से देश का निर्माण नहीं हो सकता है। मन्त्री जी केवल कागजों के भ्रमजाल में ही फंसे रह जाएंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आपसे किसने कहा है यह सब चीजें ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह तो कागज ही बता रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आपको कोई ऐसा मन्त्री भी मिला है जो बिना कागज देखे काम-काज करता हो ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : लिखे हुए कागज से अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ? जब एक बार प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुका है फिर उसको दोबारा करने की क्या आवश्यकता है ?

अब मैं मंत्री जी का ध्यान, रेलवे में जो गड़बड़ियां हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। 7 तारीख के लिए 86-आसाम मेल में 500 बेनाफाइड टिकट होल्डर्स ने रिजर्वेशन कराकर रखा। जब वे लोग उसमें बैठने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि रेलवे के अधिकारियों, आर० पी० एफ०, जी० आर० पी० के लोगों ने पहले से ही सीटों को अकूपाई करके असामाजिक तत्वों से लाभ उठा-कर उनको उस पर बिठा दिया था। कारणवश बोनाफाइड पसेंजर्स होली में अपने घर भी नहीं पहुंच सके। जब उन लोगों ने रेलवे से पैसा रिफंड करने के लिए कहा तो उनसे कहा गया कि

भगदड़ में उन्होंने दूसरों के टिकट चुरा लिए होंगे। केवल 60 व्यक्तियों का पैसा ही रिफंड किया गया, बाकी लोगों का पैसा हजम कर लिया गया। इस प्रकार से लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई। इसी प्रकार से पिछले रविवार को भी दक्षिण पूर्व रेलवे में दो जगहों पर भयानक डकैती हुई है। इन डकैतियों के चलते यात्रियों के लिए रेलवे में सुरक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। यात्रियों को किस प्रकार से सुरक्षापूर्वक उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए—इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आखिर यह डकैतों के गिरोह रेलगाड़ी में कैसे आते हैं? यह आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० का आखिर दायित्व क्या है? इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है या नहीं—यह मन्त्री जी को सोचना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले पलामू एक्सप्रेस में डकैती पड़ी जिसमें केन्द्रीय मन्त्री भीष्म बाबू के लड़के का सारा सामान डकैतों ने लूट लिया तथा कुछ मार भी पड़ी। जब किसी ने कहा कि वे उनके लड़के हैं तो डकैत कुछ चीजें प्राप्त करके भाग गए लेकिन दूसरे यात्री बहुत घायल हुए। यह समाचार कहीं छपा भी नहीं। तो इस तरह की घटनायें प्रतिदिन घट रही हैं। इनको रोकने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप माल-भाड़े में वृद्धि करते हैं तो जनता को कुछ राहत भी देनी चाहिए।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मेरी कान्स्टीचूयेंसी जो कि ग्रेडकार्ड लाइन पर पड़ती है, वहां 82-डाउन और 81-अप कोड़रमा पर रुकती है, लेकिन वहां पर कोई सीटों का कोटा नहीं है। वहां की जनता के लिए कोटा कुछ कर दीजिए, ताकि वहां की जनता को कुछ सुविधा हो सके। वहां दिन भर में एक पैसेन्जर-ट्रेन नहीं है, जबकि बीच में बीसियों छोटे-छोटे स्टेशन पड़ते हैं। इसी प्रकार जयपुर ब्लाक और बरकटहा ब्लाक, जिसके बीच में सरमाटांड स्टेशन है, वहां पर भी सियालदा एक्सप्रेस या देहरादून एक्सप्रेस को दो मिनट का हाल्ट देने से वहां की जनता को काफी राहत मिल सकती है। इसी तरह से चिचांकी चोबे और चौधरीबांध—ये तीन स्टेशन हैं, यहां भी दिन भर में कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है और बोगियां भी हैं, जिन गाड़ियों में, वहां लोगों को चढ़ने में काफी मुश्किल होती है और लोग जा नहीं पाते हैं। वहां पर भी एक्सप्रेस ट्रेन का दो मिनट का हाल्ट देने से वहां की जनता को सुविधा हो सकती है—जो कि बहुत ही आवश्यक है।

एक बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: वर्मा जी, अब आप बैठ जाइए। कल फिर आप बोलेंगे।

———

उड़ीसा में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के स्थान के परिवर्तन के बारे में वक्तव्य

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है भारत सरकार ने उड़ीसा में दूसरा नया इस्पात कारखाना पारादीप में लगाने का फैसला किया था। मौसम-विज्ञान संबंधी आंकड़ों की और आगे जांच करने पर निम्न-लिखित बातों का पता चला है जो पारादीप में इस्पात कारखाना लगाने के प्रतिकूल हैं :

(क) रूपांकन प्राचल ऐसे होने चाहिए जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे के वायु वेग को बर्दाशत कर सकें जबकि पहले के रूपांकन प्राचल में वायु वेग की परिकल्पना 170 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी;

(ख) रेत की भराई सात मीटर होगी जबकि पहले केवल 3 मीटर की भराई आवश्यक समझी गई थी; और

(ग) पारादीप को सड़क और रेल मार्गों से भली प्रकार जोड़ने के लिए भारी पूंजी निवेश करना होगा।

ऊपर दी गई सब बातों को देखते हुए सरकार ने कारखाने का स्थान उड़ीसा राज्य में समुद्र से 120 किलोमीटर अन्दरूनी भाग में देतारी क्षेत्र में बदलने का फैसला किया है। संभार-तन्त्र और सुरक्षा, अवस्थापना सम्बन्धी लागत में होने वाली भारी बचत, संयंत्र के लिए स्थल तैयार करने पर आने वाली लागत में कमी और संयंत्र की मियाद में आने वाली आवर्ती लागत में कमी जैसे कारणों से स्थल में परिवर्तन करना उचित होगा। इस फैसले से इस्पात कारखाने के निर्माण कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं होगा।

उत्पादकों को आलू के लाभप्रद मूल्य दिलाये जाने के बारे में चर्चा

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं इस बात के लिए आशा व्यक्त करता हूं कि सभा के दोनों पक्षों ने इस कृषि उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य दिये जाने के विषय पर चर्चा की अनुमति दिये जाने के लिए जोर दिया और अध्यक्ष महोदय ने इस मांग को तुरन्त स्वीकार कर लिया और नियम 193 के अधीन इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे दी।

इस विषय पर चर्चा के समय में इस तथ्य के सम्बन्ध में पूरी तरह सजग हूं कि मैं ऐसी समस्या पर चर्चा आरम्भ कर रहा हूं जो कृषक वर्ग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो कृषि उत्पादन

में लगे हैं और विशेष रूप से जब इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष बताया गया है और मानो इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित कराने के लिए ही किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किया है। आशा है कि इस वर्ष आलू का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से दस प्रतिशत अधिक होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आलू का उत्पादन एक सौ लाख टन से अधिक भी हो सकता है। आलू का एक सौ लाख टन से अधिक उत्पादन होगा और इसका 50 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश से होगा, विशेषकर फर्रूखाबाद आलू के उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्र है।

एक माननीय सदस्य : हिमाचल प्रदेश।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने 'विशेषकर' कहा है। मैंने कहा है कि उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से आयेगा। अतः यह स्पष्ट है कि शेष 50 प्रतिशत अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आयेगा यह तो सरल गणित की बात है।

जहां तक आलू का उत्पादन करने वाले किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने की वर्तमान समस्या का सम्बन्ध है मेरे विचार में लाभप्रद मूल्य की संकल्पना पर ही पहले विचार करना होगा। मेरे विचार में लाभप्रद मूल्य की संकल्पना को किसी मूल्य विशेष के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम केवल इस बात पर विचार करें कि आलू के लिए अमुक मूल्य लाभप्रद होगा, जब आदान की स्थिति और अन्य परिस्थितियां बदलती हैं तब लाभप्रद मूल्य को बदलना ही पड़ेगा। इसलिए हम लाभप्रद मूल्य की संकल्पना को पूर्ण नहीं मान सकते। किसी मूल्य विशेष से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभप्रद मूल्य को उत्पादन लागत के साथ जोड़ा जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक यह सम्भव है कि जिसका उत्पादन अधिक हो उसे उत्पादकता के लिए दण्ड दिया जाये। मुझे आशा कि हमारे देश में ऐसा नहीं होगा।

जहां जक आलू के उत्पादन का सम्बन्ध है, यह कुछ क्षेत्रों में सीमित है। स्थानीय खपत का कुछ अनुपात है और यदि बिक्री योग्य फालतू उत्पादन की मात्रा पर विचार किया जाये और आलू का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में स्थानीय खपत और बिक्री योग्य फालतू उत्पादन के बीच अन्तर को देखा जाये तो परिवहन की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जब आलू का उत्पादन बढ़ गया है और इस वर्ष जैसा कि मैंने बताया है कि यह 100 लाख टन से अधिक होने की आशा है, ऐसे समय पर हम मोटर चालकों द्वारा हड़ताल की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह बाधा है। जितना उत्पादन हुआ वह कुछ समय के लिए रुक सा गया (**व्यवधान**) मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि हड़ताल हर जगह समाप्त नहीं हुई. कुछ क्षेत्रों में यह अब भी चल रही है। इसलिए आलू उत्पादक क्षेत्रों से खपत वाले क्षेत्रों तक आलू ले जाने के लिए ढुलाई की समस्या बनी हुई है।

फिर रेलवे की ओर से भी कुछ बाधाएं हैं। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, वे कुछ सामाजिक बोझ को वहन करते हैं। रेलवे जानबूझकर कुछ आवश्यक वस्तुओं को संचालन लागत से भी कम खर्च पर ले जाता है। इसलिए जहां कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के लिए वैगनों के लाने ले जाने का प्रश्न है, कुछ रियायती दरें हैं और संचालन लागत से भी कम खर्च पर माल की ढुलाई की

जाती है, प्रत्येक वर्ष जब रेल मंत्री सभा में अपना बजट प्रस्तुत करता है या तो वह कुछ अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं के लिए रियायत दिए जाने का उल्लेख करता है, और या जैसाकि उन्होंने इस बार भी किया है कि कुछ रियायतें समाप्त कर देने की घोषणा करता है। अन्ततोगत्वा यह दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिये। व्यावहारिक दृष्टि से ही समस्या पर विचार किया जाना चाहिये। यदि हम देखते हैं कि गत वर्ष की अपेक्षा आलू के उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आलू का भंडार जमा हो गया है और आलू की खपत वाले क्षेत्रों के लिए ढुलाई अधिक महत्वपूर्ण है तब यह बहुत आवश्यक है कि कृषि मन्त्रालय रेल मन्त्रालय से बातचीत करे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि कुछ प्रयास पहले से किये जा रहे हैं और कुछ रियायतों का वचन भी दिया जा चुका है। मुझे आशा है कि वैगन उपलब्ध किये जाने के सम्बन्धित भी उचित व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक बहुत सुखद अनुभव सुनाना चाहता हूं। जब इन कुछ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले लाया जाता है तो उपभोक्ता और उत्पादकों, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच में बिचौलिया और व्यापारी आ जाते हैं। कभी जब माल को वैगनों में लाया जाता है और यह गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं और यदि मूल्य कम हो जाते हैं तो व्यापारी जान-बूझकर उन्हें उठाता है और वे गन्तव्य स्थान पर भी वैगनों से माल नहीं उतारते हैं और इस प्रकार वे कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं और जब मूल्य बढ़ जाते हैं तब वे वैगनों से माल उतारते हैं। इस प्रक्रिया में नाशवान वस्तुएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। यदि इस प्रकार के कदाचारों को समाप्त करना है। मुझे याद है कि जब हम शासन में थे तो हमारे सामने इस प्रकार के कदाचार के मामले आये थे जहां व्यापारियों ने ऐसे समय वैगनों में माल को उतारने से इनकार कर दिया जब उनके लिए ठीक नहीं था, इस प्रकार के कदाचार को समाप्त करने के लिए—हमने यह घोषणा की कि यदि कोई व्यापारी इस प्रकार के कदाचारों में संलग्न होता है तो ऐसे मामलों में समय-छूट और इसके साथ 7 दिन दिए जाएंगे और इसके बाद यदि वे वैगनों से माल नहीं उतारते हैं तो वैगनों की समूची सामग्री का नीलाम कर दिया जायेगा और इसे बहुत कम मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जायेगा। जब इस तरीके का प्रयोग 2 या 3 स्थानों पर किया गया तो यह कदाचार समाप्त हो गया, मुझे आशा और विश्वास है कि अतीत के इस अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा और हमारे कृषि मंत्री रेलवे मन्त्रालय के साथ बातचीत करेंगे और यह देखेंगे कि इस प्रावधान को जिसका उपभोग रेलवे कर सकती है, प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगा।

जैसा कि मैंने आपको बताया है जहां तक आलुओं के लाभप्रद मूल्य का सम्बन्ध है और उस स्थिति में किसी भी कृषि पदार्थों का सम्बन्ध है, आदानों का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई विशेष मूल्य किसी खास समय पर लाभप्रद हो सकता है और दूसरे समय पर लाभप्रद नहीं हो सकता है यदि आदान सस्ते हों तो कोई भी मूल्य जो कि निर्धारित मूल्य से कम है, लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जहां तक आलू उत्पादकों का सम्बन्ध है अभी हाल में मुझे कुछ केन्द्रों में, जहां आलू पैदा किए जाते हैं जाने का अवसर मिला। मैंने कुछ समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि आदानों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें उर्वरकों की आवश्यकता होती है। जब भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने आर्थिक उपायों की योजना की थी, जैसा कि दुर्भाग्य का होना था, तो उसके एक वर्ष बाद प्रधान मन्त्री ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोन्धित किया। प्रधान मन्त्री ने घोषणा की कि मूल्यों को कम करने के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पाद एजेन्सियों के लिये विज्ञापन

3502. **श्री रामलाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों में जहां विज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जातियों/जनजातियों, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि से पेट्रोल और डीजल डीलरशिप और कुकिंग गैस एजेन्सियों के लिए आरक्षण के कोटे से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और जिनके लिए साक्षात्कार भी लिया गया किन्तु अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका और अब समिति का गठन करके नये साक्षात्कार लेकर इस मामले को बन्द करने के प्रयास किए जा रहे हैं यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार सामान्य श्रेणी की डीलरशिप के मामले पर भी, जिसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है इसी नीति का पालन करने पर विचार कर रही है यदि हां, तो सीतापुर कुकिंग गैस एजेन्सी के मामले में पुनर्विचार न करने और उसे अनुसुचित जातियों/जनजतियों को इस बारे में दिये गये आश्वासनों के अनुसार आरक्षित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संशोधित मार्ग दर्शन सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिये जाने तक आरक्षित श्रेणियों के चयन में विलम्ब किया गया था। मार्गदर्शन सिद्धान्त तैयार किये गये हैं जिसके आधार पर तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिपों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अन्तिम चयन के लिए के ल उन्हीं उम्मीदवारों का अन्तिम चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाना है, जिनका साक्षात्कार पहले लिया गया था और जांच समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये थे।

(ख) जी, नहीं। कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है इसके अतिरिक्त सीतापुर में वितरण--एजेन्सी को पहले ही अन्तिम रूप दिया गया है और चुने गये डीलर को आशय-पत्र जारी किया गया है।

प्रत्येक ताप/जल विद्युत परियोजना का विद्युत भार

3503. **श्री बी० आर० नाहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विद्युत परियोजना पर कितना विद्युत भार था और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा कृषि सिचाई और घरेलू उपयोग के लिए जिसमे खनन और रेलवे भी शामिल हैं प्रत्येक राज्य की कितनी मांग थी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : वर्ष 1979-80 के दौरान देश में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 28448 मेगावाट थी जिसमें 11384 मेगावाट जल विद्युत क्षमता, 16424 मेगा० ताप विद्युत क्षमता और 640 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत क्षमता थी। वर्ष

महोदय, दुर्भाग्यवश हमारे देश में कृषि उद्योग का ढंग अब तक पुराना रहा है। इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए हमें आलुओं की प्रोसेसिंग का तरीका और अन्य बातें सीखनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से आलू अप्रभावित नहीं रहते हैं। उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। परन्तु यदि आलुओं का उपयोग प्रोसेसिंग उद्योगों में होता है, उदाहरण के लिए, यदि उनको निर्जलित किया जाता है तो उस स्थिति में उनको अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्थानीय और देश में इसकी खपत की आवश्यकता पूरी होने के बाद यदि वे आलुओं का निर्यात करते हैं और यदि उस प्रयोजन के लिए उन्हें निर्जलित किया जाता है तब देश के लिए उनका निर्यात करना आसान होगा। इसलिए आलुओं को निर्जलित करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है और क्या ऐसा कोई कारखाना पहले ही लगा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आलुओं के निर्जलीकरण के लिए उद्योग लगे हुए हैं। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आलुओं के निर्यात की अनुमति दे दी जाये ?

प्रो० एन० जी० रंगा : सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आलू या अन्य कृषि जन्य पदार्थों के मामले में बिचौलियों को हटा दिया जाना चाहिए। बिचौलियो को हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाये क्योंकि यह बिचौलियों का अच्छा स्थानापन्न सिद्ध होगा। इसलिए यदि उस मामले में सहकारी विपणन सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं तो इस व्यापार में सभी बिचौलियों को हटाया जा सकता है, फसल बीमा विशेषकर आलू जैसे नाशवान पदार्थों के लिए आवश्यक है।

महोदय, हमारे देश में जब शम कलाकारों के पांवों का सिने कलाकार की पत्नी का बीमा हो सकता है तो क्यों नहीं कृषि उत्पाद का बीमा हो सकता है। यह विरोधाभास की स्थिति है। मुझे आशा और विश्वास है कि कृषि उत्पादों तथा विशेषकर नाशवान वस्तुओं का बीमा करने की योजना आरम्भ की जाएगी। इससे किसानों के हितों की रक्षा करने में बहुत मदद मिलेगी।

जब यह कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए मैं इस चर्चा पर यह चेतावनी देना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं की सहायता के होते हुए भी कभी-कभी समस्यायें इतनी दुष्कर हो जाती हैं कि हमारे लिए उन्हें हल करना संभव नहीं होता है बशर्ते यदि उनकी बहुतायत के समय नाफेड़ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ आलुओं जैसे पदार्थों की भारी मात्रा में खरीद न करें। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने इसकी भारी मात्रा में खरीद की है। केवल तभी किसानों को उनके आलुओं के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ कहां तक भारी मात्रा में आलू खरीद सका है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और आगे इसकी क्या संभावनायें हैं। मैं आलुओं के सम्बन्ध में इन पहलुओं को जानना चाहता हूं। मैं आलुओं के उपभोग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यदि हम इनका निर्यात न भी करें और यह निर्णय करें कि आलुओं का स्थानीय रूप से और इस देश में ही खपत हो तो आलुओं के लिए उपलब्ध खुदरा बाजार उपलब्ध होने के अतिरिक्त ऐसे कुछ साधन हैं जिसकी खोज की जा सकती है और जिससे आलू उत्पादकों को बहुत सहायता मिल

सकती है। मैंने पहले ही कहा है कि प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आलुओं का निर्जलीकरण किया जा सकता है। मुझे पुराने रिकार्ड देखने से पता चला है कि पोलैंड उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एल्कोहल का निर्माण करने हेतु एक संयंत्र की स्थापना के लिए तैयार है। मैं नहीं जानता कि यह उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला एल्कोहल है या अन्य कुछ और है; लेकिन मेरी याद में यह उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला एल्कोहल है। यदि उन्होंने पहले ही पेशकश की है कि वे संयंत्र की स्थापना में मदद देंगे जिसमें उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल का निर्माण करने के लिए आलुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि क्या स्वदेशी टैक्नोलाजी उपलब्ध है और यदि यह स्वदेश में उपलब्ध है तब हम इस टैक्नोलोजी का प्रयोग कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे काफी आलुओं का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता नहीं करते हैं बजाए इसके कि उन्हें सड़ने दिया जाये और उनका मूल्य गिरने दिया जाये। मैं समझता हू कि उनका उपयोग उद्योग में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल के लिए किया जा सकता है। उन्हें विदेशों में भेजा जा सकता है। हमारे देश में ही उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं पश्चिम बंगाल का उल्लेख करूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार को उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला एल्कोहल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने शिकायत की थी कि कुछ उद्योग, जिन्हें एल्कोहल की आवश्यकता है, बन्द हो सकते हैं। जब ऐसे एल्कोहल की इतनी अधिक मांग है तो आलुओं के उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले एल्कोहल का निर्माण करने के लिए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यदि देश में खपत के बाद आलू कम रहते हैं तो हम फालतू आलुओं का निर्यात कर सकते हैं।

एक समय था जब केवल संगठित श्रमिक समाज, नियोजकों और सरकार पर इस बात के लिए जोर डाल रहे थे कि उन्हें अधिक लाभ दिए जाएं और उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाया जाए तथा मजूरी आदि बढ़ाई जाये। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि किसान अब पिछड़े नहीं रहे हैं; असंगठित किसान अब असंगठित नहीं रहे हैं। आज किसान आगे बढ़ रहा है, दुर्भाग्यवश तथा-कथित छद्म सुधारवादी एक ओर किसान आगे दूसरी ओर कृषि श्रमिकों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उनमें से बहुत से लोग समझ गए हैं कि यह एक ही नारा था। मैं बड़े भूस्वामियों की बात नहीं करता। मैं साधारण कृषकों की बात कर रहा हूं। कृषकों तथा कृषि मजदूरों के हित परस्पर जुड़े हुए हैं। कृषि मजदूरों ने पहली बार अनुभव किया है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि उन्हें उचित मजदूरी प्राप्त करनी है, यदि उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करना है तो यह आवश्यक है कि उन किसानों की हालत भी सुधरे जिनके खेतों पर वे काम करते हैं। इस प्रकार छोटे और मध्यम किसानों और कृषि मजदूरों के हित जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्ष में किसानों और कृषि मजदूरों ने मिलकर आन्दोलन किये हैं तथा कृषि मजदूरों ने पहली बार घोषणा की है कि हमारे हित लघु तथा मध्यम श्रेणी के किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि किसान पहले ही आगे बढ़ रहे हैं। लोक सभा के पिछले सत्र के दौरान महाराष्ट्र में 4 लाख कृषि मजदूरों तथा 4 लाख किसानों ने एक बड़े आन्दोलन में भाग लिया था।

कृषकों के बहुत से आन्दोलन हैं। श्रीमान दिल्ली में आप थोड़ी-थोड़ी भूमि के लिए आन्दोलन देखते हैं। उस आन्दोलन में विपक्ष के तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं और वे दोनों उस आन्दोलन में सम्बद्ध हैं। इससे यही प्रकट होता है कि कुछ समस्यायें दलीय आधार से ऊपर उठकर होती हैं। यही कारण है कि लाभकारी मूल्यों के लिए कृषक आन्दोलन तथा कृषि मजदूरों का उचित वेतनों के लिए आन्दोलन में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये समस्यायें पहले से उठी हुई हैं। किसान पहले ही आगे बढ़ रहे हैं तथा वे पहले ही मिलकर कार्य कर रहे हैं।

श्रीमान, इस सम्बन्ध में मैं कृषि मूल्य आयोग पर भी एक शब्द कहना चाहता हूं। आलू के लिए लाभदायक मूल्य निर्धारित करने का मामला कृषि उत्पाद मूल्य से जुड़ा हुआ है। श्रीमान, दुर्भाग्य से वर्षों से हम देख रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादनों के मूल्य निर्धारण के लिए अलग तरह के मानदण्ड अपनाये जाते हैं जबकि कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण के लिए अलग मानदण्ड अपनाये जाते हैं। औद्योगिक उत्पादनों का मूल्य निर्धारित करते समय मशीनरी, मानवीय श्रम, इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा मशीनरी के लिए अपेक्षित आदानों पर ध्यान दिया जाता है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर मूल्य निर्धारण किया जाता है। वैसी ही बहुत सी अन्य बातों जैसे श्रमिकों की स्थिति भी मूल्य निर्धारण के समय देखी जाती हैं। दुर्भाग्य से कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारण करते समय इस पहलू को बिलकुल भुला दिया जाता है और इस वाद-विवाद में मैं कृषि मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह कृषि मूल्य आयोग से कहेंगे कि आलू सहित कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण के समय उन्हें उत्पादन लागत के साथ जोड़ा जाये। उत्पादन की लागत ही नहीं; मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा कि जहां तक कृषकों का सम्बन्ध है उन्हें भी औद्योगिक श्रम की तरह कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। उसे भी कोई जीवन-स्तर रखना होता है। जब जीवन निर्वाह सूचकांक बढ़ता है तो उसे अपने उपभोग की वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और यदि हम आलू सहित सभी कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण में इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे केवल तभी हम कृषकों के साथ न्याय कर पायेंगे। इस संदर्भ में मैं वर्तमान कृषि मूल्य आयोग की असमर्थता प्रकट करना चाहूंगा। हम सदा यही मानते रहे हैं कि कृषि मूल्य आयोग के पूरी रचना को बदलने की आवश्यकता है। आज ये कृषकों के पर्याप्त हित में नहीं है। पुनर्गठित कृषि मूल्य आयोग में कम से कम कृषकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। केवल वैसा करने पर ही देश के कृषकों के प्रति न्याय हो सकेगा। अपने कष्ट को उसे भोगने वाला ही सही तरह से जानता है। अपनी कठिनाइयों के बारे में केवल कृषक ही ठीक तरह से जानता है। अतः यदि पूरे कृषि मूल्य आयोग को पुनर्गठित किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि उनके साथ बेहतर न्याय हो सकेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमान, इन्होंने अपनी बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दी है। इन्हें कुछ बातें हमारे लिए भी छोड़नी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उनकी बात मैंने नोट कर ली है। मैंने आलू के बारे में लगभग सभी बातें ले ली हैं, परन्तु चीनी का मामला मैं उनके लिए छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आपकी रुचि केवल चीनी उद्योग में है।

प्रो० मधु दण्डवते : जैसाकि मैंने शुरू में बताया था कि इस वर्ष को उत्पादकता का वर्ष घोषित किया गया है। वे सभी लोग जो इस उत्पादकता वर्ष में देश की उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रम करते हैं, उन्हें उत्पादन बढ़ाने के बदले दण्ड मत दें अपितु उन्हें उत्पादकता बढ़ाने के लिए इनाम मिलना चाहिए। इसलिए मैं माग कर रहा हूं कि कृषकों को विशेषतः आलू उत्पादकों को अपने उत्पादन का मेरे द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपायों द्वारा लाभदायक मूल्य मिलने चाहिए।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को आलू का उचित मूल्य मिले, इसके सम्बन्ध में जो बहस हो रही है, उसमें भाग लेते हुए मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं।

इस बहस को शुरू करने वाले प्रो० मधु दण्डवते एक समय जनता सरकार में रेल मन्त्री थे। उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का किसान जानता है कि 1977 में उसे आलू का दाम 10 रुपए बोरा भी नहीं मिला था और उसका आलू सड़ गया था। आज 35, 40 रुपये है, लेकिन वह कम है, बहुत कम है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : 50, 55 रुपये है।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : 50, 55 रुपये नहीं है। 35, 40 रुपये इलाहाबाद और कानपुर में है।

कृषि मन्त्री ने राज्य सभा में एक बयान देते हुए कहा कि इन्टरनेशनल मार्केट में यहां का आलू मंहगा पडता है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल पोटेटो रिसर्च इन्स्टीच्यूट अच्छी किस्म का आलू पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है। नेशनल पोटेटो रिसर्च इंस्टीच्यूट के डायरेक्टर ने शिमला में 5 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस को जो इन्टरव्यू दिया था, मैं उसकी क्वोट करना चाहता हूं :

"अनियतित सप्लाई तथा खराब व्यावसायिक प्रबन्ध के कारण भारत विश्व आलू बाजार में विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर पाया।

यह बात, केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था के निदेशक श्री बी० बी० नागीच जो हाल ही में आलू निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने कुछ देशों की यात्रा पर गये थे, यू० एन० आई० को बतायी।

आम शिकायतें ये थीं कि भारत से सप्लाई अनियमित है तथा गति वर्ष सप्लाई सुनिश्चित करना सम्भव नहीं हुआ, तथा उन्होंने यह भी बताया कि इसी कारण बहुत से देशों को भारतीय मूल्य से चार-पांच गुना अधिक मूल्य पर आलू का आयात करने पर विवश होना पड़ा। पीछे माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम का भी पालन नहीं किया गया।

उन्होंने यह भी बताता कि आलू के निर्यात में भारत की कम सफलता के लिए आलू के लिए एक संगठित एजेंसी का न होना भी है।

उन्होने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि बावजूद इस बात के कि आलू उत्पादन का क्षेत्र तीन गुणा बढ़ गया है तथा पिछले तीन दशकों में आलू का उत्पादन सात गुणा बढ़ गया है, आलू के परिवहन को 'ग' श्रेणी की प्राथमिकता दी जा रही है यद्यपि आलू विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भारी योगदान दे सकता है।

नैशनल पोटेटो रिसर्च इन्स्टीच्यूट डायरेक्टर का यह बयान है कि विदेशों में हिन्दुस्तान के आलू की बड़ी मांग है और यहां का आलू नियमित रूप से विदेशों में न जाने के कारण उन्हें दूसरे देशों से पांच गुना दाम पर आलू खरीदना पड़ता है।

तो कृषि मन्त्री जी से मेरी मांग है कि वे इसको सुव्यवस्थित करें। सुव्यवस्थित इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप पहले से ही कांट्रेक्ट कर लें या तो सरकार की तरफ से या फिर कोई पोटेटो कार्पोरेशन बनाकर, उसकी तरफ से विदेशों से पहले ही कांट्रेक्ट कर लें, आलू सप्लाई करने के लिए और उसी के हिसाब से किसान आलू पैदा करे।

दूसरे इसमें यह भी दिया हुआ है :

1961-62 से इसका निर्यात कुछ ही देशों को होता था। किसी एक वर्ष में सबसे अधिक निर्यात 1975-76 में 52000 टन हुआ। वर्ष 1979-80 में यह मात्रा 6861 टन था। परन्तु 1976-77 के दौरान जनता सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण कोई निर्यात नहीं हुआ। इसलिए दस रुपए बोरी आलू बिका था।

दूसरी चीज मन्त्री जी ने यह कही कि पहले साल आलू का उत्पादन 96 लाख मी० टन हुआ और 1982 में 105 लाख मी० टन उत्पादन होने की सम्भावना है। पूरे देश के कुल आलू उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। मेरे पास फीगर्स हैं कि दिसम्बर, 1981 से से फरवरी 1982 के बीच में फरुखाबाद जिले में बड़ी लाइन पर 1197 वैगन लगाए गए और छोटी लाइन पर 1477 वैगन लगाए गए। उससे पिछले साल की उसी अवधि में, दिसम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक फरुखाबाद में बड़ी लाइन पर 1129 वैगन लगाए गए और छोटी लाइन पर 1962 वैगन लगाए गए। मतलब यह कि जब आलू ज्यादा पैदा हुआ तब वैगन कम लगाए गए और जब आलू कम पैदा हुआ तब वैगन ज्यादा लगाए गए। दूसरी बात मन्त्री जी ने यह बताई कि इस वर्ष, रेल मन्त्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनवरी-फरवरी में 2041 वैगन के इण्डेन्ट वापिस ले लिए गए। हो सकता है कि इसके पीछे आलू की कीमतों को प्रभावित करने के लिए व्यापारियों का हाथ हो। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर व्यापारी किसान को लूटने के लिए, आलू के मूल्य प्रभावित करने के लिए, वैगनों के इण्डेन्ट वापिस करके आलू सड़ा सकता है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है ? शासन की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की स्थिति को पैदा न होने दे।

यह भी कहा गया है कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में प्रादेशिक सहकारी संघ को आदेश था कि यदि आलू के दाम 50 रु० क्वीण्टल से कम हो जायें तो बीस दिनों तक रोजाना 300 मी० टन आलू खरीदा जाए। तब से अब तक प्रादेशिक सहकारी संघ तथा नाफेड ने 35 रुपए से 50

रुपए का 1000 मी० टन आलू खरीदा है। यह 1 हजार मी० टन तो कुछ भी नहीं है। समुन्दर में केवल एक बूंद के समान ही है। इसका नतीजा आज यह हुआ है कि किसानों का आलू सड़ रहा है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है।

इसमें एक दुर्भाग्य की बात और भी है। किसान को तो आलू सस्ता बेचना पड़ रहा है लेकिन उपभोक्ता को आलू मंहगा खरीदना पड़ रहा है। केवल बीच वाले मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। बीच वाले किसान से 30 रुपए क्वींटल में आलू खरीद कर 80 और 90 रुपए तक उपभोक्ता को बेच रहे हैं। आखिर उनको बीच में इतना मार्जिन लेने का क्या अधिकार है? इस वेलफेयर स्टेट में समाजवादी सरकार में उनको इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि अगर कहीं पर किसान का आलू 50 रुपए क्वींटल भी बिक रहा है तो उसमें आलू की खुदाई, भराई, ढुलाई तथा आढ़त वगैरह सब निकाल कर उसको केवल 30 या 32 रुपए प्रति क्वींटल ही मिलते हैं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, जो भी नुकसान होता है, वे आपसे मैं 50-50 प्रतिशत बर्दाश्त करें। इस प्रकार की समस्या को पत्र द्वारा बात न करके, आमने-सामने बैठकर इसका नतीजा निकाला जाना चाहिए कि कौन इसको खरीदेगा और कितना खरीदेगा। क्योंकि आलू एक ऐसी चीज है, जिसको न तो किसान ही रोक सकता है और न ही वह काफी दिनों तक सुरक्षित रह सकती है।

मैं मन्त्री जी एक और निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से भी, कि आलू की खेती तभी सुरक्षित रह सकती है, आलू पैदा करने वाला किसान तभी सुरक्षित रह सकता है, जबकि निश्चित रूप से जैसे और चीजों के अन्दर ठेका होता है, उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। जैसे हम चीनी विदेशों में भेजते हैं, गन्ना और कपास का करते हैं, गेहूं का करते हैं, उसी तरह से आलू पैदा करने वाले किसान के लिए भी घोषणा कर दें, जैसे गेहूं की कीमत तय की जाती है, शुगर-केन की की जाती है। जब 1980 में इन्दिरा गांधी की सरकार आई तो 35 लाख टन चीनी पैदा हुई। कांग्रेस सरकार के शासन में आने के बाद का गन्ने दाम 21 रु० क्विंटल हुआ। पार साल चीनी का उत्पादन 52 लाख टन था और इस साल 70 लाख टन चीनी का उत्पादन जा रहा है। यदि किसान को उचित मूल्य मिले तो किसान उत्पादन को बढ़ाएगा।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान बहुत सहनशील है और बहुत सहता है। हम लोगों के साथ भी रहा है, चाहे देश की आजादी की बात रही हो, जितनी कुर्बानी उसकी है, उतनी कुर्बानी किसी दूसरे तबके की नहीं है

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक यह कि एक निश्चित अवधि में पोटैटो कारपोरेशन संस्था बनाकर आलू के निर्यात करने की योजना बनाइए। दूसरे यह कि वैगन इन्डैंट करके कैंसिल करने की छूट व्यापारियों को न दी जाए। वैगन इन्डेंट करें, फिर कैंसिल करें और और किसानों को विवश किया जाए कि तुम अपना आलू सस्ता बेचो—ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : श्रीमान, मेरे मित्र श्री तिवारी ने इस बात पर बल दिया है कि आलू का निर्यात किया जाना चाहिए। निर्यात के बारे में उनका उल्लेख कोई पृथक वक्तव्य नहीं है। सरकार की यह मूलभूत नीति है कि देश के लोगों को उनके हक से वंचित रखा जाये तथा उनकी कीमत पर निर्यात किया जाये। इसीलिए वह आलू के निर्यात पर बल दे रहे हैं।

इस बारे में वास्तविक तथ्य क्या है ? क्या हमारे देश में इतने आलू पैदा होते हैं कि देश में उनकी खपत नहीं हो पाती ? सरकार के आंकड़े क्या हैं ? सरकार ने बताया है कि इस वर्ष आलू की अच्छी फसल के कारण उत्पादन लगभग 105 से 106 लाख टन हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 69 करोड़ है। यदि हम उसे देश की जनसंख्या से विभाजित करें तो प्रति व्यक्ति खपत केवल 4 ग्राम बैठती है। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश के लोगों की क्रय शक्ति नहीं है जिससे कि वे अपने उपयोग के लिए आलू की खरीद कर सकें और उसी कारण आलू उत्पादकों को लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहे हैं। यह एक ही बात नहीं है, बहुत सी अन्य बाते भी हैं जिसके कारण आलू उत्पादकों को लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहे हैं।

यह भी देखा गया है कि कुछ राज्यों के कुछ स्थानों में आलू 30 से 50 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहे हैं और सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं को परामर्श दिया है कि वे आलू को 50 रुपए की दर पर खरीद लें। यह दर स्थान-स्थान तथा विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न है। एक ही राज्य में मूल्यों में अन्तर है, एक स्थान पर आलू 30 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहे हैं जबकि दूसरे स्थान पर 45 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहे हैं। आलू की किस्म के अनुसार भी इसके मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं। परिवहन सुविधाओं के आयात के कारण आलू के मूल्य अलग-अलग स्थानों पर और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं। यद्यपि आलू उत्पादक कम मूल्य पर आलू बेच रहे हैं, उपभोक्ता को वह ऊंचे मूल्यों पर बेचे जाते हैं। आजकल भी तो कुछ स्थानों पर यह 100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहे हैं परन्तु अगले महीने ही यह 250-300 रुपए प्रति क्विंटल बिकेंगे। बिचौलिए भारी लाभ कमा रहे हैं परन्तु आलू उत्पादकों को लाभदायक मूल्य नहीं मिल रहे हैं तथा उपभोक्ता को भी अधिक मूल्य देना होता है। बिचौलिये और व्यापारी लोग कृत्रिम कमी पैदा कर उपभोक्ता को हानि पहुंचा रहे हैं।

समाचार छपा था कि 2041 माल डिब्बों की मांग की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। इन माल डिब्बों की मांग केवल आलू की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई के लिए की गई थी। ये माल डिब्बे किसके हित में मांगे गये थे ? माल-डिब्बों की मांग किसके हित में रद्द की गई अथवा वापस ली गई ? सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए बिचौलियों तथा व्यापारियों के षड्यंत्र से विभिन्न इलाकों में कृत्रिम कमी पैदा की गई।

एक अन्य बात यह है कि सरकार उत्पादकों को अच्छे बीज सप्लाई नहीं कर पायी।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह अब सप्लाई कर रही है।

श्री सुधीर गिरि : अब नहीं दे रही है। यदि सरकार अच्छे बीज सप्लाई करें तो उत्पादक अच्छी किस्म का आलू पैदा कर सकेंगे। वे ऐसा नहीं करते रहे हैं।

अनुसन्धान संस्थाओं को अच्छे बीज खोजने के लिए उपाय करने चाहिए, ताकि किसान अच्छी किस्म के आलूओं का उत्पादन कर सकें।

इस संदर्भ में उत्पादकों को उचित मूल्य देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका एक-मात्र समाधान राज्य व्यापार है। और इस उद्देश्य के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। प्रतिदिन सरकार कह रही है कि वे जनता के हैं तथा वे जनता के हितों पर ध्यान दे रहे हैं।

हम भी कहते हैं कि हम लोगों के हितों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अन्तर क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : वे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के कारण···(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : अन्तर कहां है? अन्तर उनके रुख में है। जब वे 'लोग' शब्द कहते हैं, तब लोगों से उनका तात्पर्य होना है—जमींदार, व्यापारी, कालाबाजार करने वाले, उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय तथा ऐसे ही अन्य लोग। जब हम कहते हैं 'लोग' तो लोग से हमारा तात्पर्य होता है वे लोग जो श्रमिक हैं, जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं. यहां तक कि धनी किसान, मध्यवर्गीय किसान, छोटे तथा सीमांत किसान तथा मजदूरी करने वाले मजदूर। यही अन्तर है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं, कि यदि वे वास्तव में ही लोगों की अच्छी तरह सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें केवल आलुओं का ही नहीं वरन् खाद्यान्नों का थोक व्यापार भी अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। मैं सरकार से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि यदि वह ईमानदार हैं और वास्तव में ही लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहती है, तो उन्हें अवश्य ही गोदामों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, तथा देश में उत्पादित आलुओं का सभी राज्यों में ठीक ढंग से वितरण करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें इस बात पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। उन्हें अनुसन्धान संस्थानों को धन भी देना चाहिए, ताकि वे कुछ नए और अच्छे किस्म के बीजों की खोज कर सके। इन शब्दों के साथ, मैं पुनः सरकार से आलुओं का व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामगोपाल रेड्डी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे चीनी पर बोलेंगे, आलुओं पर नहीं!

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आलुओं के साथ आपका क्या ताल्लुक है। वह चीनी चढ़े हुए आलुओं के बारे में बोलेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० मधु दंडवते ने जो भाषण दिया है उसमें राजनैतिकता नहीं है। वह आलुओं पर एक लम्बा भाषण था तथा मुझे डर था कि सम्भवतः वह मेरे कहने के लिए कोई बात नहीं रखेंगे। लेकिन किसी तरह, मेरे पास बताने के लिए कुछ बातें हैं। जब से राव बीरेन्द्र सिंह ने कृषि विभाग सम्भाला है। सभी वस्तुओं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो रही है। चीनी का उत्पादन 38 लाख टन से बढ़कर 70 लाख टन हो गया है।

अगले वर्ष तक यह 80 लाख टन तक हो जायेगा। गुड़, खाद्यान्नों तथा सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन दुर्भाग्य से, मूल्य एकदम नीचे के स्तर तक पहुंच गए हैं। चीनी का उत्पादन 65 लाख टन से घटकर 38 लाख टन तक क्यों रह गया ? ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं दिये गए थे। यदि ऐसी ही नीति जारी रही तो मुझे डर है कि अधिक उत्पादन का यह समय खाद्यानों की कमी के समय में परिवर्तित हो जाऐगा। हमारे देश के लोग दो वर्ष में ही खाद्यान्नों का कितनी भी मात्रा उत्पादित करने में समर्थ हैं। वे स्थिति को खाद्यानों के अभाव अथवा अकाल में भी बदल सकते हैं। अत: सरकार को उचित मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। गोदामों की सुविधा तथा अन्य बातों के बारे में प्रो० दंडवते बता ही चुके हैं। मूल्यों को उचित स्तर तक बनाए रखा जाना चाहिए। अन्यथा, इस देश की सारी अर्थव्यवस्था अस्य-व्यस्त हो जाएगी। एक समय था जबकि कृषि क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 52 प्रतिशत था। अब यह कम होकर 45 अथवा 48 प्रतिशत रह गया है। यह अच्छा लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन कोयले तथा तेल की तरह समाप्त होने वाला नहीं है, इसे हर वर्ष उत्पादित किया जा सकता है। यह कभी समाप्त नहीं होगा। हमारे लोगों को पूरी तरह से भोजन भी नहीं मिलता। हमारे देश में अनाज की खपत विश्व की तुलना में तीन-चौथाई भी नहीं है। यही कारण है कि लोगों को प्रचुर मात्रा में अनाज मिलना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य तथा ओजस्विता बनाए रखना है। हमें शक्तिशाली बनना चाहिए। राष्ट्र तभी शक्तिशाली बन सकता है जब लोगों को पर्याप्त भोजन मिलेगा। अत: कृषि मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वे देखें कि आलू तथा सभी खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएं। आलुओं का उत्पादन 1 करोड़ हम तक हुआ है। अगले वर्ष उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि उसका उत्पादन कम होकर 75 लाख टन रह गया है। यह साफ दु:खद स्थिति ही होगी। इसीलिए सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए कि एक बार किये गए उत्पादन में कमी नहीं आए। लेकिन दुर्भाग्य से जब कभी भी किसान अधिक उत्पादन करता है, उसे अधिक हानि होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामविलास पासवान। चर्चा की गति अन्त तक बनाए रखी जाना चाहिए। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हों तो वे सभी सदन में ही उपस्थित रहें। उन्हें स्वयं को विषय तक ही सीमित रखना चाहिए तथा बहुत संक्षेप में बोलना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैंने स्वयं को विषय तक ही सीमित रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात है। लेकिन आप इस बारे में अधिक जानते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मेरा योगदान ठीक था।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दण्डवते साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा करा कर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस विषय पर विशेष समय लूंगा क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं जिससे कि रंगा साहब को ट्रांसलेशन समझने में कोई दिक्कत न हो।

अभी रेड्डी साहब बोल रहे थे। मैं उनके इस विचार से सहमत हूं कि प्रोडक्शन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन प्रोडक्शन का बढ़ते रहना सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आपने जो आर्थिक समीक्षा दी है, उसके मुताबिक वर्ष 1978-79 में 101 लाख टन पैदावार थी, लेकिन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला होगा तो नतीजा यह हुआ कि प्रोडक्शन घटकर 96 लाख मीट्रिक टन रह गया। अब आपने टारगेट बनाया है 105 लाख मीट्रिक टन का और इतना उत्पादन हो जाए, उससे ज्यादा भी हो जाए तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि दूसरे साल में कहीं वह घटकर 80 लाख मीट्रिक टन न रह जाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आपका प्रोडक्शन हर साल बढ़ता रहे और इसीलिए जब प्राइस का मामला आता है तो उस समय प्राइस और उत्पादन का सम्बन्ध हो जाता है। अर्थशास्त्र के नियम लागू हो जाते है। पैदावार बढ़ती है तो दाम घटने लगते हैं। ये अर्थशास्त्र के नियम किसान के उत्पादन पर ही क्यों लागू होते हैं ?

आपने दाम रखा है 50 रुपए प्रति क्विंटल। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किलो के हिसाब से यह केवल 50 पैसे प्रति किलो बैठता है। अभी राज्य सभा में आपने बताया था कि यूरिया, डीजल, बिजली आदि की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके मुताबिक हम दाम तय करते हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। ए० पी० सी० में कौन लोग बैठे हैं ? कोई ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में कोई व्यावहारिक ज्ञान है ? मिट्टी में उनका हाथ लगा है कभी ? ये कभी किसान की समस्या को रियलाइज कर सकते हैं ?

जब आप प्राइस तय करते हैं तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए।

आप आठ आने किलो किसान से लेते हैं। उसी आलू में थोड़ा सा नमक डाल देने से और प्लास्टिक की थैलियों में बन्द कर देने के बाद और तेल का छौंक देने के बाद जब चिप्स बाजार में आता है तो 20-22 रुपए किलो बिकता बिकता है। किसान से आठ आने प्रति किलो खरीदा और नमक तेल आदि का चार आने और लगाकर 12 आने रख लीजिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है तो 22 रुपए प्रति किलो बिकता है।

इसलिए जब तक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज—पोटाटो बेस्ड इंडस्ट्रीज का निर्माण नहीं होगा तब तक समस्या हल नहीं हो सकती।

अभी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया लीकर के सम्बन्ध में; इसी तरह से स्टार्च इंडस्ट्री के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। यह देखना आपका काम है। रिसर्च डिपार्टमेंट आपके पास है। आप देखिए कि आलू को कैसे खराब होने से बचाया जाए और जब खराब होने का समय आ जाए तो क्या पोटाटो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। आपका डिपार्टमेंट है, आपके पास एक्सपर्ट्स हैं। मेंबर आफ पार्लियामेंट तो एक्सपार्ट हैं नहीं, हम तो केवल जन प्रतिनिधि हैं और जनता की जो भावनाएं हैं उनको आपके सामने रखते हैं। आप भी जानते हैं और हम लोगों से ज्यादा जानते हैं तथा अनुभवशील हैं। इसलिए इस समस्या का हल कैसे किया जाए, इसको देखिए।

बिजली के बारे में क्या स्थिति है ? बैशाली जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की बैठक थी, उसमें मैंने पता लगाया कि पूरे महीने में कितने घंटे बिजली दी गई तो पता चला कि 31 दिन में गांवों में कुल 37 घंटे बिजली दी गई। पैसा तो किसान से बिजली का ले ही लिया जाता है, वह तो आप छोड़ते नहीं हैं। इसी तरह से यूरिया का दाम बढ़ रहा है, केरोसिन का दाम बढ़ रहा है और किसान की चीज 4 आने किलो, आठ आने किलो ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) ऋण लेना भी महंगा पड़ रहा है।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है, क्रेडिट भी बढ़ रहा है तो इस सारी चीजों को आपको देखना है। कोल्ड स्टोरेज की समुचित व्यवस्था हो जाए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूविंग ठीक हो जाए जिससे किसानों को अच्छा दाम मिल जाए। अभी पश्चिम बंगाल के सदस्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 आने किलो है और पश्चिम बंगाल में साढे तीन रुपए किलो बिकता है। अब बीच में पैसा कौन खा रहा है ? क्या सरकार कोई डायरेक्ट ऐजेन्सी है जो कि किसान से माल खरीदती है ? नहीं है ? परिणाम यह है कि बिचोलिया मुनाफा खाता है। इसलिए विभिन्न राज्यों में कीमत में जो फर्क है यह ठीक नहीं है, और यह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अलेविल न होने के कारण है। किसान का आलू उचित दाम पर बेचने के बाद अगर बच जाये तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाये और जब कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी खत्म हो जाये तो पोटेटो बेस्ड इंडस्ट्री लगाइये और उसके बाद भी अगर आलू बचे तो उसको ऐक्सपोर्ट कीजिये। अगर इस प्रकार सिस्टेमेटिकली नहीं करेंगे तो किसान का भला नहीं होगा। यदि आप उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि उसका दाम पहले से तय कर दीजिये। खाद, बिजली, डीजल और खेती में काम आने वाले औजारों की कीमत को ध्यान में रख कर सीजन के शुरू में ही आप प्राइस की घोषणा कर दीजिए कि यह सपोर्ट प्राइस होगी। इससे किसान को इंसेंटिव मिलेगा और वह उत्पादन बढ़ायेगा। देश में यदि कोई ईमानदार कौम है तो वह किसान है, जिसकी पीठ में हमेशा छुरा भोंका जाता है, हमेशा उसको अछूत माना जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसान ही पूरे देश की बैकबोन है। वह हड़ताल नहीं कर सकता मजदूरों की तरह क्योंकि हड़ताल करने से पहले वह ही मरेगा। इसलिए उसकी लूट हो रही है।

आपने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष माना है, प्रधान मंत्री ने रैली की। लेकिन इसके बावजूद भी किसान के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? जब तक देश की रीढ़, यानी किसान को, सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं चलेगा। यह मुट्ठी भर लोग जो कीचड़ के बीच में कमल की तरह खिल रहे हैं देश का भला नहीं कर सकते। वह तो किसान और मजदूर ही कर सकते हैं। जब उसके पेट में खाना होगा, जेब में पैसा आयेगा तो वह घड़ी भी खरीदेगा, ट्रांजिस्टर खरीदेगा, उससे गांव की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। यदि गांव मर गया तो दिल्ली भी मर जायेगी। इसलिए गांव के किसान को उठाइए, उसको अच्छी प्राइस दीजिये ताकि उसकी जो कोस्ट आफ प्रोडक्शन है और परिवार के सारे सदस्यों का श्रम है जो वह गर्मी, बरसात, सर्दी में लगा कर कीचड़ से सोना पैदा करते हैं उसके मुताबिक उसको पैसा मिले और उसको भी आभास हो कि उसके पास भी पहनने को वस्त्र होगा, रहने को झोंपड़ी रहेगी और उसके बच्चे पढ़ लिख

कर हिन्दुस्तान के नागरिक बनेंगे और अपने को देश की मुख्य धारा में जोड़ सकेंगे । यह भावना किसान में पैदा करने की जरूरत है, और इसके लिये किसान को आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर पर खाद, बिजली भी यदि देनी पड़े तो आपको देनी चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आलू की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और आये दिन इसको सुलझाने की चेष्टा की जा रही है । लेकिन जितनी चेष्टा की जा रही है, उतनी सुलझाने के बजाय उलझ रही है । आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी यही स्थिति थी, खासकर यू० पी०, पंजाब, हरियाणा और बिहार में । बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं हुई । पिछले साल जब हारवेस्टिंग का सीजन था, उस समय तो किसानों को कुछ कीमत मिल गई, लेकिन बाद में कीमत में काफी गिरावट हुई और जो इंस्टीट्यूशन्ज किसानों की सहायता के लिए आगे आए, उन्हें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा ।

कृषि मन्त्री इस बारे में काफी चिन्तित है । वह किसानों की समस्याओं को जानते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं । लेकिन ऐसा लगता है कि परिस्थिति कुछ ऐसी गंभीर और कठिन है कि वह उनके नियंत्रण के बाहर हो गई है और यह चिन्ता का विषय हो गया है । पिछले साल एक साल के अन्दर फर्टिलाइजर के दाम में 62 परसेंट की वृद्धि हुई थी । मेरे मित्र, श्री पासवान, ने बिजली की चर्चा की है । आप जानते हैं कि बिजली की क्या स्थिति है । किसानों को इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

श्री पासवान को चिन्ता है 50 रुपए क्विंटल के भाव की । मुझे चिन्ता इस बात की है कि आलू 50 रुपए क्विंटल पर भी नहीं बिक रहा है । किसान प्रतीक्षा में बैठा है कि कौन उसके रेस्कयु में आता है — प्राईवेट ट्रेड आता है, कोआपरेटिव ट्रेड आता है, पब्लिकस सैक्टर आता है या सीधे सरकार आती है । आप जाकर यू० पी० और बिहार की मंडियों में देखिए, किसान हजारों मन आलू लाकर बैठे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है । आज यू० पी० की मंडियों में भाव 25 रुपए से 35, 40 रुपए है । लगभग यही भाव बिहार में है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह अविलम्ब कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि मन्त्री महोदय ने इस बारे में काफी विचार-विमर्श किया है और वह चाहते हैं कि नाफेड और एन० सी० सी० एफ० बहुत बड़े पैमाने पर प्रोक्युरमेंट करें । मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इन संस्थाओं को बहुत बड़ा नुकसान न उठाना पड़े ।

मंत्री महोदय जानते हैं कि किसानों के लिए सब जगह स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है । उनके प्रयास से, नेशनल कोआपरेटिव डवेलपमेंट कार्पोरेशन के प्रयास से वर्ल्ड बैंक की सहायता से पूरे देश के पोटेटो-ग्रोइंग एरियाज में बहुत बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना चल

रही हैं। लेकिन उसमें दो तीन साल लगेंगे। अगर उसके बाद स्टोरेज की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

इंडियन पोटेटो यूरोप के मार्केट में काफी पापुलर हुआ था और 1974-75 तथा 1975-76 में वहां पर बड़े पैमाने पर गया था। एक साल हालैंड में पोटेटो क्राप का बड़ा भारी फेल्युर हुआ था, इसलिए इंडियन पोटेटो वहां जा सका। उसके बाद इतना बड़ा निर्यात नहीं हुआ। यह एक तथ्य है कि इन्टरनेशनल मार्केट में इंडियन पोटेटो बहुत पापुलर है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसी वेजीटेबल है, जो विश्व के हर कोने में पैदा की जाती है। गल्फ कन्ट्रीज में पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से काफी पोटेटो जाता है। सरकार ने दूसरी चीजों में एक्सपोर्ट इनसेन्टिव दिया है। मंत्री महोदय इस बारे में अध्ययन कराएं कि आलू के सम्बन्ध में भी ऐसा इनसेन्टिव दिया जाए। इससे किसानों को बड़ी भारी राहत मिल सकेगी। वह 50 रुपए के भाव पर प्रोक्यूरमेंट कराएं और अगर एक्सपोर्ट करने में ज्यादा कीमत पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था कोई सबसिडी का कोई और इनसेन्टिव देकर करें। तो मैं समझता हूं बड़ा उपकार होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि इस बात पर विचार किया जाए कि जब इतने बड़े पैमाने पर आलू का प्रोडक्शन होगा तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यह बात सही है कि आप उसके प्रिजर्वेशन की बात सोच रहे हैं। लेकिन जैसा कि पासवान जी ने कहा है, पोटेटो चिप्स बनाने, फ्लोर बनाने या आटे के साथ मिक्स करके कोई ऐसी खाने की चीजें बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जाए। आपके पास जो रिसर्च सेल है वहां पर इस सम्बन्ध में अनुसन्धान होने चाहिए कि किस प्रकार से इसको दूसरे फार्म में बदला जा सकता है जिससे कि उसको देर तक स्टोर किया जा सके। इस सम्बन्ध में अवश्य चिन्तम एवं अनुसन्धान किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन समस्याओं का समाधान करके देश के किसानों की सहायता करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, हमारे देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जो किसान सभी को खिलाता है वही स्वयं भूखा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : श्री दंडवते सदन में पहले ही यह बात कह चुके हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : तब, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए ? यदि आप मुझे सलाह दें···

प्रो० एन० जी० रंगा : वह आपका मुद्दा है और हम आपसे सहमत हैं। कोई मतभेद नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : तब, हमें कुछ बात कहनी चाहिए। आप यदि गुस्से में नहीं हैं तो जल्दी में क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको वे नयी बातें बताना चाहते हैं जिनका उल्लेख प्रो० मधु दंडवते में नहीं किया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कह रहा था कि आज किसानों की हालत बहुत खराब है। किसान "बेचारे" बने हुए हैं। केबल आलू के किसान ही नहीं, सारे किसानों की यही दशा है। अभी हम यहां पर आलू के सिलसिले में चर्चा कर रहे हैं। यह बताया गया है कि पिछले साल देश में आलू 96 लाख टन पैदा हुआ था और इस बार उम्मीद है कि 105 से 106 लाख टन आलू का उत्पादन होगा। इसमें केवल उत्तर प्रदेश में ही 45 लाख टन आलू पैदा होने की सम्भावना है। हमारे राज्य बिहार में भी 10-15 प्रतिशत आलू की पैदावार होती है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा देश के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आलू पैदा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में स्थिति अधिक भयावह है। वैसे तो सभी जगह की स्थिति भयावह है लेकिन उत्तर प्रदेश की बात उभर कर सामने आई है, इस सदन में इस पर चर्चा हो रही है और उस सदन में भी चर्चा हुई है। इसीलिए आज पूरे देश का ध्यान आलू उत्पादक किसानों की तरफ आकृष्ट हुआ है।

सरकार ने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष माना है और उत्पादन बढ़ाने पर जोर भी दिया जा रहा है लेकिन सरकार को इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि उत्पादन के साथ-साथ किसान को लाभकारी मूल्य भी मिलें। मैं आपको बिहार का एक उदाहरण देना चाहता हूं जो कि हमने किसानों से बात-चीत करके तय किया है। वहां पर बिहार शरीफ एक जगह है जहां पर आलू का बहुत उम्दा बीज मिलता है। वहां पर बड़े पैमाने पर आलू पैदा होता है। साथ-साथ पटना के आस-पास के जो इलाके हैं वहां भी बहुत ज्यादा आलू पैदा होता है। वहां 20 कट्ठे का एक बीघा होता है। एक कट्ठे जमीन में पांच मन आलू पैदा करते हैं और एक मन आलू का दाम, कम भी होता है, 20 रु० होता है। आलू की किस्म भी अलग-अलग होती है और अगर एक कट्ठे में पांच मन आलू हुआ तो उसका दाम 100 रु० हुआ। पैदा करने का खर्च 137 रुपये प्रति कट्ठा होता है। जितनी चर्चा की गई है, उन तमाम बातों को मिला दिया जाए तो उनको एक कट्ठा जमीन पर 35 से 37 रु० का नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर बात है, यदि दो-चार रु० की बात होती तो वह सीने पर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर लेता। लेकिन क्या किसान इस तरह के बोझ को बर्दाश्त कर सकता है, मेरे विचार में वह नहीं कर सकता है। आप लाभकारी मूल्य तय नहीं करेंगे, आप कहते हैं कि नाफेड के जरिए और एन० सी० सी० एफ० के जरिए खरीद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सहकारी संघ ऐसा कर रहे हैं। इसको करिए और आलू भेजने के लिए आप वैगन का भी इन्तजाम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप आलू की कीमत तय नहीं करेंगे, तब तक उनको दिक्कत होगी। यह भी बताया गया है कि आलू की खपत हो सकती है, यदि आपका बाजार ठीक हो। हमारे देश में 52 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, क्या वे सचमुच में आलू को खरीद सकते हैं ? नहीं खरीद सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे खेत मजदूर हैं, जिनको पांच या साढ़े पांच रुपए भी मजदूरी नहीं मिलती है, क्या वह आलू खरीद सकता है ? इसीलिए क्रयशक्ति का सवाल ठीक ही उठाया गया कि सरकार को क्रयशक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का इन्तजाम होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में भी एक नई बात होती है। जब ये लोग कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं, तो उनको

तरह तरह से परेशान किया जाता है और उनसे ज्यादा चार्ज लिया जाता है। चार्जेज का भी सवाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। राज्य सरकारें कुछ फिक्स करती है, लेकिन लोग उसको नहीं मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पर बनाइए और सरकार को स्वयं कोल्ड स्टोरेज बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि किसान अपने आलू को बुरे दिन के लिए रख सके और उसको ज्यादा से ज्यादा दाम मिल सके। अभी पैदावार ज्यादा हुई, मार्केट में आया और खरीदने वाले नहीं है। आपने सुना होगा आलू 2.50 रु० किलो तक बिकता है, लेकिन कभी भी 70-80 पैसे तक। सारा फायदा मिडिल मैन ले जाते हैं, इसलिए उनको भी दुरुस्त करना होगा। क्रयशक्ति भी देनी होगी, कोल्ड स्टोरेज का भी इन्तमाज करना होगा, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए चार्जेज भी रिजनेबिल होने चाहिए। ये सारी बातें हैं, जिनका कि हल निकालना होगा।

आलू इतनी स्वादिष्ट तरकारी है कि हिन्दुस्तान भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका प्रयोग किया जाता है। नाना-प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आलू का भुरता भी बनता है, भुजिया भी बनती है और चीप्स भी बनती है, पापड़ भी बनता है, तिलोरी भी बनती है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : इनके मुह में पानी आ रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : दंडवते जी ने पोलैण्ड में इन्डस्ट्री एल्कोहल का जिक्र किया। मैं यह भी बता दूं कि वे वोडका भी बनाने वाले हैं। मैं तो पीता नहीं हूं, लेकिन पीने वाले पीयेंगे, क्योंकि हर जगह प्रोहिबिशन तो किया नहीं है···

प्रो० मधु दंडवते : बिना पीए ही यह हालत है।

श्री रामावतार शास्त्री : इसलिये मैं कह रहा हूं कि किसानों को आलू के लाभकारी मूल्य देने के साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं जिनका हल निकालना होगा। अगर आपने उनका हल निकाल लिया तो आलू का उत्पादन बढ़ेगा, तमाम चीजों का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आलू मिट्टी के मोल बिका, सड़ गया, तो जाहिर बात है कि आलू की खेती पर असर पड़ेगा। वह असर न पड़े, इसलिए सरकार को समय रहते चेत जाना है, चौकन्ना हो जाना है, सावधान हो जाना है और आलू बोने वाले किसानों की पूरी मदद करनी है ताकि उन्हें मुनासिब कीमत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभी माननीय सदस्य 4-5 मिनट का ही समय लें तो मन्त्री जी उत्तर दे सकते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे अपना उत्तर 7 बजे दें। इस तरह प्रत्येक सदस्य 5 मिनट ही ले।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० मधु दण्डवते को धन्यवाद देता हूं, वे किसानों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या सदन के सामने लाये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस तरह की बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी ? हमारे देश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग किसान हैं । जिस किसान ने भारत को इतना बढ़िया बनाया कि जब यहां 36 करोड़ लोग थे तब भी भारत का किसान उनको खिलाता था और आज जब 70 करोड़ लोग यहां हैं, तब भी भारत का किसान उनको खिलाता है, लेकिन उस किसान के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है । वह खेती में मेहनत करता है, उसकी पत्नी मेहनत करती है, उसके बच्चे मेहनत करते हैं, तमाम लोगों के मेहनत करने के बाद भी आज किसान वहीं का वहीं है जहां पहले था । अगर वह ज्यादा पैदा करता है तो उसको उसकी पैदावार का भाव कम मिलता है । उद्योग में यदि ज्यादा पैदा हो जाय तो उसके लिये बोनस मिलता है, डिविडेण्ड मिलता है, दूसरी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन किसान ज्यादा पैदा करता है, चाहे गन्ना हो, गेहूं हो, आलू हो, वह परेशानी में फंस जाता है । जनता रिजीम में किसानों को अपना पूरे-का-पूरा गन्ना जला देना पड़ा । यही स्थिति कहीं गेहूं के लिऐ पैदा न हो जाए, इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं—इस देश के किसानों के लिए क्या शासन ने कोई योजना बनाई है ? मैं कुछ दिन पहले जापान गया था, मैंने वहां देखा कि किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना थी । वह किसानों से मंहगे दामों पर खरीदते हैं और कन्ज्यूमर को सस्ते दामों पर देते हैं—जो लोग बीच का मार्जिन खा जाते थे उसका लाभ किसानों और कन्ज्यूमर दोनों को दिया जाता है । किसान को पहले से पता होता है कि मेरा आलू इस भाव बिकेगा, मेरा गेहूं इस भाव बिकेगा, गन्ना इस भाव बिकेगा । कम से कम इस प्रकार की योजना यहां भी किसानों के लिए होनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि जब कोई समस्या खड़ी हो तो इस हाउस में हम बहस कर लें, इससे किसानों की समस्या का हल होने वाला नहीं है । सरकार को कोई निश्चित योजना बनानी होगी, किसानों को विश्वास में लेना होगा तथा उसके सहयोग से समस्या का समाधान करना होगा ।

मैं एक बात और बतलाता हूं—यदि हम कोई टैकनीकल चीज बनाते हैं तो उसको जापान, अमरीका या इंग्लैंड पहले से ले आते हैं और उसमें जबरदस्त कम्पीटीशन का सामना करना पड़ता है । यदि हम देश की तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपने यहां एग्रो-बैस्ड इण्डस्ट्रीज पर ध्यान देना होगा । जो पैट्रो-डालर कन्ट्रीज हैं, अरब कन्ट्रीज हैं, उनको हम अपना अनाज सप्लाई करके रुपया कमा सकते हैं और अपने देश की इकानमी को ठीक कर सकते हैं । इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से मेरी प्रार्थना है कि हमारे किसानों के लिए आप कोई निश्चित योजना बनाइये, चाहे वह आलू की हो, गेहूं की हो, टिमाटर की हो या किसी अन्य सब्जी की हो ताकि उसका लाभ किसानों को मिल सके ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने कोल्ड-स्टोरेज हैं उनको कौन बनाता है । जो ब्लैक-मार्केटियर्स हैं, जो काला बाजारी करने वाले हैं वे कोल्ड स्टोरेज बनाकर रखते हैं और जिस वक्त माल ज्यादा पैदा होता है और किसान उसको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए लाता है तो वे जगह न होने के नाम पर इन्कार कर देता है । नतीजा यह होता है कि किसान को अपना माल सड़ने से बचाने के लिए सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है । आप मेहरबानी करके कम से कम एक इन्तजाम कीजिए—किसानों को कोल्ड स्टोरेज का भागीदार बनाइये । कोआपरेटिव्ज के आधार पर कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं जिसका मालिक किसान हो, उसका लड़का वहां

नौकर हो, तब कोल्ड स्टोरेज सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि दूसरे आदमियों को दिया जाएगा तो किसानों का आलू सस्ता बिकेगा, उसको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा। चाहे डेअरी हो, तिलहन हो, सोयाबीन हो इन सब पर आधारित जितनी एग्रो-बेस्ट इण्डस्ट्रीज हैं उनमें यदि किसान भागीदार होगा तो उसको उचित दाम मिलेगा साथ ही जनता को सही दामों पर वे चीजें मिल सकेंगी।

मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी कोई इस प्रकार की योजना किसानों को कांफीडेंस में लेकर बनायें, जिससे उनको आलू का अच्छा मूल्य मिल सके। हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है, उसमें रूरल डेवलपमेंट की बात भी है। मैं चाहता हूं कि सरकार किसानों को साथ में लेकर इस देश में विकास की गति को आगे बढ़ायें। यह सारा हाऊस जानता है, यह सरकार जानती है और यह देश जानता है कि देश के अन्दर जो 68 करोड़ के लगभग आबादी है, उसको हमारा किसान ही खिला रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी भलाई के लिए योजना बनायें। हम, यह सदन, यह पार्लियामेंट और यह देश उनको लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाए। हमारे मन्त्री जी खुद किसान हैं और वे इस बात को जानते हैं कि किसानों की क्या-क्या परेशानियां हैं। उनकी परेशानियों को दूर किया जाए ताकि हमारा देश तेजी से विकास कर सके।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस उत्पादकता वर्ष के परिप्रेक्ष्य में माननीय दंडवते जी ने कृषि उत्पादन के एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन 'आलू' के उचित मूल्य निर्धारण हेतु जो प्रश्न उठाया है, वह वस्तुतः देश की परिस्थिति के अनुसार एक बहुत महत्व-पूर्ण विषय है। यह एक व्यवसायिक कृषि उत्पादन है और इसके लिए जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बनाया गया है, लगता ऐसा है कि इस अनुसधान संस्थान से आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है।...(**व्यवधान**)...

राव वीरेन्द्र सिंह : यह इतनी पैदावार ऐसे ही बढ़ गई है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : वह तो किसान बढ़ा रहे हैं।...(**व्यवधान**)...किसानों की ओर जितना ध्यान आपको देना चाहिए, उतना नहीं दिया जा रहा है वरना संसद में जो यह बात उठानी पड़ रही है, वह न उठानी पड़ती।

मैं यह कह रहा था कि आलू जो देश में सब्जियों का राजा कहलाता है और हर मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो उसके लिए किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। आलू का संरक्षण वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे इसको सड़ने से बचाया जा सके। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और अनुसंधान करने वालों को कोई ऐसा घोल बनाना चाहिए, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए, जिससे अगर आलू को उसमें डुबो दिया जाए, तो वह सड़े नहीं और उस घोल के द्वारा आलू के सड़ने का जो समय होता है, उसको बहुत बढ़ाया

जा सके। इस देश में ऐसा अनुसंधान होना चाहिए था। अगर आलू का संरक्षण हम अधिक दिन तक कर सकें, तो इसका मूल्य घटने की बजाए बढ़ सकता है। इसलिए इस दिशा में और वैज्ञानिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, चिन्तन-मनन करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को उनके आलू का उचित मूल्य मिल सके। आज तो किसानों को यह भय रहता है, वे आतंकित रहते हैं कि मेरा आलू सड़ जाएगा और उस हालत में जो दूसरे लोग होते हैं, जो बिचौलिये होते हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। बिचौलिये आढ़त में न्यूनतम मूल्य पर आलू को खरीद लेते हैं और फिर उपभोक्ताओं को अधिकतम मूल्य पर बेचते हैं। इसके लिए सरकार काम कर सकती है और सरकार का काम यह भी है कि वह किसानों को संरक्षण दें। यह उसका दायित्व है। इसलिए इस दिशा में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है।

मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि आलू के लिए एक घोल बनाया जाए, जिससे आलू जल्दी न सड़े। इसके अलावा जो आलू उत्पादक एरिया है, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए और किस तरह से किसानों के आलू को संरक्षण देने के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जाएं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फिर कृषि बाजार समितियां हैं। उनका यह दायित्व होना चाहिए कि वे सारा आलू खरीदें और खरीद कर नफेड और एन० सी० सी० एफ० जैसी संस्थाओं को दें। इससे भी हमें किसानों को उचित कृषि मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर साद्य वस्तुयें सप्लाई करने में मदद मिल सकती है। जिस क्षेत्र में आलू पैदा नहीं होता है उस क्षेत्र में आलू भेजने में भी ये संस्थायें उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इससे बिचौलिए जो अनुचित लाभ उठाते हैं वे भी यह नहीं उठा सकेंगे।

जैसा हमारे शास्त्री जी ने बताया कि हमारे कृषि मूल्य आयोग में आई० ए० एस० अफसर हैं, उसमें हमारे किसानों के और खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए ताकि किसानों को मालूम हो सके कि उनकी उपज का सही मूल्य क्या है और उन्हें उचित मूल्य अपनी उपज का मिल सके।

आलू से अबीर गुलाल की तरह का रंग भी बनाया जा सकता है। आलू, गाजर और शकरकंद को सुखाकर इनका पाउडर बनाया जा सकता है। यह पाउडर स्थायी रह सकता है और इससे पौष्टिक आहार बनाया जा सकता है। इसका बहुत बड़ा प्लांट चल सकता है। अगर सरकार इस पर अनुसंधान करे तो व्यापक पैमाने पर आलू की उपयोगिता बढ़ सकती है। इस तरह से हम उसको एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।

इन सारी दिशाओं में विचार करके सरकार को किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश के आलू उत्पादन करने वाले लोगों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित कराया गया है, मैं इसके लिए सारे सदस्यगण को बधाई देता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि किसानों को आज आलू के जो दाम मिल रहे हैं, वे बहुत कम हैं। सारे हिन्दुस्तान के किसानों की समस्या एक जैसी है। किसान देहातों में रहता है। वह बड़ी मुश्किल से दूरदराज के इलाकों में आलू पैदा करके अपनी उदरपूर्ति करता है और कुछ कमाने की सोचता है। उसको उसकी उपज के कुछ दाम नहीं मिलते हैं। जबसे यह सरकार आयी है, हमारे कृषि मन्त्री राव बीरेन्द्र सिंह जी ने कम से कम 50-60 पैसे किलो आलू के दाम रखे हैं। मुझे मालूम है कि पिछली सरकार के जमाने में 1977-78 में हिमाचल प्रदेश में आलू इतना सड़ गया था कि कोई भी उसे मुफ्त लेने के लिए भी तैयार नहीं था।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र कालका से लेकर तिब्बत के बार्डर तक लगता है। उस इलाके में मेक्सिमम आलू पैदा किया जाता है। वहां से बीज का आलू सारे हिन्दुस्तान में सप्लाई होता है। लेकिन वहां की हालत क्या है ? वहां रेलवे लाइन शिमला तक है। उससे आगे बसों या ट्रकों से जाना-आना पड़ता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं और जो आलू पैदा करते हैं वे इस 50 पैसे के दाम को फ्री समझ रहे हैं। इससे वहां की हालत नहीं सुधर सकती है।

मैं यू० एस० अस० आर० गया था। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर आलू से वोदका बनाने के बड़े-बड़े कारखाने हैं। हमारे हिन्दुस्तान में भी अगर ऐसे कारखाने खड़े किये जायें तो आलू पैदा करने वालों की हालत सुधर सकती है। आप नसाबंदी की वजह से हिन्दुस्तान में उसका उपयोग नहीं करना चाहें तो कम से कम एक्सपोर्ट के लिए तो कारखाने खड़े कर सकते हैं। इससे किसानों को भी सही दाम मिलेंगे।

आप सुनकर हैरान होंगे कि आज आलू 50-60 रुपने क्विंटल बिक रहा है। वहां पर को-आप्रेटिव सोसायटीज अधिक माल नहीं खरीद सकती हैं। जो दुकानदार और बिजनसमेन लोग हैं वे किसानों का शोषण करते हैं। जब तक हम इस प्रथा को समाप्त नहीं करते तब तक ये बड़े बड़े पूंजीपति किसानों का शोषण करते रहेंगे क्योंकि किसानों को उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। आज सारे हिन्दुस्तान में आलू खराब होने जा रहा है। हमारे यहां लाहौलस्पीति का क्षेत्र है, उस समय राव बीरेन्द्र सिंह जी मन्त्री थे, मुख्यमन्त्री भी रहे, आपको पता है। आज वह क्षेत्र हिमाचल में चला गया है। इसी प्रकार किनौर का क्षेत्र है। यहां पर आलू पैदा करने वाले लोग पिस रहे हैं। हमारी हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि यह देश आगे बढ़ सके।

पहले हिमाचल प्रदेश में अफीम पैदा होती थी। आप लाइब्रेरी से गजेटियर उठाकर देख लीजिए। उस वक्त अफीम की बड़ी अच्छी पैदावार होती थी, कोई कीड़ा नहीं लगता था, लेकिन अब वह बन्द कर दी गई है। अब आलू की पैदावार होने लगी है तो कीड़े लगने भी शुरू हो गए हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराइए और जो कैरिज है उसके लिए सब्सिडी दीजिए। ब्लैक मार्केटियर्स पर रोक लगाइए, इनकी वजह से गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता।

इन सारी बातों कीतरफ तवज्जह देने की जरूरत है और मुझे आशा है कि अगली बार किसान अधिक प्रसन्न नजर आएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे दो या तीन सदस्य और हैं जो बोलना चाहते हैं । उन्हें दो या तीन मिनट का समय दिया जायेगा । इस समय हम नई प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं । मन्त्री महोदय को उन प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं जो अपना प्रश्न बोल कर चले गए हैं । उन्हें केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो इस समय सदन में उपस्थित हैं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेती की हर पैदावार की जो दुर्दशा होती है, वही दुर्दशा आज आलू की हो रही है । हो सकता है इस समय बहुत से प्रदेशों में आलू 35, 40 और 50 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा हो, लेकिन मैं बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर जिलों की बात करता हूं, वहां पर अच्छे से अच्छा आलू जो एक किलो में 3-4 चढ़ते हैं 20 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है । छोटे आलू की कीमत 12, 15 रुपए प्रति क्विंटल है ।

मैंने पहले भी जिक्र किया था पिछले दिनों, जिस पर मन्त्री जी को विश्वास नहीं हुआ था कि गन्ने की कीमत बदायूं जिले में क्रेशरों पर 10 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है और अब जब से ट्रकों की हड़ताल शुरू हुई है, तब से 6-8 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना खरीदा जा रहा है ।

आलू या और जितनी भी पैदावारें हैं, इनके बारे में हमें दो नीतियां तय कर लेनी चाहिए । एक तो वर्तमान में कैसे मूल्य नियंत्रित किया जाए और दूसरी नीति आगे आने वाली फसलों के लिए तय कर लेनी चाहिए । इस समय मौजूदा फसल की किसान को किस तरह से उचित कीमत मिल सके, उसके लिए सोचना चाहिए । अगर इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया तो किसान ने आलू की फसल पर जो कर्जा लिया है, उससे वह नहीं निपट पाएगा । कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़वाइए और इन पर नियंत्रण भी रखिए । कई जगह कोल्ड स्टोरेज पर कह दिया जाता है कि जगह नहीं है तो किसान किसी भी कीमत पर आलू देने के लिए तैयार हो जाता है । किसान सोचता है कि अब इसको कहां ले जाएं, उसकी ढुलाई पर इतना खर्च होता है । दूसरा जहां पर आलू की पैदावार ज्यादा है वहां पर इससे सम्बन्धित इंडस्ट्रीज की व्यवस्था कीजिए । विदेशों में आलू तथा आलू से बनी चीजों की बड़ी मांग है ।

विदेशों को निर्यात करने की बात भी आपको सोचनी चाहिये । आलू की फसल जब आने वाली होती है तो गेहूं की फसल की वह चेतावनी देती है । आपको चाहिये कि गेहूं की फसल के भी मूल्य आप सही तय करें और किसान को दें । आपने ऐसा नहीं किया तो रबी का जब अनाज आएगा तो उसमें आपको बड़ी दिक्कत होगी । तिलहन, सरसों, लाही की फसल भी बरबाद हुई है । बहुत से क्षेत्रों में चने की फसल तो नाम मात्र के लिए ही है । मटर की फसल बरबाद हो गई है । थोड़ा बहुत गेहूं ही बचा है । जब बाहर पानी बरस रहा था तो इसका श्रेय यहां पर इंदिरा जी को दिया गया और जब ओला बरसा तो दोष भगवान को देना शुरू कर दिया गया । आलू की फसल बहुत ज्यादा हुई तो इसका श्रेय आप ले रहे हैं और इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है और जब आबादी बढ़ रही है तो···

राव बीरेन्द्र सिंह : बुरी नजर लग रही है किसी की ।

श्री जगपाल सिंह कश्यप : नजर आपकी लगी है और कीमतें इधर से उधर हो गई हैं। मूल्य सही आप किसान को दिलाने का प्रबन्ध करें। मैं तो यह मांग करूंगा कि किसान को जो मूल्य मिलता है और वह चीज जब बाजार में आकर बिकती है तो दोनों कीमतों में कभी भी बीस प्रतिशत से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिये। इससे किसान का शोषण नहीं हो सकेगा, वह बच सकेगा। कोई भी सरकार हो उसको इस लक्ष्य को अपने सामने रखना चाहिए और इस दिशा में कदम उठाने चाहिये ताकि किसान का शोषण न हो सके।

इन शब्दों के साथ माननीय दण्डवते जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सरकार का तथा देश का ध्यान इस ओर दिलाकर एक बहुत बड़ा काम किया है।

श्री नित्यानंद मिश्र (बोलनगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सचमुच बहुत ही दिलचस्प विषय है। दुर्भाग्य से, इस देश में आलू उत्पादकों को उन आलुओं का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, जिनका वे उत्पादन करते हैं। मैं समझता हूं कि यह फसल भविष्य में भी उगाई जायेगी। क्योंकि, केवल यही ऐसी फसल है जो कि अधिक जनसंख्या वाले देश को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। हमारे देश की आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। यूरोपीय देशों में, वे लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल अथवा गेहूं पर निर्भर नहीं करते। वे आलू पर निर्भर रहते हैं। माननीय कृषि मन्त्री को इस बात में दिलचस्पी होगी कि जिस 1 एकड़ भूमि से हम 7 क्विंटल चावल प्राप्त होता है उसी 1 एकड़ भूमि से हम 60 क्विंटल आलू प्राप्त करते है। कृषि के आधुनिक उन्नत तरीकों और अधिक उपज की किस्मों से हम एकड़ भूमि 150 से 200 क्विंटल तक आलू प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह बार-बार होने वाली फसल है। लेकिन दुर्भाग्य से जो मूल्य उन्हें मिलता है वह उनके उत्पादन की कीमत के बराबर भी नहीं होता। यह स्थिति बनी हुई है। आलू नाशवान वस्तु है। इसमें सुरक्षित रहने का गुण नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे वैज्ञानिक अभी तक आलू की वह किस्म पैदा नहीं कर पाए जो कि अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सके, जो जल्दी खराब नहीं है। चूंकि यह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसलिए इसके मूल्य बहुत कम हैं।

जहां तक शीत भंडार बनाने का सम्बन्ध है, इसका लाभ केवल बड़े किसानों को हो सकता है जो आलू रखने का खर्च उठा सकते हैं। इससे छोटे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। उनके पास उन आलुओं को सुरक्षित रखे रहने की क्षमता नहीं है। वे आलू के उत्पादन में कुछ पूंजी लगाने के लिए सहकारी समितियों, बैंकों आदि से ऋण लेते हैं। होता यह है कि फसल काटने के तुरन्त बाद, वे अपनी उत्पादित वस्तु को बेच देते हैं, ताकि ऋण चुकाया जा सके। उनके लिए अपने आलुओं को शीत भंडारों में रखना बहुत ही कठिन है। तथा साथ ही उन्हें शीत भंडारों का किराया भी देना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शीत भंडारों का लाभ केवल बड़े किसानों को ही होता है तथा निर्धन किसानों को इससे लाभ नहीं मिलता है।

परन्तु आलू का दूसरे देशों में निर्यात करने की बहुत गुंजाइश है क्योंकि आलू का अन्तर-राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक है हमारे देश से पांच या छह गुणा अधिक। हमारे देश में आलू उत्पादकों को अपनी फसल 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और कभी-कभी तो इससे भी कम दर पर बेचने

के लिए बाध्य किया जाता है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा गठित निगम आलू की खरीद एवं निर्यात करे तो किसानों को लाभ हो सकता है। यदि व्यापारी इस कार्य को करेंगे तो बेचारे किसान उस लाभ से वंचित रह जायेंगे क्योंकि व्यापारियों की सदैव ही फसल के एक या दो महीने बाद आलू की खरीद करने की प्रवृत्ति रहेगी। परन्तु किसान एक या दो महीने प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उनके लिए विशेष परिस्थिति तथा आलू खराब हो जाने की आशंका के परिणामस्वरूप शीघ्रता से सफल बेचना आवश्यक हो जायेगा। व्यापारी वर्ग उस समय बहुत कम कीमत पर आलू खरीद कर लाभ उठाते हैं।

महोदय, यहां प्रत्येक उत्पाद का समर्थक मूल्य निश्चित किया जाता है। धान व गन्ने का समर्थन मूल्य है। परन्तु आलू का समर्थन मूल्य नहीं है। यह फसल देश के दूसरे खाद्यान्नों के उत्पादन की अनुपूरक है। व्यापारी वर्ग इस बात को कम पसन्द नहीं करेगा कि इसका समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया जाये क्योंकि वे सदैव ही किसानों को मुश्किल में डालने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त फसल की प्रवृत्ति विशेष के कारण भी उत्पादक आलू को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए मैं कृषि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह देश भर में शीतागारों की पर्याप्त व्यवस्था करें। इससे आलू का उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ-साथ एक निगम बनाया जाना चाहिये जो इस वस्तु विशेष को एक निश्चित मूल्य पर खरीदकर निर्यात करे ताकि सरकार को भी कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। मैं इस विचार का पूर्णतया समर्थन करता हूं कि आलू के लिए एक प्रक्रियन एकक की स्थापना की जाये जो आलू का संयम करे ताकि उनका बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे खाद्य पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक हैं। यदि आलू का भी प्रक्रियन किया जाये तो इसके मूल्य भी बहुत अधिक हो सकते हैं। अत: आलू के लिए प्रक्रियन एककों की स्थापना करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिये। इससे इसका लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।

आलू से अल्कोहल निकालने का प्रस्ताव भी बहुत अच्छा है। कुछ देशों में ऐसा पहले से ही किया जा रहा है। हम अपने देश में भी इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। मेरा सुझाव है कि कृषि मन्त्री अनुसन्धान कार्य में लगे कृषि वैज्ञानिकों से आलू की एक ऐसी किस्म तैयार करने का अनुरोध करें जिसे काफी समय तक रखा जा सके ताकि इसके खराब होने की गुंजायश न रहे और किसानों को फसल आ जाने के तुरन्त बाद उसे बेचना न पड़े। यदि इसे अधिक समय तक रखा जा सके तो उन्हें इसका अधिक मूल्य मिल सकता है। धन्यवाद।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदय, मैं सदन का बहुत अधिक समय नहीं लूंगा और मैं जिन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता था, उनमें से कई मुद्दों पर माननीय सदस्य पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। परन्तु, महोदय, मैं स्वयं माननीय मन्त्री जी द्वारा उठाये गये कतिपय बुनियादी मसलों पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं। दूसरे सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था—और मैं प्रारम्भ में यही कहना चाहूंगा कि वह वक्तव्य बहुत अच्छा है। वक्तव्य में उन्होंने लाभप्रद मूल्यों के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट की है। मैं उससे एक उद्धरण देता हूं :

"यह कृषि मूल्य नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है..."

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे सदन की कार्यवाही में उद्धरण नहीं दे सकते।

श्री चित्त बसु : यह वक्तव्य उन्होंने इस विषय विशेष सम्बन्ध में ही दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका सार दे सकते हैं लेकिन आप कार्यवाही से उद्धरण नहीं दे सकते हैं।

यदि आप दूसरे सदन को कार्यवाही की बात करते हैं तो उसकी चर्चा यहां क्यों ?

श्री चित्त बसु : उन्होंने दूसरे सदन में एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया था। यह एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य है, चाहे वह यह वक्तव्य इस सदन में दे या दूसरे सदन में अथवा कहीं और। मैं उस वक्तव्य से उद्धरण नहीं दूंगा परन्तु उन्होंने कहा था कि सरकार की कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य कृषकों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलवाना है। तत्पश्चात् उन्होंने कहा था कि यह बुनियादी नीति है और कृषि हमारे देश का मूल्य उद्योग है तथा इस नीति को लागू किए बिना हमारे देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। उस वक्तव्य का सार यही है। जहां तक इस नीति सम्बन्धी वक्तव्य का सम्बन्ध है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं लेकिन कठिनाई यह है कि इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और कृषि उत्पाद के लिए लाभप्रद मूल्य निश्चित करने के बारे में शुरू की गई नीति से यह परिलक्षित नहीं होता।

आलू के मामले में भी सरकार की असफलता परिलक्षित होती है। यदि माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घोषित कृषि उत्पादन सम्बन्धी नीति को वास्तव में सरकार ईमानदारी से लागू करना चाहती है तो कुछ बुनियादी बातों पर विचार करना जरूरी है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक प्रश्न विशेष की ओर दिलाना चाहूँगा। क्या आपने कभी इस बात का विश्लेषण किया है कि कृषि निवेश तथा कृषि से होने वाले उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि किस प्रकार होती है ? यदि आपने कभी इसका विश्लेषण किया है तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कृषि के लिए आवश्यक सामग्री तथा कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी असमानता है। मैंने स्वयं इसका विश्लेषण किया है और मैं अपने विश्लेषण से एक उद्धरण देना चाहूंगा :

"1970-71 से 1976-77 की अवधि के दौरान कृषि निवेश एवं उत्पादों के मूल्यों के संबंध में विश्लेषण करने के पश्चात्, यह स्पष्ट होता है कि कृषि निदेश (उर्वरक, बिजली, बीज इत्यादि) के मूल्यों में 53 से 133 प्रतिशत वृद्धि हुई है अर्थात इस वृद्धि को औसतन 75-80 प्रतिशत माना जा सकता है जबकि उत्पाद से होने वाली आय 27 से 100 प्रतिशत जिसे औसतन 35 से 40 प्रतिशत माना जा सकता, बढ़ी है।"

इसलिए इसमें अन्तर है। जब तक कृषि निवेश एवं उत्पादन में कुछ अन्तर नहीं होता तब तक उनके द्वारा घोषित नीति कार्यान्वित नहीं होगी और यह कार्यान्वित नहीं की जा सकती।

अब मैं अपनी दूसरी बात कहना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि वह मेरी बात से सहमत होंगे। और यदि वह सहमत नहीं भी हों तो भी मुझे विश्वास है कि सदन मेरी बात से सहमत होगा। यह कृषि और उद्योग व्यापार के बीच सम्बन्ध के बारे में है। वास्तव में, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि कृषि एवं उद्योग के बीच सम्बन्ध सदैव ही कृषि के पक्ष में नहीं रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 80 को किसानों द्वारा बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों का सूचकांक 204

था जबकि किसान जो औद्योगिक उत्पादन खरीदता है उसका सूचकांक 294 था यह तथ्य जुलाई1980 के आंकड़ों पर आधारित है। अत: असमानता है। इस अन्तर को समाप्त करना होगा। और यदि आप इस अन्तर को 2। प्रतिशत कम नहीं कर सकते तो इसे न्यूनतम तो किया ही जाना चाहिये। यदि आप अपनी घोषित नीति को वास्तव में कार्यान्वित करना चाहते हैं तो आपको इन दो बुनियादी आर्थिक बातों को अवश्य ध्यान में रखना होगा। सरकार पर मेरा यह आरोप है कि इन दो बुनियादी आर्थिक बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य होना चाहिए। और लाभप्रद मूल्य की संगणना कर उसे निश्चित करने के लिए कोई सक्षम प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये। यह कार्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह आयोग किसान-विरोधी है। मैं इस बारे में यही थोड़े से विचार रख सकता हूं। अत: मेरा यह कहना है कि एक अन्य मूल्य स्थिरीकरण तन्त्र होना चाहिए जैसा कि अशोक मेहता जाँच समिति रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि एक मूल्य स्थिरीकरण संगठन होना चाहिये जो जीवन-निर्वाह सूचकांक को ध्यान में रखते हुये तथा कृषि उत्पादों पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादों के मूल्य निश्चित करेगा। अत: एक सामान्य मूल्य स्थितीकरण नीति तैयार की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सभी पहलुओं में हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा जायेगा। और उसके आधार पर मूल्य स्थितीकरण संगठन—यदि आप ऐसा कोई संगठन स्थापित करना चाहें तो को कृषि उत्पादों के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। और कृषि उत्पादन को न्यूनतम के लिए मूल्य निश्चित करने के मामले में निम्न तत्वों का ध्यान रखा जाना चाहिये—उत्पादन लागत, परिवहन लागत, उपयुक्त लाभ—मेरा तात्पर्य भारी लाभ से नहीं सिर्फ उपयुक्त लाभ है—और अन्तिम जोखिम, यदि इन चार तत्वों का ध्यान में रख कर कृषि उत्पादन का न्यूनतम वैधिक मूल्य निश्चित किया जाए और साथ ही निश्चित मूल्य पर इन कृषि उत्पादनों की खरीद के लिए कुछ सरकार एजेंसियां या सहकारी एजेंसियां बनाई जाएं, मात्र तभी आपकी घोषित नीति का कोई नतीजा निकल सकेगा।

अत: मैं चाहता हूं कि इस बहस का लाभ उठाकर सरकार को इन विचारों पर ध्यान देना चाहिए, और अगर सरकार कृषि-उत्पादकों के हितों का वास्तव में संरक्षण देना चाहती हैं तो उसके पास इस नीति पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसी बात को मैं पिछले 35 वर्षों से कह रहा हूं और इस पर अब तक कुछ नहीं किया गया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, आलू उत्पादकों विशेषकर उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर बहस उठाने के लिए मैं प्रो० दण्डवते का आभारी हूं। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सुझाए गए सरकार से अपेक्षित उपायों पर गहरी दिलचस्पी दिखाई।

आलू कृषि की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण फसल है। लेकिन यह एक ऐसी सब्जी है जिसे अन्य सब्जियों व फलों के मुकाबले सुरक्षित स्थान पर रखकर अधिक समय तक उपयोग योग्य रखा जा सकता है। हम इसके प्रति सजग रहे हैं कि इसके प्राप्त उत्पादन-स्तर को न केवल स्थिर रखा जाए बल्कि हमें सभी कृषि उत्पादकों के उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आलू की खेती और उत्पादन के मामले में बहुत प्रगति हुई है। हमारे आलू अनुसंधान संस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बीजों की बहुत अच्छी किस्म विकसित की गई है; आलू की अच्छी किस्मों के अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप ही देश में प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ गया है। पिछले 10 या 15 वर्षों में आलू क कुल उत्पादन बढ़कर चौगुना, पंचगुना हो गया है। और सरकार किसानों को अपने समस्त उत्पा का लाभप्रद मूल्य प्रदान करने की नीति के अनुसरण के कारण ही आलू की खेती किए जाने वा क्षेत्रफल में वृद्धि सम्भव हुई है।

पिछले वर्षों के दौरान भी खासी वृद्धि हुई है 1975-76 में 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती हुई। उत्पादन 73 लाख टन था; परन्तु वर्ष 1980-81 में, आलू की खेती के क्षेत्र में एक लाख हेक्टेयर से भी अधिक की वृद्धि हुई। आलू की खेती 7.32 लाख हेक्टेयर में हुई, और उत्पादन 95.98 लाख टन या मोटे तौर पर 96 लाख टन इन पहुंच गया। इस वर्ष हमें आलू के सर्वाधिक उत्पादन की आशा है। हमें 105 से 106 लाख टन प्राप्त होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में बाजार में इसकी भरमार होने के कारण कुछ समस्या आयी है। कुछ अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में यथा पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। कुछ भागों में कर्नाटक भी इसका उत्पादन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु भी।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रत्येक राज्य इसका उत्पादन करता है। यह बहुत ही लोकप्रिय और सुस्वादु सब्जी है। और वर्ष के दौरान निश्चित समय पर हर मौसम में पैदा की जा सकती जा सकती है।

सिद्धान्ततः, माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाने में कोई विवाद नहीं है। हम मानते हैं कि इस फसल के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। इसे कम नहीं होने देना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि उत्पादन-वृद्धि को सबसे अच्छा प्रोत्साहन लाभप्रद मूल्य है। सरकार इस नीति का पालन कर रही है। हम जानते हैं कि इसके बिना, किसानों से उत्पादन के इस स्तर को कायम रखने की आशा नहीं की जा सकती। उन्हें इसकी खेती है लाभ मिलना चाहिए; अन्यथा वे इस कठिन कार्य को क्यों करते रहेंगे ? और साथ ही मैं मानता हूं कि यह शायद ऐसा कार्य है जिसमें उद्योगों की उपेक्षा लाभ बहुत कम है।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि यदि मूल्य न बढ़ने के कारण होने वाली हानि से आलू उत्पादकों को बचाना है तो कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करता है; और इस राज्य में भी फर्रूखाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन होता है। अतः आल की फसल तैयार होते समय फर्रूखाबाद समस्या वाले क्षेत्रों में आता है। पर हमने सभी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमन्त्री से इस पर चर्चा करता रहा हूं। हमारे अधिकारीगण उत्तर प्रदेश के राज्य अधिकारियों से इस पर बात-चीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री

इस पर विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। परसों ही जब मुख्यमन्त्री यहां थे तो मैंने उनसे बात की थी । उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री इन कार्यों का व्यक्तिगत तौर से ध्यान दे रहे हैं; वे इस पर विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्हें इस बात का विश्वास है कि वे इस समस्या से निबटने में सफल होंगे । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों के हित का ध्यान रखा जाए और यह देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां भी केन्द्र सहायता प्रदान कर सकता हो, वे उपयुक्त समय पर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध करें । उत्तर प्रदेश इस मामले में काफी जागरूक है ।

पिछले वर्ष भी हमने ठीक इसी समस्या का सामना किया था, परन्तु बाजार में बिना कोई रुकावट डाले, बिना कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए कुछ सरकार एजेंसियों ने कुछ बाजारों की वाणिज्यिक खरीद द्वारा मूल्य स्थिर करने में मदद की । हमने वैगन उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया; और पिछले वर्ष रेलवे के सहयोग के कारण ही बाजार में इसकी भरमार नहीं हुई । यह जरूरी है कि उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से फसल कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाई जाए क्योंकि मूल्य अन्तर इतनी अधिक है कि यदि आलुओं बहुत उत्पादन वाले दूरस्थ स्थानों पर ले जाए बिना मूल्य नहीं बढ़ेंगे । अभी उत्तर प्रदेश से अधिकांश आलू उत्तर-पूर्व क्षेत्र—आसाम और बंगाल तक भेजा जाता है लेकिन देश के दक्षिण भाग की तरफ बम्बई व अन्य स्थान जैसे देश के अन्य क्षेत्र है जहां आलू की खपत इतनी है कि वे उत्तर प्रदेश से आलू की भारी मात्रा उठा सकते हैं । बाजार से शीघ्र आलू डूबने के विचार से ही हमनेदोबारा रेलवे की सहायता ली, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज भी सदन को इस बारे में कोई शिकायत नहीं है; किसी भी माननीय सदस्य ने यह शिकायत नहीं की कि रेलवे वैगन प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई हुई । रेल उपलब्ध हैं । व्यापारी या लोग जितने भी वैगनों की मांग करते हैं रेलवे उन्हें देने के लिए तैयार रहता है । ब्राड गेज रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में वैगन लादे जा रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते ने रियायती दरों का जिक्र किया है । कुछ अन्य वस्तुओं के साथ-साथ आलुओं के लिए भी रियायती भाडा उपलब्ध है पर यह थोड़े समले के लिए, मेरे विचार से मार्च के अन्त तक है । हम रेल मन्त्रालय से निवेदन कर रहे हैं कि वह यह देखे कि यह समयावधि इस समय तक बढ़ा दी जाए जब तक आलुओं को ले जाने में कुछ कठिनाई हो क्योंकि इस समय मौसम की वजह से आलू निकालने में विलम्ब हो गया है और अब मौसम के खुलने से बाजार में और आलू आने की सम्भावना है ।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब फर्रुखाबाद में कोई खास समस्या नहीं है । यह एक बड़े उत्पादन क्षेत्रों में से था । फर्रुखाबाद में अच्छी किस्म के आलू की कीमतें अब 52 रुपये से 56 रुपये के बीच हैं और मैं समझता हूं कि किसान के लिए यह एक उचित कीमत है । यद्यपि देशी किस्म के आलू के लिए यह कीमतें कम हैं । लेकिन स्वाभाविक है कि घटिया किस्म के आलुओं की कीमतें चन्द्रमुखी अथवा मिलिटरी विशेष तथा अन्य अत्यधिक विकसित किस्मों जैसी अच्छी किस्मों की कीमतों के बराबर हों ऐसी आशा नहीं की जा सकती । कतिपय माननीय सदस्यों ने कुछेक जिलों का उल्लेख किया है जैसे बदाऊं, मेरठ और बरेली, जिनकी ओर हम अधिक ध्यान दे रहे हैं । हमने पहले यह व्यवस्था की थी कि प्रादेशिक सहकारी फैडरेशन नाफेड और

एन० सी० सी० एफ० के लिए बाजार में खरीद करेंगी। चेयरमैन, श्री तपेश्वर सिंह यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ खरीद की गई थी। लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि नाफेड और एन० सी० सी० एफ० की ओर से नाफेड और पी० सी० एफ० ने जितनी मात्रा में खरीद की है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने इन नाफेड और एन० सी० सी० एफ० एजेंसियों से इस मामले पर चर्चा की है और उन्होंने अब नाफेड तथा एन० सी० सी० एफ० की ओर से बाजार में खरीद करने के लिए प्रादेशिक सहकारी फैडरेशन को निधियां उपलब्ध कराई हैं। वे अब आलू खरीदेंगे। पी० सी० एफ० अब प्रतिदिन 150 टन आलू नाफेड के लिए तथा 100 टन आलू एन० सी० सी० एफ० के लिए खरीदेगा और ये एजेंसियां स्वयं भी जब तक जरूरी होगा प्रतिदिन 100 टन आलू खरीदेंगी। हम आशा करते हैं कि इस हस्तक्षेप के कारण बाजार में कीमतों में मंदी नहीं आएगी।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं रेलवे वैगन उपलब्ध हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में बड़ी लाईन पर दिसम्बर से फरवरी और फिर 14 मार्च तक 2,827 वैगनों, पर लदान किया गया। बकाया मांग केवल 413 वैगनों की है। हम उसको पूरा कर रहे हैं। अकेले फरुखाबाद में 14 मार्च तक 2,217 वैगन उपलब्ध कराए गए। यह वैगन बड़ी लाईन के थे।

मीटर गेज लाईन पर अकेले फर्रुखाबाद जिले में 2365 वैगनों पर लदान किया गया। मीटर गेज के सम्बन्ध में कुछ बकाया मांग है लेकिन मीटर गेज द्वारा ढुलाई में कुछ कठिनाईयां हैं, विशेषकर क्योंकि ढुलाई उत्तर पूर्व क्षेत्र के दूरस्थ स्थानों तक पहुंचानी है। इसी तरह, देश के अन्य भागों में, पंजाब और हरियाणा में, रेलवे मांग के अनुसार वैगन उपलब्ध करा रहा है। एक शिकायत थी कि वैगनों को वापस कर दिया गया था और माननीय सदस्यों ने कुछ आशंका व्यक्त की है कि इसका कारण यह हो सकता है कि व्यापारी कीमतों को गिराना चाहते हों और वे जान-बूझकर वैगनों को वापस करने का प्रयत्न कर रहे हैं और बाजारों से पर्याप्त मात्रा में आलू नहीं उठा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी आशंका करने की कोई अधिक गुंजाइश है क्योंकि व्यापारी हमेशा खरीद करते हैं। यह स्वीकार किया गया है लेकिन इसके बावजूद, ऐसा केवल मौसम के दौरान ही होता है कि उन्हें सुगमता से और रियायती दरों पर रेलवे वैगन मिल जाते हैं। अतः उनकी रुचि केवल इसी में होगी कि यथा-सम्भव वे अधिक से अधिक खरीद और ढुलाई करें।

हो सकता है कि वे वैगनों के लिए एकाधिक स्थान पर पंजीकरण कराए क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं कि किस स्टेशन पर उन्हें वैगन मिलेंगे। जब उन्हें किसी एक स्टेशन पर लदान के लिए वैगन मिल जाते हैं तो वे अन्य स्थानों पर की गई अपनी मांग को रद्द कर देते हैं। मांग को रद्द करने का यही कारण होगा, लेकिन इससे कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई हैं।

माननीय सदस्यों ने विशेषकर निर्यात व्यवस्था के लिए दीर्घावधि उपायों का उल्लेख किया है। यह एक बहुत अच्छा और ठोस सुझाव है लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं। वास्तव में, विगत में हम आलू के अधिक निर्यात के लिए कोई बाजार नहीं ढूंढ़ सके हैं। पिछले वर्ष निर्यात बहुत थोड़ा हुआ था। उससे पिछले वर्ष हम केवल 46 टन ही निर्यात कर सके। निर्यात सम्भावनाओं का

पता लगाया जा रहा है। मैंने अपने सहयोगी, वाणिज्य मंत्री से स्वयं अनुरोध किया है कि वे अपने विभाग से कहें कि वे निर्यात सम्भावनाओं तथा बाजारों का पता लगाएं। जैसा कि मैं समझता हूं, इस समय आलू की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत बहुत कम है। यह दर मात्र 80 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन पोत पर्यन्त निशुल्क है। जो दर हम किसान को देना चाहते हैं उसे देखते हुए, निश्चित रूप से हमारी एजेंसियों को भारी हानि होगी। इस चरण में, आलू के लिए कोई बाह्य बाजार नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 80 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन है। यह पोत पर्यन्त निशुल्क दर 72 रुपये, अथवा 73 रुपये, अथवा 74 रुपये होगी, मैंने सही हिसाब नहीं लगाया है। लेकिन इसे 50, 55 अथवा 60 रुपये की दर पर खरीदना और पत्तन तक ले जाना तथा जहाज पर लादना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। यह व्यवहार्य नहीं है। तब संसाधन का प्रश्न उठता है। मैं मानता हूं कि यदि हम आलू की इस भारी मात्रा का देश के भीतर उपभोग करना अथवा निर्यात करना चाहते हैं तो हमें इसे संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयों का पहले ही उल्लेख कर दिया है। यदि आलू की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी कम हैं तो स्वाभाविक है कि यदि इसे संसाधित किया जाता है तो विदेशों में इसका सुलभ बाजार उपलब्ध नहीं होगा। हमारे अपने देश में भी कतिपय सीमाबद्धताएं हैं क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो देश में वर्षभर ताजा उपलब्ध होती है। स्वाभाविकतः, लोग ताजा सब्जी पसन्द करते हैं। हमारी जलवायु ऐसी है कि एक ही क्षेत्र में और एक ही खेत में अनेक किस्म की आलू की फसलें उगाई जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस फसल के विभिन्न मौसम हैं और परिणाम स्वरूप वर्ष भर ताजा आलू उपलब्ध होता रहता है। इसे काफी समय तक शेल्फ में रखा जा सकता है और अन्य सब्जियों की तुलना में, इसकी किस्म भी नहीं बिगड़ती। शीत भण्डारों में इसे आसानी से छह महीने तक रखा जा सकता है और बाजार में ताजा सब्जी के रूप में सप्लाई किया जा सकता है। इसके बारे में हम अभी भी विचार कर रहे हैं और अनुसंधान चल रहा है। प्रोफेसर दण्डवते तथा अन्य सदस्यों ने अल्कोहल बनाने का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि तीन अथवा चार वर्ष पहले 1976 अथवा 1977 में, सम्भवतया जनता सरकार के शासन-काल में उत्तर प्रदेश में एक वोडका संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। गहराई से अध्ययन करने पर यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसे छोड़ दिया गया। साथ ही, एक बहुत बड़ा संयंत्र गाजियाबाद में स्थापित किया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार में यह 1976 की बात है। जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री बने तो इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था।

राव बीरेन्द्र सिंह : हो सकता है कि आप आंशिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हों। गाजियाबाद में निर्जलीकरण संयंत्र ने भी कार्य नहीं किया। इसे बन्द कर दिया गया है। संभवतया, यह प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं पाया गया है। ये सीमाएं हैं। लेकिन हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने आलुओं को संसाधित करें। हम सौर ऊर्जा सुखाने के सौर यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो सस्ते पड़ सकते हैं। उनके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। किसानों को उनके प्रयोग के बारे में सिखाया जा रहा है। हमारे अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए छोटे माडल तथा बड़े माडल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं।

अब भण्डार करने का बड़ा प्रश्न उठता है। सभी वक्ताओं ने इसका उल्लेख किया है। यदि हमने अपने आलू के उत्पादन की देखभाल करनी है तो शीत भण्डार अति आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं है। देश में हमारे पास पहले ही 38 लाख टन से अधिक की क्षमता है। उत्तर प्रदेश में ही पिछले एक वर्ष के दौरान यह क्षमता दो लाख टन और बढ़ गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : आलू को शीत भण्डार में रखना चाहिए, लाभकारी मूल्यों को नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : लाभकारी मूल्य बहुत जरूरी हैं। मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं।

श्री चित्त बसु : लेकिन आप इसे कार्यान्वित नहीं करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : आपको विश्वास दिलाना बहुत कठिन है।

सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इस समय शीतागारों की क्षमता 17 लाख टन है, यह 15 लाख टन से बढ़कर 17 लाख टन हो गई है। जहां तक एन० सी० डी० सी० के अन्तर्गत विश्व बैंक परियोजना का प्रश्न है, जिसका कि श्री दण्डवते ने भी उल्लेख किया है, उसको भी लागू किया जा रहा है, उनमें से करीब 66 शीतागारों का निर्माण चल रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में छः पर कार्य पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार राज्यों में वर्ष 1983-84 तक 127 किसान सहकारी शीतागार स्थापित किये जायेंगे।

श्री रामविलास पासवान : कोल्ड स्टोरेज तो ठीक है, लेकिन बिजली के बिना तो वहां भी आलू सड़ जाता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इसका प्रो० दंडवते ने भी उल्लेख किया था। यह एक गम्भीर समस्या है। अनेक बार किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती है। मैं इस बारे में सुनिश्चित नहीं हूं कि क्या शीतागारों के मालिकों के लिए शीतागारों में रखे आलू का बीमा कराना अनिवार्य है। मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं कि क्या स्टाक में आलुओं के खराब हो जाने की हालात में, वे बीमे की राशि से किसानों को मुआवजा देने की स्थिति में हैं। हम राज्यों और उनके बिजली बोर्डों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे शीतागारों को बिजली की नियमित सप्लाई देते रहें। हो सकता है कुछ स्थानों पर राज्य बिजली बोर्ड में कुछ कमिया हों। एक तरीका यह हो सकता है कि सभी शीतागारों को कहा जाय कि वे बीमा करवायें, जिससे कि किसानों को मुआवजा दिया जा सके।

माननीय सदस्यों ने कृषि मूल्य समिति की भी आलोचना की है, लेकिन आलुओं के भाव निर्धारित करने के लिए, भाग्यवश कृषि मूल्य समिति जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाये कि ताजे फलों व सब्जियों का क्या करें।

देश में उत्पादन बहुत अधिक है और हम अभी तक अपने देश में फलों व सब्जियों के कुल उत्पादन के एक प्रतिशत को भी नहीं उठा पा रहे हैं। भारत में केवल सब्जियों का उत्पादन

ही 300 लाख टन से ज्यादा होता है। लेकिन जो कुछ हम आरक्षित भंडार के लिए रख सकते हैं, हम खरीदते हैं और सामान्यता अनाजों और अन्य फसलों के बारे में कृषि मूल्य समिति सिफारिशें ही देती हैं, लेकिन फलों व सब्जियों के बारे में हम कुछ अन्य उपायों के बारे में सोच रहे हैं। माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि प्रधान मन्त्री के निदेश के अनुसार डा० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में पिछले वर्ष एक अध्ययन दल गठित किया था, और उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सरकार अभी रिपोर्ट पर विचार कर रही है. क्या राष्ट्रीय स्तर पर निगम की स्थापना की जा सकती है या राज्यों में कुछ संघों की स्थापना की जा सकती है या सहकारी संगठनों का उपयोग ताजे फलों व सब्जियों के विपणन के लिए किया जा सकता है, जिससे कि बिचौलिये मार्किट स्थिति को खराब न कर सकें और किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सके।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : समय का भी प्रश्न है। हमें जल्द कोई निर्णय कर लेना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसे ही यह सम्भव होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, समय को बरबाद किये बिना इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कृषि मूल्य समिति केवल एक परामर्शदात्री समिति है, यह तो जब हम कृषि मूल्य समिति से अनुरोध करते हैं, तभी वह मूल्यों के बारे में सुझाव देती है, और सरकार इन सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम कृषि मूल्य समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों और माननीय सदस्यों और अन्य विशेषज्ञों के विचारों को भी ध्यान में रखते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें कृषि मजदूरों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आलू को कृषि मूल्य समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया है?

राव बीरेन्द्र सिंह : क्योंकि एक दफा जब हम आलू को निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की गारन्टी देने का निर्णय लेते हैं, तो हमें अनाज की भांति बाजार में जितना भी फालतू आलू आता है, उसे खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अगर वे सारा आलू खरीद भी लिया जाता है तो मुझे पता नहीं कि उसका क्या किया जाये। जहां तक फल व सब्जियों का प्रश्न है। यह एक सीमा है, परन्तु हम फलों व सब्जियों को संसाधित करने के लिए संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस देश में जो भी फलों व सब्जियों को संसाधित करने को इच्छुक हैं, हम उन्हें आसानी से लाइसेंस जारी कर रहे हैं। मैं इतना ही वायदा कर सकता हूं।

श्री रामविलास पासवान : उद्योग में जो कोई अधिक उत्पादन करता है, उसको आप बोनस देते हैं। किसान अधिक उत्पादन करे तो उसको भी बोनस देने की आप व्यवस्था करें?

राव बीरेन्द्र सिंह : उत्पादन को खरीद कर अच्छी कीमत देने का तो पहले कर दें, बोनस की बात बाद में आती है। जितना पैदा होता है, उसका बन्दोबस्त करने की बात तो करें। हां जो ज्यादा उत्पादन करते हैं, उनको उपाधि देते हैं, इनाम देते हैं, कृषि पंडित की उपाधि उसको देते हैं।

श्रीमन्, आलू को निर्यात करने का खुला आम लाइसेन्स है। हम ऐसे निर्यातकर्ताओं का स्वागत करेंगे जो विश्व के किसी भी स्थान पर आलू और अन्य फलों व सब्जियों का निर्यात कर सकें और उनके लिए बाजार बना सकें। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा सरकार पहले ही इस बारे में सतर्क है और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ आलू की ही नहीं, बल्कि इस देश में पैदा होने वाले अन्य फलों व सब्जियों के लिए भी, जो काफी मात्रा में पैदा होता है, और जिनकी देश में कई गुना अधिक पैदा करने की क्षमता है, विदेशों में मार्किट बना सकें। माननीय सदस्यों ने निर्यात राज सहायता और अन्य चीजों का जिक्र किया है और कहा है कि कामगारों की दरें निश्चित की जायें जिससे किसानों का शोषण न किया जा सके। मैंने इन सभी सुझावों को नोट कर लिया है। हम बराबर इस बारे में विचार करते रहते हैं कि कैसे किसानों को और संरक्षण दिया जा सके। मेरे दोस्त श्री चित्त बसु ने निवेश और उत्पादन में व्याप्त विषमता के बारे में उल्लेख किया है। 1980 में, जैसे ही सरकार ने कार्यभार संभाला, उसने अपनी नीति घोषित की, जिसमें काफी परिवर्तन किया गया है और कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करते समय व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखा जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप निवेश हैं और हम उत्पादन हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह दावा नहीं करता कि हम पूरी समानता लाने में समर्थ हुए हैं। अभी भी कुछ विषमताएं व्याप्त हैं।

श्री चित्त बसु : विषमताएं बढ़ रही हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम वर्ष दर वर्ष इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देखना है कि प्रयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं के दाम कैसे कम किये जाएं। हमें इस तथ्य के बारे में सोचना है कि उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने पड़े थे। ये सभी बातें सरकार के विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश की यातायात सम्बन्धी विशेष कठिनाइयां है। वास्तव में सभी पहाड़ी क्षेत्रों में.....

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले रेल लाइनें चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ इलाकों में विशेष मुश्किलें हैं, और वहां दुगनी मुश्किलें हैं। जब उन्हें खाने के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए, होती हैं, तो यहां तक कि नमक व अनाज की परिवहन लागत अधिक होती है। जिस वस्तु की भी वे खपत करते हैं उसके लिए भी उन्हें काफी अधिक मूल्य देना पड़ता है। जब वे किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो परिवहन लागत मूल्य की वजह से वे उसका उपयोग नहीं करते। हम पहाड़ी क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने विशेष कार्यक्रम चलाये हैं और इन क्षेत्रों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

श्री मैत्रा यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आलू अनुसंधान संस्थान केन्द्र से कोई लाभ नहीं हुआ है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। यह एक ऐसी संस्थान है, जिसे सारे विश्व में प्रशंसा

मिली है। यहां दोषमुक्त बीजों का उत्पादन किया गया है। उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि इन दोष-मुक्त प्रतिरोधी बीजों को समतल भूमि में भी बोया जा सकता है। इसने देश की और देश के किसानों की बहुमूल्य सेवा की है। मैं कुछ माननीय सदस्यों के मन में आये इस विचार को निकालना चाहता हूं।

मैंने सभी विषयों पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं।

7.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार 17 मार्च, 1982

26 फाल्गुन 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर दिल्ली—153